Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

बृहस्पतिवार

दिनांक 18 अक्टूबर, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

विक्रय अभिलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी

172, श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मार्च 1982 तक विक्रय के दस्तावेज पर स्टाम्प उसके कंसिडरेशन के आधार पर लगाये जाने का प्रस्ताव था ?

(2) क्या यह भी सही है कि 1982 में स्टाम्प बाजार भाव की कीमत पर लगाने का प्रावधान कर दिया गया ?

(3) क्या इस संशोधन का प्रभाव पुराने विक्रय पर भी पड़ेगा ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश (स्टाम्प्स), कोटा ने मार्च, 1982 के पूर्व की विक्रय की रजिस्ट्री पर भी इस संशोधन के अन्तर्गत नोटिसेज दिये हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने मार्च, 1982 के पूर्व के बेचानों पर बाजार भाव की जांच न करने की सूचना जिलाधीशों को दी है ?

(6) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश (स्टाम्प्स) को बाजारू कीमत की जांच करने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो जिलाधीश (स्टाम्प्स) कोटा ने किस आधार पर जांच प्रारम्भ की है ?

(7) क्या भी यही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल ने भी अपने निर्णयों में जिलाधीश (स्टाम्प्स) को विक्रय के सौदों पर बाजारू कीमत की जांच करने का अधिकारी नहीं माना है ?

वित्त मन्त्री श्री बृज सुन्दर शर्मा :

(1) नियमों में ऐसा ही प्रावधान था।

(2) जी हां, 29.5.82 से।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं, 29.5.1982 के बाद अधिकार है।

(7) जी नहीं। जिन दस्तावेजों पर विधान तथा नियमों के अनुसार स्टाम्प

Page No 2

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ड्यूटी सम्पत्ति के बाजार भाव के आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान है उनके लिए उच्च न्यायालय ने जिलाधीश को बाजार कीमत की जांच करने का अधिकारी माना है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नम्बर तीन का आपने जवाब दिया है, "जी नहीं" तो क्या कोटा जिलाधीश के यहां 29.5.1989 के पूर्व के विक्रय पत्रों पर केसेज चलाये जा रहे हैं कि आपने स्टाम्प ड्यूटी कम दी है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह 1947 के रेफरेंस में जो इम्पाउण्ड हुए होंगे उन्हीं पर केस होंगे। 1983 का जो आर्डर हुआ है, अमेण्डमैण्ट हुआ है उसके अन्तर्गत नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मेरा निवेदन यह है कि आपने पहले नम्बर का उत्तर दिया है, कंसिडरेशन के आधार पर था। कंसिडरेशन के आधार पर जो विक्रय हो गये हैं उसके लिए 29.5.1982 को संशोधन 218 किया है कि बाजार भाव पर स्टाम्प ड्यूटी ली जायेगी। 29.5.82 के पहले जितने केसेज थे क्या वे सारे रि-ओपन नहीं कर लिये गये? ऐसे हजारों केसेज कोर्ट में चल रहे हैं।

एक और निवेदन है, पांचवें भाग की सूचना आपने दी है, "जी नहीं" मैंने स्वयं वह परिपत्र पढ़ा है जो विभाग से गया है कि 29.5.1982 के पहले जो विक्रय हुए हैं उन पर आप पुनर्विचार नहीं करें। जवाब आपने यह दिया है कि यहां से कोई परिपत्र जारी नहीं हुआ मैं स्वयं पढ़ कर आया हूं आपने स्वयं निर्देश दिये है कि आप पुनर्विचार न करें फिर भी वहां पर हजारों केसेज चल रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है वह यहां से नहीं दिया गया है। अगर कोई ऐसी गलती हुई है, तो किसी रेफरेंस के जवाब में जरूर लिख दिया गया होगा। 29.5.1982 के पहले के केसेज पर कोई अधिकार नहीं हैं। ऐसे केसेज को कोटा में, जैसा आप बता रहे हैं, रि-ओपन करने की बात है तो आप बता दें 2-4 केसेज।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 2-4 को क्या बताऊं, मैं विधान सभा में प्रश्न कर रहा हूं और दावे से कह रहा हूं कि हजारों केसेज चल रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कलेक्टर ने जो सूचना दी है उसके आधार पर कह रहा हूं कि ऐसे कोई केसेज नहीं हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कलेक्टर की सूचना का सवाल नहीं है, यहां उत्तर मन्त्री महोदय दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हजारों विक्रय पत्र, जो कंसिडरेशन के आधार पर हुए हैं, के केसेज जिलाधीश के कोर्ट में चल रहे हैं कि आपने स्टाम्प ड्यूटी कम लगाई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा अर्ज करना यह है, मैं खास तौर से निवेदन कर रहा हूं कि वह लगा ही नही सकते। अगर कर रहे

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हैं तो आप 2–4 केसेज मुझे बता दीजिए ताकि मैं जांच करवा लूं।

श्री रघुवीरसिंह कोशल : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट में लोग गये हैं और वहां से डिसीजन हुए हैं इसके बावजूद भी जिलाधीश, कोटा मानने को तैयार नहीं है कि उनको अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आप दो चार उदाहरण जो दे सकते हैं वह दे दीजिए।

मंत्री जो कह रहे हैं, उन पर विचार करेंगे। दो-चार उदाहरण आप दे देना।

श्री रघुवीर सिंह कोशल : उदाहरण की तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं, सैकड़ों, हजारों केसेज हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में दे दीजिए इस समय नहीं हों तो। जिलाधीश ने इतला दी है कि इस तरह के कोई केसेज विचाराधीन नहीं हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि आप उदाहरण बता दें। तो आप उदाहरण बता दें।

अगला प्रश्न

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

पंचायत समिति सराड़ा (उदयपुर) में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

173. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : "क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सराड़ा, जिला उदयपुर में कृषि मण्डी नहीं खोली गई है? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक मंडी निर्माण करने का विचार है?"

(2) क्या इस आदिवासी क्षेत्र में मण्डी खोलने हेतु सर्वे किया गया है?" यदि हां, तो किस गांव में मण्डी खोलने का सरकार इरादा रखती है?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) :

(1) जी हां। पंचायत समिति सराड़ा, कृषि उपज मण्डी समिति उदयपुर का हिस्सा है। सराड़ा में अभी कोई मण्डी निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। सर्वेक्षण के पश्चात् इसी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम चावण्ड में गौण मण्डी की स्थापना की जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री राम किशोर मीणा।

बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर अमल

174. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बेरी आयोग के भूमि अधिग्रहण (आवंटन) के प्रतिवेदन को लागू किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो कब?

Page No 4

(श्री रामकिशोर मीणा)

(2) क्या यह सही है कि इस अधिकारी ने राज्य सरकार को सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो कब कब और क्या क्या ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इन सुझावों पर कोई अमल किया है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां । बेरी आयोग (कृषि भूमि सम्बन्धी जांच) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने के लिये एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था । इस समिति का गठन 1.4.1982 को किया गया था ।

(2) जी हां । इस समिति ने उपयुक्त वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 26.5.1984 को प्रस्तुत कर दी है । समिति की रिपोर्ट विस्तृत है और राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है तत्पश्चात् आगे कार्यवाही सम्भव होगी ।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह जो समिति गठित की गई थी 1.4.1982 को, इसमें कुल कितने मामले रिकार्ड हुए और कितने मामलों पर····

श्री अध्यक्ष : विषय से हट रहे हैं माननीय सदस्य ।

श्री रामकिशोर मीणा : जो रिकमण्डेशन की गई है उसके अनुसार कुल कितनी जमीन इसमें इन्वाल्व है तथा आज की तारीख में उसकी कुल कितनी कीमत है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विस्तार से जानकारी चाह रहे हैं ।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय 26-5-1984 को राज्य सरकार को रिपोर्ट दे दी गई । आज साढ़े चार महीने होने के बावजूद उस पर सरकार ने कोई निर्णय क्यों नहीं लिया ?

राजस्व मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया, स्थिति यह है कि जो प्रश्न किया गया है उसमें आप जो जानकारी चाह रहे हैं वह अभी देने की स्थिति में हूं नहीं ।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछा है कि साढ़े चार महीने हो गये प्रतिवेदन को आये उस पर आपने क्या विचार किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो प्रतिवेदन आया है उसमें हर केस की डिटेल उन्होंने दी है । उसके आधार पर यह देखना पड़ेगा कि कौन सा केस कोर्ट में देने को है, कौन से में विभागीय स्टडी करनी है । यह सारा छटनी होने के बाद ही किया जा सकेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रतिवेदन 1979 में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बनना शुरू हुआ और 1980 में सारा प्रतिवेदन बेरी कमीशन का पेश हो गया। 1980 से 1982 तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। 1982 में एक कमेटी अपाइन्ट कर दी। उसने कमीशन की रिपोर्ट की स्क्रूटनी करने में दो वर्ष लिए। दो वर्ष के बाद यह भी नहीं कि अलग-अलग विषय पर रिपोर्ट दी हो। राज्य सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं जानना चाहूंगा कि समिति ने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, समिति को जितने भी केसेज कमीशन की रिपोर्ट में छांटे हैं उन सब को देखना है कि कौनसा केस चलने लायक है, कौनसा चलने लायक नहीं है। यह छोटी बात नहीं है बहुत लम्बी बात है। 1979 में आयोग बैठा उसके बाद रिपोर्ट सरकार को मिली 3.10.1981 को। उसके बाद समिति का गठन किया गया 1.4.1982 को। उसके बाद समिति ने रिपोर्ट, जो करीब 8 जिल्दों में है, कन्सिडर करके 30.5.84 को दी है। उसके ऊपर जैसा मैंने निवेदन किया कि हर केस को देख रहे हैं, जो भी निर्णय होगा उस आधार पर आगे कार्यवाही होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट में कोई ऐसा मामला नहीं है जो लाख-दो लाख रुपयों का हो। इसमें लगभग 500 आदमी इन्वाल्व हैं जिन्होंने सरकारी भूमि पर अवैधानिक ढंग से कब्जा कर रखा है। इस जमीन को उनके कब्जे से छुड़ाया जाये, यह बेरी कमीशन ने सिफारिश की है। वह जमीन आज के मूल्य के हिसाब से 400-500 करोड़ रुपये की है। मुझे समझ में नहीं आता है, आज सरकार वित्तीय संकट में फंसी हुई है, इस तरह से 500 करोड़ रुपये की आय उसको हो सकती है, ज्युडिशियल इन्क्वायरी करने के बाद, सारी पार्टीज को सुनने के बाद, मौका देने के बाद उन्होंने जो जजमेन्ट दिया है कि इस जमीन पर अवैधानिक ढंग से कब्जा कर रखा है तो सरकार तुरन्त उस जमीन को वापिस लेने की कार्यवाही करे इसमें क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने जैसा कहा कि लगभग 400-500 केसेज हैं जिन पर बेरी कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है कि इनसे जमीन छुड़ाई जाये। जो जमीन की कीमत आपने बतायी है वह 400-500 करोड़ रुपये बतायी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेरी कमीशन में जो केसेज थे वह लगभग 1774 थे और उसने 400-500 केसेज के ऊपर ही नहीं बल्कि सब के ऊपर रिपोर्ट दी है। किन केसेज के ऊपर क्या निर्णय दिया है यह मैं नहीं कह सकता हूं। 400-500 केसेज के ऊपर निर्णय दिया है या ज्यादा पर दिया, यह मैं आज कहने की स्थिति में नहीं हूं। आपने बताया है, वह आपके हिसाब से बताया है। यह मैंने स्पष्ट बताया है कि बेरी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कुछ केसेज ऐसे हैं जिन पर

Page No 6

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कार्यवाही नहीं हो सकती है और कुछ केसेज ऐसे हैं जिन पर सरकार वैधानिक रूप से कार्यवाही कर सकती है। आज स्थिति यह है कि यह पुराने केसेज हैं और उस जमीन की शक्ल ही बदल गयी है। उस जमीन पर कहीं पर मकान बन गये हैं कहीं खेत पर कुए बन गये हैं। यह भी हो सकता है कि सब की जमीन छूट ही जाये यह सब कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। कुछ जमीन ऐसी भी होंगी जो लोगों ने दी है और वह रेगूलेराइज करना होगा, जिनको एलाट कर सकते हैं उनको अलाट करना होगा। यह सारी चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से इन्टरलिंक हैं। इनको जब तक देखा नहीं जायेगा तब तक इस पर स्पष्ट निर्णय, नहीं लिया जा सकता है। इसलिए इस पर, विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें निर्णय को क्या आवश्यकता है? यह जूडिशियल फाइंडिंग्स हैं परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि कोर्ट की फाइंडिंग्स की तरह नहीं हैं, उस प्रकार की नहीं हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके चेयरमैन थे और कमीशन ने इन्क्वायरी करने के बाद उसकी रिपोर्ट दी है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि 1774 केसेज थे। 1700 केसेज थे यह तो मैं एग्जेक्ट नहीं कह सकता हूं परन्तु उन्होंने जो जजमेण्ट दिये हैं उनकी संख्या 400-500 के बीच में है। कमीशन ने सिफारिश की है कि इस जमीन पर इन लोगों ने अनाधिकृत, अवैधानिक रूप से कब्जा किया है। अपनी अन्तिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इस जमीन को राज्य सरकार को तुरन्त वापस लेना चाहिये। राजस्थान सरकार के कानून इसके लिये सशक्त है, समर्थ है। इसके बावजूद सरकार ने एक कमेटी अपाइन्ट कर दी है। कमेटी ने इस पर दो वर्ष का टाइम लिया और दो साल के बाद आज यह कहते हैं कि जिस समय कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उस समय अधिकांश जमीन खाली थी। जब तक राज्य सरकार बदली नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आई उस समय तक यह जमीन खाली थी, यदि तुरन्त ही इस पर कार्यवाही की जाती तो सारी जमीन राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत की जा सकती थी। परन्तु उनको मौका दिया गया। राजस्थान सरकार ने उसको जमीन को खुर्द-बुर्द करने का मौका दिया। इस बीच उन्होंने जमीन को ट्रान्सफर कर दिया, मकान का निर्माण कर लिया। यह सब जान बूझ कर किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत से नेता शामिल हैं, कई भूतपूर्व मन्त्री शामिल हैं, कई भूतपूर्व विधायक शामिल हैं। कई प्रकार के नेता हैं अपने इन नेताओं को बचाने के लिये राज्य सरकार बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर कुण्डली मार कर बैठी है ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। यह जनता के साथ धोखा है। यदि गरीब हरिजन छोटा सा मकान भोजपुरा में या किसी कच्ची बस्ती में बना लें तो उसके मकान को तोड़ दिया जाता है लेकिन अनधिकृत रूप से जिन्होंने इस जमीन पर कब्जा कर

Page No 7

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रखा है उनसे राज्य सरकार जमीन नहीं छुडाती है। यह अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भैरुलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : पहली रिपोर्ट 1979 में आ गई थी तब माननीय भैरोंसिंह जी मुख्य मन्त्री थे। प्रतिपक्ष के नेता मुख्य मन्त्री थे उसके बावजूद यह पूछ रहे हैं कि कार्यवाही क्यों नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें। मन्त्री महोदय के उत्तर के बाद सिर्फ दो माननीय सदस्यों को दो पूरक प्रश्न करने की इजाजत दूंगा। पहले मन्त्री महोदय का उत्तर आयेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने एक लम्बी-चौड़ी बात इस सम्बन्ध में कह दी। यह भी कहा कि इसलिये बचाया जा रहा है कि काफी लोग नेताओं की श्रेणी में है। चाहे भूतपूर्व मन्त्री हों, चाहे भूतपूर्व विधायक हों, सब के ऊपर कार्यवाही हो रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : कई भूतपूर्व मन्त्री हैं। हरिदेव जोशी का नाम है, जो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर नहीं चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने चार्ज लगा दिया। हमें जवाब देने का अधिकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार कहीं पर भी इस बात के लिये नहीं है कि किसी को बचाया जाये। जो भी दोषी पाया जायेगा, चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

आप सुनो मेरी बात।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : बैठिये आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें। मन्त्री जी का उत्तर आने दें।

श्री भैरुलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैंने बैरी आयोग को शिकायत की थी कि जयपुर जिले के भूतपूर्व जागीरदार की 2 हजार बीघा जमीन है परन्तु कार्यवाही नहीं हुई। यह कमीशन तो कांग्रेस के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने के लिये बैठाया गया था।

Page No 8

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

उत्तर सुनना चाहते हैं तो कृपया शान्त रहें। आडर, आर्डर। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री भैरूलाल भारद्वाजXXX

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने स्पष्ट कहा है, राज्य सरकार कहीं पर भी किसी को बचाने की दृष्टि से इसको रोके हुए नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आपने अपने जबाव में कहा है कि आप नियमन करेंगे....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ाX X X

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कहा गया है कि हमने इतना लम्बा समय इसलिये निकाला कि हमने किसी को मौका दिया कि वह जमीन को खुर्द-बुर्द कर दे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार जिस वक्त थी उस वक्त रिपोर्ट नहीं आयी थी। जैसा मैंने कहा है, रिपोर्ट 3 10.1981 को आयी है। उस वक्त तक कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। उसके बाद 1982 में समिति बनायी गयी। समिति ने रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज किया। सरकार के पास में इस समिति की रिपोर्ट को आये साढ़े चार महीने ही हुए हैं। 26 5 84 को रिपोर्ट आई है। वह रिपोर्ट सरकार के पास है। जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय स्वयं ने कहा है, वे जानते हैं इसमें किस प्रकार के केसेज हैं। उन केसेज को जब तक देखा नहीं जायेगा, जैसा मैंने स्पष्ट कहा कि इन केसेज में जमीन की क्या स्थिति है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई तारीख तो हो ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह कोई जुडिशियल फाइंडिंग नहीं है यह कमीशन की सिफारिश है। इस आधार पर सरकार सोच-समझकर फैसला कर सकती है। आज वह जमीन किस स्थिति में है, जब तक उस जमीन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जावे तब तक उस जमीन का कब्जा लेना आसान नहीं होगा। किस दिन कब्जा लिया जायेगा, इसी सदन में बात आयेगी कब्जा लिये जाने के लिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कहीं पर सरकार की तरफ से

XXXमाननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 9

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को बचाना चाहता हो। स्पष्ट रूप से उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी और कार्यवाही ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो जमीन है उसको सरकार ले सकती है। लेकर जिसको आवंटित की जा सकती है, उसको आवंटित की जायेगी, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नोट छापे जा रहे हैं, पैसे कमाये जा रहे हैं। प्लाट काटे जा रहे हैं बड़े आराम से।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसमें बड़े आदमी इन्वाल्व होने से, अध्यक्ष महोदय ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : ०००ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसमें आपका नाम है०००

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अंकित न हो।

श्री बाऊदयाल जोशी : XXX

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : XXX

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : XXX

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : XXX

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

श्री भैरूलाल भारद्वाज : XXX

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री नाथूसिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : दो हजार बीघा जमीन की बेरी आयोग को शिकायत की। दो हजार बीघा जमीन एक भूतपूर्व जागीरदार ने हड़प ली उसकी तो आप....

(व्यवधान)

दो-दो बीघा, 5-5 बीघा की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

०००नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।
XXXमाननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर । बैठ जायें ।

(व्यवधान)

बैठ जायें, माननीय सदस्य । आर्डर, आर्डर ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है । आर्डर प्लीज । मैं यह चाहता था इसमें 2-4 पूरक प्रश्न हों तो पूछ लिये जायें उसके बजाय माननीय सदस्यों ने अनधिकृत रूप से काफी समय ले लिया । माननीय सदस्य इस सदन के नियम से अच्छी तरह से परिचित हैं कि प्रश्न काल के लिए एक घण्टा निश्चित होता है । इस समय में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सब आते हैं । इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो गयी । मैंने बार-बार निवेदन किया । पहले मैं इजाजत दे सकता था....

एक माननीय सदस्य : यह समिति जो गठित हुई थी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो प्रश्न पूछे जायें । सदस्य शांत रहें तो दो माननीय सदस्यों को दो पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दे सकता हूं ।

सुश्री पुष्पा जैन : किनके नाम होंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह मेरे विवेक पर छोड़िये, मैं किन-किन माननीय सदस्यों के नाम लूंगा । कृपया संक्षेप में । श्री नाथूसिंह ।

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दाऊदयाल जी उन्होंने मेरे लिए कोई बात कही । मेरी समझ में नहीं आयी इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि वे क्या चाहते हैं क्या आरोप लगा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमला जी, उनको तो भ्रांति हो गयी । इसमें कमला का नाम है, उन्होंने समझा कि कमला बेनीवाल है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । कृपया बैठ जायें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कमला बेनीवाल बोला, ऐसा मुझे सुनाई पड़ा ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : या तो कहो कमला भील या कमला बेनीवाल या कमला मंत्री, कुछ तो बोलिये । मेरी तरफ से उनसे कहिये, जवाब दें । जवाब मांग रही हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य नाथूसिंह ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष

(श्री नाथूसिंह)

महोदय, क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट पर इसलिए कार्यवाही नहीं की जा रही है, कि सरकार पर कुछ प्रभावशाली और बड़े नेताओं का दबाव है ? नम्बर एक।

नम्बर दो, क्या इसलिए कार्यवाही नहीं की जा रही है....

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पूछने की इजाजत है। एक प्रश्न पूछिये।

श्री नाथूसिंह : हां, एक प्रश्न ही। मुख्य मंत्रीजी के नजदीकी व्यक्ति उसी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं इसलिए मुख्य मंत्री जी उस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यह आयोग की रिपोर्ट पर, प्रतिवेदन पर कार्यवाही का प्रश्न है। इसमें किस पर है, किस पर नहीं, इसके विस्तार में नहीं जायें क्योंकि यह जानकारी शायद वर्तमान में मंत्री जी के पास उपलब्ध नहीं हो। इसका उत्तर दे दिया जायेगा, प्रभावशाली लोगों का असर पड़ता है।

(व्यवधान)

इसलिए उत्तर आने दीजिए।

आर्डर, आर्डर। बैठ जायें, माननीय सदस्य।

मंत्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार पर किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं है। सरकार इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि जब तक आप इस प्रतिवेदन पर फैसला लेंगे तब तक देर लगेगी। इस बीच जो जमीन खुर्द-बुर्द हो गयी है, इसको रोकने के लिए आपके पास क्या कदम हैं, क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, अगर नाजायज तौर पर खुर्द-बुर्द हुई है तो उसके लिये कानूनी प्रावधान है। उसको डिएक्वायर करेंगे या जो भी कार्यवाही होगी वह कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरुलाल भारद्वाज। आर्डर प्लीज।

श्री भैरुलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : मन्त्री महोदय यह बतायें कि यह बेरी आयोग की रिपोर्ट माननीय भैरोंसिंह जी के समय 79 में आ गयी थी ?

श्री अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लेवें, पद से सम्बोधित करें।

श्री भैरुलाल भारद्वाज : यह बात सही है कि 5-5 बीघा, 2-2 बीघा की शिकायत वालों की उस वक्त जांच हुई। मैंने स्वयं जिला कांग्रेस कमेटी, जयपुर की ओर से जो दो हजार बीघा से अधिक जमीन पर

(श्री भैंरूलाल भारद्वाज)

एक भूतपूर्व जागीरदार ने विभिन्न लोगों के नाम से नाजायज कब्जा कर लिया था, जो दबा ली थी उसके लिए कहा तो छः महीने तक कलेक्टर ने नोटिस जारी नहीं किये। छः महीने बाद मैंने जब धरणा देने के लिए फैसला किया तो नोटिस जारी हुआ। यह बात सही ...

श्री अध्यक्ष : यह विस्तृत जानकारी से सम्बन्ध रखता है इसलिये इसका उत्तर देना सम्भव नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : और इतने बड़े दो हजार बीघा के मामले को बीच में दबा दिया गया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्टस की एग्रीकल्चर लैण्ड बहुत सी ट्रान्सफर कर दी गयी है, इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने सम्बन्धित जिलाधीशों को कार्यवाही करने का आदेश दिया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : मन्त्री महोदय, जैसा आपने फरमाया कि किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जायेगा। जिस जमीन को उसके मालिक ने अनाधिकृत रूप से खुर्द-बुर्द कर दिया, सोसायटी बनाकर मकानों के रूप में दूसरे लोगों को बेच दिया और दूसरे लोगों ने पैसा भी दे दिया, अब आप क्या कार्यवाही करेंगे उससे इफेक्टेड कौन होंगे ? क्या यह आपके विलम्ब के कारण से नहीं हुआ ? पहला प्रश्न।

दूसरा प्रश्न, यह भी कहना चाहूंगी कि जो रिपोर्ट आपके सामने आई हैXXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक्सपन्ज कर दिया जाये। मैंने निवेदन किया था पूर्व में कि व्यक्तिगत केस, इसके प्रश्न....

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, व्यक्तिगत प्रश्न इस प्रश्न के दायरे में नहीं आते हैं। माननीय सदस्या, आप स्वयं नियमों से परिचित हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इस प्रश्न की परिधि का पूरक प्रश्न पूछा जाय। श्री महाराम।

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो जमीन जागीरदारों ने, राजा-महाराजाओं ने या जिस किसी ने राजस्थान में बेनामी तरीके से बेच दी या ट्रान्सफर कर दी तो यह अब आप किसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? गरीब काश्तकार....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आयोग के सम्बन्ध में पूछें। बैठ जायं।

श्री महाराम चौधरी : क्या आप उस किसान के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। बैठ जायं। श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंगकुमार जैन : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बेरी आयोग की रिपोर्ट में कितने भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और मन्त्री के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की गयी है ? कितने भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और मंत्रियों ने नाजायज कब्जे किये हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अलग प्रश्न। कृपया किसी अन्य माध्यम का उपयोग करें। इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय न लें। बैठ जायें।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मंत्री महोदय ने कहा कि जो जमीन है वह लोगों को आवंटित की जायेगी। मुझे ऐसी आशा है कि प्रभावशाली लोगों को आवंटित करेंगे, उनको आउलाइज करेंगे। यह बतायें कि उस सूची में किन लोगों को लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। कल्पना पर आधारित है। श्री रामकंवार बैरवा।

(व्यवधान)

बैठ कर हाथ ऊंचा कर लो, दृष्टिगत हो जायेगा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बेरी आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिश की गयी है, अर्थात् वह जमीन विवादग्रस्त है तो जैसे विवादग्रस्त जमीन पर प्राधिकरण अपना बोर्ड लगा देता है उसी प्रकार वहां पर कोई बोर्ड वगैरह लगाया जाय तो आगे से ऐसी जमीन बच जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अच्छा सुझाव है। यह काफी उपयोगी सुझाव प्रतीत होता है।

श्री दाऊदयाल जोशी। यह अन्तिम प्रश्नकर्ता हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि बेरी आयोग की

Page No 14

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जो सिफारिशें आयी हैं उनको आप अपने कार्यकाल में लागू कर देंगे ?'

साढ़े चार महीने बाद कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है, उस पर अपने ही कार्यकाल में निर्णय ले लेंगे ? यह समयावधि बताने की कृपा करें।

एक माननीय सदस्य : आपको तोXXX पता नहीं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि बेदी आयोग ने जिस जमीन की बात कही है, जो एन्क्रोचमेंट हो गये वह तो हो गये लेकिन जो जमीन खाली है उसके प्रोटेक्शन को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : उसके लिए बोर्ड लगावें, ऐसा सुझाव आया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जमीन की बात कही है, उसमें तो कोई जनरल बात है नहीं। जहां तक मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, खास तौर से किसी पर्टीकुलर केसेज के बारे में उन्होंने निर्णय दिया है, जनरल का नहीं दिया है। जिन लोगों ने जमीनें ली हैं उन पर कार्यवाही करने के लिए नियम बने हुए हैं, कानून बना हुआ है, उसके आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं।

आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही कि इस प्रकार से एनक्रोचमेंट हो गये कि कोआपरेटिव सोसायटी बना कर मकान बना लिये हैं। मैंने प्रश्न के उत्तर में यह निवेदन किया था कि इस प्रकार से जो चेन्ज हो गया है उसको देखना होगा। किसके ऊपर किस प्रकार का एक्शन लिया जा सकता है, एक्शन लेने में उसको क्या पेनेलाइज करना होगा, क्या प्रभाव होंगे, यह तो सारी बातें देख कर फैसला करना है। यह सारी समस्या उत्पन्न हो गयी है। अगर यह नहीं होता तो इतना विचार करने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए ही तो विचार करने की जरूरत आ रही है। एक दूसरा प्रश्न जो व्यक्तिगत पूछा था, उसके बारे में कह नहीं सकता हूं क्योंकि किसी का नाम तो लिया नहीं था।

श्री अध्यक्ष : उसकी मैंने अनुमति नहीं दी।

श्री हीरालाल देवपुरा : दूसरा प्रश्न पूछा था, जो जमीनें हैं उनके बारे में। तो मैंने निवेदन किया कि जो जमीन सरकार लेगी उसका आवंटन करेगी। इस दरमियान अगर निर्माण करके या किसी भी तरीके से उसको ट्रान्सफर करता है तो नियमानुसार जो भी कार्यवाही होगी वह करेंगे। इसमें कोई प्रभाव आड़े नहीं आयेगा यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

XXXनाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न । आपने इस प्रश्न पर मुझे अनुमति दी । इस रिपोर्ट में तीन बातें मुख्य रूप से लिखी हैं । पहली तो यह है कि सरकार ने जो अलाटमेंट किया है वह गलत किया है । कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट से सिफारिश की है कि गलत अलाटमेंट को केंसिल करें ।

दूसरा, उन्होंने बताया है कि सरकार ने जिन सार्वजनिक संस्थाओं को सार्वजनिक कार्यों के लिये जमीन का आवंटन किया है उस काम में न लेकर उन्होंने जमीन बेच दी । चारों ओर बेचने के मामले भी इसमें सामने आये हैं ।

तीसरी जमीन इस प्रकार की है जो एस. सी. और एस. टी. की है और टिनेन्सी एक्ट के अनुसार नान शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब के आदमी को नहीं मिल सकती है ।

चौथी जमीन वह है जो एनक्रोचमेंट के नाम पर रेगूलराइज करायी गयी है । उस मामले के ऊपर कमीशन ने सिफारिश की है कि गवर्नमेंट ने जो अलाटमेंट किया है उसको सरकार बिल्कुल केंसिल कर सकती है । केंसिल करने के बाद जो पार्टी इफेक्टेड है वह सरकार को मूव करती है या कोर्ट में जाती है तो मसला दूसरा होता । एक बार यह पता लग जाता कि अलाटमेंट केंसिल हो गया है तो उसमें इन्वेस्टमेंट रुक जाता या उसका ट्रान्सफर रुक जाता और यह समस्या जो खड़ी हो गयी है वह नहीं होगी ।

दूसरा प्रश्न यह आया कि जहां सार्वजनिक कार्यों के लिए जमीन का अलाटमेंट हुआ था उसको भी उन्होंने गलत माना । जिस काम के लिए जमीन दी गयी थी उस जमीन का उपयोग उस काम में न होकर उस जमीन को बेच दिया गया, सोसायटी बना कर प्लाट काट दिये गये । जिस समय यह हुआ उस समय ही सरकार आदेश दे सकती थी । अनुसूचित जाति और जनजाति की जमीन, जिसको कि कानूनी रूप से नहीं दे सकते थे, पर सरकार को राय लेने की आवश्यकता नहीं थी । अच्छा होता, सरकार जमीन वापस ले रही है इस प्रकार के एक बार नोटिस देती तो वह जमीन खुर्द-बुर्द नहीं होती । वह जमीन सरकार के पास किसी भी समय, एक-दो वर्ष के बाद सरकार के कब्जे में आ जाती ।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो जमीन इस प्रकार के लोगों ने नाजायज तरीके से कब्जे में कर रखी है और दूसरी तरफ काश्तकारों की जमीनों को हाऊसिंग बोर्ड के लिये एक्वायर कर रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि जिस जमीन को आप एक्वायर कर रहे हैं उस जमीन के लिए वेरी कमीशन ने यह माना है कि उक्त जमीन पर अमुक व्यक्ति का नाजायज कब्जा है, उसको लेण्ड एक्वीजिशन एक्ट में इस सरकार ने नोटिस दिया है 1983 में 84 में और 1982 में और उस जमीन को ही एक्वायर कर रहे हैं । अब ताज्जुब है कि जमीन पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो अनधिकृत कब्जा है और कम्पेनसेशन देने की बात सरकार कर रही है। इसका मतलब यह है कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर सरकार किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करना चाहती है। मूल कारण यह है कि बहुत से बड़-बड़े आदमी फंसे हुए हैं। मैं समझता हूं कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। सब को मालुम है कि कितने बड़े-बड़े आदमी फसे हुए हैं। सरकार उस पर कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती है।

श्री अध्यक्ष : आपको भी तो 12 महीने का समय मिला था। शुरू में ही कार्यवाही आरम्भ कर देते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय नहीं मिला। गठित तो 77 में ही कर दिया गया था लेकिन जो क्वेश्चनेबल जमीन का प्रश्न था उसमें 8 महीने से 1 वर्ष तक का समय ले लिया। लोग कोर्ट तक का स्टे ले आये कि आप इसकी जांच ही नहीं करा सकते हैं। वकील लाकर वहां खड़े कर दिये एक-एक केस को डिस्पोज ऑफ कराने मे काफी मेहनत करनी पड़ी है। मैं समझता हूं कि कमीशन को इस रिपोर्ट को लागू कर दें तो भविष्य में जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा अन्याय है राज-स्थान की जनता के साथ, अमीर और प्रभावशाली लोगों ने तो कब्जे कर लिये और गरीबों की जमीन पर आप एन्क्रोच-मेंट कर रहे हैं। उनकी जमीनों पर अनधिकृत कब्जे कर रहे हैं। अनुसचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जमीनों का उनको वापस कब्जा नहीं दिला रहे हैं। मैं समझता हूं, सरकार जान बूझकर इस षड्यन्त्र को रच रही है। बड़े आदमियों के कब्जे से जमीन को नहीं लेने के प्रोटेस्ट के रूप मे हम सदन से वाक आउट करते हैं ताकि दुनिया को....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल है, और बहुत से सवाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : वाक आउट में तो समय लग जायेगा....

श्री भंवरलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महो-दय, प्रश्नकाल को शून्यकाल बना रखा है। दूसरे माननीय सदस्यों के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी। वाक आउट का तय कर लिया है। मंत्री ने जबाव दिया नहीं उससे पहले ही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब दे रहे हैं तो मैं बैठता हूं।

श्री अध्यक्ष : जवाब देने का अवसर दे रहा हूं। मंत्री जी उत्तर दें फिर यदि असंतुष्ट हों तो वाक आउट कर जायें। या पहले से ही तय कर लिया है ?

श्री रामकंवार बैरवा : विधान सभा की 27 एकड़ जमीन का भी मंत्री महोदय

Page No 17

(श्री रामकंवार बैरवा)

बता दें, उसकी क्या स्थिति है। उस पर भी जवाब दे दें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री नाथूसिंह : ने कब्जा कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य. ऑर्डर।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, वाक आउट की जो बात विपक्ष के नेता ने कही तो मैंने समझा कि अपनी बात कह कर चले जायेंगे और हमारी बात को सुनना पसन्द नहीं करेंगे। ऐसा मुझे लगा। लेकिन आपने उनको मना लिया, मैं बहुत-बहुत इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा अलाट की हुई जमीन है उसको खारिज करने की बात की है कि गलत अलाटमेंट है इसलिए उसको खारिज किया जाय। अध्यक्ष महोदय, आसान है कहना कि इसमें कई नाम हैं। अलाटमेंट के बाद उनके अपने राइट्स हो गये, खातेदारी राइट्स उनको मिल गये। आज अगर उनको खारिज किया जायगा तो कोर्ट में जा करके चैलेंज किया जायगा, स्टे आर्डर होगा और काम्पलीकेशन पैदा और किसान ज्यादा परेशान होगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंह : मंत्री जी अपनी बात....

श्री हीरालाल देवपुरा : अपनी बात कह दी और मेरी बात सुनना नहीं चाहते....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप उनको धन्ना सेठ कह दीजिये, आप उनको बड़ा नेता कह दीजिये, मंत्री कह दीजिये वह सब ठीक है और मैं किसान कह दूं तो सब गलत है....

श्री यदुनाथ सिंह : किसान की बात करते हो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। व्यवधान पैदा न करें।

अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :XXX

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : XXX

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। कृपया शान्ति बनाये रखें। मंत्री महोदय का उत्तर सुनें।

श्री हीरालाल देवपुरा : दूसरा प्रश्न आपका संस्थाओं के बारे में है कि उन

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 18

(श्री हीरालाल देवपुरा)

संस्थाओं को जो जमीन जिस परपज के लिये दी गयी थी उस काम में नहीं ली गयी मेरी बात तो अलग छोड़िये, राज्य सरकार के पास जब-जब इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं तब-तब उन संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की गई है और भविष्य में भी कार्यवाही की जायेगी। जैसा इसके अन्दर अगर कोई दर्शाया गया है, उसके सम्बन्ध में कोई बात होगी तो जैसा मैंने कहा, उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। ऐसे के बारे में मैंने निवेदन किया ही था पूर्व में, यह इसके बारे में फिर कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद : XXX

श्री हीरालाल देवपुरा : उनके बारे में तो मैंने स्पष्ट निवेदन किया था उस समय भी कि सब तरह से की है, इसमें की है। बेरी आयोग ने अपनी सिफारिश की है, मैं उसको फाइंडिंग्स नहीं मानता हूं। अपनी जो सिफारिश की है वह फाइंडिंग्स नहीं हैं कि जो बिल्कुल पाबंद हो जाये, सरकार के ऊपर लागू हो जाय। उनके ऊपर तो एक्शन लेना ही है। सिफारिश है, उसके ऊपर जैसे भी होगा जिस-जिस ढंग से, निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। जो मैंने कहा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री यदुनाथ सिंह : XXX

श्री हीरालाल देवपुरा : किसी पर भी यह नहीं देखा जायगा कि वह किस पोजीशन का है, किस स्तर का है। बिना किसी लिहाज के उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी, यही कहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। बैठ जायें, माननीय सदस्य। इसके लिये बहुत समय दे दिया। बैठ जायें। सदन की कार्यवाही में व्यवधान न डालें। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : XXX

श्री अध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्यों के प्रश्न हैं। अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, बैठ जायें। अगला प्रश्न....

अंकित न हो।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : XXX

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 19

श्री अनंगकुमार जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, कृपया व्यवधान न डालें। ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जायें। मैंने अगला प्रश्न पुकार दिया, कृपया बैठ जायें। अवहेलना न करें। श्री महावीर प्रसाद जैन। ऑर्डर-ऑर्डर, बैठ जायें। श्री महावीर प्रसाद। ऑर्डर-ऑर्डर, बैठ जायें। अंकित नहीं हो रहा है। सदन की कार्यवाही में व्यवधान न डालें। अगला प्रश्न। कृपया बैठ जायें।

अंकित न हो।

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : मुझे बहुत खेद है, इतने वरिष्ठ सदस्य होते हुए भी आसन के जो आदेश हैं आप उनको अवहेलना कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर, बैठ जायें। अंकित न हो।

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री त्रिलोक सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

(बहिर्गमन)

एक माननीय सदस्य : ऐसी ईमानदारी से वाक आउट होना चाहिये कि वापस न लौटो।

प्रश्न संख्या 175

श्री अध्यक्ष : मैं श्री महावीर प्रसाद का नाम फिर पुकार रहा हूं। श्री महावीर प्रसाद।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 176

श्री हंसराज शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज

जमवा रामगढ़ में पशु चिकित्सालय

177. भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आमेर, चौमू, विराटनगर और जमवा रामगढ़ तहसील में कितने पशु चिकित्सालय व डिस्पेन्सरीज हैं।

(2) वर्ष 1981 से लेकर अब तक उपरोक्त तहसीलों में कितने-कितने नये पशु चिकित्सालय खोले गये हैं? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

(3) क्या यह सही है कि जमवारामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र पशु बहुल क्षेत्र होने के बावजूद वहां पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं ? यदि हां, तो किस कारण ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) आमेर, चौमूं विराट नगर एवं जमवा रामगढ़ तहसीलों में उपलब्ध पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 1981 से लेकर अब तक उपरोक्त तहसीलों में खोले गये पशु चिकित्सालयों की सूची "ख" संलग्न है।

(3) जी हां। गत वर्ष नये पशु चिकित्सालय खोलते समय तहसील/पंचायत समिति/नगर परिषद, मुख्यालय को प्राथमिकता दी गयी है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो लिस्ट दी है उसमें आमेर में 3 हैं, चौमूं में 5 हैं, विराट नगर में 8 हैं और जमवा रामगढ़ में इन्होंने जो बताये हैं वह सब गलत सूचना दी है सदन को, क्योंकि जमवा रामगढ़ जो इन्होंने बताये हैं वह जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में है, मैंने जमवा रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिये पूछा है। माननीय मन्त्री महोदय, क्या आपने यह बोलते हुए ध्यान नहीं दिया कि जमवा रामगढ़ चुनाव क्षेत्र में एक भी चिकित्सालय या औषधालय पशुओं का नहीं है जब कि दो लाख से ऊपर की आबादी है ? यह बात आपके ध्यान में नहीं थी कि जमवा रामगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, जहां जयपुर के, राजधानी के इतने नजदीक होते हुए भी जहां पशु चिकित्सालय नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो मेरे लिये यहां कहा है कि मैंने गलत सूचना दी है, मैं उनको निवेदन कर दूं, वह अपना प्रश्न पढ़ लें। उन्होंने लिखा है, चौमूं, विराट नगर तहसील में कितने पशु चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरी हैं। अपने विधान सभा क्षेत्र का नहीं पूछा है, तहसील का पूछा है....

श्री अध्यक्ष : लेकिन उनको इस बात का खेद है कि उनके चुनाव क्षेत्र में खुले हों....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : नहीं, यह तीसरा प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मन्शा का जवाब तो हाऊस में नहीं दूंगा। जो पूछ रहे हैं, मैंने तो उस ऊपरी मन्शा का जवाब दिया है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जमवारामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का तीसरा प्रश्न है।

क्या यह सही है कि जमवा रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र पशु बहुल क्षेत्र होने के बावजूद वहां पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं। यदि हां, तो क्या कारण है उसका ?

Page No 21

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने उसके बारे में कहा है, जी हां, नहीं खोले गये हैं। मैं कहां मना करता हूं। इसमें सदन का जो....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कारण स्पष्ट नहीं हुआ। यह भी पूछा है इसमें, क्या कारण है। आखिर मन्त्री जी ने क्यों नहीं खोला ? क्या उनके ऊपर इसका....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूं कि यह जो पहले खुले हुए हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पहले जो खुले हुए हैं उनके बारे में तो मैं निवेदन नहीं करता, पिछले वर्ष 50 खोले गये थे उस 50 के अन्दर भी आमेर के अन्दर खोले गये....

एक माननीय सदस्य : एक भी नहीं खोला गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने दीजिये। आपको अवसर दे दूंगा मैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन यहां पर दे रहा हूं कि अब की बार जो खोले जायेंगे उनमें इनके चुनाव क्षेत्र का निश्चित रूप से ध्यान रखा जायगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : धन्यवाद। देखना है, किस हिसाब से वहां कितने खोले जाते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पूरे हिसाब से आपके साथ न्याय किया जायेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ठीक है, बस न्याय चाहिए। धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 178

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य, श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 179

अगला प्रश्न। श्री भंवरलाल शर्मा, श्री कैलाशचन्द मेघवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 180

अगला प्रश्न। श्री चाव खां।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या 181

अगला प्रश्न। श्री रामकिशोर मीणा, सुश्री पुष्पा जैन।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 182

अगला प्रश्न। श्री बालचन्द्र आर्य, श्री अनंग कुमार जैन।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 183

अगला प्रश्न । श्री रामकंवार बैरवा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 184

अगला प्रश्न । श्री कमलेन्द्र सिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 185

अगला प्रश्न । श्री राजबहादुर ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहीं उपस्थित हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री हांजो चाव खां ।

जामा मस्जिद (भरतपुर) आरजी इंतजामी कमेटी द्वारा राशि का दुरुपयोग

180. श्री चाव खां (कामां) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वक्फ बोर्ड द्वारा जामा मस्जिद, भरतपुर के लिए आरजी इंतजामिया कमेटी बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या उसके द्वारा किरायेदारों से करीब 70–80 हजार रुपया वसूल किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि कमेटी द्वारा बैंक में जमा नहीं कराई गयी है और वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के बिना अपनी मर्जी से व्यय कर दी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसकी शिकायत पर इस मामले की वक्फ बोर्ड द्वारा जांच कराई गयी है जिसमें काफी अनियमितता पाई गई है ? यदि हां, तो सरकार इस कमेटी के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

वक्फ मन्त्री (श्री अहमद बक्श सिंधी) : (1) जी हां । कमेटी द्वारा किरायेदारों से किराये की राशि वसूल की गयी है । वर्ष 1983-84 में किराये की राशि 68,854 रुपये है ।

(2) जी हां । यह सही है कि उक्त कमेटी ने नियमों के विरुद्ध बैंक में रुपए जमा नहीं कराये और वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के बिना व्यय कर दिये । कमेटी ने ऐसा क्यों किया, उस बाबत वक्फ बोर्ड ने जांच कर ली है और नियमानुसार उस कमेटी के खिलाफ वक्फ बोर्ड कार्यवाही कर रहा है ।

(3) जी हां । यह सही है कि वक्फ बोर्ड द्वारा शिकायतों की जांच करायी गयी जिसमें अनियमितता पाई गई । जहां तक उस कमेटी के खिलाफ वक्फ एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का प्रश्न है, उसके लिए वक्फ बोर्ड ही सक्षम है । राज्य सरकार साधारणतया वक्फ कमेटियों के मामलों में दखल नहीं देती है ।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मन्त्री महोदय ने

(श्री चाव खां)

इस मामले में तुरन्त अपना सही कदम उठाया। इस बात को भी तस्लीम किया है, कमेटियों ने जो गलती की है। इस बात को भी मन्त्री महोदय ने माना है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, मन्त्री महोदय ने जो कार्यवाही की है वह बहुत अच्छा कदम है. कमेटी ही को पाबन्द कर दिया, बैंकों को सीज कर दिया लेकिन अब, मन्त्री महोदय, वहां के जो कर्मचारी हैं, बिजली वगैरह के बिल हैं उनके बारे में वह सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? पहली बात।

दूसरी बात यह है कि जो कमेटी को पाबंद किया है वह कब तक पाबन्द रहेगी ? क्या सरकार उस कमेटी में कुछ सदस्य बढ़ाने का विचार रखती है ताकि वहां काम चालू किया जाय। इस पर अमल किया जाय कि जामा मस्जिद की हर प्रकार की देख रेख की जाये ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी अर्ज किया है, वक्फ कमेटियों का मामला वक्फ बोर्ड ही चलाता है, उसका उसी से सम्बन्ध है। वक्फ बोर्ड अब कार्यवाही कर रहा है। उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दे दिये गये हैं। कमेटी का जो रुपया जमा है उसको सीज कर दिया गया है। किरायेदारों को मना कर दिया गया है कि वे उनको किराया न दें। आज अगर वक्फ बोर्ड चाहेगा तो उस कमेटी को भंग भी कर सकता है, दूसरी कमेटी बनायी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री चाव खां : एक मिनट। मैं मन्त्री महोदय से सिर्फ यह पूछना चाहूंगा, सरकार उसको भंग करे या नहीं करे, सीज कर दिया बढ़िया किया लेकिन वहां का काम अभी रुका हुआ है. वहां जो गरीब कर्मचारी हैं बैंक तो सीज हो गया उसको तनख्वाह वगैरह मिलने का सवाल पैदा नहीं होता, क्या सरकार वहां अपना आदमी बैठा कर इस काम को चालू रखेगी ? अपना आदमी भेजने का प्रयास करेगी जो वहां सारे स्टाफ को सम्भाले ? कर्मचारियों के मामले को, पानी के मामले को, बिजली के बिलों के मामले को अपनी देख रेख में निपटाता रहे ? ऐसा चाहता हूं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर की जामा मस्जिद और उसकी जायदादों का इन्तजाम वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ में ले लिया है। कर्मचारियों की तनख्वाह और सहूलियतों का सारा काम भी वक्फ बोर्ड करेगा, इसमें कोई शक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैरू लाल।

जिला झालावाड़ के कृषकों को नये विद्युत कनेक्शन

186. श्री भैरू लाल (मनोहर थाना): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में विद्युत मोटर पम्प के नये कनेक्शन देने पर सरकार की ओर से पाबन्दी लगी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 24

(श्री भैरूंलाल)

(2) क्या यह सही है कि गत 2-3 वर्षों से लगी हुई पाबन्दी के कारण जिले के कृषकों की ओर से प्रस्तुत हजारों प्रार्थना-पत्र विभाग में विचाराधीन हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस पाबन्दी के फलस्वरूप जिले के कृषकों की हजारों एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित रहने के कारण अपने श्रम की पूरी पैदावार प्राप्त करने से भी वंचित हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष राणा प्रताप सागर की भराव क्षमता में कमी नहीं है और कोटा विद्युत ताप घर की भी तकनीकी खराबियों को दुरुस्ती कर दी गयी है और विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पाबन्दी को समाप्त करने का विचार रखती है ? कब तक यह पाबन्दी समाप्त कर दी जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं। झालावाड़ जिले में प्रदेश के अन्य जिलों की भांति मण्डल के निर्धारित कार्य-क्रमानुसार मोटर पम्प हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(2) वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में जिला झालावाड़ में दिये गये कृषि कनेक्शंस का विवरण निम्न प्रकार है : 1981-82-667 कनेक्शंस, वर्ष 1982-83-230 कनेक्शंस व वर्ष 1983-84 में 463 कनेक्शंस। निर्धारित कार्यक्रमानुसार ही कृषि कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अतः कृषि कनेक्शंस हेतु आवेदन पत्र विचाराधीन होना स्वाभाविक है। दिनांक 1.4.1984 को झालावाड़ जिले में कृषि कनेक्शन हेतु 3399 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे।

(3) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(4) राणा प्रताप सागर में वर्ष 1983-84 की उच्चतम क्षमता 1146 53 फीट की तुलना में 1984-85 में अब जल स्तर 1143.89 फीट है। गांधी सागर में अच्छे जल स्तर के कारण वर्ष 1984-85 के प्रथम दो तिमाही में बिजली उत्पादन अच्छा सम्भव हो सका है। कोटा ताप बिजलीघर की तकनीकी खराबियों को दूर करने का कार्य अभी जारी है। कुओं के कनेक्शंस पर पाबन्दी नहीं है लेकिन उपलब्ध वित्तीय साधनों एवं विद्युत उपलब्धि के आधार पर कनेक्शन मण्डल द्वारा निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार ही दिये जाने की घोषणा की जाती है।

श्री भैरूंलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों से कई फाइलें ऐसी हैं जो अब भी पेण्डिंग हैं, उनको निरंतर प्रयास करने के बावजूद विद्युत कनेक्शंस नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अभी लगभग एक लाख एप्लीकेशंस पेन्डिंग हैं। अगर तत्परता से तमाम योजनाओं के मुताबिक एप्लीकेशंस आमन्त्रित की जायें तो इतनी ही और आ सकती हैं।

(श्रीमती कमला)

इसलिये यह पेंडिंग कनेक्शंस के अनुपात में कनेक्शंस दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि उतनी विद्युत उपलब्धि राजस्थान में है नहीं। अगर कनेक्शंस उस अनुपात में दे दें तो 4-5-6-7 घण्टे का ब्लाक बना कर जो अभी दे रहे हैं वह शायद दो ढाई घण्टे ही रह जायेगा जिसका शायद कोई उपयोग नहीं हो सकता। विद्युत उपलब्धि और वित्तीय साधनों की उपलब्धि के हिसाब से वर्षवार कनेक्शंस दिये जाते हैं और गांवों का विद्युतीकरण किया जाता है, इसलिए सभी पेंडिग एप्लीकेशंस को साल भर के बाद डिस्पोज-ऑफ किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री भैरू लाल : अध्यक्ष महोदय गत दो वर्षों के मुकाबले में क्या इस साल बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है, तो किस प्रतिशत से? क्या उस प्रतिशत के लिहाज से गत वर्ष के मुकाबले में विद्युत कनेक्शंस ज्यादा दिये जायेंगे?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही कहते हैं कि पिछले वर्षों में राज्य सरकार ने प्रयत्न करके विद्युत का उत्पादन बढ़ाया है और इसीलिए पिछले सालों के 10-10 हजार कुओं के कनेक्शंस की बजाय इस वर्ष 1984-85 में 20 हजार कुओं के कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। सब क्षेत्रों में जहां जहां पर भी कनेक्शन के लिए एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं उनको उसी प्रपोर्शन में कनेक्शन दिये जाने के लिए प्रयत्न किया जायेगा।

(12.00 मध्यान्ह)

प्रश्न संख्या 187

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री कैलाश मेघवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 188

अगला प्रश्न। श्री नाथूराम अहारी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 189

अगला प्रश्न : श्री महाराम चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 190

अगला प्रश्न। श्री भैरू लाल मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 191

अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

प्रश्न संख्या 192

श्री अध्यक्ष : नयी मण्डी औषधालय, भरतपुर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) व श्री चाव खां।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

Page No 26

अगला प्रश्न । श्री नानालाल ।

तहसील राजसमन्द (उदयपुर) में भू-आवंटन

193. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 11 फरवरी, 1983 को गांव मादड़ी, तहसील राजसमन्द, जिला उदयपुर में भूमि आवंटन की कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति को कितनी-कितनी भूमि ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिन-जिन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया उनके पास कितनी जमीन पहले थी या उनके पिताश्री के खाते में कितनी जमीन है ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि जिन लोगों के कब्जे थे उन लोगों को भूमि का आवंटन नहीं कर अन्य व्यक्तियों को आवंटन किया गया ? यदि हां, तो कृपया ऐसे अन्य व्यक्तियों की नाम सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त आवंटन के खिलाफ जिलाधीश, उदयपुर को शिकायत की गई ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । विवरण कालम नम्बर 3 व 4 में अंकित है ।

(2) विवरण सूची के कालम नम्बर 6 में अंकित है ।

(3) विवरण सूची के कालम नम्बर 7 व 8 में अंकित है ।

(4) जी हां । जांच चल रही है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें ।)

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची प्राप्त हुई है, उस सूची को आप देखें, तो जो भू-आवंटन कमेटी को अधिकार है उसके अन्तर्गत भू आवंटन भूमिहीन व्यक्तियों को किया जाता है मगर इसमें जितना भी आवंटन हुआ है वह करीब-करीब सम्पन्न और मोटे काश्तकारों को हुआ है । मैं निवेदन करता हूं कि प्रशासन गांवों की ओर जाकर क्या यही कार्य करता रहा, अध्यक्ष महोदय, जिसके पीछे एक बहुत बड़े षड्यन्त्र की बू आती है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करा कर क्या आप आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, जैसा मैंने कहा नम्बर चार में, जांच चल रही है । और इसकी जांच करवा ली जायेगी ।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, यह कोई आज का मसला है ? सन् 1982 में भू-आवंटन और आज उसकी जांच चल रही

(श्री नानालाल)

है। आवंटन कमेटी को कोई राइट नहीं है। 75 बीघा जमीन किसी के पास है, उसको 10 बीघा जमीन अलाट हो रही है, किसी के खाते में 50 बीघा जमीन है उसको 15 बीघा जमीन अलाट कर दी है। यह क्यों है? यह भू-आवंटन कमेटी का जो कार्य है, मुझे उससे सन्तोष नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर से तो कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी है कि भू-आवंटन की एक कमेटी होती है, उस कमेटी में बहुत से सदस्य होते हैं। उन सदस्यों ने अगर कोई गलती की भी है तो एक के ऊपर एक आथरिटी तो है। उस कमेटी ने कोई गलती की है उसकी कोई शिकायत आई है तो यह भी मेम्बर हैं। आप विधान सभा के सदस्य हैं आप भी मेम्बर हैं, प्रधान भी उसका मेम्बर है, सरपंच भी उसका मेम्बर है, उसके बाद भी यदि कोई गलती हुई है, उसकी शिकायत आई है तो उसकी जांच करवायेंगे। यह भी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी ही जांच करवा लेंगे।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी का काम है नियमन करने का। यदि किसी का पहले कब्जा है तो उसको नियमित करने का है, न कि उसको हटा कर किसी दूसरे को देने का है। यह प्रथम नम्बर पर ही आप देख लीजिए, जिसका कब्जा था उसको आवंटन नहीं किया। आप उसका नियमन कर सकते थे। उसको आवंटन नहीं करके दूसरे को आवंटन कर दिया। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। आप क्या जवाब दे रहे हैं? अधिकारियों के कहने से जो कुछ जवाब आपने दिया....

श्री जयकृष्ण शर्मा : अधिकारियों के कहने से नहीं है। नियमन करने वाली कमेटी में भी आप ही बैठते हैं। नियमन करने वाली कमेटी के भी माननीय सदस्य, सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री नानालाल : आपने किसी भी कब्जे वाले का नियमन नहीं किया और दूसरों को अलॉट कर दिया। फिर कहते हैं कि अब तथ्यों की जांच हो रही है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : नियमन करने वाली कमेटी के माननीय सदस्य भी मेम्बर होते हैं। अगर कोई नियमन गलत हुआ है तो उसकी भी जांच करवा ली जायेगी, यदि नियमन नहीं हुआ है तो उसकी भी जांच करवा ली जायेगी। रेगूलेराइज क्यों नहीं किया, उसके क्या कारण हैं, इसी की तो जांच करवा रहे हैं। इसकी भी जांच करा लेंगे कि क्यों नहीं रेगुलेराइज किया लिखवा-कर।

श्री नानालाल : मन्त्री महोदय, जांच के आदेश दिये थे, क्यों उसको अब बन्द करवाया, यह तो आप जानो कि क्या बात है। 2-2, 3-3 साल में भी आपकी जांच पूरी नहीं होती है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अतिरिक्त जिलाधीश, राजसमन्द को आदेश दिये गये थे कि

Page No 28

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

वह इसकी जांच करें। इसके बाद भी माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उसकी जांच करा ली जाय तो मैंने यह आश्वासन दिया है कि उसकी भी जांच शीघ्र ही करवा ली जायेगी जिनका नियमन नहीं हुआ है। उसके क्या कारण हैं, इसकी भी जांच करवा ली जायेगी।

श्री नानालाल : मन्त्री महोदय से मैं इतना ही चाहता हूं कि यह जो आवंटन हुए हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्यगण।

श्री नानालाल : इसको आप सही मानते हैं अपने हिसाब से ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह जो रिपोर्ट आई है अलाटमेंट की, उसको तो सही ही माना जायेगा गलत कैसे माना जायेगा ? गलत तो मानूंगा जब इसकी रिपोर्ट आ जायेगी कि नियमन नहीं हुआ है, या अलाटमेंट गलत हुआ है।

(व्यवधान)

जब तक यह अलाटमेंट के आदेश हैं तब तक तो यही माने जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने आश्वासन दे दिया कि नियमन गलत हुआ है अथवा अलाटमेन्ट गलत हुआ है उसकी जांच करवा लेंगे।

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 194

श्री बहादुर सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 195

अगला प्रश्न। श्री छीतरलाल आर्य।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री रामसिंह विश्नोई व श्री सूरजपालसिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई : 196 में बोल गया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल गया, साहब।

श्री अध्यक्ष : मैंने सुना नहीं। श्री राम सिंह विश्नोई।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत निर्माण कार्य

196. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) एवं श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों हेतु जो स्वीकृतियां जारी होती हैं उस राशि से सम्बन्धित निर्माण कार्य पूरे नहीं होते हैं व जन सहयोग के अभाव में अधूरे पड़े रहते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत मजदूरी की दर रुपये 9/- कम होने के साथ घटिया किस्म का गेहूं वितरित करने के कारण मजदूर उपलब्ध नहीं होते हैं जिससे मजदूरी की राशि व अनाज की मात्रा का पूरा उपयोग नहीं होता है व अनाज पड़ा रह जाता है जिससे पंचायतों को बचे हुए अनाज की राशि का नुकसान होता है ? यदि हां, तो सरकार मजदूरी की दर बढ़ाने, गेहूं की मात्रा प्रति मजदूर बढ़ाने तथा अच्छे किस्म का गेहू सप्लाई करने के बारे में क्या विचार कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्य स्वीकृत राशि में पूरे नहीं हो सकते हैं व कई कार्य धनाभाव के कारण अधूरे पड़े हैं ?

(4) यदि हां, तो राज्य सरकार निर्माण कार्य स्वीकृत करते समय उन पंचायतों को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है जो जन सहयोग से कार्य पूरे करवाती है ?

राज्य मन्त्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (श्री दिनेश डांगी) : (1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3 व 4) जी नहीं, अधूरे कार्यों को प्राथमिकता देकर पूरे कराने के राज्य सरकार के निर्देश हैं ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के अन्दर एन. आर. ई.पी. के कार्य होते हैं, उसमें पंचायत समितियों को या जिला स्तर पर जो कमेटियां बनी हुई हैं उनको वह काम हाथ में लेने चाहिये जितना इन रुपयों में काम हो सके । यह 30 हजार के काम के बदले 20 हजार रुपये मन्जूर करते हैं । या तो इस तरह का कोई प्रावधान हो कि 10 हजार का काम चन्दे से करें । चन्दे का भी कोई प्रावधान नहीं है, न वह काम पूरे होते हैं । वे काम पूरे नहीं होते हैं जो लगे हुए 20 हजार रुपये बेकार चले जाते हैं । क्या राज्य सरकार या मन्त्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि आप पहले शर्त रख दें कि इतने रुपये आपको पंचायत से या पूरे गांव से चन्दे के करने पड़ेंगे अन्यथा आपको उतना ही काम लेना चाहिए जितने के आप पैसे दे सकते हैं या जितने पैसे में वह काम पूरा हो सकता है । क्या इस तरह की आपकी कोई योजना है ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि जिला स्तर पर पंचायत समितियों से एक्शन प्लान के जरिये सारी योजनाओं के जरिये प्राथमिकता के आधार पर

(श्री दिनेश डांगी)

कुछ काम हाथ में लिये जाते हैं फिर जिला विकास अभिकरण के पास वह आती है और वहां से जिला परिषद की मन्जूरी से साल भर के कार्यों की प्राथमिकता तय की जाती है। प्राथमिकता तय करने के बाद साल भर के कार्यों के बजट के अनुसार हर जिले में जनसंख्या के आधार पर धनराशि आवंटित होती है। इसलिये यह कहना सही नहीं है कि उतने रुपये नहीं दिये जितने रुपये का कार्य मन्जूर हुआ था, जैसे उदाहरण दिया था 30 हजार रुपये के काम के लिये 20-25 हजार रुपये दिये जाते हैं। ऐसी बात नहीं है जितने की लागत आती है उसका तखमीना जाता है और फिर उसकी मन्जूरी होती है। अगर उसमें 20 हजार रुपये ही मंजूर हुए हैं तो 10 हजार रुपये बाद में दूसरी किश्त में दे दिये जाते है लेकिन कोई काम अधूरा नहीं रहता है। हमारे यहां जन सहयोग की भी किसी प्रकार की शर्त नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपको तो जानकारी है अपने क्षेत्र की जहां पर पंचायत समिति व'इज यह पैसे सिर्फ अलाट करते हैं वहां पंचायत समिति क्या करती है पंचायतों को खुश करने के लिये ? मान लीजिये, 2 लाख रुपये पंचायत समितियों को दे देते हैं तो वह 10-10, 20-20 हजार रुपये पंचायतों को दे देते हैं। उस रुपये में वह काम पूरा होता नहीं है। काम जब पूरा नहीं होता है तो गांव के अन्दर 3-4 साल तक पड़ा रहता है और उसके बाद बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। मेरा मतलब यह नहीं है, आपकी तरफ से यह होता है। लेकिन आपकी तरफ से इस तरह के डायरेक्शन होने चाहिए कि किसी काम का जितने पैसे का आपका तखमीना हो सकता है उतने ही पैसे आप मंजूर करें। अगर आप यह समझते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए तो मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है। आप उसमें चन्दे के सहयोग का प्रावधान रख दीजिए कि आपको चन्दा करना पड़ेगा। अगर आप 10 हजार रुपये, 20 हजार रुपये या 50 पर्सेन्ट चन्दा करेंगे तो ही हम आपको यह स्वीकृति देंगे। मेरा यही मतलब था। नहीं तो हजारों काम अधूरे पड़े हुए हैं, गवर्नमेन्ट का मकसद भी पूरा हुआ नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों के अन्दर स्कूल, पंचायत घर का जो भी प्रोग्राम जितने रुपये का है उतने रुपये मन्जूर होने चाहिए।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है कुछ अंश तक सही है। जनता पार्टी के शासन में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो काम लिये थे, तीन-चार-पांच लाख तक के काम ले लिये थे। इतने बड़े काम एन. आर. ई. पी. में लेने नहीं चाहिए थे। चूंकि उन्होंने ले लिये तो वे काम अधूरे हैं। जब हम जिलों को पैसा अलाट करते हैं तो उसमें यह निर्देश देते हैं कि पहले अधूरे काम पूरे करें फिर नये काम हाथ में लें। पचास प्रतिशत नये और पचास प्रतिशत पुराने। फिर भी कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जिनकी लागत बहुत ज्यादा थी इसलिए वह अभी तक अधूरे हैं।

Page No 31

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आज बीस हजार या तीस हजार रुपये स्वीकृत करते हैं । यह अधूरे काम रहने के अन्दर जो बाधा आती है उसका कारण यह है कि दूर दराज के गांवों के अन्दर मेटीरियल कम्पोनेण्ट को पहुंचाने में किराया वगैरह ज्यादा बैठ जाता है और बी. एस. आर. के एस्टीमेट्स के हिसाब से इन्जीनियर्स उसका तखमीना बना देते हैं मगर रेट ज्यादा बढ़ने की वजह से वह काम पूरे नहीं हो पाते; अधूरे रह जाते हैं । दूर-दराज के गांवों में आपको यदि तीस चालीस किलोमीटर बजरी ले जानी हो तो उसका किराया ही उतना हो जायगा कि उस एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हो सकता । इसलिये इसमें थोड़ा सा विचार करके कुछ ऐसा प्रावधान करिये ताकि वह अधूरे काम पूरे हो सकें ।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो तखमीन जब बनाया जाता है तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है कि कितनी दूरी से कितना सामान लाना है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार का पहले चालीस और साठ का रेश्यो था मजदूरी और मेटीरियल का, अब उसको पचास और पचास कर दिया है । इससे भी काफी फर्क पड़ता है । इसके बावजूद और उसकी कास्ट कुछ अधिक आती है, जैसे पक्के काम हैं, स्कूल हैं, औषधालय हैं इस तरह के काम होते हैं तो उसमें थोड़े सहयोग की भी....

श्री अध्यक्ष : कुछ क्षेत्र बहुत दूर हैं और वहां पर मकान बनाने के लिए कंकर, चूना, बजरी या गार्डर मिलते नहीं हैं बीस-बीस तीस-तीस मील में ।

श्री दिनेश डांगी : बीस हजार का अनुदान तो छोटे स्कूल के काम में दिया होगा जैसे दो कमरों का काम है । कुछ बड़े कामों के....

श्री अध्यक्ष : नहीं, पूरी पंचायत समिति के जो मैदानी गांव हैं सड़कों पर आए हैं वहीं पर नाप-तोल कर देते हैं । कुछ गांव जो बीस-बीस मील दूर हों, जहां सड़क नहीं हो, पत्थर, कंकर, मुरड कुछ भी नहीं हो, एक ही पंचायत समिति में कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं ।

श्री दिनेश डांगी : पुराने जो कार्य चल रहे हैं उसमें तो यह बात जो आपने कही, सही है । जो नये काम हाथ में लिये जा रहे हैं उनमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक मिनट. अध्यक्ष महोदय, इस बार केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी राशि अलाट हुई ? आपने इसे जिलों को अलाट किया या नहीं ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, राशि अलाट करने के कुछ नार्म्स बने हुए हैं । जब तक हर जिले में पचास प्रतिशत खर्चा नहीं करें, जितना अलाटमेंट जिलों में होता है, सपोज किसी जिले को पच्चीस

(श्री दिनेश डांगी)

लाख हुआ, पच्चीस लाख में से जब तक साढ़े बारह लाख खर्च नहीं करें तब तक हम उनको किश्त नहीं देते। 27 जिलों में से 5 जिले ऐसे थे जिन्होंने पैसा टाइम पर खर्च नहीं किया, उसके अलावा बाकी सब को पहली किश्त दी जा चुकी है और इस बीच उन जिलों ने यदि पचास प्रतिशत की अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेज दी तो उनके भी आदेश जारी कर दिये हैं। दूसरी किश्त भी अगले माह तक दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवव्रत तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से क्या यह बात सही है कि इसमें जो इंजीनियर्स लगाये जाते हैं उनको सरपंच लोग उतना कमीशन नहीं दे पाते जितना कि कान्ट्रैक्टर्स से मिलता है, इसलिए वह लोग उसका सही तखमीना नहीं बनाते और उसकी वजह से काम अधूरे पड़े रहते हैं ? चूंकि उनका पैसा उसी में बराबर लग गया, काम बिल्कुल अच्छा बना हुआ है लेकिन उसका एस्टीमेट ही गलत कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसी शिकायतें, मंत्री महोदय, बहुत आती हैं। उचित यह होगा कि आप इंजीनियर्स को कहें कि कीमत जो कूत रहे हों उतने में पास ही आप एक भवन और बना दो। सरकार उसके लिए प्रावधान रखे कि इस कीमत में, इस मैटीरियल में ऐसा भवन बना कर दे दीजिए तो स्थिति साफ हो जायगी।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं इसलिए कि सभी 236 में पंचायत समितियां एक-एक जे. ई. एन. डवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से उपलब्ध है, एक-एक अकाउन्ट्स क्लर्क जूनियर अकाउन्टेन्ट एन. आर. ई. पी. की ओर से उपलब्ध है। उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के जहां एन. आर. ई. पी. भी में दस पंचायत समितियां हैं, पर दो ए. ई. एन. जहां दस से कम हैं वहां एक ए. ई. एन. का प्रावधान किया हुआ है। इसलिए यह सारा काम ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के द्वारा कराया जावे, ठेकेदारों से नहीं कराया जावे ताकि उसका सही उपयोग हो।

श्री सुजानसिंह (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, जो 9 रुपये आज कल मजदूरी के मिल रहे हैं क्या आज की मंहगाई को देखते हुए सेटीसफाई हैं, मन्त्री महोदय बतायेंगे ? इस कारण से भी काम अधूरे रह जाते हैं। 9 रुपये में मजदूर नहीं मिलते हैं।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। नौ रुपया, जो है, भारत सरकार से तय किया हुआ है और एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के कामों में यह नौ रुपया....

श्री अध्यक्ष : नौ रुपया मेरे ख्याल से न्यूनतम होगा।

श्री दिनेश डांगी : न्यूनतम।

श्री सुजान सिंह : अधिकतम मिलता नहीं है, न्यूनतम कम है।

श्री दिनेश डांगी : मजदूरी तो न्यूनतम ही होती है, अध्यक्ष महोदय। जब भारत सरकार बढ़ायेगी तभी....

श्री अध्यक्ष : आपका कहना यह है कि 9 रुपया मजदूरी मुकरर की हुई है उसमें मजदूर मिलते नहीं हैं। वह इतना ले लेते हैं अपने हिसाब में कि नौ रुपये के हिसाब से ही हम मजदूरी मानेंगे।

श्री दिनेश डांगी : आपकी बात सही है। जैसे गंगानगर जिले को ही ले लें, वहां पर 9 रुपये में मजदूर नहीं मिलते हैं। इसलिए हमारे फण्ड वहां पर लेप्स हो जाते हैं और वह फण्ड्स हम दूसरे जिलों को देने की कोशिश करते हैं।

श्री सुजान सिंह : अलवर जिले में भी नहीं मिलता है। आजकल मजदूरी 15/ रुपये हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : मैं एक सवाल करना चाहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सी जगह काम हो चुके हैं और उनका पेमेंट इसलिए अटका पड़ा है कि मूल्यांकन कम हुआ है। तो क्या आप इस मामले में रिपोर्ट मंगवायें, पूरी जानकारी लेंगे? आप चाहें तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन कर दूंगा। बी. एस. आर. रेट जो आपने पहले फिक्स कर रखी है उसको रिवाइज करने के लिए दुबारा से कमेटी बैठा कर एग्जामिन करवा लेंगे?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं दीपेन्द्र सिंह जी से सहमत हूं। ये रेट जो पुरानी चल रही है, रिवाइज हो गयी है। रिवाइज्ड रेट से हम पेमेंट करेंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो पहले के हाथ में लिए हैं उनका नाप-जोक करा रहे हैं। कहीं ज्यादा बारिश होने से मेटीरियल बह कर चला गया, कहीं कुछ और हो गया है, वह अलग केस है बाकी जनरल जो आप कर रहे हैं....

श्री दीपेन्द्र सिंह : कहीं पर एक लाख का काम हो गया और काम भी दिखता है एक लाख का लेकिन असेसमेंट उसका अस्सी हजार का बैठता है तो लोग पेमेंट लेने को भी तैयार नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मेरी कलेक्टर सीकर से बातचीत हुई है, वह इस बात में इन्ट्रेस्टेड हैं कि बी. एस. आर. रेट्स को रिवाइज करने के लिए कमेटी बैठावें और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लें।

श्री दिनेश डांगी : कोई पर्टीकुलर ऐसा केस हो तो आप मेरे नोटिस में लायें, मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

टोंक मुख्यालय पर बस स्टेण्ड का निर्माण

175. श्री महावीर प्रसाद (टोंक)–क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निगम द्वारा अपना बस स्टेण्ड बनाने के लिए क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं ?

(2) क्या यात्रियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का निगम का प्रशासनिक दायित्व है ? यदि हां, तो टोंक जिला मुख्यालयों पर यात्रियों की सुख सुविधाओं पर पिछले 10 वर्षों में किस-किस वर्ष में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) निगम का अपना बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य कब से शुरू करने का विचार है ?

उत्तर

(1) यद्यपि बस स्टेण्ड बनाने के लिए निगम द्वारा कोई मापदण्ड निर्धारित किये हुए नहीं है तथापि बस स्टेण्डों पर जो भवन बने होते हैं उनका वर्गीकरण किया हुआ होता है।

(2) जी हां। टोंक जिला मुख्यालय पर नगर परिषद, टोंक द्वारा निर्मित बस स्टेण्ड है जिस पर निगम द्वारा किसी प्रकार की धनराशि व्यय करने का प्रश्न ही नहीं है। नगर परिषद, टोंक द्वारा पिछले 10 वर्षों से प्रारम्भ में 6 पैसा प्रति यात्री, तत्पश्चात 10 पैसा प्रति यात्री एवं वर्तमान में 25 पैसा प्रति यात्री यात्री सुविधा शुल्क के रूप में वसूल किये जा रहे हैं, अतः उक्त बस स्टेण्ड पर यात्री सुविधायें उपलब्ध कराना नगर परिषद, टोंक का दायित्व है।

(3) वर्तमान में टोंक में निगम के बस स्टेण्ड के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

मोरेल बांध (सवाई माधोपुर) की मरम्मत

176. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में आई बाढ़ से मोरेल बांध टूट गया था ? यदि हां, तो बाढ़ के कारण बांध का कितना नुकसान हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि मोरेल बांध को ठीक कराने हेतु टेण्डर आमन्त्रित किये गए थे ? यदि हां तो क्या टेण्डर की शर्तों के अनुसार काम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया टेण्डर की शर्तों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बांध में चैनल किलोमीटर खोदना जरूरी है ? यदि हां, तो उस पर अब विभाग को कितनी राशि और खर्च करनी पड़ेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जुलाई 1981 में अतिवृष्टि के कारण मोरेल बांध लगभग तीन जगह टूट गया था।

(सिचाई मन्त्री)

(2) जी हां। यह सही है कि मोरेल बांध के पुर्ननिर्माण हेतु टेण्डर आमन्त्रित किए गए थे। कार्य टेण्डर की शर्तों के अनुसार करवाए गए हैं। मोरेल बांध पर कुल 18 टेण्डर आमंत्रित किए गए थे व प्रत्येक अनुबन्ध एक लम्बा दस्तावेज है अतः इन अनुबन्धों की प्रतियों को सदन के पटल पर रखना व्यवहारिक नहीं है।

(3) प्रत्येक बांध में एप्रोच चैनल खोदना जरूरी नहीं होता है। जहां तक मोरेल बांध का सवाल है, स्पिलवे के अप स्ट्रीम में चैनल खोदने की आवश्यकता है। इस चैनल को 140 00 के लेवल तक खोदने के लिए उसकी लागत 9 55 लाख रु. आंकी गई है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (अजमेर) के परीक्षा फार्म

178. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फार्म उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से तथा फार्म भरने की अन्तिम तिथि नजदीक होने से स्वयंपाठी छात्रों को फार्मों को भारी ब्लैक से खरीदना पड़ा ?

(2) पिछले वर्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने स्वयंपाठी छात्रों के लिए कुल कितने फार्म विभिन्न केन्द्रों पर भेजे थे तथा इस वर्ष कितने ?

(3) पिछले वर्ष एवं इस वर्ष फार्मों की संख्या में अन्तर होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पिछले वर्ष अर्थात 1984 को परीक्षा हेतु राज्य भर में 1,35,000 स्वयंपाठी छात्रों के आवेदन पत्र 782 केन्द्रों पर भेजे गये थे। इस वर्ष 1985 की परीक्षा के लिए 1,60,000 स्वयंपाठी छात्रों के आवेदन पत्र 842 केन्द्रों पर भेजे गये हैं।

(3) पिछले वर्ष से इस वर्ष छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टि में रखते हुए गत वर्ष जितने स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने आवेदन किया उससे 63000 आवेदन पत्र अधिक संख्या में भेजे गये।

फर्जी पंजीयन-पत्र जारी करना

179. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल (अजमेर पूर्व)—क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडीसिन, राजस्थान के भूतपूर्व रजिस्ट्रार द्वारा फर्जी पंजीयन-पत्र जारी करने की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बोर्ड के रेकार्ड के अनुसार पंजीयन संख्या (1)

(श्री कैलाशचन्द मेघवाल)

6280 पर श्री जगदीश प्रसाद श्रृंगी (2) 6283 पर श्री नन्दलाल भमोरिया (3) 6302 पर श्री फतहसिंह मलिक एवं (4) 6369 पर श्री गुरुदास राम को पंजीकृत कर पंजीयन-पत्र जारी किये गये हैं जबकि इन संस्थाओं पर क्रमश; (1) श्री रामनारायण शर्मा (2) श्री रामचन्द्र वर्मा (3) श्री रामसिंह एवं (4) श्री महादेव शर्मा को भी पंजीयन-पत्र जारी किये गये हैं ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकार के चार मामले प्रकाश में आये हैं जो वर्ष 1966 से सम्बन्धित हैं।

(2) जी हां।

(3) दोषी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

पैलेस ऑन व्हील्स की साज-सज्जा के लिए सामान की खरीद

181. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पैलेस ऑन व्हील्स के डेकोरेशन व फिनिशिंग का काम रश्मि गुप्ता को दिया गया ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया से और किन शर्तों पर ?

(2) क्या यह सही है कि इस कार्य हेतु रश्मि गुप्ता की मार्फत सेन्ट्रल काटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम जयपुर तथा अन्य संस्थानों से सामान खरीदा गया ? यदि हां, तो कितना-कितना, किस-किस मूल्य का और कितने कमीशन पर ?

उत्तर

(1) जी हां। निगम ने इस कार्य को सम्पादित करने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापित कर निविदायें प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श हेतु आमन्त्रित करने के बाद ही यह कार्य श्रीमती रश्मि गुप्ता को निम्न शर्तों पर दिया था :—

(1) सी. टी. 7 कोच में सम्पादित कार्य की लागत पर 15 प्रतिशत शुल्क तथा अन्य डिब्बों में सम्पादित कार्य की लागत पर 5 प्रतिशत शुल्क।

(2) सम्बन्धित कार्य के सन्दर्भ में उनके (श्रीमती रश्मि गुप्ता) द्वारा की गई यात्रा हेतु 1500/- रुपये एवं उससे अधिक प्राप्त कर रहे निगम कर्मचारी को देय यात्रा भत्ते के समान यात्रा भत्ता।

(3) जी हां। क्रय किये गये सामान एवं मूल्य का विस्तृत विवरण संलग्न है। इस खरीद पर कोई कमीशन नहीं दिया गया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

जिला झालावाड़ में सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें

182. श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)-क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झालावाड़ जिले में मन्दिर, मस्जिद, स्कूल व मोटर स्टेण्डस् के पास किन-किन कस्बों में शराब की दुकानें लगी हुई हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या नियमानुसार उक्त स्थानों पर शराब की दुकानें लग सकती हैं ? यदि नहीं, तो सरकार उन दुकानों को कब तक उक्त स्थानों से अन्यत्र स्थानान्तरित कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस जिले में शराब की दुकानें राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत स्वीकृत स्थान पर है। मन्दिर, मस्जिद, स्कूल व मोटर स्टेण्डस् अथवा अन्य आपत्तिजनक स्थानों पर नहीं है ।

(2) जी नहीं । प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

चाकसू (जयपुर) कृषि उपज मण्डी में व्यापारियों की हड़ताल

183. श्री राम कंवार बैरवा (फागी)–क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चाकसू कृषि उपज मण्डी में पिछले दिनों व्यापारियों द्वारा हड़ताल की गई थी ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या-क्या थीं ?

(2) सरकार ने व्यापारियों की कौन कौन सी मांगें मन्जूर की हैं व कब तक उनको पूरा कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

व्यापारियों के मांग पत्र की सूची संलग्न है ।

(2) व्यापारियों द्वारा कोई मांग सरकार से नहीं की गई थी अतः सरकार द्वारा मांगों को पूरा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । मांगों के सम्बन्ध में व्यापारियों और कृषि उपज मण्डी समिति के बीच हुए समझौते के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(मांग पत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

मारबल पर खनिज रॉयल्टी

184. श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभ नगर)—क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मारबल पर खनिज रॉयल्टी रुपये 27/-प्रति टन के स्थान पर रुपये 100/-प्रति टन के आदेश दिये गये

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

हैं ? यदि हां, तो कबसे और इसका आधार क्या था ?

(2) रॉयल्टी को रुपये 100/-प्रति टन से घटा कर रुपये 95/-करने का निर्णय किस आधार पर किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। मार्बल खनिज पर रॉयल्टी रुपये 27.50 प्रति टन से बढ़ाकर दिनांक 19-11-83 से उदयपुर जयपुर व नागौर जिले के लिये रु० 100/- प्रति टन व अन्य जिलों के लिये रुपये 85/- प्रति टन निश्चित की गयी थी। यह दरें खनिज, मार्बल का बिक्री मूल्य रुपये 850/- से रुपये 1000/- प्रति टन मानते हुए बिक्री मूल्य के 10 प्रतिशत के लगभग निश्चित की गई थी।

(2) रॉयल्टी दरों में वृद्धि पर खनन पट्टेधारियों से प्राप्त ज्ञापनों पर विचार कर इसे घटाकर दिनांक 20.12.83 को नागौर जिले के अतिरिक्त राज्य के शेष जिलों के लिये मार्बल पर रुपये 65/- प्रति टन एवं नागौर जिले के लिये रुपये 72 50 प्रति टन निश्चित की गयी ताकि प्रदेश के मार्बल उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

वृहद् सिंचाई हेतु विश्व बैंक से सहायता

185. श्री राजबहादुर (भरतपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विश्व बैंक से वृहद् सिंचाई कार्यक्रम के लिये प्राप्त 12 करोड़ 70 लाख डालर राशि में से अब तक राज्य को क्या और कितनी सहायता मिली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य के सिंचाई विभाग में कोई भी योजना विश्व बैंक की सहायता से नहीं चलाई जा रही है।

आयुर्वेद निदेशालय में यन्त्रों एवं सामग्री का क्रय

187. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)—क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग के अजमेर स्थित निदेशालय द्वारा मार्च, 1984 में किन-किन यन्त्रों एवं अन्य सामग्री को क्रय करने के क्रय आदेश कब कब किन किन फर्मों के नाम जारी किये गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन आदेशों के अनुसार किस-किस व्यापारी अथवा फर्म ने कितनी कितनी सामग्री अथवा यन्त्र कब कब निदेशालय को सप्लाई किये और उनको कितना कितना चुकारा कब कब किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि कई फर्मों अथवा व्यापारियों द्वारा यन्त्र अथवा सामग्री

(श्री कैलाश मेघवाल)

के निदेशालय के स्टोर में नहीं पहुंचाने के बावजूद भी माल सप्लाई हो जाने के प्रमाण-पत्र के आधार पर बैंक ड्राफ्ट बनवा कर चुकारा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो मार्च माह में दिनांक 31-3-1984 तक किस किस फर्म व व्यापारी के हित में कितनी कितनी राशि का ड्राफ्ट बनवा लिया गया और उन्हें कब कब सम्बन्धित फर्मों व व्यापारियों को दिया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) विवरण सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। माह मार्च, 1984 में आयुर्वेद निदेशालय द्वारा दिये गये क्रय आदेशों के विरुद्ध प्राप्त वस्तुओं की धन-राशि का ड्राफ्ट बनवाने तथा भुगतान की बाबत विवरण सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामदानी ग्राम

188. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत ग्रामदानी ग्राम घोषित हो जाने के उपरान्त उक्त ग्राम की समस्त भूमि उस ग्राम की ग्राम सभा में निहित हो जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामदानी ग्रामसभा ग्राम की समस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में ग्रामसभा के नाम नामान्तरित कर दी जाती है तथा नामान्तरण खोल दिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर जिले कि चाकसू तहसील के ग्रामदानी गांव लाखावास की ढाणी का नामान्तरकरण अभी तक नहीं किया गया है ?

(4) क्या जैसलमेर जिले के ग्रामदानी गांव देवा, लाणेला, कबीर बस्ती, भाबरा, मजरा भैरवा, जावधजूनी, भागू का गांव, जसुराना, काठोडी के भी नामान्तरकरण अभी तक नहीं किये गये ?

(5) क्या राज्य सरकार उपरोक्त ग्रामों की भूमि ग्राम सभा के नाम नामान्तरकरण करने की कार्यवाही अविलम्ब करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

Page No 40

नागौर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था

189. श्री महाराम चौधरी (नागौर)–क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 5 वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र नागौर के ग्रामीण क्षेत्र में किस-किस ग्राम को किस-किस योजना के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराया गया है ? कृपया ग्रामवार व योजनानुसार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त क्षेत्र के किन-किन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत है लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है ? कृपया ग्रामों का नाम सदन के पटल पर रखें। ऐसे ग्रामों को कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

(3) जिन गांवों की योजना स्वीकृत नहीं है उन गांवों को कब तक पेयजल उपलब्ध कराने का सरकार का विचार है ?

(4) इसी अवधि में कितने गांवों में पेयजल हेतु ट्यूब वैल्स बनाये गये और उसमें कितने ट्यूब वैल्स सफल हुए एवं कितने असफल ? ट्यूब वैल्स पर कुल कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) नागौर निर्वाचन क्षेत्र के शेष बचे हुए सभी 26 ग्रामों की योजनाओं की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन 23 ग्रामों में अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया गया है। ग्राम के नाम की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं। इन गांवों को बजट प्रावटन के अनुसार शीघ्र लाभान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) भाग 2 के उत्तर में सम्मिलित है।

(4) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(विवरण व सूचना के लिये परिशिष्ट 7 देखें)

पंचायत समिति गिर्वा में पशु चिकित्सालय

190. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)—क्या पशु पालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत टी. डी., पंचायत समिति, गिर्वा में एक पशु चिकित्सालय केन्द्र खोला गया था और वापस बन्द भी कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत टी डी, पंचायत काया, बारापाल, टीडी, जावर पड़ूना, खरूचनावदा और सराड़ा के पाड़ला, सिगटवाड़ा का केन्द्र है और इस क्षेत्र में पशु चिकित्सा उपलब्ध नहीं है ?

(श्री भेरूलाल मीणा)

(3) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र के आदिवासी नागरिकों के पशुओं के इलाज हेतु वहां पशु चिकित्सालय खोलने का मानस है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत टी. डी.. पंचायत समिति गिर्वा में कोई पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित नहीं है। ग्राम आधार योजना का अस्थायी उपकेन्द्र था जिसे बन्द कर दिया गया है।

(2) जी हां।

इस क्षेत्र के गांवों में पशु चिकित्सा सुविधा पशु औषधालय परनाद द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(3) आदिवासी क्षेत्र में नये पशु चिकित्सा संस्था खोलते समय इस पर भी विचार किया जाना सम्भव होगा।

जिला बाड़मेर के ग्रामों का विद्युतीकरण

191. श्री अमीन खां (शिव)—क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले के ग्राम गढ़रारोड, इरसानी, रामसर, शिव, गागरिया, गिराब में व जैसलमेर जिले के ग्राम गुड्डा की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव तैयार किये गए हैं ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति होकर क्रियान्वयन किया जायगा ?

(2) बाड़मेर जिले के ग्राम गढरारोड, इरसानी, शिव, गुंगा, गागरिया, रामसर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कब कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के ग्राम इरसानी व रामसर की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके तखमीने तैयार कर स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। बाड़मेर जिले के ग्राम गढ़रारोड, शिव, गिराब एवं जैसलमर जिले के ग्राम गुड्डा में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.1984 तक प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम गागरिया विद्युतीकृत नहीं है।

(2) जिला बाड़मेर के ग्राम इरसानी व रामसर की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य तखमीने की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जिला बाड़मेर के ग्राम गढ़रारोड व शिव में कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। ग्राम गागरिया अविद्युतीकृत है।

नयी मण्डी औषधालय, भरतपुर

192. श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

श्री चाव खां (कामां)—क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर के नई मंडी आयुर्वेदिक औषधालय में 5 रोगी शैय्याओं का प्रबन्ध था और वह अब समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री चाव खां)

(2) क्या यह भी सही है कि भरतपुर शहर के ही "अ" श्रेणी आयुर्वेदिक औषधालय में पिछले दिनों में वैद्यों की संख्या घटा दी गई है ? यदि हां, तो कितने वैद्यों की कमी की गई है और क्यों ? आवश्यकता के सन्दर्भ में वैद्यों की संख्या बढ़ाने की मांग पर सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

नई मण्डी (भरतपुर) में स्वीकृत पांच बेड्स का उपयोग नहीं होने तथा अन्तरंग विभाग के भवन की छत की पट्टियां टूटी होने से भवन की छत खतरनाक हालत में थी जिससे कभी भी भयंकर दुर्घटना होकर रोगियों का जीवन खतरे में पड़ने की सम्भावना थी, इस कारण रोगी शैय्यायें परिवर्तित की गई।

(2) जी हां।

राज्य सरकार की इकोनोमी कमेटी द्वारा स्वीकृत नार्मस से अधिक वैद्य होने के कारण चार वैद्यों की कमी की गई। वर्तमान में स्वीकृत नार्मस के अनुसार ही वैद्य पद स्वीकृत हैं। अतः और अधिक वैद्यों की संख्या बढ़ाना सम्भव नहीं है।

माही बजाज सागर बांध के विस्थापितों का पुनर्वास

194. श्री बहादुर सिंह (दानपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध की डूब में आई भूमि का जो मुआवजा देकर हुये विस्थापितों को दिया गया क्या वह पर्याप्त है ?

(2) क्या सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास की पुख्ता व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विस्थापितों के लिये कितने गांव बसाये गये हैं ? क्या इन गांवों में सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, डूब में आई भूमि का मुआवजा जिलाधीश द्वारा भूमि की विक्रय मूल्य के निर्धारण के अनुसार किया गया है।

(2) विस्थापितों को पुनर्वास बस्तियों में बसाने हेतु व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नोर्म्स के अनुसार एवं परिवारों की संख्या के हिसाब से उन्हें आवश्यक नागरिक सुविधाएं जैसे—पेयजल कुऐ हैण्ड पम्प, स्कूल भवन, डिस्पेन्सरी, पंचायत घर, विद्युतीकरण एवं सड़कें आदि उपलब्ध करा दी गई हैं।

(3) विस्थापितों के पुनर्वास हेतु 72 पुनर्वास बस्तियां बसाई गई हैं। इनमें से जिन 36 पुनर्वास बस्तियों में विस्थापित परिवार पूर्ण रूप से बस गये हैं उन्हें पुनर्वास नोर्म्स के अनुसार आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं एवं शेष 36 पुनर्वास

(सिंचाई मन्त्री)

बस्तियों में विस्थापित स्वेच्छा से जाकर बस गये हैं, वहां पर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम अटरू में कन्या माध्यमिक विद्यालय

195. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)–क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अटरू के अटरू ग्राम में कन्या सैकण्डरी स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां कन्या सैकण्डरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

प्रश्न

जी हां। वर्ष 84-85 में खोले जाने वाले माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में आवेदन फीस

219. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार को विदित है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा के आवेदन की फीस अन्य प्रान्तों से अधिक है ? यदि हां तो क्या सरकार पिछड़ा प्रदेश होने के नाते, उपरोक्त परीक्षाओं की फीस की राशि को 50 प्रतिशत तक कम करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूरक परीक्षाओं के आवेदन-पत्रों की फीस भी पूर्ण परीक्षा के समान ही ली जाती है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार पूरक परीक्षा की फीस भी कम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा के अर्थात् क्रमशः सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी परीक्षाओं के लिये परीक्षा शुल्क की दरें निम्नानुसार हैं :–

(1) स्वयंपाठी छात्रों से रु० 65/-
(परीक्षा शुल्क रु० 55/-, अंकतालिका शुल्क रु. 5/- तथा आवेदन पत्र शुल्क रु. 5/-) प्रति छात्र।

(2) नियमित छात्रों से रु. 55/-
(परीक्षा शुल्क रु. 45/-, अंकतालिका शुल्क रु. 5/- तथा आवेदन पत्र शुल्क रु. 5/-) प्रति छात्र।

राजस्थान में परीक्षा शुल्क अधिक नहीं है। अतः परीक्षा शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी करने का कोई विचार नहीं है।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) जी हां। पूरक परीक्षा योग्य घोषित छात्रों से भी पूर्व परीक्षा के बराबर ही परीक्षा शुल्क लिया जाता है, क्योंकि पूरक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या मुख्य परीक्षा की अपेक्षा अत्यधिक न्यून होती है तथा बोर्ड को उनकी परीक्षा आयोजित करने में मुख्य परीक्षा की भांति ही सभी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। बोर्ड की स्थापना के साथ से ही पूरक परीक्षा वाले छात्रों से पूरा परीक्षा शुल्क लिया जाता रहा है। पूरक परीक्षा का शुल्क कम करने का कोई विचार नहीं है।

जल संसाधनों के उपयोग का मास्टर प्लान

220. श्री महावीर प्रसाद (टोंक)— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किन-किन जिलों में कितना-कितना सतही जल उपलब्ध है एवं कितने जल का सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है ?

(2) कितने जल के उपयोग हेतु क्या-क्या योजना बना रखी है एवं उन योजना के लिए कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ? शेष जल के उपयोग हेतु कब तक योजना बनाली जाएगी ? कृपया प्रत्येक जिले की अलग-अलग सूचना सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या जल संसाधनों के उपयोग के बारे में राज्य का मास्टर प्लान बना है ? यदि हां, तो कृपया मास्टर प्लान की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में 14 रीवर बेसिन में 8.687 एम. ए. एफ. सतही जल सिंचाई के उपयोग हेतु उपलब्ध है। जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में 5.454 एम. ए. एफ. जल का उपयोग हो रहा है।

(2) 1.2225 एम. ए. एफ. जल के उपयोग हेतु 430 करोड़ रुपये लागत की योजनायें निर्माणाधीन/प्रस्तावित हैं। शेष जल 2.0105 एम. ए. एफ. में से 1.064 एम. ए. एफ. की 249 करोड़ रुपये लागत की 170 योजनाएं बना रखी हैं।

(3) जी हां, मास्टर प्लान के मुख्य आंकड़े संलग्न हैं।

(आंकड़ों के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

साइट्स निरीक्षण हेतु वाहन भत्ता

221. श्री भंवर लाल शर्मा (हवा-महल)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)— क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक

(श्री हरीश शर्मा)

विभाग में कार्यरत कनिष्ठ/उप अभियंताओं को साइट्स के निरीक्षण हेतु कोई वाहन भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या कनिष्ठ/उप अभियंताओं को साइट्स निरीक्षण के राज्य कार्य हेतु अपने निजी वाहन से यात्रा करने के लिए बाध्य किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इसकी क्षति पूर्ति हेतु उन्हें वाहन भत्ता देने के बारे में विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्तमान में वाहन भत्ता देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, क्योंकि मुख्यालय से दूसरे स्थान पर जाकर कार्य का निरीक्षण करने हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होता है।

बांसवाड़ा में क्रमोन्नति हेतु स्वीकृत विद्यालय

222 श्री बहादुर सिंह (दानपुर)—क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में इस वर्ष प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक कुल कितने विद्यालय क्रमोन्नति हेतु स्वीकृत किए गए हैं ? कृपया अलग-अलग ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(2) स्वीकृत शुदा सभी स्कूल क्रमोन्नत हो चुके हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक स्वीकृत शुदा स्कूलों को क्रमोन्नत किया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1984-85 में बांसवाड़ा जिले में अब तक 23 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है तथा 5 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है। सूची संलग्न है।

(2) विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की प्रक्रिया जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

करउवां (कुम्हेर) के आस-पास भरे रहने वाले पानी की समस्या का निराकरण

223. श्री हरिसिंह (कुम्हेर)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सब तहसील कुम्हेर के ग्राम करउवां के आस-पास पानी भरा रहता है और काफी भूमि में रबी की फसल भूमि में पानी भरे रहने के कारण नहीं हो पाती है ?

(श्री हरिसिंह)

(2) यदि हां, तो अब तक इस समस्या का निराकरण क्यों नहीं किया गया है ? अब कब तक निराकरण करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि सब तहसील कुम्हेर के ग्राम करउवां के आसपास अधिक वर्षा होने पर यह भूमि डिप्रेशन में होने के कारण पानी भर जाता है और लगभग 400 बीघा (160 एकड़) भूमि में रबी की फसल नहीं हो पाती है।

(2) इस समस्या का निराकरण करने हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। जिसके पूर्ण होने पर अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी।

पंचायत समिति अन्ता तथा भटवाड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण

224. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)–क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पचायत समिति अन्ता की ग्राम पंचायतें बमोरी कलां, मऊ, मालबमोरी, जलोदा, तेजाजी, किशनपुरा, हिंगोनियां तथा भटवाड़ा पंचायतों के विभिन्न गांवों में बिजली नहीं है तथा मांगरोल में भी विद्युत् का सकट हमेशा बना रहता है ?

(2) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण किये जाने तथा मांगरोल मे विद्युत् सकट दूर किये जाने की सरकार की क्या योजना है और उसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति अन्ता में ग्राम पंचायत बमोरीकलां, मऊ, जलोदा, तेजाजी, किशनपुरा, हिंगोनियां तथा भटवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम तथा उनमें विद्युतीकृत, अविद्युतीकृत एवं विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों की तालिका सलग्न है। मांगरोल में अभी विद्युत का कोई संकट नहीं है।

(2) वर्ष 1984-85 के लिये 6 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 15 कृषि कुओं का ऊर्जीकरण करना प्रस्तावित है। उक्त ग्राम पंचायतों के शेष स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में धन एवं विद्युत की उपलब्धि के अनुसार किया जा सकेगा। मांगरोल मे 6 मेगावाट शक्ति का लघुपन गृह लगाने की योजना है। इस याजना को दिनांक 25.8.1984 को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा उक्त परियोजना के मुख्य विद्युत उत्पादन संयत्रों के क्रय हेतु निविदायें आमन्त्रित कर जांची जा रही हैं।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

डाया बांध के जल का उपयोग

225. श्री मानसिंह मीणा (सलूम्बर)- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले के डाया बांध की बायीं नहर के तकनीकी तखमीने के अनुसार व दायीं मुख्य नहर जयसमद (श्यामपुरा) के आधुनिकीकरण योजना के तकनीकी तखमीने की तुलना करने पर क्या 12 क्यूसेक्स पानी लगभग 125 मिलियन घनफुट की बचत डाया बांध में होती है ? यदि हां, तो सरकार इस जल को किस प्रकार उपयोग में लाने का प्रस्ताव रखती है ?

(2) क्या संशोधित प्रशासनिक तखमीने के अनुसार डाया बांध की परियोजना पर लगभग 16 लाख की वित्तीय बचत होती है ? यदि हां, तो वित्तीय बचत एवं जल की उक्त बचत को ध्यान में रखकर क्या सरकार डाया बांध से राइट कैनाल बनाकर सराड़ा क्षेत्र के आदिवासियों की प्यासी धरती को पानी प्रदाय कर आदिवासी कृषकों का आर्थिक विकास करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयसमंद दांयी मुख्य नहर (श्यामपुरा) के आधुनिकीकरण करने के पश्चात भी डाया बांध में पानी नहीं बचेगा क्योंकि सिंचाई तीव्रता (Intensity of Irrigation) 50 प्रतिशत है, बढ़कर 75 प्रतिशत हो जावेगी।

(2) संशोधित प्रशासनिक तखमीने के अनुसार डाया बांध की परियोजना पर लगभग 15 लाख रुपये की वित्तीय बचत होती है। सरकार के पास डाया राइट कैनाल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि डाया बांध की जो पानी की भराव क्षमता है वो वर्तमान में उपलब्ध सिंचित क्षेत्र में उपयोग होने वाले पानी से अधिक नहीं है।

पुष्कर कस्बे में सीवरेज स्कीम

226. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)—क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर के पुष्कर कस्बे में सीवरेज स्कीम लागू करने हेतु निर्माण कार्य कराने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति कब कितनी धनराशि की जारी की गई और निविदा की शर्तों के अनुसार यह कार्य कब पूरा हो जाना था एवं इसके कार्यादेश कब किन-किन ठेकेदारों को दिये गये ?

(2) अब तक इस सीवरेज के निर्माण कार्य के लिये कितना कितना भुगतान किस किस तारीख को किस किस आधार पर ठेकेदारों को किया जा चुका है एवं कितनी विभागीय बुकिंग की गई है ?

(3) इस योजना के निर्माण लागत का कब-कब पुनर्मूल्यांकन किया जाकर उसकी प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई और क्या इसके निर्माण पूरा करने की अवधि में भी वृद्धि

(श्री कैलाश मेघवाल)

की गई ? यदि हां, तो कब-कब कितनी और अब यह कब पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर के पुष्कर कस्बे में सीवरेज स्कीम को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति अति. मु. अभि. जनस्वा. अभि. विभाग (मुख्यालय) जयपुर के पत्रांक एच. जी. 4 (79-80/5687 दि. 12.11.70 से 6.27 लाख रु. की जारी की गई। इसकी तकनीकी स्वीकृति अति. मु. अभि. जनस्वा. अभि. विभाग अजमेर क्षेत्र, अजमेर के पत्रांक 6365-6367 दिनांक 13.3.80 से 6.27 लाख रु. जारी की गयी। निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य अक्टूबर, 1981 तक पूर्ण हो जाना था। विभिन्न ठेकेदारों को जारी किये गए कार्यादेशों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विभिन्न निर्माण कार्यों के किये गये भुगतान की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। ठेकेदारों को भुगतान कार्य की प्रगति के आधार पर किया गया है। तथा कुल खर्च मार्च, 83 में 8.98 लाख रु. है।

(3) योजना के निर्माण लागत का पुनर्मूल्यांकन कर संशोधित 17.31 लाख रु. की बनाकर संशोधित योजना बनाकर प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति हेतु मार्च, 84 में प्रस्तुत की गई है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। संशोधित योजना की स्वीकृति के पश्चात् वित्तीय साधनों की उपलब्धि अनुसार निर्माण कार्य करवाये जायेंगे।

(कार्यादेशों की सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जयपुर से वाया अलवर दिल्ली डी-लक्स बस सेवा

227. श्री घुणी लाल गुप्ता (थाना गाजी)—क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनहित में जयपुर से अलवर होकर दिल्ली के लिये डी-लक्स बस चलाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(2) जिलों को डी-लक्स बसों से जोड़ने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु इस मार्ग पर दैनिक 5 परिचक्र द्रुतगामी सेवा के रूप में संचालित किये जा रहे हैं।

(2) जिलों से डी-लक्स बसों हेतु वांछित पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध होने पर ही जिलों को डी-लक्स बसों से जोड़ने की नीति है। इसके अनुरूप जयपुर से अलवर के बीच आगामी शीतकालीन समय सारणी में एक डी-लक्स बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार है।

धौलपुर स्टोन कं० को माइन्स लीज का रिन्यूअल

228. श्री शिव सिंह रावत (बाड़ी)–क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या धौलपुर स्टोन कं. को सेन्ड स्टोन माईन्स लीज का रिन्यूअल दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितने वर्ग किलोमीटर और किस क्षेत्र में, तथा कितने वर्ष का ?

(2) इस कम्पनी को कौन सी बार रिन्यूअल लीज दिया गया है ?

(3) उक्त माईन्स में अब कितना एरिया शेष है और उसको कब तक नीलाम किया जा रहा है ? इसकी शरायतें तथा प्लाट्स की माप क्या होगी ?

(4) क्या नीलाम किये जाने वाले क्षेत्र में से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को भी पट्टे दिये जावेंगे ? यदि हां, तो कितने वर्ग मीटर के तथा कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कम्पनी के पक्ष में अब तक दो बार नवीनीकरण किया जा चुका है।

(3) वर्तमान में कोई क्षेत्र शेष नहीं है।

(4) पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही आवंटित किये जावेंगे।

कृषि उपज मण्डी समिति जालोर द्वारा किसानों को सुविधाएं

229. श्री बनवारी लाल (धौलपुर)—क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांचोर कृषि उपज मण्डी समिति जिला जालोर की ओर से काश्तकारों को अब तक क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ? भविष्य में काश्तकारों को कब तक क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जावेंगी ?

(2) क्या यह सही है कि सांचोर कृषि उपज मण्डी में जो पहले काश्तकारों की उपज की खुली नीलामी बोली लगायी जाती थी अब वह नीलामी बन्द कर दी गई है जिससे सांचोर कृषि उपज मण्डी की आय घट गई है एवं काश्तकारों को नुकसान हुआ है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों कब एवं किसके द्वारा किया गया है ? सरकार इस बारे में कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी उक्त कृषि उपज मण्डी में काश्तकारों एवं व्यापारियों को कृषि उपज मण्डी की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो क्या-क्या ?

(4) कब तक उक्त कृषि उपज मण्डी में कृषि उपज मण्डी समिति की ओर से सब सुविधाएं प्रदान कर दी जावेंगी ? उक्त

(श्री बनवारी लाल)

कृषि उपज मण्डी का मण्डी यार्ड कब तक बन कर तैयार हो जावेगा ?

उत्तर

(1) मण्डी समिति, सांचोर में एक ग्रामीण गोदाम 500 मैट्रिक टन का निर्माण कराया जा रहा है तथा भारत सरकार ने 4 ग्रामीण मण्डियों क्रमश: झाब, हाडेचा, चितलवाणा तथा सरनाऊ के लिए अनुदान की राशि स्वीकृत की है। प्रत्येक ग्रामीण मण्डी हेतु एक लाख रुपये की प्रथम किश्त की अनुदान राशि स्वीकृत की है।

(2) खुली बोली से कृषि उपज का विक्रय केवल दिनांक 14.5.82 से 21.8.82 की अवधि में ही कराया गया था। खुली बोली से नीलामी की प्रथा निरन्तर जारी नहीं रखी जा सकी क्योंकि सांचोर मण्डी में बड़े थोक व्यापारियों की संख्या सीमित होने के कारण वे बोली में अधिकतर अनुपस्थित रहने लगे एवं खुली बोली से नीलामी में रुकावट आने लगी। मण्डी समिति पुन: खुली बोली से कृषि उपज का विक्रय कराने हेतु प्रयत्नशील है। मण्डी समिति की फरवरी, 1983 से सितम्बर, 1983 की आय 1,28,387/- रही है जबकि फरवरी, 1984 से सितम्बर, 1984 तक मण्डी समिति की आय 1,73,178/- रु० रही है इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा आय में 34.9 प्रतिशत की वृद्धि रही है।

(3) जी नहीं।

कृषकों एवं व्यापारियों हेतु मण्डी समिति की तरफ से सफाई, पानी, एवं प्रकाश की सुविधा की गई है।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, सांचोर हेतु भूमि आवाप्त की जा चुकी है। नवीन मण्डी यार्ड निर्माण हेतु राजस्थान बैंक को परियोजना आवंटित की जा चुकी है। नाबार्ड से परियोजना स्वीकृत होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा।

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली

230. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)– क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किसानों से 1982-83, 1983-84 व अगस्त 1984 तक कुल कितना मण्डी शुल्क वसूल किया गया है ? कृपया समितिवार वसूल कुल शुल्क का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से कितनी-कितनी राशि किन-किन विकास कार्यों पर व्यय की गई है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की मण्डी समितियों में वर्ष 1982-83 व 1983-84 में वसूल की गई मण्डी शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है :—

(कृषि राज्य मंत्री)

(ला० में)

क्रम. सं.	मण्डी समिति का नाम	वर्ष 1982-83 की आय	वर्ष 1983-84 की आय
1.	कोटा	46.06	66.22
2.	बारां	18.72	27.55
3.	सुमेरगंज	1.51	2.21
4.	अन्ता	4.52	6.17
5.	इटावा	5.21	5.96
6.	रामगंज मण्डी	16.99	22.25
7.	छबड़ा	3.93	6.43
8.	सांगोद	1.61	2.52
	कुल आय—	98.55	139.31

(2) विकास कार्यों की सूचना परिशिष्ट 'क' के साथ है।

(सूचना के लिये परिशिष्ट 12 देखें।)

राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स के तहत ग्राम प्रतिहारी की नियुक्ति

231. श्री अमीन खां (शिव)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स में ग्राम प्रतिहारी की नियुक्ति का प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ? अब इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स में ग्राम प्रतिहारी की नियुक्ति का प्रावधान नहीं।

Page No 52

भीलवाड़ा की पंचायत समितियों में हैण्ड पम्प्स

232. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)—क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में इस वर्ष किस किस पंचायत समिति में कितने कितने हैण्ड पम्प्स लगाने की स्वीकृति दी गई है ?

(2) अब तक किन किन गांवों में इस वर्ष हैण्ड पम्प्स लग चुके हैं व कितने किन किन गांवों में लगाना शेष है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में इस वर्ष कुल 187 हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति दी गई है। पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) माह सितम्बर 84 तक कुल 55 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके है एवं शेष 132 हैण्ड पम्प इस वित्तीय वर्ष में लगाना प्रस्तावित है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जिला कोटा में सीलिंग में अवाप्त भूमि का मुआवजा

233. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में अब तक नये व पुराने सीलिंग कानून में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) किसानों द्वारा प्रस्तुत किये गये कितने मुआवजे के दावे न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हुए हैं व कब से ? कृपया वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त भूमि का मुआवजा देने के लिए गत 10 वर्षों में कितना बजट प्रावधान रखा गया तथा इस वर्ष कितना है ? यदि नहीं, रखा गया, तो क्यों ?

(4) क्या मुआवजा देने के लिये कोई अवधि भी निश्चित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मुआवजे के दावों का निर्णय न होने तथा बजट प्रावधान देर से प्राप्त होने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका।

(2) कोटा जिले की वर्ष वार सूची संलग्न कर दी गई है।

(3) कोटा जिले के लिये वर्ष वार बजट प्रावधान निम्न रूप से रखा गया है :-

Page No 53

(राजस्व मंत्री)

वर्ष 1975-76	5000/-रु०	
वर्ष 1978-79	15000/-रु०	
वर्ष 1984-85	प्रावधान राजस्व मंडल द्वारा किया जा रहा है।	

(4) जी नहीं। नियमों में अवधि निर्धारित नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

कोटा जिले में खोले गये विद्यालय

234. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)—क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले में इस वर्ष किस-किस श्रेणी के कुल कितने विद्यालय कहां-कहां खोले गये ? कृपया ग्राम का नाम पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा जिले में 1984-85 में अब तक खोले गये विद्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—माध्यमिक विद्यालय 11

2—उच्च प्राथमिक विद्यालय 26

सूची सदन के मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

पुस्तकों के परिवर्तन में निर्देशों की अनुपालना

235. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री महावीर प्रसाद (टौंक) - क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र से बदली गई 44 पुस्तकों के परिवर्तन हेतु बोर्ड की निर्देश पुस्तिका में दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था ?

(2) कृपया प्रत्येक पुस्तक के बारे में निम्न विवरण सदन की मेज पर रखें :—

(1) पाठ्यक्रम समिति ने पुस्तक के परिवर्तन हेतु कब प्रस्ताव किया और उस परिवर्तन हेतु अध्याय 6 के नियम 4 के अनुसार कब-कब क्या-क्या सिफारिश की ?

(2) पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का प्रारूप पाठ्यचर्या समिति (कुरीकुलम कमेटी) में अध्याय 6 के नियम 5 के तहत कब-कब विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं तदुपरान्त अग्रिम कार्यवाही की गई ?

(श्री महावीर प्रसाद)

(3) पाठ्यक्रम समिति एवं पाठ्यचर्या समिति द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ कब प्रस्तुत किया गया और उसे कब स्वीकार किया गया ?

(4) अनुमोदन अथवा स्वीकृति के बाद उस पाठ्यक्रम को पुस्तक लिखने हेतु लेखकों का चयन कब किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बोर्ड द्वारा पुस्तकें लिखवाने/संकलित करवाने के सम्बन्ध में बोर्ड निर्देश पुस्तिका के अध्याय 6 विनियम-18 का पालन बदली गई 44 पुस्तकों के सम्बन्ध में किया गया है।

(2) (1) विभिन्न पाठ्यक्रम समितियों की अनुसंशायें सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) विभिन्न पाठ्यक्रम समितियों की अनुसंशा को पाठ्यचर्या समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने का विवरण संलग्न है।

(3) पाठ्यचर्या समिति की अनुसंशा को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने का विवरण संलग्न है।

(4) इस वर्ष पुस्तकें लिखवाने हेतु लेखकों के चयन का विवरण संलग्न है।

(अनुशंसाएं एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

कुशलगढ़ क्षेत्र में लगाये गये हैण्ड पम्प्स

236. श्री फते सिंह (कुशलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक किस-किस गांव में कितने-कितने हैण्ड पम्प्स लगाये गये हैं ? कृपया ग्राम व संख्यावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन गांवों में हैण्ड पम्प्स सफल नहीं रहे वहां दूसरे हैण्ड पम्प्स लगाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) कुशलगढ़ क्षेत्र में ऐसे कितने गांव व मगरे (ढाणियां) हैं जहां हैण्ड पम्प लगाना शेष हैं ? वहां कब तक हैण्ड पम्प्स लगा दिये जावेंगे ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या हैण्ड पम्प्स के रखरखाव की समुचित व्यवस्था है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

(2) कुशलगढ़ क्षेत्र के सभी गांवों में जहां हैण्ड पम्प लगा दिये गए हैं सफल रहे हैं। ऐसा कोई भी हैण्ड पम्प लाभान्वित ग्राम नहीं है, जहां कम से कम एक हैण्ड पम्प सफल न रहा हो।

(3) कुशलगढ़ क्षेत्र में 10 ग्राम ऐसे हैं जहां हैण्ड पम्प लगाना शेष है। इन ग्रामों में मार्च, 85 तक हैण्ड पम्प लगाये जाने का लक्ष्य है। कुशलगढ़ क्षेत्र में 23 ढाणियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 250 व इससे अधिक हैं एवं वहां हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं। वित्तीय प्रावधान प्राप्त होने पर ढाणियों में हैण्ड पम्प लगाने की कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। हैण्ड पम्प के रख-रखाव की व्यवस्था पंचायतों द्वारा की जा रही है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों को अनुदान राशि आवंटित की जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

उदयपुर की झीलों की जलकुम्भी

237. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर की झीलों में फैल रही जल कुम्भी को हटाने के लिये विभाग ने वर्ष 1977 से आज तक कितना व्यय किया है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उदयपुर के नागरिकों, समाज सेवी संस्थाओं एवं विभिन्न विभागों ने दो वर्ष पूर्व एक अभियान चलाकर झीलों की जल कुम्भी निकाली? यदि हां, तो उस समय विभाग ने किस प्रकार का कितना व्यय किया?

(3) भविष्य में जल कुम्भी पैदा होने की समस्या उत्पन्न न होने देने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर की झीलों में उत्पन्न होने वाली जलकुम्भी को हटाने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 1977 से आज तक कुल राशि रुपये 4,07,643.69 का व्यय किया गया है जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	व्यय (रुपये)
1977-78	25172.00
1978-79	31207.00
1979-80	14870.00
1980-81	155662.00
1981-82	54329.00
1982-83	31754.00
1983-84	75346.87
1984-85 (9/84 तक)	19302 82
	407643.69

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी हां। वर्ष 1980-81 में उदयपुर शहर के नागरिकों, समाज सेवी संस्थाओं एवं विभिन्न विभागों ने झीलों से जलकुम्भी निकालने हेतु अभियान चलाकर सिंचाई विभाग के साथ जल कुम्भी निकालने में सहयोग किया था। उस वर्ष सिंचाई विभाग ने जलकुम्भी निकालने तथा उसके परिवहन हेतु श्रमिकों एवं ट्रकों पर कुल राशि रुपये 1,55,662.00 का व्यय किया गया था।

(3) जल कुम्भी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण झीलों में गन्दे पानी का प्रवेश होना है, अतः यदि गन्दे पानी का प्रवेश होना रोक दिया जाता है तो झीलों में जल कुम्भी के उत्पन्न होने की बहुत ही कम सम्भावना रहेगी और यह प्रयास नगर पालिका के स्तर पर किया जा सकता है।

नागौर क्षेत्र का विद्युतीकरण

238. श्री महाराम चौधरी (नागौर)—क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नागौर क्षेत्र के विद्युतीकरण की स्वीकृति 3 वर्ष पूर्व हो जाने पर भी राज्य सरकार द्वारा विद्युतीकरण नहीं किया गया है? जिन किसानों ने घरेलू उपयोग हेतु राशि जमा करा रखी है उन्हें कब तक कनेक्शन देने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

पंचायत समिति नागौर क्षेत्र की 49 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 82 कृषि कुओं का ऊर्जीकरण करने हेतु एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ओ. वी. श्रेणी में माह फरवरी, 83 में स्वीकृत की गई थी, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। उक्त योजना में 12 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा वर्ष 1984-85 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है, जिनका कार्य चल रहा है। इस वर्ष 10 कृषि कुओं को ऊर्जीकरण करने का भी लक्ष्य है। जिन उपभोक्ताओं ने घरेलू कनेक्शन हेतु राशि जमा करा रखी है उन्हें उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार यथासम्भव शीघ्र कनेक्शन देने का प्रयास किया जा रहा है।

जमवारामगढ़ व झोटवाड़ा की हैण्ड पम्प योजना

239. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)—क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति जमवारामगढ़, पंचायत समिति झोटवाड़ा में कुल कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां लगाये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? कहां-कहां हैण्ड पम्प्स लगाये जा चुके हैं?

(2) इस वर्ष और कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां लगाये जायेंगे? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) उक्त हैण्ड पम्प विभाग स्वयं लगा रहा है या ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति जमवारामगढ़ में 322 व पचायत समिति झोटवाड़ा में 225 हैण्ड पम्प लगाने की योजना है। दिनांक 30.9.84 तक दोनों पंचायत समिति में क्रमश: 251 व 221 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त हैण्ड पम्प विभाग तथा ठेकेदारों के द्वारा लगाये जा रहे हैं।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

राज्य में विद्युत लाइन्स का बिछाव

240. श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) — श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) — क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष और पिछले वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों, कस्बों, गावों में विद्युतीकरण के अन्तर्गत कितने खर्च से कहां-कहां कितनी लम्बी विद्युत् लाइनें बिछाई गई ?

(2) कितनी लाइनें इस वर्ष और बिछाने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) पिछले वर्ष 1983-84 व इस वर्ष माह सितम्बर, 1984 तक राज्य में विद्युतिकरण के अन्तर्गत खींची गई 11 के. वी. एव एल. टी. लाईन तथा खर्चे का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लाईन का प्रकार	लम्बाई (कि. मी में)	लगभग खर्चा (लाख रु. में)
1983-84	11 के. वी. लाइन	4566 98	1056.03
	एल. टी. लाइन	4960.40	1014.45
1984-85	11 के. वी. लाइन	450.45	83.79
(सितम्बर, 84 तक)	एल. टी. लाइन	1325.17	260.03

(2) वर्ष 1984-85 में मण्डल के फेज प्रोग्राम के अनुसार 11 के. वी. की 4184.90 कि. मी. एवं एल. टी. की 3808.00 कि. मी. लाईनें बिछाने का प्रावधान है।

दौसा में पेयजल व्यवस्था

241. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर)-क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा नगरपालिका क्षेत्र में पीने के पानी का भारी अभाव है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अभाव दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उक्त नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या क्या है तथा प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी जनसंख्या के आधार पर प्रतिदिन प्रदाय किया जाता है ? कृपया जनवरी, 1983 से अगस्त, 1984 तक माहवार जल वितरण औसत, तत्संदर्भ में वसूल माहवार कुल राशि, के विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या जनहित में समुचित जल वितरण की दृष्टि में बड़ी पेयजल योजना तैयार कर जल आपूर्ति करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) दौसा नगरपालिका क्षेत्र में पीने के पानी की कमी है जिसके निवारण हेतु दो नये स्रोत का निर्माण कर जल वितरण में सुधार किया गया है।

(2) उक्त नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या 1981 की जनगणना के आधार पर 27,212 हैं तथा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 59 लीटर पानी औसतन सप्लाई किया जाता है।

जनवरी, 83 से अगस्त, 84 तक का माहवार जल वितरण औसत तत्संदर्भ में वसूल राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं, फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

गांव भोज्याडंड में हैण्ड पम्प

242. श्री रामकंवार बैरवा (फागी)-क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील चाकसू के गांव भोज्याडंड में नये हैण्डपम्प की खुदाई कब की गई ?

(2) क्या यह सही है कि खुदाई के पश्चात् अभी तक हैण्ड पम्प नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो कब तक हैण्ड पम्प लगा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील चाकसू के गांव भोज्याडंड में नये हैण्डपम्प की खुदाई जुलाई, 1984 में की गई।

(2) जी हां, हैण्ड पम्प शीघ्र लगाया जा रहा है।

पाली जिले में खोले गये विद्यालय

243. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)-क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में वर्ष 1980 से 1984 के दौरान कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये ? कृपया ग्राम की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पंचायत समितियों में विभिन्न विद्यालयों में 1980 से 1984 के दौरान कितने नये विषय खोले गये ? कृपया विषय सहित ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में वर्ष 1980 से 1984 के दौरान कितने प्राथमिक विद्यालय कहां कहां खोले गये ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रानी, देसूरी व मारवाड जं० क्षेत्र में वर्ष 80 से 84 तक निम्न विद्यालय खोले गये सूची सदन के पटल पर रखा दी गई है।

पं.स.	उ. प्रा. वि. पु/म	मा. वि. पु/म	उ. मा. वि. पु/म
रानी	7-1	–	– –
देसूरी	7-1	1 –	1 –
मारवाड़ जं.	11-1	1 –	1 –
योग	25-3	2 –	2 –

(2) सत्र 80 से 84 तक खोले गये नये विषय निम्न प्रकार हैं :—रानी में 6, देसूरी में एक, मारवाड़ जं. में 7 विभिन्न विषय खोले गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

हमीरपुर में हायर संकण्डरी स्कूल

244. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)-क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील टोडारायसिंह के ग्राम हमीरपुर में हायर संकेण्डरी स्कूल खोलने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्ष 1984-85 में हायर संकण्डरी स्कूल खोलने का प्रकरण अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

झालावाड़ जिले में हैण्ड पम्पस

245. श्री बालचन्द्र आर्य (डग) एवं

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)—क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में 1980 से अब तक कितने ग्रामों व कस्बों में हैण्ड पम्पस लगाये गये? कृपया ग्रामों व कस्बों को नामजद हैण्ड पम्पस की संख्या दर्शाते हुये विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त हैण्ड पम्पस में से कितने चालू हैं तथा कितने कब से खराब पड़े हुये हैं? उनको ठीक करने का विभाग ने कब कब क्या प्रयास किया?

(3) पंचायत समिति डग के ग्राम भीकाडिया, सारंग का खेड़ा तथा झालरापाटन पंचायत समिति के ग्राम सीमलीदस्या अन्य कई खेड़े जहां अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं तथा जो 3-4 मील से पीने का पानी सिर पर ढोकर लाते हैं, क्या इन ग्रामों में हैण्ड पम्प्स शीघ्र लगाने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में सन् 1980 से अब तक 517 ग्रामों में 1171 हैण्डपम्प्स व कस्बों में 60 हैण्डपम्प्स लगाये गये हैं। विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(2) कुल लगाये गये 1171 हैण्ड पम्प्स में से इस समय लगभग 80 हैण्डपम्प खराब होने की सूचना पंचायतों से प्राप्त हुई है। इनमें से विभाग ने बेकार हुए लगभग 33 हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प खुदवाने तथा शेष के मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है। खराब हैण्डपम्पों को विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होने पर ठीक करवाया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त मई, 1983 सितम्बर, 83 एवं फरवरी-मार्च, 84 तथा मई, 84 में विशेष अभियान चलाकर भी हैण्डपम्पों को ठीक कराया गया है।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें।)

तारागढ़ (अजमेर) के पर्यटन विकास हेतु मास्टर प्लान

246. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)—क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा अजमेर में स्थित तारागढ़ के पर्यटक विकास की सम्भावनायें स्वीकार कर ली गई और उसके विकास हेतु एक मास्टर प्लान बनाया गया है?

(2) यदि हां तो पर्यटन विभाग द्वारा अभी तक तारागढ़ के विकास पर कुल कितना खर्च किया गया है और भविष्य में किस-किस वित्तीय वर्ष में इस हेतु क्या-क्या प्रावधान रखना प्रस्तावित है? कृपय

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

मास्टर प्लान की प्रति एवं विकास की योजना व उस पर होने वाले कुल खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जा रहा है। तारागढ़ विकास बोर्ड द्वारा गठित समिति तारागढ़ के पर्यटन विकास व भूमि उपयोग के बारे में मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर रही है।

(2) मास्टर प्लान बन जाने पर ही इसके लिये प्रस्ताव रखने पर विचार किया जा सकता है।

बीकानेर परिवहन केन्द्र के टिकट चोरी में पकड़े गये परिचालक

247. श्री सुरजा राम टांक (नोखा)-क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर परिवहन निगम केन्द्र के कितने परिचालकों को पिछले दो वर्षों में टिकट की चोरी में पकड़ा गया? बीकानेर डिपो के ऐसे कितने मामलों में से कितनों को बरी करके, पुनः राज्य सेवा में लिया गया है? जनवरी, 1983 से सितम्बर, 1984 तक के निलम्बित परिचालकों की संख्या व पुनः राज्य सेवा में लिये जाने की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

परिवहन निगम के बीकानेर सम्भाग में पिछले दो वर्षों (1982 व 1983) में कुल 921 परिचालकों को टिकिटों की चोरी (बिना टिकिट यात्री ले जाने के मामलों में) में पकड़ा गया है।

इनमें से बीकानेर आगार के 196 परिचालकों को बिना टिकिट यात्री ले जाते हुए पकड़ा गया जिनमें से 27 परिचालकों को जांच के बाद बरी करके पुनः निगम सेवा में लिया गया है। जनवरी, 1983 से सितम्बर, 1984 तक के निलम्बित परिचालकों की संख्या व उनमें से अपील के माध्यम से वापिस निगम सेवा में लिये गये परिचालकों की संख्या दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

विद्युत मण्डल के श्रमिक

248. श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर-ग्रामीण)-क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य विद्युत् मण्डल में स्थाई एवं अस्थाई श्रमिकों की संख्या वृत्त अनुसार कितनी है? कृपया वृत्तवार संख्या सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या वायर मैन लाइसेंस के बिना भी बहुत से व्यक्ति लाईनमैन का कार्य कर

(श्री मेहलाल मीणा)

रहे हैं? यदि हां, तो क्या कितने और क्यों ?

(3) जनवरी, 1934 से सितम्बर, 1984 तक विद्युत् विभाग में कितने श्रमिक/कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुए एवं उनके परिवार को कितना मुआवजा दिया गया? कृपया प्रत्येक वृत्त अनुसार सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मरने वालों में बिना लाईसेंसधारी श्रमिक/कर्मचारी थे ? यदि हां, तो ऐसे लोगों से काम लेने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल में 40125 स्थायी एवं 5067 अस्थायी श्रमिक कार्यरत हैं जिनकी कार्यालय/वृत्तवार संख्या संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई है।

(2) मण्डल पर ऐसा कोई नियम अथवा प्रावधान लागू नहीं है, जिसके अन्तर्गत इसके अधीनस्थ कार्यरत् कर्मचारियों को लाइनमैन का कार्य करने के लिये वायरमैन का लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य/आवश्यक हो। अतः प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जनवरी 1984 से सितम्बर 1984 के दौरान 31 श्रमिकों की दुर्घटना से मृत्यु हो गई। कार्यालय/वृत्तवार संख्या मय क्षतिपूर्ति की जानकारी सलग्न परिशिष्ट "ब" में दर्शायी गई है।

(4) उपरोक्त प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि मण्डल के अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये इस प्रकार का कोई लाईसेंस प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता है।

(परिशिष्ट के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वित्त सलाहकार की नियुक्ति

249. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)-क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान में वित्त सम्बन्धी मामलों में गड़बड़ी के कारण राज्य सरकार ने बोर्ड में एक वित्त सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लेकर इसकी सूची बोर्ड को दी थी ?

(2) यदि हां तो उक्त वित्त सलाहकार की नियुक्ति अब तक किन कारणों से नहीं की गयी ?

उत्तर

(1) वित्तीय व अन्य अनियमितताएं न हो—इस दृष्टि से बोर्ड में वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया जाकर—बोर्ड को लिखा गया था।

(श्री शिक्षा मंत्री)

(2) राज्य सरकार के प्रस्ताव पर बोर्ड ने राज्य सरकार को पुनः विचार करने के लिये लिखा है।

तारागढ़ सम्पर्क सड़क का निर्माण

250. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा)–क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तारागढ़ विकास मण्डल, अजमेर की सिफारिश पर तारागढ़ सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार बैंक आफ बड़ोदा से 40 लाख रुपयों का कर्जा नगर सुधार न्यास, अजमेर को अपनी गारन्टी पर दिला रही है जबकि यह सम्पर्क सड़क न्यास की योजना नहीं है ?

(2) इस कर्ज पर वार्षिक गारन्टी कमीशन और बैंक का वार्षिक ब्याज कितना होगा और उसको किसके द्वारा चुकाया जायेगा तथा मूल ऋण की अदायगी का उत्तरदायित्व किसका होगा और उसकी वापसी कबसे, किस रूप में की जायेगी ? कृपया राज्य सरकार द्वारा यह ऋण दिलाने हेतु गारन्टी देने की शर्तों/नियमों आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्त विभाग के समक्ष वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) गारन्टी कमिशन 3/4% प्रतिवर्ष के हिसाब से लिया जाता है किन्तु वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए शेष वांछित सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

ग्राम आगवो (पाली) में नया ट्रान्सफोरमर

251. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)–क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आगवो तहसील जैतारण, जिला पाली का 11 के.वी. का ट्रान्सफारमर जले हुये करीब 6 माह हो गये हैं जिसके कारण ग्रामवासियों को विद्युत की कटौती की भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(2) यदि हां, तो आगवो में नया ट्रान्सफ़ोरमर कब तक लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम अगेवा तहसील जैतारण में 1500 के.वी 33/11 के.वी. का ट्रांसफार्मर दिनांक 24-7-84 को जल गया था। ट्रांसफार्मर के जल जाने के पश्चात् भी वैकल्पिक व्यवस्था कर विद्युत वितरण नियमित रूप से लोड शेडिंग प्रोग्रामानुसार किया जा रहा था।

(2) ग्राम अगेवा में दिनांक 13-10-84 को नया ट्रांसफार्मर लगा कर उसे चालू कर दिया गया है।

बांसवाड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण

252. श्री बहादुर सिंह (दानपुर)— क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) पीपल खूंट पंचायत समिति जिला बांसवाड़ा के कितने गांव विद्युतीकरण हेतु योजना में लिये गए हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि 2 वर्ष पूर्व इस पंचायत समिति के जो गांव विद्युतीकृत करने हेतु विभाग द्वारा घोषित किए गए थे उनमें आज तक विद्युत लाइन नहीं पहुंची ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सरकार घोषित गांवों में कब तक विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध करा सकेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति पीपल खूंट ग्रा. वि. नि. योजना के तहत विद्युतिकरण हेतु कुल 134 ग्रामों का प्रावधान है. जिसमें से 84 ग्राम पोटेन्शियल एवं 50 ग्राम नान पोटेन्शियल हैं।

(2) मण्डल द्वारा वर्ष 1982--83 में 35 ग्राम एवं वर्ष 1983–84 में 10 ग्रामों का विद्युतिकरण का कार्यक्रम फेज प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया था। वर्ष 1982-83 में जो ग्राम विद्युतिकृत किये जाने थे उनका विद्युतिकरण 33 के. वी. विद्युत लाइन नहीं खींची जाने पर एवं 33/11 के. वी. विद्युत उप-चौकी पीपलखूंट पर स्थापित नहीं किये जाने के कारण सम्भव नहीं हो सका। उक्त कार्य इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि लाईन का मार्ग पहाड़ी एवं जंगलों से घिरा हुआ था एवं वन विभाग की अनुमति के बिना कार्य करना सम्भव नहीं था। उक्त कारणों से जिन गांवों का विद्युतिकरण करने का कार्यक्रम बनाया गया था उनके स्थान पर अन्य 32 गांव इसी योजना के तहत विद्युतिकृत कर दिये गये। वर्ष 1983-84 में निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार ही 10 ग्रामों का विद्युतिकरण कर दिया गया है। विद्युतिकृत गांवों में विद्युत लाईन डाल दी गई है।

(3) वर्ष 1984-85 में मण्डल के फेज प्रोग्राम में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार पीपलखूंट ग्रा. वि. यो. में 11 ग्रामों का विद्युतीकरण करना एवं 15 कुओं का ऊर्जीकरण प्रस्तावित है। मण्डल द्वारा घोषित गांवों में उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर फेज प्रोग्राम के अनुसार एवं वन विभाग की स्वीकृति मिलने पर विद्युतिकृत कर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

भरतपुर में घोषित सुरक्षित इमारतें

253. श्री हरीसिंह (कुम्हेर)—क्या कला, पुरातत्व एवं संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर जिले में राजस्थान सरकार ने कुछ इमारतों को राजकीय कानून के अन्तर्गत सुरक्षित घोषित किया है ? यदि हां, तो कब और कौन कौन सी इमारतों को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 65

(श्री हरिसिंह)

(2) उक्त इमारतों के रखरखाव पर वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में कितनी धनराशि व्यय हुई है। कृपया प्रत्येक इमारत पर वर्षवार हुये व्यय की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पुरातत्व विभाग द्वारा कुम्हेर कस्बे में स्थित ऐतिहासिक महत्व के जीर्ण शीर्ण प्राचीन राजमहलों की मरम्मत नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2)

1981–82	82–83	83–84
शून्य	36,000/-रु० (कमरा खास भरतपुर) 18,000/–रु० (मठवाल, भरतपुर)	शून्य

(3) बजट सीमित होने के कारण मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है, और प्राथमिकता निश्चित करने का मापदण्ड स्मारक के महत्व एवं पर्यटन स्थल के रूप में स्मारक का प्रयोग आदि है। चूंकि कुम्हेर के प्राचीन महल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और यह विशाल भी है, अतः बजट सीमित होने के कारण उसकी मरम्मत अभी तक नहीं कराई जा सकी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

मोहनपुरा (बून्दी) की लोहे की पहाड़ियों का सर्वेक्षण

254. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)–क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की नायब तहसील इन्द्रगढ़ के गांव मोहनपुरा स्थित लोहे की पहाड़ियों का सर्वेक्षण प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार जनहित में उक्त क्षेत्र में पाये जाने वाले लोहे पर आधारित कुछ उद्योग लगाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) हाल ही में वर्ष 1982-83 में इस परियोजना पर कार्य किया गया परन्तु खनिज में लोहे की मात्रा कम पाई गई। यह सर्वेक्षण कार्य अब बन्द कर दिया गया है।

(2) तकनीकी दृष्टि से उक्त क्षेत्र में उपलब्ध लोह खनिज के निम्न श्रेणी के होने से उद्योग लगाना सम्भव नहीं है।

मद्य-निषेध क्षेत्रों में शराब की बिक्री

255. श्री थान सिंह मीणा (सलूम्बर)– क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनजाति क्षेत्र में मद्य निषेध कानून लागू है ? यदि हां, तो जनजाति क्षेत्र विशेषकर उदयपुर जिले की आदिवासी तहसीलों में शराब की दुकानें खुलने का क्या कारण है ? इन तहसीलों में गंगानगर शुगर मिल्स कम्पनी की दुकानों से देशी शराब किस आधार पर बेची जा रही है ?

(2) क्या गरीब आदिवासियों के विरुद्ध मुकदमें किन प्रावधानों के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं और क्यों ?

(3) क्या उदयपुर नगर के देशी शराब के ठेकेदार को उदयपुर नगर के साथ साथ आदिवासी तहसीलों में भी देशी शराब बेचने का आबकारी विभाग ने ठेका दिया है ? यदि नहीं, तो इन आदिवासी तहसीलों के गांवों में देशी मदिरा की निजी दुकानें खोलकर शराब क्यों बेची जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उदयपुर जिले की सात तहसीलें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा निश्चित रेट पर देशी शराब का विक्रय राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जा रहा है।

(2) सम्पूर्ण राज्य में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 व राजस्थान आबकारी नियम लागू है और उसका उल्लंघन करते पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे बनाये जाते हैं।

(3) जी नहीं। आदिवासी तहसीलों के गांवों में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी छिपे देशी शराब बेची जाती है तो समय-समय पर विभाग द्वारा छापे मारकर अभियोग पंजीकृत किये जाते हैं।

चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं शिवगंज की सीमेन्ट पोल्स फैक्ट्रीज

256. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)—क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फरवरी एवं मार्च, 1982 में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं शिवगंज की विद्युत् लाइन खींचने के लिये सीमेण्ट के पोल बनाने वाली फैक्ट्रियों में तैयार किये गये पोल्स का निरीक्षण विद्युत् मण्डल के मेटेरियल इन्सपेक्शन सैल के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया गया था ?

(2) यदि हां, तो किन-किन तारीखों में कितने कितने पोल्स का निरीक्षण किया गया ? कृपया तीनों ही स्थानों की पोल निर्मात्री फैक्ट्रियों में पोल्स् के किये गये निरीक्षण के प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पोल निरीक्षण करने हेतु मण्डल की ओर से कोई मापदण्ड निर्धारित

Page No 67

(श्री कैलाश मेघवाल)

किये हुए हैं ? यदि हां, तो उन मापदण्डों के अनुसार एक पोल का निरीक्षण किस-किस दृष्टि से किया जाना चाहिए और कुल निर्मित पोल्स में से कितने प्रतिशत का निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा इस सारी प्रक्रिया में कितना समय लगना चाहिए ? क्या यह प्रक्रिया उक्त निरीक्षणों में अपनायी गई और उसमें कुल कितना समय लगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि फरवरी और मार्च 1982 में उदयपुर, चित्तौड़ एवं शिवगंज में स्थित सीमेण्ट पोल फैक्ट्रियों में बने पोलों का निरीक्षण मेटेरियल इन्सपेक्शन सेल के अधिकारियों द्वारा किया गया था, किन्तु यह सही नहीं है कि मेटेरियल इन्सपेक्शन सेल के प्रभारी अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया था।

(2) इन तीनों स्थानों में स्थित भिन्न-भिन्न फैक्ट्रियों में माह फरवरी एवं मार्च 1982 में किये गये निरीक्षणों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

क्रमांक	फैक्ट्री का नाम	निरीक्षण की तारीख	निरीक्षण किये गए पोलों का प्रकार व सं०	संलग्न प्रपत्र संख्या
1.	सिरोया सीमेन्ट उद्योग उदयपुर	9–2–82	8.0 मीटर 168 नग	"क"
2.	सिंघवी उद्योग, शिवगंज	14–2–82 से 16–2–82 तक	7.5 मीटर 500 नग	"ख"
3.	सिंघवी उद्योग, शिवगंज	14–2–82 से 16–2–82 तक	8.0 मीटर 800 नग	"ग"
4.	उषा प्रिस्टेज एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रीज, चित्तौड़गढ़	17–2–82 से 18–2–82 तक	7.5 मीटर 622 नग	"घ"
5.	ऊषा प्रिस्टेज एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रीज, चित्तौड़गढ़	17–2–82 से 18–2–82 तक	8.0 मीटर 520 नग	"च"

Page No 68

(श्री ऊर्जा मन्त्री)

6.	सिघवी उद्योग, उदयपुर	18–2–82 से 19–2–82 तक	7.5 मीटर 1250 नग	"छ"
7.	सिरोया सीमेन्ट उद्योग उदयपुर	20–3–82 से 21–3–82 तक	8.0 मीटर 480 नग	"ज"

(3) पोल निरीक्षण हेतु आई.एस.एस.-1678/1978 बना हुआ है जिसमें पोलों के निरीक्षण के बारे में पूर्ण विवरण दिया हुआ है. और इसी आई. एस. एस. के तहत पांच सौ पोल के लाट का निरीक्षण सामान्य परिस्थितियों में लगभग 4–5 घण्टे में किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान पोल की लम्बाई, क्रास सेक्शन व अपराइटनेस, ट्रांसवर्स स्ट्रेन्थ टेस्ट की जांच होती है। इस दौरान सीमेण्ट, कोंकरीट क्यूब की स्ट्रेन्थ टेस्ट व पोल निर्माण में काम ली गई रिइन्फोर्समेन्ट की जांच भी की जाती है। उपरोक्त निरीक्षणों में निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार यह सब निर्धारित टेस्ट किये गये हैं।

लाट साइज	नाप वगैरह के टेस्ट हेतु पोलों की संख्या	डिफेक्टिव पोल	ट्रांसवर्सस्ट्रेन्थ टेस्ट हेतु पोलों की संख्या
100	10	1	विक्रय कर्ता व क्रयकर्ता की आपसी सहमति अनुसार
101–200	15	1	3
201–300	20	2	4
301–500	30	3	5

500 पोल्स से अधिक होने पर पूर्ण लॉट को इस तरह सब लॉटों में विभक्त किया जाता है कि किसी भी लॉट में 500 से अधिक पोल्स नहीं हों और प्रत्येक सब लॉट को उपरोक्त तरीके से टेस्ट किया जाता है।

(प्रपत्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

परिवहन निगम में आरक्षण का लाभ

257. श्री शिव सिंह रावत (बाड़ी)- क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य पथ परिवहन निगम में विभिन्न पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति के संदर्भ में रोस्टर प्रणाली लागू है ? यदि हां, तो लागू किये जाने से अब तक कुल कितने पदों पर आरक्षण का लाभ दिया गया ?

(2) क्या वहां अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने कितने, किस किस वर्ग के ? क्या इन स्थानों को भरने का राज्य सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह प्रणाली दिनांक 10-2-75 से लागू की गई तब से कुल 24 पदों पर भर्ती एवं 32 पदों पर पदोन्नति के आरक्षण का लाभ दिया गया है।

(2) जी हां।

आरक्षित पदों की वर्गवार सूची अनुक्रमिका-1 पर संलग्न है। वर्तमान में निगम में चालक व परिचालक के पद के अतिरिक्त नियुक्ति/पदोन्नति पर रोक लगी है। जब नियुक्ति/पदोन्नति पर से रोक हटेगी व नियुक्ति/पदोन्नति की जायेगी तब इनका आरक्षण भी पूरा करने की कार्यवाही की जायेगी।

(अनुक्रमिका के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

हकीमों के पदों पर नियुक्ति

258. श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद)- क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में 35 हकीम स्नातक इन्टर्नशिप पूरी करके नियुक्तियों की प्रतीक्षा में है ?

(2) यदि हां, तो इन्हें कब तक नियुक्तियां दे दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) निर्धारित योग्यताधारी आशार्थियों को शीघ्र ही नियुक्ति देने का विचार है।

जिला भीलवाड़ा में निर्माण व मेन्टिनेन्स के कार्य

259. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)-क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में सिंचाई विभाग द्वारा सन् 1983-84 व 1984-85 में सितम्बर, 1984 तक कितनी लागत के कौन से निर्माण व मेन्टिनेन्स के कार्य कहां-कहां कराये गये ?

(श्री बन्शीलाल पटवा)

(2) उक्त कार्यों में कितना कितना धन किस किस कार्य पर किन किन तिथियों में खर्च किया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 83-84 में निर्माण कार्यों पर 457.10 लाख रु. एवं रख रखाव के कार्यों पर 46.44 लाख रु. व वर्ष 84 85 में माह सितम्बर, 84 तक निर्माण कार्यों पर 227 56 लाख रु. एवं मेन्टीनेन्स कार्यों पर 30.76 लाख रु. व्यय किये गये जिसकी सूचना संलग्न प्रपत्र "क" में है।

(2) खर्चे का तिथिवार विवरण देना व्यवहारिक नहीं है। उक्त कार्यों पर हुए वार्षिक व्यय का विवरण संलग्न प्रपत्र "क" में दिया गया है। रख रखाव मद में खण्डवार सूचना इसी प्रपत्र में दी है।

(सूचना एवं विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में भूमि सीमा निर्धारण

260. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग ने अप्रेल, 1984 में जिलाधीश कोटा को जारी परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में मात्र उसी भूमि को सीलिंग कानून में सीमा निर्धारण के लिये कमाण्ड क्षेत्र माना जावे जो सिंचित होती हो।

(2) यदि हां, तो क्या जिलाधीश, कोटा व अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के इस आदेश की पालना की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिलाधीश, कोटा ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ 1 (23) राज/सी/83/681 दिनांक 17.4.84 के एक बिन्दु पर मार्ग दर्शन चाहा है जिसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता, यांत्रिक के रिक्त पदों की पूर्ति

261. श्री हरीश शर्मा (रामगंज-मण्डी)–क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सहायक अभियन्ता यांत्रिक के पदोन्नति कोटा के अनेक पद रिक्त पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो कितने, कब-कब से और क्यों ?

(2) सरकार इन्हें भरने के लिए कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(श्री हरीश शर्मा)

उत्तर

(1) जी हां, इन 14 रिक्त पद का विवरण इस प्रकार है :—

1–वर्ष 81–82 के 8

2–वर्ष 82–83 के 6

कुल 14

उप अभियंताओं की वरिष्ठता सूची के संबंध में उच्च न्यायालय, जोधपुर व जयपुर में कुछ मामलें विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

(2) उप अभियंता यांत्रिक की वरिष्ठता संबंधी अन्तिम निर्णय होने पर पदोन्नति करने की कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

नोनेरा लिफ्ट नहर से सिंचाई

262. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पीपल्दा तहसील की गैंता डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली नोनेरा लिफ्ट नहर को यदि आगे बढ़ाया जाय तो खेड़ली, खटवन व रनोदिया गांवों में फ्लो द्वारा सिंचाई की जा सकती है ?

(2) यदि हां तो क्या सरकार जनहित में शीघ्र उक्त नहर को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। लेकिन इन गांवों के कुछ ही खेतों में बहाव द्वारा सिंचाई सम्भव हो सकेगी।

(2) वर्तमान परिस्थितियों में तकनीकी दृष्टि से नोनेरा लिफ्ट स्कीम को आगे बढ़ाना उपयुक्त नहीं है क्योंकि गैंता डिस्ट्रीब्यूटरी जहां से यह स्कीम शुरू होती है के टेल पर अभी भी पानी की कमी रहती है।

कुशलगढ़ क्षेत्र में तालाबों व नहरों की सफाई

263. श्री फते सिंह (कुशलगढ़)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में विभाग के अधीन कितने तालाब हैं और कहां कहां हैं ? कृपया स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने तालाबों की नहरें अधूरी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कई तालाबों में से पानी लीकेज हो रहा है जिस कारण किसानों की फसलें आये दिन सूख जाती हैं ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या सोच रही है ?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 में कुशलगढ़ क्षेत्र के तालाबों की नहरों

Page No 72

(श्री फते सिंह)

की सफाई हेतु मजदूर लगाये गये थे ? यदि हां, तो क्या उनका पेमेंट हो चुका है ? यदि नहीं, तो अब तक पेमेंट नहीं होने का क्या कारण है और कब तक पेमेंट कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अधीन कुल 15 तालाब हैं, 5 अन्य तालाब निर्माणाधीन है विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है ।

(2) सिर्फ 5 निर्माणाधीन तालाबों की नहरें ही अधूरी है ।

(3) सिर्फ दो तालाबों रसोडी व झांकरिया में पानी सिपेज है । फसलों के सूखने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । रसोडी व झांकरिया में सिपेज रोकने का कार्य भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है ।

(4) जी हां, वर्ष 83-84 में कुशलगढ़ क्षेत्र के तालाबों की नहरों की सफाई में लगाये मजदूरों का कोई भुगतान बकाया नहीं है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

नागौर में पेयजल व्यवस्था

264. श्री महाराम चौधरी (नागौर)–क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर नगर परिषद् सीमा में कितनी कच्ची बस्तियां हैं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कितनी बस्तियां है ? इनमें किन-किन में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है और किन-किन में नहीं है ? कृपया सूची सदन पटल पर रखें ।

(2) शेष बस्तियों में पेयजल व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) नागौर नगरपालिका सीमा क्षेत्र में कुल 6 कच्ची बस्तियां हैं तथा अनुसूचित जाति एवं जन जाति की 22 बस्तियां हैं । सभी कच्ची बस्तियां तथा अनुसूचित जाति एवं जन जाति की बस्तियों के पेयजल व्यवस्था से लाभान्वित कर दिया गया है । सूची सदन के पटल पर रखा दी गई है ।

(2) प्रश्न के भाग एक के उत्तर की सूचना में सम्मिलित कर दिया गया है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

मेजा फीडर मात्रिकुण्डियां प्रोजक्ट के कर्मचारियों का स्थायीकरण

265. श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा)–

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बंशीलाल पटवा)

(1) मेजा फीडर, मात्रिकुण्डियां प्रोजेक्ट (भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़) के किन-किन अस्थाई बेलदार, मिस्त्री, मुन्शी, तथा अन्य कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कब-कब स्थाई किया गया व किन-किन का स्थाइकरण किन-किन कारणों से नहीं किया गया ?

(2) वर्तमान में प्रोजेक्ट में कितने अस्थाई कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मेजा फीडर खण्ड भीलवाड़ा के विभिन्न वर्कचार्ज कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल एक बार खण्डीय कार्यालय के आदेश संख्या 5910 दिनांक 10.8.83 के द्वारा-1 बेलदार, 6 मिस्त्री 1 मुंशी एवं 59 अन्य कर्मचारियों को स्थाई घोषित किया गया था। दिनांक 31.3.82 तक 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 3 कर्मचारियों को अभी भी स्थाई घोषित किया जाना शेष है इनमें से एक कर्मचारी श्री हरदेव भील का स्थानान्तरण घोसुण्डा परियोजना चित्तौड़गढ़ में हो जाने से तथा दो कर्मचारियों 1-श्री भैरूलाल हैल्पर एवं 2-श्री सूरतसिंह चौकीदार के सेवाभिलेख उस समय खण्डीय कार्यालय को प्राप्त नहीं होने से इनके स्थायीकरण आदेश प्रसारित नहीं किये जा सके थे।

(2) वर्तमान में इस खण्ड के अधीन कुल 386 अस्थाई कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्षवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

बौंली तहसील (सवाई माधोपुर) का ढील बांध

266. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर के बौंली तहसील में जो ढील बांध सन् 1911 में बनाया गया था उसकी नहरों से पूर्व में जो सिंचाई होती थी वह बांध में मिट्टी भर जाने से कम हो गई है ? यदि हां, तो पहले से कितनी कम सिंचाई हो गई है तथा बांध मिट्टी से कितना भर गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त बांध को ऊंचा करने हेतु विभाग द्वारा उसका सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो उसको रेज करने से कितने हजार एकड़ में सिंचाई ज्यादा होगी ?

(3) क्या रेज करने से पूर्व विभाग द्वारा उससे लाभ होने तथा उस पर संभावित व्यय का अनुमान लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या अपेक्षाकृत लाभ अनुपात अधिक पाया गया है ?

(4) सरकार इस बांध को ऊंचा कराने का कार्य कब तक प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ?

Page No 74

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1911 में निर्मित ढील बांध की नहरों से सिंचाई में कमी नहीं हुई है। वैसे बांध मिट्टी से 4 फुट भर गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि ढील बांध को ऊंचा करने हेतु सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। सर्वे का कार्य पूर्ण हो जाने तथा तकमीना बन जाने के पश्चात् सिंचाई में बढ़ोतरी का पता लगेगा।

(3) तकमीने की जांच के बाद लाभ लागत अनुपात का सही अनुमान लगाया जा सकता है।

(4) इस बांध के सर्वे का कार्य पूर्ण होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में सिंचाई कार्य

267. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में वर्ष 1980 से 1984 तक सिंचाई विभाग के कितने कार्य प्रारम्भ किये गये ? कृपया ग्राम के नाम सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पाली जिले में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1980 से 1984 (सितम्बर-84) तक पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में विभिन्न मदों (अकाल राहत व लघु सिंचाई) के अन्तर्गत सिंचाई के 110 बांध, एनीकट व तटबंधन/बाढ़ बचाव के कार्य प्रारम्भ किए गये जिनकी पंचायत समिति वाइज सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" में ग्रामवार व वर्षवार अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 29 देखें)

टोडारायसिंह नगरपालिका क्षेत्र से जल प्रदाय

268. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह नगरपालिका क्षेत्र से भासू को पानी दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि खाल का ढ़ावा हेतु भी इसी लाइन से पानी सप्लाई करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। बजट उपलब्धि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला झालावाड़ में विद्यालय भवनों की कमी

269. श्री बाल चन्द्र आर्य (डग) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में क्रियाशील उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से कौन-कौन से स्थान पर ऐसे विद्यालय हैं जिनमें भवन की कमी है तथा ऐसे विद्यालयों में कितने-कितने छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं ? कृपया स्थान व छात्र संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन विद्यालयों में भवन की कमी को दूर करने हेतु कब-कब क्या प्रयास किये गये ?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के भवनों की कमी को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कैसे और कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भवन की कमी वाले विद्यालयों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) विद्यालय स्तर पर ही जनसहयोग से भवन की पूर्ति हेतु अध्यापक-अभिभावक परिषद् के माध्यम से प्रयास किये गये ।

(3) वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं । साधन उपलब्ध होने पर ही विद्यालयों में भवन की कमी को दूर करने हेतु राशि आवंटित की जा सकेगी ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 30 देखें)

जयसमन्द की नहरों की मरम्मत

270. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयसमन्द की नहरों की मरम्मत एवं नहर पक्की बनाने हेतु सरकार द्वारा सन् 1982 से अगस्त, 1984 तक कितनी सीमेन्ट का आवंटन किया गया ?

(2) बांध की नहरों पर कितना सीमेन्ट खर्च किया तथा कितना शेष रहा ?

(3) क्या सरकारी सीमेन्ट को बेचने की शिकायतें हुई हैं ? यदि हां तो उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जयसमन्द की नहरों की मरम्मत एवं नहर पक्की बनाने हेतु सन् 1982 से अगस्त 84 तक 4576.40 एम. टी. सीमेन्ट की प्राप्ति की गई ।

(2) जयसमन्द बांध की नहरों की मरम्मत करने व पक्की करने में 3991.15 एम. टी. सीमेन्ट खर्च हुआ । 585.25 एम. टी. सीमेन्ट शेष रहा है ।

(सिंचाई मन्त्री)

(3) सरकारी सीमेन्ट को बेचने सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं आई है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पलाना थरमल पावर प्लान्ट

271. **श्री सुरजा राम टांक (नोखा) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या पलाना थरमल पावर प्लान्ट के निर्माण हेतु कार्य चालू कर दिया गया है ?

(2) निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है और अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है ?

(3) पलाना थरमल पावर प्लान्ट के लिये चालू पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है और आवश्यक मशीनरी एवं निर्माण कार्य की क्या व्यवस्था की गई है ?

(4) पलाना थरमल पावर प्लान्ट से विद्युत् उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? प्रथम इकाई को चालू करने का क्या लक्ष्य रखा गया है ? क्या निर्धारित समय में यह इकाई अपना कार्य शुरू कर देगी ? यदि नहीं, तो कितना समय और लगेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ का प्रावधान रखा है लेकिन योजना आयोग द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण इस योजना पर अभी निर्माण कार्य चालू नहीं किया गया है।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न वर्षों में पलाना तापीय परियोजना के लिये राज्य की योजना में कुल 600 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। योजना आयोग से विनियोजन स्वीकृति के अभाव में मशीनरी का क्रय एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) पलाना थरमल प्लान्ट से विद्युत् उत्पादन योजना आयोग से विनियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्भर करेगा। प्रथम इकाई को चालू करने का अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने व निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के करीब 5 वर्ष बाद विद्युत गृह की प्रथम इकाई द्वारा विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो सकेगा।

पंचायत समिति गिर्वा और बड़गांव का विद्युतीकरण

272. **श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, गिर्वा और पंचायत समिति, बड़गांव, उदयपुर में किन-किन पंचायतों के कौन-कौन से गांव विद्युतीकृत

(श्री भैरूंलाल मीणा)

नहीं हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी उक्त पंचायतों के गांवों को विद्युत् योजना में नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि लिये गये हैं, तो किन-किन गांवों को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति गिर्वा और बड़गांव में क्रमश: 84 व 32 ग्राम अविद्युतीकृत हैं जिनकी सूची "अ" व "ब" सलग्न है।

(2) इस वर्ष (84–85) के वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में पंचायत समिति बड़गांव के 5 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। इन गांवों के नाम उपरोक्त सूची "ब" में दर्शा दिये गये हैं। पंचायत समिति गिर्वा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 31 देखें)

दिल्ली की प्रेसों में पुस्तकों का मुद्रण

273. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा अपनी कुछ पुस्तकें दिल्ली की दो प्रेसों को छापने हेतु दी गई थी ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी पुस्तकें थीं तथा किस-किस प्रेस को दी गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रेसों को पुस्तकें छापने को देने से पूर्व उनकी छपाई क्षमता की जांच करने हेतु बोर्ड के तीन अधिकारियों को दिल्ली भेजा गया था ? यदि हां तो वे कौन-कौन से अधिकारी थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों अधिकारियों को छपाई कार्य के बारे में कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है फिर भी उनकी अनुशंसा के आधार पर दिल्ली के उक्त प्रेसों को छपाई कार्य दिया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों अधिकारियों द्वारा उक्त प्रेसों की कार्य क्षमता के बारे में दिया गया आंकलन/अनुशंसा गलत निकली तथा इस कारण उक्त प्रेसों द्वारा छापी गई पुस्तकें समय पर बाजार में नहीं आ सकीं जिसके कारण छात्रों को अध्ययन में काफी हानि उठानी पड़ी ?

(5) यदि हां, तो ऐसे अक्षम अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । विवरण निम्न प्रकार है :—

1—मैसर्स जगदीश प्रिन्टर्स बी–94, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–11, दिल्ली 1	1–उमा गद्य पद्य संग्रह 2–कथा प्रवाह 3–रेपिड रीडर कक्षा 11 4–प्रेरक जीवनियाँ 5–रेपिड रीडर कक्षा 9 6–एकांकी सुषमा
2—मैसर्स अजन्ता आफसेट्स एण्ड पैकिंग्स लिमिटेड, 95 बी. वजीरपुर, इण्डस्ट्रीयल एरिया दिल्ली ।	1–कोर्स रीडर कक्षा 9 2–संस्कृत सुषमा (तृ. भाग)

(2) जी हां । निम्न अधिकारियों को भेजा गया था :—

1—श्री चन्द्र शेखर बंसल	(निदेशक परीक्षा)
2—श्री रतन लाल गर्ग	(वित्त अधिकारी)
3—श्री कमल नारायण पारीक	(सहायक निदेशक)

(3) अधिकारी तकनीकी क्षमता वाले नहीं थे किन्तु प्रेसों के पास उपलब्ध विभिन्न मशीनों कार्यरत कर्मचारियों व संस्थान की वास्तविकता आदि की जांच इन अधिकारियों द्वारा की जानी थी जिसके लिये अधिकारी अनुभव प्राप्त हैं ।

(4) प्रेस ने कार्य को समय पर सम्पादित नहीं किया है । इस हेतु प्रेस के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(5) रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के स्तर पर कोई त्रुटि नहीं हुई है । अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Page No 79

44 नयी पुस्तकों का मुद्रण

274. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा इस वर्ष के शिक्षा सत्र से 44 पुस्तकों को बदलने के निर्णय की पालना में विभिन्न प्रकाशकों को छपाई के आदेश देने के साथ ही पाण्डुलिपियां भी दे दी गई थीं ? यदि हां, तो किस किस पुस्तक की कितनी-कितनी संख्या में प्रकाशित करने हेतु कब कब निविदायें आमन्त्रित की गई, उन्हें कब कब स्वीकृत किया गया, स्वीकृति के बाद छपाई आदेश एवं पाण्डुलिपियां कब कब दी गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि इन पुस्तकों की छपाई कर प्रकाशकों को एक निश्चित अवधि तक बोर्ड एवं पुस्तक विक्रेताओं को उपलब्ध कराना था ? यदि हां, तो किस किस प्रकाशक को कौन कौन सी पुस्तक की कितनी कितनी प्रतियां बोर्ड व पुस्तक विक्रेताओं को किस किस तारीख तक उपलब्ध करानी थीं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या अनुबन्ध के अनुसार ये पुस्तकें बोर्ड एवं पुस्तक विक्रेताओं को उपलब्ध कराई गई ? यदि नहीं, तो कब कब कितनी कितनी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । इस वर्ष नई लिखवाई गई पुस्तकों में से :

(अ) दस पुस्तकों हेतु दिनांक 2-1-84 को अखबार में विज्ञप्ति देकर निविदायें मुद्रकों से आमन्त्रित की गई थीं । निविदायें प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25-1-84 थी । निविदायें 25-1-84 को ही उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली गई । निविदा की स्वीकृति, मुद्रण आदेश, पाण्डुलिपि देने की तिथि, मुद्रित करवाई गई प्रतियों की संख्या आदि के सम्बन्ध में जानकारी सूची "अ" संलग्न है ।

(ब) चौंतीस पुस्तकों हेतु पंजीकृत प्रकाशकों से दिनांक 30-1-84 को निविदा आमन्त्रित की गई । निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 20-2-84 थी । निविदायें 20-2-84 को ही उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली गई । निविदायें स्वीकृत करने, मुद्रण आदेश देने, पाण्डुलिपि देने तथा मुद्रित प्रतियों की संख्या के सम्बन्ध में सूची "ब" संलग्न है । मुद्रण आदेश देने के बाद अनुबन्ध करने, जमानत राशि प्राप्त करने आदि की औपचारिकताओं के बाद ही पाण्डुलिपियां दी गई ।

(2) जी हां । दस पुस्तकों के मुद्रकों को पाण्डुलिपि प्राप्त करने से 100 दिन की अवधि में कार्य समाप्त कर लेना था । चौंतीस पुस्तकों के सम्बन्ध में प्रकाशकों को जो कार्य शिड्यूल दिया गया था उसकी प्रति सूची "स" संलग्न है । पुस्तकों की संख्या प्रश्न 1 के उत्तर के सम्बन्ध में संलग्न सूची

(प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री)

'अ' के कालम 7 व "ब" के कालम 7 में अंकित है।

(3) जी नहीं। अनुबन्ध के अनुसार समस्त पुस्तकें 15 जून, 1984 तक पुस्तक विक्रेताओं को उपलब्ध करा देनी चाहिये थी। प्रत्येक पुस्तक कब-कब कितनी-कितनी संख्या में उपलब्ध कराई गई उसका विवरण संलग्न सूची "द" में अंकित है। दोषी प्रकाशकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 32 देखें)

रेडीमेड वस्त्रों पर बिक्रीकर

275 श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में रेडीमेड वस्त्रों पर बिक्री कर होने से यह व्यवसाय ह्रासोन्मुख होता जा रहा है? यदि हां तो अन्य प्रान्तो की तुलना में यह बिक्री कर कितना अधिक है?

(2) रेडीमेड वस्त्रो पर व अन्य वस्त्रों पर बिक्री कर में कितना अन्तर है तथा क्या सरकार इसे उचित मानती है?

(3) जनहित को मद्दे नजर रखते हुए क्या सरकार रेडीमेड वस्त्रों पर से बिक्री कर समाप्त करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में रेडीमेड वस्त्रों पर बिक्री कर दर 3% है जो अन्य पड़ौसी राज्यों से अधिक नहीं है।

(2) सभी प्रकार के रेडीमेड वस्त्र जैसे–सूती होजरी उत्पादन पर भी कर दर 3% है जबकि ऊन, सिंथेटिक ऊन एवं शुद्ध रेशम से बने होजरी उत्पादन 2% की दर से कर योग्य हैं। इसके अतिरिक्त रेशमी वस्त्र एवं उनसे बनी रेशम की बघेज साड़ियां भी 3% की दर से कर योग्य हैं तथा फेब्रिक्स पर कोई बिक्री कर नहीं है। चूंकि रेडीमेड वस्त्रों पर अन्य वस्त्रों की तुलना में बिक्री कर कम है अतः इन पर कर दर उचित है।

(3) जी नहीं। इससे राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अतः इसे और कम करना उचित नहीं है।

अजमेर में बीड़ी निर्माण के कारखाने

276. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर नगर परिषद् सीमा में स्थित बीड़ी निर्माण करने वाले कारखानों के मालिक राजस्थान (बीड़ी एण्ड वर्कर्स सिगार कन्डिशन्स ऑफ एम्पलायमेण्ट) रूल्स, 1969 के नियम 32 के अन्तर्गत फार्म नं. 11 तथा 12 के द्वारा क्रमशः मासिक रिटर्न्स एवं वार्षिक रिटर्न्स नियमानुसार निश्चित समयावधि में प्रस्तुत कर रहे हैं?

Page No 81

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) कृपया स्थाई व होम वर्कर्स की संख्या के आधार पर प्रथम पांच बड़े मालिकों द्वारा 1984 के जनवरी, अप्रेल एवं जुलाई महीनों के प्रस्तुत मासिक रिटर्न्स की प्रतियां एवं उनके द्वारा आखिरी बार प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न्स की प्रतियां, इनके प्रस्तुत करने की तारीख के विवरण सहित, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामान्यत: मासिक एवं वार्षिक रिटर्न्स नियमानुसार निश्चित अवधि में प्रस्तुत करते हैं।

(2) प्रथम पांच बड़े मालिकों द्वारा प्रस्तुत रिटर्न्स का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	संस्था का नाम	मासिक रिटर्न्स पेश करने की तिथि			वार्षिक रिटर्न्स पेश करने की तिथि
		जनवरी 84	अप्रेल 84	जुलाई 84	वर्ष 1983-84
1—	मै. रामसिंह शंकरसिंह	8-2-84	10-5-84	6-8-84	5-4-84
2—	मै. ठाकुरमल रेवाचन्द	23-3-84	7-7-84	4-8-84	7-4-84
3—	मै. प्रेमचन्द इन्द्रसिंह	8-2-84	10-5-84	3-8-84	11-4-84
4—	मै. खण्डेलवाल ब्रादर्स	13-3-84	7-5-84	9-8-84	11-4-84
5—	मै. जनता बीड़ी	8-2-84	10-5-84	8-8-84	11-4-84

वांछित रिटर्न्स की प्रतियां संलग्न हैं।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 33 देखें।)

बाड़ी-बसेड़ी एवं बाड़ी-सरमथुरा मार्ग पर बसें

277. श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर में आगार की स्थापना के बाद कितनी बसें जिले के अन्दर चलाई जा रही हैं व कौन-कौन से रूट्स पर ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या राजकीय उच्च मार्ग नं. 2 का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसके उपरान्त धौलपुर आगार की बसें क्यों नहीं चलाई गई ? क्या धौलपुर आगार के माध्यम से बाड़ी बसेड़ी एवं बाड़ी सरमथुरा मार्ग पर बसें चलाने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) धौलपुर में आगार की स्थापना के बाद उक्त आगार द्वारा 29 बसों का संचालन धौलपुर-भरतपुर, धौलपुर-जयपुर, धौलपुर-आगरा, धौलपुर-बालाजी, धौलपुर-ग्वालियर, धौलपुर-मथुरा, ग्वालियर-देहली, मुरेना-मथुरा, मुरेना-राजाखेड़ा, धौलपुर-अलवर आदि मार्गों पर किया जा रहा है । मार्गवार संचालित किये जा रहे परिचक्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं । राजकीय उच्च मार्ग नं० 2 राजाखेड़ा-सरमथुरा-बरोली-गंगापुर-लालसोट मार्गों पर पड़ता है तथा वर्तमान में उक्त मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं हैं न ही इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना वर्तमान में विचाराधीन है । अतः धौलपुर आगार के माध्यम से बाड़ी बसेड़ी एवं बाड़ी सरमथुरा मार्गों पर निगम की बसें चलाये जाने की कोई योजना नहीं है । वर्तमान में इन मार्गों पर निजी वाहन संचालित हैं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 34 देखें ।)

पचानपुरा प्रोजेक्ट

279. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ तहसील में पचानपुरा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर प्रारम्भ से लेकर आज तक कितना खर्च हुआ व पूर्ण होने तक अनुमानित कितना खर्च आयेगा ?

(2) उक्त प्रोजेक्ट से कितनी भूमि सिंचित होगी ? क्या अन्य प्रयोजनों हेतु भी जल उपलब्ध होगा ? यदि हां, तो किन-किन कार्यों हेतु ?

उत्तर

(1) पचानपुरा परियोजना पर सितम्बर, 84 तक 113.46 लाख रुपये का व्यय हो चुका है । इसके पूर्ण होने तक 154.79 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(2) उक्त सिंचाई योजना के पूर्ण होने

(सिचाई मन्त्री)

पर 930 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध होंगी। इस योजना से सिंचाई कार्यों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु जल उपलब्धि का प्रावधान नहीं है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 20 का अनुसरण

280. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को धारा 20 के अनुसार एक जिले में केवल एक अतिरिक्त जिलाधीश व एक तहसील में केवल एक तहसीलदार हो सकता है ? यदि हां, तो जिन जिलों में एक से अधिक अतिरिक्त जिलाधीश व जिन तहसीलों में एक से अधिक तहसीलदार कार्यरत हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। किसी भी जिले की तहसील में एक से अधिक तहसीलदार कार्यरत नहीं हैं। जिला जयपुर चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर एवं सवाई माधोपुर में एक से अधिक अतिरिक्त जिलाधीश कार्यरत हैं। जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) एक जिले में एक से अधिक अतिरिक्त जिलाधीश नियुक्त करने में राज्य सरकार जिले में मुकदमों की सख्या एवं विशेष परिस्थितियों तथा कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पदों का सृजन जनहित में करती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 35 देखें।)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के उप अभियंता-सिविल व मेकेनिकल

281. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में उप अभियन्ता सिविल व उप अभियन्ता यांत्रिक से एक ही कार्य लिया जाता है व आपस में इनके स्थानान्तरण किये जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उप-अभियन्ता सिविल व उप अभियन्ता यांत्रिक की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता अलग-2 रखी जाती है जिससे अनेक उप अभियन्ता, सिविल, उप अभियन्ता, यांत्रिक से कनिष्ठ होते हुये भी पहले पदोन्नति पा चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस भेदभाव को दूर करने हेतु दोनों वर्गों की एक ही वरिष्ठता सूची बनाने पर विचार करेगी ?

Page No 84

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उप अभियन्ता (सिविल) व उप अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची अलग-अलग होती है, तथा सहायक अभियन्ता सिविल व सहायक अभियन्ता यांत्रिक, के पद विभाग में अलग-अलग कार्यभार को देखते हुए वर्गीकृत व स्वीकृत हैं। सहायक अभियन्ता के पदों की उपलब्धि एवं संख्या के अनुसार ही पदोन्नति की जाती है। क्योंकि वरिष्ठता अलग रखी जाती है। अतः सिविल व यांत्रिक वर्गों के उप अभियन्ताओं को आपसी वरिष्ठता आंकने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(3) सेवा नियमों में विभाग के अन्दर सिविल एवं यांत्रिक अलग-अलग (दो) वर्ग होने के कारण कोई भेदभाव नहीं होता है। दो पृथक वर्ग होने के फलस्वरूप एक वरिष्ठता सूची बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

दौलतपुरा बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा

282. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील बारां में ग्राम पंचायत मंडोला के अन्तर्गत ग्राम के किसानों की भूमि दौलतपुरा बांध की डूब में आई है ? यदि हां, तो कितने किसानों की ? कृपया ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार उन किसानों को भूमि का मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 32 खातों की भूमि डूब में आई है। ग्रामवार भूमि का विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। किसानों की भूमि का मुआवजा चुकाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 36 देखें)

पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी (पाली) में ट्यूब वैलस् का निर्माण

283. श्री भेरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या भू-जल विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

पाली जिले में वर्ष 1980 से 1984 के दौरान पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में कितने ट्यूब वैल्स खोद कर किसानों को लाभान्वित किया गया ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 85

उत्तर

पाली जिले की मारवाड़-जंक्शन, रानी देसूरी पंचायत समितियों में भू-जल विभाग द्वारा कृषकों के लिये वर्ष 1980 से अगस्त, 1984 तक खोदे गये नलकूपों का ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट एक में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 37 देखें)

पंचायत समिति देवली (टोंक) के ग्रामों को शुद्ध पेय जल

284. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, देवली के ग्राम सांडला, रघुनाथ पुरा व गोपालपुरा का पीने का पानी खराब है? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या इन गांवों की सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ?

(3) क्या सरकार का इन गांवों को शुद्ध पानी की व्यवस्था करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ग्राम सांडला एवं ग्राम रघुनाथपुरा का पानी पीने योग्य है। केवल गोपालपुरा ढाणी, नासिरदा का पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि यहां के पानी में मापदण्ड से अधिक टी. डी. एस. एवं फ्लोराइड विद्यमान है।

(2) जी हां।

(3) (i) ग्राम रघुनाथपुरा को दो हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित किया जा चुका है।

(ii) ग्राम सांडला समस्या रहित ग्राम है अतः कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(iii) गोपालपुरा ढाणी नासिरदा को अन्य किसी ग्राम के स्त्रोत से वित्तीय साधनों की उपलब्धि अनुसार लाभान्वित किया जावेगा।

झालावाड़ की पंचायत समिति में खराब पड़े हैण्ड पम्प्स

285. श्री लाल चन्द आर्य (डग) एवं श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ की पंचायत समिति के ग्राम खण्डार लोल्डा-मोल्डा-मेहूरों का खेडा-लसूडिया आदि ग्रामों के हैण्ड पम्प्स कई माह से खराब पड़े हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों की लापरवाही से ?

(श्री अनंग कुमार जैन)

(2) खराब पड़े हैण्ड पम्प्स कब तक पानी देने योग्य बना दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति झालरापाटन के ग्राम खण्डार मोल्डा मोल्डा ग्रामों में हैण्ड पम्प्स लगे हुए हैं मार्च, 84 एवं मई 84 में हैण्ड पम्प सुधार अभियान के अन्तर्गत ठीक कराये गये थे। हैण्ड पम्पों का रख-रखाव पंचायत द्वारा किया जाता है, उनसे हैण्ड पम्प खराब होने बाबत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) पंचायतों से खराब हैण्ड पम्प की सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षण के उपरान्त ठीक करवाने की कार्यवाही की जावेगी।

जिला बीकानेर में अध्यापकों की कमी

286. श्री सूरजा राम (नोखा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस समय कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

(2) उपरोक्त कितने विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है तथा कितने स्थानों पर अध्यापक नहीं हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बीकानेर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी पूर्ति कर दी गई है ?

(4) क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष में एक सैकण्डरी स्कूल खोला जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार नोखा में सैकण्डरी स्कूल इस वर्ष खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के विद्यालयों में अध्यापक/अध्यापिकायें निम्न प्रकार कार्यरत हैं :—

(प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री)

श्रेणी	उ० प्रा० वि० पुरुष/महिला		माध्यमिक विद्यालय पु०/म०		उच्च माध्यमिक विद्यालय पु०/म०		योग
प्रथम वेतन श्रृंखला	1	—	—	—	150	33	184
द्वितीय वेतन श्रृंखला	137	26	327	44	175	60	759
तृतीय वेतन श्रृंखला	733	311	208	62	75	8	1398
कुल योग	871	337	535	106	401	101	2351

(2) 51 विद्यालयों में द्वितीय वेतन श्रृंखला के 5 एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के 54 अध्यापक/अध्यापिकाओं की कमी है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है जहां कि एक भी अध्यापक न हो।

(3) वर्तमान में द्वितीय वेतन श्रृंखला का एक पद एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के केवल 7 पद रिक्त हैं।

(4) जी नहीं। क्षेत्रीय आवश्यकता व उपलब्ध साधनों के आधार पर विद्यालय खोले जाते हैं। इस वर्ष खोले जाने वाले माध्यमिक विद्यालयों के स्थान निश्चित किया जाना अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 38 देखें)

कस्तूरबा नारीशाला (अजमेर) प्राथमिक विद्यालय दुःखान्तिका

287. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सरकार के

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आदेश से अजमेर नगर में स्थित कस्तूरबा नारी शाला प्राथमिक विद्यालय में दिनांक 20-7-1984 को हुई दुःखान्तिका की संपूर्ण जांच अतिरिक्त जिलाधीश, अजमेर, श्री के. एन. गुप्ता द्वारा की जाकर जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है ?

(2) यदि हां, तो यह जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, उसमें किस किस विभाग के किस किस अधिकारी को उस दुःखान्तिका के लिये दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच रिपोर्ट अतिरिक्त जिलाधीश, अजमेर द्वारा दिनांक 27-7-84 को जिलाधीश, अजमेर को प्रस्तुत की गयी। जिलाधीश ने उक्त रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास अपने पत्र 8-8-84 के द्वारा प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट के अनुसार निम्न विभागों की लापरवाही पाई गई :—

1–अस्पताल के निर्माण से सम्बन्धित नक्शा बिना पोल्ट्री फार्म का डिस्मेन्टल करने का सुनिश्चित किये बिना ही पास किया जाना गलत कार्यवाही है तथा तकनीकी दृष्टि से कई त्रुटियों का समाविष्ट किये हुए हैं। उक्त कार्यवाही के लिये तत्कालीन अधिदर्शक श्री पोहमल तोपानी एवं तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री एम. मेघनाथ दोषी पाये गये हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय राजस्थान जयपुर से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया जा रहा है।

2–अस्पताल की इमारत का निर्माण परिषद द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार न कराने के विरुद्ध मेडिकल बोर्ड के सचिव एवं अध्यक्ष तथा मिस्त्री श्री रामचन्द्र दोषी पाये गये। इनके विरुद्ध एफ आई आर. दर्ज करा दी गई है। मामला पुलिस के जांच अधीन है।

3–नगरपरिषद् द्वारा अस्पताल भवन के नक्शे के अनुसार मौके पर कराये जा रहे निर्माण कार्य में परिषद से सम्बन्धित अधिकारियों के सुपरविजन की लापरवाही रही है। इसके लिये श्री चन्द्रधर अधिदर्शक, श्री युधिष्ठर आर्य, सहायक अभियन्ता एवं श्री एन. यू. सिद्दीकी, आयुक्त, नगर परिषद, अजमेर दोषी पाये गये। इनके विरुद्ध रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्यवाही करने हेतु नगर परिषद को निवेदन किया जा रहा है।

4–शिक्षा विभाग द्वारा संस्था के निरी-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

क्षण दिनांक 25-11-83 में यह अंकित किया गया कि संस्था ने कुछ कक्षाएं बिना पूर्व अनुमति के इस भवन (क्षतिग्रस्त) में स्थानान्तरित की हैं तथा विभाग द्वारा संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही समय पर न करना पूर्व में निरीक्षण नहीं करने के लिए वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती कमल दत्ता दोषी पायी गयी है। इनका स्पष्टीकरण विभाग ने मांगा है प्राप्त होने पर शिक्षा विभाग द्वारा इनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(जांच प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखा गया।)

पीपल्दा क्षेत्र में आवंटियों को भूमि के कब्जे

288. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा एवं बोगोद क्षेत्र में सीलिंग के तहत एलॉटशुदा जमीन पर बार-बार निवेदन करने के बाद भी एलॉटीज को कब्जे नहीं दिये जाकर निरस्त कर दिया जाता है ?

(2) यदि हां तो वर्ष 1975 से अब तक कुल कितने एलॉटीज की जमीनें निरस्त की गई तथा क्यों? क्या सरकार पूर्व आवंटित व्यक्तियों को शीघ्र कब्जा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) किसी अलोटी की जमीन निरस्त नहीं की गई है। जिन्हें कब्जा नहीं दिया है उन्हें यथाशीघ्र कब्जा दिला दिया जायेगा।

धार्मिक स्थानों के समीप शराब की दुकानें

289. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ने सरकारी इमारत में शराब की दुकान नहीं लगाने एवं मन्दिर से निश्चित दूरी की शर्तों की अवहेलना करते हुये सांगानेरी गेट, जयपुर की देशी मदिरा की दुकान को पी. डब्ल्यू. डी. की इमारत में लगाने की स्वीकृति दी है जबकि यहीं पर दो मन्दिर भी स्थित हैं ? यदि हां, तो नियमों के विरुद्ध लगाई गयी दुकान कब तक बन्द करवा दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ने शाहपुरा, फागी एवं चौमूं में पदस्थापित इन्सपेक्टर्स के एवं कुछ लिपिकों के वेतन चुकाने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उन्हें वेतन चुका दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सांगानेरी गेट पर देशी मदिरा की दुकान सरकारी भवन में पिछले 8 वर्षों से भी अधिक समय से चल रही है। सरकारी इमारत में शराब की दुकान लगाने पर नियमों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथापि उपरोक्त शराब की दुकान मन्दिर से करीब 300 गज की दूरी पर स्थित होने से उसे उक्त स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। वेतन चुकाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है परन्तु कुछ मामलों में हाजरी का नक्शा प्राप्त न होने, छुट्टी का प्रार्थना पत्र नहीं देने से माह अगस्त, 84 का भुगतान नहीं किया जा सका है। निरीक्षक फागी अगस्त में ड्यूटी से गैर हाजिर पाये गये। उस विषय में जांच की जा रही है। उसी प्रकार दौसा गोदाम के लिपिक श्री मुबारक का भी अगस्त माह में 2-8-84 से उपस्थिति दर्ज नहीं होने से वेतन नहीं दिया जा सका। जांच चल रही है।

भीलवाड़ा की लेबर कॉलोनी के मकानों को श्रमिकों को देना

290. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा स्थित लेबर कॉलोनी के भवनों व सड़क, नालियों, शौचालयों पर पिछले 4 वर्षों में सरकार ने निर्माण/रिपेयर के काम तामीर पर कितना खर्च कब-कब किस-किस पर किया ?

(2) क्या राज्य सरकार की यह मंशा है कि उक्त भवन किरायेदार श्रमिकों के नाम पर बापीया लीज पर कर दिये जायें ? यदि हां, तो कब तक हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा स्थित लेबर कालोनी के भवनों व सड़क, नालियों, शौचालयों के निर्माण रिपेयर पर पिछले चार वर्षों में निम्न खर्च प्रकार किया गया है :—

1–वर्ष 1980–81 रुपये 25,000/–

2–वर्ष 1981–82 रुपये 35,059/–

3–वर्ष 1982–83 रुपये 40,000/–

4–वर्ष 1983–84 रुपये 44,911/–

(2) श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 3-9-84 द्वारा भूमि एवं भवन के मूल्य की धनराशि तथा बकाया किराये की सम्पूर्ण धनराशि अधिकृत आवंटित श्रमिकों से वसूल कर उन्हें भवनों का स्वामित्व देने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

पाली जिले की पंचायत समितियों के ग्रामों में पेयजल

292. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) :

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की रानी, देसूरी व मारवाड़ जक्शन पंचायत समितियों में वर्ष 1980 से 1984 के दौरान कहां-कहां पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं ? कृपया ग्रामवार व सुविधा की किस्मवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये पेयजल की कहां-कहां क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग प्रथम के उत्तर में सदन के पटल पर रखी गई सूची की पेयजल योजनाओं से अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी लाभान्वित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 39 देखें)

स्नेह प्रिंटर्स के विरुद्ध शिकायतों में कार्यवाही

293. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जुलाई, 1984 से प्रारम्भ हुये सत्र से लागू की गयी हिन्दी पुस्तक माध्यमिक गद्य पद्य संग्रह (अजमेर) के ही एक स्थानीय प्रेस स्नेह प्रिंटर्स द्वारा छापी गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रेस के बारे में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी जांच के लिये एक समिति का गठन किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच समिति ने प्रेस के सम्बन्ध में जो जांच रिपोर्ट दी थी वह उसके प्रतिकूल थी लेकिन जांच समिति की प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद भी उक्त प्रेस को उक्त पुस्तक छापने को दी गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रेस द्वारा पुस्तकें पुस्तक विक्रेताओं को समय पर न मिलने सम्बन्धी कई शिकायतें बोर्ड कार्यालय को प्राप्त हुई थीं ?

(5) क्या यह भी सही है कि जांच समिति की विपरीत रिपोर्ट तथा पुस्तक विक्रेताओं को पुस्तकें प्राप्त न होने की शिकायतों के बावजूद प्रेस द्वारा प्रस्तुत छपाई का बिल सही मान कर उसे भुगतान कर दिया गया है जबकि ऐसे ही अन्य मामलों में अभी कोई भुगतान नहीं हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। आंशिक भुगतान संबंधी कार्यवाही अनुबन्ध के आधार पर कार्य समाप्त कर लेने व बिल प्राप्त होने पर नियमानुसार की गई। अन्य प्रेसेज ने जब कार्य समाप्त कर बिल प्रस्तुत किया तो उनके बिल का आंशिक भुगतान भी अनुबन्ध के अनुसार ही किया गया है। उपरोक्त प्रेस द्वारा समस्त पुस्तकें पुस्तक विक्रेताओं को सबसे पहले उपलब्ध कराई गई व कार्य सबसे पहले समाप्त किया अतः इन्हें भुगतान सबसे पहले हुआ है।

अटरू (कोटा) में अचोली बांध का निर्माण

294. श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील अटरू के बडोरा ग्राम के पास स्थित अचोली बांध के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस बांध का निर्माण कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अचोली बांध से पांच हजार बीघा जमीन सिंचित हो सकती है ?

(3) यदि स्वीकृति नहीं दी गई है, तो क्या सरकार निकट भविष्य में जनहित में इसके लिए स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(2) जी नहीं। स्वीकृति होने के पश्चात ही निर्माण कार्य करवाना सम्भव होगा ?

(2) जी नहीं। इस बांध से लगभग 2400 बीघा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।

(3) यह सम्भव नहीं है।

पाठ्यक्रमों में परिवर्तन

295. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की सरकारी नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ने सैकण्डरी स्कूल तथा हायर सैकण्डरी परीक्षा के विभिन्न विषयों की बयालीस पुस्तकें नई लिखवा कर जुलाई, 1984 से प्रारम्भ होने वाले सत्र से लागू की हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुस्तकों में से कुछ पूर्व में ही बोर्ड द्वारा अथवा बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकाशित थी किन्तु उन्हें भी पुनः लिखवाया जाकर नये सिरे से प्रकाशित किया गया है, जबकि सम्बन्धित पाठ्यक्रम समितियों द्वारा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उन विषयों के पाठ्यक्रमों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं सुझाये गये थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार अनावश्यक रूप से पुस्तकें लिखवाने के कारण ही पुस्तकों के बाजार में आने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है ?

(4) यदि हां, तो बिना पाठ्यक्रमों में परिवर्तन के नई पुस्तकें लिखवाने का क्या औचित्य था ? इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा सरकार छात्रों को पुस्तकों के अभाव के कारण अध्ययन में हुई हानि के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। पुस्तकों के शनैः शनैः राष्ट्रीयकरण करने के राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष सामाजिक ज्ञान-1, इतिहास-4, भूगोल-2, अर्थशास्त्र-2, वाणिज्य-4 व भौतिक विज्ञान-2 कुल 15 पुस्तकों का लेखन स्तर पर राष्ट्रीयकरण किया गया है।

(2) जी हां। पूर्व में प्रकाशित राष्ट्रीयकृत हिन्दी विषय की 12, अंग्रेजी विषय की 7, संस्कृत विषय की 9, एवं सामान्य विज्ञान विषय-1, कुल 29 पुस्तकें सम्बन्धित पाठ्यक्रम समितियों द्वारा इन विषयों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किये जाने के कारण ये पुस्तकें नये सिरे से लिखवाने की पाठ्यक्रम समितियों की अनुसंशाओं के कारण नई लिखवाई गई है।

(3) जी नहीं।

(4) राष्ट्रीयकरण की नीति पुस्तकों के पाठ्यक्रम में दस-बारह साल से चलते रहने के कारण विषय वस्तु आउट आफ डेट हो जाने से तथा पाठ्यक्रम समितियों द्वारा पाठ्यक्रम बदलने व पुस्तकें नई लिखवाई जाने की अनुसंशा की अनुपालना में कुल 44 पुस्तकें लिखवाई गई हैं। कोई अधिकारी विशेष उत्तरदायी नहीं है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11-10-84)

उदयपुर के माइन्स ओनर्स के विरुद्ध बकाया की वसूली

5. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खनिज अभियन्ता, उदयपुर के क्षेत्राधिकार में किन किन माइन ओनर्स में कुल कितनी राशि बकाया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या विभाग ने उक्त बकाया की वसूली हेतु कोई प्रयत्न किये हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1984-85 में सितम्बर, 1984 तक कितनी बकाया की वसूली हुई है ?

(3) बकाया की वसूली नहीं होने पर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किस किस माइन ओनर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) खनिज अभियन्ता, उदयपुर के क्षेत्राधिकार में जिन जिन माइन ओनर्स में जितनी बकाया है, उसकी सूची मय बकाया राशि के संलग्न परिशिष्ट "क". में दी गई है।

(2) जी हां। वर्ष 1984-85 में माह सितम्बर, 84 तक रु. 2,15,085·36 की बकाया वसूल हुई।

(3) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" में दी गई सूची के कालम वसूली की कार्यवाही स्थिति में अंकित है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 40 देखें।)

अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रम के तहत खोले जाने वाले आश्रम स्कूल

17. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रम के तहत खोले जाने वाले आश्रम स्कूल निर्वाचन क्षेत्र दानपुर में कितने स्वीकृत किये गये हैं ?

(2) इनमें कितने स्कूलों के लिए भवन बन चुके हैं ?

(3) क्या कुछ स्कूलों के भवन बन चुके हैं किन्तु शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त नहीं किये हैं ? ऐसे कितने स्कूलों के कहां-कहां स्थित भवन शिक्षा विभाग को लेने हैं ?

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग से शिक्षा विभाग इन भवनों को कब तक लेकर इनमें कब तक स्कूल प्रारम्भ कर देगा ?

उत्तर

(1) दानपुर निर्वाचन क्षेत्र में निम्नांकित आश्रम विद्यालय (स्कूल) स्वीकृत किये गये।

1–कलिजरा

2–छोटी सरवन

3–खेड़ा वडलोपाड़ा (निर्माणाधीन)

(2) आश्रम स्कूल कलिजरा व छोटी सरवन के भवन बन चुके हैं।

(3) जी हां।

उपरोक्त दोनों आश्रम स्कूल भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त किये जा चुके हैं केवल खेड़ावडलोपाड़ा निर्माणाधीन होने से सार्वजनिक निर्माण से प्राप्त नहीं किया गया है। आश्रम स्कूल खेड़ावलोपाड़ा के भवन का कुछ भाग भी अपूर्ण है। भवन सम्पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाने पर शिक्षा विभाग में प्राप्त किया जायेगा।

(प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री)

(4) आश्रम स्कूल खेड़ावडलोपाड़ा का अधूरा कार्य पूर्ण हो जाने की सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त होने पर भवन शिक्षा विभाग द्वारा लिया जावेगा। और स्कूल प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जावेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर में सूरसागर में गन्दा पानी डालने व गन्दे नालों के कारण गन्दगी,

(2) श्री बालचन्द आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में विद्युत मण्डल द्वारा सिंचाई हेतु कनेक्शन देने में भेदभाव,

(3) श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले में झगड़े, चोरी व हत्या आदि के अपराध,

(4) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति टौंक में ग्रामों में कृषि कनेक्शन न देना,

(5) श्री हीरालाल आर्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र में सड़कों की दयनीय स्थिति,

(6) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर के होलसेल भण्डार के चुनाव हो जाने के पश्चात भी प्रशासक द्वारा कार्य,

(7) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा नगर में कीमत के आधार पर चुंगी वसूली,

(8) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से फागी तहसील में पीने के पानी की कमी,

(9) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां में पुलिस के संरक्षण के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा अपराध,

(10) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिजली के अभाव के कारण फसल बुवाई में कठिनाई,

(11) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा 42 पुस्तकें छपवाकर समय पर उपलब्ध न करवाना,

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीनियर डिमोन्स्ट्रेटर के पदों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के योग्य उम्मीदवारों का चयन न किया जाना,

(13) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से माडा योजनान्तर्गत आश्रम स्कूल व छात्रावासों के निर्माण में धन का दुरुपयोग,

(14) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से व्याख्याता के पदों पर एम. फिल. व पी. एच. डी. प्रत्याशियों के प्रार्थना पत्रों पर ध्यान न देकर स्नातकोत्तर प्रत्याशियों की नियुक्ति,

(15) श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां क्षेत्र में धान व सरसों की फसल में बीमारी,

(16) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान पथ परिवहन निगम के सामान व पुर्जों की अनावश्यक खरीद के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। माननीय सदस्यों को इन पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

पर बिजली के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और जिनका मैंने अपनी व्यवस्था में उल्लेख किया है वह कृपया जब भी संकल्प आये बिजली बोर्ड की साख सीमा बढ़ाने का, उस समय यदि बोलेंगे तो उनको ज्यादा समय मिल सकेगा। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह समय उस वक्त लें।

(17) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले में भारी अकाल के विषय में।

इस विषय पर कल चर्चा हो चुकी है। अतः स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति भी नहीं होगी।

(18) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में शिवाजी पार्क कॉलोनी के मकान वर्षा से गिर जाने के विषय में।

इस विषय पर आज राज्य सरकार द्वारा एक वक्तव्य दिया जा रहा है, अतः इस पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को वक्तव्य के समय बोलने की अनुमति होगी।

(19) श्री मेघराज तावड़ सदस्य विधान सभा की ओर से हाथी बाबू के बाग, जयपुर सीलिंग भूमि पर अवैध कब्जा करने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

मामला व्यक्तिगत है अतः इस पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गई है :—

(1) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद, भीलवाड़ा की कई बस्तियों में सफाई व बिजली न होने के विषय में।

सरकार ने जानकारी दी है कि सफाई व बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। बिजली के लिए एक लाख ग्यारह हजार रुपये का सामान क्रय किया जा रहा है।

(2) श्री त्रिलोकसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से सीकर-रतनगढ़ रूट की बसें अलपसर न जाना। सरकार ने जानकारी दी है कि ग्रामवासियों द्वारा झगड़ा करने व किराया न देने से बसें ग्राम में नहीं जाती है। अनुज्ञा पत्र धारियों को नोटिस दिया गया है।

(3) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा की ओर से-कोलायत तहसील में पाक विस्थापितों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न करवाने के विषय में।

सरकार ने जानकारी दी है कि 1824 परिवारों के लिए नौ डिग्गियां बना कर पानी सुलभ करा दिया गया है। चिकित्सा सुविधा के लिए भारत सरकार से निवेदन किया गया है।

(4) श्री देवीसिंह भाटी व श्री अनंग-कुमार, सदस्य विधान सभा की ओर से भीनासर की गोचर भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा करने के बारे में।

सरकार ने जानकारी दी है कि व्यक्ति द्वारा लगाये गये पौधे हटा दिये गये हैं और अवैध कब्जा तहसीलदार द्वारा हटा दिया गया है।

(5) श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से दौसा को, जिला नहीं बनाने के बारे में।

सरकार ने सूचना दी है कि हाल ही में दौसा में अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित कर दिया गया है। जिला बनाने का मामला विचाराधीन है।

अतः इन स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने का अवसर दिया जायेगा।

(1) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरसी ग्राम की बलाई जाति की 9 वर्षीय बच्ची को फरार कर हत्या करने के विषय में।

(2) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों में बिजली कनेक्शन न देने के बारे में।

(3) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में पानी के बिलों में सिवरेज टैक्स, जयपुर शहर में अपर्याप्त जल-वितरण और परशुराम मार्ग के नुक्कड़ पर स्थित कुएं की सफाई न करने के बारे में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है जिनके उत्तर प्राप्त हो गए हैं—

(1) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाठ्य पुस्तक मण्डल के टोंक डिपो में किताबें उपलब्ध न होने के विषय में।

सरकार ने सूचना दी है कि पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं।

(2) सर्व श्री भूपालसिंह, मेघराज तावड़, त्रिलोकसिंह और फतेहसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से निम्बाहेड़ा में पुलिस फायरिंग से 9 मजदूरों की मृत्यु के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

अब मैं जिस क्रम में माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर दो-दो मिनट का अवसर देने के पूर्व, एक माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज श्री मुराद खां परसों इनके नाम की सदन के अन्दर किसी प्रश्न के उत्तर में चर्चा हुई है उसके सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देंगे। उसके पश्चात् माननीय सदस्यों के जिस क्रम में मैं नाम पुकारूं वह बोलने की कृपा करें।

श्री मुराद खां।

स्पष्टीकरण

श्री मुराद खां, सदस्य, विधान सभा का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री मुराद खां (नगर): माननीय अध्यक्ष

(श्री मुराद खां)

महोदय दिनांक 16-10-84 को कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा जिसके उत्तर में माननीय विधि एवं वक्फ मन्त्री महोदय ने यह बगैर जानकारी के यह स्वीकार किया कि कस्बा भोपालगढ़ में कब्रिस्तान में मेरा कोई नाजायज मकान है। माननीय सदस्य, जो कि लोकदल पार्टी के हैं, काम बोलना या करना है XXX

श्री अध्यक्ष : शब्द को कार्यवाही से निकालें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

कृपया। कृपया। मैंने कार्यवाही से हटा दिया, आप फिर वही शब्द बोल रहे हैं।

श्री मुराद खां : हमेशा असत्य कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो सुबह से शाम तक असत्य कहते हैं और उस असत्य को कुरान की कसम या खुदा की कसम का चूरण देकर के, लोगों को""

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्पष्टीकरण दें, माननीय सदस्य।

श्री मुराद खां : मेरी गुजारिश यह है कि इससे पूर्व माननीय मन्त्री महोदय ने जोधपुर में एक वक्तव्य दिया था वहां पर मियां लोग शायद ज्यादा थे तो आपने शेखी में आकर कह दिया कि वक्फ की जायदादें के ऊपर अगर किसी ने नाजायज कब्जा किया तो उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जायेगा, उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जायेगा। जिसमें मेरा और माननीय श्री इसराऊल हक साहब का नाम भी आया था। इसको अखबार में पढ़ने के बाद मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मिला। मैंने लिखित में दिया कि मुझे आपने राजस्थान वक्फ बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया है जिसके लिये मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं लेकिन विधि मन्त्री महोदय की जो तानाशाही है इसके साथ में नहीं जुड़ सकता, मुझे यह कतई बर्दाश्त नहीं है। मेरा कोई मकान, मेरी कोई दुकान नहीं है और मैं साफ तौर पर यह जाहिर करना चाहता हूं कि मेरे नाम, मेरी औरत के नाम मेरे बेटे के नाम, मेरे बाप के नाम कोई मकान जायदाद इस तरह की न कब्रिस्तान में है, न गैर कब्रिस्तान में है। मुझे आपने आफिस में बुलाया और बुला करके वहां पर एक माननीय सदस्य थे वक्फ बोर्ड के, जो चूरू से हैं उनके सामने आपने कहा, मैं बुजुर्ग हूं; मुझसे गलती हुई है और यह गलती हाजी चाव खां ने मुझ से करवाई है उनको उस उक्त मेरे खयाल से 10-5 गालियां भी इन्होंने दीं और कहा कि इसके लिये मैं आपसे माफी चाहता हूं, यह कागज मुझसे वापस ले जाइये। मैंने कहा, मैं इस बोर्ड में किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगा मुझसे जो कुछ सेवा बन सकेगी मैं बाहर रहकर ही, कर लूंगा इस वक्फ बोर्ड में सदस्य बनने के

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मुराद खां)

जिये मैं पहले भी राजी नहीं था और न अब मैं इसमें रहना चाहता हूं ।

फिर मैं घर वापस आ गया । फिर आपने अपने किसी पी. ए. वगैरह को बुलाकर कहा कि ये कागजात वगैरह को आप दफ्तर दाखिल कर दीजिए, इसमें इनका कोई गुनाह नहीं है और न इस तरह का कोई मकान है ।

दूसरा निवेदन यह है कि—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात नहीं करें, माननीय सदस्य गण ।

श्री मुराद खां : दूसरा मेरा निवेदन है कि कस्बा भोपालगढ़ में जो मकान है मेरा बताया जा रहा है वह मकान मेरे रिश्ते में भतीजे का है । है, इससे मैं इन्कार नहीं करता हूं । वह भतीजा मेरे भाई से अलग रहता है और मेरे भाई से अलग रहता है इसलिए उसके साथ मेरा कोई सीधा सम्बन्ध भी नहीं है ।

तीसरी बात यह है कि वह जगह आज तक भी कब्रिस्तान नहीं है, रिकार्ड में वह जमीन गैर मुमकिन आबादी की है । पंचायत ने सही तरीके से उसको आवंटित किया है मास्टर प्लान के तहत कीमतन उसको आवंटन किया है । जिन को भी आवंटित किया है उनसे भी कीमतन वह जमीन खरीदी गई है । आज भी रिकार्ड में कहीं भी न वह वक्फ बोर्ड की जायदाद है और न ही कब्रिस्तान की जमीन है वह गैर मुमकिन आबादी की जमीन है । इसलिए जिन लोगों ने सही तरीके से वहां पर मकान बनाये हैं वह सही मकान है । इसलिये मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय ने जो मेरे खिलाफ में इस तरह का बयान स्वीकार किया है उससे मेरा और पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । अगर मुख्य मन्त्रीजी मेरी बात को मानेंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिस इन्दिरा गांधी के बलबूते हमारे विधि मन्त्रीजी मन्त्री बने बैठे हैं उसी पार्टी के सदस्यों को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको बर्खास्त करें ।

श्री मुराद खां : मुख्य मन्त्री इस मामले में खुद सोचेंगे ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अगर सही कहानी सारी मुझसे सुनी जाय तो मैं इस विधान सभा में न कह कर माननीय मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह पार्टी की मीटिंग बुलायें । मैं सारी बातें माननीय मन्त्री जी को बयान करूंगा । यह कि पार्टी की कोई बात यहां शोभा नहीं देती है पर बयान करूं मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है ।

दूसरा यह है कि माननीय मन्त्री जी वक्फ बोर्ड में अपने आदमी को चेयरमैन

(श्री मुराद खाँ)

बनाना चाहते थे। मैं अकेला ही नहीं मेरे साथ छः या सात मेम्बर और थे जिन्होंने उस आदमी को चेयरमैन बनाना स्वीकार नहीं किया। आपने बुलाकर कहा कि आप उस आदमी को चेयरमैन बना दें जिसको मैं चाहता हूं। मैंने जवाब दिया कि हमको मुझे और इन सारे सदस्यों को माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने मनोनीत किया है।

मुख्य मन्त्री जी चाहें जिस आदमी को उसका चेयरमैन बना सकते हैं हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर हमें वोट देने का अधिकार मिलता है तो हम चाहेंगे जिस आदमी को ही बनायेंगे आपके कहने से हम किसी भी आदमी को चेयरमैन नहीं बना पायेंगे इस बात पर आप बहुत खफा हुए और आपने कई बातें धमकी भरी भी कहीं यहां तक कि उस बोर्ड को सुपरसीड कर दिया। जब उस बोर्ड को सुपरसीड कर दिया तो जिस व्यक्ति को उसका चेयरमैन बनाना चाहते थे उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में रिट कर दी और उसको मन्जूर भी कर लिया गया है। इससे भी माननीय मन्त्री जी बेहद खफा हैं।

दूसरा आपने भरतपुर में जामा मस्जिद के बारे में जो अभी कहा है, यह सवालात...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया आप, अपने आपको स्पष्टीकरण तक ही सीमित रखें।

श्री मुराद खाँ : मेरा स्पष्टीकरण है, सुनिये।

मेरा यह स्पष्टीकरण ही है। इससे पहले भी पूर्व चेयरमैन....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो अच्छा आप भूमिका बना रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुराद खाँ : वक्फ बोर्ड के पूर्व में चेयरमैन थे उन्होंने जिला भरतपुर की जो कमेटी बनायी थी उसको माननीय मन्त्री जी ने भंग कर दिया। बाद में वहां के विधायक श्री हरिसिंह जी, कांग्रेस के अध्यक्ष श्री होतीलाल जी पाराशर और प्रमुख श्री गिरिराज प्रसाद जी तिवाड़ी और मेरे नाम से एक चिट्ठी निकाली गयी कि वहां की मस्जिद की इन्तजामिया कमेटी के लिए चार आदमियों के नाम का पेनल बनाकर भेजा जाय जिसको हम स्वीकृति देंगे। वैसे यह सही है कि वोर्ड ने पूर्व में जो कमेटी बनाई थी उसको तोड़ने का अधिकार मंत्री जी को नहीं है लेकिन तोड़कर दुबारा जो कमेटी बनाई उससे भी आप सन्तुष्ट नहीं है क्योंकि सही मायने में तो कामां से आने वाले माननीय सदस्य वहां किराया वसूल करने के इन्सपेक्टर के रूप में काम करना चाहते हैं और मन्त्री जी राजस्थान वक्फ बोर्ड के एकमात्र संचालक बनना चाहते हैं। इसलिये सारी जो परेशानियां मुझे हो रही हैं और मेरे खिलाफ जो कुछ कहा गया है वह इसलिए है। यह सारा षड़यन्त्र है। मैं समझता हूं हथियार नहीं है। इसलिए अपना स्पष्टीकरण देते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं।

(व्यवधान)

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा प्रश्न है मैं इसके लिए एक बात....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मैं, माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया है।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : बात खतम हो गयी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहना है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया बैठें। कृपया बैठ जायें। आसन पैरों पर है। मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, वह अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आसन पैरों पर है। मैं आपको अवसर दे दूंगा थोड़ी देर बाद में। मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य मुराद खां ने अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया है। इस स्पष्टीकरण पर वैसे कोई चर्चा नहीं हो सकती लेकिन जैसे विधि मन्त्रीजी के बारे में उन्होंने कहा, यदि उचित समझें तो विधि मन्त्री संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन जहां तक कामां से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न है, उनके खिलाफ कोई ऐसा व्यक्तिगत आरोप किन्हीं घटनाओं से सम्बन्धित करके नहीं किया है इसलिए उनको अवसर नहीं होगा। आक्षेप नहीं लगाये हैं अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : इन्होंने कहा है कि इन्सपेक्टर की तरह किराया वसूल करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कोई अवसर नहीं होगा। कोई आक्षेप नहीं लगाये हैं, अपना स्पष्टीकरण दिया है। विधि मन्त्री जी यदि कहना चाहें संक्षेप में....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, पहले यह चर्चा हो रही है उसके बाद मैं आपको अवसर दे दूंगा। आप बहुत कम अवसरों पर बोलते हैं इसलिए मुझे ध्यान है आपका।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा नहीं सिर्फ एक मिनट का समय आप दे दें उसके बाद मैं मन्त्री महोदय कह दें आप यह कहते हैं, मेरे ऊपर आरोप, मुझे सुबह से शाम तक कुरान....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, बैठ जायें माननीय सदस्य। यह नहीं कि आरोप हों फिर प्रत्यारोप, फिर स्पष्टीकरण यह सिलसिला नहीं होगा। मैंने सर्व स्थिति का लेखा-जोखा करके विधि मन्त्री जी को संक्षेप में अपनी बात कहने का अवसर दिया।

श्री अहमद बक्श सिंधी विधि मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण।

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जहां तक सम्बन्ध है मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और न किसी का नुकसान पहुंचाने की नीयत है।

(व्यवधान)

एक आदमी देता है, एक जिम्मेदार एम० एल० ए० रिपोर्ट देता है कि वक्फ बोर्ड के फलां मेम्बर ने प्रापर्टी पर मकान और दुकान बना लिये मैंने हल्फनामे लिये, उनके बयान लिये। बयान लेने के बाद नोटिस जारी किये। उसकी इन्क्वायरी मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि डिप्टी सैक्रेटरी जो रेवेन्यू सेक्शन के वक्फ डिपार्टमेण्ट का है वह कर रहा है। अब इसके मायने यह नहीं है कि प्राइमाफेसी जब आदमी शिकायत करता है हल्फनामा देता है, तो उसकी इन्क्वायरी करना राज्य सरकार का फर्ज है। अगर राज्य सरकार किसी बड़े आदमी के खिलाफ नहीं कर सकती तो उससे इन्साफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने न एम. पी. देखा, न एम. एल. ए. देखा है न कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति देखा है मैंने उनके खिलाफ कार्यवाही की है, इन्क्वायरी की है। इन्क्वायरी आपके खिलाफ चल रही है इन्क्वायरी का नतीजा क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता इसके मुतल्लिक अब जो चार्ज लगाये हैं मेरे लायक दोस्त ने उसकी शिनाख्त कर ली है। यह कब्रिस्तान अगर वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है तो इसके माने यह नहीं है कि वह वक्फ प्रोपर्टी से खत्म हो गयी। वक्फ प्रोपर्टी कभी....

एक माननीय सदस्य : वक्फ प्रापर्टी है ही नहीं तो फिर कैसे होगी ?

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : जब्त की जा सकती है लेकिन राजपत्र में आया हुआ है। यह मानते हैं कि अगर किसी शख्स ने, किसी अथोरिटी ने अलाट कर दी है तो यह नाजायज है, अलाट करने का किसी को अधिकार नहीं है वक्फ प्रापर्टी के मुतल्लिक उस जगह आपने या यह किसी ने जमीन खरीदी तो वह भी नाजायज है। अब मेरे ऊपर यह चार्ज लगाया गया है कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मैं अपने आदमी को बनाना चाहता हूं यह गलत है चीफ मिनिस्टर साहब से राय लेकर कि क्या करना चाहिये तो मेम्बरों पर हमने छोड़ दिया मेम्बर जिसे चाहें बनायें। लेकिन यह इल्जाम कि यह नाराज हो गये यह सर्वथा गलत है मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और न ही कोई ताल्लुक है। अगर आप दोषी पाये गये तो एक्शन लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री धाराराम,

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह वक्फ प्रापर्टी नहीं है, उसका क्या जिक्र होगा।

आर्डर, आर्डर। इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री चाव खां कृपया बैठ जायें। माननीय सदस्य श्री भैरूंसिंह। आर्डर, आर्डर अब इस पर वापस उत्तर कोई नहीं होगा और न यह विवाद आगे बढ़ाया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : जांच अभी पूरी हुई नहीं, इन्क्वायरी हुई नहीं। बिना दोषी पाये इन्होंने पहले ही कह दिया कि इस पर कब्जा है। जांच अभी पूरी हुई नहीं, इन्क्वायरी हुई नहीं इन्होंने कैसे पहले कह दिया कि यह दोषी हैं, इनका कब्जा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस मामले को किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं। स्पष्टीकरण था, माननीय सदस्य ने दे दिया। मैंने अवसर दिया मंत्री महोदय को उन्होंने अपनी बात कह दी। इस पर चर्चा समाप्त होती है। आर्डर, आर्डर।

श्री धाराराम। कृपया शान्ति से सुनें।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री जो वास्तव में बड़े विधिवेत्ता हैं बड़े विद्वान हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप किस विषय पर बोल रहे हैं पहले आसन को समझाइये।

श्री धाराराम फुलवारिया : मैं तो मेरे सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, 29 अगस्त की बात है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, माननीय सदस्य। माध्यम या कारण क्या है आपके यहां इस वक्त बोलने का ?

श्री धाराराम फुलवारिया : इसी विषय पर मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण ?

श्री धाराराम फुलवारिया : जी हां।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पहले आप मेरे ध्यान में लाइये कि कौन से आक्षेप आपने लगाये थे।

श्री धाराराम फुलवारिया : आपकी अनुमति से मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, ऐसा है कि आप....

आर्डर, आर्डर कृपया शांति से सुनें। पहले आप कष्ट करें मेरे वेश्म में पधारने का। मैं आपकी बात सुनूंगा उसके पश्चात् यदि कोई आवश्यकता समझूंगा तो आपको अनुमति दे दूंगा।

श्री दीपेन्द्रसिंह : यह बहुत कम बोलते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। इनके साथ सहानुभूति है जितनी देर बोलना चाहेंगे लेकिन पहले मैं अपने,

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

बिना विषय के नहीं, माननीय सदस्य। अगर इनका औचित्य बनता है तो इनको दो मिनट क्यों दो घण्टे भी दिये जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। आर्डर, आर्डर। मन्त्रियों पर इस तरह से चर्चा नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। सबसे पहले जिन स्थगन प्रस्तावों पर मैंने व्यवस्था दी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): मोशन आफ प्रिविलेज, सर।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपको नियम 157 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का एक मामला प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: उनके तो नियम हैं। समय पर होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: वह सही है लेकिन अभी नियम हैं, अध्यक्ष महोदय, इमीजिएटली हाउस में जो पोजीशन क्रियेट हुई है....

श्री अध्यक्ष: उसके लिये प्रक्रिया के नियम हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: नियम हैं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन नियम यह भी है कि हाउस में यदि इमीजियेट कोई आकरेन्स इस तरह की हो तो उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: सदन तो प्रत्यक्षदर्शी है उसका ध्यान आकर्षण की क्या प्रक्रिया होगी, इस विषय पर वह पहले पूरी कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं बिल्कुल प्रक्रिया के अनुसार बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: उस प्रक्रिया को पहले पूरा कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं बिल्कुल प्रक्रिया के अनुसार ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप केवल नियम पढ़ दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं नियम पढ़ देता हूं, अध्यक्ष महोदय। नियम यह है कि विधान सभा में कोई आदमी ऐसा मामला नहीं उठायेगा जो Subject of adjudication before a Court of law or any statutory body. हो।

यह नियम है। आप नियम देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष: नियम कौन सा है? नियम तो बताओ आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं नियम बता रहा हूं, 157। आप नियम देख लीजिए। जनरल रूल है। तीन तरह की व्यवस्था है

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

मोशन मूव करने के सम्बन्ध में इसमें लिखा है :

It shall not relate to a matter which is under adjudication by a Court of law having jurisdiction in any part of India.

इसी में जनरल डिबेट जो रूल हैं, जनरल डिबेट के रूल में हैं कि कोई मामला जिसमें व्यक्ति इनवॉल्व हो और मामला किसी ट्रिब्यूनल या किसी के सामने हो तो उसको रेफर नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने एक ऐसा प्रसंग उठाया जिसका उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है और जांच डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय ने एक बात कही वह भी आपत्तिजनक है कि मैंने हलफनामा लिया है। मंत्री जी को हलफनामा लेने का कोई अधिकार नहीं है किसी कानून के अन्तर्गत नहीं है। यह तो विधि मंत्री हैं और खुद स्वीकार कर लेंगे कि उनको हलफनामा ...

श्री अहमद बक्श सिंधी : हलफनामा दिया है, मैंने मांगा नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने कहा है कि हलफनामा लिया है। यह कहा था।

श्री अहमद बक्श सिंधी : दिया है। आपने सुना नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, खैर, वह अपने आपको करेक्ट कर लें इसमें, बहुत अच्छी बात है। इनकी आदत भी बहुत अच्छी है कि गलती करते हैं और फट उसको दुरुस्त कर लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा प्रसंग जिस प्रसंग के अन्दर एक सदस्य स्वयं इन्वाल्व हो और उस इनवाल्वमेन्ट के सबंध में, जैसा मन्त्री जी ने कहा उस मामले की जांच हो रही है। उस प्रकार का प्रश्न इस सदन में नहीं उठाया जा सकता। माननीय सदस्य ने इस प्रकार का प्रश्न उठाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है और यह कार्यवाही विशेषाधिकारों के प्रसग में आती है।

श्री अध्यक्ष : हां; इसमें अध्यक्षीय व्यवस्था यह है कि विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। कृपया पहले प्रस्ताव अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करें और फिर उसकी जांच करेंगे सभी पक्षों की ओर से, तत्पश्चात् अनुमति दी जा सकती है कि इसको सदन के समक्ष लाया जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसी हाउस में किया है श्री देवीसिह जी भाटी के मामले में।

श्री देवीसिह भाटी : ऐसी क्या स्थिति बनी थी कि उसी वक्त हाउस एडजार्न कर दिया था ?

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसा है, आसन

(श्री अध्यक्ष)

को ऐसी अनुमति देने का अधिकार है कि तत्काल स्वीकृति दे दी जाये। लेकिन यह विषय ऐसा है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही अनुमति चाह रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, इसमें अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। कृपया अपनी जानी मानी नियमों के अनुसार प्रक्रिया है उसको अपनायें, यह मेरा कहना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देवीसिंह जी भाटी के खिलाफ जिस तरह से आपने अनुमति दी उसी प्रकार की अनुमति चाहते हैं हम।

श्री अध्यक्ष : उस सम्बन्ध में आप यह आपत्ति उठाते तो उस पर व्यवस्था····

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : आपत्ति उठाई थी, साहब।

श्री अध्यक्ष : उठाई होगी। अब उस दिन की प्रक्रिया उस दिन की बात है। क्या प्रक्रिया हमने अपनाई थी, क्या प्रक्रिया नहीं अपनाई थी जुबानी माननीय सदस्यों को और पीठासीन व्यक्ति····

श्री नाथूसिंह : माननीय सदस्य, नहीं, याद है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं तो भुगत भोगी हूं, मुझे याद है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह मैं आपको निवेदन करूं कि आसन को अधिकार है, नियमों में ढील देकर भी किसी प्रस्ताव को लाने की। मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित करके उसके बाद में, मुझे ऐसा याद पड़ता है, कोई प्रस्ताव आया था और तत्काल उसको विचारार्थ लेने की स्वीकृति दी थी। जो अध्यक्षीय व्यवस्थायें होती हैं, उस समय विचारार्थ विषय होते हैं उस सम्बन्ध में····

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, आप चाहते हैं कि हम वैसा ही वातावरण बनायें जिससे सदन को स्थगित करना पड़े।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि आप ऐसा समझते हैं तो लिखकर ऐसा प्रस्ताव दे दीजिए। मैं उस पर विचार कर लूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : कार्यवाही स्थगित कर दीजिये उसके बाद हम प्रस्ताव पेश कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विषय में भी आपने तुरन्त एडजोर्न किया था हांलाकि उस वक्त ऐसी कोई गोली नहीं चल रही थी, खत्म नहीं हो रहे थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा निवेदन है कि समय का सदुपयोग करें, बहुत से माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव हैं। नियमों में कुछ छूट देकर भी मैं चाहता हूं कि अलग-अलग तरीके के विषय लें,

Page No 108

(श्री अध्यक्ष)

आप दूसरा विषय ला रहे हैं तो जिन विषयों पर पूर्व में आपने सूचना दी है मैं चाहता हूं कि उन विषयों पर अल्पकाल की चर्चा हो जाये। इसमें व्यर्थ में अपना समय नहीं जाये इसलिए जिस क्रम में मैं माननीय सदस्यों का नाम पुकारूं कृपया....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं आपको अवसर नहीं दे सकता स्पष्टीकरण का। यदि आप यह सोचते हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है इस पर।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है।

मैं माननीय सदस्य हाजी चाब खां साहब को निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपको कुछ आपत्ति है या स्पष्टीकरण देना है तो कृपया आप मुझे लिखित में दे दीजियेगा। थोड़ी देर बाद में उसका अध्ययन करके यदि स्पष्टीकरण जरूरी है तो मैं कार्यवाही मंगवा लूंगा। उसके अंशों को पढ़ लूंगा खुद, आपको भी पढ़ा दूंगा और उसके बाद भी आप सन्तुष्ट नहीं होंगे तो मैं आपको अवसर दे दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री चाब खां : मैं सीधा आरोप लगाऊंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर विवाद नहीं होगा। अंकित न हो।

श्री चाब खां : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया मुझे माफ करें। आप मुझसे मिल लीजिए। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आपको अवश्य अवसर दे दूंगा लेकिन ऐसी बात मेरे ध्यान में आई नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। वह चर्चा का विषय नहीं है। कृपया बैठ जायें। उस पर चर्चा नहीं होगी।

आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया....

श्री देवीसिंह भाटी : सदन के अन्दर बताया कि किरायेदारी वसूल करने वाले इन्सपेक्टर के खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैंने निवेदन किया....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर उन्होंने आरोप लगाया कि माननीय सदस्य जो कामां से आने वाले हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो आरोप लगाये आप और कह रहे हैं उन बातों को। इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो आपका स्वागत है घण्टे भर बाद मेरे पास आ जाइये।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

विपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, घण्टे भर में दिक्कत हो जायेगी। एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। आज भी हाजी साहब ने आरोप लगाया। यदि उनका उत्तर नहीं आता है और वह मामला सारा प्रेस में छप गया तो फिर स्पष्टीकरण का क्या मतलब है।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं कि सदन की कार्यवाही को हम देर से भी देख सकते हैं। मैं अभी एक घण्टे के भीतर देखकर यदि कोई बात है तो आज सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व माननीय सदस्य को अवसर दे दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : फिर तो प्रेस में चला जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जो होगा वह छपेगा उससे पहले नहीं। आर्डर, आर्डर। चर्चा नहीं होगी इस पर। मैं पहले सदन की जो कार्यवाही है और हमारे यहां जो अंकित किया गया है उसको देखूंगा, उसके बाद में अपना विनिश्चय दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मानसिक पीड़ा से इनको कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? इनको भयंकर मानसिक पीड़ा हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जायें। मैंने आपको निवेदन कर दिया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैंने आपको निवेदन कर दिया, आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, सायंकालीन पत्र दो बजे तैयार हो जाते हैं, उसमें चली गई तो फिर ?

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सामने, सदन के सामने एक प्रश्न आया, माननीय हाजी चाव खां जी ने एक आरोप लगाया प्रश्न के जरिये ...

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : चर्चा नहीं मैं पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। सदन के सामने जो बातें गुजरी हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे पूरा निवेदन करना है, साहब। let me....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। पहले नियम बतायें। क्या पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : let me complete sir। आप बिराजें।

श्री अध्यक्ष : कम्पलीट नहीं, आप पूरी बातों को दोहराना चाहते हैं। पाइन्ट आफ आर्डर कौन से नियम का उल्लंघन हो रहा है ? कौन से नियम में है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ कि एक ने आरोप लगाया और एक का उत्तर आ गया। दोनों में बड़ा विरोध है। अब सदन के सामने यह प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : यदि यही आपका पाइन्ट आफ आर्डर है तो मैंने व्यवस्था दे दी है कि मैं कार्यवाही को देख कर अभी एक घण्टे में....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह सवाल नहीं है साहब। हाउस के सामने दो बातें आ गईं। माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह बात सही नहीं है और दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि यह सही है। अब दोनों बातों के बारे में वे स्पष्टीकरण दें या न दें, यह अलग बात है लेकिन हाउस के सामने यह बात खड़ी हो गई तो यह क्लियर तो हो न।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इनको भयंकर मानसिक पीड़ा हो रही है मैं इनकी आदत से परिचित हूं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री चाव खां : XXX

किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 111

(श्री राज बहादुर)

महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर के जरिये नियम 273 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें साफ लिखा है :

No allegation of a defamatory of incriminatory nature shall be made by a member against any person.

यह साफ कहा गया है कि माननीय सदस्य ने कहा कि X बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : शब्द को मैंने कार्यवाही से निकाला है, मैं आपको याद दिला दूं। भाषा में संयमता माननीय सदस्य कई दफा बहुत कम बरतते हैं।

(व्यवधान)

अगर वह अकेली बात होती तो मैं नहीं कहता। यह चीज उसी वक्त मेरे ध्यान में आ गई और जो शब्द थे, या उनके खिलाफ थे, उनको कार्यवाही से निकलवा दिया है। उसके बाद भी कोई शिकायत होगी तो देख लेंगे।ooo असंसदीय हो जाता है और असंसदीय होता है तो वह संसदीय हो जाता है। उसके बाद हम, निर्णय देते है, स्पष्टीकरण का अवसर भी देते हैं फिर भी. मैंने कह दिया है कि कोई भी शिकायत हो मेरे से मिल लें। सदन की कार्यवाही है, इसको देख लूंगा। उसके बाद में सीमित मायने में मैं अवसर भी दे सकता हूं। लेकिन यह नहीं कि चार का जवाब आ जाय और उसके बाद चार और पूछ लें और फिर उसके उत्तर में आठ का जवाब आ जाय। सदन का पूर्व निश्चित कार्यक्रम चलता रहे; अब मैं और आगे अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

मैं देख लूंगा, जो कार्यवाही है सदन की, मैं सामने मंगवा लूंगा और उसके बाद सीमित मायने में मैं स्पष्टीकरण की इजाजत दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय***

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री यदुनाथ सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : अब आप ऐसी बात दोहरा रहे हैं, फिर आपत्तिजनक हो सकती है। मैं इसे चर्चा का विषय नहीं लूंगा और यह अब मेरे विवेक का प्रश्न होगा। अब मैं जो आज की कार्यवाही है***

(व्यवधान)

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात***

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री चाव खां : XXX

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

ooo माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : नियम बहुत कठोर है सभा के ।

अंकित न हो ।

श्री चाव खां : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । अंकित न हो ।

श्री चाव खां : XXX

(श्री चाव खां का सदन में धरना ।)

अनेक माननीय सदस्य : दो मिनिट का अवसर दे दें, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : जिन बातों का स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, उस पर ही मैं अनुमति दे सकता हूं लेकिन इसके पीछे मुझे डर यह है कि चार बात और माननीय सदस्य पूछेंगे । आरोप यदि हों और उनका स्पष्टीकरण यदि देना चाहें, ऐसी स्थिति में मैं सीमित मायने में अवसर दूंगा ।

अनेक माननीय सदस्य : अवसर दे दें, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : मैं थोड़ी देर बाद अवसर दे दूंगा । आप ऊपर बिराजें ।

(व्यवधान)

(श्री चाव खां का धरना समाप्त ।)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, लोक दल में फूट पड़ गई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा । माननीय चाव खां जी आपको अवसर दे दूंगा, आप कृपया बिराजें । आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

लेकिन शर्त यह है कि किसी भी तरीके का आरोप अन्य माननीय सदस्यों के विरुद्ध नहीं लगायेंगे, अपना स्पष्टीकरण देंगे कि मेरे विरुद्ध यह जो बात कही गई वह सत्य है या असत्य है । इस तक सीमित रखते हुए और संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए ही आप अपनी बात कहेंगे ।

श्री चाव खां ।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल आरोप नहीं लगाना चाहता हूं । बड़े किसानों ने जो गलतियां की हैं, न मैं उनका नाम लूंगा और न आरोप लगाऊंगा । इन्होंने मेरे खिलाफ यह बात कही है कि सुबह से शाम तक इनका काम०००बोलने का है । दूसरी बात जो है, वह यह है कि यह

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

००० शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

Page No 113

(श्री चाव खां)

कब्रिस्तान का मामला है, मैं सदन के अन्दर यह वायदा करता हूं और खुदा को हाजिर-नाजिर करके कहता हूं कि आप एक कमेटी बना दीजिये पांच आदमियों की जिसमें कांग्रेस के सदस्य हों, अगर इन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर मकान नहीं बनाया है और जो दुकानों की बात है वह बात नहीं हो तो आज ही आप जाकर देख लीजिये वहां पर पट्टियां पड़ी हुई हैं....

(व्यवधान)

और वे लोग इस बात को कह दें कि यह बात नहीं है तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा और आपको यहां आकर सदन में शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : ये आरोप लगा रहे हैं या स्पष्टीकरण दे रहे हैं ? यह स्पष्टीकरण नहीं है। (1.00 म. प.)

अध्यक्ष महोदय, फिर उनको स्पष्टीकरण देने की इजाजत देनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगा रहे है फिर उनको भी स्पष्टीकरण का मौका देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

यह कोई तथ्य की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें।

आपने स्पष्टीकरण इस बात का चाहा था कि आप पर यह आरोप उन्होंने लगाया कि....

(व्यवधान)

एजेन्ट वाली बात भी कही थी और यह भी कहा कि आप असत्य भाषण करते हैं। जहां तक किसी व्यक्ति अथवा किसी माननीय सदस्य के अवैध कब्जे की बात है; वह बात आपने पूर्व में कह दी।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय ने उस पर वक्तव्य दे दिया। स्पष्टीकरण में, मुराद खां ने बात कह दी। उसके पश्चात् मन्त्री महोदय ने और कह दिया। तो वह तो वही वाद-विवाद का विषय है। उसके बारे में कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। असत्य भाषण के बारे या आपके चरित्र के बारे में यदि कोई बात कह दी हो तो उस बात का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। जमीन और मकान वाले मुद्दों में आप कृपया न जायं। कोई नया आरोप किसी माननीय सदस्य अथवा मन्त्री महोदय अथवा अन्य किसी के खिलाफ न लगायें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। मैं अंकित नहीं कराऊंगा। यदि इस सीमा को लांघेंगे तो बाध्य होकर अंकित न करने के आदेश देने पड़ेंगे।

श्री चाव खां : मैं, अध्यक्ष महोदय, जो कह रहा हूं, कोई लालच वाली बात नहीं है, कोई आरोप वाली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपकी दृष्टि में नहीं होगी लेकिन कृपया इससे बचकर बातें कहें।

श्री चाव खां : सवाल इस बात का है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसमें मैं कितनाXहूं, जैसे मुझे सदन मेंXऔर सुबह से शाम तक का बताया, इसके मामले में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह साबित कैसे होगा। मैं कांग्रेसी सदस्यों की पांच आदमियों की कमेटी बनाने के लिये कह रहा हूं। वह भी विपक्ष वालों की नहीं कह रहा हूं वह इस बात को साबित कर दे कि मैंXहूं तो मैं कसम खा कर कहता हूं इस्तीफा दे दूंगा और आपको सदन में आकर शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यह मेरा वादा है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इन्होंने जामा मस्जिद के बारे में कही। दूसरी बात जो है वह जामा मस्जिद के बारे में कही है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। उन्होंने क्या कहा है आपके सम्बन्ध में, जो कुछ कहा है उसी के सम्बन्ध में कहें केवल।

श्री चाव खां : हां उसी के सम्बन्ध में।

यह कहा है मंत्री महोदय और कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने आप देख लेना यह बात कि यह खुदXबनना चाहते हैं जामा मस्जिद के। वह जो लिस्ट इन्होंने बनाई जो सब कमेटी बनाई, उसके अन्दर मैंने कोई दखल नहीं दिया। जो गलत काम किया है मंत्री महोदय ने उसको स्वीकार किया। 70 हजार की जो रकम ली और मंजूरी के, उसमें ये लोगXगये फिर साले को इन्होंने उसका चेयरमैन बनाया....

(व्यवधान)

एक मिनिट के लिये और अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही म. प. 1-05 बजे आधा घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

विधान सभा की बैठक म. प.
1.36 बजे पुनः प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे उनको मैं नाम पुकारूंगा।

श्री मुराद खां (नगर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे खिलाफ माननीय सदस्यों ने अपनी सफाई में जो आरोप लगाये हैं उनके सम्बन्ध में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि मैंने कोई इस तरह का मकान नहीं बनाया है। फिर भी इन्होंने कहा, अगर मैं दोषी नहीं पाया जाऊं तो पता नहीं क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।....

श्री मुराद खां : मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री को निवेदन किया है, मेरी जांच वक्फ बोर्ड से किसी को भेज कर न करायी जाये। मेरी जांच आई. पी. एस. आफिसर से करा लीजिये चाहे जिला भरतपुर के जिलाधीश से करा लीजिये। आज उनकी न्याय प्रियता और ईमानदारी के ऊपर कोई आदमी शक नहीं कर सकता है। इसलिये मेरी जांच उनसे करायी जाय। माननीय विधि मंत्री जी ने जो गलत स्टेटमेन्ट दिया है उसके लिये उनको खेद व्यक्त करना चाहिये।....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा गंभीर है। विधान सभा के माननीय सदस्य मुराद खां के सम्बन्ध में जिस प्रकार परसों के दिन मन्त्री महोदय ने बयान दिया था उसमें यह स्पष्ट है कि उन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है। सही मायने में सदन के सदस्य के प्रति यह बेइन्साफी है। मन्त्री महोदय को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिये, क्या मुराद खां दोषी है या नहीं है, क्या जमीन पर कब्जा किया है या नहीं किया। मंत्री महोदय को अपना बयान वापस लेना चाहिये।....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, अखबार में हमने पढ़ा है; विधि मन्त्री ने कहा है कि जांच की जो रिपोर्ट आयी है उसके मुताबिक मुराद खां का कब्जा है उसके ऊपर। अभी कुछ देर पहले विधि मन्त्री कह रहे थे, मैंने ऐसी बात नहीं कही। स्थिति क्या है.... ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला गलत फहमी में चल रहा है इसके मुताबिक प्रोसिडिंग्स मैंने अभी पढ़ ली है, 16 तारीख की। उसके अन्दर यही लिखा है जो मैंने आज कहा है। मैंने यह कहा है कि एक ऐसी शिकायत आई है मेरे पास, राज्य सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी है कि अमुक आदमियों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं। कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड की दफा

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

43,44 के अनुसार लाजमी तौर पर उसकी इन्क्वायरी की जानी चाहिये। इन्क्वायरी करता है वक्फ बोर्ड। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड का सदस्य है तो उसकी इन्क्वायरी राज्य सरकार करती है; आया वह वक्फ बोर्ड का मेम्बर रहने के लायक है या नहीं। इस संदर्भ में शिकायत आयी, उसकी इन्क्वायरी चल रही है। शिकायत यह आई है कि उन्होंने कब्जा किया है, शिकायत यह आई कि उन्होंने मकान बना लिया है। राज्य सरकार को नहीं मालूम, जाती तौर पर, इन्क्वायरी से जो नतीजा निकलेगा, उसके मुताबिक कार्यवाही होगी। इसके अलावा कोई बयान ऐसा मैंने नहीं दिया है जिसमें यह कहा हो कि अमुक आदमी ने, अमुक मेम्बर ने नाजायज कब्जा कर लिया है। ऐसा बयान अगर देता तो इन्क्वायरी के मायने क्या हैं? अगर यह बात राज्य सरकार पहले कह दे कि कब्जा कर लिया तो इन्क्वायरी बेमानी होती है। जब तक इन्क्वायरी न हो राज्य सरकार यह नहीं कह सकती है कि इन्होंने कब्जा किया हैं या नहीं किया है। यही मेरा मतलब था। यह मेरा बयान है जो मैंने पढ़ा है। सदन की कार्यवाही जो लिखी हुई है वह आप पढ़ कर सुना दीजिये ताकि गलत फहमी दूर हो जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के बयान के बाद निश्चित, नितान्त रूप से यह प्रकट हो रहा है, मंत्री महोदय ने इन्क्वायरी करने से पूर्व ही अपना डिसीजन दे दिया कि माननीय सदस्य ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर रखा है। मंत्री महोदय ने यह जानकारी करने की तकलीफ नहीं की कि रेवेन्यू रिकार्ड में यह जमीन आबादी में दर्ज है या कब्रिस्तान में दर्ज है। मैं थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं, यह साफ है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके द्वारा मन्त्री महोदय....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसे चर्चा का विषय बना रहे हैं? फिर तो हम भी बोलेंगे साहब आप यदि इनको चर्चा की अनुमति दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैंने अवसर दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सबको अवसर दीजिए फिर....

(व्यवधान)

तय कर लीजिए आप, फिर तो हम भी बोलेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : फिर तो हम भी चर्चा में भाग लेना चाहेंगे....

श्री अध्यक्ष : मैं स्थिति देख लूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं तो कानूनी मुद्दा उठा रहा हूं, मेरा कोई इस ढंग से वह नहीं है। बिना इस प्रकार की जानकारी करने की तकलीफ किये कि यह जमीन आबादी में दर्ज है या कब्रिस्तान में दर्ज है,

(श्री हरीसिंह)

बयान दे दिया पहली बात। दूसरी बात उस जमीन के इर्द-गिर्द पचास पट्टे अब के सरपंच ने नहीं, वर्तमान सरपंच ने नहीं इनके पहले के भूतपूर्व सरपंच ने पट्टे जारी किए? उस समय जनता पार्टी का शासन था। उन्होंने एक नहीं 50 पट्टे जारी किए और 50 मकान वहां बन चुके हैं। इस प्रकार के कोई कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जे वाली बात नहीं कह सकते। अगर कोई कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया है तो ग्राम पचायत ने किया है, वहां के सरपंच ने किया जिसने पट्टे जारी किए हैं न कि उस आदमी ने किया है। लीगल उस पर कब्जा है, कानून पूर्वक उस जमीन में प्रवेश किया है, हम सभी ने उस जमीन पर मकान बनाये हैं, पंचायत के पट्टे देने के बाद मकान बनाये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): जहां पर कब्रें बनी हुई हैं उसी को कब्रिस्तान कहेंगे। क्या यह बात दर्ज हुई है कि नहीं। जहां कब्रें बनी हुई हैं उसे कब्रिस्तान ही कहेंगे....

श्री हरिसिंह: जब से टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ है, राजस्थान सरकार यह बताये, राजस्थान में एक भी कब्र जहां बनी हुई है वहां कब्रिस्तान दर्ज है और जहां कब्रिस्तान दर्ज नहीं है उसको किसी भी प्रकार से कब्रिस्तान कहने की बात नहीं कर सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह: कैसे नहीं कर सकते ...

श्री अध्यक्ष: विधि मन्त्री जी।

श्री अहमद बक्श सिंधी: अध्यक्ष महोदय, कोई जायदाद अगर रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज हो गयी है और दरअसल मौके पर कब्रिस्तान है तो राज्य सरकार का यह आदेश है कि वह रेवेन्यू रिकार्ड दुरुस्त किया जाये और कब्रिस्तान उसकी जगह लिखा जाय। अगर कोई जायदाद वक्फ बोर्ड में भी दर्ज नहीं है और वह वक्फ प्रोपर्टी है और कब्रिस्तान है तो उसकी किस्म नहीं बदल सकती है।

एक माननीय सदस्य: मौके पर कब्रिस्तान कहां है।

श्री अहमद बक्श सिंधी: अगर कोई सरपंच ने पट्टे दे दिये हैं तो नाजायज हैं। कानूनन कोई हक नहीं है सरपंच को या किसी को....

श्री हरिसिंह (महुआ): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य इसी विधान सभा के सदस्य हैं। लोकदल से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, दो साल पहले पट्टे दिये गये हैं। हकीकत यह है, विधि मन्त्री जी, चुनाव का वक्त आ रहा है और इस तरह से माननीय सदस्य को बदनाम किया जा रहा है। चुनाव का वक्त है और चुनाव में माननीय सदस्य को बदनाम करके उनके खिलाफ साजिश की जा रही है।

श्री अहमद बक्श सिंधी: बदनाम करने का कोई ख्याल ही नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : विधि मन्त्री जी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य को गुमराह कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं।....

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की केवल मात्र कम्पलेंट आयी थी। माननीय मंत्री जब सदन के अन्दर जवाब दे रहे थे, क्या उनके विभाग के रिकार्ड में उनके नाम का वेरीफिकेशन करने का है? किसके नाम का पट्टा है या किसके नाम मकान है? क्या कोई नोटिस जारी हुआ मुराद खां के नाम? उनके नाम नोटिस जारी नहीं। किसी ने एक कम्पलेंट दे दी उस पर उन्होंने कह दिया। जांच की बात तो बाद की है उसके पहले कह दिया उस पर कब्जा है। विधान सभा के अन्दर सब सदस्यों ने सुना है, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि माननीय मुराद खां का कब्जा है।

यह जो बात सदन में इन्होंने कही, यह वापस लेनी पड़ेगी, अध्यक्ष महोदय। इनके रिकार्ड में यह बात सच नहीं है। रिकार्ड को देख कर ही जवाब दें। यह बात उचित नहीं है, अध्यक्ष महोदय, बिना रिकार्ड देखे अगर मंत्री जवाब दे देते हैं तो बहुत गलत बात है। यह सदन का अपमान है, अध्यक्ष महोदय। यह सदन का अपमान है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री बिना रिकार्ड देखे जवाब दें....

श्री पोकरराम (टोंक) : मंत्री महोदय, विधि मंत्री हैं और वक्फ बोर्ड मंत्री भी हैं। इनको जो भी बयान देना हो सोच समझ कर देना चाहिए। किसी भी विधायक के खिलाफ कोई भी दरख्वास्त आ सकती है। दरख्वास्त का मतलब यह थोड़े ही है कि मंत्री यह कह दें कि उस पर कब्जा है। इन्क्वायरी होने के बाद में कहना चाहिये। यह तो विधि मंत्री हैं, विधि मंत्री खुद कानून बनाते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए बोलते समय कि हाउस में क्या कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री सूर्य कुमार।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसला आज अपनी विधान सभा के सामने है जो मसला विधान सभा के सामने है उसमें इसी सदन के माननीय तीन सदस्यों, जिनमें एक माननीय मंत्री महोदय भी हैं, के कुछ कथन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है।

एक प्रश्न के जवाब में माननीय विधि मंत्री ने सम्भवतः परसों या उसके एक दिन पहले यह कहा था कि कोई इस प्रकार का एक आरोप माननीय सदस्य श्री मुराद खां के विरुद्ध उनके सामने प्रस्तुत हुआ था। उस आरोप की इन्होंने कोई जांच करवायी। यह जांच हुई उसके आधार पर श्री मुराद खां का उस कब्रिस्तान की जमीन पर या वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण होना पाया जाता है। साथ ही यह भी माननीय विधि मन्त्री ने कहा कि उसकी जांच भी हम करवा रहे हैं। ये दोनों बातें माननीय विधि

Page No 119

(श्री सूर्य कुमार)

मंत्री जी को भ्रामक है। भ्रामक इसलिए कि अगर उसकी जांच जारी है तो फिर किस आधार पर आप एक प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते यहां पर यह वक्तव्य दे रहे हैं कि श्री मुराद खां ने उस पर अतिक्रमण किया है? अगर जांच जारी है तो केवल एक इतनी सी बात यहां पर सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते आपको कहनी चाहिए थी कि इस सम्बन्ध में जांच जारी है और जैसे ही जांच के परिणाम निकलेंगे, उसके निष्कर्ष निकलेंगे उसके बाद यह सुनिश्चित हो सकेगा कि श्री मुराद खां ने उस पर अतिक्रमण किया या नहीं। आपने जांच की नहीं और जांच का कोई नतीजा आपके सामने है नहीं, जांच का नतीजा इसलिए भी नहीं है कि माननीय सदस्य, श्री हरिसिंह ने अभी अभी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इस विधान सभा को सूचित किया है कि जो सम्बन्धित पंचायत है, उस पंचायत ने उनको पट्टा दिया है। उनके पास में किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त है उस अधिकार के आधार पर ही उन्होंने उस पर कोई मकान या किसी दुकान का निर्माण किया है। तो इन सारे तथ्यों को इस सदन से क्यों छिपाया गया उस दिन माननीय मंत्री महोदय के द्वारा यह भी समझ में नहीं आ रहा है। सारी स्थितियों को देखते हुए मैं बहुत गम्भीरतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय विधि मंत्री के पास में, माननीय वक्फ मंत्री के पास में यह जांच न रह कर या तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वयं इस जांच को करें या, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही इस सदन की कोई समिति नियुक्त करें ताकि एक जो भ्रम यहां फैल गया है, श्री मुराद खां ने जैसा कि आरोप लगाया है, माननीय विधि मंत्री उनके विरुद्ध किसी न किसी प्रकार से प्रिज्युडिस्ड हैं। माननीय चाव खां है, उन्होंने आरोप लगा कर कहा कि अगर वह सही नहीं हो तो वह इस्तीफा दे देंगे अपने इस पद से, जांच करा लें तो यह भ्रम भी दूर हो जायेगा, सारी स्थिति साफ हो जायेगी और इस प्रकरण की सत्यता सामने आयेगी। इसलिये मैं बहुत गम्भीरता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि या तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इसमें हस्तक्षेप करें और या अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इसमें हस्तक्षेप करने की कृपा करें ताकि इस विधान सभा के सदस्य जो एजीटेटेड फील कर रहे हैं, एक सदस्य की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करने की बात महसूस कर रहे हैं उनकी भावनाओं के साथ में आप कोई न्याय कर सकें। धन्यवाद।

श्रीमती कमला (ऊर्जा मन्त्री) : मैं एक निवेदन करना चाहती हूं, विधि मन्त्रीजी ने अभी तमाम सदन के सामने अपना एक बयान पहले इन्होंने जो दिया था उसमें संम्भवतः संशोधन मान लेना चाहिए अगर कोई गलती से बात की है तो। उन्होंने यह कहा है अभी खास तौर से....

(व्यवधान)

सुनिये ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विधि मन्त्री, स्वयं कहें।

श्रीमती कमला : आप पहले से ही क्यों बोल रहे हो....

(व्यवधान)

मैं क्या कहना चाहती हूं आप एक लाइन से ही समझ लेना....

(व्यवधान)

मेरा आपसे यह निवेदन है कि अभी विधि मन्त्री जी ने यह कहा है कि अगर जांच के पहले ही सरकार यह कह देती है कि इसने कब्जा कर रखा है या नहीं कर रखा है तो जांच का कोई तात्पर्य नहीं है। मैंने यही कहा है कि जांच के बाद ही यह तय हो पायेगा कि कब्जा है या नहीं है, कोई गुनाहगार है या नहीं है। इसलिए अगर पूर्व में प्रोसीडिंग्स में इस तरह की कोई बात है तो विधि मंत्री जी कहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें। आर्डर आर्डर। श्री आत्मा राम....

एक माननीय सदस्य : विधि मन्त्री को कहना चाहिए कि वे अपने शब्द वापस लें...

श्री आत्मा राम चौधरी (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में विधि मन्त्री जो का खुद का भाषण है वही एक तरह भ्रमपूर्ण है। वे एक तरफ तो कह रहे हैं कि यह कब्रिस्तान की जमीन नहीं है वह रेवेन्यू रिकार्ड की जमीन है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कब्जे के मुताबिक उसको कब्रिस्तान मान रहे हैं जबकि वहां पर पट्टे कटे हुए हैं। फिर उनके पास कौनसा तरीका है जिसके अनुसार वे उसको कब्रिस्तान की जमीन मान रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि वह रेवेन्यू की जमीन है और दूसरी तरफ कहते हैं कि वह कब्रिस्तान की जमीन है जबकि पांच सात को पट्टे दिये हुए हैं तो वह कब्रिस्तान की भूमि कैसी हुई? किस बिना पर आप वक्तव्य दे रहे हैं? इसके बारे में स्पष्ट करें।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर (खारचो) : अध्यक्ष महोदय, यह सारा झगड़ा इस जड़ से शुरू हुआ कि कब्रिस्तान में आदमी को मर कर कब्जा करना चाहिए और विधि मन्त्री जी कहते हैं कि जिन्दा लोगों ने कब्जा कर लिया है। सवाल इस बात का है कि मन्त्री महोदय ने कहा कि मैंने हलफनामा ले लिया। विधि मन्त्री जी ने एक हलफनामा लेकर किसी जांच के शुरू किये बिना और जांच के शुरू करने से पहले ही इस विधान सभा में यह इकबालियां बयान दे दिया कि फलां सदस्य का उस वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा है। इससे स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि जानबूझकर उस सदस्य से आपने हलफनामा लिया क्योंकि आपने स्वयं स्वीकार किया। उसके बाद किसी के द्वारा हलफनामा देने से किसी को दोषी कहलाते

(श्री भैरोंसिंह गुर्जर)

हैं और आप विधान सभा में इस बात के दोषी हैं। आप कहते हैं कि इसने कब्जा किया है। मैं हलफनामा दे सकता हूं कि विधि मन्त्री जी ने यह गलतियां की है, मैं कोई भी हलफनामा दे सकता हूं, यदि हलफनामें से ही किसी को दोषी करार किया जाय तो यह सर्वथा गलत होगा। अध्यक्ष महोदय, इसका तो निष्कर्ष यही निकलता है, निर्णय यही होता है कि विधि मन्त्री जी खड़े होकर आज यह कह दें कि यह गलत बयान दिया था, कह दें कि मैंने गलती की है। आप अगर इसको स्वीकार कर लें तो सारा सदन उनको माफ करने को तैयार है....

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा हो तो मैं वह प्रोसिडिंग्स का पोर्शन पढ़ कर सुना दूं....

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : सही सही पढ़ना।

श्री अहमद बक्श सिंधी : हां पूरा ही पढ़ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि माननीय सदस्य खुद ने....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, इनको नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से, अध्यक्ष महोदय उनको नहीं पढ़ना चाहिए। इनमें हम विश्वास नहीं करते हैं। यहां पर झूठ मूठ पढ़ देंगे। पर हम विश्वास नहीं करते हैं। यह विश्वास के काबिल आदमी नहीं है। ये मन्त्री महोदय विश्वास पात्र नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप पढ़ लीजिये आपको आपत्ति हैं तो....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ये नहीं बोल सकते। इन्होंने गाली दी है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। यह विवाद का विषय है। मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह उत्तर दिया है इस प्रश्न का 16 तारीख को वह किसी विवाद का विषय बन गया है....

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने रामसिंह जी को गाली दी है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, आपसे पढ़वा दो....

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं। अध्यक्ष महोदय, चाहे आप पढ़ लें लेकिन ये नहीं बोल सकते। आप पढ़ लें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ये झूठ मूठ बोल देंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह : आप पढ़ दें, मदेरणा साहब पढ़ दें, कोई आपत्ति नहीं है....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय

(श्री मेघराज तावड़)

परसराम जी खड़े है वही पढ़ दें तो ठीक है....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह नहीं पढ़ सकते हैं। आप पढ़ दीजिये....

श्री बोपेन्द्र सिंह। हां हां परसराम जी से पढ़ा लें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह क्या मतलब हुआ, यह क्या तरीका हुआ, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चाहे मन्त्री महोदय ने बयान सही नहीं दिया हो क्या आप उनको इस राइट से वंचित करते हैं कि विधान सभा में वे अपनी ही प्रोसिडिंग्स नहीं पढ़ पायें....

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका क्या मतलब होता है सदन ने तो अविश्वास प्रकट कर दिया और आप उस पर मोहर लगा रहे हैं। वे नहीं पढ़ सकते हैं इसका तात्पर्य यह होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो राइट उनका है चाहे वह मिनिस्टर हो और चाहे मेम्बर हो उसका राइट है....

श्री अध्यक्ष : जो सदन की कार्यवाही है उसको विधि मन्त्री जी पढ़ लें, आप पढ़ लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये क्यों नहीं पढ़ सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई आपत्ति नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधि मन्त्री जी क्यों नहीं पढ़ सकते। मेरे से सम्बन्धित मामला हो और भंवर जी पढ़ें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये शायद पढ़ना नहीं चाहते हों।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : ये पढ़ेंगे तो भी हम सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : कई बार ऐसा होता है कि मंत्री महोदय के बिना भी कोई जवाब दे देता है....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : उनको पढ़ने दें, क्या आपत्ति है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : जनार्दन जी आप पढ़ दें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष। वे शायद पढ़ना नहीं चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये पढ़ना नहीं चाहते हैं ...

अनेक माननीय सदस्य : हम इनको सुनना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दो लाइन ही पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष : आप हम सब परिचित हैं कि देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने में इनको कुछ कठिनाई होती है।

श्री यदुनाथ सिंह : कोई कठिनाई नहीं होती है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : संसदीय मामलात के मंत्री से पढ़ा दें ...

श्री देवीसिंह भाटी : रोज पढ़ते हैं, साहब ....

श्री अध्यक्ष : हिन्दी पढ़ने में कुछ कठिनाई होती है....

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : संसदीय मामलात के मंत्री से पढ़ा दो।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम इनको तो सुनना ही नहीं चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : नहीं, उन्होंने बोलना तो शुरू किया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी पढ़ देंगे....

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : परसराम जी से पढ़वा दें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ दें, परसराम जी से पढ़वा दें, जनार्दन सिंह जी पढ़ दें कोई आपत्ति नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी....

(व्यवधान)

लूणी से आने वाले माननीय सदस्य पढ़ दें। आप पढ़ दें। अन्य कोई माननीय सदस्य पढ़ दें....

श्री यदुनाथ सिंह : परसराम जी को हम सुनना नहीं चाहते हैं....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : विधि मंत्री जी को क्यों बोलने से रोका जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, यह उनके साथ अन्याय है। विधि मन्त्री जी को ही पढ़ने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनने का कष्ट करें। ....मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : राजस्व मन्त्री जी से पढ़वा दें।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से यह मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो रहा है। इसका मतलब मंत्री में सदन का विश्वास नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उन्हीं से पढ़ायें, साहब।

श्री देवीसिंह भाटी : विधि मंत्री जी ने स्वयं 16 तारीख को जो बयान यहां पढ़ा है तो आज क्या दिक्कत आ रही है। वह क्यों नहीं पढ़ सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया मेरी बात सुनें। कृपया बैठ जायें....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : बहुत शुद्ध हिन्दी बोल सकते हैं। मैंने उनको शुद्ध हिन्दी बोलते हुए सुना है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। आर्डर आर्डर। ऐसा है कि कोई एक मंत्री की उपस्थिति में दूसरा कोई वक्तव्य दे रहा है तब तो यह एतराज हो सकता है कि संबंधित को इसका उत्तर देना चाहिए। या उत्तर दे रहे हैं और उसको बीच में रोककर अन्य मंत्री को इजाजत देता हूं तो एक बात है। लेकिन यहां तो सदन की कार्यवाही है उसको किसी से भी पढ़ाया जा सकता है। मंत्री महोदय पढ़ें अन्य कोई मंत्री पढ़ें, मैं आपसे कहता हूं आप पढ़ दें। अन्य कोई माननीय सदस्य पढ़ दें।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि मंत्री महोदय ने कल जब यह वक्तव्य दिया है तो आज क्यों नहीं दे सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि वक्तव्य देने का, सरकार की ओर से वक्तव्य देने का प्रश्न होता और दूसरा दे रहा होता या एक मंत्री के प्रारम्भ करने के बाद दूसरा मंत्री कोई बोलता तो एक बात है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : विधि मंत्री जी पढ़ने के योग्य हैं और वही पढ़ें....

श्री भैरोंसिह गुर्जर : विधि मंत्री जो पढ़ने के योग्य हैं वे ही पढ़ें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, परसराम जी मदेरणा पढ़ दें तो कोई एतराज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : हमें एतराज है।

श्री अध्यक्ष : आपको क्यों एतराज है। वही पढ़ेंगे। उन्हीं को पढ़ना होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : आप बोल नहीं सकते कि नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल विधि मन्त्री जी को ही पढ़ना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें। अव्यवस्था न फैलायें। आज सत्र का अन्तिम दिन है....

श्री गोपाल पचेरवाल : 16 तारीख को ये विधान सभा में बोल चुके हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हम विधि मंत्री को नहीं बोलने देंगे। परसराम जी ही पढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। दूसरे महत्वपूर्ण विषय सदन के समक्ष विचाराधीन हैं। मैं राम नारायण जी को अवसर देता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री) : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं एम. ए. हिन्दी में हूं। कृपया मुझे अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह सबसे उपयुक्त है।

श्री मेघराज तावड़ : आपके अन्दर विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : राम नारायण चौधरी। शान्त रहें माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी (बिलाड़ा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एक पाईंट उठाया कि माननीय मन्त्री महोदय ने विधान सभा की प्रोसिडिंग्स में क्या कहा, वह अपना वर्शन पढ़ रहे थे। उसके बाद में यह विवाद हुआ कि विधान सभा की प्रोसिडिंग्स ठीक प्रकार से रिकार्ड हुई या नहीं, इसमें क्या है? मन्त्री महोदय का मन्तव्य क्या है? क्या वर्शन है? यदि विधान सभा में जो कुछ कहा गया है और जिस रूप में छपा है उसमें अध्यक्ष महोदय का व्यक्तित्व काम करता है तो वह प्रश्न है। आपके द्वारा जो कुछ मंत्री महोदय द्वारा कहा गया उसको यदि आप रीपोट करते हैं तो मन्त्री महोदय के अधिकारों पर कोई एन्क्रोचमेंट नहीं होता है। जो प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे अधिकार छीनकर आप मोहर लगा रहे हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं कि विधान सभा में क्या हो रहा है उसको अगर मैं पढ़ता हूं तो मेरी बात होती है लेकिन विधान सभा में क्या लिखा गया है वह रिपोर्ट सर्कूलेट कर देते तो सही होगा। उसको आप पढ़ें या सचिव पढ़े या आपके द्वारा अधिकृत कराया हुआ व्यक्ति पढ़े क्योंकि यह जब तक पब्लिश नहीं होता तब तक इसकी अहमियत नहीं है। जो कुछ मन्त्री महोदय ने कहा वह पढ़ते हैं तो वह सही नहीं हो सकता। आप पढ़ते हैं तो ही वह सही माना जायेगा। इसलिए यह आपके द्वारा ही पढ़ा जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की और जवाब दिया उसके सम्बन्ध में मुझे एक बात ही निवेदन करनी है। माननीय विधि मन्त्री जी जब प्रोसिडिंग्स

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पढ़ रहे थे और उस पर बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री रामसिंह बिश्नोई : मैं बिलाड़ा से नहीं आया हूं। मैं लूनी से आता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने आपत्ति की है. बिलाड़ा से शायद अपने परसराम जो आये हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि लूनी से आने वाले माननीय सदस्य ने उस पर आपत्ति की कि विधि मंत्री प्रोसिडिंग्स नहीं पढ़ सकते अविश्वास तो एक प्रकार का है ही। उनमें अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता होती....

एक माननीय सदस्य : इसलिये कि आप कमजोर हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नैतिकता होती तो अब तक त्याग पत्र देकर चले जाते। मैं निवेदन कर रहा था कि उन्होंने आपत्ति की आपने आपत्ति को स्वीकार किया। सुन लीजिये आपने स्वीकार नहीं किया तो स्थिति दूसरी बनती है। आप ने मौन साध लिया उससे मैं मानता हूं कि आपने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। शान्ति से सुनें। शान्ति से सुनें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं थोड़ा सुनिये, इन्होंने आपति की, मेरा ऐसा इम्प्रेशन था कि आपने उस आपत्ति को स्वीकार करते हुए मन्त्री महोदय को कहा कि आप परसराम जी पढ़ें तो कोई....

श्री अध्यक्ष : नहीं कहा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं कहा तो, अध्यक्ष महोदय, फिर दूसरी बात का जवाब मैं दूंगा। आपने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दी है। व्यवस्था यही है कि विधि मन्त्री यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यही है. कि विधि मंत्री यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यही है. अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। ऐसा है, इस सम्बन्ध में मैंने व्यवस्था दे दी। मैंने निवेदन किया था कि विधि मन्त्री जो नया कोई अपनी ओर से वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, जो कुछ 16 तारीख को उन्होंने कहा है वह सदन की कार्यवाही से पढ़ना चाहते हैं। सदन की कार्यवाही विधि मन्त्री जी भी पढ़ सकते हैं। मदेरणा साहब ने पढ़ना शुरू किया तो आपत्ति की। यह भी निवेदन किया कि यदि दूसरे तीसरे, आप ठीक समझें तो आप भी उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि कार्यवाही तो विधान सभा की कार्यवाही है और वह अधिकृत है। अब इस सदन की सूचनार्थ कोई भी माननीय सदस्य, जो अधिकृत है इस सभा में बैठने के, भी पढ़ सकते हैं। जो अच्छी तरह से पढ़ सकें वह, और भी अच्छा है....

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर। शान्त रहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बात की तो प्रसन्नता है कि आपने माननीय मन्त्री श्री अहमद बक्श सिंधी के इस प्रोसीडिंग्स को पढ़ने के अधिकार को मान लिया....

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों का समान अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभी माननीय सदस्य, जिनमें श्री अहमद बक्श सिंधी भी शामिल हैं, ये विधान सभा की प्रोसीडिंग्स पढ़ सकते हैं। इसमें न आपको आपत्ति है न सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों को आपत्ति होनी चाहिये। अब, अध्यक्ष महोदय, मेरी यह समझ में नहीं आता कि अगर गलत आपत्ति सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य उठाते हैं तो चाहे सत्ता पक्ष का कोई भी मेम्बर हो उसको इस हाउस में प्रोटेक्शन मिले यह तो बहुत ही अनुचित बात है।...

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय दे सकते हैं।...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा यह निवेदन करना है, यह क्वेश्चन केवल अहमद बक्श सिंधी का ही नहीं है, यह क्वेश्चन एक मेम्बर का नहीं है, यह हाउस का क्वेश्चन है। हाउस के मेम्बर्स की फ्रीडम है लिबर्टी है अन्डर द रूल्स, रूल्स में है यदि कोई मेम्बर किसी डाक्यूमेंट को क्वोट करना चाहे; डाक्यूमेंट के रूप में विधान सभा की प्रोसीडिंग्स को क्वोट करना चाहे अध्यक्ष महोदय, उस पर सत्ता पक्ष आपत्ति करे और उस आपत्ति के आधार पर उनसे प्रोसीडिंग्स लेकर आप परसराम जी मदेरणा को दिलवाते हैं तो इस पर मुझे घोर आपत्ति है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउस में प्रोसीडिंग्स पढ़ी जायं तो उसको अहमद बक्श सिंधी पढ़ेंगे, दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसमें ऐसा है, माननीय विपक्ष के नेता महोदय, शायद जितनी भी यहां कार्यवाही चल रही थी, क्योंकि वातावरण ऐसा था इसलिये उसको बहुत गहराई से आपने ध्यान से देखा नहीं हो। आपने कभी यह नहीं कहा कि उनका जो वक्तव्य है या प्रोसीडिंग्स है वह वे नहीं पढ़ें। कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति की तो उनके स्थान पर उनके सहयोगी एक वरिष्ठ मंत्री कार्यवाही को पढ़ने लग गये लेकिन आसन की तरफ से कभी यह नहीं कहा गया कि इस कार्यवाही को विधि मन्त्री जी नहीं पढ़ेंगे। ऐसी कोई हालत यहां पर नहीं हुई थी। मैंने यह निवेदन जरूर किया था कि यह तो सदन की कार्यवाही का प्रश्न है, नया कोई वक्तव्य यदि दे रहे हों उसमें कोई बाधा डाल दी जाय और अन्य कोई मन्त्री उसके स्थान पर जवाब दें तब तो आप जैसा फर्मा रहे हैं वह स्थिति पैदा होती। मैंने उसी वक्त यह भी निवेदन

(श्री अध्यक्ष)

किया था कि इस कार्यवाही को पढ़ने के लिये जितने माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं या हमारे सचिव या पीठासीन अधिकारी हैं, सभी अधिकृत हैं क्योंकि उसके सम्बन्ध में, उसके जो कंटेन्ट्स हैं उनके सम्बन्ध में कोई विवाद हो नहीं सकता; कोई बात इन्होंने कही या नहीं कही, इसका तो जैसा कि आपने कहा अंतिम रूप से निर्णय अध्यक्ष करता है। उसकी भी एक मशीनरी है, टेप भी होता है उसके बाद टाइप होता है तो इसमें ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो आप कह रहे हो। क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठायी इसलिये उनको आसन ने मना कर दिया और दूसरे माननीय मंत्री जी को अधिकृत कर दिया इसमें कोई बात नहीं हुई है ...

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। एक वयोवृद्ध सदस्य बोलना चाहते हैं, माननीय सदस्य। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य। शान्त रहें।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय हम सब यह मानकर चलते हैं कि जो भी कार्य-वाही हो रही है नियम के अन्तर्गत हो रही है। जो नियम शायद अभी लागू हो सकता है वह एक्सप्लेनेशन का नियम है 276। उसमें मेम्बर को परमिट करते हैं इस अधि-कार से किसी मेम्बर को वंचित नहीं कर सकते। मैं एक पैराग्राम पढ़ देना चाहता हूं इसका....

"A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House...."

इस वक्त पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे थे विधि मंत्री जी उसके सिलसिले में....

(व्यवधान)

मेरी बात तो सुनिये आप....

श्री अध्यक्ष : उनको अपनी बात पूरी कहने दीजिए।

श्री राजबहादुर : यह उनकी मर्जी पर है कि डिबेट या प्रोसीडिंग्स का जो रिकार्ड है उसका कौन सा पोर्शन पढ़ें, कौन सा न पढ़ें। यह तो उनके डिस्क्रिशन पर था। अगर वे पढ़ते तो मालूम होता मदेरणा जी को नहीं मालूम कि वे कौन सा पढ़ेंगे इस-लिये उनके पढ़ने का अधिकार है उस अधि-कार को छीनने की बात हो रही है। पढ़ने का अधिकार उनको है। रिकार्ड जो है उसको पढ़ने का अधिकार उनको है अलबत्ता खुद अगर वे चाहें तो बता दें कि इस पोर्शन को पढ़िये तो बात कोई नहीं लेकिन उस अधिकार को नहीं छीन सकते।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो टेप था वह प्रारिजिनल उन्हीं का था इसलिये वह टेप ही सुनवा दीजिए तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन कर रहा हूं। पहली बात यह है कि माननीय विधि मन्त्री जी अपनी बात स्पष्ट कर रहे थे। उन्हें आपने अवसर दे दिया, स्पष्टीकरण के दौरान विधान सभा की कार्यवाही पढ़ने लगे। कार्यवाही हिन्दी में होती है तो हिन्दी पढ़ना विधि मंत्रीजी जानते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : कार्यवाही को पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। अब यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई और न पढ़ें, यह बिन्दु क्यों खड़ा हुआ कि वे न पढ़ें? वे पढ़ रहे थे, पढ़ने के लिए आपने अलाऊ कर दिया, सुनने लग गये, 3–4 लाइन पढ़ने के बाद यह आपत्ति की गयी कि साहब, पता नहीं कि क्या पढ़ेंगे। जो कुछ लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे, अगर अपनी ओर से कुछ और जोड़ देंगे....

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल तक तो इनको बुखार था 103 डिग्री। कल दिन भर तो यह बुखार में थे आज भी इनकी तबियत ठीक नहीं है, फिर आप इनको परेशान पर परेशान किये जा रहे हैं। आप....

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात पूरी नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने कम्पलीट नहीं की। पूरी ही नहीं की....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर....

श्री भंवरलाल शर्मा : I have not yet completed.

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे बोलने दीजिये। रामसिंह जी बोल लेंगे बाद में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि किन परिस्थिति में यह बातें खड़ी हुई हैं। यहाँ पर माननीय सदस्यों, जो कांग्रेस के आते हैं, ने कहा कि हमको अहमद बक्श सिन्धी में विश्वास नहीं है, जो प्रोसीडिंग्स में लिखा गया है वही पढ़ेंगे या नहीं। इस परिस्थिति में यह मानकर कि वास्तव में गलत ही पढ़ेंगे इसलिये किसी दूसरे व्यक्ति से पढ़वाया जाय। यह इनका भी अपमान है और सदन का भी अपमान है। अगर यह ऐसी गलती करते हैं, जो प्रोसीडिंग्स में लिखा है उसके खिलाफ पढ़ते भी हैं तो इनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन आ सकता है और सारी कार्यवाही हो सकती है पर यह मानना कि इस परिस्थिति में....

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह, कृपया

(श्री अध्यक्ष)

स्थान ग्रहण कीजिए, आप की बात सुन ली, आर्डर, आर्डर, बिराजें....

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा मामला था, माननीय विधि मंत्री जी ने आज से दो दिन पहले जो बयान दिया था प्रश्न के जवाब में अपना स्टेटमेंण्ट दिया था उस मामले को लेकर सदन में यह मामला पैदा हो गया कि इन्होंने जो स्टेटमेंण्ट दिया है वह किस ढंग का स्टेटमेंण्ट था, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधि के खिलाफ था। हमने आक्षेप लगाया था कि वास्तव में इन्होंने हमारे मुराद खां के खिलाफ बात कही थी। वह बात इन्होंने आज कबूल नहीं की, जब इन्होंने उस दिन की कही बात दो दिन बाद आज कबूल नहीं की तो हो सकता है कि जो कुछ भी स्टेटमेंण्ट दिया हुआ था उसको पढ़ने में वह तोड़ मोड़ करते, यह हमारे को आशंका थी, इसलिए हमने आसन से व्यवस्था चाही थी। माननीय मन्त्री महोदय ने अपना स्टेटमेंण्ट पढ़ने से पहले भी आपके सामने यह कह दिया था कि मैंने इस तरह का कोई स्टेटमेंण्ट नहीं दिया, हम यहां सदन में थे, हमने इसके स्टेटमेंण्ट को सुना है, इन्होंने बिलकुल माननीय मुराद खां के खिलाफ इस तरह की बात कही थी, जिस तरह गवर्नमेंण्ट का फैसला होता है उस तरह की बात कही थी इन्होंने, हमारे को कतई इन पर विश्वास नहीं है, यह पढ़ नहीं सकते, पढ़ना नहीं चाहिए इनको, या तो आप इसकी व्यवस्था करते, या आप टेप को सुनाते या माननीय वरिष्ठ मंत्री पढ़ रहे थे उनके माध्यम से पढ़ाते, इनके द्वारा पढ़ने का औचित्य क्या है ? जब हम खुद आरोप लगाते हैं, इन्होंने जो कुछ भी स्टेटमेंण्ट दिया है वह वास्तव में ठीक नहीं है, तो हो सकता है यह तोड़ मोड़ करके स्टेटमेंण्ट पढ़ दें, यह मेरा आरोप है....

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप रामसिंह जी को ही पढ़ने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर कहा है मैंने तो मैं इस्तीफा देता हूं। अगर आपने कहा, वह नहीं तो आप इस्तीफा दो....

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ आर्डर। श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभ नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 276 में आपने माननीय मन्त्री जी को पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए परमिशन दी थी, क्या 276 के अन्तर्गत पर्सनल एक्सप्लेनेशन के अन्तर्गत कोई और आदमी पर्सनल एक्सप्लेनेशन इनकी जगह दे सकता है ? इस पर निर्णय दें....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अवसर दिया, किस स्थिति में अवसर दिया सब बातें इस बात पर कही जा रही हैं कि विधि मन्त्री जी को इस सदन के एक सदस्य के नाते उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, पक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्य यह कह रहे हैं, अगर उनको ऐसी कोई शिकायत हो तो वह स्वयं कर सकते हैं। इसलिए....

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज....

माननीय मन्त्री जो जो कुछ भी चाहे हो एक्सप्लेनेशन के रूप में कह रहे थे, स्पष्टीकरण के रूप में या अन्य किसी तरीके से सूचना उपलब्ध करा रहे थे। उस पर खास तौर से विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह आपत्ति है कि उनको उनके जो अधिकार हैं उनसे वंचित किया जा रहा है, इसको इनको शिकायत है तो मुझे बता दें। अगर शिकायत नहीं है तो जैसी पहले व्यवस्था दी, कोई भी माननीय सदस्य जो पढ़ना चाहे आगे आये, मैं स्टेटमेण्ट को पढ़वा दूंगा, उसमें क्या बात है। शिकायत उनकी नहीं है तो दूसरों की शिकायत काम नहीं आ सकती....

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही प्रोसीडिंग्स पढ़ने के प्रश्न पर कि यह विधि मन्त्री जी का अधिकार है। इसमें कोई इन्कारी नहीं है, हमने स्वयं स्वीकार किया है, सब स्वीकार करते हैं। लेकिन किसी मैम्बर को जो अधिकार हैं उन अधिकारों को वह स्वयं तो सौंप सकता है उसके लिए कोई नहीं कह सकता। सिर्फ माननीय विधि मंत्री जी ने....

श्री यदुनाथ सिंह : स्वयं तो पढ़ रहे थे, स्वयं ने तो पढ़ना शुरू किया था, स्वयं ने चार लाइनें पढ़ दी थीं, स्वयं नहीं पढ़ रहे थे, स्वयं ने तो पढ़ना शुरू किया था कि दबाव देकर बंद किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : इसमें सदस्य अथवा मंत्री का जो अधिकार है उनका किसी प्रकार से हनन नहीं हुआ है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : एक सदस्य ने आरोप लगाया कि यह गलत पढ़ेंगे, उन्होंने मान लिया, मैं गलत पढ़ूंगा, आपने मान लिया कि यह गलत पढ़ेंगे इसलिए दूसरों को दी जा रही है....

श्री अध्यक्ष : जब आपत्ति हुई तो उन्होंने स्वेच्छा से अन्य मंत्री को अधिकृत कर दिया, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है....

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन, (झालरापाटन) : आपने भी विधि मंत्री को XXX मान लिया....

एक माननीय सदस्य : उनके ऊपर दबाव डाला गया इसलिए ऐसा किया....

श्री भैरू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 16 तारीख को जो बयान दिया था वह बयान राजस्थान के एक बड़े पत्र "राजस्थान पत्रिका" में छपा है, स्पष्ट रूप से छपा है कि विधि मन्त्री जी ने यह मन्जूर किया है कि मुराद खां द्वारा कब्जा किया गया है; एक सवाल के जवाब में यह कहा है, इस

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूसिंह गूर्जर)

प्रकार का राजस्थान पत्रिका में छपा है, स्पष्ट छपा है, अगर मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा तो मंत्री महोदय दूसरे दिन ही अखबार में अपना स्पष्टीकरण भेजते, अखबार के खिलाफ कुछ लिखते, इनका नहीं लिखना, नहीं कहना यह साबित करता है कि इन्होंने जो बात कही है वह सही है।

श्री अध्यक्ष : अब यह विचारणीय विषय नहीं है इसलिए....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : पाइन्ट आफ आर्डर, सवाल यह है कि अपने सदन में प्रत्येक व्यक्ति किन्हीं नियमों के तहत बोलते हैं, जब हम कोई पाइन्ट आफ आर्डर या कोई भी सवाल खड़ा करते हैं तो आप नियमों का हवाला हमसे पूछते हैं। सवाल यह है कि इस सारे प्रसंग, जो भी है में स्पष्टीकरण कोई माननीय सदस्य दे रहे हैं तो क्या किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह अपने पावर डेलिगेट किसी दूसरे मेम्बर को कर दे, यह मामला पर्सनल एक्सप्लेनेशन का है।

श्री अध्यक्ष : एक्सप्लेनेशन का नहीं था, केवल सदन की कार्यवाही को पढ़ने का था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन की कार्यवाही इसीलिये पढ़ रहे हैं वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के तहत सदन की कार्यवाही पढ़ रहे हैं, सदन की कार्यवाही और किसी प्रसंग में नहीं पढ़ी जा रही है, सदन की कार्यवाही व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए पढ़ी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इसलिये इसको निरस्त किया जाता है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, यह सब बहस जो चल रही थी, इससे सम्बन्धित थी कि आपका स्टेटमेण्ट इस प्रकार का उस दिन दिया गया बतलाया गया था जो अखबारों में छपा है, आपने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि मुराद खां, जो कांग्रेसी विधायक हैं, ने कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जा किया है, कहा था कि रिपोर्ट के अन्दर यह आया था इसके आधार पर मैंने कहा। इस प्रकार की खबर अखबारों के अन्दर छपी है, उस पर आप यह पढना चाहते थे सदन की कार्यवाही, मैं, एक मिनट, राजस्थान पत्रिका की दो चार लाइनें, जो बहुत सन्दर्भ की हैं, पढ़कर सुनाना चाहता हूं, मेन हैडिंग "कब्रिस्तान पर कांग्रेस (इ) विधायक का कब्जा, मंगलवार को विधि मन्त्री श्री अहमद बक्श सिंधी ने राज्य विधान सभा में स्वीकार किया कि भरतपुर जिले के गोपालगढ़ कस्बे में कबीबी कब्रिस्तान पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है उसमें विधायक मुराद खां भी हैं कांग्रेसी विधायक मुराद खां राजस्थान वक्फ बोर्ड के भी सदस्य हैं।" इस प्रकार का कैटेगारिकल स्पष्ट है स्टेटमेण्ट, कांग्रेस आई के विधायक मुराद खां ने कब्जा किया है, ऐसा आपने स्वीकार

(श्री हरीसिंह)

किया है, उस सम्बन्ध में आप पढ़ना चाहते थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं स्टेटमेंट नहीं दिया था आपने, उत्तर नहीं दिया था, तो इसमें जो बात छपी है उसका कोई प्रतिवाद क्यों नहीं किया, अब आप उसका खण्डन किस प्रकार करना चाहते हैं, वह बात यह सदन जानना चाहता है।

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में विचारणीय विषय है वह है उस दिन की कार्यवाही का पठन करना।

श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : पूरा पढ़ने दें, "चाव खां के एक सवाल के जवाब में श्री सिंधी ने कहा कि इस कब्रिस्तान के बारे में राजपत्र में तो प्रकाशन नहीं हुआ लेकिन कुछ लोगों ने वहां की भूमि पर नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया है, इसकी बे-दखली के लिए 27 अगस्त, 1984 को नियमानुसार आदेश दिये गये हैं, विपक्षी सदस्यों के शेम शेम के नारे के बीच वक्फ मन्त्री ने स्वीकार किया कि अधिकारियों की रिपोर्ट में मुराद खां के मकान व दुकान बना लिये जाने की बात कही गयी है।" अब आप कह रहे हैं रिपोर्ट आने के बाद....

आपने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है, इसको पढ़ने के बाद क्या कोई कह सकता है कि आज आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वह सही स्टेटमेंट है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह सब मामला अखबार की वजह से पैदा हुआ है, अखबार सही नहीं है, प्रोसिडिंग सही है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए सदन की कार्यवाही को पढ़ा जा रहा था।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपने कहा, जब छपा है, आप नहीं कहते तो नहीं छपता।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : बार बार खड़े होकर डांटते हैं, गालियां देते हैं।

सदन में चर्चित विषय की जानकारी

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आ गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि किस सम्बन्ध में आपने विचार करने की अनुमति दे रखी है, हाउस के सामने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन नहीं है, अगर मंत्री महोदय ने कोई गलत बात कह दी, किसी माननीय सदस्य का अपमान कर दिया या उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया जिसकी कोई बुनियाद नहीं है तो जैसा आपने अभी सुबह मेरे सम्बन्ध में व्यवस्था दी थी वही व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिए भी दे सकते हैं। अगर किसी माननीय सदस्य के ऊपर कोई आरोप लग गया जो

Page No 134

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बेबुनियाद है. नियमों के अनुसार आरोप नहीं लगाया गया और आरोप लगाने से पहले नियमों के अनुसार सूचना नहीं दी गयी, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन मूव किया जाता है, नियमों में इसका प्रावधान है। मैं आपसे ही जानकारी करना चाहता हूं कि एक घन्टे से समय ले रहे हैं। क्या कांग्रेस के लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की बात नहीं कही जाय? वह दुनिया भर का अन्याय करते रहें लेकिन सरकार उस सम्बन्ध में नहीं बोल सकती? इस मुद्दे को लेकर अहमद बक्श सिंधी को कार्नर किया जा रहा है। उन्होंने हिम्मत करके बात कह दी ···

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : यह बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात यही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, कि आज अहमद बक्श सिन्धी को दबाया गया, आपको याद होगा जब चन्दनमल जी शिक्षा मन्त्री थे उस समय इसी तरह से उनको कोर्नर किया गया और कोर्नर करने के बाद असलियत नहीं बोलने दी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की घटना परसराम जी के साथ हुई। जिस समय इन्होंने एक क्वेश्चन 80 का जवाब दिया तो माननीय सदस्यों ने परसराम जी को बोलने से बन्द कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी को आपने मोनोपोली दे रखी है, कि यहां पर कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ, कोई उनके आचरण सम्बन्धी कोई प्रश्न हो उसका मन्त्री लोग जवाब नहीं दे सकें, क्या आप उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं? मैं चाहूंगा, आखिर विधान सभा की आज की आगे की कार्यवाही ली जाय, जो रुटीन बिजनेस है वह लिया जाय और इस झगड़े को समाप्त किया जाय। न कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन है, न कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन है, कोई पाइन्ट आफ आर्डर है यह केवल एक षड्यन्त्र है सरकारी पक्ष की तरफ से, इस तरह से किसी विधायक के खिलाफ असलियत इस सदन के अन्दर न खुल जाय। इस पर हमारी आपत्ति है।····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपने पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है उसके जवाब में यदि आप कुछ कहना चाहें तो उस तक अपनी बात सीमित करके····

श्री सूर्यकुमार (नैनवां) : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो सत्ता पक्ष के सदस्यों के ऊपर आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के सदस्य

(व्यवधान)

सुनने की क्षमता रखिये····

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

Page No 135

श्री सूर्यकुमार : जब सुनाना चाहते हैं तो सुनने की क्षमता भी पैदा करनी पड़ेगी।

मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्यों पर आरोप लगाया जाना सत्ता पक्ष के सदस्यों को पसन्द नहीं है। कांग्रेस के मन्त्री अगर सत्ता पक्ष के सदस्यों के आचरण के विरुद्ध कहना चाहें तो उन मंत्रियों को किसी तरह से भी दबाया जाय, ऐसा आरोप विपक्ष के नेता महोदय ने लगाया है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विपक्ष के नेता महोदय से कि सत्ता पक्ष के सदस्यों की कभी भी यह मन्शा नहीं कि अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव दें। लेकिन यह निश्चित रूप से चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के सदस्य के बारे में माननीय मंत्री महोदय किसी प्रकार का भ्रामक स्टेटमेन्ट यहां पर दे देते हैं, और उनसे कोई त्रुटि हो गई है तो वह रेकार्ड पर नहीं रहे उस त्रुटि का सुधार हो यह निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के सदस्य चाहते हैं। जब जांच चल रही है, और जांच का परिणाम सामने नहीं है तो किस आधार पर यह कहा जा सकता है, कि अतिक्रमण किया गया है। इसलिये सत्ता पक्ष के सदस्य यह चाहते हैं कि इस भ्रम को मिटाया जाय। जब जांच जारी है, तो मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री नाथूसिंह।

श्री सूर्यकुमार : उसमें संशोधन किया जाय। केवल सत्ता पक्ष के सदस्य यह चाहते हैं, मंत्री महोदय के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव डालना या किसी प्रकार का कोई अरमान थोपना सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने एक पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया कि सदन के सामने मसला क्या चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि केवल उनसे जो त्रुटि हो गई है उसको दूर करना चाहते हैं। तो इसके लिये नियमों में प्रावधान हैं। त्रुटि दूर कराने का तरीका होता है, आपको लिखकर दें, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करें। नियमों के हवाले से त्रुटि दूर करने के लिये माननीय मन्त्री महोदय को लिखकर दें, आपको दें। लेकिन यह कोई तरीका नहीं होता है कि सदन में बहुमत जिसका होता है जिस पार्टी का वह बहुमत वाले सदस्य कुछ भी बोलते जायं, यहां पर जिसको चाहें बोलने दें, जिसको चाहें उसको नहीं बोलने दें। यह किसी एक माननीय सदस्य या बहुमत ये जिस पार्टी के सदस्य हों उसकी मोनोपोलीशो नहीं हो सकती है। यह सदन नियमों के हवाले से चलता है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं क्या वह बता सकते हैं कि हमारे सदन का एक मिनट का कितना खर्चा होता है। अध्यक्ष महोदय, गरीब जनता को पीने के लिये पानी नहीं मिलता है, एक मिनट का कितना खर्चा होता है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य बैठ जायं ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल ही अकाल की चर्चा हो रही थी सदन में, आज हम बिजली के मामले में ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली सम्बन्धी मामले सदन में उठाना चाहते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर आज सदन में चर्चा होने को है, उस पर यह लोग चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं । यह चाहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो, बिजली की समस्या पर चर्चा नहीं हो इसलिये हो-हुल्लड़ करके अनिश्चित काल के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करवाई जाय । यह इनकी मन्शा लगती है । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह अनधिकृत रूप से जो दबाव डाल रहे हैं, सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे है, इसको आप रोकें और हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करें । सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चले और उसमें जनता की प्राब्लम्स हों, उनको उठाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : गोपाल पचेरवाल । आर्डर प्लीज ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे को लेकर लम्बी चर्चा की जा रही है, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेसी माननीय सदस्यों का जिस तरह से दो सेशनों से या पिछले गत सत्रों से रवैया देख रहे हैं उसके सम्बन्ध में जिक्र करना चाहता हूं आपसे ।

पहला मेरा निवेदन यह है कि नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि किसी भी कांग्रेस के माननीय सदस्य पर कोई गलत आरोप लगाया गया तो उसका हम यहां संशोधन करायेंगे, उसको कार्यवाही से निकलवायेंगे । मैं निवेदन करना चाहूंगा ....

(व्यवधान)

श्री सूर्यकुमार : यह नहीं कहा । मैंने यह नहीं कहा । मैंने यह नहीं कहा ....

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनने का कष्ट करें ।

श्री गोपाल पचेरवाल । माननीय अध्यक्ष महोदय, विधि मन्त्री जी ने वक्फ बोर्ड की जो लिस्ट दी थी कल सदन में, कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण की

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लिस्ट को आप मंगवा कर देख लें कि उस लिस्ट में माननीय सदस्य, मुराद खां जी का नाम है। यह एक निवेदन है मेरा।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि कांग्रेस का पूरे देश में रवैया इस तरह का बन गया है, पिछली बार माननीय श्री कंवरिया जी, हमारे मंत्री जी थे....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह गुर्जर (खाचरौद) : ये कांग्रेस के खिलाफ मर्जी आयेगी जो बोलेंगे उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायं।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : यह कोई XXX नहीं है जो भाषण दे रहे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था न फैलावें।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : यह नहीं है जो आप भाषण दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दुकानों पर कब्जा करने का यह कोई तरीका नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के खिलाफ चाहे जो बोलें यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : यह XXX नहीं है जो हमारे खिलाफ भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य मेरी अनुमति से अपनी बात कह रहे हैं। कृपया शान्त रहें, सुनें।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी, छोगालाल जी कंवरिया थे उस वक्त कांग्रेस के माननीय सदस्य ने एक हरिजन मंत्री होने के नाते XXX यह ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में, फारुख अब्दुल्ला, जो कश्मीर के मुख्य मंत्री थे, मात्र इसीलिये हटाये गये कि वह मुसलमान थे। आज हमारे अल्पसंख्यक मंत्री जो विधि मंत्रीजी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, को भी इसी कारण से अपमानित

XXX अभिव्यक्ति, शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

किया जा रहा है क्योंकि वह माइनोरिटी कम्युनिटी के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बहस की जानी है, राजस्थान के सारे अनुसूचित जाति के लोगों के अहम मुद्दे पर चर्चा की जानी है, उस मसले पर आरोपों से बचने के लिए यह सरकार भागना चाहती है, और अपने कांग्रेसी विधायकों से यहाँ अशान्ति फैलाना चाहती है ताकि आप सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दें। अध्यक्ष महोदय, हम मांग करेंगे कि इस कार्यवाही को समाप्त किया जाना चाहिये। यह इनकी पार्टी का मतभेद होगा) माननीय सिंघी साहब से इनका मतभेद होगा, माननीय मदेरणा साहब के खिलाफ इनके क्या एतराज होंगे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के खिलाफ इनके क्या एतराज होंगे यह पार्टी का मसला है। पहाड़िया जी के ग्रुप में कौन है, माथुर साहब के पक्ष में कौन होंगे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सवाल इस बात का है, कि सदन में बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अनुसूचित जाति की रिपोर्ट बहस के लिये है उस पर चर्चा की जानी चाहिए। यह फालतू चर्चा की जा रही है इस मुद्दे से हटने के लिए सरकार भागना चाहती है वह चाहती है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर सदन में बहस नहीं हो ताकि जो सरकार के कारनामे हैं उनको हम जनता के सामने पेश न कर सकें, सदन में रख न सकें कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ, पिछड़ी जाति के लोगों के साथ....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या अन्याय किया जा रहा है। उन अन्यायों को हम उजागर नहीं करें इसलिये यह सदस्य बोल रहे हैं, सारे के सारे, यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाय ताकि अनुसूचित जाति और बिजली के अहम मसलों पर चर्चा नहीं हो। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस चर्चा को समाप्त करें ताकि इन महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम जी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों कामा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्नकाल में एक प्रश्न पूछा था जिसका माननीय वक्फ मंत्री जी ने सदन के प्रांगण पर उत्तर दे दिया....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विधि मंत्री हैं।

श्री परसराम मदेरणा : विधि और वक्फ दोनों ही है।

जो कुछ भी उन्होंने यहां पर उत्तर दिया वह सदन की कार्यवाही में अंकित है लेकिन जो रिपोर्टिंग प्रेस में हुई उससे कुछ भ्रान्ति हुई है। उस भ्रान्ति के ऊपर नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपकी अनुमति से आज एक एक्सप्लेनेशन रूल 276 के तहत दिया। उस एक्सप्लेनेशन के देने के बाद में कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने भी आपसे अनुमति मांगी कि मुझे भी एक एक्सप्लेनेशन देना है, उनको भी आपने अनुमति दे दी। क्योंकि जो कुछ भी कहा गया उसके सम्बन्ध में भ्रान्ति और गलतफहमी हो रही थी, विधि मंत्री ने स्वयं क्या कहा है उसके सम्बन्ध में उन्होंने एक स्टेटमेन्ट दे दिया, उस स्टेटमेण्ट के बारे में प्रश्न उठता है कि उन्होंने उस दिन और बात कही थी। कही है या नहीं कही है, यह मामला तथ्यों का है, इस प्रोसीडिंग्स में है। इसलिये सदन में थोड़ी बहुत उत्तेजना हुई तो आपने सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी, बाद में भी यही प्रश्न चल रहा है। प्रोसीडिंग्स देखी, कुछ उसमें से पढ़ा भी तो माननीय सदस्य ने शंका प्रगट कर दी....

(व्यवधान)

शायद इसमें से किसी वर्ड को नहीं पढ़े। सदन को कोई मिसलीड नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन को कोई मिसलीड नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सीमा है, अध्यक्ष महोदय, सीमा है।

श्री अध्यक्ष : इनको अपनी बात कहने दीजिए। आप कृपया बिराज जावें।

श्री परसराम मदेरणा : जो तथ्य हैं, मैंने उनको दी थी, प्रोसीडिंग्स, मैंने कहा आप पढ़ दीजिये, वही पढ़ रहे थे। कुछ शंकायें जाहिर कीं। उस सम्बन्ध में मैं चाहता था, जो कुछ भी अध्यक्ष महोदय फैसला दें, कोई भी सदस्य प्रोसीडिंग्स पढ़ दे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं पढ़ सकते ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी पढ़ दे, अध्यक्ष महोदय, आप खुद पढ़ दें, वह पढ़ सकते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन वह खुद भी चाहते थे कि दूसरे पढ़ दें। वह चाहते थे अध्यक्ष महोदय पढ़ दें।

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये, मेरी बात....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे पाइन्ट आफ आर्डर को डिस्पोज आफ करिये।

श्री अध्यक्ष : हां, मैं कर रहा हूं ना। आप सत्तापक्ष को सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह उस पर नहीं बोल रहे हैं डिबेट शुरू कर दी इन्होंने, यह तो बोलने का राइट असर्ट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आसन का मार्ग-दर्शन कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मार्गदर्शन नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करें, यदि यही घटना विरोधी दल के साथ होती तो शायद हमको एक्सप्लेनेशन देने का मौका भी नहीं मिलता। मुझे यह समझ में नहीं आया, अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी प्रकार की...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगर माननीय सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहें तो सदैव अवसर दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय.

(व्यवधान)

यह पाइंट आफ आर्डर पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पाइन्ट आफ आर्डर पर नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पहले पाइन्ट आर्डर डिस्पोज आफ करिये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का रुख पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का आ रहा है इससे भय खाते हैं अध्यक्ष महोदय XXX

(व्यवधान)

कैसी बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले पाइन्ट आफ आर्डर डिस्पोज आफ करिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर। कृपया। मन्त्री जी अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे, अपनी बात समाप्त करेंगे, उसके तुरन्त पश्चात् जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके ऊपर अपना निर्णय दूंगा। पहले मन्त्री जी को बोलने दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं पहले उसी पर चर्चा होगी, और चर्चा नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बोलें पाइन्ट आफ आर्डर पर।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस विषय पर नहीं बोलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कोई भी अप्रासंगिक बात नहीं की, जो बात सदन में हुई है मैं उसी को कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। पाइन्ट आफ आर्डर में भी जितनी घटनायें सदन में घटीं उसका विवरण दे रहे हैं याददाश्त के लिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : और, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बतादूं क्योंकि माननीय सदस्य सदन में देर से पधारे थे, प्रोसीडिंग्स मैंने पीछे पढ़ी थी मैंने प्रोसीडिंग्स इनको भी दी थी। फिर मंगवाली।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट ऑफ आर्डर पर बोलिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें। यह आसन के विवेक पर है। पाइन्ट ऑफ आर्डर का जवाब दे रहे हैं। मैंने अनुमति दी है, कृपया अव्यवस्था नहीं करें, कृपया बैठ जायं। इसके पश्चात् मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट ऑफ आर्डर डिस्पाज करिये आप।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : पहले सुन लो।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर पर बोलेंगे। निर्णय तो आसन करता है कि वह संदर्भ पर बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट ऑफ आर्डर के अलावा नहीं बोलेंगे वह।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी ज्यों ही अपनी बात समाप्त करेंगे मैं अपनी तरफ से जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इस प्रोसीडिंग्स के अन्दर जो भी बात लिखी हुई है, मैं समझता हूं प्रोसीडिंग्स को पढ़ दिये जाने के बाद में हाउस में जो भी गलत फहमी चली आ रही है वह स्पष्ट हो जायगी। आपसे मेरा निवेदन है कि स्वयं आसन इस प्रोसीडिंग्स को पढ़ दें, आप पढ़ते रहे हैं पहले भी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सवाल ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : और मैं समझता हूं कि इससे सब भ्रान्तियां दूर हो जायंगी, माननीय सदस्यों के दिमाग में जो शंकायें हैं उनका भी समाधान हो जायगा। मेरा

(श्री परसराम मदेरणा)

आपसे निवेदन है कि आप इस प्रोसीडिंग्स को पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पाइन्ट ऑफ आर्डर पर, विरोधी पक्ष के नेता माननीय श्री शेखावत ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर व्यवस्था दी जा रही है। पिछले घण्टे अथवा डेढ़ घण्टे से जो कार्यवाही चल रही है, किन नियमों के अन्तर्गत चल रही है और यह चर्चा हो रही है इसके लिये कोई प्रस्ताव नहीं आया, यह नहीं, यह बात यहां उठाई। मैं माननीय विरोधी पक्ष के नेता और सभी माननीय सदस्य, जो बिराजमान हैं, ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह चर्चा प्रारम्भ में कैसे शुरू हुई। प्रारम्भ में माननीय सदस्य ने मेरे पास कल एक प्रार्थना पत्र दिया और यह इच्छा व्यक्त की कि 16 तारीख को सदन के अन्दर कुछ बातें कही गई थीं उनका समाचार पत्रों के अन्दर प्रकाशन हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें जो बातें हैं मुझे आरोपित करने वाली हैं, एक तरह से मेरे लिये मानहानिकारक है इसलिए मैं अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैंने माननीय सदस्य को अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी। यह नियमों के अन्तर्गत मैंने कार्यवाही की, क्योंकि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जब कभी भी किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई बात कही जाती है वह मानहानि कारक हो, अपमानजनक हो, लांछित करने वाली हो तो नियमों के अन्दर प्रावधान है इस सभा का कोई भी माननीय सदस्य अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है। तो वह कार्यवाही, सदन के माननीय सदस्य मानेंगे. नियमों के अनुसार ही थी। उस प्रसंग को मैं वहीं समाप्त करना चाहता था लेकिन फिर पुरजोर मांग यह आई कि क्योंकि कामां से आने वाले माननीय सदस्य के विरुद्ध असत्य भाषण के आरोप लगा दिये गये हैं इसलिए उसको स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलना चाहिये। उस वक्त मैंने निवेदन किया था, मेरे ध्यान में, मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं आई जो कामां से आने वाले माननीय सदस्य के लिये मानहानिकारक हो। झूठ शब्द का प्रयोग किया था तो उसको मैंने कार्यवाही से हटा दिया, उसके बाद में यदि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो सदन की आज की कार्यवाही देख लूंगा व मुझे से चैम्बर में मिलने की कृपा करें। लेकिन माननीय सदस्य इतने आवेश में आ गये कि उन्होंने सदन के प्रांगण पर एक तरह से धरणा देने की घोषणा की। उनकी जो मांग थी उसका समर्थन इस सदन के खास तौर से विपक्ष में बैठने वाले दलों ने किया। मेरी बात मैंने जो निवेदन की थी नहीं सुनी, लेकिन जब इतने माननीय सदस्यों की इच्छा थी तो मैंने वह अनुमति दी। उस वक्त आपको याद होगा, उस वक्त मैंने यह निवेदन किया था कि यह सिलसिला इस तरह से चालू हो जाता है तो इसका कोई अन्त नहीं होगा, वाद-विवाद लम्बा हो जायगा, कोई जब एक बात कहेगा तो दो अन्य सदस्य कहेंगे, तो माननीय सदस्य को यह शिकायत हो जायगी कि मुझे अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा वह स्पष्टीकरण देंगे तो स्वाभाविक बात है मन्त्री महोदय के विरुद्ध कुछ कह देंगे तो मन्त्री महोदय को

(श्री अध्यक्ष)

यह अधिकार हो जायगा, मन्त्री महोदय और कुछ कह देंगे। तो मैंने कहा यह सिलसिला लम्बा हो जाता है। कौनसी बात का, किस तरह आरोपों का स्पष्टीकरण देने का अधिकार बनता है, यह मेरे विवेक पर छोड़ दीजिये। इस बात को यहीं समाप्त कर दें। लेकिन मेरी बात सुनी नहीं। खैर, हुआ यह कि जब माननीय कामां से आने वाले सदस्य ने स्पष्टीकरण अपना दिया तो उसमें अन्य माननीय सदस्यों के बारे में कुछ बात कह दी इसलिए उनका अधिकार बन गया····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मेरी बात सुनिये ना।

जब अधिकार बन गया, मैंने कहा, मैं फिर कार्यवाही देख लूंगा, कुछ ऐसी बात हुई, मुझे जुबानी याद नहीं, क्योंकि सदन के अन्दर काफी उग्र वातावरण है इसलिए सब कार्यवाही जैसी गुजरी वह मुझे याद नहीं लेकिन बात यह हुई कि कई सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने उनकी मांग के फलस्वरूप शोरगुल किया। स्थिति ऐसी बन गई कि बाद में जा करके सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी आधे घण्टे के लिये। वरिष्ठ जो भी नेता उपलब्ध थे चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के उनसे विचार विमर्श किया और मैंने स्वविवेक से यह कहा, माननीय सदस्य मुराद खां अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देंगे।

तो यह स्पष्टीकरण का स्पष्टीकरण का स्पष्टीकरण है, इसके अन्दर वातावरण में उग्रता आ गयी, इसलिये मुझे मन्त्री महोदय को अवसर देना पड़ा। मन्त्री महोदय के प्रति इसमें कुछ आशंका थी, शायद वह ठीक पढ़ेंगे या नहीं, धीमे स्वर में आपत्तियां उठीं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

मन्त्री जी ने यह कहा, सदन की कार्यवाही है कोई पढ़ सकता है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

उन्होंने मदेरना साहब को पढ़ने को कहा या इशारा किया या जो कुछ किया, जबान से कहना या इशारा करना, सभी कृत्य कहा जाना माना जाता है। उन्होंने इशारा किया होगा या कहा होगा इसलिये मदेरना साहब ने पढ़ना प्रारम्भ किया तो प्रश्न यह उठा कि एक मन्त्री वक्तव्य दे रहा था तो दूसरे मन्त्री को कैसे अधिकृत कर दिया। माननीय विधि मन्त्री सदन के सम्माननीय सदस्य है यह उनके बुनियादी अधिकारों का प्रश्न है इस, प्रकार से कई कई आपत्तियां उठीं। वह मैंने निरस्त करने की कोशिश की लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो निरस्त करते करते भी वापस खड़ी हो

(श्री अध्यक्ष)

जाती हैं। तो होते होते यह फिर स्थिति बन गयी....

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिये।

यह सभी बातें सदन के समक्ष हुई, सभी घटनायें सदन के समक्ष गुजरीं तो उसके पश्चात् मामला सम्भलने में नहीं आया और काफी लम्बा होता गया तो फिर मुझे सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये बाध्य होना पड़ा। फिर बाद में यह बात आ गयी कि यह सारी कार्यवाही किन नियमों के तहत चल रही है, समय काफी ज्यादा हो गया है किन नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है। प्रारम्भ में जो कार्यवाही हुई वह नियमों के अन्तर्गत हुई। किसी भी माननीय सदस्य को अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। तो नियम के तहत मैंने उनको अवसर दिया। मैं प्रकरण को वहीं पर समाप्त करना चाहता था।

(व्यवधान)

लेकिन विपक्ष के नेता महोदय ने आपत्ति की। फिर विपक्ष के माननीय सदस्यों की आपत्ति के पश्चात् पक्ष के माननीय सदस्यों ने आपत्ति की। तो इस पर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया और मेरी बात भी पूरी सुनी नहीं लेकिन अब भी अगर माननीय सदस्य सुन लें तो इसको यहीं पर समाप्त कर दिया जाय, यह मेरी इच्छा है। आज सदन के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, जो कि आज विचाराधीन है उनको ले लिया जाय। आपत्ति जिस नियम के तहत की गयी उस नियम के तहत शुरू से बात जो हुई, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि किसी भी माननीय सदस्य के बारे में अगर कोई बात कही जाती है तो उसको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। उसके बाद में मैं तो कह रहा था कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं कही गई है लेकिन ...

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। इसके बाद में दूसरे माननीय सदस्य का वापिस अधिकार होता है कि वह भी अपनी बात कहें, फिर उसके बाद में मन्त्री महोदय ने अपनी बात कही तो बात यहाँ तक जो हुई वह नियमानुसार हुई है, उसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जो भी कार्यवाही हुई वह नियमों के अनुसार हुई है। इस सदन में कई दफा ऐसी चर्चायें होती हैं जो लम्बी हो जाती हैं। कई बार माननीय सदस्य विषय से हटकर भी बात करते हैं। आसन ने सदैव इस बात का ध्यान रखा है कि अगर वह बात जनहित में है तो आसन थोड़ा उसमें ढील दे देता है और ढील देने की कोशिश करता है।

(व्यवधान)

जब आप लोगों ने इतना समय लिया है तो फिर मेरा भी तो अधिकार है कि मैं कुछ बात अपनी कहूं, यह मेरा भी तो हक है।

Page No 145

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ।

माननीय सदस्य ।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कोई भी सदस्य अच्छी तरह से हिन्दी पढ़ सकता है वह पढ़े ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अब खत्म कीजिये इस चैप्टर को ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न यह आता है कि जिन माननीय सदस्य ने अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया अपने सम्बन्ध में ।

(व्यवधान)

अभी तो आप दुहाई दे रहे थे मन्त्री के लिये कि उनको किसी प्रकार से दबाया नहीं जाना चाहिए या यह नहीं होना चाहिये या वह नहीं होना चाहिये, अब उनकी खुद ही शिकायत कर रहे हैं। अब मेरी माननीय सदस्य, यह इच्छा है कि एक माननीय सदस्य यह सोचते हैं मैं नहीं पढ़ूं उनकी जगह कोई दूसरा पढ़े....

श्री भंवरलाल शर्मा : Then he should resign.

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अब कोई माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : Then he should resign.

श्री अध्यक्ष : आप तो बहुत ही हितैषी बनते थे इनके और अब आप ही इनको रेजिगनेशन देने की बात कहते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

अब उस दिन के वक्तव्य को हाउस के विपक्ष के नेता महोदय पढ़ दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप इस आपत्ति के विवाद में नहीं पड़ें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, अब इस प्रकरण को यहीं समाप्त करता हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई भी नहीं पढ़ेगा, यहां पर टेप सुना दें, कोई भी नहीं पढ़ेगा जो टेप हुआ है उसको सुना दें। पढ़ने की समस्या ही हल हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जब मन्त्रीजी ने और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की है तो पढ़ना चाहिये। उसको अधूरा नहीं छोड़ा जायेगा । विपक्ष के नेता महोदय पढ़ दें ।

(व्यवधान)

यह काफी समय तक लम्बा चल गया है।

Page No 146

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर पर दूसरा पाइन्ट आफ आर्डर नहीं आता है ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर बिलकुल ही अलग है । आपने जो निर्णय दिया है उससे हट कर बात कहूंगी ।

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी बात कह रहा हूं ।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सदन का इतना लम्बा समय माननीय सदस्यों ने लिया तो एक महिला दो मिनट का समय ले लें तो मैं समझती हूं कि कोई वज्रपात नहीं हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, साधारणतः विधि मन्त्रीजी का बयान कोई दूसरा पढ़ता तो मैं समझती हूं कि इसमें शायद किसी को भी कोई एतराज नहीं होता लेकिन जिन परिस्थितियों में सत्ता दल के माननीय सदस्यों ने एतराज किया चुनाचे विधि मन्त्री जी शायद उस बयान को सही नहीं पढ़ सकेंगे उन्होंने दूसरे मन्त्री जी को पढ़ने के लिए कहा ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन उनकी आपत्ति यह नहीं थी । इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्या और इस पर आसन ने व्यवस्था भी दे दी है । अब दुबारा यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

सुश्री पुष्पा जैन : आप मेरी पूरी बात तो सुन लें । मैंने पहले ही अनुरोध किया, मेहरबानी करके मेरी बात पहले सुन लें । इतना समय लिया गया है तो दो मिनट का समय आप मुझे दे दें । आप बहुत ही उदार हैं ।

अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में विधि मन्त्रीजी के बयान को पढ़ने पर आपत्ति की और आसन ने कहा, और दूसरे माननीय सदस्य पढ़ें मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं समझती हूं कि इस सदन में बहुमत सदस्य माननीय विधि मन्त्री जी की इन्टेग्रिटी पर डाउट करते हैं, माननीय विधि मन्त्री खुद अपनी इन्टेग्रिटी पर डाउट करते हैं ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई व्यक्ति, जो कि मंत्रिमण्डल का सदस्य हो, और मैं समझती हूं मंत्रिमण्डल में बैठना अनुचित होगा । लिहाजा विधि मन्त्रीजी को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें । अब कौन पढ़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पढ़ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय पढ़ दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसकी तो मुझे बहुत खुशी है, यह मेरा प्रिविलेज है, अध्यक्ष महोदय ने सत्ता पक्ष के सदस्यों और मंत्रिमण्डल के सदस्यों में विश्वास नहीं रख कर मुझमें विश्वास व्यक्त किया।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : यह तो शासन का निर्देश है। हमने विश्वास व्यक्त नहीं किया है।

(2.48 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शासन ने निर्देश दिया है तो भी यह मेरा प्रिविलेज है। इस सदन में सत्ता पक्ष के किसी भी सदस्य के अन्दर उनका विश्वास नहीं है। मेरे ऊपर विश्वास है।

(व्यवधान)

यह मेरा निवेदन है शासन ने यह निर्देश दिया है कि विपक्ष के नेता महोदय इसको पढ़ेंगे।

श्री सभापति : यह माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने हास्य मुद्रा में कहा है। हास्य मुद्रा में कहा है जो कुछ भी कहा।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : पर यह रिकार्ड में तो नहीं लिखा जायेगा।

श्री सभापति : हास्य मुद्रा में कहा है आप इसको गम्भीरता से नहीं लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय ने सत्ता पक्ष के सदस्यों को मौका न देकर विशेष तौर से मुझे जो पढ़ने का मौका दिया है इसके लिए मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, प्रश्न यह है :

"गोपाल गढ़ (भरतपुर) में

कब्रिस्तान की भूमि पर

अतिक्रमण

श्री चाव खां : क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के कस्बा गोपालगढ़ में कदीमी कब्रिस्तान पर कुछ व्यक्तियों द्वारा मकान तामीर कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो किस, किसने ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी अधिकारी को भेज कर इसकी जांच भी करवा ली गई ? यदि हां, तो सरकार इस अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों।

वक्फ मन्त्री (श्री अहमद बख्श सिन्धी)

(1) जी हां। परन्तु राजस्थान राजपत्र में इस कब्रिस्तान का प्रकाशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं हुआ है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के नियमानुसार कार्यवाही वक्फ सम्पत्ति जो नाजायज काबिजान के कब्जे में है उसे बेदखल करने के आदेश दिनांक 27-7-84 को दिये गये थे। वक्फ बोर्ड मुरादखां व अन्य नाजायज काबिजान के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि अनाधिकृत अधिवासियों की बेदखली अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही करने जा रहा है।"

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि श्री मुराद खां, जो कि हमारी यूनियन के सदस्य भी हैं, इस पर उन्होंने नाजायज तरीके से अपना मकान भी कब्रिस्तान में बनवा लिया है। इसके साथ ही वह बोर्ड के सदस्य भी हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह भी सच है कि ये राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदस्य है और सदस्य होने के कारण कदीमी कब्रिस्तान पर पक्का मकान कायम किया है और यह सच है तो सरकार क्या उसको अलहदा करने का इरादा रखती है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि यह अभी तक कदीमी कब्रिस्तान है और जिसके लिए शिकायत होने पर सरकार ने अपना अधिकारी वहां पर भेजा और उन्होंने रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को दी है और रिपोर्ट क्या यह रिपोर्ट आपकी फाइल में है।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय सदस्य ने खुद ने शिकायत की थी और दूसरों ने भी शिकायत की थी कि श्री मुराद खां ने उस कब्रिस्तान पर जो कि कदीमी कब्रिस्तान है, एक मकान और दो दुकानें बना ली हैं उसकी इन्क्वायरी राज्य सरकार की ओर से चल रही है, अभी उसका फैसला नहीं हुआ है, शहादत होनी है, माननीय सदस्य की शहादत भी ली जायेगी और रिपोर्ट भी मंगवाई है उस पर उनका नाम भी अंकित है। सदन की मेज पर जो फहरिस्त रखी गयी है उसमें भी मुराद खां जी का नाम है लेकिन जब तक इन्क्वायरी में साबित नहीं हो जाये तब तक उसको दोषी नहीं मान सकते।

राजस्थान में शायद हिन्दुस्तान की किसी भी रियासत में ऐसा नहीं, हमारे यहां एस्टेट आफिसर कायम है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों से बेदखली का काम करेगा और आपका कब्रिस्तान भी शामिल है। जिस कब्रिस्तान का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है उसके लिए एस्टेट आफिसर इन्क्वायरी करके फैसला देगा उस पर अमल किया जायेगा। जहां तक नाजायज कब्जों का ताल्लुक है, राजस्थान भर की वक्फ प्रापर्टी पर नाजायज कब्जे हैं उनसे बेदखल करने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी कार्यवाही की जा रही है और उनकी हदें डिटरमिन कर दी गयी हैं।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया सबूत आने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, जब आपका अधिकारी वहां पर पहुंचा और एक बार ही नहीं दो बार पहुंचा और पूरी रिपोर्ट दी गई, और उसके बाद दूसरा अधिकारी जिसने हाल ही में रिपोर्ट बनाकर दी है, उसके बाद भी आप क्या सबूत चाहते हैं। सारी बात साबित हो गयी, लिस्ट आपको दे दी, मकान वहां पर बना रहा है। सदन के माननीय सदस्य हैं, क्या सरकार उसका कब्जा हटायेगी। उसका कब्जा हटेगा तो दूसरों को भी सबक मिलेगा कौन-सा सबूत पेश करवाना चाहते हैं वह हमें बतायें।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, यह इन्क्वायरी सैक्रेटरी वक्फ बोर्ड कर रहा है, कौन सा सबूत बाकी है या कौन सा चाहिए यह उनके डिस्क्रिशन की बात है।

(व्यवधान)

आप सुन लीजिए मेरी बात। यह उनके डिस्क्रिशन का सवाल है। वह जैसे ही रिपोर्ट करेगा राज्य सरकार उस पर अमल करेगी और साबित हो गया कि अनधिकृत कब्जा किया है तो एस्टेट आफिसर द्वारा उसको हटाया जायेगा और उसके खिलाफ कार्यवाही साबित नहीं हुई तो कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : आपके रिकार्ड में चीज आ गयी फिर आप क्यों नहीं कदम उठा रहे हो, क्यों उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सूची का हैडिंग पढ़ें तो स्पष्ट हो जायेगा–कब्रिस्तानों पर नाजायज काबजानों की सूची। इसका मतलब नाजायज कब्जे हैं, फिर क्या सबूत चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह तो विभाग का पक्ष है दूसरे पक्ष की सुनवाई भी करनी पड़ती है सबूत पेश करने पड़ते हैं, यह तो एक पक्ष है।

श्री भूपालसिंह : यूनियन मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि कब्रिस्तान की जमीन जहां पर मुसलमान पापुलेशन मौजूद है उस पर न तो मकान बनाये जा सकते हैं और न किराये पर दी जा सकती है। तो यह प्रूफ हो गया फिर इन्क्वायरी किस बात की ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है माननीय सदस्य। अलग प्रश्न,

श्री चाव खां : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जब तक यह साबित न हो, साबित तो वैसे हो चुका है, दो रिपोर्ट

Page No 150

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आ चुकी हैं, इसके बावजूद भी इन्क्वायरी करना चाहते हैं, तो अपनी सदस्यता से तो खत्म करें।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपकी बात समझ में नहीं आई, दुबारा फरमावें।

श्री चाव खां : दो दफा जांच कराने के बाद यह साबित हो गयी कि नाजायज कब्जा है जैसा कि लिस्ट में भी आ गया है। दूसरी बात जब तक इन्क्वायरी चले वक्फ बोर्ड की सदस्यता से तो अलग किया जाये।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न–श्री हंसराज,

इसमें आरोप क्या है ? अध्यक्ष महोदय, पंछी की जान खा गए। एक मियां बैठा है उस मियां के कपड़े फाड़ दिये यह कोई अच्छी बात है।"

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सूर्यकुमार जी, आपने सुना था। मैंने यह सुना है कि श्री अहमद बक्श सिंधी ने कहा है कि इन्होंने कब्जा कर लिया है। आप यह फर्मा रहे थे ...

श्री सूर्यकुमार : अगर आपने मेरा फर्माना सुना हो तो मैंने यह कहा है कि इस भ्रम को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए इस भ्रम को दूर करने के लिए यह सारा मामला लाया गया। और यह भ्रम दूर हो गया ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्य भाई सूर्यकुमार जी ने जो अभी कहा, सही मायने में सदन के इधर के सदस्य, जो इस साइड में बैठने वाले सदस्य, हैं, के अन्दर इस बात के लिए बेचेनी थी कि राजस्थान पत्रिका के अन्दर जिस प्रकार के बयान छपे और कुछ लोगों ने जो बातें सुनीं उससे कन्फ्यूजन की स्थिति निश्चित तौर पर आ गयी। अब क्योंकि हमारे सदन की कार्यवाही पढ़ी है निश्चित तौर से धारणा साफ हो गयी कि माननीय सदस्य श्री मुराद खां पर कोई इस प्रकार का चार्ज नहीं है....

अनेक माननीय सदस्य : चार्ज तो है....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सुनिये। सुनिये। बैठिये।

सभापति महोदय, प्रश्न इस बात का है, इससे साफ हो जाता है कि मुराद खां के सम्बन्ध में जिस प्रकार का राजस्थान पत्रिका ने भ्रम पैदा किया और विधान सभा के सदस्यों ने जो बातें सुनीं उससे कन्फ्यूजन हो सकता है। इस सदन में इस भ्रम को साफ कर दिया है। माननीय विरोधी दल के सदस्य श्री भैरोंसिंह जी शेखावत साहब के द्वारा प्रोसीडिंग्स पढ़ने के बाद साफ स्पष्ट हो जाता है कि मुराद खां कोई दोषी नहीं हैं और श्री अहमद बक्श सिंधी के ऊपर भी किसी प्रकार की गलत बयानी की साजिश बनती नहीं है। ऐसी स्थिति में जो भी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

प्रिविलेज मोशन बनता है वह राजस्थान-पत्रिका के ऊपर बनना चाहिए। प्रिविलेज मोशन आना चाहिए वह राजस्थान पत्रिका के ऊपर आना चाहिए उसने गलत बयानी की है।

श्री यदुनाथसिंह : प्रथम जांच का दोषी है...

(व्यवधान)

सभापति महोदय, I rise on a point of order, sir.

श्री सभापति : इस मामले में चर्चा समाप्त हुई। please इस पर काफी चर्चा हो गयी। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो कार्यवाही का विवरण सदन के समक्ष पढ़कर सुनाया उसके बाद में माननीय विधि मंत्री जी ने जो कुछ कहा और माननीय मुराद खां और माननीय चाव खां साहब का स्पष्टीकरण हुआ, वह सब के सामने आ चुका है। मैं समझता हूं कि इस बारे में राजस्थान पत्रिका में जो कुछ छपा है, अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि उसमें कितनी सचाई है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सच्चाई है। सभापति महोदय, सच्चाई है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मुराद खां दोषी पाया गया है इसमें कोई गलत नहीं है ...

(व्यवधान)

सभापति महोदय, I rise on a point of order, sir.

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। लीडर आफ अपोजीशन। आर्डर, आर्डर। लीडर आफ अपोजीशन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, इसमें दो मूल प्रश्न आते हैं। एक तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करूंगा यदि एक उदाहरण सदन के सामने उपस्थित नहीं करूं ...

श्री सभापति : अब आप लम्बा कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, बहुत सीरियस मैटर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने जो प्रोसीडिंग्स पढ़ी सारे सदन ने पूरे अटेन्शन के साथ सुनी। हर माननीय सदस्य ने जो इनफरेन्स निकालना चाहिए था वह निकाला। आप के पठन के बाद माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के सब सन्तुष्ट हैं। इस मामले को यहीं समाप्त कीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय सदस्य ने नया पाइन्ट उठा दिया, सभापति महोदय....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपने जो भी पढ़ा है और दो घण्टे से चल रहे वार्तालाप

(श्री सभापति)

को जिस ढंग से आपने शांत किया पढ़ कर और जो सन्तोष दोनों पक्षों को हुआ, उसको आगे मत बढ़ाइये ।

(3.00 म. प.)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है....

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सरकारी तरफ से पहले बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आसन की व्यवस्था की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, सभापति महोदय ।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, पहले आपने लीडर आफ अपोजीशन का नाम लिया है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : सबसे पहले प्रति पक्ष के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको अवसर दूंगा ।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है । मैं दूसरा कुछ कह रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं समझता हूं मेरी जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं होगा यदि एक बात को ओर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा । सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जब मैं राज्य सभा का सदस्य था तब एक प्रश्न राज्य सभा में पूछा गया कि अमुक पार्टी को इम्पोर्ट लाइसेन्स दिया गया, यह क्यों दिया गया ? उसके ऊपर सरकार की ओर से उत्तर दिया गया कि यह इम्पोर्ट लाइसेन्स इसलिये दिया गया कि इस पर 40 एम. पीज ने सिफारिश की थी । एक प्रश्न यह आया कि उन नामों को पढ कर सुनाया जाय । उस समय चट्टोपाध्याय कामर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने सबके नाम पढ़ कर सुना दिये । सभापति महोदय, आप भी जानते होंगे तुल मोहन नाम का केस था....

श्री सभापति : वह सबको मालूम है । आप इस मामले को फिर रिवाइव कर देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, रिवाइव नहीं करूंगा । मैं चाहता हूं कि इस सदन में कोई गलत परम्परा नहीं पड़ जाय । मैं इसलिए कहना चाहूंगा, उस सम्बन्ध में निर्णय यह हुआ कि संसद सदस्य का नाम आता है तो हाउस में डिसक्लोज करने से पहले संसद सदस्य को पूछना चाहिए था कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह संसद सदस्य ने सिफारिश की, यह बात सही है या सिफारिश नहीं की है। इस प्रश्न पर कई दिनों तक वाद-विवाद चला है। यहां प्रोसीडिंग में, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय जनार्दन सिंह जी ने कह दिया कि पत्रिका में जो बात लिखी है, वह गलत है। पत्रिका में लिखी हुई बात इसलिये गलत नहीं है कि उस प्रश्न के अन्त में लिखा है जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसकी सूची संलग्न है और उस सूची में मुराद खां जी का भी नाम है इसलिये यदि पत्रिका ने लिख दिया तो आपत्ति क्यों हो गई? पत्रिका के आधार पर आप सन्तोष करके चलें कि मुराद खां जी ने उस पर कब्जा नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो मूल में प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय को किसी विधायक का नाम इस हाउस में डिसक्लोज करना चाहिए? सभापति महोदय, इसके खतरे हैं। आज मेरे खिलाफ या माननीय परसराम जी के खिलाफ एक आदमी हाउस के बाहर तो बोल नहीं सकता, समाचार पत्र में कुछ छप नहीं सकता कोई एक आरोप पत्र मुख्य मंत्री को दे दें कि परसराम जी ने यह गड़बड़ की या भैरोंसिंह ने यह गड़बड़ की और एक माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछे कि क्या मुख्य मंत्री जी के पास परसराम जी या भैरोंसिंह के खिलाफ कोई शिकायत आई है। तो मुख्य मंत्री जी का उत्तर होगा हां, शिकायत आई है। उस शिकायत में क्या लिखा है, उस शिकायत में लिखे सारे मन गढ़न्त आरोपों को यदि सदन में खोल दिया जाय या डिसक्लोज कर दिया जाय तो इस सदन का पर्पज खतम हो जायगा जिस आदमी ने मिसचीफ करने की योजना बनाई वह निश्चित रूप से सफल हो जायगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था के लिये नहीं, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा और सरकारी पक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी विधायक या संसद सदस्य का नाम मैं समझता हूं, पहले तो अवाइड करना चाहिये और यदि नाम आप लें लें तो इस आधार पर नाम लेना चाहिये कि फिर उस नाम को बक आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं हो। आपने स्वयं ने यह कहा कि मामले की अभी तक जांच हो रही है। जांच हो रही है तो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया, उसमें मुराद खां का नाम आपने किस आधार पर लिख दिया।

(व्यवधान)

यह पाइन्ट है, इसलिये कांग्रेस पक्ष के सदस्य यह कह रहे हैं कि मुराद खां का नाम नहीं आना चाहिये था। मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं, इस मामले में आप स्वीकार कर रहे है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच होगी तब कार्यवाही होगी। जांच के बिना कोई कार्यवाही नहीं हो सकती तो, अहमद बक्श जी सिंधी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपने मुराद खां का नाम किस आधार पर लिखा है। यह मैं पूछना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं कोई अहमद बक्श जी या इस सदन के अन्य सदस्य का नाम नहीं लेता मुझे इसमें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिसचीफ लगती है। कोई भी सदस्य के खिलाफ मिसचीफ हाउस में कर सकता है, किसी मंत्री के खिलाफ कर सकता है, कोई भी आरोप लगाकर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिये इसमें तो आप व्यवस्था दें तो हिस्टोरिकल व्यवस्था होगी। कल पत्रिका में रामनारायण जी का नाम भी आयेगा कि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था दी थी। यदि आपने व्यवस्था नहीं दी....

(व्यवधान)

यह मेरे सामने कोई पत्रिका या अहमद बक्श जी नहीं हैं। मैं समझता हूं सदन के सब माननीय सदस्यों के प्रिविलेज का प्रश्न है। किसी भी मेम्बर के खिलाफ कोई भी XXX आरोप लगाकर, आज मान लीजिये, एक माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई आई० जी० को आरोप लगाकर भेज दें और उसमें 20 चार्जेज लगा दें, भले ही एक चार्ज भी नहीं हो, और यहां पर गृह मंत्री को कोई सवाल पूछें कि क्या यह सही है कि अमुक सदस्य के खिलाफ इन्सपेक्टर जनरल को कोई शिकायत प्राप्त हुई, और वह उस शिकायत को हाउस में पढ़कर बता दे तो बुरा उदाहरण होगा संसदीय परम्पराओं के लिये। इसलिये ऐसे उदाहरणों को रोकना चाहिये। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, चाहे कोई व्यवस्था दें या न दें लेकिन सरकारी पक्ष को इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिये किसी विधायक का नाम लेने से पहले, जब तक चार्ज एस्टेब्लिश नहीं हो जाय, इन्क्वायरी की स्टेज पर इस सदन में विधायक का नाम नहीं लिया जाय। यह परम्परा अच्छी होगी। सरकारी पक्ष यदि इस प्रकार का एश्योरेन्स दे देता है तो यह सारा मामला अपने आप समाप्त हो जाता है, गहलोत साहब ने जो एक बात कही, सदन ने उसको सीरियसली नहीं लिया। मैं समझता हूं आपका डाइरेक्शन पत्रिका के अगेन्स्ट में था लेकिन तीर आपका चला नहीं, तीर आपका खाली गया, पत्रिका में जो बात छपी है, वह सही है। आप किसी से साबित करवा लें, इस प्रोसीडिंग का ईमानदारी से कोई अखबार वाला रिपोर्टिंग करेगा तो यही रिपोर्टिंग होगा जो पत्रिका में प्रकाशित हुई है। वह वही करेंगे जो हाउस में प्रोसीडिंग है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, मैं नहीं समझता विरोधी पक्ष के नेता अभी तक तो विधि मंत्री जी की पैरवी कर रहे थे अब विधि मंत्री जी को फिर उसमें खड़ा करना चाहते हैं। सभापति महोदय, बात साफ नहीं होती है। माननीय विरोधी दल के नेता किस समय क्या कह जायं, कैसे समझ में आये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No 155

श्री मेघराज तावड़ : पाइन्ट आफ आर्डर। मैंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है पहले।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, अभी प्रोसीडिंग्स पढ़ी गई, प्रोसीडिंग्स पढ़ने के बाद करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने एतराज किया उस एतराज पर विरोधी दल के नेता ने यह बात कही कि किसी सदस्य की अगर कोई शिकायत है तो उसका नाम नहीं पढ़ना चाहिये। सभापति महोदय, सदन के सदस्य होने के नाते मैं कहता हूं सबसे पहले पढ़ना चाहिये क्योंकि वह तो यहां जवाब देने के लिये मौजूद है, जो लोग बाहर मौजूद हैं, यह इसलिये है, जो जांच हुई है, जांच के आधार पर, प्राथमिक जांच के आधार पर नाम क्यों नहीं दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, मुझे सुन लीजिये। मैं बोला ही नहीं।

श्री सभापति : है क्या ?

श्री मेघराज तावड़ : आप विराजें।

श्री सभापति : है क्या ?

श्री मेघराज तावड़ : आप पहले विराजें तो सही फिर मैं कहूं।

सभापति महोदय, बड़ा अफसोस है कि आज हमारे दो-ढ़ाई घंटे एक ऐसी बहस में ही निकल गये। जो हमारे महत्वपूर्ण मसले थे, उनके लिये हमें समय नहीं मिलेगा। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं····

(व्यवधान)

सभापति महोदय, जो मसला इस हाउस में हुआ है उसमें हम यह मानें कि दो माननीय सदस्यों के सवाल को लेकर हुआ है। एक माननीय सदस्य तो वह हैं जो विपक्ष में है उन्होंने प्रश्न पूछा····

(व्यवधान)

दूसरा जो उत्तर आया था तो दोनों पक्षों ने····

(व्यवधान)

सभापति महोदय, सुन तो लीजिये। इधर वालों की भी इज्जत है और उधर वालों की भी इज्जत है। इन्होंने कहा सदन से इस्तीफा दे दूंगा····

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : सुन लीजिये, मैं सदन के सामने अन्तिम बात कहना चाहता हूं, मैं तथ्य लाना चाहता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : इस पाइन्ट को लेकर उठा है,

(श्री मेघराज तावड़)

(व्यवधान)

आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्या मेरा अधिकार नहीं है विचार व्यक्त करने का, कुछ कहने का।

श्री सभापति : क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मेघराज तावड़ : इन दोनों के ऊपर जिस तरीके से चर्चा की है, दोनों माननीय सदस्यों के बारे में कहा है, एक ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। कौन दोषी है और कौन नहीं है, इसके लिए सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी गठित की जावे जो सारे मामले की जांच करे....

श्री सभापति : बैठिये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : ....कि वास्तव में कब्जा है या नहीं।

श्री सभापति : बैठिये माननीय देवीसिंह जी भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या करना है मुझे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री मेघराज तावड़ : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है वह निरस्त हो गया। आपने सभापति महोदय, क्या निर्णय दिया।

श्री सभापति : आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता। माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उनमें माननीय देवीसिंह जी भाटी का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको दो दो मिनट बोलने की इजाजत दी है जिनका रिजेक्ट किया है। माननीय देवीसिंह जी का प्रस्ताव है बीकानेर में सूरसागर में गन्दा पानी और गन्दे नाले के कारण गन्दगी के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : 18 के ले रहे हैं या 18 के पहले के ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। आज जो व्यवस्था दी है अध्यक्ष महोदय ने पहले उनके बारे में, उसके बाद में पहले वाले लिये जावेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मैं तीनों के बारे में ही बोल देता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले जो मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था बीनासर हमारा कस्बा है बीकानेर नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर। उस नगर परिषद क्षेत्र के बिल्कुल सटता हुआ एक चालीस बीघा गोचर भूमि छोड़ी हुई है। किसी एक दानवीर ने, सेठ ने वह जमीन दी गांव वालों के लिए। उसने राज्य कोष में शुल्क जमा करवाया पशु धन के चरने के लिए। इसके अन्दर एक करोड़-पति सेठ ने बीस सूत्री कार्यक्रम की ओट लेकर वन विभाग को गुमराह कर अपनी

(श्री देवीसिंह भाटी)

स्वयं की भूमि बता कर यह प्रार्थना पत्र दिया कि मैं स्वयं मेरी भूमि पर 15 हजार पेड़ लगाना चाहता हूं। मुझे 15 हजार पेड़ दिये जावें। इसके ऊपर, सभापति महोदय, 15 हजार पेड़ उस सेठ झूमरमल को दे दिए गए। जब मौके पर उसने ले जाकर वह पेड़ लगाने चालू किए और साथ में कब्जा कराना चालू किया बाड़ द्वारा या अन्य प्रकार से जो भी वह कब्जे करना चाहता था, उसके पीछे नियत यह थी कि किसी भी प्रकार से यह भूमि चालीस बीघा गोचर की है यह मैं कब्जा कर लूं। सभापति महोदय, वह कब्जा करने जा रहा था, पूरे बीनासर कस्बे के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के कारण झूठा मूठा मुकदमा दर्ज करवाया कि मैंने वहां पेड़ लगा रखे थे जबरदस्ती लोगों ने आकर उनको उखाड़ दिया, पेड़ों को हटा दिया और बाड़ को जलाने की कार्यवाही की। इस प्रकार का मुकदमा 12–8–84 को दर्ज करवाया।

सभापति महोदय, हकीकत यह है, राज्य सरकार से जो जानकारी आई है उसके अन्दर तो सिर्फ इतना बताया है कि जो 15 हजार पेड़ थे तहसीलदार ने स्वयं कार्यवाही करके जो पेड़ अनधिकृत लगाए हुए थे उनको हटा दिया, जब कि उसने रिपोर्ट लिखवाई कि वह 15 हजार पेड़ बीनासर कस्बे के नागरिकों ने हटाए हैं और जो नाजायज कब्जे थे वह नागरिकों ने हटाये हैं। इस प्रकार का मुकदमा हुआ है। तो इसके सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में राज्य सरकार से जानकारी नहीं आई। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि गलत तरीके से लोगों के नाम लिखाए गये हैं 12–8–84 के मुकदमे में अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। होना यह चाहिए कि उसके अन्दर दोषी के खिलाफ कार्यवाही हो परन्तु दोषी के खिलाफ कार्यवाही भी नहीं हो रही है। राजनैतिक दवाब के कारण करोड़पति सेठ होने के कारण उस मुकदमे को वहीं का वहीं रोक रखा है।

कलेक्टर ने स्वयं आदेश दिया है, एस. डी.एम. और तहसीलदार मौके पर गये हैं। उन्होंने मौके पर खड़े रह कर कब्जे और नाजायज पेड़ हटाये हैं। सभापति महोदय, मेरा इसके अन्दर निवेदन करना था कि बीनासर कस्बे के अन्दर जिस प्रकार की कार्यवाही चल रही है, एक करोड़पति सेठ ने नाजायज कब्जा करना चाहा, उसके विरोध स्वरूप आज डेढ़ महीने से लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, इसका विरोध चल रहा है परन्तु पुलिस विभाग कतई कोई कार्यवाही कर नहीं रहा है। दूसरी तरफ वन विभाग ने सेठ झूमरमल के खिलाफ एक धोखाधड़ी का केस रजिस्टर करवाया था; पर सेठ के प्रभाव के कारण उसके अन्दर भी कार्यवाही नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव देने का मतलब था उसके लिये राज्य सरकार से जानकारी आई है उससे मैं कतई सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं यह चाहता हूं कि जो चालीस बीघा पर नाजायज कब्जा करने के कारण

(श्री देवीसिंह भाटी)

उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें कार्यवाही की जावे। जो गलत तरीके से नागरिकों के झूठे नाम लिखाये हैं। इस मुकदमे के अन्दर उसको तुरन्त हटाया जावे। इसकी सरकार ने कोई जानकारी आपको नहीं भेजी है मैं यह निवेदन करता हूं आखिर में, सभापति महोदय, लगातार जब डेढ़ महीने से यह आन्दोलन चल रहा है, धरने दिये जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, शांतिपूर्वक नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आठवें महीने का यह मुकदमा है, दूसरा भी मुकदमा वन विभाग का है उसके अन्दर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर कार्यवाही समय पर नहीं हुई तो निश्चित रूप से अशांति फैलेगी। बीन सर कस्बे के नागरिकों ने ही नहीं, पूरे गंगासर कस्बे और बीकानेर के नागरिकों ने भी इसका विरोध किया है। सब अखबारों में हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े अखबार और छोटे अखबारों की हैड लाइन में छपा है।

सभापति महोदय, बीकानेर शहर के गन्दे नाले सूर सागर की जो समस्या है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पर्यटन स्थल जूनागढ़ के सामने जो यह एक जलाशय था इसको नगर परिषद वालों ने एक गन्दे पानी का एक तालाब बना दिया। गन्दा पानी सारा उसके अन्दर आकर इकट्ठा होता है। यह मुख्य सड़क पर है। इसके आस पास काफी बड़ी बस्तियां हैं, गिरानी, मांजीसा का बाग, रानीसर, रथखाना, सादुल कालोनी, ये सब उसके आस पास बसी हुई हैं। लोगों को नरकीय जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है, वह कहीं जा नहीं सकते। सरकार इसके सम्बन्ध में कतई सोचती नहीं है। सभापति महोदय, सन् 82 के अन्दर मुख्य मंत्री स्वयं वहां आए। उनको अलग अलग लोगों ने ज्ञापन दिए मैं स्वयं भी उनसे मिला। उन्होंने वहां यह आश्वासन दिया और घोषणा की, कि मैं उच्च स्तरीय अभियांत्रिकी कमेटी का गठन करता हूं। जब वह रिपोर्ट दे देगी तब हम तुरन्त इसका समाधान करेंगे। उस रिपोर्ट को मिले हुए भी आज डेढ़ साल हो गया परन्तु उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। सभापति महोदय, सूरसागर और गन्दे नाले की समस्या की ओर आप ध्यान नहीं देंगे तो जैसे ही बारिश थोड़ी बहुत होती है वहां चारों तरफ पानी फैल जाता है क्योंकि गन्दे नाले साफ होते नहीं और सूरसागर के अन्दर सिल्ट भर गई है। इस स्थिति को हर वर्ष वहां लोगों को भुगतना पड़ता है। सभापति महोदय, सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं यह कहता हूं कि यह आपको किसने अधिकार दे दिया, वहां जो नागरिक बसे हैं सैकड़ों वर्षों से आप उनको कैसे मजबूर कर सकते हैं कि तुम नारकीय जीवन जीओ। उनके घरों के बीच में से बड़ा नाला निकाल दिया, जगह जगह वह बीच में ले जा कर सूर सागर में डाल दिया फिर वही नाला आगे बड़ी बस्तियों में निकाल दिया। तो मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सूर सागर और गन्दे

(श्री देवीसिंह भाटी)

नाले के बारे में जो मुख्य मन्त्री ने वहां आश्वासन दिया, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है उस पर शीघ्र कार्यवाही हो, नहीं तो, अदरवाइज आज तक वहां के नागरिक बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपने ज्ञापन देते रहे हैं, मुख्य मंत्री से बड़े प्रेम से मिलते रहे हैं परंतु मात्र उनको आश्वासन जो दिया है। इस आश्वासन से वह जीने वाले नहीं हैं। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जावे और इस समस्या का शीघ्र समाधान करें वरना इस सरकार को भुगतना पड़ेगा आगे चुनाव भी आ रहे हैं।

सभापति महोदय, आखिर में तीसरे विषय पर बोलना चाहता हूं। बीकानेर जिले के कोलायत तहसील मे विस्थापितों के दो हजार परिवार बसाए गए। राज्य सरकार से यह सूचना आई कि हमने पेयजल की सारी जगह व्यवस्था कर दी है। पिछले सत्र में भी मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर माननीय पुनर्वास मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि हमने भारत सरकार को लिखा है और हमारे पास राशि आने पर हम शीघ्र व्यवस्था करेंगे परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मौके पर पी. एच. डी द्वारा डिग्गियां बनाई गई हैं पर वहां अभी तक नहर ही नहीं बनी है फिर आप पानी काहे में डालोगे। सिर्फ डिग्गियां बनाने से कुछ नहीं होता। डिग्गियां बनी हैं कई जगह परन्तु वहां पानी नहीं है। नहर से जो पानी डाला जाना था वह पानी अभी तक आया नहीं। जो दो हजार विस्थापित आये हैं उनके पास न ऊंट है, न बैल है, न कोई अन्य साधन है। आपने टीबों में ले जाकर अलाटमेंट कर दिया। टीबों में 20-25 मील तक कहीं मीठे पानी का स्रोत नहीं है। उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वह वहां बसें परन्तु ऐसी हालत में बसें कि 20-25 मील तक घड़े लिए घूमते रहें। सभापति महोदय, राज्य सरकार जिम्मेदार है, केन्द्र सरकार ने पैसा दिया है, राज्य सरकार का कोई पैसा नहीं है। केन्द्र सरकार ने पेयजल व्यवस्था के लिए, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सालय, आवागमन के साधन, सड़क के लिए पैसा दिया है परन्तु वह पैसा वहां पर लगा नहीं। मात्र 4-5 डिग्गियां बना दी परन्तु एक जगह पीने का पानी है नहीं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो विस्थापित परिवार वहां पर बसे हुए हैं उनके लिए सबसे पहले आप पेयजल की व्यवस्था करें। अभी बीच में पानी की स्थिति विकट हुई तो मात्र एक टैंकर उनके लिए रखा। वह जगह-जगह पर आबाद हैं परन्तु उनको पूर्ण रूप से पेयजल की सप्लाई नहीं हुई। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि उस क्षेत्र के 2005 विस्थापित परिवारों के लिए पेयजल की व्यवस्था करें। अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वोट तो देंगे ही नहीं परन्तु वोट के साथ और भी कुछ कर सकते हैं। आपको अगर प्रजातंत्र को जिन्दा रखना है तो उसके लिये समुचित व्यवस्था करने पर ध्यान दें और उन विस्थापितों की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको समय पर पूर्ण करें।

श्री सभापति : श्री बालचन्द्र आर्यवीर,

(श्री सभापति)

श्री अनंगकुमार जैन, श्री चुन्नीलाल जेलिया। सवाई माधोपुर जिले में चोरी झगड़े और हत्या आदि अपराधों के सम्बन्ध में।

श्री महावीर प्रसाद जैन।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, चुन्नीलाल जी नहीं बोल रहे हैं। श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): सभापति महोदय, एक तो मेरा बिजली से संबंधित स्थगन प्रस्ताव है। नवम्बर तक टौंक जिले में 550 कनेक्शन देने थे और 56 नये गांवों को विद्युतीकृत करना था। हालांकि स्कीम के अनुसार 125 गांव विद्युतीकृत करने चाहिए थे लेकिन इन्होंने जो स्वीकृति भेजी और जो टार्गेट दिये गये उसके अनुसार 56 गांव टौंक जिले में विद्युतीकृत करने थे और करीब 550 कृषि कनेक्शन देने थे लेकिन अक्टूबर समाप्त होने जा रहा है और नवम्बर आने वाला है फिर भी किसी प्रकार की तैयारी नहीं है अभी तक 5 गांव भी विद्युतीकृत नहीं किये हैं और 100 कनेक्शन भी नहीं दिये गये हैं। इसलिए आपके माध्यम से विद्युत् मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह टार्गेट समय पर पूरे हों युद्ध स्तर पर, कोई सामान का बहाना न बने और किसी प्रकार का बहाना न बने। मैं चाहता हूं कि बिजली गांवों में ठीक समय पर पहुंचे। और विद्युत् कनेक्शन दिये जायं। टौंक जिला पहले से ही पिछड़ा हुआ है विद्युत् की दृष्टि से सबसे कम गांव विद्युतीकृत हुए हैं। और तो और, मेरा निवेदन है, घरेलू कनेक्शन के लिये भी 1-11-83 को हमीदपुरा में 33 फाइलें थीं जिनमें डिमाण्ड नोटिस के बाद पैसे जमा करा दिये गये और 15 दिन पश्चात् उनके एल-फार्म भर दिये गये लेकिन उनको आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया। 2–3 साल से फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं फिर न तो वहां एस्टीमेट दिये जा रहे हैं न डिमाण्ड नोटिस निकालते हैं। डिमाण्ड नोटिस निकाले तो पैसे जमा हो गये फिर भी उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको समय पर कनेक्शन मिल जायं इस प्रकार की व्यवस्था करें।

दूसरा, मेरा यह प्रस्ताव है पाठ्य पुस्तक मण्डल, टौंक के डिपो पर सील लगा दी गई। जो कि राज्य सरकार का उत्तर आया है यह बिल्कुल भ्रामक है, तथ्यों के विपरीत है। मैंने निवेदन किया था कि जुलाई से डिपो बन्द है। जुलाई में 4–5 दिन चला जैसा कि इन्होंने स्वीकार किया है कि जुलाई के बाद अगस्त में इनको सूचना प्राप्त हुई और 24 तारीख को डिपो पर सील लगा दी गई जिससे रिकार्ड में हेराफेरी न हो। इन्होंने एक बात और कही है कि 7 अगस्त से बिक्री बन्द है। 2-8-84 से 28-8-84 तक नये कोर्स की किताबें पहुंचाई जा चुकी हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 24-8 को सील लगा दी। 23-8 को आपका वरिष्ठ अधिकारी वहां पर गया उसने वहां पर अनुपस्थिति पाई, 24 को

Page No 161

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सील लगा दी गई उसके बाद किताबें किसके पास पहुंची ? माननीय सभापति महोदय, यह बच्चों की जिन्दगी का सवाल है। बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाजार में उनकी लूट हो रही है। जो रेट किताब पर प्रिन्ट है, जिस कीमत पर दूकानदारों को किताबें दी गई उस कीमत से दुगुनी कीमत पर बाजार में किताबें बेची जा रही है। इतना ही नहीं उनके साथ कुंजियां बेच रहे हैं किताब 2/– की और कुंजी 15/– की। एक एक को 50–50, 100–100 रुपये को कुंजी दी जा रही है। इस प्रकार से खुले आम लूटा जा रहा है, मैं नहीं समझता, किसी प्रकार से जनहितकारी कहलाने के योग्य यह सरकार है। इसमें सरकार कहलाने की चीज ही नहीं है। इनको सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं क्योंकि बच्चों की पाठ्य पुस्तकों का इन्तजाम नहीं कर सकते, किताब की दुगुनी कीमत लेने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। 8वें महीने में सील लगाई गई लेकिन आज तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया गया, कोई आलटरनेट व्यवस्था नहीं की गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के बच्चों को किताबें मिले इसकी व्यवस्था की जाय।

तीसरा मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, वहां के पशु चिकित्सालय में बहुत नकली दवाएं दी जा रही हैं। यह प्रस्ताव रखा है, यह बाइफर की सिविद है, इसकी कीमत 28 रुपये और कुछ पैसे हैं। यह वहां के पशु चिकित्सालय से इश्यू की गई है। सभापति महोदय, यह दवा खरीदते हैं इसकी कीमत 28 रुपये है जब कि यह पोटेशियम पाउडर आता है उसका केवल घोल है जो डेढ़ रुपये में आता है। डेढ़ रुपये की कीमत की दवा 28 रुपये में खरीद कर भयंकर रूप से घोटाला किया गया है। किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है यह दवा देकर। किसी काम की दवा नहीं है। यह जानवरों के कीड़े मारने की दवा है। कीड़े मरने के बाद जो पतारे वगैरह निकल जाते हैं उनके लिए है। कीड़े मरेंगे नहीं पतारे निकलेंगे उनका दूध सूख जाता है। इसलिए वहां के सारे जानवरों को नकली दवा देकर उनका दूध सुखा दिया गया। इसको लेकर बहुत बड़ा कृषकों में रोष है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी तुरन्त जांच की जाय, इस दवा को बन्द किया जाय और इस दवा की जिस व्यक्ति ने खरीद की है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, एक प्रस्ताव अभी और है।

श्री सभापति : आपके दो ही थे, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कल तो कोई आयेगा नहीं इसलिए इसको निरस्त मान कर इजाजत दी जाय।

श्री सभापति : आपको अध्यक्ष महोदय

(श्री सभापति)

ने दो के ऊपर 2–2 मिनट बोलने का मौका दिया था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय इस प्रकार की परम्परा रही है।

मेरा एक प्रस्ताव है, बनेड़ा तहसील में एक जगतसागर है, सभापति महोदय, यह सिंचाई का तालाब है। वहां के ठाकुरों ने इस तालाब को तोड़ दिया जिससे मकान गिर गये, फसल सड़ गई, किसानों का अनाज पड़ा था वह भयंकर रूप से बरबाद हो गया। यह सब कुछ हो जाने के बाद गांव वालों ने रिपोर्ट की। इस तालाब से जो सिंचाई होती है उस सिंचाई का सिंचाई विभाग द्वारा लगान वसूल किया जाता है। लेकिन वहां का ठाकुर जबर्दस्ती लोगों से लगान वसूल करता है। यदि कोई गांव वाला बोलता है तो लाठी के बल पर, बन्दूक के बल पर उसको दबाया जाता है। वहां के लोग भयभीत हैं। वे कहीं पर फरियाद नहीं कर सकते। प्रधान मन्त्री के सामने फरियाद की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वे गांव छोड़ने के लिये मजबूर हो गये हैं। इस राज्य में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि गांव में इस प्रकार कोई ठाकुर लगान वसूल करे, फसलों को बर्बाद कर दें, मकानों को गिरा दे। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार इन गांव वालों को प्रोटेक्शन दे और जिसने बदमाशी की है उसके खिलाफ कार्यवाही करे। यह गैर कानूनी कार्य वहां पर इसलिये हो रहा है कि मंत्री महोदय का उनको संरक्षण प्राप्त है। थानेदार भयभीत है इसलिए कार्यवाही नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मेरे और श्री चुन्नीलाल जेलिया दोनों के हस्ताक्षरों से स्थगन प्रस्ताव दिया है। मेरा नाम भी है इसलिये पहले मौका मुझे मिलना चाहिए। आप देख लें।

श्री सभापति : मेरे पास श्री चुन्नीलाल जेलिया का नाम है। सवाई माधोपुर जिले में चोरी, हत्या आदि के सम्बन्ध में उनका स्थगन प्रस्ताव है। आपके नाम का कहीं जिक्र नहीं है।—

श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, जनता राज आने के पूर्व 30 साल तक कांग्रेस का राज रहा। पीपल्दा क्षेत्र में एक भी सड़क इन्होंने नहीं बनायी। जनता पार्टी के राज में वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया। आज चार साल कांग्रेस राज को हो गये लेकिन जनता राज में जो सड़कें बनी थीं, अब उनको बहुत समय हो गया है, वे सड़कें टूटना शुरू हो गयी हैं। कई स्थान ऐसे हैं जहां कि 6 महीने से पुलिया टूटी हुई है। सभापति महोदय, पीपल्दा गांव के पास जो सड़क है, वहां की

Page No 163

(श्री हीरालाल आर्य)

पुलिया चार महीने से टूटी हुई है। कभी भी वहां पर दुर्घटना हो सकती है और जन जीवन खतरे में पड़ सकता है। साथ ही तालाब की सड़क है वह एकदम क्षतिग्रस्त हो गयी है। उस पर काम नहीं हो रहा है। कहने के नाम पर यह सरकार कहती है कि हम पंचायत हैड क्वार्टर को सड़क से जोड़ देंगे लेकिन आपने कोई पंचायत हैड क्वार्टर मेरे इलाके में सड़क से नहीं जोड़ा है बल्कि जो सड़कें थीं वे बर्बाद होती जा रही हैं, उसमें गड्डे पड़ गये हैं। इसकी वजह से बसेज, जो चलती हैं, टायर आये दिन पंचर हो जाते हैं और बसेज की सवारियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। जब इनके बारे में अधिकारियों से बात की जाती है तो वे कहते हैं, ठेकेदार निकम्मे हैं और वे काम नहीं करते हैं। ठेकेदार से बात की जाती है कि आप क्यों काम नहीं करते हैं तो वे कहते हैं, अधिकारी नहीं कराते हैं, अधिकारी चोर हैं, पैसा खाते हैं इसलिये हम काम नहीं कर पाते हैं। आपके माध्यम से मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय, जो यहां पर बिराजे हैं, से निवेदन करूंगा कि वे कृपया ध्यान दें, बात न करें, इलाके की सड़कों की जो हालत हो रही है, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उन पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है, उनको आप ठीक करावें। यही मेरा निवेदन है।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव इटावा पंचायत समिति....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : तानेड़ा से सुल्तानपुर की सड़क 19 किलोमीटर है, यह टूट गयी है। माननीय चेतराम जी, मैं आपको आमन्त्रित करता हूं। आप आयेंगे तो आपके पेट का पानी कूदने लगेगा। यह कोटा जिले का महत्वपूर्ण कस्बा है सुल्तानपुर। भगवान में आपकी आस्था है, आप आस्तिक हैं यह मैं जानता हूं आप आयेंगे तो आपके पेट में पानी कूदने लगेगा।....

श्री हीरालाल आर्य : .... पंचायत समिति इटावा में जो स्थायी समितियां हैं उनके मेम्बर्स को चुना जाना था। 22-8-1984 को कुछ सदस्य हटा दिये गये। 11 सदस्य और तीन सदस्य सहवरित थे, इस प्रकार कुल 14 सदस्यों का विभिन्न समितियों के लिये चुनाव होने वाला था। इसकी तारीख 12 अगस्त तय कर दी गई थी। इसकी सूचना भिजवा दी गयी थी। सूचना मेरे पास भी आयी थी। विधान सभा का सत्र चलने के बावजूद मैं वहां गया। पंचायत समिति में लोग इकट्ठे हुए। हमने देखा कि चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं। सभी उपस्थित लोगों को इसकी सूचना मिली। पंचायत समिति में हंगामा हो गया। पंचायत समिति में उपस्थित लोगों ने....

पंचायत समिति प्रशासन हाय हाय,
विकास अधिकारी हाय हाय,
जिला प्रशासन हाय हाय,
के नारे लगाये।....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज....

श्री हीरालाल आर्य : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति को स्थायी समितियों के चुनाव न होने से पंचायत समिति का सारा काम ठप्प पड़ गया है। कहने के नाम पर तरह तरह के सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं, पंचायत राज को अधिकार दिये जाने की बात कही जाती है। पंचायत राज मंत्री महोदय, पंचायत समिति इटावा की स्थायी समितियों के चुनाव न होने से वहां का सारा काम ठप्प हो गया है।....अधिकारी चुनाव नहीं कराते हैं जब कि नियमानुसार एक महीने में चुनाव करा दिये जाने चाहिए। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि जिन अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना के इस चुनाव को स्थगित किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये ताकि वहां का जो काम ठप्प पड़ा है वह व्यवस्थित रूप से चल सके। इसके आदेश फर्मावें, इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय श्री बंशीलाल पटवा।....

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव अर्बन कोआपरेटिव बैंक के बारे में है। अर्बन कोआपरेटिव बैंक के सदस्य बनाये गये। वैसे तो राजस्थान में 12 अर्बन कोआपरेटिव बैंक की स्थापना करने का सरकार ने कई वर्षों पहले निर्णय लिया था। पिछले वर्ष अलवर, भीलवाड़ा में अर्बन कोआपरेटिव बैंक के फार्मेशन की बात कही गयी थी, घोषणा की गयी थी। इसी 19 तारीख को उनके डायरेक्टर्स के चुनाव की तिथियां घोषित की गयीं और सदस्यों ने अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल कर दिये। पर्चे दाखिल करने के बाद केवल दो दिन शेष रह गये और चुनाव स्थगित कर दिये गये। मेरा निवेदन यह है कि अर्बन कोआपरेटिव बैंक के फार्मेशन की बात हाउस में कही गयी थी, उसकी तिथियां घोषित करके उसके चुनाव इसी 19 तारीख को, आने वाले कल के दिन होने वाले थे, उसको स्थगित कर दिया गया। यह बिलकुल अलोकतांत्रिक कदम है सरकार का। राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति नहीं होने के कारण यह सारे चुनाव अर्बन कोआपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा के स्थगित कर दिये गये। चुनावों के न होने से रजिस्ट्रेशन में अड़चन आ गयी। इससे बैंक की स्थापना पूरी नहीं होगी। यह गलत तरीका है, सरकार की मनमानी है और एक प्रकार से XXX का द्योतक है। इसी तरह से भीलवाड़ा नगर में होलसेल भण्डार के प्रतिनिधियों के चुनाव दो वर्ष पहले हो गये थे लेकिन उनके बोर्ड का फार्मेशन नहीं हुआ। जब चुनाव हो गये, प्रतिनिधि चुन लिये गये तो बोर्ड का फार्मेशन हो जाना चाहिए। डींगें हांकी जाती हैं कि हम कोआपरेटिव के चुनाव करा रहे हैं। जिनके होल सेल भण्डार के चुनाव हो चुके हैं, उसके बोर्ड का फार्मेशन नहीं होने के कारण आज वहां पर प्रशासक

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बंशीलाल पटवा)

नियुक्त है। प्रशासक की नियुक्ति के साथ-साथ जितनी भी इर्रेगुलेरिटीज बढ़ रही हैं प्रशासक की देख रेख में, पिछले चार सालों से आठ लाख रुपये का कपड़ा वहां पड़ा हुआ है, वह कपड़ा आज दिन तक नहीं बेचा गया है। उस कपड़े को बदल दिया गया है। चुनाव के अभाव में करप्टे प्रेक्टिस हो रही है, इर्रेग्युलेरिटीज हो रही है। सरकार की ओर से व्यवधान पैदा हुआ है। जिसके कारण भण्डार के चुनाव नहीं करवा कर बोर्ड का फार्मेशन नहीं हो रहा है। अर्बन को-आपरेटिव बैंक के चुनाव इस तरह से तय कर दिये गये थे कि उसके अनुसार नहीं करने से अर्बन कोआपरेटिव बैंक में जो मेम्बर्स बने हैं, जिन्होंने 100-100 रुपये दिया है उन सदस्यों में असन्तोष है। जो मेम्बर्स चुनाव में जीत कर आये हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा भी डायरेक्टर्स का चुनाव होकर बोर्ड का फार्मेशन नहीं हो रहा है। यह एक निन्दनीय कार्य है, अलोकतान्त्रिक कार्य है। इस तरह से जनतान्त्रिक जो परम्पराएं हैं या जो उनके कदम हैं उनमें अवरोध पैदा करने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं। यदि इसी तरह से मनमानी चलती रही और भण्डार और कोआपरेटिव बैंक की स्थापना करने की दृष्टि से रजिस्ट्रेशन आदि और चुनाव फिर से शीघ्र ही नहीं कराये तो यह गलत तरीका होगा, जनता इसको पसन्द नहीं करेगी और इस सरकार से लोगों का विश्वास उठ जायेगा। आज कोआरेटिव बैंक के चुनाव इसलिए नहीं कराये जा रहे हैं क्योंकि वहां पर सत्ता पक्ष के आदमी जीत कर नहीं आते। बी. जे. पी. के आदमी जीत कर नहीं आ जायें, इस राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर यह कदम उठाया गया है यह घोर निन्दनीय है।

इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा जो प्रस्ताव है म्युनिसिपेलिटी के बारे में, उस पर भी अध्यक्ष ने स्वीकृति दी है। म्युनिसिपेलिटी के बारे में मेरा यह कहना है कि आज जो नगर परिषद् भीलवाड़ा की है उसमें करीब दो-तीन उप नगर हैं। इसी तरह आज जितनी छोटी छोटी अनुसूचित जातियों की बस्तियां हैं, हरिजनों की बस्तियां हैं और कमजोर वर्गों की बस्तियां हैं वहां मुख्य सड़कों पर तो टिमटिमाती हुई लाइटें मिल जायेंगी, रोशनी मिल जायेगी। प्रस्ताव का जो जवाब आया उसमें यह कहा कि लाइटों की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्थाएं सन्तोषजनक हैं लेकिन सामान खरीदा जा रहा है लाख 30 हजार का। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। वहां पर अंधेरा है, अनुसूचित जाति के मोहल्लों में, गलियों में अंधेरा है, लाइटे लगी नहीं, दीवाली आ रही है। यह ठीक नहीं है। कच्ची बस्तियां हैं, वह भी अनुसूचित जाति की छोटी-छोटी खोलियां, खटीकों की बस्तियां हैं। आज उनके घरों की हालत ऐसी है कि एक तरह से बूचड़ खाने हैं। सड़कों को ऐसी निन्दनीय व्यवस्था है कि रात्रि को कोई निकल नहीं सकता है। जितनी लेट्रीन 10 साल पहले बनी थीं उनकी वैसी की वैसी हालत है। वहां कोन्सिल के चुनाव नहीं हो रहे हैं, प्रशासक बैठे हैं। जो म्यूनिसिपेलिटी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, उनको टेरीटरी में नहीं आते। वहां पर लाखों रुपये

(श्री बंशीलाल पटवा)

की बरबादी राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति की दृष्टि से की गई है और नाम रोशन करने की दृष्टि से की जा रही है। आम लोगों की राहत की दृष्टि से रोशनी की व्यवस्था नहीं कर सकते। वहां पर कूड़े कचरे के ढेर पड़े हुए हैं उनको उठाया नहीं जाता है। कौन्शिल में इस तरह का स्टाफ लगा हुआ है जो आफिसरों के घर पर कपड़े धुलायी करते हैं या उनके घर का काम करते हैं। उनसे बेगार ली जाती है। वहां पर लेबर कॉलोनी में चले जाएं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं। अनुसूचित जाति के हितों की बात की जाती है, लेकिन इस तरह सफाई न करके, रोशनी न देकर और सड़कें जो जर्जरित हैं उनको ठीक नहीं करके लोगों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इससे जन असन्तोष बढ़ रहा है। शीघ्र यदि व्यवस्था नहीं की गयी, फिजूल खर्ची को नहीं रोका गया और कौन्शिल के लीकेज को बन्द करके सारी समुचित व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं की गयी तो जनरोष बढ़ेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन है अन्यथा लोग आन्दोलित होंगे नाम जिसकी समूची जिम्मेदारी सरकार की होगी।

तीसरा, मेरा प्रस्ताव आयुर्वेद औषधालय के बारे में है।

श्री सभापति : नहीं, नहीं। माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय, आपने अभी अभी इजाजत दी है, अभी अभी आपने कन्वेशन डवलप किया। मैं एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा। कन्वेनशन आपने डवलप किया है और अभी अभी आपने इजाजत दी है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री बंशीलाल पटवा : आपने अभी अनुमति दी है।

श्री सभापति : मैंने कोई अनुमति नहीं दी है।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कह देता हूं। आप आसन ग्रहण करिये। मैं एक मिनट में अपनी बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बंशीलाल पटवा : आपने यह बात कही है कि आयुर्वेद औषधालय जिले में, जिला केन्द्र में और शहर में एक दो आयुर्वेद अस्पताल हैं। वहां पर औषधि खरीदने के लिए सौंठ, काली मिर्च के टेण्डर मांगते हैं और 6–7 महीने तक खरीदते नहीं हैं। स्थिति ऐसी है लाखों रुपये का बजट लेप्स हो रहा है। भीलवाड़ा नगर आयुर्वेद औषधालय जिले के आयुर्वेद औषधालय में न पट्टियां हैं, न दवा है, न टिन्चर आयोडीन है। लोगों में असन्तोष बढ़ रहा है। कहने के नाम पर अस्पताल खोले जा रहे हैं लेकिन आज अस्पतालों की हालत दयनीय है, लोगों के उपचार की कोई उन में व्यवस्था नहीं

(श्री वंशीलाल पटवा)

है। यह सरकार मक्कार साबित हो चुकी है। लोगों में असन्तोष है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय सभापति महोदय, कोटा जिले का दुर्भाग्य है कि लगातार विरोधी पक्ष को विजय श्री दे रहा है। दुर्भाग्य यह है कोटा जिले का कि विरोधी पक्ष विजय श्री देने के कारण सरकार जानबूझते कोटा जिले के साथ सौतेला व्यवहार करती रही है। एक बहुत बड़ा संकट इन दिनों में आया है। लगातार समाचार पत्रों में उसका वर्णन हुआ है। कोटा जिले में ही केवल राजस्थान भर में चुंगी में असमानता है आज आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर में जिस कपड़े की एक गांठ पर पांच रुपये चुंगी लगती है कोटा में उसी गांठ को मंगवाते हैं तो 95 रुपये चुंगी देनी पड़ती है। क्योंकि जयपुर और अन्य शहरों में कपड़े की गांठ के तोल पर चुंगी लेकिन कोटा नगर में मूल्य पर चुंगी लगायी जाती है। वहां का व्यापारी आन्दोलित है। समाचार पत्र आये दिन उसका वर्णन कर रहे हैं। होलसेल वस्तुओं पर वजन के अनुसार चुंगी लेने की मांग—दैनिक नवज्योति "कोटा के व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार," जन सत्ता—"चुंगी वसूल में भारी अन्तर," राजस्थान पत्रिका "व्यवसाय व्यापार में संकट," अधिकार—"कोटा तोल के आधार पर पर चुंगी वसूल की जाये," राष्ट्रदूत—"अन्य शहरों की अपेक्षा अधिक चुंगी कोटा जिले का व्यवसाय संकट में चल रहा है." "कोटा में चुंगी को वजन के आधार पर लेने की मांग", दैनिक नवज्योति—"प्रदेश में चुंगी की दरों में समान स्तर लाया जाये", राष्ट्रदूत—"मूल्य आधारित चुंगी वसूली से कोटा का व्यापार ठप्प", साप्ताहिक जागृति—"लगातार पिछले तीन सालों से वहां के व्यापारी इस चुंगी को समान स्तर पर लाने की बात कर रहे हैं।

मेरा भी जब जब बजट सैशन में बोलने का अवसर आया है, चुंगी की बात को जोर से उठाया है। दुर्भाग्य है राजस्थान के मंत्रिमण्डल में समय समय पर स्वायत्त शासन मंत्री जी यह आश्वासन देते रहे हैं कि हमने एक समिति बनायी है। यह समिति कब तक बनेगी। जब कोटा नगर परिषद का प्रेसीडेन्ट था। तब मैंने वहां पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि राजस्थान के अन्य नगरों की तरह ही कोटा में तोल कर चुंगी वसूल की जाये। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, सभापति महोदय, हाथ की घड़ी है उस पर सारे राजस्थान में तोल से चुंगी वसूल की जाती है और कोटा में मूल्य से वसूल की जाती है। आप स्वयं विचार कर लीजिये। एक घड़ी को मोल लगाया जाय, एक पैसा लगाया जाये तो उसकी घड़ी के मोल पर, एक हजार रुपये की घड़ी पर कितना रुपया लिया जायेगा। यह एक आम-प्रश्न है। सभापति

Page No 168

(श्री दाऊदयाल जोशी)

महोदय, यही नहीं जयपुर में टायरों पर तोल पर चुंगी थी, मोल पर चुंगी थी। यहां पर मैं आरोप लगा रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, XXX इसी साल मोल के बजाय, तोल पर चुंगी लगा दी, टायरों पर ...

श्री सभापति : ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज। आप आरोप नहीं लगा सकते। एक्सपन्ज कर दिया जाये।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : जो माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसको हटा दिया जावे।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं, नहीं, सभापति महोदय, यह प्रमाणित है। सच्चा बोल रहा हूं, यह सत्य है, ध्रुव सत्य है, असत्य बिल्कुल भी नहीं है। इसको किसी भी मूल्य पर नहीं हटाये। मेरा सही आरोप है कि कोटा जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है।

स्वायत्त शासन विभाग ने इस प्रकार से भाव तय कर रखे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा, उन्होंने कहा, 50 हजार दो तो चुंगी तोल पर लगा दें। कोटा के नागरिकों से कहा, मैं आरोप लगाता हूं कि तुम जनसंघी हो ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक बात का ध्यान रखें जो विषय आपका है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने दो मिनट का समय इस पर बोलने को दिया है तो उस समय का दुरुपयोग न करें। आप मन्त्री महोदय के खिलाफ कोई आक्षेप नहीं लगा सकते हैं पूर्व में सूचना देकर ही आप लगा सकते हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, कोटा में मुख्य मन्त्री जी जब पधारे थे, तब उनके पास व्यापारी आये और उनसे सीधी बात कही कि आप सोचो जरा, क्यों तुम्हारे कोटा में तोल पर चुंगी नहीं लग सकती है और भाव पर लगती है। जब जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और पांच बड़े शहरों में और 9 छोटे कस्बों, सवाई माधोपुर, गंगापुर, बीलवा, हिंडौन, पाली मदनगंज, ब्यावर में तोल पर ही चुंगी लगती है और मोल पर नहीं लगती है तो तोल पर क्यों नहीं ली जाती है –

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, उद्योग)। पाइन्ट आफ ऑर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय, पहले मैं अपनी बात कह दूं। उन्होंने कहा मोल पर लो, तो कहा कि वोट कांग्रेस को दो। सीधी सीधी बात है तुम वोट तो बी जे पी को देते हो और हमारे पास काम के लिए आते हो। मन्त्री महोदय, वहां से व्यापारियों का रिप्रेजेंटशन मेरे पास है वहां

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

के थोक कपड़ा व्यापारियों ने भेजा है। मुख्य मन्त्री ने कहा है कि आप वोट तो उनको देते हो, ऐसा करते हो तो चुंगी पर छूट कैसे होगी। इसलिए वहां के होलसेल व्यापारियों के संगठन ने मुझे यह प्रतिवेदन भेजा कि दिनांक 2 अक्टूबर, 1984 को शाम को आम सभा में मुख्य मंत्री जी ने आपके बारे में, दाऊदयाल जोशी के बारे में बताया कि जनता की समस्याओं के बारे में ध्यान दिलाये तो ही उन पर विचार हो सकेगा। इसलिए यह कोटा के व्यापारियों ने लिख कर भेजा कि वहां के व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा है कि यदि हमारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास संतोषजनक नहीं हों तो कोटा क्षेत्र की प्रमुख समस्या, हमारी आवाज आप सरकार तक अवश्य पहुंचायें जिससे कि चुंगी कपड़े के तोल के आधार पर की जाय। माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि राजस्थान के कोटा नगर के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है।

एक और प्रश्न पर निवेदन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, उद्योग)। मुझे इसके बारे में कुछ कहना है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं पूरा कर लूं उसके बाद....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सदन में मौजूद नहीं था ऊपर बैठा हुआ काम कर रहा था। मैंने सुना कि श्रीमान् जोशी जी ने मेरे पर आरोप लगाया....

श्री दाऊदयाल जोशी : आप पर ? आप स्वायत्त शासन मंत्री हैं क्या ? फिर तो आप पर ही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो इससे ही असत्य प्रतीत होता है....

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझे श्री राम गोटेवाला को गलत फहमी हो रही थी....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है मैंने अपने मंत्रित्व काल में टायर पर किसी प्रकार की चुंगी में कोई रिलेक्सेशन नहीं दिया। नम्बर एक....

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं खुद कह रहा हूं कि श्री राम गोटेवाला के शासन काल की बात है जब वे स्वायत्त शासन मंत्री थे। मैं खुद कह रहा हूं आप का नाम नहीं ले रहा हूं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने आपका नाम नहीं लिया। तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री थे। आपका नाम नहीं है....

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : यह पहले से है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट सुन लें। आप कितनी जल्दी स्टैंड चेंज कर लेते

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हैं, यह बात इसी से असत्य हो जाती है कि पहले कहा कि आप नहीं। फिर कहा, आप ही हैं स्वायत्त शासन मंत्री तो फिर आप पर ही है, और अब कहते हैं कि आप पर नहीं हैं यह तो श्री राम गोठेवाला पर है। यह सब बातें XXX के अलावा कुछ नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तारीख मेरे पास है सुनते जाओ, प्रद्युम्न सिंह जी, पहले चुंगी पर छूट दी है टायर पर। यह सब कार्यकाल है श्री राम गोटेवाला का....

श्री जयकृष्ण शर्मा : नहीं नहीं। दाऊजी, यह आपको गलत जानकारी है। टायर के ऊपर तोल के ऊपर चुंगी वहां पर बहुत अर्से से है। आपको जानकारी नहीं है इसलिए कह रहे हैं। मुझे पर्सनल जानकारी है इसलिए कह रहा हूं। कोई चुंगी नहीं हटायी गयी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव है कोटा का। आज से चार दिन पहले 40 वर्ष का व्यक्ति ठेकेदार सीताराम अग्रवाल मर गया। आप जब हाऊसिंग बोर्ड के चैयरमैन थे सम्भवतः थोड़ी बहुत व्यवस्था सुधरी होगी। कम से कम पैसे खाने के मामले में। लेकिन आज तो बंटाधार हो रहा है। आज तो हाऊसिंग कमिश्नर हैं वे भी इसको महसूस करते हैं। कल भी हाऊसिंग बोर्ड के एक ईमानदार आफिसर से कहा तो उन्होंने कहा कि दाऊ जी, तीस साल की सर्विस में पहला अवसर है। इस प्रकार की गड़बड़ किसी विभाग में अगर देखते हैं तो वह हाऊसिंग बोर्ड है। 8 लाख रुपया उस गरीब सीताराम को पेमेंट करना था हाऊसिंग बोर्ड को। वह लगातार एप्रोच करता रहा, जयपुर कोटा का चक्कर लगाता रहा। लेकिन उस गरीब को पेमेंट आज तक नहीं हुआ। आखिर चार दिन हुए वह मर ही गया। आज से दो साल पहले भी इस सदन में चर्चा आयी थी, उसको हाऊसिंग बोर्ड के चैयरमैन और सब को चिट्ठी लिखी कि ऐसा न हो कि मैं आत्म हत्या कर लूं। आखिर कर उस गरीब ने साढ़े चार लाख रुपया न मिलने के कारण आत्म हत्या कर ली। इस गरीब ठेकेदार का जब जयपुर और कोटा के बीच में निपटारा नहीं हुआ तो रामगंज मण्डी में जहां काम चल रहा था वहां पर पहुंचा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, किसी अधिकारी ने तव्वजोह नहीं दी तो इस हाऊसिंग बोर्ड के दफ्तर के अन्दर उस सीताराम अग्रवाल को हार्ट अटैक हुआ और वह मर गया। इससे बड़ी शर्म की बात हाऊसिंग बोर्ड के लिए नहीं हो सकती है। मेरा निवेदन है कि दुलाराम जी तो यहां नहीं हैं, यहां पर बिराज नहीं रहे हैं उनको तो घर की चिन्ता है दो लाख तो लगा दिया अब छः लाख खर्च कर दिया। कितना घर बनाओगे ? भगवान के नाम

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पर हाऊसिंग बोर्ड को ठीक करो। इससे सारा राजस्थान त्रस्त है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके इस हाऊसिंग बोर्ड को ठीक करने के लिए तुरन्त व्यवस्था करो। इसका करोड़ों रुपया बाकी है। कल गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि उदयपुर में डेढ़ करोड़ रुपया लेना है लोगों से जो वसूल नहीं हुआ है दूसरी ओर ठेकेदार का करीब 27–28 करोड़ रुपये राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड में बकाया है। हुडको से भी पैसा लेकर हाऊसिंग बोर्ड खा गया। इस प्रकार राजस्थान में ठेकेदार या जितने भी काम करने वाले हैं वे आज परेशान हैं। ठेकेदार भाग रहे हैं। कोटा से पलायन कर रहे हैं। हाऊसिंग बोर्ड के मकान अधूरे हैं। पैसा तब अलाट होगा जब गरीब क्रेताओं से आयेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है सरकार सुनती हो तो, सुनने की क्षमता हो तो, ताकत हो तो, बोलना ठीक जानता हो तो, भगवान के नाम पर हाऊसिंग बोर्ड की तरफ तवज्जोह दें।

श्री सभापति : श्री राम कंवार बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मैंने बिजली की समस्या को लेकर के स्थगन प्रस्ताव दिया था। मुझे विश्वास है कि विद्युत् मंत्री जी यहां पर हैं वे उसको ध्यान से सुनेंगी और उसके बारे में कोई आश्वासन देंगी। सभापति महोदय, विद्युत् मंत्री जी कुछ लिखने में व्यस्त हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको पाइन्ट आउट करें कि वे उसको ध्यान से सुनें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने की आपको आजादी है मैं छीनना नहीं चाहता लेकिन जो संकल्प आ रहा है अगर, उस पर आप उस समय विचार व्यक्त करें तो उपयुक्त होगा। मंत्री महोदय उस समय जवाब भी दे सकती है···

श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) : बिजली वाला आये उस समय बोलना।

श्री सभापति : उस समय अच्छा ही होगा। दो मिनट ज्यादा मिल जायेंगे।

श्री नाथूसिंह : वह कब आयेगा ?

श्री सभापति : अभी आज ही आयेगा।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, बाजरे की खरीद नहीं की जा रही उसको लेकर कल भी मैंने स्थगन दिया था। मुझे कह दिया गया कि अकाल की चर्चा के समय बोल लेना लेकिन मेरा नाम ही नहीं आया···

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है कि बिजली के संकल्प के समय बोल लें।

श्री नाथूसिंह : नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं दी। मैं तो बोल रहा हूं। आप नोट कर लें उस समय जवाब दे देना।

श्री सभापति : आप इस समय जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते....

श्री नाथूसिंह : मेरा काम तो समस्या रखने का है, जनता की समस्याओं को प्रस्तुत करने का है। मैं अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहा हूं। जवाब देने का कर्तव्य उनका है वे अपना कर्तव्य पूरा करें।

श्री सभापति : फर्मायें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि इस वर्ष कई जिलों में अकाल है कहीं पर पूरा और कहीं पर अधूरा। उसके बाद अब फसल बुवाई का समय है इस समय किसानों को बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उसको इस समय बिजली की आवश्यकता पड़ रही है। सभापति महोदय, इस समय उसको मुश्किल से दो तीन घंटे ही बिजली मिल रही है, वह भी एक साथ नहीं मिल करके कभी आधा घंटा मिलती है, कभी एक घंटा मिलती है और बीच बीच में कम वोल्टेज से बिजली मिलती है जिससे किसानों की मोटरें जल जाती हैं और वह मारे मारे फिरते हैं। मोटर जो जलती है न तो उसका मुआवजा आदि कुछ दिया जाता है न बिजली बराबर आती है। आधे घटे बिजली मिलती है तो पानी बीच में ही रह जाता है खेत में नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण किसानों ने टैंक बनाने शुरू कर दिये हैं अपने खेत में। सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि कम से कम इस समय अगर बिजली पर ध्यान दिया जाय, ढग से बिजली किसानों को दी जाय तो पिछले साल जो अकाल पड़ा है कुछ न कुछ कंपेंसेट किसान हो जायगा, कम से कम अगली फसल तो अच्छी मिल जायगी लेकिन समय पर बिजली नहीं मिलने के कारण बुवाई किसानों की समय पर नहीं हुई कई गांव 1980 में, सभापति महोदय, बिजली के लिये स्वीकृत हो चुके हैं, फॉर्म जमा हो चुका है लेकिन 1980 में जो गांव स्वीकृत हुए थे बिजली के लिये इनमें लगभग 2 हजार गांव ऐसे हैं जिनको कनेक्शन देना बाकी है। उस समय स्वीकृत हुए गांवों को आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया इससे गांवों में बेचैनी फैली हुई है। बार बार वे रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हम दौरा करने जाते हैं तो हमको कहते हैं। बिजली नहीं है, मोटरें जल जाती है, सभापति महोदय, इसका एक कारण यह है कि सरकार इतनी कमजोर है कि जो भी बिजली का हिस्सा हमारा पंजाब और मध्य प्रदेश से मिलना चाहिये वह समुचित रूप से राजस्थान सरकार नहीं ले पा रही है। मुख्य मंत्री जी कमजोर हैं सरकार कमजोर है इसका नुकसान यहां के किसान उठा रहे हैं। यहां के किसान को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। गांव को तो समुचित मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है। लेकिन बड़े-बड़े उद्योगों को डर करके बिजली दी जाती है और छोटे उद्योग वालों की बिजली काट ली जाती है। सबसे पहले बिजली की कटौती करते हैं तो गांव के

(श्री नाथूसिंह)

किसानों की बिजली कटौती की जाती है। इसलिये बिजली बोर्ड की साख आज जितनी खराब हुई है शायद ही कभी खराब हुई हो। आज स्थिति यह है कि बिजली बोर्ड गिरवीं रखा हुआ है। बिजली बोर्ड का एक एक खम्भा आज बीमा निगम में गिरवीं रखा हुआ है। जब बिजली बोर्ड ने ऋण मांगा तो बीमा निगम ने, सभापति महोदय, यह कह कर मना कर दिया कि हम सरकार की गारंटी को नहीं मानते। आप रिजर्व बैंक की गारंटी दिलाओ तब हम लोन देंगे। इस सरकार की साख का पता इसी से लग जाता है कि बीमा निगम सरकार की गारंटी नहीं ले करके रिजर्व बैंक की गारंटी बिजली बोर्ड से मांग रहा है। बिजली बोर्ड की हालत इतनी खराब है कि कितना ही सामान खराब पड़ा हुआ है गांव में। इंजीनियर्स की मर्जी पर है कि किस इलाके में कब बिजली देनी है और कहां नहीं देनी है। जो किसान जे. ई. एन. और ए. ई. एन. की जेब भर देता है, उनको रिश्वत दे देता है उनके यहां तो बिजली तीन घण्टे चली जायगी, लगातार चली जायगी, चार घण्टे भी दे देंगे और जो किसान उनको रिश्वत नहीं देता उनके यहां पर रीडिंग लाने के लिये आदमी नहीं भेजते बिजली का फेज रेगुलर नहीं दे करके काटा जाता है, कनेक्शन काट दिया जाता है कम वोल्टेज बिजली दी जाती है। इस तरह से किसानों को परेशान इन इंजीनियरों ने कर रखा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो जे. ई. एन. और ए. ई. एन. इस बिजली विभाग में हैं उनकी सम्पत्ति जितना वेतन उन्हें मिलता है उससे कई गुनी अधिक है क्योंकि किसानों से रिश्वत लेते हैं। आप स्वयं किसान हैं आप स्वयं जानते हैं कि गांव में बिजली के बिल जमा कराने जाते हैं तो समय पर बिल तक जमा नहीं करते और पैनल्टी लगा करके भेज देते हैं। कहते हैं कि पैसा देओ रिश्वत देओ उसके बाद बिल जमा होगा। पहले पैसा दो उसके बाद बिजली मिलेगी पहले पैसा दो उसके बाद कनेक्शन दिया जायगा। एक भी कनेक्शन बिजली का ऐसा नहीं है जो बिना रिश्वत के दिया गया हो। सभापति महोदय, इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस विभाग में हो रहा है। आम आदमी, गांव के किसान के ऊपर सीधी मार पड़ रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि कम से कम गरीब किसानों पर तो आप रहम करो इस समय। इस बिजली विभाग का आप पुनर्गठन करो, उस पुनर्गठन में आप जेनरेट जो बिजली करते हैं उनका प्रतिनिधि लो, वितरण का काम अलग है उसका प्रतिनिधि लो, सामान्य मेंटीनेंस के लिये अलग रखते है उसका प्रतिनिधि लो, और ग्रामीण सेल अलग से बनाया जाय। इस बिजली बोर्ड को, सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि जो उद्योग, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग अभी बिजली लेते हैं इन सब को मिला करके आपने एक बोर्ड बना रखा है। इसलिये बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट को बिजली दी जाती है। मैं तो चाहूंगा, सरकार से मांग करूंगा कि इस बिजली बोर्ड के तहत, अन्तर्गत ही आप एक ग्रामीण सेल अलग

Page No 174

(श्री नाथूसिंह)

बनाओ जो केवल किसानों को बिजली देने का कोटा निर्धारित करे। उस कोटे में से किसानों को बिजली दी जाय। सभापति महोदय, मैं यह भी मांग करूंगा कि इस बिजली बोर्ड में आप किसान प्रतिनिधि लो ताकि किसानों को मालूम हो सके कि कितनी बिजली आ रही है कहां कब कितना हिस्सा दिया जा रहा है, कितनी जेनरेट हो रही है। आज XXX इस बोर्ड पर बिठा रखे हैं। जिन्होंने आज मोनोपोली कर रखी है। वह जहां चाहते हैं बिजली देते हैं, जहां चाहते हैं कनेक्शन देते हैं, जहां जितनी वोल्टेज बिजली देना चाहते हैं देते हैं लेकिन किसान के लिये घोषणा ही घोषणा करते हैं। सभापति महोदय, आज राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी से लेकर के नीचे तक जितनी घोषणाएं की जाती हैं वह घोषणाएं क्रियान्वित नहीं की जाती हैं। हालत यह होती है कि मुख्य मंत्रीजी जितनी घोषणाएं करते हैं उन घोषणाओं को ले करके छोटे-छोटे मंत्री, छोटे-छोटे अधिकारी घोषणाएं कर रहे हैं और कोई घोषणाएं पूरी नहीं हो रही हैं। मेरे यहां पर 132 के. वी के ग्रिड स्टेशन की घोषणा हुई। पता नहीं कितना समय बीत गया आज तक तो 132 के. वी. का ग्रिड स्टेशन नहीं लगा, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी घोषणाएं करना छोड़ें। आज राजस्थान का मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री न रह करके घोषणा मंत्री बन चुका है। जहां जायगा घोषणाएं करता रहेगा। बांसवाड़ा में पिछले दिनों गये, बांसवाड़ा के बागीदोरा में पानी की समस्या गांव वालों ने रखी। कहने लगे, इस पानी की व्यवस्था के लिये, सर्वेक्षण के लिये 1000 करोड़ की हम योजना बना रहे हैं। पता नहीं मुख्य मन्त्रीजी को कि 2200 करोड़ कुल बजट है राजस्थान का और 1000 करोड़ पानी की समस्या पर छोटे से बांसवाड़ा में यह खर्च कर रहे हैं। इसलिये ये घोषणाएं करना छोड़ो और किसानों की समस्या को ...

(3·07 म. प)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, आज किसानों की दुर्गति हो रही है। मैं तो चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदया समय पर बिजली देने के सम्बन्ध में सदन में विस्तृत रूप से बयान दें और घोषणा करें कि गांव में इतने घण्टे निश्चित रूप से रेगुलर किसानों को बिजली दी जायगी ताकि पिछले अकाल का जो असर हुआ उससे आने वाले समय में किसानों को बचाया जा सके, उसको फसलों को बचाया जा सके, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक की जा सके। इसी निवेदन के साथ आपको धन्यवाद देता हूं और मांग करता हूं कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ ठोस घोषणा सदन में मंत्री महोदया करें। धन्यवाद ?

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया। श्री कटारिया जी अपना भाषण प्रारम्भ करें उससे पहले मेरा नम्र निवेदन है कि समय काफी हो गया है इसलिये समय का ध्यान रखें और अपनी बात कहें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया वह बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान को लगभग सारी ही जनसंख्या पाठ्य-पुस्तक की अव्यवस्था से पिछले चार महीनों में दुखी रही। मेरा ऐसा अनुमान है कि ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो पाठ्य-पुस्तक मण्डल की अव्यवस्था के कारण चार महीने परेशान न रहा हो या आर्थिक कष्ट या भार उसके ऊपर नहीं पड़ा हो। श्रीमान्, आपको ध्यान होगा कि पिछले अधिवेशन में ही इस विषय को उठाया था माननीय कैलाशजी ने कहा कि आप एक साथ 44 पुस्तकें बदल रहे हैं ये 44 पुस्तकें आपकी निश्चित समय पर प्रिंट हो करके नहीं आयेंगी और नहीं आने के कारण से अभिभावकों और बालकों को नुकसान होगा। लेकिन इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि सारी व्यवस्था कर ली गयी है और सारी व्यवस्थाओं के आधार पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। श्रीमान्, आपको भी जानकारी होगी, आज की तारीख में भी आप कुछ पुस्तकें नहीं छपा सके हैं, आज की तारीख में भी वह कहीं अवेलेबल नहीं हैं। हायर सेकण्डरी गणित, त्रिकोणमिति कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। सितम्बर के महीने में इन्होंने प्रिंट करने के लिये कहा था। श्रीमान्, यही नहीं, केवल प्रिंटिंग में ही विलम्ब नहीं है, श्रीमान् आज आपने समय कम दिया अन्यथा मैं डिटेल में आपको एक-एक किताब को उठा करके बताता, कई पुस्तकों में आज मिस्टेक है। हायर सेकण्डरी की पुस्तक है, दो लाख छप चुकी है, उस पर लिखा हुआ है सेकंडरी पुस्तक जब कि सिलेबस के अनुसार वह पुस्तक हायर सेकण्डरी 11वीं कक्षा के लिये है। उस पर प्रिंट हुआ है सेकण्डरी अर्थात् जिसने प्रूफ रीडिंग की उसने यह भी नहीं देखा कि पुस्तक किसकी है। श्रीमान्, यही नहीं मुद्रण की तो असंख्य त्रुटियां उसमें मिल जायेंगी यहां तक कि, अब तक हमारे यहां विवाद था तुलसी के बारे में और सूर के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। यह आज तक विवाद का विषय रहा है। किसी एक बिन्दु पर नहीं पहुंच सके लेकिन अब की बार जो पुस्तक प्रिन्ट हुई उसमें अध्यक्ष महोदय, आपने दोनों तारीखें निश्चित कर दीं पता नहीं, किस हिसाब से तारीखें लाकर निश्चित कीं, इस प्रकार की मिस्टेक्स इसमें हैं, यही नहीं, हमने यदि विषय-वस्तु, सलेबस बदला होता और उसे चेन्ज के कारण छापनी पड़तीं तो बात समझ में आती, आपने सलेबस में बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन किया है, परिवर्तन किया है उस सलेबस के कारण आपको मजबूरन अपनी पुस्तकें बदलनी पड़ीं, लेकिन श्रीमान्, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप उस सलेबस को उठा कर देखें तो उसमें मुश्किल से 5-10 पर्सेन्ट परिवर्तन हुआ, उस 5-10 पर्सेन्ट परिवर्तन के कारण अभिभावकों के ऊपर 44 पुस्तकों को बदल-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कर भार डाल दिया, श्रीमान्, यही नहीं जब पुस्तकें खरीदने के लिए जाते हैं तो पुस्तकें कम आने के कारण साथ में कुंजियों का बण्डल भी बांधकर अभिभावकों को दे दिया जाता है, बच्चों ने स्कूलों में हड़तालें कीं, अगस्त के महीने में टेस्ट हो गये, टेस्ट में उनको पढ़ने के लिए पुस्तकें तक नहीं मिलीं, जगह जगह स्कूल बंद रहे, स्कूलों के बच्चे पहली बार सड़क पर आये, 5वीं से लेकर छोटे मासूम बच्चे आज तक कभी नहीं सोचा होगा कि पुस्तक के लिए मुझे कलेक्टर के कार्यालय पर प्रदर्शन करना होगा, ऐसे एक-दो नहीं उदयपुर में ही लगभग 4 हजार बच्चों जो 5वीं कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, ने जाकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन राजस्थान में हमने उन मासूम बच्चों के सामने खड़ा कर दिया, मेरी आप से यही प्रार्थना है कि जो गलती होती है उसके लिए आपने एक जांच कमेटी बना दी, जांच कमेटी में अध्यक्ष कौन है ? चेयरमैन हैं श्रीमान कोठारी जी, होंगे कोई बात नहीं, वह एक लेखक हैं, उनकी पुस्तकें पाठ्य पुस्तक मण्डल में छपती हैं, जो व्यक्ति वहां लिख रहा है, जिसकी पुस्तकें पाठ्य पुस्तक मण्डल छाप कर राजस्थान के शिक्षकों को वितरण करता है जो चेयरमैन लेखक है उसकी कमियां, अशुद्धियां ...

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप इसके पेपर को देखें, प्रिन्टिंग को देखें, आप इसकी अशुद्धियों को देखें तो आपको स्वयं आश्चर्य होगा, इसका कारण यह है कि इस बोर्ड जो 200 पुस्तकें छापने का काम करता है, के पास कोई एक भी ट्रेन्ड व्यक्ति नहीं है। हो तो आप बता दें, कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि प्रिन्टिंग क्या होती है, सामान्य व्यक्तियों को ले जाकर वहां पर इन्चार्ज बनाकर बैठा दिया, उनकी गलतियों के कारण राजस्थान के प्रत्येक बालक को, अभिभावकों को इस पुस्तक को बिगाड़ना पड़ा, अच्छा तो यह होता कि इस पर डिस्कशन होता, मंत्री महोदय इसका जवाब देतीं तब राजस्थान के साढ़े तीन करोड़ लोगों को लगता कि हमारी चुनी हुई सरकार हमारे मासूम बच्चों के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर रही है, यही कह कर...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्य....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव और था, सूची में लगाया नहीं आपने, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक मिनट में उस बात को समाप्त करता हूं, बात तो बहुत महत्वपूर्ण थी लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतना महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी सूची में नहीं रखा गया ...

महुआ के हमारे बहुत बड़े कार्यकर्ता, पिछली विधान सभा के चुनाव में उम्मीदवार, जो केवल 16 मतों से हारे, ने पिछले तीन चार सालों से पुलिस की कुछ ऐसी ज्यादतियों को पकड़ा, मेरे पास सारे फिगर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हूँ थानेदार को थाने में रिश्वत लेते हुए पकड़वाया, थानेदार ने पैसा ले लिया, उस पैसे की रिकवरी कराके गांव के लोगों को दिलाया, ऐसे पांच थानेदारों को उसने लाइन हाजिर कराया, इस कारण डाक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के खिलाफ इस तरह का जेहाद बना हुआ था कि किसी तरह इसको समय रहते, मौका मिलते ही दबोचा जाय, 5 तारीख को हास्पिटल पर जब रात्रि को सो रहे थे, लोगों ने जाकर आक्रमण किया, उसके साथ मार पीट की, वह एफ. आई. आर. दर्ज कराने गये, कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई, सात तारीख को उसको उल्टे एफ. आई. आर. में पुलिस गिरफ्तार करने के लिए चली गयी, हॉस्पिटल में लोग भर्ती थे, उनका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 15 लोग भर्ती थे उनको और आउट डोर में जो लोग थे उनको चोटें आई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, 17 लोगों को और गिरफ्तार किया, लोगों ने जब जाकर प्रदर्शन किया तो भरतपुर से आकर एस. पी ने चोटें देख कर उन सारे लोगों को रात्रि 10 बजे जेल से छुड़ाया, इस प्रकार राजनीतिक द्वेषता के आधार पर कार्यवाही करने का राजनीतिक तरीका रह गया है। बी. जे. पी. के कंण्डिडेट के रूप में चुनाव लड़ा केवल 16 मतों से हारने के बाद जनता की ओपीनियन जब उसके पक्ष में बनती जा रही है XXX के आधार पर उसको दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है, ऐसे लोकतन्त्रिक देश में कभी कोई इसको ठीक नहीं मानेगा""

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये""

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल, कृपया समय का ध्यान रखें, कार्य सूची बहुत लम्बी है आज, संक्षेप में।

श्री दाऊदयाल जोशी : इनके स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने दें""

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : वह तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर है""

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 19-9-84 से 22-9-84 तक डिमॉन्सट्रेटर के पद के लिए इन्टरव्यू लिये गये थे, मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जितने भी उम्मीदवार सम्मिलित हुए उन उम्मीदवारों में से जो चयन किया गया उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की उपेक्षा की गयी है, इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पैथोलॉजी में जनरल में सात पद रिक्त थे, जिनमें दो अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जन जाति के थे,

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

अध्यक्ष महोदय, इसमें कुल जितने उम्मीदवार सम्मिलित हुए उनमें से जिनका चयन किया गया वे हैं : कुसुम माथुर, शशि सजनानी, रचना नारायण, रमेशचन्द्र जिंदल, नरेश एन राय, सरोज गुप्ता व यादव नारायण वर्मा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सात पद रिक्त थे, सात का चयन किया गया, इन सात में से केवल एक अनुसूचित जाति का लिया जब कि उस इन्टरव्यू में अनुसूचित जाति के लोगों ने भाग लिया : बद्रीराम मीना, मुन्नालाल जयपाल, नरेन्द्र कुमार, प्रेमराज, अजय यादव व यादव नारायण वर्मा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जिन सात आदमियों का चयन किया गया उनमें से केवल दो व्यक्ति अनुसूचित जाति और दो व्यक्ति अनुसूचित जन जाति के चयन किये जाने थे, लेकिन इतने उम्मीदवारों के भाग लेने के बाद भी, अध्यक्ष महोदय, केवल एक आदमी का चयन किया गया। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो पैनल बनाया इसमें एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं लिया गया।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, पैथॉलॉजी (माइक्रोबायलॉजी) में जो लिये, कुल पद रिक्त 3 थे एक अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जन जाति का, अध्यक्ष महोदय, इसमें जो चयन किया गया है : राकेश कुमार माहेश्वरी, कुमारी नित्या व्यास, कुमारी सुनीता पाठक, इनमें जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स लोगों को लिया गया वे है : बद्रीराम मीणा, अजय यादव, अध्यक्ष महोदय, इसमें भी जो पैनल बनाया गया : अरुणा सोलंकी, रेखा गुप्ता, पैनल में भी जिनका चयन किया गया उसमें भी अनुसूचित जाति के एक भी व्यक्ति को नहीं लिया गया। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आप से और निवेदन करना चाहूंगा, एनाटॉमी में 4 पद रिक्त थे, दो पद अनुसूचित जाति के, दो पद अनुसूचित जन जाति के थे। इनमें जो चयनित उम्मीदवार थे : अंजना माथुर, जग मोहन शर्मा, राजेन्द्र सिंह झाला, कुमारी संगीता चौहान, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष महोदय, इसमें भी एक भी उम्मीदवार अनुसूचित जाति का नहीं लिया गया।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, फिजियोलॉजी में दो पद थे, इसमें से दोनों ही थे एक अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जन जाति का था इसमें राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, रंजिश पाठक, आभा पाटनी को लिया गया और पैनल में पुष्पा पोरवाल को लिया जब कि अनुसूचित जाति का उम्मीदवार सुभाषचन्द्र शामिल था इन सब में।

यही नहीं, एक निवेदन और करना चाहूंगा, जो सलेक्शन किया गया उसमें जिस डॉक्टर को लिया गया, जो डॉक्टर शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं थे उनमें शशि सरोजिनी के 3200 में से 1748 नम्बर थे, रमेशचन्द्र जिन्दल के 3200 में से 1848 नम्बर थे, सरोज गुप्ता के 1839 थे, राजेश कुमार महर्षि के 1868 थे, किरण माथुर के 1884 थे, अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट के जिस व्यक्ति का चयन नहीं किया गया उसके

(श्री गोपाल पचेरवाल)

नम्बर 1905 थे, जिन लोगों का सलेक्शन किया गया उनके इस से नम्बर कम हैं, इसके बावजूद अजय यादव, जो अनुसूचित जाति का था, का सलेक्शन नहीं किया गया।

मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, मैंने जो नाम बताये हैं, जिनका सलेक्शन किया गया है उनमें से जिस उम्मीदवार को लिया जाना चाहिए था, जिसके 1905 नम्बर आये हैं उसको नहीं लिया गया है, अध्यक्ष महोदय, सेवा चयन आयोग में हजारों रुपये की रिश्वत ली गयी, शिड्यूल्ड कास्ट के जिन लोगों ने रिश्वत नहीं दी उन लोगों को सलेक्शन नहीं किया गया, जो सरकार पिछड़े वर्ग की बात करती है आज के दिन, हरिजन की बात करती है इसने हमारे आरक्षण की भी पूर्ति नहीं की, हमारा जो कोटा है उसकी पूर्ति नहीं की हमें जो निर्धारित रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसकी भी उपेक्षा की जा रही है, इस आरक्षण की जो उपेक्षा की गयी है, मैं मांग करूंगा सरकार से, अगर सरकार में थोड़ी भी नैतिकता है, सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, पिछड़े वर्ग और हरिजन की हमदर्द है तो निश्चित रूप से इसकी जांच करवायें, ऐसे लोग, जो योग्य थे, अनुसूचित जाति के डॉक्टर थे, को नहीं लिया, उनका पुनः इन्टरव्यू लिया जाना चाहिए, जिनको अवैध रूप से लिया गया है उनको निरस्त किया जाय, XXX के आधार पर लिये अध्यक्ष महोदयXXX

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : उनको निरस्त किया जाना चाहिए, यही मेरी मांग है...

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा, संक्षेप में, माननीय सदस्य....

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनायें चलाकर उनको लाभान्वित करने की कोशिश की जाती है, इनमें से कुछ योजनायें केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत आती हैं, कुछ राज्य सरकार द्वारा स्वयं चलाई जाती हैं, उसके तहत एनिकट और आश्रम स्कूलों का निर्माण किया जाता है पंचायत समितियों के द्वारा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, कई पंचायत समितियों ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिये योजना का दुरुपयोग किया है तथा ऐसे कामों का निर्माण कराया गया है जो उनके अन्तर्गत चयनित नहीं है। पंचायत समिति बस्सी के अन्दर बावड़ी का बांध तथा निमोरा एनिकट के लिये स्वीकृत किये गये थे, वैध हैं, यह माड़ा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत काम है लेकिन बी.डी.ओ. और प्रधान तथा स्थानीय विधायक महोदय की साजिश से उनका निर्माण न कराकर वहां के विधायक के गांव जो कि राजस्व गांव के अन्दर शामिल नहीं है,

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिलोपित की गयी।

(श्री रामकिशोर मीणा)

अध्यक्ष महोदय, न वह माड़ा योजना के अन्तर्गत चयनित है, के अन्दर एनिकट् का निर्माण कर दिया गया। इसी तरह से राजस्व गांव निमोर के एनिकट् बास्को के अन्दर निर्माण कर दिया गया, अध्यक्ष महोदय ! ये गांव ऐसे हैं जिनके अन्तर्गत किसी भी कीमत पर माड़ा योजना का पैसा खर्च नहीं किया जा सकता लेकिन सरकार की नीति खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग करके व्यक्तिगत कार्यों के अन्दर इसका दुरुपयोग किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस बात की शिकायत जिला परिषद् तथा राज्य सरकार को विभिन्न समय पर की गई। अब वहां के व्यक्तियों का यह मानना है कि यदि इनकी जांच तुरन्त नहीं करवाई गई, चयनित गांव में इनको निर्मित नहीं किया गया, तो यहां का मीणा समुदाय एक जन-आन्दोलन करेगा, क्योंकि यह वहां पर....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशोर मीणा : जयपुर जिले के अन्दर मीणा जाति की योजनाओं के लिए जो पैसा स्वीकृत है उसका दूसरे गांवों के अन्दर और व्यक्तिगत खेतों, जो राजस्व खातेदारी के अन्तर्गत गांव हैं के अन्दर दुरुपयोग किया गया। इसलिये मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि इस योजना की जांच कराई जाय, जो एनिकट खातेदारी के अन्तर्गत निर्मित किये गये हैं उनकी राशि वसूल करके माड़ा योजना के अन्तर्गत जो चयनित गांव हैं उनके अन्तर्गत इन एनिकट का निर्माण किया जाय।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा।

कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, निदेशालय कालेज शिक्षा की ओर से निदेशक ने दिनांक 9–5–1984 को एक विज्ञप्ति राजस्थान पत्रिका और अन्य पत्रों में प्रकाशित की, जो मेरे हाथ में है, इसमें व्याख्याता पदों के लिए जो योग्यता इन्होंने रखी थी, वह एम. फिल पी. एच. डी. रखी है। इसकी शैक्षणिक योग्यता की पूर्ति करने वाले, इन उपाधियों को धारण करने वाले लोगों ने इन्होंने आवेदन-पत्र मांगे। इसी में इन्होंने स्पष्टीकरण किया, यदि परन्तुक (अ) योग्यता वाले नहीं मिलेंगे तो जिनकी शैक्षणिक योग्यता का अभिलेख निरन्तर अच्छा रहा उन पर विचार किया जायेगा। दूसरा स्पष्टीकरण इन्होंने इसके बारे में दिया कि यदि ये लोग नहीं मिलेंगे, तब एम. ए. की उपाधिकारी लोगों को....

श्री अध्यक्ष : विस्तार में नहीं जायं, माननीय सदस्या, आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एम. ए. उपाधिधारी को ले लेंगे....

श्री अध्यक्ष : थोड़े समय में सारी अपनी बात कह दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस परन्तुक का लाभ उठा कर इन्होंने एम. ए. एम फिल और पी. एच. डी. लोगों को छोड़ दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए डा. बी. एल. सेठी, जो एम. ए., एम फिल. पी. एच. डी. इतिहास में हैं और जो स्थानीय मनिहारों के रास्ते में 1246 नम्बर के मकान में रहते हैं, को छोड़ा, डा. शान्ति शर्मा, जो एम. ए., पी. एच. डी. हैं, को छोड़ा और श्री अशोक कुमार शर्मा एम. काम. एम फिल, पी. एच. डी. हैं उनको छोड़ा। मैं सबकी सूची गिनाऊंगी, तो बहुत लम्बी हो जायेगी। परन्तुक का लाभ लेकर शिक्षा विभाग ने गलत काम किया है। मैं कहना चाहती हूं, शिक्षा विभाग को आगाह करना चाहती हूं कि कोर्टस् में चेलेन्ज होंगे। इस तरह से गड़बड़ियां आप शिक्षा विभाग में करें यह अच्छी बात नहीं। जितनी योग्यता आपने मानी उस योग्यता वाले लोगों से आपको पदों की पूर्ति करनी चाहिये थी। अब इसमें सुधार कर लें।

अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन-प्रस्ताव के बाद में जो मेरे अन्य स्थगन प्रस्ताव हैं, जिन पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी।...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें, माननीय सदस्या। पांच मिनट का समय दिया गया है सभी प्रस्तावों के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने जयपुर शहर की पानी की समस्या के बारे में दिया। जयपुर में जल वितरण ठीक नहीं हो रहा है, पूरे दबाव से नहीं हो रहा है, चौकड़ियों में कभी सुबह देते हैं, कभी शाम को देते हैं एक-एक बूंद पानी टपकता है, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव भी रखा, प्रश्न भी रखा, सरकार ने मेरे प्रश्न के उत्तर में असत्य कहा और प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि चौकड़ियों में दोनों वक्त पानी दे रहे हैं। 7 तारीख को मैंने खुद 2 हजार महिलाओं के साथ मटका प्रदर्शन किया....

श्री अध्यक्ष : अब आप तारीख और इतने विस्तार में न जायं, जो कठिनाई हो वह थोड़े शब्दों में बता दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कठिनाई यह है कि जयपुर के रामगढ़ के बन्धे में पानी निश्चित रूप से कम है लेकिन जो और व्यवस्थायें जयपुर में जितनी भी हैं, किशन बाग की, अमानी शाह की, जिन कुओं से सिविल लाइन्स में 24 घण्टों पानी दिया जा रहा है उन कुओं से भी लिफ्ट करके या किसी भी तरह से इन चौकड़ियों में पानी दोनों वक्त पूरे दबाव के साथ दिया जाना चाहिये या अन्य साधनों से देना चाहिए ताकि लोगों को पानी के अभाव में परेशानी है, वह दूर हो। वह सर-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कार ने किया नहीं, मेरे प्रश्न के उत्तर में XXX कहा कि दोनों वक्त पानी दे रहे हैं, हमने कूएं साफ कर दिये हैं ।

अगला मेरा स्थगन प्रस्ताव यह था कि मेरे यहाँ एक लड़के ने कुऐं में गिर कर आत्महत्या कर ली, उस कूऐं की एक साल से सफाई नहीं की गई । यह इस बात को इंगित करता है कि जयपुर में कुओं की सफाई नहीं की गई, जिस ठेकेदार को ठेका दिया नगर परिषद् वालों ने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप विस्तार में जा रही हैं । कृपया....

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, मैं तो दूसरे स्थगन पर बोलने लगी, भाई साहब, अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : इस पर भी आप विस्तृत चर्चा कर रही हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो उस कुए की सफाई नहीं की गई । पानी के लिए लोग परेशान हैं । कूओं में पम्पिंग सेट्स लगा कर पानी की व्यवस्था करें वह भी काम नहीं किया । मान्यवर अध्यक्ष महोदय, लोग पानी के लिये परेशान हैं, कुऐ गन्दे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, मुर्दे से गन्दे हुए कुए तक को इन्होंने साफ नहीं करवाया है ।

तीसरा मेरा स्थगन-प्रस्ताव था कि इतनी अव्यवस्था होते हुए भी माह जुलाई से पानी के बिलों का वितरण ठीक नहीं हो रहा है । इन्होंने 20 पर्सेन्ट सीवरेज टैक्स लगा दिया । अध्यक्ष महोदय, सीवरेज टैक्स किस पर लगाया ? जहां पर सीवरेज के कनेक्शन्स नहीं हैं, जहां सूखे तारत हैं, जहां पर गटर लाइन नहीं हैं, वहां जयपुर के लोगों को सताने के लिये 20 पर्सेन्ट सीवरेज टैक्स लगाकर अनिवार्य कर दिया कि वह टैक्स पे करें । अच्छा तो यह होता कि जहां पर 40 हजार तारत हैं ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर दो-दो रुपया प्रति तारत पर लगा देते तो 80 हजार रुपयां इन्हें मिल जाता । उससे ये सीवरेज मेन्टेन कर लेते वह तो किया नहीं....

श्री अध्यक्ष : इतने विस्तार में न जायं, अन्य कोई आपके स्थगन प्रस्ताव हों तो अपनी राय बता दीजिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसी के बारे बता रही हूं, अध्यक्ष महोदय ।

यदि यह पानी की व्यवस्था में सुधार कर लें तो लोग इनको पैसे भी दें पर न जल वितरण कर रहे हैं, न पानी दे रहे हैं लोगों को, त्राहि त्राहि करवा रहे हैं जयपुर में, यह अच्छी व्यवस्था नहीं । जलदाय

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

विभाग के मंत्री यहां नहीं है, मुझे खेद है अगर वह होते तो जवाब देते ।

इसी के साथ मेरा एक स्थगन प्रस्ताव और है, पुलिस की मिली भगत से जयपुर की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम कृष्णा था, जो मेरे इलाके पान के दरीबे की है, की शादी टोंक में की गई । वह बिना दहेज के शादी हुई सामुहिक विवाह में । विवाह के बाद में उसके ससुराल वालों ने दहेज मांगना शुरू कर दिया । जब लड़की को दु:खी किया गया तो साल-दो-साल बाद उसके पिता ने दहेज में 7 तोला सोना, अनेक चीजें, कम से कम 15 हजार रुपये का सामान भेजा । बाद में उसको, जबकि उसके पेट में बच्चा था, ससुराल वालों ने छत से पटक दिया । गिरने से उसकी टांग टूट गयी, बच्चा उत्पन्न हुआ, बच्चा छीन लिया । इतने से भी उनको चैन नहीं पड़ा, इसी जुलाई माह में उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई । यह चित्र है उसका आपके सामने, अनेक अखबारों में इसको हाई लाइट किया गया लेकिन आज दिन तक भी उसके हत्यारों की पकड़ नहीं की गई । अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग यह है कि इसकी जांच सी. बी. आई. से कराई जाय जिससे आगे से किसी भी महिला को इस तरह की अवस्था में पहुंचाने का कार्य, ऐसा जघन्य अपराध कोई नहीं कर सके । यह सामाजिक अभिशाप जरूर है लेकिन सरकार का उत्तरदायित्व है, जो कानून दहेज के सम्बन्ध में बने हैं, उनका सख्ती से पालन कराये, जिससे लोग आगाह हों और इस तरह से गला दबा कर हत्या न की जाय । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या । आपने अपनी बात कह दी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पुलिस से कोई हल नहीं निकलेगा, सरकार सीधी कार्यवाही करे, सही कार्यवाही सी. बी. आई. से कराई जाय । यह फोटो है....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीरसिंह कौशल । धान की बीमारी के बारे में है । इसी सम्बन्ध में एक अन्य प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया जा रहा है, कृषि मंत्रीजी द्वारा; इस लिए माननीय सदस्य उस वक्त बोलने का कष्ट करें ।

अगला प्रस्ताव श्री भंवरलाल शर्मा का है । राजस्थान पथ परिवहन निगम के सामान व कलपुर्जों की अनावश्यक खरीद ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो जयपुर शहर की समस्या रखी है पानी के बारे में ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं इजाजत नहीं दूंगा । माननीय सदस्य यह कोई नियमित वादविवाद नहीं है । स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों को संक्षेप में बोलने का अवसर –

श्री भंवरलाल शर्मा : जरूर पांच मिनट दिये हैं मेरे को ।

श्रीमती उमला अरोड़ा : इन्हीं के इलाके में ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : यदि आप कहना चाहें तो परिवहन निगम पर कह दीजिये। और समय न लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं उसी पर कह रहा हूं, बिल्कुल समय नहीं लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रोडवेज में जो अनियमित रूप से कल पुर्जों की खरीद की गई उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव द्वारा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सौभाग्य से मन्त्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं। पिछले दिसम्बर में 55 लाख के ऐसे कल पुर्जों का सामान लीलैण्ड बसेज को ठीक करने के लिये रोडवेज ने खरीदा जो आलरेडी आपके स्टाक में बहुत बड़ी सख्या में उपलब्ध था। हालत यह हो गई कि 55 लाख के सामान को खरीदने के बाद रखने के लिए भी जगह नहीं है आपके पास। आज भी वह झोटवाड़ा स्थित आपके कार्यालय में खुले में पड़ा है, धूप में, बरसात में, और गर्मी में वह सड़ रहा है, खराब हो रहा है, उसमें जंग लग गई और कई सामान कल पुर्जे ऐसे हो गये जो काम में नहीं लिये जा सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपको कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी आगार की मांग नहीं थी और खरीदने के बाद एक भी पुर्जा आपने इस्यू नहीं किया, रखने की व्यवस्था नहीं है, तो यह जनता का 55 लाख रुपया क्यों बरबाद किया ? यह सामान रखने की भी व्यवस्था नहीं है, पैसा ब्लाक हो गया, ब्लाक क्यों हो गया, बेकार हो गया। तो इसके लिये जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन्होंने क्यों खरीदा वह सामान जबकि पहले पड़ा हुआ था। इस सम्बन्ध में यह बतावें कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? 55 लाख की खरीद में आपको खुद जानकारी है, बड़ा घोटाला हुआ है, आपने इस बारे में चिन्ता भी व्यक्त की है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आप ईमानदार अपने आपको कहते हैं तो इस नाते इस घोटाले की जांच करवाइये और यह 55 लाख का सामान किस तरह से काम आ सकता है इसकी व्यवस्था करिये। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इस पर विचार करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पांच मिनट का टाइम दिया, तीन मिनट लगे हैं।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट का नहीं दिया। दो मिनट की व्यवस्था है। विस्तृत चर्चा नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सुझाव— केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। जयपुर शहर में अगर पानी की व्यवस्था ठीक हो सकती है तो एक ही तरीके से हो सकती है। यह बात सही है कि जमवा रामगढ़ में पानी कम है। लेकिन जो विभिन्न प्रकार के पुराने कुए हैं, जब सरकार को मालूम है कि एक समय में पानी की कमी आयेगी तो पूर्व में पुराने कुओं को साफ कराकर और नये कुएं खोद कर पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आपको भी पानी पिलाने के लिये सक्षम नहीं होंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मन्जूरी देते नहीं। साढ़े चार करोड़ में हो जाती यह व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री भंवरलाल शर्मा : दूसरा जो टैक्स लगाया गया है इस पर, यह बहुत अन्याय हुआ है। पानी तो मिलता नहीं है और टैक्स उसका देना पड़ता है। जहां सीवरेज नहीं है, वहां भी लगा दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर! माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह। अलपसर में बस का नहीं जाना।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के राकेट के जमाने में गांवों में बस भी नहीं जाती है, गांवों में कच्चे रास्ते हैं। आज ही खबर आई है कि अजमेर से डेगाना बस जा रही थी, 6 आदमी मर गये। आदमी भी कौन? स्कूल के बच्चे। अगले दिन कामरेड मोहर सिंह झुन्झुनू से राजगढ़ जा रहे थे। अलवर के पास बस उलट गई और कामरेड बुरी तरह से घायल हो गये। बसें बे कण्ट्रोल हैं, किसी तरह का कण्ट्रोल नहीं है। कोई किसी तरह का आदेश और कानून मानने को तैयार नहीं है। हमारा यातायात विभाग इस तरह का है कोई किसी तरह का कण्ट्रोल मानने को तैयार नहीं है। फतेहपुर तहसील में अलपसर मशहूर गांव है। जबकि हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई।

श्री अध्यक्ष : इतनी लम्बी भूमिका न बांधें। आपकी समस्या है उसकी ओर ध्यान आकर्षित कीजिये। सरकार से जवाब आया है वह मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया। इस पर कह देवें थोड़े समय में आजाद हुआ था—

श्री त्रिलोकसिंह : दो मिनट में ही बता दूं।

अलपसर गांव में बसें नहीं जाती हैं। वह एक मशहूर गांव है। ताज्जुब मुझे यह हुआ, अभी अध्यक्ष महोदय ने यह कहा, यह सरकार कहती है कि उसे गांव वाले मारते हैं, किराया देते नहीं है। अगर मारते हैं किराया नहीं देते तो यह राज काहे के लिए है? पुलिस भेज दो, मुकदमा बना दो, गिरफ्तार कर लो।

श्री अध्यक्ष : यह तो सरकार की गलती है।

श्री त्रिलोकसिंह : मेरे गांव में बस जानी चाहिये। मैं यातायात मिनिस्टर साहब से दो तीन बार मिला। हम गत अधिवेशन में भी मिले, इनके घर जाकर भी मिले। अब भी उनसे बहुत ही नरम शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह कोई मामला ऐसा नहीं

(श्री त्रिलोकसिंह)

जो झगड़ा तलब हो। गांव में भी लोग बीमार होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे गांव से फतेहपुर दस मील पड़ता है। मेरे गांव के सैकड़ों बच्चे फतेहपुर कालेज और स्कूल में पढ़ते हैं, वह सब परेशान होते हैं। इसलिए मैं श्री जयकृष्ण से व्यक्तिगत तौर से भी यह कहना चाहूंगा, कि मेरे गांव अलपसर में बस भेजने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन ! सिरसी गांव में बलाई जाति के एक बच्चे की हत्या।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, आपने मेरे प्रस्ताव का महत्व समझते हुए इसे सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि 11 तारीख से आज 18 तारीख तक सरकार किसी तरह की कोई जानकारी सरकार नहीं दे पायी है। इसने यह भी कहना मुनासिब नहीं समझा कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उन्होंने कोई निर्णय भी लिया है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार अपने आपको अनुसूचित जाति का बहुत ही शुभ-चिन्तक मानती है, दिनांक 4 को जयपुर तहसील के ग्राम सिरसी में एक मासूम 9 साल का बच्चा जो बलाई जाति का है, अचानक गायब हो गया। दशहरे के दिन उसके गायब होने पर गांव के लोगों ने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। गांव के लोगों को इसमें इसलिए दखल देना पड़ा कि एकमात्र बच्चे का पिता शायद अरेबियन कन्ट्री में मजदूरी के लिए गया हुआ है। उसके घर में उसके बूढ़े दादा के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं था। एक मां है जो गरीब है और बीमार है। 4 तारीख को बच्ची गायब हुई, पुलिस में इसकी रिपोर्ट कर दी गई लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि पुलिस ने इसका कोई कानिजेन्स नहीं लिया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं दावे के साथ कह सकती हूं अध्यक्ष महोदय, छोटे से गांव में वह बच्चा गायब हुआ था, अगर सरकार की पुलिस को यह हिदायत होती कि अगर इस तरह के केस में पुलिस ने सख्ती नहीं की, लापरवाही, कोताही बरती तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायगा तो निश्चित रूप से उस मासूम बच्चे की मौत नहीं होती। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 6 तारीख को बहुत ही सुबह 5 बजे के करीब उस बच्चे की लाश उस स्थान पर पाई गई जिस स्थान से वह बच्चा गायब हुआ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में !

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, लोगों ने जब उस लाश को देखा तो लाश का एक हाथ कटा हुआ था, लाश की इतनी बुरी हालत थी, मैंने खुद जाकर देखा है उसको, पूरा शरीर ऐसा था जैसा बुरी तरह से जला दिया हो, जगह जगह फफोले थे, बच्चे का मुंह बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से उसको पहचाना जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, लोगों का यह अनुमान है, मेरा स्वयं का भी ऐसा अनुमान है कि

(सुश्री पुष्पा जैन)

शायद दशहरे के दिन उस बच्चे को गायब किया और 6 तारीख को उसकी लाश मिली, दो तीन दिन पूर्व उसकी हत्या हुई। मेरी ऐसी मान्यता है शायद बच्चे का बलिदान करने के खातिर बच्चे को अगुवा किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती हूं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसकी तहकीकात कौन करे। इस राज्य में गरीब, छोटे लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों का हमनुमा कौन बने। माननीय डांगीजी यहां पर बैठे हैं, इस विधान सभा में जब बीकानेर के एस. पी. का मामला उठाया गया था तो डांगीजी का जमीर जाग उठा था। इन्होंने कहा कि वह आदमी, जो एस. पी. है, अनुसूचित जाति का है इसलिये विपक्ष के लोग उसके खिलाफ में बोलते हैं। माननीय डांगीजी, वह मासूम बच्चा भी बलाई जाति का है और 9 साल का बच्चा है जिसका बाप यहां नहीं है अरेबियन कन्ट्रीज में मजदूरी कर रहा है, जिसका कोई नहीं है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों के सिवाय कोई नहीं उसका, अगर सरकार सतर्क हो और वास्तव में सरकार यदि अनुसूचित जाति की मदद करने का वादा करती है, वास्तव में सरकार उनको प्यार करती है, वास्तव में सरकार उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : आप उनकी स्थिति से कम्पेयर कीजिये, उनकी स्थिति क्या है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त कीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : आप पता लगाइये कि किस तरह से उस बच्चे की हत्या हुई और किसने उस बच्चे को अगुवा किया। इसकी आप जानकारी करें, आप उन दोषी लोगों को पकड़ें और उनको सख्त से सख्त सजा दिलावें। मैं समझती हूं कि आप ऐसा करेंगे तो गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। इसके साथ साथ अन्य बच्चे जो भयभीत हो गये हैं उन बच्चों को भी खतरा पैदा हो गया है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ! काफी हो गया है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, लोगों में भय पैदा हो गया है। सोचते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाय तो ही वास्तव में उनको न्याय मिलेगा, धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी ने एक प्रस्ताव नागौर जिले में बिजलीकरण के लिये प्रस्ताव दिया, अन्य प्रस्ताव आये हैं और आज एक संकल्प भी लिया जायेगा जिस पर विचार करेंगे तब आपको भी बोलने का अवसर दे दिया जायेगा।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, पहले अवसर दे देना उस वक्त।

श्री अध्यक्ष : श्री भोपालसिंह ने निम्बाहेड़ा में पुलिस फायरिंग के बारे में प्रस्ताव दिया है। तीन चार माननीय सदस्यों ने इस पर प्रस्ताव दिया है पर मैं केवल एक माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दूंगा। श्री भूपालसिंह।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा ऐसा गांव है, मेरे ख्याल में वहा पर पिछले डेढ़ सौ सालों में कभी गोली नहीं चली, न वहां के आदमी जानते हैं कि गोली किसको कहते हैं और गोली कैसे चलती है। अभी 6 महीने पहले वहां पर साम्प्रदायिक झगड़ा हो गया उसमें समझा इस में, बातचीत में भी था। वह मामला बिना लड़ाई झगड़े के निपट गया। वहां पर दस हजार आदमियों ने डेढ़ साल पहले बिजली की अव्यवस्था के खिलाफ में प्रदर्शन किया था, बिलकुल शान्ति से प्रदर्शन किया वहां पर कोई लकड़ी डण्डा नहीं चला और न ही पुलिस को जरूरत पड़ी, डिसीप्लीन्ड और अहिन्सात्मक तरीके से काम किया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, निम्ब हेड़ा की हिस्ट्री में जो 13 तारीख कलंक लगा है उसके विषय में आपको थोड़ा अर्ज करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भूपाल सिंह : बिलकुल संक्षेप में अर्ज करूंगा। संक्षेप में अर्ज करूंगा और सही अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष : सक्षेप में और सही भी दोनों ही।

श्री भूपाल सिंह : जी साहब ! अध्यक्ष महोदय, सरकार कांग्रेस की और सेठ भी कांग्रेस के और सगठन भी कांग्रेस का, जब तीनों ही एक ग्रुप के हैं तो फिर झगड़े का सवाल ही नहीं उठता है। पहले केवल मात्र फैक्ट्री के मालिक मजदूरों की छंटनी करना चाहते थे। वह मजदूरों को भयभीत करना चाहते थे। उन्होंने 6 मजदूरों को निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि झगड़ा पैदा हो जायेगा क्योंकि उन्होने जिन मजदूरों को निकाला था उसमें से दो मुसलमान और चार हिन्दू थे। उन्होने बाद में कहा कि हम चार हिन्दुओं को तो वापस नौकरी पर ले लेते हैं पर दो मुसलमानों को नहीं लेंगे। वह चाहते थे कि हिन्दू और मुसलमानों का झगड़ा हो जाये पर सभी ने तय कर लिया कि हम सभी साथ रहेंगे और सभी साथ रहे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सरकार को नोटिस दिया 21 दिन का 31 दिन का और 41 दिन का। हजारीलाल जो अध्यक्ष थे और पहले फैक्ट्री में नौकर थे, माथुर साहब को नोटिस दिया, इधर दिया, उधर दिया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह से दो महिने, तीन महीने तक इन्तजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वह सोचते थे कि सरकार हमारी है, संगठन भी सरकार का है। अध्यक्ष महोदय, कहने को तो सरकार मजदूरों की है, बाकी है वह सेठों की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! संक्षेप में आप कह दें अपनी बात।

श्री भूपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उन लोगों ने हिंसात्मक रूप से आन्दोलन किया।

(श्री भूपाल सिंह)

उन्होंने अहिंसात्मक आन्दोलन के लिए देखा कि टेन्ट कहां लगाया जाये, फैक्ट्री के पास या कहां लगाया जाय ? यहां पर लगाये, यहां पर लगायें, कहां लगायें। तो मजदूरों ने ठीक ढंग से जगह देखकर टैन्ट लगाया। जब टैन्ट लगा रहे थे तब निर्दोष लोग देखने वाले थे जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था उनमें एक 12-13 साल का बच्चा था जो कि चाय की दुकान पर नौकर था, उसका उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, एक ड्राइवर था जो उस आंदोलन में शरीक नहीं था और एक एम.पी. का रहने वाला था। वह तो बेचारा एम.पी. में जाकर मरा और राजस्थान के दो आदमी मरे, ऐसी राजस्थान के अखबारों में खबर थी, राजस्थान के लेकिन मध्य प्रदेश के अखबारों में तीन आदमियों के मरने की खबर थी। वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, 9 आदमी मरे। यह कैसे पता लगता है....

श्री अध्यक्ष : नौ आदमी मरे तो आपको नाम पता है, नाम क्या क्या हैं ?

श्री भूपालसिंह : मैं अर्ज करू....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भूपालसिंह : बिलकुल संक्षेप में।

अध्यक्ष महोदय, टेलीप्रिन्टर से जो अखबार को खबर दी गई है वह ऑन रिकार्ड है. उसमें नौ आदमियों के नाम दिये गये थे। लेकिन बाद में फैक्ट्री के मैनेजमेन्ट और पुलिस दोनों ने मिल कर दो आदमी नौकर रखे और उनको भट्टी में झोंक दिया। अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो गोलियां चलीं वह दो प्रकार की गोली थीं। एक तो पुलिस की गोली चली और दूसरी जो गोली चली वह मैनेजमेन्ट ने चलायी थी। उनके जो आदमी थे वह एक भी नहीं मरे, यह 6 आदमी....

एक माननीय सदस्य : भट्टी में झोंक-कर किसने मारा ?

श्री भूपालसिंह : मैं कह रहा हूं कि वह नौ आदमी कहां गये ? कहां गये वह नौ आदमी ? टेलीप्रिन्टर में खबर आयी थी वह कहां गये ?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री भूपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब गोली चली तो लोग भयभीत हो गये और भाग गये। उसके बाद में फैक्ट्री 15 दिन तक बन्द रही। फैक्ट्री वालों ने मजदूरों को डांट डपट करके भयभीत कराया और जो लोग भाग गये थे उन पर दबाब डाला और 15 दिन बाद 27 तारीख को फैक्ट्री वापस चलाई। सरकार ने उसमें कोई सही कार्य-वाही नहीं की और मुलजिमों का पता नहीं लगाया। मैं पहले ही कह चुका हूं, अध्यक्ष महोदय, पुलिस की गोली और उसके साथ साथ मैनेजमेन्ट की भी गोली चली। कलेक्टर और एस. पी. उस वक्त तक पहुंचे ही नहीं थे, वह तो बाद में आये। वहां पर जो मुकामी आफिसर थे उन्होंने गोली चल-

(श्री भूपाल सिंह)

वाई थी और अश्रु गैस छुड़वाई थी। उन्हीं लोगों को सरकार कह रही है कि आप कार्यवाही करो।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भूपाल सिंह : मेरा अर्ज करना यह है कि उन लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस सारे कांड की न्यायिक जांच करायी जाय। सी. बी. आई से इसकी जांच करायी जावे, सही पता लगाया जावे और मैनेजमेन्ट के आदमी जो दोषी हैं उनको मुलजिम बनाया जाये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार मजदूर विरोधी नीतियों के कारण कड़ा रुख अपना रही है। मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की यूनियन के पदाधिकारियों को जुलूस निकालने से उन्होंने इस प्रकार नौकरी से निकाल दिया और पुलिस ने फायरिंग कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह एक ही जगह नहीं जगह-जगह पर इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है। जैसे आज ही मैंने आपको जयपुर मेटल के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया। इसके मजदूरों की यूनियन के पदाधिकारियों, जिन्होंने नारे भी नहीं लगाये, को बिना नोटिस दिये ही निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन है कि उन मजदूरों को वापस नौकरी पर लिया जाय क्योंकि जो लोग 20 साल से और 25 साल से नौकरी पर चल रहे थे उनको सिर्फ अखबारों में नाम आया करके नौकरी से निकाल दिया। मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, जयपुर मेटल के जिन मजदूरों को निकाला गया है बिना नोटिस के उनको वापस रखा जाय, जो निम्बाहेड़ा में मजदूर मर गये हैं उनके परिवारों को एक-एक लाख रुपया दिया जाय और जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने गोली मारने के आदेश दिये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक मैंने आपको जे. डी. ए. के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था। जे. डी. ए. की जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है उसमें एक छोगालाल नाम का धन्नासेठ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! जे. डी. ए. के बारे में आपने पूर्व स्वीकृति नहीं ली है माननीय सदस्य !

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, अनधिकृत कब्जा कर रखा है। यह जयपुर शहर का मामला है। बड़ी जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भी लिखा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य । आर्डर, आर्डर ! अंकित नहीं हो ।

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र—परिवहन राज्य मन्त्री जी,

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभ नगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा 295 का एक प्रस्ताव था....

सदन पटल पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, परिवहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ग्रुप-7) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 5(3) गृह-7/84....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ जवाब आये हैं एडजोर्नमेन्ट मोशन के गवर्नमेंट से....

श्री जयकृष्ण शर्मा :....दिनांक 21 सितम्बर, 1984 सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के....

श्री नाथूसिंह : ...आपने व्यवस्था दी थी कि आप दो मिनट का समय बोलने का देंगे ।

श्री जयकृष्ण शर्मा :....शैक्षणिक भ्रमण के लिये अनुबंधित बस कर मुक्त की गई है ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सुबह आपने व्यवस्था दी थी....

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर आपको अवसर दे दिया था । जितने भी माननीय सदस्य थे, जितने भी उनके प्रस्ताव अस्वीकार किये थे, उन सबको एक साथ ही....

श्री नाथूसिंह : नहीं, वह नहीं ! जिनके जवाब आ गये ।

श्री अध्यक्ष : जिनके जवाब आ गये उसके बाद में अस्वीकार कर दिये उन सब के बारे में एक साथ व्यवस्था दी थी ।

श्री नाथूसिंह : कुछ को मौका दे दिया और कुछ को नहीं दिया । जिनके जवाब आ गये थे गवर्नमेंट से....

श्री अध्यक्ष : मौका लिया जाता है, दिया क्या जायेगा । नाम पुकार लिया था ।

जिनके दो विषय थे उनको दोनों पर बोलने की अनुमति थी, माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : नाम नहीं पुकारा, माननीय अध्यक्ष महोदय ! मैं यही निवेदन करना चाहता हूं ।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री नाथूसिंह : नहीं।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर बोल चुके हैं।

श्री नाथूसिंह : इस पर नहीं बोला। दौसा को जिला बनाने के मामले में मेरा था।

श्री अध्यक्ष : इस पर नहीं बोले होंगे।

श्री नाथूसिंह : हां, नहीं बोला। वह तो आज का था उस पर बोलने का मौका मिला है।

श्री अध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन यह है, उसमें व्यवस्था यह की गयी थी। माननीय सदस्यों का जब नाम पुकारा जाये उस वक्त जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये वह अपने जितने भी प्रस्ताव हैं, चाहे उत्तर सरकार से प्राप्त होने के बाद अस्वीकार किये गये हों अथवा आज ही प्राप्त हुए और अस्वीकार किये गये हों, सब के बारे में बोल दें। व्यवस्था यह दी थी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप एक मिनट का समय दें तो मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री कमलेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, 295 का मेरा प्रस्ताव है।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं यह विषय इसलिए उठाना चाहता हूं कि 1980 में जनता सरकार ने निर्णय लिया कि दौसा को....

श्री अध्यक्ष : कौनसी तारीख को लिया निर्णय जनता सरकार ने ?

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : यह तो सरकार को पता है। 17 दिसम्बर को लिया। इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कब लिया निर्णय। सरकार के पास कागज हैं, वह देख लें।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जिला बनाने का निर्णय लिया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कहां आफिस बनेगा, कहां बिल्डिंग बनेगी—इसकी रिपोर्ट वह कमेटी पेश करेगी। उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। उसके बाद कांग्रेस सरकार पावर में आ गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद लगातार चार साल हो गए हमें मांग करते हुए कि दौसा को जिला बनाओ। हनुमानगढ़, बारां और धौलपुर को जिला बनाने का निर्णय लिया था। बयाना का जब उप चुनाव हुआ, बाई-इलेक्शन वह चुनाव जीतने के लिए सरकार ने धौलपुर को जिला बना दिया। लेकिन दौसा को आज तक जिला नहीं बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, कई बार आपने देखा होगा लाठी चार्ज हुआ वहां पर, जनता ने प्रदर्शन किया, हम कई बार धरने पर बैठे, प्रदर्शन किये, मांग पत्र दिये

Page No 193

(श्री नाथूसिंह)

लेकिन उसके बावजूद भी आज तक दौसा को जिला नहीं बनाया गया। सारा का सारा पैसा जयपुर शहर पर, इस जिले का खर्च हो जाता है और गांवों को उसका हिस्सा नहीं मिलता है। प्रशासनिक कठिनाइयां होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है, इस समय लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं, दौसा से कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष श्री नवलकिशोर जी शर्मा एम. पी. हैं, चुनाव लाभ उठाने के लिए जिस समय चुनाव होंगे दौसा को जिला डिक्लेयर किया जाय ...

श्री अध्यक्ष : आप तो पहले ही डिक्लेयर खुद ही कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं मांग कर रहा हूं कि दौसा को जिला बनाया जाये। इसी समय घोषणा की जाये दौसा को जिला बनाने की। समिति ने सिफारिश दे दी उसके बाद इन्होंने उस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दूसरी कमेटी बनाई। दूसरी कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट।

फिर इन्होंने एक और कमेटी बनाई। सारी कमेटीज ने यह रिपोर्ट दी कि जिला बनाना उचित है। अध्यक्ष महोदय, तीन सेशन से तो मैं इस सवाल को उठा रहा हूं। मंत्री कह देते हैं कि अभी मामला विचाराधीन है। इस बार फिर मैंने सवाल पूछा तो फिर कहा कि अभी विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मामला विचाराधीन कब तक रहेगा ? यह सरकार बता दे कि कब तक विचाराधीन रहेगा ताकि हम सन्तोष तो करें। मेरी मांग है सरकार से कि राजनैतिक दृष्टि से जनता के साथ भेदभाव नहीं किया जाय और दौसा को तुरन्त जिला बनाया जाये और उसकी कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : 295 का एक प्रस्ताव है।

नियम 295 के तहत उठाया गया प्रश्न :

राजस्थान वेजीटेबल प्रोडक्ट्स, भीलवाड़ा द्वारा टैक्स में हेराफेरी और माल में चरबी की मिलावट

श्री कमलेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने 295 की अनुमति दी और जो शर्तें आपने लगाई हैं उसकी भी मैं पूरी पालना करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वेजीटेबल प्रोडक्ट भीलवाड़ा के बारे में सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि कई शिकायतें सरकार के पास पहुंची हैं। आज तक सरकार ने उसके बारे में कोई विचार नहीं किया है या विचार किया होगा तो कोई एक्शन नहीं लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो दो पाइन्ट्स हैं। एक तो यह कि 11 प्रतिशत टैक्स की चोरी उनके माल पर होती है। लगातार होती आ रही है। उसके बारे में कई शिकायतें सरकार के पास पहुंची हैं। दूसरा

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अपने माल में मिलावट कर रहे हैं। मिलावट करके फिर डालडा बेच रहे हैं। वह भी शिकायत सरकार के पास गयी है। अभी तक सरकार ने उस पर कोई तवज्जोह नहीं दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान वेजीटेबल प्रोडक्ट.....

श्री खेतसिंह राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय है। समय बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कृपया अपनी बात कह दीजिए आप तो। पहले कह दीजिए बाद में समय बढ़ाने का प्रश्न आयेगा।

श्री कमलेन्द्रसिंह : 5 मिनट तो दीजिए, साहब !

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ाना है क्या ?

श्री कमलेन्द्रसिंह : बढ़ाना तो पड़ेगा। कार्य सूची लम्बी पड़ी है, माननीय अध्यक्ष महोदय। शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लम्बी चौड़ी कार्य सूची है ...

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का नारा लगाने वाली सरकार रिपोर्ट पर डिबेट नहीं करवाना चाहती है। आप कल भी बैठक रखिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! बैठ जायें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने तीन घण्टे खराब कर दिये।

एक माननीय सदस्य : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की यह सरकार उपेक्षा करना चाहती है। पिछले सत्र में भी हुई है और इस वर्ष भी....

(व्यवधान)

....सरकार भागना चाहती है। चर्चा करना नहीं चाहती है।....

(व्यवधान)

... उनकी हाउस में भी बात कीजिए। क्यों नहीं चर्चा चाहते हैं आप ?

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, सारा राजस्थान विद्युत के मामले को लेकर ज्यादा परेशान है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय विद्युतमण्डल और शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की रिपोर्ट पर बिना विचार किये हुए आज सदन की कार्यवाही समाप्त करना जनता के साथ अन्याय होगा। इसलिए कार्यसूची समाप्त होने तक समय बढ़ाये जाने की कृपा करें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर आज अत्याचार बढ़ते आ रहे हैं।

(श्री हीरालाल आर्य)

यह सरकार उन पर चर्चा करना नहीं चाहती है। और भागना चाहती है। इसलिए समय बढ़ाया जाये और अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की जाये। लोगों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं फिर भी सरकार ध्यान नहीं देना चाहती है....

सदन की कार्यवाही

विधानसभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से 10 मिनट के लिए बैठक का समय बढ़ाया गया।

एक माननीय सदस्य : 10 मिनट में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्रसिंह !

श्री कमलेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था, राजस्थान वेजीटेबल प्रोडक्ट भीलवाड़ा किस तरह से 11 प्रतिशत टैक्स की और राजस्थान के टैक्स की बचत कर रहा है या सरकार के टैक्स की चोरी कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ केरियर नाम की एक फर्म उन्होंने खोल रखी है जिसका ट्रकों का बिजनेस है। उनके जो पहले एम्प्लाई थे उनके नाम से वह ट्रकें ले रखी हैं और उसके थ्रू सब माल भेजते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माल की बिल्टी बताते हैं आसाम और नार्थ बिहार भेजने की, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर मेवाड़ केरियर की बिल्टियों को चैक किया जाये तो आपको यह लगेगा कि हर ट्रक 24 घंटे में उसी फैक्टरी से वापस निकलता दिखाई देता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह चीज सम्भव है कि एक ट्रक बिहार में जाकर माल देकर वापस आकर 24 घंटे में वापस जा सकेगा ? ऐसे भी केसेस हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनमें इन ट्रकों की एक दिन में दो-दो बार निकासी बताई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा माल राजस्थान में बिक रहा है और राजस्थान में बिकने से उसको जो 11 प्रतिशत टैक्स बाहर निकलने का देना चाहिए उसकी बचत हो रही है ....

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और पाइन्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। 11 प्रतिशत जो टैक्स बचाते हैं और काला धन बचाते हैं उसको किस उपयोग में लेते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कई फर्मों से वेजीटेबल आइल खरीदते हैं और तेल खरीदने में माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल नकद पैसा चुकाते हैं। कहीं पर भी चैक की एन्ट्री नहीं है, ट्रांसपोर्ट की एन्ट्री नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन आंकडे बताना चाहता हूं जून 1983 में इन्होंने 18 लाख का माल खरीदा, जुलाई में 37 लाख का माल खरीदा, अगस्त में 34 लाख का माल खरीदा और सेप्टेम्बर में 18 लाख का खरीदा। 1983 के चार महीनों में जो माल इन्होंने खरीदा है, इसके ट्रांसपोर्टेशन की कहीं पर भी एन्ट्री नहीं है बिल्टी की कहीं पर भी एन्ट्री नहीं है। इसकी राज्य सरकार के पास शिकायतें की गई हैं फर्म के उत्पादन

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

के भी फीगर्स भी आपके सामने रखना चाहूंगा। जून, 1983 में इनका उत्पादन 1020 टन हुआ, जुलाई में 1009 टन, अगस्त में 715 टन और सितम्बर में 1210 टन हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ बिजली का जो खर्चा हुआ है, उसका भी मैं आपको रेशो बताना चाहता हूं। बिजली का खर्चा हुआ जून महीने में 1 लाख 97 हजार, जुलाई में 2 लाख 30 हजार, अगस्त में 78 हजार ही केवल खर्च हुआ है, सितम्बर में 70 हजार खर्च हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका ऐवरेज आप निकालें तो ऐवरेज पर टन होता है 193)-रु. का जून में, 211 रु. जुलाई में, अगस्त में 109 रु. हुआ है और सितम्बर में केवल 58) रु. पर टन का खर्च हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे राज क्या है ? राज यह है कि जितना भी बाहर का माल, काला धन का माल आता है उसकी मिलावट करते हैं। सितम्बर में प्रोडक्शन उन्होंने 1210 टन बता दिया किन्तु बिजली पर केवल 58 रु. पर टन के हिसाब से या 70 हजार रु. खर्च हुआ है। इसके पीछे एक राज है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बाहर का माल आ रहा है वह ऐसा आ रहा है जिसमें हाइड्रोजिनेशन की जिसमें उस प्रक्रिया की जरूरत नहीं है इसलिए बिजली की बचत हो रही है। सितम्बर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बताया गया है 1210 टन सबसे कम बिजली खर्च 70 हजार रहा है। ऐसा माल क्या हो सकता है जिसमें हाइड्रोजिनेशन की आवश्यकता नहीं है। मिलावट भी डालडा में हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एनीमल फेंट के सिवा कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री कमलेंद्र सिंह : जिसकी मिलावट से इतनी बिजली की बचत हो सकती है एनीमल फेंट ही एक ऐसी चीज है, जानवरों की चर्बी ऐसी है जिसमें हाइड्रोजिनेशन की जरूरत होती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य !

श्री कमलेंद्र सिंह : केवल उसकी मिलावट करने से ही प्रोडेक्शन बढ़ जाता है, बिजली की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री कमलेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एनीमल फेंट की मिलावट हो रही है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ। माननीय सदस्य।

श्री कमलेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसमें जो कारगर कदम उठाने चाहिये वह क्यों नहीं उठा रही है। भीलवाड़ा की फेक्टरी है इसलिये कदम नहीं उठाया जा रहा है।

सदन की कार्यवाही
निर्धारित समय में वृद्धि करने का अधिकार

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय समाप्त हुआ, भाषण समाप्त हुआ, । कृपया बैठ जायं, समय हो गया है ।

प्रश्न यह है कि बैठक का समय आगे बढ़ाया जाय या नहीं ।

(व्यवधान)

नो से नहीं, मेरी इच्छा यह है कि समय बढ़ाया जाय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी अवमानना करने का तो सवाल ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इस सम्बन्ध में व्यवस्था क्या ? अल्पकाल के लिए अध्यक्ष बढ़ा सकता है लेकिन सदन के बहुमत की राय यह हो कि नहीं बढ़ाया जाय उस स्थिति में क्या प्रावधान है, यह बताया जाय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब अध्यक्ष महोदय ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी ....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह प्रश्न नहीं है । मेरी इच्छाओं का उल्लंघन करने का कोई प्रश्न नहीं है । अपना मन है, वह सामने रखा है लेकिन उसके सम्बन्ध में यदि यहां पर विचार यह आये, बहुत से माननीय सदस्य कहें कि समय नहीं बढ़ाया जाय तो इस सम्बन्ध में व्यवस्था क्या है, परम्परा क्या है ?

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ही नहीं उठता है । जब सत्ता पक्ष की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता है, रूलिंग पार्टी की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता है पांच बजे के दो मिनट पहले तो अध्यक्ष महोदय को बैठक स्वतः एडजोर्न कर देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, शासन की तरफ से प्रस्ताव आना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है । आज तक की जितनी परम्परायें हैं,

पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस है, समय बढ़ाने के लिये हमेशा सत्ता पक्ष से प्रस्ताव आता है । सत्ता पक्ष से प्रस्ताव आता है तब ही बढ़ाते हैं । बिना प्रस्ताव के एक-दो मिनट के लिये सुविधानुसार बढ़ा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं जिनको पीठासीन होने का अवसर भी रहा है....

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए । ठण्डे दिल से विचार करें । समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाता हूं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज प्रातः काल ही आपसे निवेदन किया था कि सदन की कार्यवाही एक दिन के लिये और बढ़ाई जाय । उसके पीछे एक पर्पज था ।

श्री अध्यक्ष : मैं यह चाहता था, नियम और परम्परा किस प्रकार की है । इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : इसमें बहस क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष । चाहे जब समाप्त कर दे, चाहे जब बुला लें । नियमों के अनुसार होगा, वैसे नहीं होगा....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! बैठ जायं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : जब चाहते ही नहीं हैं तो कैसे होगा ।

श्री अध्यक्ष : जो सूची है, उसमें बहुत सा कार्य अवशेष है । मैंने माननीय सदस्यों को अपनी इच्छा प्रकट कर दी है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप 20 तारीख तक बढ़ा दीजिये, आज 18 तारीख है ।

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह से न लें । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन यह करना चाहता था....

(व्यवधान)

इस विधान सभा के काल का सम्भवतः यह अन्तिम सत्र हो....

(व्यवधान)

लगता मुझे कुछ ऐसा है । इसलिए अगर एक दिन विधान सभा की कार्यवाही बढ़ाई जाय । अध्यक्ष महोदय, आपने जिस ढंग से इस सदन का संचालन किया है, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाने का प्रश्न आता है, यह अध्यक्ष महोदय, आपकी जिम्मेदारी है । आज की बिजनेस लिस्ट में जो जो आइटम्स हैं, वे डिस्पोज आफ होने चाहिए । अब तक की परम्परायें यह रही हैं, अगर सदन की कार्यवाही आज के बाद में चलने वाली हो तो सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाए और बिजिनेस लिस्ट में जो भी आइटम्स रह गये हों, उन पर कल चर्चा की जाय । इसमें हाउस की राय का सवाल नहीं है । यह सवाल आपका है कि आप उस बिजनेस लिस्ट को पूरी करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं । आपने अध्यक्ष महोदय, कल भी आदेश दिया था कि सदन की कार्यवाही जब तक पूरी नहीं होगी तब तक सदन की बैठक चलेगी । उसके पहले भी आपने इस प्रकार का आदेश दिया था और यह व्यवस्था दी थी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लेकिन उसमें हाउस की सहमति थी ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठे बैठे बोलने का कायदा नहीं है, संसदीय ज्ञान के मन्त्री जी ।

श्री राम नारायण चौधरी : समिति ने

(श्री रामनारायण चौधरी)

आज पांच बजे तक के लिए एजेन्डा अप्रूव किया है। कार्य सलाहकार समिति ने आज पांच बजे तक के लिये एजेन्डा अप्रूव किया है उसके बाद एक मिनट भी बिना सदन की अनुमति के नहीं बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय की कृपा है, वे समय बढ़ा रहे हैं वरना एक मिनट के लिये भी समय नहीं बढ़ाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य से तर्क में पड़ना या उनका जवाब देना तो समय को व्यर्थ करना है, इसलिए मैं उस बात को तो इगनोर करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिकमण्डेशन हो या कोई भी, आपने कल जिस समय सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया था, उस समय चीफ व्हिप की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया था। परसों जब आपने समय बढ़ाया था, उस समय भी सत्ता पक्ष की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया था।

श्री अध्यक्ष : सदैव करते रहे हैं। यदि माननीय सदस्यों की तरफ से यह सुझाव आए कि समय नहीं बढ़ाया जावे तो यह परिस्थिति आती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही मैं निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि आज के एजेण्डा को पूरा कराना है या नहीं। हम इस एश्योरेंस के साथ आए हैं कि आज का एजेण्डा पूरा हो। अब इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, आप यह कह सकते हैं, जैसे बिजली के सम्बन्ध में चर्चा है, बिजली के सम्बन्ध में चर्चा की जावे और काश्तकारों को दस घण्टे बिजली मिले इस बात को लेकर इन्हीं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने हस्ताक्षर सहित एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किया है। या तो कांग्रेस के माननीय सदस्य यह कह दें कि काश्तकारों को दस घण्टे बिजली देने की आवश्यकता नहीं है, हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि वास्तव में चर्चा करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री माणकमल मेहता : अभी तो टाइम बढ़ाने की बात है कि टाइम बढ़ाया जावे या नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो मिलेगी। वह तो बिना चर्चा के मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य मंत्रीजी ने यह कहा कि उन्हें तो बिना चर्चा के ही बिजली मिल जाएगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सारे राजस्थान को मिलेगी। किसानों के प्रति कांग्रेस सरकार वचनबद्ध है, सरकार बिजली की व्यवस्था करेगी, आप इसका श्रेय नहीं लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार यदि वचनबद्ध होती तो कांग्रेस के विधायक काल अटेंशन मोशन

Page No 200

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का नोटिस नहीं देते । इसलिए आपकी बात की तो कांग्रेस के लोगों ने ही काट कर दी, आप वचनबद्ध नहीं हैं । लेकिन प्रश्न यह आता है, मामला, अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर है, बिजली का प्रश्न है । मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, चाहे आप समय सीमा बांध दें कि इससे ज्यादा बिजली के प्रश्न पर माननीय सदस्य चर्चा नहीं करेंगे लेकिन हाउस की कान्सेंसस तो बने । बिजली काश्तकारों को नहीं मिलती, इस हाउस ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की है, तो उसके आधार पर बिजली का प्रश्न पैदा होगा । अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है, आपने एक प्रस्ताव रखवाया उस प्रस्ताव में आपने बिजली बोर्ड की उधार लेने की सीमा को बढ़ाने की बात कही है । वह प्रश्न भी गम्भीर है, उस पर चर्चा नहीं होगी ।

अब दूसरा प्रश्न आता है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट का । यह दुर्भाग्य है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का कि इस रिपोर्ट पर जिस समय चर्चा होती है तो या तो ऐसा समय रखा जाता है जब सदस्य उठ कर चले जायें या ऐसे समय रखी जाती है जब इस पर चर्चा ही नहीं हो । अध्यक्ष महोदय, चर्चा होगी तो आप यह मान कर चलिये कि सरकार को भी फायदा होगा और उस रिपोर्ट के अन्दर कुछ बातें आई हैं उन बातों पर....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप समय बढ़ा दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जावें, माननीय सदस्य !

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जावें माननीय सदस्य, कृपया समय नहीं लें ।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : आपने व्यवस्था दी थी कि तुम्हारे स्थगन प्रस्ताव को...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! संसदीय मंत्रीजी ।

श्री महाराम चौधरी : लिया जाएगा । बिजली पर जब चर्चा हो उस वक्त बोल लें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! बैठ जावें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

क्या मुझे बढ़ाने का अधिकार है ? इसका उल्लेख कर दें ।

(व्यवधान)

मुझे समय बढ़ाने का अधिकार है स्व-विवेक से ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सदन की अनुमति से ।

श्री अध्यक्ष : कहा है ? कुछ कानून तो बताइये, केवल जुबानी बता रहे हैं कि सदन की अनुमति से। मैं कब से यह कह रहा हूं ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यदि सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, अध्यक्ष महोदय, तो आज तक जब भी समय बढ़ाया है हमेशा आपने सदन की अनुमति ली है। सदन की अनुमति के वगैर कभी समय बढ़ा नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेन्ट हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को इसी गवर्नमेंट ने तीन दफा इस हाउस में डिस्कस किया है....

श्री यदुनाथसिंह : दबाई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमेशा डिस्कस हुई है, हर सेशन में हुई है....

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, टेबल पर रिपोर्ट तो अभी आई है सबसे पहले।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य ! इसे व्यर्थ में विवाद का विषय नहीं बनायें। मैं राय जानना चाहता हूं, सत्तारूढ़ दल को।

श्री गोपाल पचेरवाल : इनको ज्ञान ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ज्ञान इनको बिल्कुल नहीं है। जब यह बोलते हैं तो हम कभी भी दखल नहीं देते। हम में से कोई खड़ा होता है तो ये चार पांच खड़े हो जाते हैं। इनको कोई बात समझ में नहीं आती है इसलिये मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के बारे में, हम तो खुब ही बहुत चाहते थे कि इस पर चर्चा हो लेकिन आज सवेरे से ढाई घंटे महज एक मामूली से इश्यू पर लीडर आफ दी अपोजीशन और उनकी पार्टी के मेम्बरों ने यों ही जाया किए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने रिजर्वेशन करा रखे हैं। कोई आज जाना चाहते हैं। किसी का ट्रेन से रिजर्वेशन है, किसी का बस से रिजर्वेशन है, कइयों की कांस्टीट्यूएन्सी में कोई मीटिंग रखी हुई है, कइयों को स्कूल के उद्घाटन कराने हैं; कोई होस्पीटल का उद्घाटन करायेंगे। ऐसी परिस्थिति में अब समय बढ़ाना आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(श्री अध्यक्ष)

मैं बैठक का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाता हूं।

उसमें सर्वप्रथम जो संकल्प है, बिजली बोर्ड का वह लिया जाएगा उसके बाद में इस तरह के प्रस्तावों के बारे में मैंने अभी व्यवस्था दी है, बिजली की समस्या बिजली सकट के बारे में उस पर विचार होगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर !

श्री गोपाल पचेरवाल : आपने इजाजत दी थी। अध्यक्ष महोदय, मेरे बूंदी जिले में पूरे कोटा डिविजन में चावल की फसल नष्ट हो गई। मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था वह आपने स्वीकार किया था। आपने फरमाया था कि अवसर दूंगा।

श्री हीरालाल आर्य : पशुओं में महामारी फैल गई है....

श्री गोपाल पचेरवाल : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में फसल में बीमारी फैल रही है....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये शांति से काम करना ही नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को यह तो मालूम ही है, आज प्रातः काल से मैं बराबर यह प्रयत्न कर रहा था कि माननीय सदस्य समय कम लें। विषय सूची बहुत लम्बी है लेकिन दुर्भाग्यवश मैं इसमें सफल नहीं हो सका। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पांच बजे, जो साधारणतया बैठक समाप्त होने का समय होता है, तक एक तरह से जीरो आवर ही चलाते रहे। जब समय बढ़ाने का प्रश्न आया तो एक तरफ से निश्चित मांग यह है कि समय नहीं बढ़ाया जावे, दूसरी तरफ से मांग है कि समय बढ़ा दिया जावे। मैंने स्व-विवेक को काम में लेकर लगभग सवा घण्टे का समय बैठक से अधिक बढ़ा दिया। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसकी तरफ विपक्ष के नेता महोदय ने भी ध्यान आकर्षित किया, वह बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या पर सीधा कोई सरकार का वक्तव्य या अन्य कोई प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। विचारणीय है केवल एक संकल्प जिसके द्वारा राज्य सरकार चाहती है कि बिजली बोर्ड के धन उधार लेने की सीमा, जो वर्तमान में दो अरब पचास करोड़ है, को पांच अरब कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि पहले उसको ले लेते हैं। उसके बाद यदि सत्तारूढ़ और अन्य माननीय सदस्यों का मन बन जाता है कि बैठक का समय और बढ़ाया जावे तो उस पर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनका मन कैसे बनेगा।

श्री अध्यक्ष : कोशिश तो यही है। आधा घण्टे से कोशिश कर रहे हैं।

श्री तेजपाल यादव : बिजली के संबंध में मैंने काल अटेंशन नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष : उसके सम्बन्ध में यही निवेदन करूंगा कि संकल्प आ जाए। उसके बाद में जिन माननीय सदस्यों के बिजली के सम्बन्ध में किसी तरह के प्रस्ताव हैं उन माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा। सरकार से उत्तर होगा। उसके बाद में आगे की कार्यवाही के बारे में मैंने अभी आपको निवेदन कर दिया है।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : रिपोर्ट तो पेश करा दें साहब !

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है। मेरे बूंदी जिले में किसानों के चावल की फसल नष्ट हो गई है।

श्री अध्यक्ष : बहुत से प्रस्ताव हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। मेरी कठिनाई से आप परिचित हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार से मुझे जवाब नहीं लेना है।

श्री अध्यक्ष : पहले बिजली वाला ले लेते हैं।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, यह जन लेखा समिति की रिपोर्ट तो पेश करवा दीजिए। बनी बनाई रिपोर्ट ही रह जावेगी।

श्री अध्यक्ष : समितियों के प्रतिवेदनों का उप-स्थापन। सभापति, जन लेखा समिति।

समिति का प्रतिवेदन
जन लेखा समिति
1984-85 का बीसवां, इक्कीसवां एवं बाईसवां प्रतिवेदन

श्री माधवसिंह दीवान (सभापति, जन लेखा समिति) : मैं सभापति, जन लेखा समिति 1984-85 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उप-स्थापन करता हूं :—

(1) वर्ष 77-78 के लिये नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के पैरा 3.1 में उल्लिखित उद्योग विभाग से संबंधित मामले पर जनलेखा समिति का बीसवां प्रतिवेदन;

(2) विनियोग लेखे 78-79 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत विनियोग में प्रतिरेक के मामलों पर जन लेखा समिति का 21वां प्रतिवेदन।

(3) पंचायत राज संस्थाओं, नगर विकास न्यासों, कृषि विपणन बोर्ड एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, सहकारी संस्थाएं आदि के लेखों के आडिट आदि के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के अन्तर्गत जनलेखा समिति का 22वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ चौधरी। सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 1984-85 का छठा प्रतिवेदन

श्री राम रघुनाथ चौधरी (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति : मैं, सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1984-85 समिति का छठा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विद्युत् मण्डल के ऋण लेने की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में शासकीय संकल्प।

शासकीय संकल्प
विद्युत् मंडल के ऋण
लेने की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में
राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन

श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करती हूं :—

"यह सदन मण्डल द्वारा किसी भी समय विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948, (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन यथा परिकथित ऋण लेने की उच्चतर अधिकतम सीमा राशि 500 करोड़ नियत करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा एक घण्टे के भीतर समाप्त हो जानी चाहिए क्योंकि इस संकल्प पर मतदान होगा। काफी बड़ी संख्या में दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों के बिजली की कठिनाइयों के संबंध में प्रस्ताव आये हैं इसलिये सभी माननीय सदस्यों को समय देना संभव नहीं होगा, 2-2, 3-3 माननीय सदस्य हरएक पक्ष से बोल लें। मैं सबसे पहले नाम पुकारता हूं, श्री भैरूंलाल भारद्वाज !

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने राजस्थान बिजली बोर्ड के ऋण लेने की सीमा का संकल्प रखा गया।

श्री अध्यक्ष : सात मिनट प्रत्येक माननीय सदस्य को !

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान बिजली बोर्ड राजस्थान के उद्योग और खास तौर से कृषि की बहबूदी के लिए अपनी स्थिति को बहुत मजबूत लगभग दुगुनी करना चाहता है। यह सारी बात का अनुमोदन और इसकी प्रशंसा करते हुए मैं बिजली मंत्री जी और साथ ही मुख्य मंत्री जी का विशेष पाइन्ट पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब विद्युत् बोर्ड का गठन किया जाता है तो पहले से कई बार मांग आने के बावजूद किसानों के सीधे प्रतिनिधियों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। इससे क्या होता है कि समय समय पर किसानों को अपनी कठिनाइयों को सरकार और बोर्ड के सामने रखने के लिये प्रदर्शन करना पड़ता है। किसानों के प्रतिनिधियों को कई बार सीधे जद्दोजहद के लिए जाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि बिजली बोर्ड का गठन करते समय बहुमत के सदस्य, किसानों के प्रतिनिधियों को उसमें लेना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि

(श्री मेरूलाल भारद्वाज)

किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। उसका काम केवल कारखानों की तरह चीजों का उत्पादन करके मुनाफा कमाना और दूसरे उपभोक्ताओं को सहूलियत देना मात्र नहीं है बल्कि देश के लोगों का जीवन स्थिर रखने लिए अन्न और वस्त्र जैसी चीजों का उत्पादन करना है, फिर भी कृषि को साधारण उद्योगों की तरह कभी कमी और कभी ज्यादा का शिकार होना पड़े और वह इस असमंजस में रहे—

(5.25 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति पदासीन)

.. और उसको मालूम न हो कि कितनी बिजली मिलेगी और मिलेगी तो भी समयानुसार, ठीक टाइम पर मिलेगी या नहीं, तो यह हमारे लिये शोचनीय स्थिति है। मैं सरकार को स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिजली, किसानों को पर्याप्त सिंचाई आवश्यकता के अनुसार मिले। माननीय सभापति महोदय, जहां तक उद्योगों का सवाल है उसमें समय और बे-समय देखने का कोई प्रश्न नहीं है, रात को या दिन को कभी भी चलाए जा सकते हैं लेकिन किसान की खेती में समय पर मौसम के अनुसार बिजली की जरूरत पड़ती है और वह भी खास तौर से दिन में आवश्यकता रहती है, क्योंकि वह कोई कमरे में, हॉल या कारखाने के शेड के नीचे बिजली की लाइट और रोशनी में उत्पादित होने वाली चीज नहीं है। किसान को एक एक, जमीन के चोरे और चप्पे-चप्पे को देखना होता है। ठण्ड के मौके पर भी जब वह जाता है रात को तो, माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं सोच सकते हैं कि उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता है बिजली की व्यवस्था को लेकर। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी राजस्थान में बिजली की उपलब्धि है, वह भी मिल सके, दिन में ही उपलब्ध हो जाय।

यह बात दूसरी है कि हमारी उपलब्धि दिन भर देने की नहीं हो तो कमी पूर्ति के लिये रात में दें परन्तु जब तक हमारे पास उपलब्ध है, आवश्यक सेवाओं, जैसे आपके हास्पिटल आदि आवश्यक सेवाएं हैं, को जरूर दीजिए, बाकी पूरी बिजली किसान को मुहैया करवाने और किसान को देने का संकल्प लीजिए। कल कुछ मित्रों ने और माननीय सदस्यों ने आपके सामने प्रस्ताव भी रखा था, उसका भी यही आशय था कि रबी की फसल में खास तौर से बिजली की दिक्कत आती है उससे किसान को बड़ा नुकसान होता है। फैलाव का समय शुरू हो जाता है उस फैलाव के समय पर पुराने तरीके से नहीं चल सकते। जैसे बरसात में 4–5 घंटे बिजली मिलती थी, अब तो न्यूनतम 10–12 घंटे बिजली के लिए तय करने पड़ेंगे। वैसे भी सर्दी में दिन दस घण्टे का होता है इसलिए इससे नीचे कोई भी किसान मंजूर नहीं करेगा। 10 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए, यह बात मैं निवेदन करना चाहूंगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बिजली मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री रामनारायण चौधरी)

बिजली मंत्री जी स्वयं किसान हैं, उन्होंने गये साल भी बहुत कुछ इधर-उधर से काट पीट कर हमारी फसलों को बचाने की कोशिश की परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं, यह बात नहीं आनी चाहिए कि आज बिजली मंत्री जी किसान है, कल वह बदल भी सकते हैं, इसलिये मंत्री महोदय, सिद्धांतत: आप यह तय करवा दीजिए कि रबी की फसल में दस घण्टे न्यूनतम बिजली मिलेगी, चाहे मंत्री या बिजली बोर्ड किसी प्रकार से इधर उधर होता रहे परन्तु व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि किसान तो सदा ही देश वासियों का पेट भरने के लिए खास तौर से मेहनत करता है, फसलें तैयार करता है, उसका थोड़ी सी बिजली की कमी से करा-कराया चौपट हो जाता है। कारखानों में तो अगर सात दिन बिजली नहीं देंगे तो केवल 7 दिन का उत्पादन घटेगा बाकी 23 दिन का उत्पादन यों का यों रहेगा मगर सभापति महोदय, खेती ऐसी चीज है कि आप चार महीने में से तीन महीने बिजली दे दीजिए और आखिरी एक महीने में बिजली मत दीजिए तो सारी की सारी फसल बरबाद और चौपट हो जायेगी। यह इतना खतरनाक मामला है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सिद्धांतत: तय करना चाहिए कि कि 10 घण्टे निरन्तर पर्याप्त बिजली देंगे। 440 वोल्ट मिलनी चाहिए, एक मोटर को चलाने के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कई जगह बिजली के वोल्टेज की कमी होती है। इसमें सुधार तो काफी हुआ है पर अभी पर्याप्त नहीं हुआ है। मैं बिजली मंत्री जी और बिजली बोर्ड के महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी किसान के खेत पर जाकर जांच करके देखें कि 440 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। माननीय बिजली बोर्ड के अधिकारी बन्धु और सरकार देखे कि वायदे की खिलाफी की जा रही है या नहीं। सरकार ने वायदा किया कनेक्शन देते समय कि उसको निरन्तर और पर्याप्त बिजली दी जाएगी। पर्याप्त का मतलब 440 वोल्ट है। वैसे तो मोटरें 250-300 वोल्ट पर भी चलती हैं पर आधी बार चलती हैं, आधी बार जल जाती हैं तो किसान की यों ही छुट्टी हो जाती है। इसलिए किसान को जरूरत है 440 वोल्ट बिजली की। जैसा मैं निवेदन कर रहा था, 10 घण्टे निरन्तर बिजली मिलनी चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि लाइन की खराबी और ट्रान्सफार्मर की कमजोरी से किसान को बिजली मिलती है तो आधे घण्टे कुआं चलता है फिर बन्द हो जाता है, फिर थोड़ी देर सुधार होता है, फिर बन्द हो जाती है। पानी पहुंच नहीं पाता है क्यारी तक उसके पहले बिजली बन्द हो जाती है। इस तरह की बिजली से किसान को कोई लाभ नहीं है। इसलिए किसान को समय के हिसाब से निरन्तर बिजली मिलनी चाहिए और पर्याप्त मिलती चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

इसके साथ ही इतना और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि बिजली को जितनी भी खराबी होती है

(श्री रामनारायण चौधरी)

उसके बारे में 3-3 महीने तक कोई सुनने वाला नहीं रहता। मेरे पास ऐसी शिकायतें आती हैं। मैंने एस. ई. और एक्स. ई. एन. को कहा तो कहते हैं। कि हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं आई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर ट्रांसफार्मर पर हैल्पर और दूसरे लाइनमैन वगैरह रहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है ? एक तरफ तो कहते हैं कि बिजनैस कन्सर्न हैं, बिजनैस के हिसाब से चलते हैं और दूसरे हिसाब से सरकार के गुरु और बाप बनने को तैयार रहते हैं, 4-4 महीने तक खराबी हो जाती है उसको देखने की जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि उन आदमियों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिसने ट्रांसफार्मर जलते ही और लाइन में खराबी होते ही दूसरे दिन इत्तला नहीं की सरकार को। ट्रान्सफार्मर को जल्दी से जल्दी ठीक करें। उसको ट्रांसफार्मर बदलना चाहिये परन्तु महीने तक ट्रान्सफार्मर को नहीं बदला जाता है इससे किसान और गांव वाले बर्बाद होते जाते हैं, उनकी खेती बर्बाद हो जाती है। इस तरह के कुछ लोग बिजली बोर्ड में काम कर रहे हैं जो इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किसानों को टाइम पर बिजली नहीं दी जाये। इससे क्या होगा ? लोगों को तो पता नहीं है कि बीच के लोग खराब हैं और सीधा जाकर इसका असर हमारी सरकार पर पड़ेगा है।

मैं यह निवेदन करूंगा खास तौर से बिजली मंत्री और मुख्य मंत्री जी से कि वह इस ओर ध्यान दें कि कहीं आपके बिजली बोर्ड में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी तो नहीं हैं जो मौके पर जाकर किसानों से शोर-शराबा कराने के लिए कृत्रिम खराबियां, कमियां पैदा करते हैं और कहीं कुछ खराबी होती है तो महीनों तक उसकी साज-संभाल नहीं करके किसानों के कोप का भाजन सरकार को बनाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ यह तय किया जाना चाहिए कि जिसकी गलती होगी उसको सजा मिलेगी। एक भी गलती करने वाले आदमी को सजा के बिना छोड़ने से औरों को इस तरह की अव्यवस्थाएं जारी रखने का न्योता मिलता है। इसलिए, सभापति महोदय, यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि जब जब भी टैक्नीकल खराबी होगी तो सम्बन्धित अधिकारी तुरन्त उच्च अधिकारी को सूचित करेगा और उच्च अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह तुरन्त ही उस खराबी को दूर करके किसान को टाइम पर बिजली मुहैया करायेगा।

सभापति महोदय, किसानों का जो यह पैसा जमा होता है उसके बारे में भी मैं निवेदन करूंगा। आज इन बड़े-बड़े सेठों पर लाखों रुपया बकाया है, करोड़ों रुपया बकाया है परन्तु इनके कनेक्शन काटना तो दूसरी बात रही उल्टा यह बिजली बोर्ड के अधिकारी इनके यहां जाकर खा-पीकर इनकी चमचागिरी करते हैं। एक तरफ किसानों,

(व्यवधान)

(श्री रामनारायण चौधरी)

किसान विरोधी मित्रों ! किसानों की बात सुनते वक्त आप थोड़ा धैर्य रखें, किसानों के लिये थोड़ा सा कहने दें। यह तो ठीक है कि आप व्यापारियों के जरिये सब कुछ बन जाओगे पर हम को तो किसानों के साथ जीने दो। हमारा खुद का काम है हम खेती करने वाले लोग हैं बीच में डिस्टर्ब मत करो।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक तरफ बड़े-बड़े सेठों पर लाखों रुपया बकाया होने के बावजूद उनके कनेक्शन नहीं काटे जाते हैं, न उनसे किसी तरह की बात पूछी जाती है और दूसरी तरफ टाइम पर बिजली के बिल नहीं मिलते हैं। चाय की दुकान पर डाल जाते हैं, मिले तो मिले। नहीं तो नहीं मिले। वह चाय वाले के यहां आते जाते ढाणी में किसान को बिल दे देता है। मिले तो मिले और नहीं मिले तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, यह बड़ी गम्भीर बात है। अव्वल तो बात यह है कि वह बिल उस व्यक्ति को क्यों नहीं मिलता है ? किसान को, उपभोक्ता को बिल मिलना चाहिये। उसके साइन होने चाहिये ताकि यह पता लगे कि बिल उस मालिक को मिला या किसी को देकर आ गये। जब आप समय पर बिल दें तब ही बिल का पैसा देने की जिम्मेदारी किसान की है। किसान 10-15 मील चल कर पैसा जमा कराने के लिये जाता है, बिजली के बिल का पैसा जमा कराने की तारीख निर्धारित होती है, वहां क्यू लगी रहती है किसानों की और शाम को मालूम पड़ता है कि पैसा लेने वाले बाबूजी नहीं आये। एक तरफ पैसा देने वाला किसान लाइन लगा कर खड़ा रहता है, दूसरी तरफ पैसा लेने वाले बाबूजी वहां पहुंचते नहीं हैं। एक तरफ लाखों रुपया बकाया है, उस पैसे की लेने की कोई बात नहीं करता है, दूसरी तरफ देने वाले से पैसा लेने वाला नहीं है। जिनमें बकाया है, उनसे कोई पैसा मांगता नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस गलती की ओर हमको ध्यान देना चाहिये। प्रत्येक पंचायत स्तर पर आवागमन के साधनों के अभाव की वजह से यदि पैसा वसूल करने वाले लोगों को नहीं लगा सकें तो कम से कम दो-दो पंचायतों जहां भी बसें जाती हैं, पर पैसा वसूल करने के लिये किसी बाबू या कैशियर को भेजना चाहिये ताकि किसान को अधिक से अधिक दो किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था आपको करना चाहिए ताकि समय पर लोगों को बिल मिल जाये, समय पर लोगों से दो किलोमीटर की परिधि में पैसा लेने वाले चले आयें, वह पैसा लोग दे दें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।

मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं, किसानों को कई बार केवल एक तार बांधने की दिक्कत होती है। एक साधारण, मामूली सी बात होती है, कभी कभी बिजली का फ्यूज उड़ जाता है केवल इस बात की खातिर उस बेचारे का नम्बर कट जाता है और दो दिन तक उसको बिजली नहीं मिलती है। कम से कम रबी की फसल के

(श्री रामनारायण चौधरी)

समय फ्यूज बांधने के लिए हर ट्रांसफार्मर पर बिजली बोर्ड का आदमी मौजूद रहना चाहिए। यदि फ्यूज उड़ जाय तो तुरन्त ही उसी वक्त फ्यूज का तार बांधना चाहिए ताकि दिक्कत न हो।

अब मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा। किसानों को कनेक्शन के लिए नम्बर लगाये वर्षों बीत गये हैं। यह ठीक है कि 1977-79 के बीच में जनता पार्टी जिसने एक यूनिट बिजली नहीं बढ़ायी, ने गलत नीतियों के कारण हजारों कनेक्शन सैकड़ों गांव में मंजूर कर दिये। बिजली की कमी से आज हम लगातार जूझ रहे हैं। हमने इन चार साल के अन्दर 760 मेगावाट बिजली बढ़ायी है, यह खुशी की बात है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो बिजली की कमी बेसी होती है भविष्य में नहीं होनी चाहिए। ठीक समय पर बिजली मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लोगों के जो कनेक्शन बंद हैं। वह चालू होने चाहिए। यह ठीक है कि हम छोटे किसानों, लघु और सीमान्त किसानों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिये। आज 10 हजार कनेक्शन देने की बात आयी थी, मैं समझता हूं, सरकार जरूर कनेक्शन की इस संख्या को बढ़ायेगी। कम से कम 25 से 30 हजार के बीच इसकी संख्या करनी चाहिये। कनेक्शन के लिए जो प्रायोरिटी में आ रहा है, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा किसान हो, सब को बिजली प्रायोरिटी से ही मिलनी चाहिये। लगातार 3-4 साल से लोगों को कनेक्शन नहीं मिलने से बड़ी शिकायत पैदा हुई है। हजारों नम्बर इतने दिन से लग रहे हैं। लेकिन इनको बिजली नहीं मिल रही है। यह मिलना बहुत जरूरी है।

साथ में, मैं एक बात और कहता हूं। बिजली बोर्ड से जिन योजनाओं को मंजूर कर दिया गया है, उन गांवों में बिजली लगाने का काम बड़ी ढिलाई से किया जा रहा है। यह ढिलाई बिजली बोर्ड के अधिकारियों को तुरन्त छोड़नी चाहिये। मंजूरी के बाद साल भर का प्रोग्राम होता है। आर. एस. ई. बी. का तीन साल का भी एक प्रोग्राम होता है उसको तीन साल के अन्दर निर्धारित मियाद के भीतर पूरा करना चाहिये। अक्सर देखा गया है कि 3-4 साल ही नहीं, 5–5 साल तक आर. एस. ई. बी. की योजनायें केन्द्रीय सरकार से पैसा लेने के बावजूद पूरी नहीं की जाती हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इससे हमारी सरकार की भी बदनामी होती है। इसलिये जो भी योजनायें स्वीकार होकर आवें, जिसका पैसा बिजली बोर्ड ला कर ले उनको समयावधि में पूरा करना चाहिये। यही मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री महाराम !

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, मन्त्री महोदया ने जो विद्युत् मण्डल की ऋण सीमा बढ़ायी जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। जिस लगन और तल्लीनता से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसी लगन और तल्लीनता से अगर बिजली

(श्री महाराम चौधरी)

बोर्ड जो करोड़ों रुपये बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर बकाया हैं, उसको वसूल करने के लिये कोई सख्त कदम उठाने की कार्यवाही करता तो शायद यह दिक्कत उठाने या ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज यह ऋण लेने की जो प्रवृत्ति बनी हुई है, इस पर रोक लगनी चाहिये। ज्यों ही इनकी सीमा बढ़ायी जायेगी त्यों ही यह किसी तरह से ऋण प्राप्त करके अपने खर्चे में बढ़ोतरी कर लेंगे। इससे इनको ज्यादा आराम मिलेगा और यह अधिकारी लोग काम-काज नहीं करेंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा कमी महसूस करता हूं वह यह है कि आम प्रवृत्ति यह हो गयी है कि बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनमें तकनीकी ज्ञान होते हुए भी वह हाथ से काम नहीं करते हैं। किसी भी ओवरसीयर या जे. ई. एन. से पूछ लीजिये, उनको हाथ से काम करने का कतई खयाल नहीं है। यह थोड़ी बहुत टेक्नीकल पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद में सिर्फ कपड़ों पर हाथ फेरते हैं। कहीं हमारे हाथ मेले नहीं हो जायें, इस तरह की प्रवृत्ति की तरफ मंत्री महोदया को विशेष ध्यान देकर बोर्ड के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिये कि वह काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, किसानों को बिजली कम मिलने और बेटाइम मिलने की आम शिकायत है। इस आम शिकायत की वजह से जैसा माननीय भारद्वाज जी कह रहे थे, सरकार काम ठीक कर रही है परन्तु हमारी सरकार की एक तरफ से बदनामी होती है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि सरकार की बदनामी कहां नहीं है ? सब जगह बदनामी है। इस विद्युत् मण्डल की तो जितनी शिकायतें उतनी शायद किसी दूसरे की नहीं हैं।

सभापति महोदय, गांवों के लिये विद्युतीकरण योजना 5-5 सालों की बना दी है। 5-5 सालों की योजना बनते वक्त इन अधिकारियों ने कतई ध्यान नहीं दिया। जैसे चार गांवों से बिजली की लाइन निकल गयी और बीच का गांव छोड़ दिया। उस गांव के चारों तरफ से बिजली की लाइन निकल गयी। उस गांव से एक-डेढ़ किलोमीटर पर बिजली की लाइन निकल गयी लेकिन बीच में उस गांव को छोड़ दिया। सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी विधान सभा में निवेदन किया था इस बारे में। आप उस गांव को बिजली दें, इससे आपका खर्चा कम आयेगा और उस गांव का भी विद्युतीकरण हो जायेगा। लेकिन उस गांव को छोड़ दें, यह बड़े दुःख की बात है। पिछले साल मैंने मेरे खुद के गांव के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया लेकिन यह नट गये। नट गये सो नट गये। उस मामले में किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सभापति महोदय, यों तो कई क्षेत्रों का विद्युतीकरण किया है लेकिन मेरे क्षेत्र के अन्दर सिर्फ 12-13 गांव ही हैं जिन गांवों के अन्दर पहुंचा दी, ट्रान्सफार्मर लगा दिये पर वहां

(श्री महाराम चौधरी)

कनेक्शन किसी भी कंज्यूमर को आज तक इन्होंने नहीं दिया। मैं तो यह कहता हूं कि आपने ट्रान्सफार्मर लगा दिये बिजली की लाइन डाल दी तो फिर आपने गांव वालों को बिजली क्यों नहीं दी? बिजली उनको दी जाय जिससे आपकी आमदनी हो। लोगों को विजली प्राप्त होगी, बिजली प्राप्त होने से आपका शहरीकरण घटेगा और गांव वाले अपने छोटे-मोटे उद्योग धन्धे गांव में ही लगायेंगे।

सभापति महोदय, नागौर क्षेत्र के भूंडेल, चावण्डियां, सखवाटी, रायपुर के सम्बन्ध में मैंने मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया था। यह ऐसे गांव हैं जिनका 1980-81, 1981-82 के अन्दर विद्युतीकरण कर दिया, ट्रान्सफार्मर लगा दिये। वहां गांव वालों ने कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी के पैसे जमा करा दिये और 10-10 रुपये जमा करवा कर फाइलें बना लीं लेकिन इन्होंने वहां जा कर के उन गांव वालों को बिजली देने की कोई व्यवस्था नहीं की। ये व्यवस्था क्यों नहीं करते? यह अधिकारी शहरों के अन्दर बिजली देने के लिये जिस तरह आदी हैं कि कन्ज्यूमर उनके पास जावे, एक दफा जावे, दो दफा जावे, आखिर तीन दफा जाने के बाद उसको यह समझाइश करते हैं कि बगैर पैसे दिये बिजली नहीं मिलती है। यह अब गांव वालों को मालूम नहीं कि बिजली लेने के लिए, कनेक्शन करवाने के लिए पैसे देने की प्रवृत्ति है। यह तो भूल चूक से थोड़े दिनों बाद आकर पूछ लेते हैं कि बिजली का क्या हुआ, तुम्हारे यहां बिजली आयी या नहीं? ऐसा करके गांवों के अन्दर बड़ी परेशानी कर दी इन लोगों ने।

मैं इस संबंध में निवेदन कर चुका हूं कि पेयजल की योजना के लिये आपने बिजली दी है। पेयजल की योजना में हमारे गांवों के अन्दर दूर-दूर जो ढाणियां हैं उनमें स्थानीय कुएं बने हुए हैं, अगर उन सार्वजनिक कुओं को बिजली दे दें तो कम से कम गांव वाले पैसे इकट्ठे करके अपने खुद के पीने के पानी की व्यवस्था कर लेंगे।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी मुद्दे की जो बात है वह यह है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर कुछ पेयजल योजनायें स्वीकृत हैं, पेयजल योजनाओं की बिजली चलते-चलते क्या पता कब बन्द कर देते हैं। उन पेयजल योजनाओं के लिये कोई व्यवस्था करते ही नहीं हैं, न समाचार करवाते हैं। सभापति महोदय, गांव वाले ढूंढते-ढूंढते आते हैं और कहते हैं कि मेरे गांव के अन्दर तीन दिन से बिजली बन्द है। परन्तु वे कहते हैं कि अब ऑफिस बन्द हो गया। तो इस काम के लिए इन अधिकारियों को 24 घण्टे की नौकरी समझ कर जब भी दूर के गांव से कोई यह सूचना दे कि फलां गांव के अन्दर सार्वजनिक कुओं की बिजली चली गयी है तो तुरन्त उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय, यह भी होता है कि विद्युत् मण्डल का ट्रान्सफार्मर खराब हो जाय तो विद्युत् मण्डल कहता है कि हमारे

(श्री महाराम चौधरी)

पास ट्रक नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है कि उस ट्रान्सफार्मर को हम वर्कशॉप में ला सकें। और वहां जाकर यह ठीक कर सकते नहीं। पी. एच. ई. डी. वालों को यह तंग करते हैं। पी एच. ई. डी. वाले झक मार कर उस ट्रान्सफार्मर को लाने की व्यवस्था करते हैं तो यह अधिकारी कह देते हैं कि पांच बज गये। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी यह बहुत बुरी आदत हो गयी है। शिकायत सुनने की, मैं समझता हूं, अधिकारियों की तो शुरू से परम्परा है, इनका यह स्वभाव बन गया है, लेकिन हमारी मंत्री महोदया शिकायत सुनने के आदी नहीं हैं, इनके पास जब भी शिकायत लेकर जाते हैं तो सीधे ही कहती हैं कि यह यहां रख दो। यह रख ही देते तो हम 3–3, 4–4 दफा आपके पास क्यों हाजिर होते ? ठीक है, रख दो। रखने के बाद कुछ कार्यवाही करते उन पर। हम यह उम्मीद करते थे, हमको यह आशा थी कि किसान वर्ग से आयी हैं और किसानों के प्रति सहानुभूति रखती हैं, उनके लिए भरसक प्रयत्न करेंगी। क्या पता आपके मन में हो और मन में होने से कोशिश कर रही हैं। लेकिन आपकी कोशिश की क्रियान्विति या पालना मुझे कहीं पर नजर नहीं आती है। बिजली की व्यवस्था बिगड़ी है।

सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं, जिन गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लिया है उसमें कहीं पर खम्भे लगा दिये, कहीं पर तार डाल दिये। आज हालत यह हो रही है कि खम्भे नीचे गिर रहे हैं। खम्भे गिरने से जानवर और छोटे बच्चे, जो समझते नहीं हैं, तारों में उलझने से कई जख्मी हो गये। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में विद्युतीकरण के लिए आप खम्भे रोपते हैं वह काम कम्पलीट करें, उसको बीच में नहीं छोड़ें। खम्भे तो बहुत गिरे हैं। तीन साल से लगातार मेरे नागौर से कठलू के क्षेत्र के अन्दर खम्भे खड़े कर दिये जाते हैं और वे थोड़े दिन के बाद गिर जाते हैं।

अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो मेरे क्षेत्र में कुछ गांव के अन्दर तीन साल से विद्युतीकरण नहीं हुआ है। पैसे जमा करवा दिये हैं उनका विद्युतीकरण किया जाये। इसके अलावा जो गांव नागौर और मूण्डवा पंचायत समिति के हैं उन गांवों के लिए भी आप आज आश्वासन दीजिये।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : मेरा एक ही निवेदन है, जैसे व्यापारियों से, उद्योगपतियों से पैसा वसूल करने के लिए एक अभियान चलाते हैं उसी तरह आप भी अभियान चलाइये विद्युत मण्डल के पैसे उद्योगपतियों से वसूल करने का। उसमें कोई कमी हो, भावनाओं से काम नहीं चलता हो तो हमारे गांव वालों को साथ ले जाकर उनसे डण्डे लगवा कर वसूल कर लीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य,

(श्री सभापति)

आपका भाषण समाप्त हुआ। श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडाभीम) : सभापति महोदय, बिजली के बारे में मेरे क्षेत्र की समस्या है उसके लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे साथी भारद्वाज जी ने कहा उसमें यह बात नहीं आयी कि जो बिजली किसानों को दी जाती है वह बहुत कम टाइम दी जाती है। अब बसन्त ऋतु आने वाला है, ठण्ड का टाइम है, अभी जो बिजली दो-ढाई घण्टे दी जाती है वह भी रात के 10 बजे दी जाती है। इस हाउस में जो आज हमारे साथी महानुभाव बैठे हैं वह जरा यह सोचें कि किसान रात को काम करें, आराम करें या फसल को पानी दें? रात में बिजली दी जाती है तो रात में बिजली देने से क्या होगा? वह एक-दो बीघा में पानी देगा और ठण्ड में बीमार हो जायेगा। फिर पानी का दुरुपयोग होगा। रात को पूरा नहीं दिखने से जमीन में सिंचाई नहीं हो सकेगी। इसलिए जैसा उन्होंने कहा, रबी के टाइम किसानों को बिजली पूरी दी जाय। यह देश के हित की बात है, अनाज पैदा करने की बात है। एक यह अर्ज है।

दूसरा यह निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में कुछ गांव हैं जो 14-15 साल से विद्युतीकृत नहीं हुए। जो योजना चालू की है उसमें हमारे जो 15 गांव है, जैसा भारद्वाज ने कहा था, बीच-बीच में उन गांवों को छोड़ दिया गया है। बाकी के गांवों में खम्भे गाड़ दिये और बीच के उन दो गांवों को छोड़ दिया। समझ में नहीं आता है उन गांवों को क्यों नहीं लिया गया है, उनको लाइट देने में क्या एतराज है। बीच में जो गांव आते हैं उनको बिजली नहीं दी गयी, आगे वाले गांवों को बिजली दे दी गयी यह कौन सा तरीका है? यह कैसा फैसला है, यह कैसा न्याय है कि उनको तो बिजली दें और इनको छोड़ दें। जब अगले गांव को बिजली दी है तो इन गांवों को क्यों बिजली देने से रोका जाये, यह मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरा, यह निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक जिले में बिजली की समस्या को आपने मोटा कर दिया है। एस. ई. के आफिस को आपने सवाई माधोपुर में कर दिया है। सवाई माधोपुर हमारे लिये तो पाकिस्तान हो गया है। जयपुर आने जाने में तो सीधा है पर वहां के लिये हमारे यहां से कोई रास्ता नहीं है। हमारी कोई दरख्वास्त वहां पर नहीं जा सकती है। हमारी कठिनाई सवाई माधोपुर कभी पहुंच नहीं सकती है इसलिए हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि एस ई. आफिस जो पहले जयपुर में था, हमारे पास में था, कोटा जिले के लिए विद्युतीकरण का कोई काम होता तो यहां पर आकर मिल लिया करते थे। सवाई माधोपुर में एस. ई. आफिस के जाने से हम परेशान हैं। यही बात कह कर मैं, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री त्रिलोक सिंह।

श्री तेजपाल यादव (चोमूं) : सभापति महोदय, मुझे समय दीजिये।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : मुझे इजाजत मिली है, बैठ जाओ।

श्री तेजपाल यादव : सभापति महोदय, बिजली की समस्या सबसे ज्यादा हमारे यहां पर है।

सुश्री पुष्पा जैन (अजमेर) : सभापति महोदय, हमारा तो नम्बर हो नहीं आ रहा है।

श्री सभापति : श्री त्रिलोक सिंह ! समय सीमा का ख्याल रखें।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : हां बिल्कुल। सभापति महोदय, नहरी इलाके को छोड़कर राजस्थान रबी की फसल के लिए बिजली पर आधारित है। यह विषय कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, यह किसान से ताल्लुक रखता है। किसान 100 में से 90 फीसदी हैं जो देश के लिए रोटी पैदा करता है। खाली अपने पेट के लिए ही नहीं पैदा करता है, देश के लिए पैदा करता है। हमारी जिन्दगी का आधार खेती है और खेती का आधार बिजली है। जिन जिलों में बिजली है उन जिलों में हम किसान जानते हैं कि हम पर क्या गुजरती है। भयंकर सर्दी के मौसम में पौष माह में सर्दी जब इन्सान का खून जमा देती है तब किसान रोज रात को एक बजे अपने खेत में बयारे पर जाता है। पानी धोरों में चल कर बंद हो जाता है। कहने को हमारी यह सरकार कहती है कि किसान को बिजली देते हैं, बिजली बोर्ड कहता है कि 5 घण्टे बिजली देते हैं लेकिन जब अमल की रिपोर्ट मंगायी तो पता चला कि किसान को बमुश्किल दो तीन घण्टे बिजली मिलती है। ऐसी हालत होती है हमारी। यह बिजली बोर्ड और बिजली बोर्ड का प्रशासन, जो किसान पर अन्याय जागीरदार कर रहा था उससे भी ज्यादा करता है। इतना दुखी तो किसान जागीरदार से भी नहीं था। यह बिजली बोर्ड क्या है ? स्टेट है या कोई कम्पनी है अंग्रेजों की। किसानों को झूठा बिल दिया जाता है। ट्रांसफार्मर जल जाता है तो दो महीने में किसानों के खेत बरबाद हो जाते हैं। किसान से पैसा जबरिया वसूल किया जाता है। उसकी फसल कुर्क कर लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमें खेती करनी है और खेती का मसला इस सदन के सामने एक अहम मसला है। पड़ौस के इलाके में किसान को बिजली की सब सहूलियत है। वहां वह चारे की मशीन लगा सकता है उस पर कोई टैक्स नहीं है, आटे की चक्की लगा सकता है उस पर कोई टैक्स नहीं है, थ्रेसर मशीन वगैरह लगा सकता है उस पर कोई टैक्स नहीं है जबकि हमारे यहां कुओं पर बिजली नहीं है। खेती को तो बात ही क्या है, पीने के पानी के कुओं पर बिजली नहीं मिली। चक्की के लिए बिजली नहीं मिली। आज भी औरतों को गांवों में चक्की चलानी पड़ती है। विज्ञान के युग में इस जमात, जो 100 में 90 फीसदी है, को क्या लाभ मिला ? क्या

(श्री त्रिलोकसिंह)

किया आपने उसके लिए जिससे वोट लेकर आप आते हैं ? राज आपका है या बिजली बोर्ड के इन ब्यूरोक्रेटस का ? इन XXX जो बैठे हैं, क्या है, यह मैं पूछना चाहता हूं। राज किसका है, आपका है या इनका, यह मैं समझ नहीं सका हूं। हमने झुंझनूं, जयपुर, सीकर में यह फैसला किया है कि यदि किसान को 10-12 घण्टे बिजली नहीं मिलती है तो हम इनके खिलाफ सीधा एक्शन लेंगे। सीधा एक्शन लेंगे तो आपकी कानून एवं व्यवस्था बिगड़ेगी, आपकी कानून और व्यवस्था की स्थिति खत्म होगी। और सब कुछ खत्म होगा, खेती खत्म नहीं होने देंगे। जब यह होगा तब आपको खबर होगी। आपको गांवों में XXX XXबनाया जायेगा। यह सब किसानों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। आज उनके साथ इनका व्यवहार क्या है ? हमने अपनी कमेटी की मीटिंग बुलायी उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन आर. सी. दुबे को तलब किया। उन्होंने कहा, कामरेड, किसान हमको खेत में नहीं घुसने देता है। मैंने पूछा, रात को दो बजे कोई आपके घर में चला जाये तो क्या आप उसको लड्डू देते हैं ? अब भी किसान बहुत सीधा है, उसके खेत में आप रात को चले जाओ, उसके घर में चले जाओ, किसान को लूटा जाता है। एक मामला मैंने आपको बताया है, 100-150 रुपयों के लिए किसान को लूटा जाता है, मुझे यह पता है। झुंझनूं जिले में एक ढाणी में पुलिस के जवानों को लेकर XXXएक किसान के घर गये और उसको लूटा गया। मैं चैलेंज दूंगा सरकार को कि वह इसकी जांच करा ले मेरी बात गलत हो तो। हम यह जानते हैं कि किसान अब यह हालत बर्दाश्त नहीं करेगा इसलिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वक्त रहते समय पर व्यवस्था कर लो। किसानों को बिजली मिले और दिन को मिले। जो देश के लिए रोटी पैदा करते हैं, रात को वह खेत में जायेगा तो उसको सांप खा जायेगा। गर्मी के मौसम में जब यह पानी पीने जाता है क्यारे में तो कोबरा सांप निकलता है और किसान को खा जाता है। यह बात किसान बर्दाश्त नहीं करेगा।XXदिन को बिजली देते हो और हम को रात को देते हो, यह पक्षपात है, किसान के साथ धोखा है। यह कोई पार्टी की बात नहीं है, किसान के पक्ष की लड़ाई है, किसान के हित की बात है। मैं अपील करूंगा कि जो किसान के बेटे हैं, जो किसानों के वोटों से चुनकर आये हैं, उन सब को प्रयास करना चाहिए एक राय से, इसमें डिवीजन की कोई बात नहीं है, अगर आप लोग किसानों की हिमायत नहीं करेंगे और बिजली नहीं दोगे तो आपके खिलाफ किसान एक्शन लेगा।

बिजली मंत्रीजी ने पिछले सत्र में मेरी तहसील के बारे में बताया था कि सिंचाई के कुओं को कनेक्शन देने हैं। उनका 62 का टार्गेट एण्ड आफ दी मार्च तक का था और दिया कितनों को मैं पूछना चाहता हूं, पांच को भी नहीं दिया है, दो को भी नहीं दिया है। मेरी

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोक सिंह)

तहसील में किसी को बिजली नहीं दी, कहीं भी कुओं को बिजली नहीं दी। हम क्या राजस्थान में नहीं रहते हैं ? हम क्या पाकिस्तान में रहते हैं ? जब हम राजस्थान के नागरिक हैं, राजस्थान के किसान हैं तो हमें भी हक है बिजली लेने का, बिजली नहीं दी गयी मेरी तहसील को तो मैं सरकार को चैलेंज देता हूं कि हम खंभों को उखाड़ देंगे। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह नाकाबिले बर्दाश्त बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

समय रहते मैं सरकार को चेतावनी देता हूं,

(6.00 म.प.)

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय ...

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री त्रिलोक सिंह : बैठ जाओ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर के व्यापारियों को दीवाली के टाइम में ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर के व्यापारियों को दीवाली के टाइम पर यहां के इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के लोगों ने जाकर के कहा कि वह सब जो सामान बेचें उसको चैक करावें। आज जौहरी बाजार बंद है। जयपुर में मैं सरकार के जो प्रतिनिधि यहां बैठे हैं मंत्री महोदय, उनसे निवेदन करूंगी कि नीचे जो व्यापारियों का जुलूस आया है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या !

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनसे मिलें। ये कहते हैं कि....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या ! श्री त्रिलोक सिंहजी आप भाषण समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं नीचे जाती हूं।

श्री त्रिलोक सिंह : सभापति महोदय, यह जो पैसे की कमी की बात है वह सब नकली हैXXकिसी भी सरकार के लिए पैसे की कमी हो यह तो हमारे लिये बहुत ताज्जुब की बात है। यह तो ऐसीXXसरकार है जो सरपरस्त है। अगर मेरी पार्टी की सरकार होती तो आज पैसे का पहाड़ लग जाता। येXXटाटा और बिड़ला बैठे हैं उनसे ले लो पैसा। अरबों रुपये आज भी उन पर बकाया हैं। उस गरीब किसान, जिसे खाने को रोटी नहीं है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लूटना चाहते हो। तो मैं एक मिनट में यह कहना चाहता हूं कि बिजली की माकूल व्यवस्था की जाय और किसान को दिन में 12 घंटे बिजली दी जाय। नहीं दी

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोक सिंह)

जायेगी तो हम जबरदस्ती बिजली पर कब्जा करेंगे बिजली की व्यवस्था को खुद हाथ में ले लेंगे और यह सब लोग जो किसान के दुश्मन हैं यह किसानों का XXX हो रहा है, इनको हम गांव में स्वयं ठीक करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री मालाराम ...

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव : माननीय सभापति महोदय, आपने हमको बिल्कुल ही समय नहीं दिया है केवल दो सदस्यों को दिया है।

श्री सभापति : माननीय श्री मालाराम !

श्री तेजपाल यादव : केवल दो सदस्यों को दिया है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, श्री मालाराम।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत ऊर्जा मंत्री महोदय को यह जानकारी दूंगा कि खेतड़ी तहसील के मायने करीबन 20–25 दिन से बड़े वाले ट्रांसमीटर जलने के बाद से और कठिनाई हो गई है। कोई भी गांव के मायने बिजली कोनी है। जो पानी की टंकी है वह पानी की टंकी भी खाली पड़ी है। दस दस दिन तक, 5-5 दिन तक बिजली नहीं आती है। ऐसी समस्या के बावजूद आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई।

दूसरी बात आपको मैं यह अर्ज करूं कि खेतड़ी तहसील के मायने इस फसल के अन्दर मुश्किल से एक-एक बीघा, दो-दो बीघा के मायने काश्तकार पिलाई करी है इसलिये बहुत मोटी समस्या उत्पन्न हो रही है। कोई तो इंजन ला रहा है और कोई वैसी ही दूसरी व्यवस्था करने की सोच रहा है। यह समस्या आ रही है इसलिये मैं आपकी मार्फत बिजली मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि कम से कम 6 घंटे या 8 घंटे का समय निर्धारित होगा या नहीं, आप बता दें कि आपको इतने घंटे बिजली देंगे। वह काश्तकार सारा दिन काम करे खेत में और शाम से बिजली के लट्टू की तरफ सारी रात बैठे बैठे देखता रहे, यह काश्तकार की मौत है। सबसे मोटी बात यह है कि आप जैसे बिजली के बिल का निर्धारित कर देते हैं कि मई, 21 तारीख तक बिजली के बिल का पैसा जमा करना पड़ेगा; 21 से 22 तारीख होगी तो पांच रुपये पैनल्टी के भरने पड़ेंगे। और एक महीने से ऊपर हो जाए तो कनेक्शन काट दिया जायेगा उसी प्रकार मैं आपकी मार्फत बिजली मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आप कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे की सीमा बांध दें सीमा बंध जाने से वह काश्तकार धन्धा तो कर ले। 24 घंटे यह नहीं रहे कि कब बिजली आयेगी, कब पानी शुरू करेगा। रात में आयेगी या दिन में आयेगी। 8 दिन में समय बदले तो समय के बारे में भी वह जान जाय

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मालाराम)

कि इस गांव में 8 दिन रात को बिजली देंगे तो उसको सूचना जरूर देनी चाहिये ताकि काश्तकार और काम भी कर सकें। मेरा यही कहना है।

जय हिन्द !

श्री सभापति : श्री हेमाराम....

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मुझे....

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली किसानों को ज्यादा से ज्यादा दी जाय, इसके बारे में यहां पर जोरों से माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं। मैं तो सभापति महोदय, इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सिचाई के लिये बिजली की जरूरत है बिजली मिलनी चाहिये इसमें कोई सदेह नहीं है। लेकिन इससे भी पहले अगर बिजली की जरूरत है तो पीने के पानी की जो योजनायें हैं उनको बिजली बराबर मिलती रहे ताकि पीने का पानी तो लोगों को मिल सके। पिछली दफा विधानसभा के अन्दर भी यह प्रश्न उठाया गया। जवाब में हमेशा यही उत्तर दिया गया है कि जो पेयजल योजनायें हैं उनको बराबर 24 घंटे बिजली मिलती रहेगी और उनके लिये कोई कटौती नहीं की जायेगी। इस तरह का राज्य सरकार का आदेश है। जैसा कि विधान सभा में हर बार यह बात कही गई हैं उसके बावजूद जो पेयजल योजनायें हैं, पीने के पानी के ट्यूबवेल लगे हुए हैं या ओपन वेल हैं जिन पर बिजली है वहां नियमित रूप से बिजली नहीं मिल रही है जिसके कारण जो पेयजल योजनायें हैं वह सारी बंद हैं और पीने के पानी की भयंकर समस्या हमारे बाड़मेर जिले में बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मंत्री महोदयजी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप बार बार विधान सभा में हमें आश्वासन तो देते हैं लेकिन बिजली हमें बराबर नहीं मिलती। इसलिये आप उच्च स्तर पर जांच करवा लें कि हमारी बात सही है या आपका विभाग जो सूचनायें देता है वह सही है। इस पर स्वयं आपको ध्यान देना होगा। सिंचाई से पहले पीने का पानी जरूरी है इसमें कोई दो राय नहीं है, सभापति महोदय, और इसलिये मैं उस पर विशेष जोर दे रहा हूं। गांव के अन्दर जो दूसरे स्रोत थे, लोगों ने उनको काम में लेना भी बंद कर दिया है। पी. एच. ई. डी. का जो स्रोत है जो बिजली में जुड़ गया है उस पर ही वह निर्भर हो गये हैं दूसरी ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि बिजली न आवे तो जेनरेटर से पानी चलाया जा सके। इसलिये उनको आप बराबर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

24 घंटे बिजली देने की कृपा करें।

सभापति महोदय, सिरोही के अन्दर ट्रांसफार्मर जल गया। अभी अखबार में आया कि करोड़ों का नुकसान हो गया। वह ट्रांसफार्मर जल गया उसके बाद में तो

(श्री हेमाराम चौधरी)

बिजली हमें बिल्कुल ही पेयजल योजनाओं के लिऐ मिलनी एक तरह से बंद हो गयी है। तो यह और भी समस्या खड़ी हो गई है। इसलिये इस तरह से कोई ट्रांसफार्मर जल जाय तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करके, उस ट्रांसफार्मर को ठीक करके इन योजनाओं को सुचारु रूप से चलाया जाना चाहिये। इनके ऊपर बराबर आदमी भी रखने की जरूरत है। आदमी यदि नहीं होता है और कहीं लाइन फाल्ट हो जाती है तो 15–15 10–10 दिन तक लाइन ठीक नहीं होती है। 15 दिन पीने के पानी की योजना बंद पड़ी रहे, 15 दिन तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिले तो, सभापति महोदय, क्या हालत हो सकती है इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। इसलिये मैं खासकर यह निवेदन कर रहा हूं।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं बाड़मेर जिले में जो हमारी बिजली की योजनायें हैं उनकी स्थिति क्या है····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या काम हो रहा है उसके बारे में दो मिनट लूंगा पंचायत समिति धोरीमन्ना और सिणधरी की 1980 में, चौहटन की 1981 में और सिणधरी की 1981 में यह तीन योजनायें आर. एस. ई. बी. ने मंजूर कीं। उसके बाद कई गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है लेकिन गांव के लोगों को डोमेस्टिक कनेक्शन मिला हो; इस बात को अगर आप देखेंगे तो उस गांव के अन्दर लाइन बिजली को पहुंचा दी, वी. पी. लगा दी उसके बाद न तो एल. पी लाइन खींच रहे हैं, न खम्भा खड़ा कर रहे हैं, न कनेक्शन दे रहे हैं। फिर बिजली वहां पहुंचाने का औचित्य क्या है, यह हमारी समझ में नहीं आता। कुओं पर बिजली की मांग करते हैं वह भी हमारे वहां सबसे कम हैं। मेरे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 1980 के अन्दर योजना मंजूर हुई, उसके बाद से लेकर आज तक सिर्फ 37 कुओं को बिजली मिली है, सभापति महोदय, अगर यही स्पीड रही तो, सभापति महोदय, इस साल जो लक्ष्य रहा है—वह सिर्फ धोरीमन्ना पंचायत समिति, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, और चौहटन के माननीय सदस्य की जो 10 पंचायतें आती हैं, उनके दोरोनो कुओं का रखा है। 20–22 गांवों में बिजली पहुच गयी है। हर गांवों में सैकड़ों की तादात में दोरोनो कुओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सभापति महोदय, इस से अच्छा, मैं समझता हूं टार्गेट ही नहीं रखते तो ठीक रहता। लेकिन आपने दोरोनों कुओं का टार्गेट रख दिया। किसी गांव में कितने कुएं थे, किसी गांव में कितने कुएं थे। वहां पर हमारे को किसान लोग परेशान करने लगे कि बिजली देते हो तो हमारे कुओं पर भी बिजली दिलाओ। अगर आप बिजली नहीं देते हो तो मैं कहता हूं, बंद ही रखते तो अच्छा रहता। बिजली आई देखकर, एक भी कुए पर बिजली मिल रही है तो दूसरे लोग भी मांग करते हैं। जहां पहले से हजारों की तादात में कुएं इलेक्ट्रिफाइड हैं वहां तो हजारों की तादात में फिर टार्गेट तय हो जाते हैं लेकिन हमारे

(श्री हेमाराम चौधरी)

यहां पहले से बिलकुल नहीं है, इस समय भी हमारे पीछे छोड़ रहे हो। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अभी कुछ और कुओं का टार्गेट लें। हमारी पंचायत समिति धोरीमन्ना का विशेष ध्यान रखावें तो हमारे को विशेष राहत मिलेगी क्योंकि सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में निरन्तर अकाल पड़ता है, बरसात से जो फसल मिलने की उम्मीद होती है वह हमें मिल नहीं पाती है। हम सोचते हैं कि हमारे कुओं पर बिजली दे दी जाये भी तो यह फसल तो कम से कम हम ले सकेंगे। अकाल में हर वर्ष करोड़ों-अरबों रुपए खर्च करते हैं पर उससे कोई स्थायी हल नहीं होता है। अगर कुओं पर बिजली मिल जाती है तो, सभापति महोदय, इससे कुछ हल हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह विशेष ध्यान दें।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! टाइम पूरा हो गया।

श्री नाथूसिंह : समय बढ़ा लें।

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट और लूंगा सभापति महोदय !

एक हमारे वहां, सभापति महोदय, 33 के. वी. और 11 के. वी. की लाइन खींचने का काफी काम है। वह न तो कॉन्ट्रेक्ट पर कॉन्ट्रेक्टर से करवा रहे हैं, न वहां हमारे पास लेबर है। बाहर की जो लेबर वहां एंगेज थी वह हमारे वहां कतई नहीं आती। पिछले चार सालों से बराबर कोशिश की गई, लेकिन कोई नहीं आता है। हमारे वहां के किसी आदमी को लगाते नहीं। हम यह नहीं चाहते कि हमारे आदमी को लगाओ, हम तो कहते हैं कैसे भी व्यवस्था करो, हमारा जो फेज प्रोग्राम तय करते हो वह पूरा कराओ। वह कभी पूरा होता नहीं है। मार्च आ जाता है तब तक आधा कर लेते हैं, पूरा नहीं होता है तो भी कमीशन बता देते हैं। लाइन अधूरी पड़ी रहती है, चार्ज करते नहीं एक-एक साल तक। या तो, सभापति महोदय, कान्ट्रेक्ट पर करवा दें, कान्ट्रेक्ट पर नहीं करवाओ तो हमारे वहां के लेबर को रख कर काम करवाओ। जो लाइनें खींची गयीं उनकी मेंटीनेंस के लिए भी आखिर आदमी रखने पड़ेंगे। बाहर से आदमी आते नहीं, हमारे वहां के रखते नहीं हो। बोर्ड में आदमी पहले से ही सरप्लस हैं, ज्यादा हैं, इसलिए वह नहीं रखते। हम कहते हैं कि हमारे आदमी नहीं रखे तो सरप्लस तो हमारे वहां भेज दो। अब भेजने की आपकी ताकत है नहीं। बोर्ड की ताकत नहीं है। बोर्ड ने बहुत कोशिश की परन्तु चार साल में एक भी आदमी टस से मस नहीं हुआ। हमारे जिले में कोई आया नहीं, दूसरे जिलों से। दूसरा, हमारे वहां का आदमी कोई लगा हुआ नहीं है। कैसी विचित्र स्थिति है ? सभापति महोदय, इसके लिए मंत्री महोदय, कार्यवाही करें और बोर्ड को कोई न कोई डायरेक्शन दें जिससे हमारी व्यवस्था ठीक हो सके, जो कनेक्शन वहां नहीं मिले हैं वह मिल सकें।

Page No 221

(श्री हेमाराम चौधरी)

सभापति महोदय, पंचायत समिति बाड़मेर का जो फेज प्रोग्राम तय हुआ है, जो योजना इस वर्ष के लिये स्वीकृत हो गयी है फेज प्रोग्राम में धोरीमन्ना पंचायत समिति के कुछ गांवों को सम्मिलित करने की कृपा करें। यही मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारी तरफ बिजली की व्यवस्था सुचारु रूप से करेंगी।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : समय समाप्त हो रहा है, साहब समय बढ़ा लिया जाय।

श्री सभापति : इस संकल्प के पारित होने तक सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय बढ़ाया जाता है।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय दिया।

श्री सभापति : आप समय सीमा में ही समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : बिल्कुल समय सीमा में ही।

सभापति महोदय, जो संकल्प सरकार लायी है, अच्छा हो यदि सरकार इस संबंध में जो बिजली बोर्ड बनाया हुआ है, उसकी स्थिति सुधारे। स्थिति यह है, सभापति महोदय, कि राजस्थान ने पूरे देश में बिजली की कटौती का रिकार्ड कायम किया है। 25 पर्सेन्ट बिजली की इस समय चोरी हो रही है, कटौती के साथ-साथ बिजली जो पैदा हो रही है ऐसा नहीं है कि बिजली कम पैदा हो रही है पर स्थिति ऐसी है, पूरे साल का आप देख लीजिये, समाचार-पत्र पढ़ लीजिये, कभी इण्डस्ट्री में कटौती, कभी खेती में कटौती, कभी बड़ी इण्डस्ट्री में कटौती, कभी छोटी में कटौती, इसका रिकार्ड कायम किया है राजस्थान में। इसके लिए तो मैं मंत्री महोदया को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कटौती की, यह किसका काम है वह तो शायद नहीं चाहती होंगी लेकिन बिजली बोर्ड के कारण····

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : मंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करें कि बिजली अच्छी मिली है।

श्री नाथूसिंह : यही कह रहा हूं इनको बिजली बोर्ड की स्थिति सुधारनी चाहिए। इस पर कण्ट्रोल रखना चाहिए, कण्ट्रोल करें आप।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप सरकार के आभारी हैं कि आपको बिजली अच्छी मिली है।

श्री नाथूसिंह : यह स्थिति है, सभापति महोदय, इण्डस्ट्रीज तो समाप्त हो ही चुकी है लेकिन कृषि पर भी अब ध्यान है समाप्त करने का। कृषि को समाप्त करने के लिये क्या स्थिति है? जैसा कई माननीय सदस्य कह रहे थे, एक बार बिजली का

(श्री नाथूसिंह)

बिल जमा नहीं हो तो पैनल्टी लगा करके भेजते हैं, कनेक्शन काट देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय 25 पर्सेन्ट बिजली की चोरी हो रही है, बिजली की बकाया जिन लोगों पर है, बड़े-बड़े लोगों, इण्डस्ट्रीयलिट्स ! क्या वह पैसा वसूल किया ? उनके कनेक्शन क्यों नहीं काटे ? इसलिये नहीं काटे सभापति महोदय, कि वर्तमान मंत्री मण्डल में एक मंत्री ऐसा बैठा है जिसने बिजली की चोरी की है। उसके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही। मैं नाम लेकर कहूं, श्री श्रीराम गोटेवाला जी ने बिजली की चोरी की है मैं बधाई दूंगा पहाड़िया जी को पहाड़िया जी जब मुख्य मंत्री थे उस समय वर्तमान मंत्री जी गोटेवाला जी को उन्होने नोटिस दिया। नोटिस से घबराकर वह कोर्ट में भाग गये। मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों के कनेक्शन सरकार क्यों नहीं काटती जो पैसा लूटकर खा रहे हैं, जिसके कारण बिजली बोर्ड घाटे में जाता है, बिजली बोर्ड को नुकसान होता है।

आज स्थिति यह है बिजली के मामले में कि ट्रांसफार्मर जल जाते हैं गांव के अन्दर, ट्रांसफार्मर जलने के बाद उनका रिप्लेस्मेण्ट नहीं होने के कारण किसानों को फसलें सूख जाती हैं, किसानों को नुकसान होता है। इण्डस्ट्रीज के लिए तो आपने व्यवस्था कर दी। उनको डीजल सैट्स दे दिये, डीजल सैट्स खरीदने के लिए सरकार ने उन इण्डस्ट्रियलिस्ट को पैसा दे दिया। ढाई तीन करोड़ रुपया सरकार ने डीजल सैट्स खरीदने के लिए दिये। 50 पर्सेण्ट सब्सिडी दी। जो डीजल सैट्स उनको बिजली पैदा करने के लिए, जनरेट करने के लिए दिये, उसके लिए उनको 50 पर्सेन्ट सब्सिडी दी गई। स्थिति यह है उस डीजल सैट्स काण्ड में बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी आप जांच कराइये। जिनको 50 पर्सेन्ट सब्सिडी दी, वह लोग कोई बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं। वह आपकी बिजली का उपयोग कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं, इस घोटाले की जांच करायें। कितने लोगों ने पैसा लिया, कितनी सब्सिडी खाई और कौन उससे बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं ?

इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि इस समय करीब 15 हजार में एक डीजल सैट आता है छोटा वाला, उन्होंने उसको 25 हजार बताकर ज्यादा पैसा ले लिया। इस तरह से इस मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।

दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट में बिजली पैदा होती है। वहां नई मशीनें खरीदना बताया लेकिन पुरानी मशीन को ही वहां फिट कर रखा है। वहां पर गबन हुआ। उस मशीन के कारण कोटा में वातावरण एकदम प्लेग्ड हो जाता है, बिजली ढंग से पैदा नहीं होती। इसकी भी आप जांच करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट और लूंगा, सभापति महोदय।

(श्री नाथूसिंह)

यही कारण है कि जितनी हमारी इरिगेशन पोटेन्शियलिटी है, उत्पादन की जितनी हमारी क्षमता है उसके चौथाई भाग का भी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा है तीन दिन पहले, उसका सरकार ने जवाब दिया है कि राज्य में 1984 में इरिगेशन पोटेंशल 20.60 लाख हैक्टेयर में सिचाई करने का है, उस क्षमता से जितनी भूमि में सिंचाई कर रही है वह है 15.33 लाख हैक्टेयर भूमि। इतने में ही सिंचाई कर पा रही है इसलिए कि आपकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। 1978-79, 1979-80, 1980-81 में जिन गांवों को सलेक्ट कर लिया गया उनमें आपने आज तक कनेक्शन नहीं दिये। इसके कारण आज किसान परेशान है। वह डीजल पम्प नहीं लगा सकता क्योंकि आपकी बिजली के भरोसे वहां बैठा है। सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र में ट्यूर करके आया हूं, लोगों ने गांव में बिजली की मशीन खरीद रखी है, सारा सामान खरीद रखा है चार-चार साल से सामान खरीद कर बैठे हुए हैं लेकिन कनेक्शन उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि 1984 तक नहीं तो 1983 तक जिन गांवों को आपने सैंक्शन कर दिया है, कम से कम उनमें आप कनेक्शन दें।

इसके अलावा आप कह रहे हैं, कि बिजली 6 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 7 घंटे देते हैं, मैं कहता हूं कि किसान की जितनी आवश्यकता है आज, सभापति महोदय, इण्डस्ट्रीज को एक महीने तक बिजली नहीं देंगे तो एक महीने का ही नुकसान होगा, उनके पास आलटरनेट व्यवस्था है डीजल सेट्स से जनरेट करके काम करने की, किसान को आपने इस एक महीने के पीरियड में या 15 दिन के पीरियड में बिजली नहीं दी तो पूरे 4 महीने की मेहनत किसान की समाप्त हो जायेगी, उसकी पूरी फसल समाप्त हो जायेगी। इसका आप मुआवजा नहीं दोगे। किसान की फसल का बीमा नहीं है आखिर किसान जाय तो कहां जाय किसान को क्या मारना चाहते हैं आप ?

इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से 10 घंटे भी बिजली दे रहे हैं किसान को तो वह कम है, आप पूरे 12 घंटे किसान को बिजली दीजिये, उसकी आवश्यकता के अनुसार बिजली दीजिये, कन्टीन्यूअस दीजिये और यदि वोल्टेज कम हैं, वोल्टेज कम होने के कारण किसान की मोटर जलती है तो उसका मुआवजा आप दें। उन इंजीनियर्स पर जिम्मेदारी डालें जिनके कारण फ्लेक्च्यूएशन बिजली देने में होता है। आप कभी कम वोल्टेज कभी ज्यादा वोल्टेज देते हैं इससे उनको नुकसान होता है। इसलिये इंजीनियर्स को दोषी ठहरायें, उनके खिलाफ एक्शन लें और किसानों को मुआवजा दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही एक मांग और करूंगा सभापति महोदय, एक मिनट इस समय जो बिजली बोर्ड आपने बना रखा है, गड़बड़ी

(श्री नाथूसिंह)

इसमें है। सभापति महोदय, आप चले जाइये गावों में पूछिये, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा बिजली विभाग करप्ट, भ्रष्ट है। जिन दिनों यह लोग हड़ताल करते हैं उन दिनों गांव वाले कहते हैं कि इन बिजली वालों को मारो, XXX यह आम धारणा गांवों में बनी हुई है XXX सभापति, महोदय।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज। समय समाप्त हुआ।

श्री नाथूसिंह : बिल पर पैसा, कनेक्शन पर पैसा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। इसलिये, मंत्री महोदया, आप कन्ट्रोल कीजिये, भ्रष्टाचार को रोकिये और इस बिजली बोर्ड का पुनर्गठन कीजिये। किसानों के प्रतिनिधि इसमें लीजिए। आज आपके इस बिजली बोर्ड की हालत क्या है ? श्रीमान्, अभी मैंने निवेदन किया था, बीमा निगम से आपने ऋण लेने की कोशिश की, सरकार की गारन्टी दिलाने की कोशिश की तो बीमा निगम ने कहा कि हम सरकार की गारण्टी को नहीं मानते, हमको रिजर्व बैंक की गारण्टी दिलाओ तब लोन देंगे। यह एक शैमफुल स्थिति है बिजली बोर्ड के लिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, माननीय मंत्री महोदया, कि इस बिजली बोर्ड में जो सफेद हाथी बैठे हुए हैं उन पर कन्ट्रोल करो आप और इसका पुनर्गठन करो। इसमें किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसान हैं आप खुद ! किसानों के प्रतिनिधि क्यों नहीं बैठाते हैं आप उसमें ? एक ग्रामीण सैल अलग से कायम कीजिये बिजली बोर्ड के अन्दर, जो गांवों की पूरी बिजली का ध्यान दे कि कम मिल रही है या ज्यादा मिल रही है। इसी के साथ मैं यह मांग करता हूं कि किसानों की फसल का यदि बिजली के कारण नुकसान होता है तो उसका मुआवजा दिया जाय। पूरी मात्रा में बिजली दी जाय और बिजली दिन में दी जाय। आप और हम भी किसान हैं, आप स्वयं किसान हैं, सभापति महोदय, रात भर दिसम्बर और जनवरी के महीने में किसान पानी में खड़ा रहेगा और हम लोग, यह जो सारे अधिकारी हैं, यह लोग हीटर लगा कर के अपने कमरों में सो रहे होंगे, आराम फरमा रहे होंगे। वह किसान रात भर सर्दी में खड़ा रहेगा। मैं मांग करता हूं किसानों को दिन में बिजली दी जाय और जो लोग दिन में बिजली नहीं देते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।

धन्यवाद !

श्री सभापति : श्री सुजानसिंह !

श्री सुजानसिंह (बहरोड़) : सभापति महोदय, जो संकल्प माननीय ऊर्जा मन्त्री महोदया ने सदन में प्रस्तुत किया है उसमें वाद-विवाद में भाग लेता हुआ मैं कुछ

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुजानसिंह यादव)

महत्वपूर्ण सुझाव रखूंगा। आज जो चर्चा देश और प्रान्त के 80 प्रतिशत व्यक्तियों के प्रति हो रही है वह देश के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा है। देश का 80 प्रतिशत आदमी जिस चीज पर निर्भर है, आज उसकी विधान सभा में चर्चा करने जा रहे हैं। आज किसान की यह हालत है कि किसान बिजली से सिंचाई करने का अभ्यस्त हो गया है। किसान बिजली के बगैर एक कदम नहीं चल सकता है। आज गांवों में 5-5 महीने से जो ट्रान्सफार्मर नहीं चल रहे हैं उसके कारण लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आज किसान को बिजली 12 महीने में केवल 6 महीने चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि 6 महीने बिजली किसान को चाहिए और बिजली किसान को कम मिलती है? किसान को नवम्बर और दिसम्बर में जो कनेक्शन मिलने चाहिये, आज हमारे बिजली बोर्ड की ऐसी व्यवस्था है कि कनेक्शन अप्रेल और मई में मिलते हैं। जब किसान को बिजली की कतई जरूरत नहीं रहती है। आज मेरे इलाके में ऐसी स्थिति है कि दो-दो साल से लोगों ने डिमांड नोटिस के पैसे जमा करा रखे हैं, बैंक से कर्जा ले रखा है, कुओं पर बिजली की फीटिंग करा रखी है उनसे उधर तो बैंक तकाजा कर रही है वसूली के लिए और इधर बिजली विभाग सोया हुआ है। मेरे इलाके जो शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर रखा है 30-40 गांव ऐसे हैं जिनमें डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा कराने के बाद दो साल से किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। त्राहि त्राहि करके अपने स्थान पर बैठा हुआ है। आज बिजली बोर्ड की ऐसी व्यवस्था है, जो ट्रांसफार्मर अटेन्डेन्ट होते हैं गांवों में, उनको 8-8 गांव दे रखे हैं। मैंने पिछले सत्र में भी इसके लिऐ सुझाव अपना रखा था, आज बिजली बोर्ड का विकास तो हो रहा है मगर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदया से कि जो 20 साल पहले स्टाफ था वही आज काम कर रहा है। बिजली का विस्तार हो रहा है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक-एक गांव के लिये स्टाफ रखना चाहिए। एक गांव में 5-5 4-4 ट्रांसफार्मर होते हैं। बिजली विभाग की गलती से यह ट्रांसफार्मर जलते हैं। जलने का कारण यह भी है कि उसमें आईल का इंतजाम नहीं होता है। जिससे लोड जल जाती है। बिजली विभाग के कर्मचारी कम होने की वजह से उन ट्रांसफार्मर पर अटेण्डेन्ट नहीं जाते हैं। वह गांवों में पड़े रहते हैं और किसान त्राहि त्राहि करता रहता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, दूसरा मेरा यह सुझाव है कि जो गांव में मीटर रीडर्स जाते हैं, अलबत्ता तो आपके पास में मीटर रीडर्स हैं ही नहीं और अगर हैं भी तो घर बैठे बैठे मीटर रीडिंग नोट करके किसानों के बिल इधर-उधर फेंक आते हैं। होटलों पर फेंक आते हैं। किसान XXX त्राहि-त्राहि करता है, उसको पैनल्टी देनी पड़ती

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुजानसिंह यादव)

है। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि मीटर रीडर यदि गांवों में जाय तो मीटर रीडिंग इंसपेक्शन नोट बुक होनी चाहिए गांव में, जो भी मीटर रीडर जायेगा या ट्रांसफार्मर अटेन्डेंट जायेगा वह गांव के सरपंच और पंच के सामने उसमें अपने हस्ताक्षर करके आयेगा । इससे मैं मान सकता हूं कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं कुछ लगे हुए हैं हालांकि विभाग में कर्मचारियों की कमी है, वह सतर्कता से काम करेंगे। पिछले विधान सभा सत्र में भी मैंने अपना सुझाव रखा था, जैसे हरियाणा में बिजली विभाग वालों ने यह तय कर रखा है कि हरेक गांव में इन्सपेक्शन नोट बुक रखी जायेगी उसमें जहां बिजली विभाग के कर्मचारी जाते हैं, ए. ई. एन. जाता है, जे ई. एन. जाता है वह साइन करके आयेगा और गांव वालों से यह पूछ कर आयेगा कि आपके ट्रांसफार्मर कहीं गलत तो नहीं है, आपकी लाइन में कहीं फाल्ट तो नहीं है। यह व्यवस्था राज्य सरकार कर दे तो मैं सोचता हूं कि बिजली विभाग में कुछ सुधार होगा।

दूसरा बिजली विभाग इतना पैसा कमाता है पर कितनी अव्यवस्था है ? आपके जो खम्भे हैं, तार हैं ट्रान्सफार्मर हैं वह ऐसे पड़े हैं जैसे लावारिस आदमी की कोई चीज पड़ी हुई हो। इतने बढ़िया बढ़िया ट्रांसफार्मर हैं। छोटी सी कमी की वजह से लाखों रुपयों के हजारों रुपयों के ट्रांसफार्मर खेतों में पड़े रहते हैं। उनको संभालते नहीं हैं। उसमें आयल वगैरह चैक नहीं करते हैं, उनकी लोड को चैक नहीं करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक इस इस विभाग की लापरवाही है। आजकल तो गांव वाले यह कहने लग गये कि इससे तो पुलिस विभाग ही बढ़िया है। इस विभाग को तो इतना भ्रष्ट और निकम्मा और नालायक पब्लिक कहने लग गई है, इस विभाग से किसान का कोई भला होने वाला नहीं है। यदि किसान इस बात के लिए जागरूक हो गया तो मैं कह सकता हूं कि बिजली विभाग की बहुत बुरी हालत हो जायेगी। समय है, आप किसान की मदद कीजिए। हम किसान वर्ग से हैं और किसानों के बलबूते पर विधान सभा में आते हैं। जब भी हम गांवों में जाते हैं तो एक बिजली विभाग का ही रोना रहता है कि बिजली विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है। एक अटेन्डेन्ट से लेकर जे.ईएन., ए. ईएन. एक्स.ईएन. तक हिसाब किताब बंधा हुआ है।

अन्त में मंत्री महोदया को मैं धन्यवाद देता हूं, आप किसान वर्ग से हैं, किसानों का दर्द जानती हैं, किसानों के दुःख को जानती हैं पिछले साल किसानों के साथ आपने हमदर्दी दिखाई है। इससे किसान बहुत खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी किसानों की आप मदद करेंगी और किसानों का साथ देंगी। इसी भावना से आपका टाइम लिया है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मन्त्री महोदया को राजस्थान सरकार को इस बात का धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि पिछले कई सालों की बनिस्बत पिछले डेढ़ दो साल से बिजली की व्यवस्था अधिक ठीक रही और किसानों को बिजली ठीक प्रकार से मिलती रही। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करता हूं कि इस बार बड़े लम्बे चौड़े इलाके में अकाल है। काश्तकार आशा लगाये हुए हैं, जो भगवान ने नाराजगी जाहिर की, बरसात लेट हुई या हुई नहीं, उन इलाकों में काश्तकार यह चाहते हैं कि इस साल काश्त के समय या उनालू की फसल के समय उनको बिजली ठीक प्रकार से, सुचारु रूप से मिले ताकि उस घाटे की पूर्ति कर सकें। इससे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उनके जीवन निर्वाह की जो आय है वह भी उनको मिल सकेगी। मैं आज जितनी बातें आपको निवेदन कर रहा हूं उनको तीन हिस्सों में बांटा है, कुछ जनरल चीजें हैं, कुछ सुझाव हैं और कुछ शिकायतें हैं। बहुत थोड़े समय में, माननीय सभापति महोदय, यह प्रेषित कर दूंगा।

श्री सभापति : आप बांट तो दीजिये चार हिस्सों में लेकिन समय का ध्यान रखें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं बहुत जल्दी कर दूंगा।

मैं बिजली के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि कई गांवों में ट्रान्सफार्मर जल गये हैं। जलने का कारण यह होता है कि ए. ई. एन. या उनके लाइन मैन, सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं। ट्रान्सफार्मर काफी कीमती होता है जिनको निरन्तर रूप से इन लोगों को ध्यान रखना चाहिये। मेरे क्षेत्र के करीब इस वक्त 28 ट्रान्सफार्मर जले हुए हैं। मैं समझता हूं कि वह निरन्तर बिजली विभाग के कान्टेक्ट में है इसलिए उच्च अधिकारी यह बताते हैं कि ट्रान्सफार्मर ठीक नहीं हैं और उनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जो उस स्तर के अधिकारी, जिसका ट्रान्सफार्मर की रिपेयर करने का जिम्मा है, को बहुत ही सख्ती से रखा जाय। बार-बार यह देखा जाय कि ट्रान्सफार्मर किस तरह से जलते हैं। उनमें आयल है या नहीं, उनका अर्थ ठीक है या नहीं। इस बात को ठीक तरह से देखा जाय ताकि कम से कम ट्रान्सफार्मर जलें। जहां पर जले उसका कुछ ही दिनों में रिप्लेसमेंन्ट किया जाय ताकि आने वाले मौसम में किसान को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और वह फसल को ठीक तरह से प्राप्त कर सके।

मैं इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। उनके लिए छोटा-छोटा सामान नहीं है। डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए कोई पाबन्दी नहीं है। कहीं मीटर नहीं मिलता, कहीं दूसरी चीज नहीं मिलती। मीटर के लिए एक रियायत कर दी है कि घर वाला बाजार से मीटर ले आवे, तो उसके बिजली लगा दी जायेगी।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मान्यवर, उसका मीटर टैस्ट नहीं होता। टैस्ट कराने के लिए जे. ई. एन., ए. ई. एन. वगैरह उनको परेशान करते हैं। वह तो टैस्टेड मीटर आते हैं। बाजार में मीटर उपलब्ध हैं, नहीं मिल सकें ऐसी स्थिति नहीं है। जल जाय तो उसके बाद में परेशानी होती है। मीटर उसका खुद का है, जल गया तो उसका रिप्लेसमेन्ट कौन करे। मेरा निवेदन यह है कि अगर मीटर आपको काश्तकार से लेना ही है तो बाजार में जितने पैसे में मिलता है उतने पैसे आप जमा कर सकते हैं। काश्तकार को मीटर आप पर्चेज करके दे दें ताकि उसकी वापिस भेजने की और चैक करने की या कराने की जिम्मेदारी खतम हो जाय और मीटर आते ही इमिजिएटली उसको डोमेस्टिक यूज के लिए कनेक्शन मिल सके। कई ऐसे गांव हैं जहां पर साल-साल भर से प्रार्थना पत्र दिये हुए हैं उनको डोमेस्टिक यूज के लिए कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। बल्कि कई गांव तो ऐसे हैं जिसमें पूरे गांव में कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए निवेदन कि इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उनको भी थोड़ा देखा जाय।

इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुओं पर जो कनेक्शन दिये जा रहे हैं उस पर काफी पाबन्दी है। वैसे लघु उद्योगों के लिए कोई पाबन्दी नहीं है। आज कोई आदमी अगर चक्की या छोटी इण्डस्ट्री लगाता है तो उसको इमिजिएटली कनेक्शन रिलीज हो जाता है लेकिन कुओं पर नहीं होता। इसमें बहुत पाबन्द है। आप मुझे बतायें, काश्तकार आपका प्रोडक्शन बढ़ाता है. उसकी जीवन चर्या का यही एक रास्ता है, वह तो शहरों में आ करके दूसरा काम कर नहीं सकता है। इसके साथ में सरकार का और हमारा भी यह मानना है कि जो काश्त के ऊपर और जमीन के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करता है वह अपने खेती करने के तरीके को बढ़ायें, उन्नति करे और प्रोडक्शन को बढ़ाये। उनका डाइवर्शन शहरों की तरफ या और दूसरे कामों की तरफ न हो प्रोडक्शन न गिरे और शहरों में भीड़ भी नहीं हो। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं और दूसरी तरफ काश्तकार यह चाहता है कि उसकी हालत, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उसको नये कनेक्शन उपलब्ध कराये जायं। आप देख रहे हैं, मैंने सुना था कि हरियाणा में इस बार बिजली की स्थिति ठीक न होते हुए भी राजस्थान में स्थिति आपने ठीक रखी थी। अब बिजली की स्थिति ठीक रहेगी और आप कुछ और कनेक्शन गांवों में कुओं के लिए उपलब्ध करायेंगे।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता था कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में। शिकायत यह है कि कई गांव ऐसे हैं जिनमें बिना ट्रान्सफार्मर रखे उनको इलैक्ट्रिफाइड घोषित कर दिया। माननीय सभापति महोदय, यह समझ नहीं आता कि जिस गांव में आपने ट्रान्सफार्मर रखा ही नहीं तो वह इलैक्ट्रिफाईड कैसे हो गया। मेरे क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जिनके लिए मैंने लिख कर भेजा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कि यह अमुक-अमुक 5–6 गांव हैं जिनमें ट्रान्सफार्मर नहीं लगाये गये हैं और इलैक्ट्रि-फाईड घोषित कर दिये। यह एक बहुत ही बड़ी गलती जो हो गई है उसको सुधारें और कृपया यह ध्यान रखें कि आइन्दा से कोई भी गांव, जिसमें ट्रान्सफार्मर नहीं रखा गया है, इलेक्ट्रिफाइड घोषित नहीं किया जाय। यह एक टेक्निकल गलती है जिसको आपके विभाग को चाहिये कि वह दुरुस्त करे।

इसके साथ ही यह निवेदन है कि मेरे यहां पर एक ऐसा गांव है जिसमें विद्युत की लाइन ही नहीं है। लाइन लगाई थी, ट्रान्सफार्मर रख कर चार्ज नहीं की उसके पहले लाइन में चोरी हो गई। चोरी होने के बाद वहां ए. ई. एन., जे. ई. एन. ने रिपोर्ट करा दी। बरवाड़ा गांव है, पिछले तीन साल से इसमें लाइन नहीं लगी। गांव वाले इन्तजार में हैं कि यह 11 के. वी. की लाइन कब पूरी होगी और कब उनको विद्युत दी जायगी। गांव वालों को दुबारा विद्युत उपलब्ध कराई जाय। ए. ई. एन. और एक्स. ई. एन यह कहते हैं कि जब तक सामान न हो और दुबारा इस लाइन को खड़ी करने के लिए अलग से आदेश नहीं आवें तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो एक बार लाइन खींच दी। तो यह बड़ी अजीब सी स्थिति है। इस तरह की जो समस्या है, एक गांव में बिजली जाती है बिजली लग जाने के बाद उनको नहीं मिलती है तो ग्राम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इसको निपटाने की कृपा करें।

(सूची-समाप्ति-सूचक घण्टी)

साथ ही, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो विभाग से गलत बिल दिया जाता है किसानों को, यह कहा जाता है कि दुरुस्त करवाइये। एक किसान के पास गलत बिल गया, दुरुस्त करवाने के लिए उसको कितनी परेशानी हो रही है उसकी कोई सुनता नहीं है जब तक वह कुछ न कुछ वहां पर लाग नहीं दे। मेरा यह निवेदन अगर किसी को गलत बिल दिया और यह साबित होता है कि बिल गलत है तो जो गलत बिल देने वाला है उसको आप पेनेलाइज क्यों नहीं करते। आप इस तरह का नियम क्यों नहीं बना लेते कि जो कोई बाबू गलत बिल देगा किसी किसान को, तो वह तो दुरुस्त खुद करायेगा लेकिन यह साबित होने पर कि बिल गलत है उसको निलम्बित कीजिए, उसको नौकरी से निकाल दीजिए। जब तक यह दहशत नहीं होगी तब तक ये लोग परे-शान करते रहेंगे और सौ का बिल दो सौ का और दो सौ का बिल एक हजार का देते रहेंगे। इसलिए इनकी तरफ भी आप ध्यान करिये।

मैं इसके साथ ही आपको एक निवेदन और करना चाहूंगा, 4.10.84 को, मान-नीय सभापति महोदय, मकराना में मान-नीय श्री मिर्धा साहब, फारेन मिनिस्टर जोधपुर पधारे थे। वहां पर उनको एक फैक्टरी का उद्घाटन करना था। फैक्टरी

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

वालों ने भी कनेक्शन के लिए सारा सामान पांच-छ: हजार रुपयों का घर से खरीद कर दिया था। ए.इ.एन. ने कहा था कि आप यह सामान ला दो, कनेक्शन दे देंगे। पूरी लाइन खिची हुई थी, सारा काम किया हुआ था, उसने सामान अपने पैसे से लाकर दे दिया पर जिस दिन उसका कनेक्शन होने वाला था उस दिन वह ए. ई. एन. गायब हो गया जब यह पता लगाया कि ए. ई. एन. साहब कहां है तो बताया, ए.ई.एन. साहब तो चले गए। ए.ईएन. न तो छुट्टी पर था, और न उनका अता-पता था। उस दिन, माननीय मंत्री महोदय, मेला था दशहरे का। 25 हजार की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। सारे मकराना में लाइट आ रही थी लेकिन मेला स्थल के इर्द-गिर्द जितनी भी बिजली की लाईन थी वह सब बन्द थी। हमने कलेक्टर महोदय और दूसरे अधिकारियों को दिखाया कि आप देखिये, यह क्या मखौल है, वहां पर मेले में बच्चे, औरतें बड़ी भारी संख्या में आये थे क्योंकि एक धार्मिक मेला था। आप बताइये, ऐसे मौके पर दुर्घटना घट सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ए. ई. एन. मकराना को तुरन्त निलम्बित किया जाय। इस बात की जांच की जाय। पहली बात तो यह है कि इतना सारा सामान मंगा करके उस फैक्टरी को कनेक्शन क्यों नहीं दिया ? दूसरी बात यह है कि बिजली के होते हुए भी दशहरे के मेला-स्थल के इर्द-गिर्द जो लाइन चल रही थी, लगी हुई थी वह बन्द क्यों हुई ? मंत्री जी को वहां वापस ले गये तो मोटर साइकिल और जीपों की लाइट जला करके भीड़ में से उनको निकाला गया। इसी तरह से बच्चों और औरतों को निकाला गया। यह सब जान बूझकर की गयी गलती है जो हमने जिलाधीश महोदय को भी उस वक्त नोट कराई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, एक दो मिनट और लूंगा। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपका कनेक्शन देने का तरीका है, डिमाण्ड नोटिस निकाल देते हैं और डिमाण्ड नोटिस का पैसा जमा कराने के बाद में दो-दो, तीन तीन साल तक कनेक्शन नहीं मिलता है। डिमाण्ड नोटिस के साथ 'एल' फार्म जमा कराना पड़ता है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करूंगा कि किसान लोन लेता है, 15 हजार रुपयों का लोन ले करके कुएं पर मशीन लगाता है उसके साथ में डिमाण्ड नोटिस का पैसा जमा कराता है, 'एल" फार्म देता है उसके बाद तीन साल तक या दो साल तक उसको कनेक्शन नहीं मिलता तो उसकी हालत क्या हो जाती होगी। 15 हजार का तो वह ब्याज चुकाये, आमदनी उसको हो नहीं सकती, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है इसलिए वह लोन लेता है। इसलिए व्यवस्था में आप संशोधन कीजिए, मैं यह नहीं कहता कि आपकी कनेक्शन देने की स्थिति बहुत अच्छी है, सबको इमीजिएटली कनेक्शन दें। आप उससे डिमाण्ड मत करिये। एक ऐसा नियम बना दें कि जब

Page No 231

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

किसान अपनी फाइल बना करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दें तब उसके ए. ई. एन. के पूरे क्षेत्र में उसकी प्राथमिकता फिक्स हो जाय। आपका ए. ई एन. गांव वार प्राथमिकता तय करता है। वहां पर वह मर्जी आवे जिस काश्तकार को देता है। इसलिए ए. ई. एन. लेवल तक प्राथमिकता तय होनी चाहिये। जब वह अपनी फाइल जमा कराता है तो उसकी प्राथमिकता तय होनी चाहिए। डिमाण्ड नहीं निकालनी चाहिये। डिमाण्ड निकालें तो एक महीने बाद में उसको कनेक्शन रिलीज कर देना चाहिए। अगर विभाग की क्षमता हो तो डिमाण्ड निकालें, नहीं तो, मान्यवर,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उस किसान की तो हत्या हो जाती है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं तो सुझाव देना चाहता हूं, एक दो मिनट।

श्री सभापति : मुझे बड़ा अफसोस है, समय सीमा निर्धारित है और सीमा से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, तीन चार लाइनों में ही सुझाव है वह मैं पढ़ देता हूं।

श्री सभापति : हां पढ़ दें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, एक तो यह है कि गांव में जो बिजली की आंख मिचौनी होती है उसको रोका जाय। दूसरी बात जिन गांवों में 11 के. वी. की लाइन निकली हुई है और मात्र ट्रांसफार्मर चाहिए उनको प्राथमिकता बिजली में दी जाय। उनको प्राथमिकता के आधार पर बिजली से जोड़ा जाय। इसमें विभाग का कोई खर्चा नहीं है। तीसरी बात जलदाय विभाग की जो पानी की लाइन है उसके लिए जलदाय विभाग में वह जो पैसा जमा कराता है उसको अलग से रखा जाय ताकि हमें पानी की दिक्कत नहीं आये और पानी निरन्तर मिलता रहे। जब बिजली की शार्टेज हो तब बिजली हमें निरन्तर मिलती रहे ताकि हमें पीने का पानी मिलता रहे। इसके साथ ही काश्तकार को जो कनेक्शन दिये जाने हैं, उसकी लिस्ट तहसील और ग्राम पंचायत के बोर्ड पर लगाई जाय उस काश्तकार खुद को वह मालूम हो जाना चाहिए कि कब बिजली मिलेगी इससे यह जो पैसे पहले लेते हैं, किस काश्तकार को बिजली कब देनी है इसमें जो भ्रष्टाचार है वह भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, हम लोगों का नम्बर नहीं आया है, हममें से तो दो ही लोग बोले हैं। सभापति महोदय, इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, इतनी देर में तो मैं अपना भाषण ही समाप्त कर देता ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप लोगों ने कितनी गलतियां की हैं, आप सुनकर देखें । हम सीधी-सीधी बात करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप अपना स्थान ग्रहण करें । श्री हरिसिंह आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मन्त्री का ध्यान मेरे क्षेत्र के विद्युतीकरण की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । माननीय सभापति महोदय, यहां पर ऊर्जा मंत्री बैठे हैं और उनके बोर्ड के विभाग के अधिकारी भी बैठे हुए हैं इसलिए मैं सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे कम विद्युतीकरण किस तहसील में हुआ है ।

श्री सभापति । महुआ में ।

श्री हरिसिंह : तो शायद यही जवाब आयेगा कि महुआ में हुआ है । सभापति महोदय, महुआ में मात्र 11 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है अभी तक सभापति महोदय, महुआ और टोड़ा भीम के लिये सन् 1972 के बाद विद्युतीकरण की कोई नयी स्कीम नहीं बनी है । पहले 12-13 साल में एक भी गांव को इलेक्ट्रिफाई नहीं किया गया है । आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, जो गांव इलेक्ट्रिफाई हैं उनमें बिफोर लास्ट ईयर के 12 कनेक्शन के किसी को भी कनेक्शन नहीं दिया है । टोड़ा भीम में अनुसूचित जाति के लोगों को कनेक्शन दिया है । केवल आठ कनेक्शन अनुसूचित जाति के लोगों को दिये गये हैं । इस साल के लिए जब पूछा गया कि इस साल हमारे यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन की कोई स्कीम है तो उन्होंने बताया कि इस साल कोई टार्गेट नहीं है । जो गांव इलेक्ट्रिफाई हैं उन गांवों में नये कनेक्शन देने का भी कोई टार्गेट नहीं है । जब उनसे कहा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वह कहते हैं कि आपके यहां तो कोई कोआपरेटिव की स्कीम बन रही है । सभापति महोदय, सन् 1972 में कोआपरेटिव की एक स्कीम बनी थी, 79 में वह पूरी हो गयी । सन् 79 से लेकर अप्रैल, 84 तक बोर्ड उस पर कुन्डली मार कर बैठा रहा । बोर्ड के अधिकारी उस स्कीम को मन्जूर करना ही नहीं चाहते हैं । सेन्टर गवर्नमेंट इसके लिए बार बार दबाव डाल रही है कि कोआपरेटिव की जो स्कीम बनायी गयी है उस कोआपरेटिव की स्कीम के तहत इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाय लेकिन बोर्ड के अधिकारियों का इसमें दृष्टिकोण अलग है । वह नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से उस स्कीम को मन्जूर किया जाय वह बार-बार यही कहते हैं कि यह घाटे का सौदा है । सभापति महोदय, मैंने एकाध बार जाकर उनसे निवेदन भी किया । बोर्ड

(श्री हरिसिंह)

के अधिकारियों को बहुत ही विनम्र शब्दों में मैंने अनुरोध किया है। मैं आपसे अनुरोध करूं कि एक बार तो मैं अपनी सीमा को भी पार कर गया, मैंने कहा कि यह कोई बनिये की दुकान नहीं है, यह एक सरकारी संस्थान है। मैंने उनको कहा कि यह वेलफेयर स्टेट है, आप इसमें जोड़ बाकी का जो हिसाब लगाते हैं कि घाटा है या बढ़ोतरी है तो वह गलत है। आपका पूरा बोर्ड ही घाटे में जा रहा है फिर आप उस बोर्ड को क्यों नहीं बन्द कर रहे हैं, जो हमारे यहां पर दो तहसीलों की स्कीम है, आप उसको ही क्यों बन्द कर रहे हैं। सभापति महोदय, मेरे दबाव डालने के बावजूद उन्होंने यह नोट लगा दिया कि काफी लम्बा समय हो चुका है इसलिए प्राइसेज काफी बढ़ गयी हैं इसलिए इसका, सर्वे कराया जाय। अगर रिकास्टिंग होता है तो फिर गयी दो साल की। फिर दो साल और आगे ले लेगी कम्पलीट होने में। तो मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि यह जो एक स्कीम है, आप अलग-अलग दो स्कीम बनायें और इन दो तहसीलों में जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करावें।

सभापति महोदय, मैंने वहां पर इसके बारे में और पता लगाया तो यह पता पड़ा कि दो स्कीम बनी हैं।

यह भी पता चला है कि स्कीम अप्रैल-मई में बोर्ड द्वारा सैंक्शन हो चुकी हैं और उन्होंने कोआपरेटिव की स्कीम बनाकर राज्य सरकार के पास भेज दी है। राज्य सरकार कर रही है, मैं फाइल के पीछे-पीछे लगा तो पता चला कि फाइल प्लानिंग विभाग में गई हैं वह उसको दबाये बैठे हैं। प्लानिंग विभाग से फाइल को निकला कर वापस ऊर्जा विभाग में भेजा। मैं वहां के जो डिप्टी सैक्रेटरी हैं उनसे जाकर मिला। मैंने उनको निवेदन किया कि आप मेरी इस फाइल के दो पन्ने पढ़ कर तो देख लीजिये। उन्होंने मेहरबानी करके दो की जगह चार पन्ने उस फाइल के पढ़े। उन्होंने कुछ उस फाइल के बारे में समझा उन्होंने उस फाइल को देख कर कहा कि फाइल में तो स्कीम मुख्य मन्त्री जी के द्वारा भी सैंक्शन हो चुकी है और फाईनेन्स डिपार्टमेन्ट ने भी सैंक्शन दे दी है। अब स्थिति यह है, सभापति महोदय, आज दो महीने हो गये हैं; वह फाइल मैं सचिवालय में तलाश कर रहा हूं। वह फाइल सचिवालय से गायब हो गयी है। उस फाइल का पता ही नहीं चल रहा है। आज, सभापति महोदय, इतनी दुर्गति हो रही है इन गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स कि उसमें कुछ भी पता नहीं चलता है।

मैं, सभापति महोदय, निःसंकोच यह कह सकता हूं, अगर राजस्थान में कहीं जमीन में फर्टिलिटी ज्यादा है तो महुआ और टोड़ाभीम तहसील में है, वाटर पोटेन्शियलिटी सबसे ज्यादा है तो महुआ और टोड़ाभीम तहसील में है और राजस्थान में डेन्सिटी आफ पॉपुलेशन कहीं है तो महुआ तहसील में है। आंकड़े मेरे नहीं है, राजस्थान सरकार के हैं। फिर भी, राजस्थान की इस तहसीलों की जनता के साथ अन्याय

(श्री हरिसिंह)

किया जा रहा है। आज वहां के उद्योगपतियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, वहां के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों की बस्ती में इलेक्ट्रिफिकेशन करने की केन्द्रीय सरकार की जो स्कीम है उसके अनुसार भी अनुसूचित जाति के लोगों की बस्तियों में विद्युतीकरण पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। कोई नई स्कीम हमारे यहां पर शुरू हो नहीं रही है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है, मेरे और मेरे क्षेत्र की जनता के लिये। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि उस फाइल का पता किया जाय। आप वहां पर आर. ई सी. की स्कीम बनाना चाहेंगे तो आप फिर उस स्कीम को केन्द्रीय सरकार के पास भेजेंगे और फिर यह स्कीम दो साल और उलझ जायेगी। अगर आप आर. ई. सी. की स्कीम ही बनाना चाहते हैं तो उस आर. ई सी. की स्कीम के लिये मुझे विश्वास दिलायें कि यह स्कीम कब तक बना दी जायेगी। इसके लिये आप टाइम बाउंड प्रोग्राम बता दें कि यह एक महीने में स्कीम मन्जूर हो जायेगी और वहां पर स्कीम के तहत काम प्रारम्भ हो जायेगा। सभापति महोदय, इस आर. ई. सी. की स्कीम में मुझे तो ऐसा लगता है कि साल भर तो लग ही जायेगा। कोआपरेटिव की स्कीम तैयार है, सरकार चाहे तो इसको तुरन्त स्वीकार करके वहां पर इसका काम शुरू करा दे। बस, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, मैं तो दो तीन बात ही कहना चाहता हूं। आपने मेरा नाम पुकारा उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान में बिजली बोर्ड की हालत तो आप जानते ही हैं। सरकार इसके लिए और पैसा मांग रही है। मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड की जो पुरानी बकाया बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर और सरकारी संस्थाओं पर बकाया है उस को आप वसूल कर लें तो आप की योजनाओं का काम चल सकता है और यह जो पैसा सरकार मांग रही है उस पैसे को आप जनता के काम में अलग से ले सकते हैं।

इसके अलावा, सभापति महोदय यह जो बिजली बोर्ड रात को किसानों को बिजली देता है इससे किसानों को बहुत भारी परेशानी उठानी पड़ती है। रात में जब ठण्ड पड़ती है तब हमारे काश्तकार खेत में रात को ठिठुरते हैं और कई बार काश्तकारों को सांप वगैरह काट जाते हैं। इसकी ओर कई बार सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है इसलिये, सभापति महोदय,....

(6.45 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष, पदासीन)

मेरा निवेदन है कि किसानों को बिजली रात की जगह दिन में दी जाये।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र गोगुन्दा में बिजली वैसे तो सभी जगह पर करीब-करीब पहुंच गयी है लेकिन गोगुन्दा तहसील के सात गांव बाकी रहे हैं। हमारे यहां फलासमा एक जगह है जहां पर बहुत बड़ा मन्दिर है। वहां पर लाखों लोग दर्शन करने दरगाह जी पर आते हैं। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि अगर आप फलासमा को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिफाइड कर दें तो लोगों को बहुत लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा गांव, जहां मैं रहता हूं, माननीय श्री देवेन्द्र कुमार जी के निर्वाचन क्षेत्र में है। उस गांव में बिजली की लाईन नहीं है वहां पर बिजली का कनेक्शन दिलाने की कृपा करें। वहां लोगों ने एल फार्म जमा करा दिये हैं पर अभी तक किसी किसान को कनेक्शन नहीं दिये गये है। वहां पर भी कनेक्शन दिये जायं।

सुश्री पुष्पा जैन : आपने उनको वोट नहीं दिया होगा।

श्री मेवराज तावड़ : दिया है। मैंने उनको वोट दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे गांव में बिजली के कनेक्शन दिये जायं और गोगुन्दा के सात गांवों को बिजली दी जाय जहां कि बिजली नहीं है। इसके अलावा गोगुन्दा के कुओं पर बिजली दिलायी जाय। वहां स्थिति यह है बिजली की लाईन दे दी है, डिमाण्ड नोटिस भी लोगों को मिल गये हैं पर कनेक्शन नहीं दिया गया है। बिजली की लाईन आ जाने से लोगों ने जो पहले अपने कुओं पर डीजल के इन्जन लगा रखे थे उनको हटा दिया है। पिछले दो साल से लोगों को कुओं पर कनेक्शन नहीं मिल रहे है इसलिये वहां का काश्तकार बहुत परेशान हो रहे है। मेरा निवेदन है कि उनको बिजली का कनेक्शन दिया जाय। एक जो मैंने आप से निवेदन किया है फलासमा में बिजली देने का तथा गोगुन्दा के जो सात गांव बिजली का कनेक्शन मिलने से रह गये हैं वहां पर जल्दी से जल्दी बिजली के कनेक्शन दिलावें।

एक बात और है कि कोटड़ा के दो गांव हैं जिनमें बिजली नहीं है, उनमें भी जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचाई जाय।

बस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जो आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले चार-पांच साल से राजस्थान में विद्युत सप्लाई की जितनी घटिया स्थिति रही है....

एक माननीय सदस्य : गलत !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात दोहराती हूं कि पिछले चार-पांच साल में राजस्थान में विद्युत सप्लाई की हालत जितनी खराब रही है, मैं समझती हूं कि राजस्थान के इतिहास में कभी इतनी खराब हालत नहीं रही । अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के बाहर जाते हैं तो बड़े-बड़े उद्योगपतियों को निमंत्रण देकर आते हैं कि राजस्थान में आइये और अपने उद्योग लगाइये । मेरी समझ में नहीं आता कि किस बूते पर उन उद्योगपतियों को वह निमन्त्रण देने का साहस करते हैं । राजस्थान में आज उद्योगपतियों की हालत क्या है ? राजस्थान में पिछले चार-पांच सालों में औद्योगीकरण का जितना बिनाश हुआ हैं, मैं समझती हूं कि इससे बड़ा औद्योगीकरण का विनाश कभी नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, उद्योगपति हलवा नहीं खायेगा फिर भी मैं समझती हूं कि साग रोटी से अपना काम चला लेगा ।

(व्यवधान)

मैं समझती हूं कि आपको वास्तव में बिजली का दर्द तो है नहीं, महज बोलना है, अखबारों में छपाना है इसलिए यहां बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, शांत रहें ।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योगपति तो फिर भी हलवा की जगह रोटी और सब्जी से काम चला लेगा लेकिन जरा उस गरीब किसान की हालत तो देखिये जो प्याज और रोटी खाकर अपना गुजारा करता है । उसकी रोटी और प्याज भी इन पिछले सालों में उसके मुंह से छीन ली गयी है । अध्यक्ष महोदय, आज काश्तकार की हालत क्या है ? कड़कती सर्दी में जब हम सब लोग, माननीय मंत्री महोदया, आप और हम गर्म गर्म लिहाफ में सोते हैं उस समय गरीब काश्तकार खेतों में खड़ा हुआ बिजली का इन्तजार करता है....

श्रीमती कमला (ऊर्जा मन्त्री) : पिछली साल का और अभी का प्रोडक्शन उठा कर देखिये ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बाधा न डालें । आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह महिला सदस्य को बोलने नहीं देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप भी बैठ जाइये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो बैठती हूं, इनको डांट दीजिये आप ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आपस में बात न करें ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, कड़कती सर्दी में काश्तकार अपने खेतों में इंतजार करता है कि कब बिजली आये और अपने खेतों में पानी दें । अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है इस बात को कहते हुए कि जितनी बिजली आपने तय कर रखी है काश्तकार को देने के लिए, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि उतनी तयशुदा बिजली भी आज काश्तकार को मिल नहीं रही । इस बात को देखता ही नहीं, इस बात का कोई जायजा ही नहीं लेता कि तयशुदा बिजली किसान को नहीं मिल रही है । उसके लिए किसान बार बार पुकार करता है और आप लोगों के दरवाजों पर भी आता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं । अध्यक्ष महोदय, आज सेंटर को आर. ई. स्कीम में जो योजनायें बनकर आई हैं और दूसरी स्कीम बनकर आई हैं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मंत्री महोदया पिछली साल जितनी स्कीम बनकर आईं उन स्कीम्स को आपने कार्यान्वित नहीं किया, उनको कार्य रूप में परिणत नहीं किया । अंजाम यह हुआ कि सारी स्कीम आपकी फेल्योर हो गयीं और पैसा लैप्स हो गया ।

अध्यक्ष महोदय, नये कनेक्शनों के बारे में अभी माननीय सदस्य महोदय बोल रहे थे । नये कनेक्शन के लिए भी पिछले 23 सालों से काश्तकारों ने एप्लाई कर रखा है लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं दिया जाता । एक ताज्जुब की बात है कई गांव ऐसे हैं जो विद्युत विभाग के रिकार्ड में इलेक्ट्रिफाइड हैं लेकिन हकीकत में बिजली नाम की कोई चीज इन गांवों में है ही नहीं । ऐसे गांव मेरे क्षेत्र में भी हैं । अगर मंत्री महोदया यह वायदा करें तो उन क्षेत्रों का रिकार्ड में जहां विद्युतीकरण है लेकिन हकीकत में विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है, मैं नाम बता सकती हूं । सरकार को आप बदनाम होने से बचाइये । जो गांव इलेक्ट्रिफाइड आन रिकार्ड हैं क्या वजह है कि हकीकत में उन्हें आप बिजली नहीं देना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, आज किसानों के ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं । बिजली की चोरी हो या नहीं हो लेकिन किसानों को प्रताड़ित किया जाता है । आज अगर बड़े-बड़े उद्योगपति बिजली की चोरी करें तो उनके लिए कानून के दरवाजे भी खुले हैं और सरकार भी उनकी बहुत जल्दी सुनवाई करती है, अधिकारी भी उनकी बहुत जल्दी सुनवाई करते हैं लेकिन गरीब काश्तकार जिनकी पहुंच अदालत तक नहीं है, जिनके पास अदालत में जाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनकी सुनवाई आपके दरवाजों पर भी नहीं होती, अधिकारियों के दरवाजों पर भी नहीं होती, वह कहां जायें ? तो मेहरबानी करके बिजली की हालत सुधारिये, नहीं तो आने वाले समय में राजस्थान पता नहीं अन्धकार को गर्त में चला जायेगा । उसका आप अन्दाजा भी नहीं लगा सकते ।

धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्री तेजपाल यादव ।

Page No 238

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें मूल रूप में संकल्प जिसके द्वारा हम ऋण लेने की सीमा बढ़ाना चाहते हैं, मूल सकल्प वह है....

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : उस पर कोई बोले ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : बोले हैं कई माननीय सदस्य। लेकिन अब कृषि का सीजन आ गया है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, इस हेतु कुछ प्रस्ताव आये थे। उन प्रस्तावों को मैंने इसमें शामिल कर दिया था। इसमें यह बात नहीं है कि जितनी भी बिजली की कठिनाइयां हैं उन पर विस्तृत चर्चा हो। ऐसी बात नहीं है। मुख्य रूप से अभी कृषि का जो सीजन है उसके अन्दर पर्याप्त बिजली मिले और वैसे कुछ अगर खास कठिनाई है तो उसके बारे में भी आप कह सकते हैं। कृपया समय को ध्यान में रख कर अपनी चर्चा करें ताकि समय पर इस सकल्प को पारित किया जा सके।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी समय दे दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। श्री तेजपाल यादव। संक्षेप में। लम्बा भाषण नहीं। पांच-पांच मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री तेजपाल यादव (चोमूं) : अध्यक्ष महोदय, संकल्प के बारे में और बिजली की समस्या के बारे में काफी देर से चर्चा हो रही है कि बिजली के सम्बन्ध में क्या कमी है, बोर्ड की क्या समस्यायें हैं। मैन जो समस्या है बिजली बोर्ड की, किसानों के साथ में क्या समस्या है और बिजली बोर्ड की क्या समस्या है और बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति क्या है यह खास बातें हैं।

आज यहां माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने मात्र 250 से 500 करोड़ का संकल्प पेश किया है, इसका तो हम समर्थन करते हैं। आज 2500 स्कूल के लिये घोषणा होती है, प्राइमरी स्कूल के लिए अलग-अलग कितने अरब रुपयों की घोषणा होती हैं मगर बिजली के मामले में केवल 250 करोड़ के कर्ज की गारन्टी देने वाली बात है तो 250 करोड़ में तो छोटा सा आपका पावर स्टेशन लगेगा।

एक बात तो यह है। हम संकल्प कर भी रहे हैं तो बहुत कंजूसी के साथ कर रहे हैं। अब क्या होगा इस 500 करोड़ से ? 250 करोड़ से क्या होगा ?

दूसरी बात, एक तरफ तो हम इसकी गारन्टी देने की बात करते हैं और सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम में भी यह बात कहती है कि हम गांवों में उजाला करेंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा, हम बिजली किसानों को देंगे और हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने भी कहा है कि हम बिजली दे देंगे। लेकिन पहली बात तो यह है कि आज किसानों के साथ में बिजली विभाग का क्या व्यवहार है। पहली बात तो जितनी बिजली उपलब्ध है, आंकड़े उठा कर देख लीजिए, 15

Page No 239

(श्री तेजपाल यादव)

पर्सेन्ट से ज्यादा बिजली किसानों को ग्राज तक नहीं दी गयी, 85 पर्सेन्ट बिजली दूसरे लोगों को दी जाती है और केवल मात्र 15 पर्सेन्ट बिजली ही किसानों को दी जाती है। आप चाहें तो आंकड़े देख कर मिलान कर लीजिये, 15 पर्सेन्ट से ज्यादा आज तक किसानों को बिजली नहीं दी।

दूसरी बात, अभी एक प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मन्त्री जी ने कहा कि किसानों के कनेक्शन पर कोई बंदिश नहीं है। जब किसान यह बात सुनता है और अखबारों में पढ़ता है तो वह समझता है कि मुझे कनेक्शन मिलेगा लेकिन बिजली के विभाग में जाता है तो क्या होता है? इधर तो उद्योगपति 100 हार्स पावर का कनेक्शन लेने जायेगा तो फटाफट उसको कनेक्शन दिया जायेगा और इधर काश्तकार 3 हार्स पावर के कनेक्शन के लिए एप्लाई करेगा तो चार साल तक उसको इन्तजार करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि किसानों पर कोई कटौती नहीं है और इन्दिरा जी भी कहती हैं कि गांवों में उजाला होना चाहिए। हमारा जो बिजली बोर्ड है, वह 3 घण्टे, कभी 4 घण्टे बिजली देता है। आप बड़ी मेहरबानी करें तो गांवों में 18 घण्टे अंधेरा रखते हैं, नहीं तो 21-22-23 घण्टे अंधेरा रखते हैं गांव के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : 12 घण्टे तो सूरज चमकता रहता है ना।

श्री तेजपाल यादव : बिजली जाती ही नहीं है, साहब।

यह कहते हैं कि हमने उद्योगों पर कटौती कर रखी है। कटौती के मामले में यह कहते हैं कि किसानों की लाइन बन्द करते हैं लोड शेडिंग प्रणाली लागू करके, वह उद्योगों में क्यों नहीं लागू करते? उद्योगों में यह सारी बिजली की चोरी होती है। यह लोड शेडिंग प्रणाली उद्योगों के अन्दर लागू नहीं करने के कारण से आज 30 पर्सेन्ट, 28 पर्सेन्ट और 36 पर्सेन्ट इनकी बिजली चोरी हो रही है। इस बात का प्रमाण यह है कि उद्योगपतियों को अखबारों में तो कटौती कर देते हैं और वैसे बिजली वह मिल करके देते हैं। इसलिए यह लोड शेड प्रणाली बिजली की कटौती की चालू नहीं हो रही है।

दूसरा, बिजली बोर्ड को हम आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें। 100 करोड़ रुपया तो रूरल सब्सिडी का बिजली बोर्ड का बकाया है। सरकार कम से कम गारन्टी नहीं दे तो जो पैसा खुद में सरकार में आता है वह पैसा बोर्ड को दे। आप औषधालय खोल रहे हैं, आप अस्पताल खोल रहे हैं, आप स्कूल खोल रहे हैं, आप सड़कों की घोषणा करते हैं उसमें पैसा खर्च करते हैं।

(7.00 सायं)

तो आपने यह भी गारन्टी दे रखी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में बिजली बोर्ड को जो नुकसान होगा वह सरकार भुगतेगी।

(श्री तेजपाल यादव)

वर्ल्ड बैंक के सामने आपने गारन्टी दे रखी है तो दीजिये पैसा आप।

दूसरा, किसानों की यह बात सही है कि जरा सी कोई बात हुई कि फटाक से कनेक्शन काटने पहुंच जाते है और आप का 70 करोड़ रुपया आज बड़े-बड़े उद्योगपतियों भूतपूर्व राजा-महाराजाओं और सरकारी विभागों पर बकाया पड़ा है वह पैसा आज तक वसूल नहीं हो रहा है। तो पौने दो सौ करोड़ तो यह हो गये। आज बिजली बोर्ड की इतनी प्रापर्टी, सम्पत्ति पड़ी हुई है जो कहीं पर गल रही है, कहीं पर सड़ रही है। ट्रान्सफार्मर कहीं के कहीं पड़े हुए हैं। कई तरह का सामान पड़ा हुआ है। अगर उसको आक्शन करें तो आज आपने जो गारन्टी देने की बात कही है और ढाई सौ करोड़ का संकल्प लाये हैं, उससे ही वह ढाई सौ करोड़ हो जायगा। कोई हजार करोड़ डेढ़ हजार करोड़ का संकल्प तो है नहीं जो इतना जोर लगायेंगे ताकि हम कह दें कि 1,000 मेघावाट या 500 मेघावाट बिजली पैदा करेंगे, हमको इतना लोन मिल जायगा तो यह हमारे कारखाने और खड़े हो जायेंगे और हमारे किसानों को बिजली मिल जायेगी।

राजस्थान में यह तो जनता पार्टी की मेहरबानी है कि बिजली तो पैदा की नहीं उन्होंने उल्टे बिजली का उत्पादन 1027 मेगावाट से 807 मेगावाट कर दिया और दूसरी यूनिट 79 में बन्द कर दी। कनेक्शन खूब कर दिये मगर बिजली एक यूनिट पैदा की नहीं। उधर 22 हजार कर्मचारियों को बिजली बोर्ड में भर दिया। बटालियन बैठा दी। आज हिन्दुस्तान में पर मेगावाट सबमे ज्यादा कर्मचारी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हैं। फिर यह समझ में नहीं आता कि यह फाल्ट भी ठेकेदार से ठीक करवाते हैं, लाइन भी ठेकेदार से खिचवाते हैं एक तरफ तो यह कहते हैं कि कर्मचारी ज्यादा है, दूसरी तरफ ठेके दे रहे हैं। बिजली बोर्ड की हालत तो इस प्रकार की कर रखी है, चोरी से उद्योगपतियों को बिजली देना, सब्सिडी का पैसा नहीं देना, सेठों से पैसा वसूल नहीं करना। उधर बोर्ड ने कर्जा ले रखा है, उस पर ब्याज लग रहा है। ब्याज का एक पैसा देते नहीं हैं। यह सारी स्थितियां जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक किसान को बिजली देने वाले नहीं हैं और जितना हम किसान के बारे में बोलेंगे उतना ही ज्यादा किसान के लिये अन्याय होगा। सब यह कहते हैं कि हम किसान का भला करेंगे। हम उनको चक्कर दे दे करके वोट लेते हैं। अब किसान समझ गया है....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप तो चक्कर ही देते हो।

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव : और किसान अब हमको सड़कों पर लाने वाला है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX पैदा हुए हो क्या ? XXX पहनी क्या ?

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 241

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री थानसिंह।

श्री थानसिंह (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली बोर्ड से और मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में बिजली की समस्या बड़ी भयंकर है। हिन्दुस्तान में राजस्थान बिजली के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है।

एक माननीय सदस्य : जोर से तो बोलो क्या कह रहे हो ?

श्री थानसिंह : मैं मेरे क्षेत्र, राजस्थान के जन जाति के क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था के बारे में निवेदन करूंगा कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री थानसिंह : राजस्थान में 45 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंची जो कि अनुसूचित जाति और जन जाति के क्षेत्र नहीं हैं। कुछ जगह 60 प्रतिशत बिजली गांवों में पहुंची है। मेरा अनुरोध है, बिजली विभाग से और मन्त्री जी से कि आदिवासियों के करीब करीब सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। आज काफी गांव ऐसे हैं आदिवासियों के, जिनके अन्दर अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। सिर्फ 45 प्रतिशत गांव है जो बिजली से जुड़े हुए हैं। आज हालत यह है, ऐसे बड़े-बड़े ताले और गांव हैं जिनको बिजली की सख्त आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में जब कभी हम मौके पर जाते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि साहब, यह विद्युत मण्डल चूतक मण्डल है। हमको दौरों पर अधिकतर बिजली की शिकायत मिलती है। बिजली की परेशानी काश्तकार को अभी 3-4 महीने में बड़ी भयंकर है। फसलों के टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे क्षेत्र में बिजली बहुत कम है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा जो पर्सेन्टेज है वह बहुत कम है। जन जाति क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में अधिकारी लाइट पहुंचाना नहीं चाहते हैं। जहां हरिजन बस्ती है, आदिवासी या जन जाति की बस्ती है वहां पर लाइट नहीं देना चाहते। सवर्णों के यहां तो खम्भा खड़ा कर देंगे लेकिन जहां हरिजन बस्ती, आदिवासी बस्ती है, वहां पर इनके अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं, उस क्षेत्र में लाइट देना नहीं चाहते हैं।

एक मामले में, अध्यक्ष जी, आपको बड़ा ताज्जुब होगा इस बात को सुन कर, आदिवासी क्षेत्र में जो हम 5-7 एम.एल.ए. हैं, हरेक ने 1-1 हैण्ड पम्प ले लिया होगा और हर मामले में दूसरी थोड़ी बहुत कामयाबी मिली होगी लेकिन इस बिजली के मामले में यह हालत है कि हम आदिवासियों के एम.एल.ए. गांव के अन्दर लाइट नहीं दे सकते हैं। दस एम.एल.ए. विधान सभा के में से एक गांव को छोड़कर ट्राइबल

(श्री थानसिंह)

वाले जितने एम.एल.ए. हैं, आज भी उनके घरों में लाइट नहीं है, उनके गांवों में लाइट की व्यवस्था नहीं है। बार बार लिख देने के बावजूद यह बोर्ड और मंत्री जी सुनते नहीं हैं। कम से कम हमारे क्षेत्र का भी ध्यान रखना चाहिये। एक विधायक का गांव है उसमें 500 की बस्ती है. मेरे क्षेत्र की बात करूं, बहुत से लोग हैं जो बिजली लेना चाहते हैं, उसके बाद भी आपके अधिकारी कहेंगे क्या ? यही कहेंगे कि आदिवासी लाइट नहीं लेना चाहता है, इनको आवश्यकता नहीं है। मैं नेकल बात की तो उन्होंने यही कहा था, आदिवासी लाइट लेना नहीं चाहते हैं। आदिवासी लाइट लेना चाहता है और हर जगह मांग रहा है। अध्यक्ष जी, एक बात आपसे निवेदन करूंगा, आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट के यहां कनेक्शन नहीं लगा है। जनता पार्टी के राज में भी गांवों में विद्युतीकरण हुआ लेकिन वह खम्भे वहीं के वहीं खड़े हैं, आज तक उनसे लाइट नहीं मिली है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, 111 गांव है जिन्हें सरकार ने आर.ई.सी. की स्कीम में लिया है। 12-13 गांवों में लाइट जोड़ी है लेकिन वहां भी अभी तक खम्भे खड़े किये हैं। आज तक किसी एक को भी कनेक्शन नहीं मिला है जबकि फार्म सबने भर रखे हैं। कुओं को कनेक्शन नहीं मिला है। आदिवासियों ने 2-3 वर्ष पहले मशीनें लाकर रखी हैं वह मशीनें भी जंग खा रही हैं। मतलब एक शिड्यूल्ड कास्ट को कनेक्शन नहीं मिला है। मैं निवेदन करूंगा कि जन जाति क्षेत्र के अन्दर यह हालत है। सलूम्बर तहसील में, मेरा अनुभव है, कुएं पर कनेक्शन आज भी किसी आदिवासी के यहां नहीं है जब कि वहां 60 प्रतिशत, 75 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। 232 गांवों मे से कम से कम 108 गांव आदिवासियो के हैं जिनमें लाइट की अभी तक व्यवस्था नहीं है। मेरा अनुरोध है कि बिजली बोर्ड का व्यवहार आदिवासियों के लिये ठीक नहीं है। आदिवासियों के लिये अब यह भी समझना चाहिये कि पहले के जैसे आदिवासी नहीं रहे हैं। अब ऐसा जमाना नहीं रहा है। अब वे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। पकड़ पकड़ कर पीटने वाले हैं इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आदिवासियों के क्षेत्र में तेजी से लाइट नहीं देंगे तो हालत खराब होगी। न मालूम हरिजनों से झगड़ा क्या ? अब चाहे ए. ई. एन. हो, चाहे जे. ई. एन. हो, आदिवासी उनको ठीक कर देंगे। इसलिये अब सर्वे करा कर लाइट की व्यवस्था कर दीजिये। आपके ए. ई. एन और जे. ई. एन. स्कीम बना कर गवर्नमेन्ट को देते नहीं हैं। आदिवासी क्षेत्र में तो एक पर्सेन्ट भी विद्युतीकरण नहीं है। एक दो जगह दिखाने को कनेक्शन जोड़ दिये हैं बाकी कागजों में लिखा हुआ है कि हरिजनों को लाइट दे दी है। यह मेरा चेलेन्ज है, एक भी घर में आदिवासियों के लाइट नहीं है। इस प्रकार के अधिकारियों के प्रति आप एक्शन लें चाहे वह कोई भी अधिकारी हो। सच्चाई से वे लाइट देना नहीं चाहते हैं। बहुत से अधिकारी ऐसे भी मिल जाते हैं जो ऐसा भी कह देते हैं कि इनको तो जरूरत है नहीं,

(श्री मानसिंह)

पीने के पानी की लाइन बिछाने की जो बात है, मैं कहूंगा, वहां नल की व्यवस्था नहीं है, न बिजली की व्यवस्था है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की स्कीम बनायी जाय कि आदिवासियों और हरिजनों की बस्ती में लाइट की व्यवस्था की जा सके। मेरा निवेदन है कि कम से कम विधायकों का तो ध्यान रखें, बिजली बोर्ड। किसी गांव में जाओ, यही बात है। माइक हो तो माइक का बटन बन्द रखेंगे, बोल नहीं सकते। इस प्रकार की हालत है। मेरा यह अनुरोध है कि जन जाति के क्षेत्र के अन्दर 40-42 पर्सेन्ट बिजली गांवों तक पहुंच जावे। मेरा यही अनुरोध है कि आने वाले समय में आदिवासियो के गांवों के अन्दर विकास करें और बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करें। यही मेरा मंत्रीजी से, सरकार से और बिजली बोर्ड के ज्यादातर अधिकारियों से अनुरोध है कि इस प्रकार आदिवासियों के क्षेत्र के अन्दर दया के साथ काम करें। यही मेरा निवेदन है।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरलाल।

(व्यवधान)

मैं समय दे दूंगा, धैर्य रखें। पांच-पांच मिनट, माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वरलाल यादव (नावां) : अध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी व मांग देशव्यापी है न कि किसी एक प्रान्त की है। मेरा निवेदन करना यह है कि पांच सौ करोड़ का संकल्प लाये हैं, मैं तो यही समझता हूं कि पांच सौ करोड़ की जगह पांच हजार करोड़ का बिजली के लिए संकल्प पेश करें, इसकी मंजूरी लें तो बहुत खुशी की बात होगी। इसके लिए बुजुर्गों ने कहा भी है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। अगर आप एक ही टाइम में बिजली की मांग को पूरा कर देंगे पूरे देश के अन्दर, तो मैं समझता हूं कि न तो आपके सामने अकाल की समस्या रहेगी, न बेरोजगारी की समस्या रहेगी, न कोई किसी तरह की समस्या रहेगी। आज हमारे जो भी छोरे पढ़ लिखकर आते हैं, उनको नौकरी मिलती नहीं है। कुओं पर बिजली नहीं मिलती है तो वह क्या करेंगे? स्वयं या तो चुनाव लड़ें या उल्टी सीधी दादागिरी करें। दादागिरी सीखें चुनाव से। मेरा एक ही विचार है कि हमें जरूरत के मुताबिक बिजली दे देनी पड़ जायेंगी तो चुनाव में आगे आ जायेंगे और फिर हमारी कुर्सी हिलायेंगे।

(व्यवधान)

हमारी हिलायेंगे तो देख लो।

श्री माधूसिंह : आप तो बैराठ में भेज देना चुनाव लड़ने।

श्री रामेश्वरलाल यादव : सबसे पहले मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी, स्वास्थ्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी जो पिछले साल मेरे क्षेत्र में गए थे और हमारे किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने वहां 132

(श्री रामेश्वरलाल यादव)

के. वी. के स्टेशन की पब्लिक मीटिंग में घोषणा की थी, आज उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आज वह बिजली का स्टेशन बन कर तैयार है। हमारी जो एक कमी थी वह तो उन्होंने पूरी कर दी। दूसरी जो कमी है वह यह है, सन् 80 से करीबन तीन हजार एप्लीकेशन पैंडिंग हैं। डेढ़ सौ तो इस साल में पूरी हुई हैं और सौ एप्लीकेशन पिछले साल में, इस प्रकार से यह करीब ढाई सौ एप्लीकेशन हुई हैं और तीन हजार के करीब एप्लीकेशन पैंडिंग आज हैं। मैं समझता हूं कि प्राथमिकता के हिसाब से इन किसानों, जिन्होंने डिमाण्ड की है, को बिजली दी जाय तो फैमिन में क्या और क्या और सारी बातों में इन किसानों को अपने पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी।

अब एक 132 के. वी. के स्टेशन के साथ 33 के. वी. के स्टेशन को जो मेरे इलाके की कमी बेशी की बात है उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 33 के. वी. का स्टेशन निगम द्वारा पिछले साल मींडा गांव में मंजूर हुआ था मगर मेरे ध्यान में आया है कि बिजली बोर्ड ने इस साल उस स्टेशन को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करके बोरावड़, जो एक इण्डस्ट्रियल एरिया है, जो कोई एग्रीकल्चर पोटेंशियल एरिया नहीं है, में उस 33 के.वी. के स्टेशन की मंजूरी दी है। मींडा को कैंसिल किया है। तो मैं मेरे क्षेत्र की ओर से, किसानों की ओर से राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि 33 के. वी. का स्टेशन जो मींडा में निगम द्वारा सैंक्शन हुआ था, जिसमें बोर्ड की भी रकम नहीं लगती है, निगम का पैसा लगता है वह इस साल पूरा हो। एक बात तो यह है।

दूसरी बात, कुचामन से चीतावा के बीच में एक पांचवां बड़ा गांव पड़ता है, करीब चार सौ कुएं उस एक ही गांव में हैं, वहां मैन लाइन के ऊपर ही 33 के. वी. का स्टेशन प्रपोज्ड है। बिजली बोर्ड के जो टेक्नीशियन हैं, सर्वे वाले हैं, उन्होंने प्रपोज कर रखा है। अफसोस की बात है, बोर्ड का खर्चा नहीं लग रहा है फिर भी कोई बड़ा स्टेशन वहां नहीं खुल रहा है। मैं तो यह समझता हूं कि मेरे यहां 132 के. वी. का स्टेशन हो गया, 33 के. वी. का स्टेशन भी उस पांचवां बड़ा गांव में हो जावे तो किसानों को जो बिजली के डिस्ट्रिब्यूशन में तकलीफ आती है वह नहीं आये।

दूसरा, मैं इन अधिकारियों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि यह बिजली बोर्ड के हित की बात नहीं करते हैं। बिजली बोर्ड की स्कीम गांवों में सैंक्शन हो गयी, वहां सिर्फ खम्भे खड़े हैं, गांवों में किसी को बिजली दी नहीं। बिजली नहीं दी तो रिटर्न मिलेगा नहीं। रिटर्न नहीं मिलेगा तो पैसा कहां से आयेगा? तो बोर्ड के हित की बात यह है कि जिस गांव को इलेक्ट्रिफाइड घोषित करें उस गांव में कम से कम पांच या दस जो भी कनेक्शन हों, दें तो बोर्ड को कुछ रिटर्न तो मिले। ऐसे ही मेरे गांव

(श्री रामेश्वरलाल यादव)

घोसला और कुणी में पिछले साल से ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, लाइनें खिची हुई हैं मगर किसी आदमी को न तो डोमेस्टिक कनेक्शन दिया है, न एग्रीकल्चर का कनेक्शन दिया है। ऐसी परिस्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो बिजली बोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रिफाइड घोषित हो जाते हैं वह किस क्राइटेरिया से घोषित करते हैं, उसका बेनीफिट तो गांव के आदमी को मिलता नहीं है। गांव के आदमियों को उसका बेनीफिट मिले, यही मैं कहता हूं कि जो इलेक्ट्रिफाइड हैं उनको कनेक्शन दिये जावें। पिछले साल राज्य सरकार ने इसी हाउस में घोषणा की थी कि डिमाण्ड नोटिस के पिछले साल से जिनके पैसे जमा हैं उनको इस साल इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जायेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इलाके में ऐसे ढाई सौ लोग हैं जिनके डिमाण्ड नोटिस के पैसे पिछले साल के जमा थे, फेज प्रोग्राम में करीब सौ कनेक्शन आज भी पिछले साल के पैंडिंग हैं। एप्लीकेशन्स करीब तीन हजार पड़ी हुई हैं, वह तो पड़ी हुई हैं परन्तु सौ कनेक्शन पिछले साल के आज भी पैंडिग हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से खास तौर से निवेदन करूंगा कि इन कनेक्शनों को प्राथमिकता देकर इस साल पूरा करवावें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वरलाल यादव : बड़े काश्तकारों के लिए एक रिक्वेस्ट है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी अभाव अभियोग सभी तरह के....

श्री रामेश्वरलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। एक मिनट में मैं कुछ कह दूं।

ऐसा है, हरेक क्षेत्र में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। अभाव-अभियोगों का जिक्र यहां पर होता है लेकिन इसके बारे में उत्तर प्राप्त हो सकेगा नहीं, क्योंकि समय का अभाव है। यह चर्चा उठाई है, एक सीमित उद्देश्य से उठाई गई है इसलिए मूल सिद्धान्त रूप से कुछ बातें आवें। जैसे कनेक्शन देने हैं, तो कनेक्शन देने की बात है वह सब तरफ से आ सकती है कि इतने लोग कनेक्शन लेने को तैयार हैं, इतने अर्से से सिक्योरिटी जमा है। लाइनों के बारे में, वोल्टेज के बारे में, कृषि का आगे मौसम आ रहा है, कितने घण्टे बिजली दी जा सकेगी, इन बातों पर ज्यादा अपनी चर्चा का जोर होना चाहिए, ताकि उसका उत्तर मिल सके।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इसके अलावा एक बात और है। एक तरफ तो अपन बात करते हैं कि बिजली की जगह जगह मांग है, बिजली दी जाय। दूसरी तरफ केवल बोर्ड की और इंजीनियर्स की आलोचनायें होती हैं। यह बात मैं नहीं कहता और यह बात कहीं भी नहीं हो सकती कि सभी के सभी कर्म-

(श्री अध्यक्ष)

भारी हैं वे अच्छे ही हैं। यह बात भी नहीं है। लेकिन यह बात तो अपन मान कर चलते हैं कि बिजली विभाग, बिजली बोर्ड की पिछले बीस सालों में बड़ी भारी उपलब्धि रही है। लोग इतना चाहते हैं कि बिजली हमारे सभी जगह दी जावे। तो इन सब बातों का सतुलन बैठा कर अगर कोई चर्चा होती है तो जो इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे इंजीनियर हैं, उनका भी हौसला बढ़ता है। एक तरफ अपन मांग करते हैं कि बिजली जरूरी है, आधुनिकता की प्रतीक है, इतना बिजली का दखल हुआ है लेकिन साथ में यह बातें कहें नहीं कि इनकी उपलब्धि है तो वह भी एक डिबेट में कमी हो जाती है। तो यह कुछ बातें मैंने आपकी सेवा में निवेदन कीं। कृपया अन्य माननीय सदस्य जब इस वार्ता में, इस चर्चा में हिस्सा लें तो इन मुद्दों को भी जरूर छुएं। समय काफी हो गया है।

श्री रामेश्वरलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, यह चुनाव का साल है। आप छोटे काश्तकारों को, शिड्यूल्ड कास्ट को और फौजो को बिजली देते हैं। बड़े काश्तकारों का मतलब है कि जिस किसी काश्तकार के पास दो सौ बीघा या डेढ़ सौ बीघा जमीन हो उसको आप बड़ा काश्तकार मानते हैं। उसको बिजली देने का कहीं प्रावधान नहीं है। तो बड़े काश्तकार तो बहुत कम होंगे। मैंने कोई खास पर्टीकूलर मामले की बात नहीं कही, मेहरबानी करके कम से कम आप इस साल के पहले की जो पैंडिंग एप्लीकेशन्स हैं उनको डिस्पोज आफ कर दो ताकि वह भी यह नहीं सोचें कि हम छोटे काश्तकार हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि छोटे काश्तकार हमें बनना पड़ता है। मेरी रिक्वेस्ट यह है कि छोटे और बड़े काश्तकार का जो भेद है वह समाप्त कर दें। शिड्यूल्ड कास्ट को आप जरूर प्राथमिकता के आधार पर बिजली दे दो। छोटे-बड़े काश्तकार के भेदभाव में जिसके पास सौ-दो-सौ बीघा जमीन है उसको तो कनेक्शन मिलेगा नहीं।

एक निवेदन और करूं, यह जो आप कनेक्शन बांटते हैं, किसानों को मान लीजिये, एक पंचायत समिति में 100 कनेक्शन देने हैं तो उसके लिए पंचायत समिति लेवल पर बी. डी. ओ., प्रधान, ए. ई. एन. एक्स. ई. एन. या और कोई, जिसको उचित समझें, की एक कमेटी बना कर निर्देश दें कि इस पंचायत समिति में इतने कनेक्शन देने हैं कौन-कौन से गांवों को प्राथमिकता देनी है ईयर मार्क करके उसकी लिस्ट लगा दें तो....

श्री अध्यक्ष : जैसे टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी होती है उसी हिसाब से।

श्री रामेश्वरलाल यादव : उसी हिसाब से कमेटी बनावें जिससे किसानों को यह तो नहीं हो कि दो रुपये ज्यादा ले लो, हमें पहले कनेक्शन दे दो। हमारे पास तो रोज आते हैं कि किसी भी प्रकार हमें तो कनेक्शन दिलवा ही दो, कैसे भी करवा दो।

(श्री रामेश्वरलाल यादव)

एक बात श्री रामरघुनाथ जी ने कही वह भाषी कह दी। दो फक्शन हुए थे मकराना में। एक जिसमें देवपुरा जी पधारे थे वहां तो एक करोड़पति के यहां फंक्शन था, उसको तो आउटराइटली कनेक्शन दे दिया। एक्स. ई. एन., ए. ई. एन. भी मौजूद थे तो उसको तो आउटराइटली कनेक्शन देकर उद्घाटन किया। दूसरी फैक्टरी एक शिड्यूल्ड कास्ट वाले की थी जिसका उद्घाटन करने के लिये विदेश राज्य मंत्री आये थे। वहां मेरे ख्याल से न तो एक्स. ई. एन. थे, न ए. ई. एन. थे। यह सारी कहने की बात है कि एस. सी. को प्राथमिकता दे रहे हैं। खाली यों ही चिल्लाते हैं। उसने जेनरेटर चला कर अपनी फैक्टरी का उद्घाटन करवाया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा। जो मूल बातें हैं उनके बारे में कह दें। पांच मिनट का समय है।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही अपनी बात पूरी करूंगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा, इस समय अकाल का समय है जिसमें काश्तकारों को सिंचाई के लिए बिजली की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस समय जितना अधिक से अधिक प्रयास कर सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके जितने काश्तकारों की बिजली लगाने की एप्लीकेशंस हैं, जिन्होंने डिमाण्ड नोटिस दे दिये हैं, चाहे वे छोटे या बड़े काश्तकार हों, उन सब को कनेक्शन देने का कष्ट करें ताकि वे लोग अनाज का अधिक उत्पादन कर सकें और लोगों के खाने-पीने की समस्या मिटा सकें। मेरा निवेदन यह है कि जिन लोगों पर अकाल में बैन लगा रखा है उन सबको कनेक्शन दें। देंगे तो छोटे काश्तकारों को फायदा होगा। बड़े काश्तकारों की लाइनें लम्बी हैं लेकिन छोटे काश्तकार बीच में फंस जाते हैं। उसका डिमांड नोटिस का पैसा जमा है, उसको मदद मिलेगी।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जिन गांवों को आपने इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर दिया 81-82 में, उसके बाद आज तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया। केवल मात्र गांव तक खम्भे पहुंचा दिये। गांव में न कोई तार आया, न लाइन डाली जिसके कारण काश्तकारों की एप्लीकेशन पेंडिंग हैं और वह बिजली लेने में असमर्थ हैं। आज आपका प्रश्न के माध्यम से जवाब आया है कि जिला सवाई माधोपुर में गंगवाड़ा ग्राम पंचायत, सुनारी का मऊ, मुण्डेरा जो चार-पांच गांव हैं उनको 81-82 और 82-83 में इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर दिया। उनमें अभी तक लाइन नहीं गई है। इसलिए आप विभाग को चेतावनी दें कि इस प्रकार के झूठे आंकड़े देकर सरकार को गुमराह न करें और काश्तकारों के साथ धोखाधड़ी न करें।

साथ ही, मेरा निवेदन है कि जिन

(श्री हंसराज शर्मा)

स्थानों पर इलेक्ट्रिफिकेशन करके लाइन डाली है वहां पोल कच्चे लगा दिये हैं। वह पोल नीचे गिर जाते हैं। वहां आप जो वायरिंग करते हैं वह वायर नीचे गिर जाते हैं उसे काश्तकार और दूसरे लोग काट-काट कर ले जाते हैं। हजारों मीटर वायर चला जाता है और लाइन आपकी पैंडिंग रह जाती है। इससे काश्तकारों को वहां कोई लाभ नहीं मिलता। एक मेरा निवेदन है, इस पर आप ध्यान देवें कि काश्तकारों को दिन में बिजली मिले। उससे यह फायदा होगा कि अकाल की वजह से जो कुओं में पानी गहराई में चला गया है उस कारण कुओं में पानी कम आयेगा, रात को उन्हें जब बिजली मिलेगी तो वह पानी का वेस्टेज अधिक करेंगे। इस वेस्टेज को बचाने के लिए काश्तकार को दिन में बिजली दी जाय, यही मेरा निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को आपने बिजली दी है जैसे, डी. आर. डी. के तहत हमारे इलाके में गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं, जहां गरीब लोग हैं वहां आपके विभाग से 3-4 पोल फ्री लेने के आदेश हैं, इसके लिये आपने लाखों रुपयों का बजट भी दिया है पर, मन्त्री महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिला सवाई माधोपुर में गत चार सालों में एक भी काश्तकार को इससे फायदा नहीं हुआ। इसलिए आप जांच करवायें कि इस प्रकार का अन्याय क्यों किया जा रहा है। इसके साथ ही मेरा दूसरा निवेदन यह है कि सवाई माधोपुर में मण्डराय क्षेत्र है जहां एक आदमी को कोन्ट्रैक्ट दे दिया लाइन बिछाने का, लाइन बिछाने के लिए उसने 80 हजार रुपये के वायर और सामान लेकर बाहर बेच दिया। उसके खिलाफ सरकार में रिपोर्ट भी की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस अधिकारी ने सामान दिया, ठेका दिया ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? जब तक उस केस का निपटारा नहीं होगा तब तक बिजली नहीं लगेगी क्या ? इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रकार की कमियां हैं उनको मद्दे-नजर रखते हुये सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें।

साथ ही साथ एक बात कह कर समाप्त करूंगा कि आपके विभाग ने काफी अरसे से राजस्थान में कैपेसीटर वाली परम्परा डाल रखी है। हजारों काश्तकारों के कनेक्शन इसलिए काट दिये गये कि उन्होंने कैपेसीटर का पैसा जमा नहीं करवाया। जब राजस्थान के लाखों काश्तकारों ने करोड़ों रुपया कैपेसीटर का जमा करा दिया तो आपने कैपेसीटर लगाये नहीं। आपने कहा था कि कम वोल्टेज आयेगा तो इसको लगाने से मोटरें भी जलने से बचेंगी इसलिये यह लगाना कम्पलसरी है। आज काश्तकार की मोटरें जल रही हैं, उनको नुकसान का पैसा नहीं दे रहे हैं और कैपेसीटर का पैसा लेकर आप खजाने में जमा कर रहे हो। आज की तारीख में लाखों कैपेसीटर का पैसा जमा होने के बावजूद कैपेसीटर नहीं लगा रहे हो। इसलिए कृपया कैपेसीटर लगाओ या दूसरी कम्पनी

(श्री हंसराज शर्मा)

का पास करो। दूसरी कम्पनी का, अध्यक्ष महोदय, इसलिये पास नहीं कर रहे हैं, मैं किसी पर चार्ज नहीं लगाना चाहता, इस विभाग के कुछ उच्च अधिकारियों, जो एक्स. ई. एन. रेंक, के हैं, की एक कम्पनी से सांठ-गांठ है। इसके कारण दूसरी एक भी कंपनी का कंपेसीटर पास नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जिस कम्पनी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं वह अगर बराबर प्रोडक्शन करे तो भी दस साल तक पूरे कंपेसीटर नहीं दे सकती। मैं चाहूंगा कि इस मामले की जांच करें। जिस अधिकारी का इसमें कमीशन बंधा हुआ है उसके खिलाफ एक्शन लें और काश्तकारों के कंपेसीटर लगावें। जब तक नहीं लगाते हैं तब तक उनका पैसा जमा होने के बावजूद कनेक्शन कटा रहता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करे।

श्री हंसराज शर्मा : इसके साथ ही एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि गरीबी की रेखा से नीचे वाले जिन लोगों को आपने चयनित किया, जिन शिक्षित लोगों को रोज-गार देने के लिए 5–10–20 हजार लोन दिया, उन लोगों ने बिजली की मोटर लगाने के लिए कनेक्शन की एप्लीकेशन दी, छोटे-छोटे उद्योगों के लिए मशीनें लगायीं, उनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिया। उन पर साल भर से ब्याज लग रहा है। डिमाण्ड नोटिस रिकवरी के प्रारम्भ हो गये। आपने कनेक्शन नहीं दिया और दुबारा उनको कर्जदार बना दिया। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें।

अकाल के समय में बिजली विभाग को सतर्क करें। मैं यह सुझाव देते हुए निवेदन करूंगा कि आपके विभाग में एक फ्लाइंग एक्वायड की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। आर्डर प्लीज ! श्री रतनलाल।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी ! कृपया समय का ध्यान रखें। समय पांच मिनट।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं जो राजस्थान के आम गांवों में रहने वाले किसान भाइयों और छोटे-छोटे उद्योग धन्धे से सम्बन्धित है।

सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्युत् हमारे पास उपलब्ध है उसका अधिकतम सदुपयोग कैसे हो, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। मैंने पिछले वर्ष भी निवेदन किया था, राजस्थान में लाइनों के लॉसेज और चोरी की मात्रा को रोका जाय तो राजस्थान में इस समस्या का काफी बड़ा समाधान हो सकता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विद्युत् मण्डल कभी ध्यान नहीं देता है। यद्यपि राजस्थान में पिछले 3-4 वर्षों में 700 मेगावाट विद्युत् का उत्पादन बढ़ा है और जिस प्रकार की योजनाएं और समझौते किये गये हैं उनसे आने वाले वर्षों

(श्री रतनलाल ताम्बी)

में और विद्युत् का उत्पादन बढ़ेगा। यह राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है।

मैं सबसे पूर्व यह निवेदन करना चाहूंगा, आर.ई.सी. की योजनाएं जितनी भी बनती हैं उन योजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया जाता है। कई वर्षों तक पूरी नहीं होती है जिससे लागत बढ़ जाती है और कई गांव बिजली के मामले में धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए मैं उर्जा मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में ऐसी व्यवस्था करें और नीति निर्धारित करें जिससे समय पर सारी व्यवस्था ठीक हो सके।

मैं इसके साथ उर्जा मंत्री महोदया को बधाई देना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में बिजली की व्यवस्था में काफी हद तक सुधार हुआ है। इसके साथ साथ और सुधार के लिए जिला स्तर पर एडवाइजरी कमेटी और पंचायत समिति स्तर पर एडवाइजरी कमेटी बनावें। उनकी तीन-तीन महीने में एक मीटिंग करके बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दे तो मैं समझता हूं आज जो जितनी समस्याएं आपके यहां तक पहुंचती हैं उन समस्याओं का निदान हो सकता है।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब नीति निर्धारित करते हैं, यह बात नहीं देखते हैं कि किस क्षेत्र में कितने समय से कितने कुओं की एप्लीकेशन्स पेन्डिग हैं और कितने कनेक्शन देने की बात कही जाती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उसमें जो योजना है उसमें कई गांव हैं। उसमें दूसरे पिछड़े वर्ग के भी कई गांव हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गत वर्ष मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 150 गांवों में बिजली थी पर चार कनेक्शन आपने मंजूर किये कृषि के लिये जबकि कृषि कनेक्शन के लिये एप्लीकेशन 250/300 के करीब थी। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह चार कनेक्शन को कहां कहां बांटा जायेगा इसको लेकर के एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।

इसके साथ साथ अव्यवस्थाएं बिजली लाइन की इतनी हैं कि गत वर्ष तीन आदमी बिजली के कारण मर गये थे। लाइन को ठीक करने के लिए आदमी नहीं पहुंचता है कई दिनों तक। उसको ठीक करने के लिए किसान स्वयं चढ़ा और वह मर गया। एक किसान कनेक्शन के लिए कई वर्षों तक फिर फिर कर थक गया। उसके आस-पास के गांवों को बिजली दे दी गयी और उसको नहीं मिली। उसकी प्रायोरिटी चेन्ज कर दी गयी। मैंने लिखित में भी दिया। विधान सभा में इसके बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। इसके कारण उसका हार्टफेल हो गया। तीसरा एक व्यक्ति बिजली की खराबी के कारण, फाल्ट के कारण मर गया। खलिहान में जैसे मशीन चला कर काम करते हैं, वह काम करने का प्रश्न था, वह बिजली के फाल्ट के कारण मर गया। इस तरह की स्थिति जहां कहीं भी हो, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा वहां सही व्यवस्था करें। गांवों में फाल्ट को ठीक करने वाले

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आदमियों की बहुत कमी है। गांवों में दूर दूर तक आदमी नहीं मिलते हैं इस कारण प्रायः लाइन खराब रहती है इसके साथ साथ यह भी मेरा निवेदन है कि आर.एस.ई.बी. में चार या तीन जे.ई.एन. होते हैं। ओ. एण्ड एम. में भी जे.ई.एन. होते हैं। सब के सब तहसील हैडक्वार्टर पर बैठे रहते हैं। मैं चाहूंगा कि इनका गांवों में विभाजन किया जाय। बड़े बड़े गांवों में सेंटर बना कर कुछ जे.ई.एन. के हैड क्वार्टर्स वहां कायम किये जायें ताकि समय पर कलेक्शन हो जाये और छोटी-मोटी समस्याएं जो आम तौर से सामने आती है, वह भी दूर हो जायें।

मैं इसके साथ अधिक निवेदन नहीं करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बोर्ड व्यवस्था में सुधार किया है, मैं चाहूंगा कि इस वर्ष गांवों में भी आप 8/10 घंटे बिजली की व्यवस्था कर नियमित करें। जिस प्रकार अधिक से अधिक इस बोर्ड को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, उसको और आगे बढ़ाने में इस सुझाव की ओर भी आप ध्यान दें।

इसके साथ साथ जो आज आर.ई.सी. की योजना कई गांवों की बनी है, कई गांवों की पेंडिंग है, कई गांवों की बनी हुई है लेकिन आज तक पूरी नहीं हो रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 44 गांवों में लगभग 33 गांव बाड़ा के हैं उन गांवों की योजना बनी हुई है, जो पिछले डेढ़ साल से चल रही है। इसको निश्चित रूप से स्वीकार करके लागू की जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ओ. एण्ड एम. में, आर.ई.सी. में, एक पंचायत समिति पूरी जहाजपुर और एक कोटड़ी पंचायत समिति की पंचायत है जिसके गत वर्ष बीस गांवों का विद्युतीकरण हुआ है. उन गांवों में लगभग 250 एप्लीकेशन्स किसानों की कनेक्शन के लिए पेंडिंग पड़ी हैं। मैं आपसे अपेक्षा और आशा करके चलना चाहूंगा कि इन किसानों में बहुत रोष है क्योंकि गत वर्ष केवल चार कनेक्शन दिये गये, बाकी एप्लीकेशन्स ज्यों की त्यों पड़ी रह गई। इस वर्ष फिर पेंडिंग पड़ी रहेंगी। जो गांव विद्युतीकृत हुए उनको कनेक्शन नहीं मिले, इतनी अव्यवस्था व्याप्त है। मैं निवेदन करूंगा कि अब आपने कनेक्शन की जो सीमाएं निर्धारित की हैं वह कम है। इसलिए विशाल हृदय, दृष्टिकोण रखकर और योजना बनाकर आप इस समस्या का समाधान करें। ताकि किसानों में व्याप्त असन्तोष दूर हो सकेगा।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स....

श्री अध्यक्ष : समय हो गया है माननीय सदस्य !

श्री रतनलाल ताम्बी : आधा मिनट।

शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के बारे में जैसी कि आपकी नीति रही है, इस वर्ष उनके जितने भी कनेक्शन पेंडिंग हैं उन सब को प्रायोरिटी से निपटावे की नीतिगत घोषणा करें। यह मैं अनुरोध करना चाहूंगा।

Page No 252

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसके साथ साथ जो संकल्प आपने 5 करोड़ की सीमा नियत करने का रखा है....

श्री अध्यक्ष : 500 करोड़ !

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं समझता हूं बहुत सुन्दर है। इसका मैं समर्थन करना चाहूंगा।

जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण डूडी !

श्री राम नारायण डूडी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, 250 करोड़ से 500 करोड़ की ऋण सीमा बढ़ाने के लिए जो संकल्प सदन में पेश किया गया है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से बिजली के लिए जितना भी बजट आवश्यक हो, दिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय, यह है, जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं यों तो हण्ड्रेड परसेन्ट इलेक्ट्रीफाइड एरिया है मगर सबसे बड़ी दुविधा मेरे साथ है हण्ड्रेड परसेंट इलेक्ट्रिफाइड एरिया होने के बावजूद आज समस्या यह है कि कृषि कनेक्शन के लिए डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए पिछले तीन साल से लोग लगातार निराश होते आ रहे हैं। हमारे जोधपुर जिले के अन्दर यह सब से ज्यादा पोटेन्शियल एरिया डे बाय डे होता जा रहा है। जहां कुओं की संख्या बढ़ रही है, वहां बिलाड़ा क्षेत्र है, मगर केवल पंचायत समितिवार कुओं के कनेक्शन दिये जाते हैं, उनका जो विभाजन होता है। वह केवल 20/20 कनेक्शन का होता है अध्यक्ष महोदय, जहां 1500 एप्लीकेशन आज तक पेंडिंग है वहां यदि 30 कनेक्शन दिये जायें तो इसका अर्थ लगा लीजिए कि 50 साल में भी कुओं का विद्युतीकरण नहीं होगा। मेरा निवेदन है इसके लिए मैंने मुख्य मंत्री महोदय से बात की, हमारे जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री जी से निवेदन किया, मगर फिर भी कनक्शन 30 ही रहे। मेरा निवेदन है कि लोगों की डिमाण्ड को देखते हुए इसकी संख्या बढ़ायी जाय। हम अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि आर. ई. सी. स्कीम खत्म हो गयी है। हमारे आर. ई. सी. में करीब 600 कनेक्शन थे वह कनेक्शन उन्होंने लेप्स कराये। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लेप्स हुए। इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है। कहते हैं कि स्कीम बनायी जायेगी। न जाने यह स्कीम कब बनेगी या नहीं बनेगी और कब पास होगी, मगर आज किसान को जो विद्युत् कनेक्शन की कुओं के लिए आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा यह निवेदन है, मैं अधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे वहां 132 के. वी. का सब-स्टेशन खोला गया है। वह 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयती पर स्टार्ट होना था मगर किसी कारणवश वह स्टार्ट नहीं हो सका। मैं निवेदन करूंगा, किसानों की समस्या को देखते हुए, वोल्टेज को रेगुलराइज करने की दृष्टि से जो करीब थोड़े से सामान की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया है, यदि वह 15/20

(श्री राम नारायण डूडी)

दिन के अन्दर तैयार हो जाता है तो मेरे क्षेत्र में काफी समस्या वोल्टेज की साल्व हो जायेगी।

दूसरा मेरा निवेदन सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात की मांग की कि किसान को कम से कम 10 या 15 घंटे बिजली दी जाय। मैं यह निवेदन करूंगा आज अकाल के हालत के अन्दर किसान के पास कुए के अलावा और कोई चारा नहीं इसलिए इन्हें 15 घंटे बिजली दी जाय। मैं यह नहीं कहता कि कब दी जाय, दिन को दी जाय, या रात को दी जाय, काश्तकार यह चाहता है कि उन्हें बिजली मिलनी चाहिए। आज कपास सीजन है, उसमें बिजली की कमी के कारण दिक्कतें आ रही हैं। किसान की कपास पक रही है, उसके अन्दर किसान को पानी खेतों में अब भी देना पड़ रहा है। यदि बिजली कम से कम 15 घंटे इस महीने के अन्दर नहीं दी जाती है तो मान लीजिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज दो लाख रुपये कुएं पर काश्तकार के खर्च होते हैं, एक ट्यूब वेल पर एक लाख रुपया खर्च होता है। यदि 5 या 10 घंटे के हिसाब से उन रुपयों का केलकूलेशन करें तो मैं यह निवेदन करता हूं कि लाख-दो लाख का जो ब्याज लगता है उस ब्याज का चुकारा भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, हमारी जमीनें कुर्क हो रही हैं केवल बिजली की कमी के करण, इसलिए मैं यह चाहूंगा अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्री महोदय कम से कम अभी सीजन के अन्दर 15 घंटे बिजली काश्तकार को दें। यह सरकार के लिए लाजमी भी है, उसका नैतिक कर्तव्य भी है और काश्तकार का हक है कि उसने इन्वेस्टमेन्ट किया है अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, अपनी फसल उगाने के लिए लेकिन जब उसको बिजली मिलेगी तभी वह अपने इन्वेस्टमेन्ट का रिटर्न ले सकेगा और अपने विकास कार्य को बढ़ा पायेगा।

दूसरा निवेदन मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह है कि....

श्री अध्यक्ष : समय हो गया।

श्री रामनारायण डूडी : मैं केवल एक मिनट में समाप्त करना चाहता हूं।

जोधपुर के अन्दर एक बहुत बड़ा सम्भाग है, चीफ इन्जीनियर का मुख्यालय है। मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस चीफ इन्जीनियर के पास किस प्रकार के अधिकार हैं। सारे अधिकार जयपुर के अन्दर हैं। यदि एक ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है तो जोधपुर से गाड़ी को ट्रांसफार्मर लेने के लिए जयपुर में आना पड़ता है। सारा सामान यहां से लिया जाता है। एक ट्रांसफार्मर यदि जल जाय तो उसको रिपेयर के लिए यहां भेजना पड़ता है। मेरा निवेदन यह है कि जोधपुर के अन्दर ट्रांसफार्मर रिपेयर करने का एक वर्कशाप खोला जाय। जोधपुर, पाली, सिरोही,

Page No 254

(श्री रामनारायण डूडी)

बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर जितना जो भी नान इलेक्ट्रिफाइड एरिया है उसके इलेक्ट्रिफाइड होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है इसलिए वहां सामान को भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप यदि वहां कर दें तो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण समाप्त हुआ। कृपया ! आर्डर, आर्डर।

श्री मुराद खां !

श्री मुराद खां : अध्यक्ष महोदय, बिजली के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने कहीं पर बिजली ज्यादा दिये जाने की सिफारिश की है किसानों को, कहीं दिन में दिये जाने की और कहीं कनेक्शनों में सुविधा दिये जाने की बात कही है, उसमें मैं खुद को, अपने आपको शरीक करता हूं। मेरे जो सुझाव हैं, उनको मैं आपकी सेवा में पेश करता हूं। पहली बात तो यह है कि जिस तरह के राजस्थान में सरकार ने विकास के योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम बना रखे हैं उस तरह का कार्यक्रम बिजली विभाग से मुझे अब तक नहीं मिला है। मैंने अपने जे. ई. एन. से लेकर श्रीमान् चीफ इन्जीनियर तक काफी भाग दौड़ की है लेकिन मुझे अब तक यह नहीं बताया गया कि स्कीम जो बनती है विद्युतीकरण की वह किस आधार पर बनती है। जैसे कि कामां तहसील में 1980 से अब तक मेरी जानकारी में एक भी गांव को बिजली नहीं दी गयी है जब कि वहां बिजली का जो प्रतिशत है वह भी काफी कम है। इस तरह से मुझे मालूम हुआ कि आर. एस. ई. बी. की स्कीम तहसीलवाइज सैंक्शन होती है या पंचायत समिति वाइज सैंक्शन होती है। मेरे नगर में 29 पचायतों को इसी के तहत स्वीकृत कर दिया गया है और 11 पंचायतों को छोड़ दिया गया है, न वहां पंचायत समिति कामां बनती है, न नगर बनती है। मैं समझता हूं, पिछले 10 साल से उनमें से किसी गांव को इलेक्ट्रिफाइड नहीं किया गया है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिन गांवों को विद्युतीकरण स्कीम में लिया गया है, जिनको बिजली दी गयी है, पंचायत समिति नगर में गत वर्ष 20 गांवों को बिजली दी गई है। वे वह गांव हैं जिनमें कृषि के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि 20 गांव के अन्दर एक एप्लीकेशन कनेक्शन के लिए आयी है। जहां पर बिजली बोर्ड ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, उसका फायदा किसानों को नहीं मिल पाया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिजली उन गांवों को दी जाय जिन गांवों में कृषि योग्य पानी उपलब्ध है।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जिन गांवों के पास से बिजली की लाइन गुजर गयी है वह गांव बिजली से वंचित हैं। अगर वहां के किसान उसका उपयोग करना चाहें तो मैं निवेदन करूंगा कि उन गांवों को स्वीकृत मान लिया जाय और उनको बिजली दे दी जाय।

तीसरा, मेरा निवेदन है कि जिस गांव से चारों तरफ बिजली दी जा चुकी है और

(श्री मुराद खां)

बीच में एक किलोमीटर, दो किलोमीटर के फासले में कोई गांव रह गया है तो उसे स्वीकृत मान कर कनेक्शन दे दिया जाय।

इसके साथ ही जो गत वर्ष मेरे इलाके में जो बिजली की सप्लाई हुई है उससे मैं सन्तुष्ट हूं। हरियाणा प्रदेश, जो हम से लगा हुआ है, की हालत काफी खस्ता रही है और हमारे किसानों को सही बिजली दी गयी है। यह तो सही है कि सीमित साधन हैं बिजली पैदा करने के, और आवश्यकता ज्यादा है, इसलिए जिस तरह से बिजली दी गई है उससे मैं सन्तुष्ट हूं। मेरा निवेदन यह है कि बिजली की स्कीम बनायी जाय और जिन क्षेत्रों में कम बिजली दी गयी है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले उनको ज्यादा बिजली दी जाय।

धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल !

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले विद्युत मन्त्री का धन्यवाद करूं कि ठीक समय पर आवश्यकता को अनुभव करके 62 करोड़ रुपये की योजना विद्युत के सम्बन्ध में पेश की है। यह इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, और इसलिए भी कि इनको अनुभव है यह एक काश्तकार परिवार से हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की ओर साथ ही जालोर की विद्युत की जो आवश्यकता है....

श्री अध्यक्ष : आम समस्याओं के बारे में कहिये। एक-एक क्षेत्र के बारे में मंत्री महोदया कोई उत्तर नहीं दे सकेंगी, इसलिए सदन का समय भी जायेगा। कुछ मुद्दे की जो बातें हैं उनके बारे में आप कहिये।

श्री मांगीलाल आर्य : इसलिए मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जालोर जिला से आप परिचित हैं आप जानते हैं कृषि के क्षेत्र में जालोर जिला राजस्थान के अन्दर एक अपना स्थान रखता है। राजस्थान के अन्दर पूरा राजस्थान क्रूड आयल की खपत में एक तरफ है और जालोर जिला क्रूड आयल की खपत में एक तरफ है। इतना अच्छा जिस जिले के अन्दर कृषि का उत्पादन हो उसके अन्दर ज्यादातर काश्तकार बिजली से महरूम हैं। काश्तकार को बिजली नहीं मिलने के कारण, जो क्रूड आयल का उनके ऊपर खर्चा, बोझा आता है वह गरीब काश्तकार के लिए बहुत असहनीय है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जालोर की ओर विशेष तौर से ध्यान दें। वहां के काश्तकारों की कनेक्शन की हजारों एप्लीकेशन्स हैं, मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है, वह पेण्डिंग पड़ी हैं। अभी जालोर जिले की बात मैं आपसे निवेदन करूं कि जालोर पंचायत समिति में केवल 50 कनेक्शन इस वक्त सैंक्शन किए हैं जो बहुत ही कम हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस तरफ ध्यान दें और जालोर पंचायत समिति को विशेष कनेक्शन दें।

(श्री मांगीलाल आर्य)

विद्युत के सम्बन्ध में मैं विशेष तौर से निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में जो पहले से विद्युतीकृत गांव हैं उनके अन्दर जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियां हैं उन बस्तियों को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है। मैंने इसकी एक सूची भी मंत्री महोदय को और सम्बन्धित अधिकारियों को पेश की है। मैं यह चाहूंगा कि जो ग्राम विद्युतीकृत हैं उस गांव के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जो बस्तियां हैं, जो इस सुविधा से वंचित रह गये हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर जो साधन उपलब्ध कराने हैं वह करवा कर उनको विद्युतीकृत करें।

अध्यक्ष महोदय, कई जगह गांवों के अन्दर खम्भे पड़े हैं, वायर नहीं हैं, कई जगह खम्भे ही नहीं पहुंचे। इस प्रकार की अव्यवस्था है. जो भी गांव विद्युतीकृत हो, मेरा विशेष आग्रह और निवेदन है कि जिस तरह हमारी सरकार का कार्यक्रम है, पार्टी की नीति है और सरकार की योजना है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को प्राथमिकता दी जाय तदनुसार उसकी क्रियान्विति भी सम्बन्धित अधिकारी करें। जहां जहां जो गांव विद्युतीकृत हैं और इस तरह की सुविधा वहां पर नहीं है उनको प्राथमिकता देकर यह सुविधा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद ! ये अन्तिम वक्ता होंगे।

(व्यवधान)

श्री देवदत्त तिवाड़ी : दो मिनट का समय मुझे दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं भी कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले तो पांच बजे ही सत्रावसान की बात कर रहे थे। मैंने आग्रह किया तब आपने कृपा की समय बढ़ाने को। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि काफी चर्चा हो चुकी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे भी बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष : और जो मुख्य मुद्दे थे वे सभी आ चुके हैं। माननीय सदस्यों की अपने अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या हो सकती है लेकिन इसके लिए मंत्री महोदय वर्तमान में उत्तर देने को तैयारी नहीं हो सकती है। जो मुख्य मुद्दे थे वे आ गये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कहा था कि मैं आपका ध्यान रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज ! आप काफी बोल चुकी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस विषय पर बोलना चाहूंगी, दो ही मिनट बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : नयी बात हो तो मैं माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा। एक दो मिनट में अपनी बात कह दें लेकिन पुनरा-

(श्री अध्यक्ष)

वृत्ति नहीं हो। अगर होती है तो वापस ले लूंगा।

श्री महावीर प्रसाद। समय पांच मिनट।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिजली विभाग को कि टोंक जिले में 24 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य था और प्रयत्न करके 132 जी एस एस का जो लगाना था उसको युद्ध स्तर पर पूरा किया लेकिन 6 पंचवर्षीय योजना काल में चार 132 जी एस एस बनाने थे, एक बनेठा, एक देवली, एक मालपुरा में उन तीनों की कोई प्रगति नहीं हुई है। उनका कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही गयी थी कि 6 पंचवर्षीय योजनाकाल में इन चारों को पूरा कर लिया जायेगा। यदि चारों को पूरा कर दिया जाता तो....

श्री अध्यक्ष: सराहना को शर्त है।

श्री परसराम मदेरणा : वह कब बना है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसी साल का है।

श्री परसराम मदेरणा : एक तो युद्ध स्तर पर बन रहा था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह बन गया है। उसके कारण ही दो आर. ई. सी. स्कीम वहां पर पास हुयी है। इसलिए मैंने धन्यवाद दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय को इच्छा भी बहुत अर्से से पूरी हुई है।

सवाल यह है कि 1982 में आर.ई. सी. की दो स्कीम पंचायत समिति, टोंक में पूरी हुई हैं और 1983 जुलाई में 33 के. वी. का सब स्टेशन चिराना में बनना था। लेकिन उसका काम आज तक प्रारम्भ ही नहीं हुआ। उस 33के.वी. की लाइन के बीच में आने वाले कई गांव ऐसे हैं जहां पर वाटर पोटें-शियल इतना है कि 400 गांवों को पानी मिल जाये। अकेले कुराड़ा, कुरेडी में है, किशनपुरा में है, भाकरोटियां में है, झोटवाडी में है, किशनपुरा में है। लेकिन इन गांवों को स्वीकृति नहीं दी है। मैं यह ठीक नहीं समझता हूं कि जहां होकर बिजली की लाइन जाय वहां गांव स्वीकृत नहीं हो। इसके कारण गांव के लोगों में बहुत रोष है। वहां के आदमी यहां तक आंदोलनात्मक हैं कि जब यहां से लाइन खींची जायेगी तो लोगों का घेराव कर लेंगे।

एक मेरा निवेदन यह है कि फोर्ट पोल लगे हुए हैं, नादेड़ी में लगा हुआ है, पीपलू मालपुर में फोर्ट पोल लगे हुए हैं। नादेड़ी में हैं और नादेड़ी गांव को ही इलेक्ट्रिफाई नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : अभाव अभियोग के बारे में पूर्व में कहा कि कोई उत्तर नहीं आ सकेगा। इसलिए सदन का समय व्यर्थ जायेगा। कोई नीति सम्बन्धी मामला सामने रखते हैं तो कोई बात हो सकती है।

(7.54 रात्रि)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पदासीन)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जहां फोर्ट पोल ये लगे हुए है जैसे दूदिया कुरेडा की ओर वहां पर दो पोल लगने से इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है । इसलिए ऐसे गांव जहां पर दो चार पोलों से या एक दो पोल लगने से ही गांव को इलेक्ट्रिफाई किया जा सकता है और 10–20 पंचायत में कनेक्शन हो सकते हैं को सिद्धांततः इलेक्ट्रिफाई किया जाना चाहिए । कई बार उनको छोड़ दिया जाता है इसलिए उनको इलेक्ट्रिफाई करना चाहिए, यही मेरा निवेदन करना है इस सम्बन्ध में । साथ ही जहां पर से लाइन होकर जा रही है उन गांवों में भी विद्युतीकरण करना चाहिए ।

अभी किसानों को दो घंटे बिजली दी जाती है अब किसानों की आवश्यकता शुरू हो गयी है । अगर आपने अभी से सप्लाई को ठीक नहीं किया तो आगे आन्दोलन की स्थिति खड़ी हो सकती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से स्थिति ठीक करी है काफी प्रयास करने के बाद, अगर कुछ और प्रयास करें तो काफी अच्छी स्थिति में राजस्थान आ सकता है । आवश्यकता यह है कि उनका मानिटरिंग करें । जो व्यक्ति जहां लगाया जाता है हैड क्वाटर पर वहां पर जे. ई. एन. और ए. ई. एन. को रहना चाहिए । लाइनमैन को रहना चाहिए । उनके नहीं रहने से लोगों के मीटर जल जाते हैं, लोगों के फ्यूज उड़ जाते हैं दो चार दिन तक किसान को मोटर पर बिजली नहीं आती है । बिजली नहीं मिलने से किसान के खेत सूख जाते हैं । डिपार्टमेंट की लापरवाही से ऐसा होता है । यही कारण है कि इन लोगों, जिनका हैड क्वार्टर वहां पर है, को वहीं पर रहना चाहिए । यह मैं चाहता हूं ।

श्री सभापति : समाप्त करें, कृपया समाप्त करें ! माननीय सदस्य ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिजली की दुर्घटनाओं में जानवरों की मृत्यु हो जाती है मनुष्यों की हो जाती है, डिपार्टमेंट के व्यक्ति मर जाते हैं । जो डिपार्टमेंट के मरते हैं उनके परिवार को तो कम्पेन्सेशन मिलता है लेकिन इन्सूलेटर नहीं लगाने की वजह से तार में करन्ट पास हो जाता है जिससे जनता के लोग मरते हैं, जिस प्रकार से पशु मरते हैं । उनके परिवार को कम्पेन्सेशन डिपार्टमेंट को देना चाहिए, यह मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं, पर कम्पेन्सेशन नहीं दिया जा रहा है । पिछली बार माननीय विधि मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि ऐसे लोगों को कम्पेन्सेशन दिया जायेगा लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री सभापति : पांच मिनट पूरे हो गये हैं । पांच मिनट का समय समाप्त हो गया है । यह तो व्यवस्था बहुत पहले हो गई है, अध्यक्ष महोदय की ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक छोटी सी बात है, डिपार्टमेंट के पास सर्विस मीटर और सामान नहीं होने से छोटे छोटे जो लाइट कनेक्शन हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन वे

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

नहीं हो पाते हैं। पांच सात साल और लम्बी अवधि से एप्लीकेशन चली आती है दो तीन साल डिमाण्ड नोट जमा किये हुए जाते हैं, कनेक्शन नहीं होते हैं, इसलिए प्रायोरिटी के आधार पर सामान दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री भूपाल सिंह।

श्री भूपाल सिंह : मेरे से पूर्व वक्ता ने काफी सुझाव दिये हैं। मैं तो मूल बात अर्ज कर रहा हूं कि बिजली की कमी कैसे दूर हो। सरकार ने एक नियम बनाया कि जो अपने जनरेटर से बिजली पैदा करेगा उसको 50 प्रतिशत का अनुदान सरकार देगी। छोटा किसान या छोटी मशीनरी चलाने वाला या छोटा कारखानेदार इससे बिजली पैदा करके अपना काम नहीं चला सकता है इसलिए उसको सरकार ने पैसा नहीं दिया या उसने नहीं लिया। बड़े कारखानेदारों ने करोड़ों रुपया सहकार से लिया है, इन्होंने जनरेटर लगा रखा है लेकिन जनरेटर से काम नहीं लेकर सरकार की बिजली काम में लेते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिनको जनरेटर की एड दी गयी है उनकी बिजली बंद की जाय जिससे यह सारी समस्या हल हो जाय। बस यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, इसी महीने में समाचार-पत्रों में दो तरह के समाचार पढ़ने को मिले। एक तो यह कि नार्दन ग्रिड में भारी बिजली संकट होने की उम्मीद है। दूसर यह भी सुखद समाचार सुनने को मिला कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह वक्तव्य दिया गया कि इस वर्ष के समाप्त होने तक 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत वक्तव्य मेरे को लगे। क्योंकि सभापति महोदय, आज जो स्थिति है....

(व्यवधान)

दो तरह के वक्तव्य आये, एक तो समाचार-पत्रों में, राष्ट्रीय समाचार-पत्रों के समाचारों में इस तरह का समाचार आया....

श्री परसराम मदेरणा। मुख्य मंत्री जी का....

श्री यदुनाथ सिंह : जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा कोई स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी का मैंने तो नहीं पढ़ा। मैं सभी अखबारों को पढ़ता हूं।

श्री सभापति : अपनी बात कहिये।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं पढ़वा दूंगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं। पढ़वा दूंगा, मैंने खुद पढ़ा है। सब अखबारों में....

श्रीमती कमला : 3500 मेगावाट न तो कोई एन्टीसिपेट ही कर रहा है अभी और न ही कोई स्टेटमेंट ही दिया जा

(श्रीमती कमला)

सकता है। अभी गलत छापा होगा तो पता नहीं लेकिन अभी तक मुख्य मंत्री ने कहीं ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : तो उसका कांन्ट्रेडिक्शन आना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपनी जानकारी के आधार पर कहिए। जो बात आप कह रहे हैं, आप अखबार को, और दूसरी बात को नहीं....

श्री यदुनाथ सिंह : अखबार की बात को असत्य कैसे मान लेंगे।

श्री सभापति : आप अपनी जानकारी के आधार पर कहिए।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, जो राजस्थान की स्थिति है, हर साल यहां पर अकाल पड़ता है। यहां पर लम्बी लम्बी लाइनें हैं इसलिए लाइन लोसेज बहुत होते हैं। यहां पर जो बिजली पैदा करने के कारखाने है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मुख्य तौर पर राजस्थान में बिजली या तो आर. ए. पी. पी. से मिलती है या थर्मल प्लान्ट से मिलती है या फिर चम्बल सतपुड़ा से मिलती है या थोड़ा बहुत हमारा हिस्सा भाखरा सिस्टम में है, अब सिंगरोली से बिजली मिलने लगी है।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत सब्सटेंशियल है, वहां पर....

श्री यदुनाथ सिंह : जी हां। सबसटेंशियल है लेकिन मिलती नहीं है। वही कह रहा हूं।

मुख्य तौर पर यही बिजली है यह ज्यादा बिजली नहीं है। इसलिए जो अब बिजली की मांग है, माननीय सदस्य कह रहे थे कि बिजली कनेक्शन की पेंडिंग फाइल पड़ी है बिजली के बहुत से नये कनेक्शन दिये जायें। नये कनेक्शनों की मांग हो रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन की मांग हो रही है। सभापति महोदय, बिजली के दो मांग हैं एक तो जनरेशन, जनरेशन बढ़ाया जाय और दूसरा ट्रांसमिशन लाइनें लगायी जाय। सभापति महोदय, राजस्थान को जो विकट स्थिति है।

(8.00 रात्रि)

थीन डैम में धता बता दी गयी, मुकेरिया में धता बता दी गयी, नाथपा में धता बता दी गयी, भाकड़ी में धता बता दी गयी, अनंतपुर साहब में धता बता दी गयी। सभापति महोदय, इन सारे प्रोजेक्ट्स से करीब-करीब 2500 मेगावाट तक बिजली मिलने की उम्मीद थी। उसके बारे में जब हमारा निश्चित कोई कार्यक्रम नहीं है तो आनेवाले समय में राजस्थान की स्थिति सुधर जायेगी ऐसा मेरे को लगता नहीं। रोज मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि राजस्थान में यहां पर पावर स्टेशन लगाया जायगा, वहां पर पावर स्टेशन लगाया जायगा पलाना की बात करते हैं, मेड़ता में

(श्री यदुनाथ सिंह)

कोयला निकला, उस जगह कोयला निकला, आप कभी कहते हैं आबू में छोटा प्रोजेक्ट लगायेंगे, कभी कहते हैं चम्बल सिस्टम में छोटा प्रोजेक्ट लगायेंगे लेकिन सभापति महोदय, राजस्थान में जो सोर्स हैं चाहे पलाना पर लगाया जाय, चाहे और किसी सिस्टम पर प्रोजेक्ट लगाया जाय, चाहे चम्बल सिस्टम में लगाया जाय, आपको 100 मेगावाट बिजली मिलने वाली है तो जितनी बिजली आज उपलब्ध है उतना ही हमारा डेफिसिट है और उतनी बिजली की हमें और जरूरत है। इस बिजली की जरूरत को आप कैसे पूरा करेंगे ? सभापति महोदय, जो बिजली की आज स्थिति है, आज बिजली की खपत का पीक समय है क्योंकि जो दो तरह का प्रोडक्शन है सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से अब खेती का समय आ रहा है। खेती करने वाले जानते होंगे कि खेती में पानी की सिंचाई के समय का कितना महत्व होता है यानि आप गेंहू को लीजिए 21 दिन और 23 दिन के बीच में अगर गेहूं के बीच में पानी नहीं देते हैं तो उसकी पैदावार आधी रह जायेगी क्योंकि अंकुरण का जो समय होता है वह यही समय होता है। दूसरे, सभापति महोदय, फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन तो मैकेनिकल प्रोडक्शन है उसको तो आप दिन रात काम करके पूरा कर सकते हैं लेकिन बायोलोजिकल जो प्रोडक्शन है उसके लिए आप बिजली की व्यवस्था करें। सभापति महोदय, जो यह बात चल रही थी इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहूंगा, एक तजुर्बा हुआ है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आये हैं। कैपेसिटर की बात चल रही है। कैपेसिटर लगा कर के बिजली जितनी उपलब्ध हो उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें। ठीक है, करना चाहिए लेकिन कैपेसिटर किसान के ट्यूबवेल पर न लगा करके, किसान के पम्प सेट पर न लगा करके आप अपने पावर स्टेशन पर लगाइये, ग्रिड स्टेशन पर लगाइये ताकि वहां पर बिजली का उपयोग कर सकें। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप,...

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

आज जो बिजली की स्थिति है उसका तो बंटवारा ढंग से करें ही क्योंकि आप देखते होंगे कि बिजली का जो प्रतिशत है कृषि उद्योग में वह दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अब की बात नहीं है। राज्य के पूंजी निर्माण में, देश के पूंजी निर्माण में खेती का सर्वाधिक हिस्सा है लेकिन बिजली उसको कम से कम मिलती है। इसलिये, सभापति महोदय, हमें आज से ही प्रोस्पेक्टिव प्लान राजस्थान का बनाना चाहिए। बंद कर दीजिये और सब काम क्योंकि उत्पादन से ही जुड़ा हुआ विकास है, मत बनाइये सड़क आप 5 साल तक, मत करिये दूसरे काम आप 5 साल तक। यह प्लान हमारा बिजली पर ही आधारित होगा। हम एक प्लान बनावें कि 5 वर्ष के अन्दर हम बिजली का जेनरेशन करने का काम करेंगे। अगली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई का काम करेंगे। जब तक इस तरह के

(श्री यदुनाथसिंह)

प्लान नहीं करेंगे, यहां पर प्रोजेक्ट स्थापित नहीं करेंगे तब तक ये समस्यायें यों की यों ही बनी रहेगी। सभापति महोदय, इसलिए बहुत जरूरी है कि राजस्थान में नये प्रोजेक्ट्स लगाये जायें। उसके लिए बाहर से, दूसरी स्टेट और दूसरे देशों से भी अगर कर्ज पड़े, 500 करोड़ या 5000 करोड़ या 50000 करोड़ रूपये भी लेने पड़ें तो यह राज्य के हित के विपरीत बात नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : समाप्त करें। श्रीमती उजला अरोड़ा!

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे यहां 132 के. वी. के और 33 के. वी.....

श्री सभापति : 5 मिनट के भीतर यदि आप....

श्रीमती उजला अरोड़ा : धन्यवाद दे रही हूं।

लेकिन मेरे यहां जो लगे हैं सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन वे दुखदायी हो गये। मेरे यहां रामगढ़ बंधे से पानी आता था तो 24 घंटे बराबर बिजली चलती थी। इनके लगने से वह बिजली बंद हो गयी तो ये दुखदायी हो गये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमको एक प्लान बनाना चाहिए आगामी 20 वर्ष तक का कि हमको किस तरह से बिजली पैदा करनी चाहिये और छोटे छोटे क्षेत्रों में बिजली देनी चाहिए। जब तक हम पूरा मास्टर प्लान नहीं बनायेंगे बिजली वितरण का और उत्पादन का तब तक काम नहीं चलने वाला। बरसाती नदियों में हमारा सारा पानी बह कर चला जाता है। हम उसको रोक करके उससे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। यह बात सही है कि हमारे प्रदेश की बड़ी-बड़ी नदियों का पानी बह कर के चला जाता है। मंत्री महोदया इसको ध्यान में रखें।

इस के बाद आगे में जो निवेदन करना चाहती हूं। मेरे यहां झोटवाड़ा पंचायत के 5 गांव में पिछले 5 साल पहले बिजली स्वीकृत की गयी लेकिन रूपाजी नांगल में आज तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया, रैगरों के गांव, चमारों के गांव को तो आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बल्लुपुरा, बदराना, मालपुरा, डूंगर मालपुर चौथ गांव हैं। एक कुएं में केवल 6 साल पहले कनेक्शन हो गया। रेवेन्यू विलेज अब वहां स्वीकृत हो गया तब भी मीणा जाति के आदमियों को आपने बिजली अभी तक नहीं दी। इस तरह की व्यवस्था जहां है उनको रोकनी चाहिए। यह मालपुर डूंगर का किस्सा है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी ये बिजली की चोरी भयंकर रूप से आपके यहां हो रही है। छोटे लोगों के अलावा आपके प्रभावशाली लोग बिजली की चोरी कर रहे है और आप चोरी की बात करते हैं तो वह कोर्ट में चले जाते हैं। यहां के मंत्री कोर्ट में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चले गये, बिजली का आपका पैसा दिया नहीं। आपने पिछली बार प्रश्न के उत्तर में भी बताया था कि जयपुर जिले में लगभग 500 लोगों के ऊपर बिजली की चोरी के केसेज हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आप चोरी रोकने की कोशिश करें। साथ ही जो लोग आपकी सेवा में लगे हैं विद्युत विभाग में....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 57 दिन की हड़ताल हुई, वेतन निर्धारण की बात, स्थायीकरण की बात को लेकर आपने वायदे किये थे, आपने कहा था अपनी हड़ताल वापस ले लो हम सब बात मानेंगे। मैं समझती हूं कि अभी तक कोई बात मानी नहीं गयी। उनके ड्यूटी के टाइम में 57 दिन एडजस्ट न करके उनको 57 दिन का वेतन देना चाहिए। यही बात कहनी हुई। मैं समाप्त करती हूं।

श्रीमती कमला : मैं खड़ी हो सकती हूं...

श्री सभापति : माननीय श्री रामसहाय सोनड़। आप अंतिम वक्ता होंगे। उसके बाद माननीय ऊर्जा मंत्री महोदया का वक्तव्य होगा।

श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोठ) : आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र लालसोठ की ओर दिलाता हूं। जयपुर जिले में सबसे कम बिजली मेरे निर्वाचन क्षेत्र लालसोठ में है। उसका कारण यह है कि वहां से लगातार विरोधी दल के माननीय सदस्य जाते थे। वह यही कहा करते थे कि हम क्या करें भई, राज कांग्रेस का है इस कारण कोई योजना नहीं बनी। इसलिए उस क्षेत्र में कोई योजना नहीं बनाई और वहां विद्युतीकरण बहुत कम हुआ है। सम्माननीय मंत्री महोदया ने गत साल उस गांव का सलेक्शन किया, लाइन भी खींची लेकिन वह इतनी सी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा हो। 300 गांव तहसील में हैं, 85 गांव सैंक्शन हुए हैं, बाकी नहीं हुए। उन गांवों को सैंक्शन किया जाय। जिस क्षेत्र में विद्युतीकरण है वहां पर कनेक्शन दिये जाय और 132 के.वी. का ग्रिड स्टेशन लगाया जाय ताकि किसानों के कुओं का विद्युतीकरण किया जा सके।

आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय ऊर्जा मंत्री महोदया!

श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभार प्रकट करती हूं। मुझे बहुत खुशी है कि जो प्रस्ताव है उसके सन्दर्भ में आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये। कुछ जो आम उपभोक्ताओं की समस्याएं थीं उनके बारे में ध्यानाकर्षण किया, कुछ बिजली की व्यवस्था के सुधार के लिये और कहां-कहां क्या दिक्कतें हैं उनके बारे में भी कहा।

(श्रीमती कमला)

वास्तव में इसी सब सन्दर्भ में यह प्रस्ताव लाया गया है कि जितनी बढ़ी हुई आवश्यकता है, जितने बढ़ते हुए काम हैं और जितनी मांग है उसकी दृष्टि से विद्युत् बोर्ड और अधिक क्षमता से और वित्तीय साधनों के साथ काम कर सकें। इसीलिये 350 करोड़ की सीमा से 500 करोड़ की सीमा बढ़ाने का यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

आज के युग के विकास की सबसे बड़ी शक्ति विद्युत् है, इसमें कोई दो राय नहीं। जीवन के सभी क्षेत्रों में चाहे आमदनी बढ़ाने का काम हो, चाहे उद्योग का काम हो, चाहे घर के अन्दर सुविधा का काम हो, चाहे अन्य सभी प्रकार के काम हों उनमें आज तेजी के साथ प्रगति करने के लिए विद्युत् शक्ति, ऊर्जा या कुछ भी नाम दे सकते हैं, की बहुत आवश्यकता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद में प्रजातांत्रिक पद्धति के अन्तर्गत जब इस देश में हमारी जन प्रतिनिधि संस्थायें बनीं और कांग्रेस की हुकूमत इस देश के अन्दर कायम हुई, केन्द्र में भी और राज्य के अन्दर भी, तो सबसे प्राथमिकता के आधार पर अगर किसी चीज के ऊपर ध्यान दिया गया और उसके लिये प्रावधान किया गया तो वह सिंचाई और विद्युत् थी माननीय सभापति महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगी कि जब राजस्थान बना था उस वक्त राजस्थान के सभी रजवाड़ों की जो सामूहिक एनर्जी की इन्स्टॉल कैपेसिटी थी, चाहे उनके जनरेटिंग सैट्स थे या पावर हाउसेज थे, वह कुल 34 मेगावाट थीं। किसी बस्ती में इक्का दुक्का जहां पावर हाउस था उसी जगह कनेक्शन कुछ होंगे। 25-30 ऐसी बस्तियों, जहां पावर हाउसेज थे, में मामूली एक आध कनेक्शन होंगे, किसी भी कुएं पर भी कनेक्शन नहीं था, ऐसा राजस्थान हमको मिला जिसकी यह स्थिति थी। विद्युत् के बारे में, विकास का जो मूल आधार है उसके बारे में, जब राजस्थान में जन प्रतिनिधि सरकार कांग्रेस की बनी और जब उसने मुस्तैदी के साथ इस की आवश्यकता और उपयोगिता को महसूस किया तो 34 मेगावाट से हम चले और 1977 तक पहुंचते-पहुंचते लगभग साढ़े आठ सौ, नौ सौ मेगावाट तक हमने इन्स्टॉल कैपेसिटी लाकर पहुंचा दी एक नये स्टेट में जहां कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं जहां साधन सुविधायें नहीं थीं जहां इण्डस्ट्रियल और अन्य जितने भी एक्सपर्टाइज होते हैं वह नहीं थे अवेलेबल, उसके बावजूद मांग और आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिकता से लेकर इसको किया, 1977 में जब कांग्रेस की सरकार छोड़ कर गयी, माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए अफसोस है, और सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहती हूं, यह सत्य है, आंकड़ा है, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूं। जहां छोड़ कर गये थे उसके बाद आगे एक यूनिट भी जनरेशन का कोई काम उन ढाई-पौने तीन वर्षों में नहीं किया गया। एक बहुत ही सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए हर साल 20 हजार 25 हजार 30 हजार कनेक्शन्स

(श्रीमती कमला)

बराबर जारी करते रहे लेकिन एक यूनिट भी जनरेशन का काम उस वक्त में नहीं किया जिसके कारण सारी स्टेट में ऐसी हालत हमको मिली कि जितने कनेक्शंस दिये हुए थे उनमें किसी को दो घण्टे बिजली मिल रही है। किसी को ढाई घण्टे बिजली मिल रही है न सिस्टम को इम्प्रूव किया, न इसको आगमेंण्ट किया, न स्ट्रेन्थन किया, न जनरेशन सिस्टम को तैयार किया. जब हम 1977 से 80 में वापस आये तो स्थिति यह थी जो मैंने आपको निवेदन की। उसके बाद में राज्य सरकार ने पिछले सारे गैप को पूरा करने के लिए, इस तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत सारी स्कीम अपने हाथ में लीं जिनके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि 900 मेगावाट की जो स्थिति····

(व्यवधान)

बैठिये, बैठिये, बीच में मत बोलिये, आप बाद में बता दीजिए कि यह आंकड़ा गलत है।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें····

श्रीमती कमला : No interruption.

(8·15 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

जो आंकड़ा मैं बोल रही हूं उसमें आपको कहीं गलती लगे तो आप बाद में खड़े होकर मुझे कह सकते हैं।

993 का आंकड़ा हम छोड़ कर गये थे उसके बाद में पिछले 2-3 वर्षों में जब काम किया तो हम 1983-84 के अन्दर इस राज्य की इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 1673 मेगावाट तक ला सके, आज मुझे खुशी है कहते हुए हाउस के सामने कि आज इस साल में, 1984-85 के अन्दर 1700 मेगावाट की इन्स्टॉल्ड कैपेसिटी बना सके हैं, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि यह हमारी मांग के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए आने वाली मांग, समय की मांग को देखते हुए चाहे वह इण्डस्ट्री की मांग है, चाहे एग्रीकल्चर की मांग है, चाहे जनरल है, हमने अनेक ऐसी योजनायें तैयार कर रखी है, कुछ तो प्लानिंग कमीशन के क्लीयरेन्स के लेबल पर हैं, कुछ की सी. ए. टी. क्लीयरेन्स हो चुकी है, कुछ सी. ए. टी. क्लीयरेन्स लेवल पर हैं, कुछ सर्वे हो रही हैं, कुछ तैयार हैं बोर्ड के लेवल पर। अध्यक्ष महोदय, आज हमने इतनी योजनायें तैयार की हैं और उनको हम बहुत मुस्तैदी के साथ परश्यू कर रहे हैं उन योजनाओं को हम लागू करने लगेंगे या उनकी इन्स्टॉल्ड कैपेसिटी फुल्ली एग्जीक्यूट हो जायेगी तो 2900 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। जैसे हमारा पलाना है, माइका है, कोटा का थर्मल है. 17 मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स दिये हैं। बॉम्बे हाई की जो पाइप लाइन आ रही है उसका सवाई माधोपुर में 400 मेगावाट का हमको

(श्रीमती कमला)

मंजूर हुआ है। यह 2900 मेगावाट की कैपेसिटी के हमारे प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा थर्मल बेस्ड प्रोजेक्ट हमने स्टेट के अन्दर पांच प्रस्तावित किये हैं, जो सी. ए. के पास भेजे हैं उनकी जो कैपेसिटी है वह भी लगभग इतनी है। उसके अलावा उम्मीद हम यह कर रहे हैं कि जो एक नया न्यूक्लीयर स्टेशन कण्ट्री में बनने जा रहा है वह शायद हमको मिले। तो इन सब को हम एन्टिसिपेट करते हुए बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान की आने वाली जनता के लिए एक बहुत मजबूत और व्यापक जनरेशन का आधार छोड़ना चाहते हैं. उम्मीद यह करते हैं कि सेवन्थ प्लान के एण्ड तक इन सारी योजनाओं में से कोई प्रोग्रेस होगी, कोई मंजूरी की स्थिति में होंगी. कोई मंजूरी होने की स्थिति में होंगी इन सब को देखते हुए हम इन योजनाओं के तहत 2000-220 मेगावाट के लगभग फर्म जनरेशन कैपेसिटी ला सकेंगे जिससे राजस्थान के बहुत उज्जवल भविष्य के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए, राजस्थान की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए हम काफी कुछ प्रयत्न कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी कुछ मैं इसलिए बोल रही हूं कि इतना होने के बावजूद हमारी मांग और इसकी अवेलेबिलिटी में बहुत बड़ा गैप होगा। जैसा मैंने आपसे कहा, आज के दिन हमारी मांग और अवेलेबिलिटी है उसके अन्दर कितना बड़ा गैप है। आज की स्थिति में कोई भी पाबंदी न तो इण्डस्ट्री पर हो, न एग्रीकल्चर पर हो। न किसी भी कन्जम्प्शन पर हो, उस स्थिति में हमारी मांग सालाना 8590 मिलियन यूनिट होगी लेकिन अवेलेबिलिटी जो हमारी है वह 5956 की है। हमारे पास शार्ट फाल 2634 मिलियन यूनिट का आज के दिन है सालाना इसी तरह से पीक डिमाण्ड है हमारी आज के समय, वह है 1625 मेगावाट, और हमारे पास अवेलेबिलिटी है 1150 मेगावाट की हमारी डेली जो डिमाण्ड है वह 200 लाख यूनिट की है लेकिन उसके पेटे अभी हमको कभी 160, कभी 170, कभी 150 इस तरह से अवेलेबिलिटी हो रही है। यह इतना सब प्रोग्राम बनाने के बावजूद हमारी जो आज की स्थिति है वह मैंने आपको निवेदन की, सातवीं योजना में हमने जो प्लान किया है उसको अगर हम देखें तो जितना हमारा बड़ा हुआ प्रोग्राम है उसके बावजूद हमारी मांग 1738 होगी लेकिन अवेलेबिलिटी 1034 की होगी, इस प्रकार 704 का फिर भी गैप होगा। 1986-87 के अन्दर हमारी डिमाण्ड होगी 1934, अवेलेबिलिटी होगी 1092, इस प्रकार 842 मेगावाट का गैप रहेगा। तो कुल मिलाकर, आगे जाकर, सेवन्थ प्लान का जो लास्ट ईयर है उसमें मांग 2590 की होगी और अवेलेबिलिटी 1511 की होगी, गैप 1057 मेगावाट यूनिट का रहेगा। अवेलेबिलिटी और डिमाण्ड के अन्दर फिर भी गैप बढ़ेगा क्योंकि मांग की कोई सीमा नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं माननीय सदस्यों को. सदन को यह निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार ने इस राज्य के अन्दर जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं एनर्जी जनरेट करने के, चाहे वह हाइडल है, चाहे थर्मल है, गैस है, जो भी

(श्रीमती कमला)

कोई है वह करने का प्रयत्न किया है। जैसलमेर जैसी जगह में भी हमको छोटा पावर स्टेशन मंजूर हुआ 3 मेगावाट का। उम्मीद यह है कि घोटारू के अन्दर बहुत डिपाजिट्स हमको मिलेंगे। सर्वे कर रहे हैं जियोलाजिकल सर्वे वाले, उनकी यह भावना है कि वहां हमको काफी बड़ी तादाद में गैस मिल सकती है। तो राजस्थान के अन्दर पोटेंशियल बहुत है उस सारे को हारनेस करने के लिए हमने स्टेट की तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखी। राजस्थान कैनाल का भी थोड़ा सा फाल है तो उस पर मिनी हाइडल स्कीम बना रखी है, अगर नदियों का भी थोड़ा सा भी फाल है, माना जा सकता है उसको ही हमने बनाया। स्टेट के अन्दर कोई जगह हमने नहीं छोड़ी है। इसी तरह बाहर स्टेट्स से जहां से भी एग्रीमेण्ट से बिजली ले सकते हैं उसके अन्दर भी कोई कसर नहीं रखी है। अभी भाई यदुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि आपका यह भी गया, वह भी गया। यह तो जब से बने हैं तब से हम काफी अपना क्लेम रखते रहे हैं, रखते रहेंगे। अपने क्लेम के अन्दर काफी वजन हम मानते हैं। लेकिन जो चीज हाथ में नहीं है उसके लिए तो कोशिश ही की जा सकती है। नहीं जानकारी होते हुए भी बोलने का सबका अपना ट्रेन्ड होता है होता ही है और होना ही चाहिये। इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया कि राजस्थान में सबसे पहले बिजली देने के लिए खम्भा गाड़ना जरूरी नहीं है, कनेक्शन घोषित करना जरूरी नहीं है, बिजली पैदा हो अपने स्टेट में तो उस को हमको एक्सप्लाइट करना है। जहां कहीं से भी और बिजली मिल सकती हो, उसको टेप करना है। यह टार्गेट है, मैं समझती हूं कि एक बहुत बड़ी अच्छी और प्रशंसनीय प्रगति है स्टेट के अन्दर। इसका आज सदन भी और माननीय सदस्य भी अहसास करेंगे और जो इसके साथ मैंने दिक्कत बताई है उसको भी ध्यान में रखेंगे।

इसके बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज है वह यह कि जहां पावर जनरेट हो रही है वहां से इसको इवेकुएट करना उसको ट्रांसमिट करना, री-ट्रांसमिट करना, यह सिस्टम भी अगर पूरा नहीं हो, बहुत मजबूत नहीं हो और इफेक्टिव नहीं हो तो जो पावर जनरेट होती है उसका हम पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे। आज हमारे स्टेट में वित्तीय साधनों की कमी के कारण से इस सिस्टम में बहुत कमी है। पहली कमी माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रही है कि हम हालांकि हर साल जितना जितना हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको बढ़ाते रहते हैं, सैंकड़ों मील में हमारी जो 220 के. वी. की लाइनें, 132 के. वी. की लाइनें है और जो सारा, जितने भी सिस्टम हैं उसको इम्प्रूव करके जहां जनरेशन पावर हो रही है वहां से हमारे हिस्से की एक भी यूनिट भी हम नहीं छोड़ें, उसको लें, इसके लिए हमने कोई कसर नहीं रखी। अभी सिगरोली से पावर लेने के लिए हमने 400 एस. बी. की लाइन खींची है, 220 के. वी. की लाइन खींची है, ये सारी लाइनें हमने बहुत वार फूटिंग के ऊपर इसलिए खींची है

(श्रीमती कमला)

कि हमको वहां से पावर मिलने की उम्मीद है। इसी तरह से भाखरा सिस्टम से जो सब्सटेंशियल पावर सप्लाई आती है, उसको भी ज्यादा से ज्यादा इविवट करके, उसको ट्रांसमिट करने के लिए इधर खेतड़ी से बादरी, यह सारा जो हमारा लाइन सिस्टम है उससे ज्यादा से ज्यादा लेने की हमने कोशिश की है। हर साल सैकड़ों मील ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्थिति यह है कि अभी भी बहुत सारे सिस्टम, जो इम्पोर्टेन्ट हैं, बनाने हैं और सब ट्रांसमिशन सिस्टम हैं उसको भी बनाना है, ग्रिड सब स्टेशन्स बनाने हैं, सब स्टेशन्स बनाने हैं और यह सारा सिस्टम बनाना है ताकि एक-एक यूनिट का भरपूर रूप से हम उपयोग कर सकें। इसके लिए डिवाईसेज का हमको उपयोग करना है, हालांकि बहुत कास्टली है अगर वह हमको मिल जाय, तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सिस्टम में से हम और एनर्जी निकाल करके अपने काम में ले सकते हैं। लेकिन जैसी अपने देहात में कहावत है, "ओछी पूंजी धनी को खाये" वह हमारे इसमें भी लागू हो रही है। अगर हम सिस्टम को स्ट्रेन्थन नहीं करते हैं तो हमारी बिजली वेस्ट जाती है और अगर सिस्टम को स्ट्रेन्थन करते हैं तो आपके कनेक्शन्स और गांवों के बिजलीकरण का काम रुक जाता है। लेकिन फिर भी राजस्थान का बिजली बोर्ड नोर्थन ग्रिड के अन्दर सबसे अच्छा काम करने वाला बिजली बोर्ड है। उसका काम आप स्वयं भी देख रहे हैं। भारत सरकार के लेविल पर भी इस बात का अहसास किया गया है....

श्री अध्यक्ष : मैं तो हर जगह प्रशंसा करता हूं, हर जगह प्रशंसा करता हूं।

श्रीमती कमला : भले ही करें।

श्री परसराम मदेरणा : और जगह तो आप करते रहते हैं, आज यहां भी प्रशंसा कर दी।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जनता सरकार के जाने के बाद जब से यह सरकार बनी है तब से यह प्रशंसा के लायक हैं, योग्य है, प्रशंसा का काम किया है।

श्री अध्यक्ष : हां, उस वक्त काफी नुकसान पहुंचा था, यह बात सही कही है आपने।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इतनी दिक्कतों के बावजूद भी जो प्रयत्न, जो व्यवस्थायें जो प्रावधान किये और कोशिश की गई उसके कारण से हम आज हमारे जितने भी गांव हैं उनसे 56 पर्सेन्ट गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन 1984-85 के अन्त तक कर सकेंगे। यह अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है। हालांकि मैं माननीय सदस्यों के आरोपों को भी, उनकी शिकायतों को भी जानती हूं, राजस्थान में कुछ इतने गांव हैं जिनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है लेकिन वहां पर कनेक्शन्स नहीं हैं, इस तरह के लगभग 3000 गांव हैं। पिछले काफी वर्षों से इकट्ठे होते-

(श्रीमती कमला)

होते, जुड़ते जुड़ते उनका नम्बर इतना हो गया है लेकिन अभी हमने यह फैसला किया है कि इस तरह के जो गांव हैं 3000 के लगभग उनमें से जिन गांवों के पास में ट्रांसफार्मर खड़ा है लेकिन फिर भी उस गांव के अन्दर कनेक्शन्स नहीं है उन तमाम 1100 सौ गांवों को हमने आईडेन्टिफाई किया है, उन तमाम 1100 गांवों को हम 1984-85 के अन्दर कनेक्शन्स दे देंगे और बाकी जो 2000 गांव बचेंगे उनको हम अगले साल कवर करने की स्थिति में हो सकेंगे।

इसी प्रकार से माननीय सदस्यों को मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान में एक भी कुएं पर बिजली नहीं थी। आज उस राजस्थान में हम लगभग 3 लाख कुओं को बिजली दे चुके हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रयत्न हम लोगों ने किया है। इसमें ठीक है कि वोल्टेज की कमी आती है, लाइन के डिफाल्ट्स आते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर भी जलते हैं लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, अगर हमारे पास में पूंजी पर्याप्त रूप से हो और हम उसको ले सकें हमारे प्लान सिलिंग्स के अन्तर्गत तो हम तमाम डिवाईसेज अपने सिस्टम में लगा सकते हैं जिससे कि कहीं भी ट्रिपिंग नहीं हो, कहीं पर भी इस तरह के लाइन लासेज नहीं हों और ट्रांसफार्मर भी नहीं जलें। हालांकि नेग्लीजेन्सी से भी होता है, लेकिन वह बहुत छोटा पर्सेन्टेज है जिसे आफिसर की नेग्लीजेन्सी से या और किसी कारण से हम ठीक नहीं रख पाते लेकिन बहुत सारे सिस्टम में यह भी बहुत जरूरी है।

इसलिए हमने जो इतना बड़ा टार्गेट अचीव किया है वह अपने आप में बहुत है। सबसे बड़ी हमारी जो थोड़ी कमजोरी हो रही है वह यह है। हालांकि जबसे विद्युतीकरण का नाम प्रारम्भ किया, सरकार से पहले दिन से ही यह आदेश जारी किये हुये थे और बाकायदा इस पर तकाजे रखे गये हैं कि जहां कहीं भी विद्युतीकरण किया जाय प्रथम अवस्था में वहां हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किया जाय। इतने वर्षों में इस बात को गंभीरता से, तकाजे से नहीं लिया गया इसलिए जितनी तादाद में गांव इलेक्ट्रिफाई हुए हैं उनमें हमारी हरिजन बस्तियों में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। इसलिये साल साल से हमने तय किया है, इस साल से आगे सब सालों में जो कोई भी गांव इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए स्वीकृत होगा, जहां काम किया जायेगा वहां ट्रांसफार्मर ही हरिजन बस्ती में लगाया जायेगा ताकि कोई अधिकारी अपने स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। इसके साथ में हमने यह भी निर्णय किया है और टार्गेट तय किया है, 900 हरिजन बस्तियां इस साल हमने ली थीं लेकिन 900 हरिजन बस्तियों के बजाय से 2000 हरीजन बस्तियां इस साल हम इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे और आने वाले सालों में भी इसी प्रपोर्शन से हरिजन बस्तियों के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम रख करके जो इतना बड़ा बेकलॉग रह गया है उसकी जल्दी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। जितना हमारा कम्पोनेन्ट प्लान,

Page No 270

(श्रीमती कमला)

जितना हमारा ट्राइबल सब प्लान है उन सब के लिए जितने लक्ष्य विद्युत् बोर्ड के सामने रहे हैं, साल दरसाल उनकी पूर्ति वह करते रहे हैं। लेकिन इतनी तमाम दिक्कतों के बावजूद मैं यह समझती हूं कि काफी इस बात को आगे ले जाने की चेष्टा की फिर भी कुछ समस्यायें आपने बताई हैं उनमें से कुछ मुख्य समस्याओं के बारे में मैं आपके सामने निवेदन करना चाहती हूं। सबसे पहले तो मैं उन माननीय सदस्यों, जो अभी यहां पर नहीं हैं, और कुछ और का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं जिन्होंने यह कहा कि राजस्थान में बड़ी बुरी हालत है, चार साल से कुछ नहीं हो रहा है और सारा किसान लुट गया है, कोई पैदावार नहीं हुई है। मैं यह कहना चाहती हूं पुरजोर ढंग से सदन के सामने कि पिछली रबी में जो राजस्थान के अन्दर प्रोडक्शन हुआ वह हाईएस्ट रिकार्ड प्रोडक्शन राजस्थान के अन्दर हुआ है। करोड़ 8 लाख टन इतना अनाज पहली बार राजस्थान में रबी के अन्दर पिछले साल के अंदर हुआ है। मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहती हूं कि न केवल पिछली बार रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ है, अगर कुदरत ने अपना और कोई तेवर नहीं बदला और तमाम स्थितियां सामान्य रहीं तो पिछले साल का जो रिकार्ड उत्पादन है उसको तो हम गिरने देंगे नहीं बल्कि उसको और अधिक करने की इस साल चेष्टा है। किसी भी काश्तकार का खेत इस कारण से नहीं जलने दिया जायेगा कि उसको विद्युत् उपलब्ध नहीं हुई। पिछली बार भी मैंने तमाम काश्तकारों को स्टेट की तरफ से आश्वासन दिया था....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह बात समझ में आई के नहीं आई ?

श्री महाराम चौधरी : गहरा लगाना, नहीं तो वह फिर ढह जायेगा....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : रायड़ा, बाजरा, ज्वार आ चुकी है। उस इलाके के अन्दर काश्तकारों ने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने की दृष्टि से जो कुछ प्याज वगैरह बोया हुआ है काफी दिनों से उसको चला रहा है। उन एरियाज में तो आज से पहले भी हमने बिजली की जो अवधि है उसको बढ़ाकर के पांच घण्टे से आठ घण्टे, नौ घण्टे कर दिया है ताकि उनकी जो जरूरत है वह पूरी हो और फसल उनकी नहीं जल जाय। लेकिन बाकी मैं इस सदन के मार्फत तमाम राजस्थान के काश्तकारों से यह कहना चाहती हूं कि जैसे पलाव का समय शुरू हो चुका है और पांच घण्टे के बजाय तमाम राजस्थान भर में ही हम प्रारम्भ में आठ घण्टा और जैसे जैसे जरूरत पड़ती जायगी दस घण्टा ग्यारह घण्टा इसको बढ़ाते चले जायेंगे। किसान का जो उत्पादन है वह सिर्फ किसान का अपना ही नहीं होता, वह तो बहुत न्यूनतम प्रतिशत जैसी उसकी जरूरत होती है अपने लिये रखता है, बाकी राष्ट्र की जरूरत, समाज की जरूरत के लिये देता है, उसकी जरूरत की पूर्ति करना

(श्रीमती कमला)

हमारा फर्ज है, उसको हम पूर्णतया व्यवस्था करेंगे। एक दूसरी व्यवस्था और हमने की है। रबी के अच्छे प्रोडक्शन में कहीं पर किसी प्रकार की कमी है लाइन्स में या ट्रान्सफार्मर में रहने के कारण से न रह जाय, जिसकी इत्तिला हमको न हो पाये उसके लिये हमने तमाम एस. ई. हैडक्वाटर्स के ऊपर पहले तो व्यवस्था की हुई है ही, वहां बुक्स भी रखी हुई हैं और उनको पाबन्द भी किया हुआ है कि कोई भी शिकायत इस तरह की हो तो एस. ई. ऑफिस के अन्दर उसको दर्ज करायें। उनको भी तकाजा किया हुआ है, उनको पाबन्द किया हुआ है कि तुरन्त इस तरह की स्थिति जिससे कि पानी का पानी और निकल नहीं जाय, को तत्परता से सुधारने की चेष्टा करें। लेकिन कई जगहों पर हमको मालूम नहीं पड़ता, महीने भर, पन्द्रह दिन, बीस दिन पहले ट्रान्सफार्मर जल गया, लाइन खराब है, फ्यूज नहीं जुड़ रहा है, इस तरह की चीजें हमारे नोटिस में नहीं आती हैं और नीचे वाले अधिकारी कुछ लापरवाही बरतते हैं, इसलिए हमने यहां जयपुर के अन्दर एक सेन्ट्रल मोनिटरिंग सेल क़ायम किया है जहां पर अधिकारी भी और हमारे आम उपभोक्ता भी उनकी जो दिक्कत है खास तौर से जो मेजर डिफेक्ट्स हैं; उनकी तुरन्त इत्तला कर सकेंगे हम डेली उसका इसी प्रकार रिकार्ड लेंगे जिस प्रकार कि हम बिजली की अवेलेबिलिटी का लेते हैं और ले करके उसकी तुरन्त व्यवस्था करेंगे जिससे कि रबी के फसल के मौसम में किसी प्रकार से भी काश्तकार की फसल नष्ट नहीं होने पाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि आप बिजली बोर्ड के अन्दर काश्तकारों का प्रतिनिधित्व रखिये जिससे कि काश्तकार अपनी योजनाओं को, अपने काम को, अपनी व्यवस्थाओं की ज्यादा देख रेख कर सकें। इस बारे में पिछली बार भी सोचा था। उसमें दो सदस्य तो पहले से ही कितनी देख रेख कर रहे हैं वह उन सदस्यों के देखने की बात है लेकिन और कितने बढ़ाये जा सकते हैं, क्या उनका विधि विधान है उसको देखने के बाद इस बारे में मैं कुछ कह सकूंगी।

जहां तक माननीय सदस्य, जो खास तौर से पश्चिमी क्षेत्रों से आते हैं, की खास तौर से यह शिकायत है कि जितनी भी जल योजनायें हैं उनका बिजली का कनेक्शन समय पर नहीं हो पाता, और हो जाता है तो बिजली के आवर्स एग्रीकलचर सेक्टर के लिए है वहीं बिजली के आवर्स उनके लिये लागू रहते हैं इसलिए उनको पानी की समस्या बनी रहती है और उसके कारण से काफी असन्तोष लोगों में रहता है। इसके लिए निश्चय हमने यह किया था कि जितनी भी बिजली और जलदाय योजनायें हैं इनका जो सिस्टम है वह अलग से कायम किया जाय। लेकिन सिस्टम अलग कायम करने में और उसका जरा एक्जीक्यूट करने के अन्दर बहुत सारा खर्चा भी आता है और बहुत सारी परेशानियां भी पैदा होती हैं। इसलिए बहुत सारी जल योजना अभी भी जो जनरल

(श्रीमती कमला)

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत बिजली न जाने की इतनी नहीं है जितनी कि इन्तजाम की। अगर एक ब्लाक के अन्दर आठ घण्टा, नौ घण्टा बिजली जाती है और हम अगर अपनी टंकी को भरने का या जो सिस्टम है उसको पूरा तैयार करने का काम कर लेते हैं तो इतनी शिकायत नहीं आती लेकिन पी. एच. ई. डी. के जो कर्मचारी लोकल हैं वह मौके पर बैठे हुए या तो सो जाते हैं या कहीं चले जाते हैं। उस मौके पर तो पानी भरते नहीं और उसके बाद में गांव वालों को कह देते हैं कि बिजली नहीं आती इसलिए हम क्या करें।

(व्यवधान)

यह मैं नहीं कह रही हूं, यह आम तौर पर गांव के सभी लोगों की शिकायत है। हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर भी जनरल मीटिंग्स में भी आती रहती है कि स्थानीय कर्मचारी अपने काम को पूरा अन्जाम नहीं देते इसलिए उसको देखना है। बाकी इतना मैं निवेदन इस बारे में करना चाहती हूं कि जो बड़ी नल योजनायें हैं, जहां पर अलग फीडर हम कायम कर सकते हैं उसके बारे में हम आइडेन्टिफाई करके कुछ को कर सकते हैं लेकिन जनरल सारी योजनाओं का एक अलग फीडर तुरन्त कायम कर सकें ऐसा कहने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूं। आज कुछ कोई विधायक इस बारे में बोले नहीं, लेकिन मुझे मालूम है....

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कह रहा हूं कि मैं कल यह आॅर्डर कर रहा हूं कि....

श्रीमती कमला : वह पंचायतों को सौंप दे।

श्री परसराम मदेरणा : रात भर ही जगते रहो।

(हंसी)

श्रीमती कमला : उनके जब ब्लाक का नम्बर आता है जब बिजली आये तब जरूर जगना चाहिये, उसके बाद सो जाय।

बहुत सारे इलाकों के अन्दर बैंक से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्रीमती कमला : लोन लेकर कई काश्तकारों ने इकजाई रूप से ट्यूब वैल्स बनाये, उनकी यह बहुत भारी दिक्कत है कि बैंक का लोन उनके माथे पर है और बहुत से काश्तकारों ने मिल करके ट्यूब वैल्स खोदे हैं उनको कनेक्शन नहीं मिलने से उनके बैंक का लोन ब्याज बढ़ता जाता है। वह जमीन इर्रिगेट नहीं होती तो प्रोडक्शन नहीं होता और वह रिपे नहीं कर सकते, इसलिए हमने अभी तय किया है कि राजस्थान में जितने कनेक्शन हम पंचायत समितिवार दे रहे हैं उनमें प्रायोरिटी दो तरह के कनेक्शन को

(श्रीमती कमला)

दी जायेगी, एक तो वह जिनके एल फ में आ चुके हैं, एक वह जिनके डिमाण्ड नोटिसेज जारी हो चुके हैं और उन्होंने पैसा जमा करा दिया है। अगर लोकल प्रायोरिटी के अन्दर मोजूद है तो उसी प्रकार से ट्यूब वेल वाले भी आ सकेंगे। बाकी हम जो लोकल प्रायोरिटी है उसको तोड़ करके किसी की लो प्रायोरिटी के ऊपर ला करके देने की स्थिति में नहीं होंगे। क्योंकि उससे सारा मिसमैनेजमेन्ट होगा और बहुत सारे जो कायदे कानून बने हुए हैं उनको भी उल्लंघन होता है। जो स्थिति ट्यूब वेल्स वालों की है, उसके बारे में मैंने कुछ निवेदन किया है।

ज्यादातर माननीय सदस्यों ने दो-तीन बातें कही हैं। पहली बात तो यह है कि आपने कनेक्शन पर पाबंदी लगा रखी है, बंद कर रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखा है। दूसरा यह है कि आपने योजनायें बना दी हैं लेकिन आप गांव बहुत कम सैंक्शन कर रहे हो। तीसरा यह है कि कई वर्षों से कनेक्शन्स पेंडिंग पड़े हैं और आप कनेक्शन्स नहीं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीनों समस्याओं के बारे में हम भी पूरी तरह से जागरूक हैं और इनका समाधान करना चाहते हैं। आम तौर पर आप सब जानते हैं हर वर्ष हमने बहुत सोच सोच के दस हजार कनेक्शन दिये। थोड़ा हमारा जनरेशन बढ़ा तो इस साल माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात को बहुत गम्भीरता से सोचा है और जनरेशन के दृष्टिकोण से इस बात को अप्रूव किया कि इस साल हम बीस हजार कनेक्शन देंगे। दस हजार के बजाय बीस हजार कनेक्शन देने का लक्ष्य इसलिये लिया। आपकी तरह नहीं कि एक यूनिट जनरेट नही की और तीस हजार कनेक्शन दे दिये। हमने 700 मेगावाट इस साल केपेसिटी बढ़ाने के बाद में दस का बीस किया, इसलिए बीस हजार...

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक दोष शिवचरण जी माथुर के माथे पर है। वह ही घोषणाओं में सबसे आगे थे। आज तो श्रीमती कमलाजी उनको भी मात कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्रीमती कमला : और इस 84-85 के पीरियड में 1100 गांव और बीस हजार कुओं के इलेक्ट्रिफिकेशन का टार्गेट रखा है, एक बहुत रेशनल फार्मूला हमने इसी तरह से अपनाया है कि जिन इलाकों के अन्दर विद्युतीकरण का पर्सेन्टेज कम था वहां हमने कुछ गांव ज्यादा दिये और जिन इलाकों में विद्युतीकरण का प्रतिशत थोड़ा ऊंचा था वहां हमने गांवों की संख्या थोड़ी कम दी है। इसलिए उसी प्रतिशत में सारे इलाकों के अन्दर जितने भी गांव विद्युतीकृत होने हैं वह दिए गए हैं। इसी तरह से हम बीस हजार कनेक्शन दे रहे हैं। 1979-80 से लेकर अब तक तमाम जगह पर लगभग 20 हजार कनेक्शन्स की एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं।

(श्रीमती कमला)

तो 20 हजार तो इस साल में होना संभव नहीं हैं लेकिन 20 हजार में से हमने यह तय किया है कि कम से कम जहां थोड़ी एप्लीकेशन्स हैं वहां हम 15 प्रतिशत तक कवरेज कर दें, और जहां बहुत ज्यादा एप्लीकेशन्स हैं वहां 15 प्रतिशत बहुत अधिक होता है, इसलिए हम दस प्रतिशत तक, नौ प्रतिशत तक कवरेज कर दें, लेकिन कुल मिलाकर के नोन आर.ई.सी. और आर. ई.सी. दोनों एरियाज की जो पेंडिंग एप्लीकेशन्स हैं इनका हम पन्द्रह, दस नौ प्रतिशत तक कवरेज देना चाहते हैं जिससे कि इतने सालों से जो पेंडिंग एप्लीकेशन्स हैं उनको हम काफी हद तक डिस्पोज ऑफ कर सकें। इसके बाद भी बहुत सी एप्लीकेशन्स रह जायेंगी, बहुत सारी स्कीम्स के गांव रह जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधी बात है कि जितनी एनर्जी है, जितना पैसा है, उसके सन्दर्भ में जितना ज्यादा से ज्यादा हम दे सकते हैं उतना हम देना चाहते हैं, अपने पास रख कर उसका कुछ उपयोग नहीं कर सकते। चाहें, तो भी बिजली को नहीं रख सकते इसलिए उसको देने में हम कतई तौर पर कोताही नहीं बरतना चाहते। ज्यादा से ज्यादा हम इलाके को देना चाहते हैं और इसीलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें कृपया, माननीय सदस्य !

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप 15 ही क्यों कह रहे हो, 25 पर्सेन्ट दे रहे हो लोगों को।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया !

श्रीमती कमला : आप बिराजिये।

इसके अलावा एक जो बड़ी दिक्कत आम तौर पर नये साधारण आदमी पर आती है। जितने हमारे सर्किल बने हुए हैं उनमें एक कान्स्टीट्यूएन्सी को चार चार सर्किल में, एक पंचायत समिति को तीन तीन सर्किल में डाला हुआ है। दस गांव कहीं डाले हुए हैं, इससे लोगों को बिल जमा कराने में अपनी समस्याओं का समाधान कराने में काफी दिक्कत होती है। बोर्ड के अन्दर हमने इस बात का निर्णय किया है कि जल्दी से जल्दी तमाम अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर इसको री-आर्गेनाइज करें। लोगों को दिक्कत नहीं हो उनको सुविधा हो जाय, इसकी हम चेष्टा कर रहे हैं।

इसी तरह बिल्स के बारे में आपने कहा है बिल्स को नजदीक से नजदीक जगह पर जमा कर सकें इसके बारे में काफी कोशिशें की गयीं, वहां का बैंक ले सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन बैंक लेने को तैयार नहीं है। पंचायत में जमा करायें तो वह भी स्थिति सही नहीं होती है। कई आल्टरनेटिव हमने सोचे, पर माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोई प्रभावी और सही आल्टरनेटिव हमारे सामने आया नहीं है। हमने सेंटर्स कायम कर दिये हैं, जहां आम तौर पर बिल जमा करा सकते हैं। बिल्स

(श्रीमती कमला)

जमा कराने की बड़ी भारी असुविधा है। इसके बारे में कुछ चर्चायें चल रही हैं इसलिये जल्दी से जल्दी आम आदमी को रिलीफ देने की कार्यवाही की जायेगी।

इसके साथ में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा जितना आपका सामान खराब पड़ा हुआ है रिपेयर के लिये, आपने एक ही सेंट्रल वर्कशॉप बना रखा है। हालांकि छोटे मोटे वर्कशॉप तो एक आध बना रखे हैं। जो एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया उसके बारे में हमने भी निर्णय लिया कि डिविजनल लेवल पर नहीं हो सके तो कम से कम तीन डिवीजन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा इन डिविजनल लेवल पर हम तीन नये वर्कशॉप जरूर तैयार करें जिससे कि हमारे जो ट्रांसफार्मर बड़ी तादाद में खराब हुए पड़े हैं या मीटर्स पड़े रहते हैं, लोकली हम उनको वहां लाकर के जल्दी से जल्दी रिपेयर करके लोगों को सुविधा दे सकें। ट्रांसफार्मर्स की जो कास्ट है वह हम सबसे ज्यादा देते हैं इसलिए उसके रिप्लेसमेंट में जो दिक्कत हमको आती है उसके बारे में हम क्रियाशील काम करने की कोशिश में हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जब बोर्ड की हालत बहुत खराब है और बोर्ड है—

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य मुझे काफी संतुष्ट लग रहे हैं।

श्रीमती कमला : बस, मैं खतम ही कर रही हूं।

बोर्ड के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं। जैसा मैंने अभी कहा, बोर्ड ने पिछले वर्षों में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फाईनेंशियल मैनेजमेंट में काफी इम्प्रूवमेंट किया है। करोड़ों रुपये का जो स्क्रैप जगह जगह पर पड़ा था उसको आईडेंटिफाई करके उसका उपयोग हो सकता है तो उपयोग किया जाय नहीं हो सकता है तो आक्शन किया जाय। करोड़ों रुपया पिछले डेढ़ साल के अन्दर इस तरह आक्शन करके कमाया है या रिपेयर करके यूज करके उसको खरीदने की कोशिश की है।

इसी प्रकार से जितना प्रशासनिक कन्ट्रोल किया जा सकता है और प्रशासनिक देख रेख की कोशिश की जा सकती है उसमें भी कोई कसर नहीं रखी गयी है।

रिकवरी के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत चिन्ता प्रकट की है। बात सही है कि काफी बड़ी तादात में ड्यूज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेन्ट्स में हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट्स में भी है, स्टेट गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट्स में भी हैं, बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट में भी हैं, काश्तकारों में भी हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले दो तीन सालों के अन्दर काफी चेष्टा की गयी है कि ज्यादा से ज्यादा रिकवरी की जाय। जहां दो तीन वर्ष पहले हम 48 करोड़ के करीब उगा पाये थे, पिछले

(श्रीमती कमला)

साल 90 करोड़ के करीब हमने उगाया, इस साल 190 करोड़ के करीब हम उगा पा रहे हैं। इस तरह बोर्ड अपनी तरफ से चेष्टा में कहीं कोई कमी नहीं रखता है। लेकिन कोई कोर्ट में चले जाते हैं, मुकदमें में स्टे ले आते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। इस तरह से काफी दिक्कत के बावजूद भी बोर्ड ने अपनी स्थिति को भी सम्भाला है, इन्डस्ट्रीज में भी कुछ दिया है और जो बढ़ाये हुए टार्गेट राज्य सरकार की तरफ से बोर्ड को मिले हैं उनकी भी एडीशनल पूर्ति के लिये काफी सचेत हैं। मैं समझती हूं कि इतनी दिक्कतों के बावजूद तत्परता से बोर्ड अपना काम कर रहा है। जो प्रयत्न करने की बात है वह हमको सन्तोषप्रद लगती है हालांकि और ज्यादा हो जाय तो और ज्यादा अच्छा है। यह बात सही है कि बहुत से अधिकारी और बहुत सी व्यवस्थाओं में खामी है, भ्रष्टाचार की भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्टाचार किस तरह से रोका जाय, किस तरह से उसको पकड़ा जाय, किस तरह से उसके बाबत कार्यवाही की जाय। जो रिकार्ड से, एक्शन में और फैक्ट्स से पकड़ में आ जाते हैं उनको तो हम, अध्यक्ष महोदय, छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन जो इस तरह से करप्शन करते हैं जिसमें न लेने वाले को न देने वाले को दुख है तो उस बारे में हम भी कुछ पकड़ नहीं पाते है। जैसे प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी का उल्लंघन करके अगर किसी इन्जिनियर ने काम किया तो साफ जाहिर है कि करप्शन किया तो हम उसके खिलाफ में एक्शन लेते हैं। इसी तरह से कोई कन्सट्रक्शन हुआ हो, बहुत जल्दी खतम हो जाता है, उसके बारे में भी हम एक्शन ले सकते हैं। इस तरह से कई जो सब्सटेंशियल एवीडेन्स हैं, जिनके बारे में हम एक्शन ले सकते हैं उसको तो लेने में कसर नहीं रखते लेकिन फिर भी जैसे लगा बंधा एक जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें कन्ज्यूमर भी शामिल है और यह भी शामिल है तो वह मेरे भी बस की नहीं है। इसमें माननीय सदस्य और जनता मेरी मदद करें तो शायद कुछ और तरक्की कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से माफी चाहूंगी कि सारे आपके सवालों का और समस्याओं का यहां पर जबाव नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी काफी बातें मैंने कही, माननीय सदस्य, जो टोडा भीम और महुआ से आते हैं, के बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगी. वह कह रहे हैं कि फाइल ही नहीं मिल रही है तो फाइल की आपको जरूरत नहीं है। आपकी स्कीम स्वीकृत कर दी है गवर्नमेन्ट ने। अब जो अग्रिम प्रक्रिया है उसके बारे में कार्यवाही करके आपको सन्तोष कराने की कोशिश करेंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। संकल्प पर मतदान, अब यह सिलसिला शुरू होगा तो....

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज ! अब आप मंत्रीजी से अलग से मिल लें, माननीय सदस्य ।

प्रश्न यह है कि विद्युत् प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 65 की उप-धारा 3 के अधीन ऋण लेने की उच्चतर सीमा नियत करने संबंधी संकल्प को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया ।

काफी समय हो गया मेरे ख्याल से, इसलिये अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.47 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई) ।

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 177 की सूचियां

सूची 'क'

आमेर, चौमूं, विराटनगर और जमुवारामगढ़ तहसील में पशु चिकित्सालयों व औषधालयों की संख्या :—

क. सं.	तहसील	पशु चिकित्सालय	औषधालय
1	आमेर	मण्डल	दूरथल आमेर
2	चौमूं	1 चौमूं 2 सामोद 3 कालाडेरा 4 खेजरोली	1 चीथवाड़ी
3	विराटनगर	1 विराटनगर 2 शाहपुरा 3 अमरसर 4 आंतेला 5 गुलाबवाड़ी	1 करीकी 2 मनोहरपुरा 3 मेड़
4	जमुवारामगढ़	1 जमुवारामगढ़	1 भानपुर कला

सूची 'ख'

वर्ष 1981 से लेकर अब तक निम्नलिखित तहसीलों में खोले गये पशु चिकित्सालय :—

तहसील	चिकित्सालय	औषधालय
1. आमेर		
1983-84		आमेर
2. विराटनगर		
1980-81	भाबेला	—
3. जमुवारामगढ़		
1980-81	—	भानपुर कलां
4. चौमूं		
1980-81	खेजड़ोली	चीथवाड़ी 1983-84

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 193 का विवरण

दिनांक 11 फरवरी, 1983 को ग्राम पंचायत मुख्यालय मह समितियों वो म दड़ी, तहसील राजसमंद, जिला उदयपुर हुये आवंटन की सूची

क्र. सं.	ग्राम	नाम आवंटी मय वल्दियत	आवंटित रकबा बीघा–बिस्वा	आवंटी के नाम पर पूर्व में दर्ज बीघा–बिस्वा	आवंटी के पिता के नाम पर दर्ज भूमि बीघा–बिस्वा	आवंटित भूमि पर पूर्व में किसका कब्जा था	कब्जेदार का आवंटी से सम्बन्ध	वि०वि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	घाटी	गोपालसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपूत	6–11	—	3–10	श्री हरिसिंह पिता नंदासिंह, राजपूत नं. 180 पर	भतीजा	
2.	,,	श्री मोड़ा पिता केशा जी गूजर	2–5	1–12	35–17	—	—	
3.	,,	श्री मांगीलाल पिता प्रताप जी बजारा	9–6	6–13	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	रावी का खेड़ा	श्री गंगाराम पिता उदेराम जाट	0–3	10–17	—	खुद का	—	छोटी पट्टी
5.	,,	श्री रामा पिता जयकिशन जाट	0–5	41–1	—	—	—	,,
6.	रूपा खेड़ा	श्री किशनलाल पिता बेगीराम जाट	5–3	—	33–16	श्री भूरा, सहखेगीराम पुत्र सूरजमल पिता नारायण जाट		,,
7.	,,	श्री भैरूलाल पिता छुरलाल जाट	0–8	4–0	32–9	खुद का	—	छोटी पट्टी
8.	,,	श्री कृष्णचन्द्र पिता गोपीलाल छीपा	1–0	9–10	5–7	खुद का	—	छोटी पट्टी
9.	बेना खेड़ा	श्री शिवा पिता शंकर गूजर नि० घाटी	7–6	—	34–16	—	—	छोटी पट्टी
10.	,,	श्री भग्गा पिता गंगाराम भील	8–0	—	—	—	—	,,
11.	,,	श्री चतरा पिता केशा गूजर	11–8	1–12	35–17	खुद का	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	बेनाखेड़ा	श्री हालू पिता चेना गूजर नि० मादड़ी	6-10	—	—	खुद का	—	,,
13.	,,	श्री प्यारा पिता केशा गूजर नि० घाटी	6-12	1-12	35-17	खुद का	—	,,
14.	,,	श्री गल्ला पिता चेना जी गूजर	6-17	—	—	खुद का	—	,,
15.	,,	श्री भंवरलाल पिता माईग भील नि० डुलियाना	4-10	—	—	—	—	,,
16.	बेमा खेड़ा	श्री गिरधारीलाल पिता मक्षा गूजर	3-5	11-12	11-1	खुद का	—	छोटी पट्टी
17.	,,	श्री उदा पिता भेरा गूजर	5-0	2-4	11-5	भेरा पिता भमरा गूजर	पुत्र	
18.	,,	श्री छग्गू पिता पेमा गूजर	4-0	—	75-4	पेमा पिता प्यारा गूजर	पुत्र	
19.	,,	श्री रूप पिता पेमा गूजर	4-0	—	75-4	पेमा पिता प्यारा गूजर	पुत्र	
20.	,,	श्री नारायण पिता पेमा गूजर	4-0	—	75-4	पेमा पिता प्यारा गूजर	पुत्र	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	,,	श्री भैरूलाल पिता भागा बलाई नि० हुलियाना	2–0	—	—	—	—	
22.	,,	श्री उदा पिता गंगा बलाई नि० हुलियाना	2–0	—	—	—	—	
23.	,,	श्री चतरा पिता जोधा गूजर	7–8	32–2	—	खुद का	—	
24.	,,	श्री मांगीलाल पिता हीराराम गूजर	10–10	—	24–15	हरिराम पिता जोधा गूजर	पुत्र	
25.	,,	श्री रामा पिता भेरा गूजर	2–6	8–0	15–5	भेरा पिता भमरा गूजर	पुत्र	
26.	,,	श्री मोहन पिता भूरा गूजर	1–6	—	26–15	भूरा पिता मजा, प्रताप खेमा गूजर	पुत्र	छोटी पट्टी
27.	,,	श्री बगता, पेमा, गिरधारी, बेगा पिता लच्छा गूजर	8–0	—	11–1	खुद का		
28.	,,	श्री हरिराम, डालू, प्यारा, मांगू पिता जोधा गूजर	7–6	—	14–2	जोधा पिता भमरा गूजर	पुत्र	
29.	मावड़ी महासतियान	श्री भेरा पिता माईंग गूजर नि० दणाई	5–0	—	—	—	—	पं० स० बिनोल में 4–10 बीघा भूमि है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	महासतियों की मादड़ी	श्री जगदीशचन्द्र पिता नंदकिशोर ब्राह्मण नि॰ मादड़ी	6–17	—	11–2	श्री नंदकिशोर पिता पन्नालाल	पुत्र	—
31.	,,	श्री लुमा पिता हीरा गूजर नि॰ मादड़ी	3–19	—	38–6	श्री हीरा पिता जोधा गूजर		—
32.	,,	श्री हीरा पिता शोभा गूजर	4–17	—	26–6	स्वयं	—	—
33.	महासतियों की मादड़ी	श्री मारू पिता सूरजमल गूजर नि॰ मादड़ी	1–15	13–11	27–13	सूरजमल पिता किसना गूजर	पुत्र	छोटी पट्टी
34.	,,	श्री हीरा पिता पीथा गूजर नि॰ मादड़ी	2–5	30–6	—	स्वयं	—	छोटी पट्टी
35.	,,	श्री नाथूलाल पिता पन्नालाल ब्राह्मण नि॰ मादड़ी	5–11	11–2	--	नन्दकिशोर पिता पन्नालाल ब्राह्मण	भाई	
36.	,,	पोखर पिता घुला लुहार नि॰ मादड़ी	2–11	13–17	—	स्वयं	—	छोटी पट्टी
37.	सुमखेड़ा	श्री देवा पिता लीला बलाई	1–5	10–19	—	स्वयं	—	
38.	,,	श्री भीमा पिता गोवर्धन गूजर	4–16	—	25–4	स्वयं	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	सुमखेड़ा	श्री मांगू पिता केशु गूजर	1–0	—	16–11	दोला, गंगा, दुदा पिता नन्दा	—	
40.	,,	श्री लक्ष्मण पिता बगता गूजर	4–8	—	32–9	—	—	
41.	,,	श्री गंगा पिता नन्दा जी गूजर	2–14	5–0	16–6	दोला, गंगा, दुदा पिता नंदा स्वयं	भाई	
42.	,,	श्री उमा पिता खेमा गूजर	1–15	15–10	—	बगता, भूरा माना पिता उमा स्वयं नि० खेमा		
43.	,,	श्री मांगू पिता देवा बलाई	5–7	—	20–19	देवा पिता सोला बलाई	पुत्र	
44.	डुलियाना	श्री उदा पिता मोती गूजर	3–10	—	26–5	मोती, मोड़ा, गोपा पिता प्रताप	मोती का पुत्र	
45.	,,	श्री गोपा पिता प्रताप गूजर	1–2	26–6	—	मोती, मोडा, गोपा पिता प्रताप गूजर	भाई	छोटी पट्टी

Page No 286

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

कृषि भूमि रूपान्तरण शुल्क

197. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कृषि भूमि रूपान्तरण शुल्क निर्धारित कर एक विज्ञप्ति निकाली थी कि 26 मार्च, 1982 तक यह शुल्क जमा होने पर 90 दिन में भूमि के पट्टे दे दिये जावेंगे ?

(2) यदि हां, तो राज्य में कुल कितने व्यक्तियों से कुल कितना शुल्क उक्त अवधि में प्राप्त हुआ तथा क्या उन्हें पट्टे दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त मामले को शीघ्र हल कर पट्टे वितरित करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली गई। अलबत्ता नियम बनाये गये थे जिनमें 31 मई, 82 तक शुल्क जमा कराने पर रियायती दर पर पट्टे देने का प्रावधान था।

(2) उक्त अवधि में 95,000 व्यक्तियों से 22.000 करोड़ रुपया जमा हुआ था उनमें से 6000 व्यक्तियों को पट्टे दिये जा सके है। शेष को पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) यथा शीघ्र दे दिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

उदयपुर नगर की पेयजल समस्या

198. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :–क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर की सभी झीलें भरी हुई होने के बाद भी वहां के नागरिकों को पीने का पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या जलदाय विभाग, उदयपुर लगातार इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता रहा है ? यदि हां, तो अब तक इस समस्या के निदान हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या स्थानीय नागरिकों व राजनैतिक दलों ने भी इस समस्या को लेकर प्रदर्शन किये हैं एवं ज्ञापन प्रस्तुत किये है ? यदि हां, तो इस समस्या का हल कब तक कर दिया जायेगा ?

(4) क्या उदयपुर के पीने के पानी की समस्या का स्थाई हल वाकल योजना पूरी करने से ही हो सकेगा ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में 28 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन पेयजल का वितरण किया जा रहा है, किन्तु शहर के कुछ भाग ऊंचाई पर स्थिति होने एवं कुछ में वितरण व्यवस्था पूर्ण न होने के कारण पानी का दबाव कम रहता है।

(2) जी हां, इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 83 में विस्तार योजना हिरण मंगरी सेक्टर नं. 3, 4, 5, एवं 6 के लिए जिसकी लागत 48.77 लाख रु. है एवं 84 में आपातकालीन जल योजना उदयपुर लागत 125.50 लाख की स्वीकृति कर दी गयी है।

(3) जी हां, उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन चालू कर दिया है जिसका वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

(4) उदयपुर नगर के लिये रा-वाटर स्रोत के वृद्धि की आवश्यकता है। इसके लिये जयसमन्द, देवास चरण द्वितीय एवं बाकल योजना विचाराधीन है।

तहसील नोखा (बीकानेर) के ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

199. श्री सुरजाराम टाक (नोखा) :- क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नोखा जिला बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत अब तक कितने गांव शामिल किये गये हैं ?

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ होने के बाद कितने नये गांव का विद्युतीकरण वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में किया गया, जिसमें कृषि सिचाई कुओं का कितने का विद्युतीकरण हुआ ? कार्य धीरे सम्पन्न होने के क्या कारण हैं ? शेष गांवों का कितने वर्षों में विद्युतीकरण हो जावेगा ?

(3) चालू वर्ष 1984-85 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत नोखा तहसील के कितने गांवों को लिया गया है तथा कृषि सिचाई कुओं को कितनों को लिया जायेगा ? क्या प्रस्तावित योजना में गांवों के विद्युतीकृत करने के लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

उत्तर

(1) तहसील नोखा जिला बीकानेर की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 80 ग्रामों को विद्युतीकरण करने हेतु शामिल किया गया है।

(2) पंचायत समिति नोखा में वर्ष 1982-83 में किसी भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया। वर्ष 1983-84 में 4 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया। वर्ष 1984-85 के कार्यक्रम में पंचायत समिति नोखा के 6 ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया गया है। उनका विद्युतीकरण इसी वित्तीय वर्ष में किया जा सकेगा।

(3) इस वर्ष (1984-85) में वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत नोखा तहसील के 6 ग्रामों को विद्युतीकरण करने के लिये सम्मिलित किया गया है।

अजमेर (लोहाखान) श्मशान की भूमि पर अतिक्रमण

200. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :–क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर के शास्त्री नगर, भोपों का बाड़ा, नया बाड़ा, पुलिस लाइन, लोहाखान, हरिनगर मीर शाहअली, सिविल लाइन, बैंक कॉलोनी आदि के रहने वाले निवासियों के परिवारों के मृत्यु हो जाने पर उसका दाह संस्कार लोहाखान श्मशान में साठ-सत्तर सालों से होता आ रहा है?

(2) क्या यह सही है कि इस श्मशान स्थल की भूमि को इसके भूतपूर्व स्वामियों ने श्मशान स्थल के धार्मिक कार्यों के लिये दान दी थी और इस जमीन, उस पर बने कूए एवं वृक्षों का कोई मुआवजा नहीं लिया था?

(3) क्या यह भी सही है कि इस श्मशान स्थल की भूमि पर प्राथमिक पाठशाला के भवन निर्माण का विवाद खड़ा कर अतिक्रमण करने का प्रयत्न किया जा रहा है? कृपया श्मशान स्थल की भूमि का नक्शा एवं इसमें विवादास्पद पाठशाला भवन निर्माण के स्थल बताते हुये पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) रिकार्ड के अनुसार ऐसा कोई तथ्य अब तक जानकारी में नहीं आया है।

(3) जी नहीं। नक्शा सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(नक्शा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मेजाफीडर व मात्रिकुण्डियां प्रोजेक्ट (भीलवाड़ा) के स्टोर्स में सीमेण्ट की चोरी

201. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मेजाफीडर व मात्रिकुण्डियां प्रोजेक्ट, भीलवाड़ा के बिलोया, कारोई, मात्रिकुण्डियां स्टोर से सन् 1983-84 व 1984-85 में वर्षवार कितना-कितना सीमेंट जारी किया गया व कितने सीमेंट के थैले वर्षवार जमा हुए?

(2) क्या यह सही है कि मेजाफीडर व मात्रिकुण्डियां सब डिवीजन के कारोई स्टोर को सीमेंट के गबन को लेकर सीज किया गया था? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त तीनों स्टोर्स में सीमेंट चोरी का मामला पकड़ा गया? यदि हां, तो कितने सीमेंट की चोरी हुई? चोरी में किसका हाथ पाया गया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

उत्तर

(1) मेजा फीडर परियोजना के अन्तर्गत मात्रिकुण्डिया पिकअप वियर भी सम्मिलित है। परियोजना के बीलीया, कारोई व मात्रिकुण्डिया स्टोर से सन् 83-84 व 84-85 में माह अगस्त तक वर्ष वार जारी किये गये एवं जमा हुए सीमेन्ट का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	नाम गोदाम	पुराना शेष (1.4.83)	प्राप्ति (जमा)	जारी	शेष	वर्ष 1984-85 (माह अगस्त, 84 तक) पुराना शेष (1.4.84)	प्राप्ति (जमा)	जारी	शेष
1–	बिलीयां	449	12803	10482	2770	2770	30102	31748	1101
2–	कारोई	7200	5998	6187	7011	7011	—	4100	2911
3–	मात्र कुण्डियां	10132	52686	32738–	30080–	30080	250	13675–	16885

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि कारोई सीमेन्ट स्टोर को सीज किया गया था।

(3) जी नहीं। तीनों सीमेंट स्टोरों में से कारोई स्टोर का भौतिक सत्यापन करने पर उसमें रिकार्ड से 319 सीमेन्ट के थैले कम पाये गये। इस कमी के बारे में अग्रिम विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

नीम का थाना पंचायत समिति के आर. ई. सी. टोडा के ग्रामों में कुओं को विद्युत

202. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नीमका थाना पंचायत समिति के आर. ई. सी. टोडा के कितने ग्रामों में इस वर्ष कितने कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) आर. ई. सी. टोडा में कुओं पर कनेक्शन हेतु कितने प्रार्थना-पत्र किस तारीख से विचाराधीन हैं ?

Page No 290

उत्तर

आर ई. सी. टोडा की ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम का माह मार्च, 1984 में कार्यकाल पूर्ण हो चुका है एवं उक्त स्कीम के अन्तर्गत कुओं पर विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य नहीं रखा जा सकता है। वर्ष 1984-85 में मण्डल के फेज प्रोग्राम में पंचायत समिति नीमका थाना में एस. पी. ए. स्कीम के अन्तर्गत 50 कुओं पर विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित है। आर. ई. सी. टोडा (सहायक अभियन्ता, पाटन) में दिनांक 30.9.1984 को कुओं पर कनेक्शन हेतु 351 प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। प्रार्थी का नाम एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि दर्शाते हुये विवरण सूची "घ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आर. ई. सी. टोडा के अन्तर्गत कुओं पर कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 30.9.1984 तक की सूची

क्रम. सं.	प्रार्थना पत्र के प्रार्थी का नाम	ग्राम	प्रार्थना पत्र की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री विरदाराम/जेतूराम	चक चारणवास	22.2.83
2.	,, रूडाराम/मंगलाराम	,,	31.8.84
3.	,, भंवरसिंह/नर्दसिंह	पीथलपुर	16.12.82
4.	,, हनुमान/कालूराम	,,	10.2.83
5.	,, बनवारी/किशोर	,,	10 2.83
6.	,, बालूराम/गोमा	,,	10.2.83
7.	,, महादेव/नारायण	,,	8.4.83
8.	,, मुरलीधर/रूडा	,,	8.4.83
9.	,, लक्ष्मीनारायण/श्योनाथ	,,	7.6 83
10.	,, पृथ्वीसिंह/बलवंत	,,	7.6.83
11.	,, गिरधारी/माधो	,,	7.6.83
12.	,, बबलू/हनुमा	,,	28.10.83
13.	,, हरलाल/गिरधारी	,,	20.10.84

Page No 291

1	2	3	4
14.	,, गुलाबसिंह/चारन्दरा	कोला की नागल	15.7.83
15.	,, गणपत/उमराव	मोहनपुरा	4.1.83
16.	,, मुरली/लालजी	,,	5.1.83
17.	,, मूलाराम/रीवाराम	,,	4.1.83
18	,, मंगलाराम/नाथूराम	रानासर	23.10.80
19.	,, जीता/खीवा	,,	6.9.83
20.	,, सांवलीया/पेमा	,,	13.9.83
21.	,, प्रभूदयाल/भागीरथ	,,	20.10.83
22.	,, बोदूराम/प्रहलाद	,,	14.2.84
23.	,, माधा/नाथू	नोरङा	6.11.82
24.	,, भगवाना/नानगा	,,	6.11.82
25.	,, कुन्दलसिंह/गंगासिंह	रायपुर	11.7.84
26.	,, मालीराम/रामरिछपाल	छिपलता	5.7.83
27.	,, माधाराम/खागाराम	,,	5.7.83
28.	,, नाथा/छोटू	,,	5.7.83
29.	, हनुमान/वचना	,,	13.7.83
30.	,, गणेश/नानू	,,	30 3.84
31.	,, शिवनारायण/बींजा	,,	4.7.84
32.	,, हनुमान/हजारी	,,	20.7.84
33.	,, हुरसा/रणजीत	,,	20.7.84
34.	,, भाना/नाथू	,,	20.7.84
35.	,, हजारी/नाथू	,,	20.7.84
36.	,, सुवलाल/मूलचंद	,,	20.7.84
37.	,, सुरजा/खेवा	,,	20.7.84
38.	,, गणेश/रिछपाल	,,	20.7.84
39.	,, घासा/भंवरलाल	,,	20.7.84
40.	,, पाला/मंगला	,,	20.7.84
41.	,, घासी/जमना	,,	20.7.84
42.	,, गोकुल/उदयसिंह	,,	20.7.84
43.	,, चंदा/बाबू	,,	20.7.84
44.	,, घासा/सूण्डा	,,	20.7.84

Page No 292

1	2	3	4
45.	,, मोहन/गोपी	छिपलता	22.9.84
46.	,, चन्द्रा/हेमा	बांधला	24.6.83
47.	,, चन्द्रा/हेमा	,,	24.6.83
48.	,, सूरजा/नरासा	,,	17.8.83
49.	,, सूरजा/नरसा	,,	17.8.83
50.	,, लखूराम/देवीसहायक	,,	25.8.83
51.	,, दूलारम/मगला	,,	25.8.83
52.	,, रतीराम/दूलीचंद	,,	26.10.83
53.	,, हरीराम/रातारम	,,	26.10.83
54.	श्रीमती सोनी पत्नि महादेव	,,	17.12.83
55.	श्री रामनिवास/मजलावक्ष	,,	30.12.83
56.	,, चंद्रा/जीवन	,,	27.6.84
57.	,, मूलाराम/जीवन	खोरी	31.12.83
58	,, मूला/फूला	वरसिंहपुरा	22.2.83
59.	,, कूंवरलाल/महादेव	,,	22.2.83
60.	,, भोमा/सात्या	,,	14.12.83
61.	,, बोदू/गणपत	,,	14.12.83
62.	,, मातादीन/मोतीराम	श्यामपुर	26.6.83
63.	,, चौथमल/मोहन	सांवलियामा	9.2.83
64.	,, श्रीमती नाथी/हनुमान	,,	9.2.83
65.	श्री भूरा घीमा	,,	15.2.83
66.	,, मांगू/पन्ना	,,	14.3.83
67.	,, मूला/नारायण	,,	14.3.83
68.	,, हनुमान/भंवर	,,	12.2.84
69.	,, जगदीश/रामोतार	बगवास	24.10.83
70.	,, प्रभात्या/गणपत	,,	24.12.83
71.	,, सूरजा/श्योनारायण	,,	24.12.83
72.	,, छोटूसिंह/रूडासिंह	आसमपुर	18.7.83
73.	,, राजपालीसिंह/विजयसिंह	छाजा की नागल	24.2.83
74.	,, धरमपाल/घीसा	,,	26.2.83
75.	,, फूलचंद/घीसा	,,	26.2.83

1	2	3	4
76.	,, धीसा/खेवाराम	छाजा को नावल	26.2.83
77.	,, जवाराराम/दूलारा	,,	11.3.83
78.	,, गोरखेवा/सागरा	,,	17.8.83
89.	,, पूरा/गिरधारी	अजमेरी	5.5.82
80.	,, मोहर/मांगू	,,	5.5.82
81.	,, भगवान/गिरधारी	,,	5,5 82
82.	,, पांचू/छाजू	,,	5.5.82
83.	,, धीसा/फूल्या	,,	5.5.82
84.	,, भंवर/हरसहाय	,,	6.5.82
85.	,, कालू/बद्री	,,	5.5.82
86.	,, छोमा/वेगा	,,	5.5.82
87.	,, गोपी/गोलू	,,	5.5.82
88.	,, रूड़ा/गिरधारी	,,	5.5.82
89.	,, सुण्डा/चान्डू	,,	5.5.82
90.	,, ओंकार/घूरा	,,	5.5.82
91.	,, मदने/मनराज	,,	5.5.82
92.	,, भूता/नारू	,,	5.5.82
93.	,, हनुमान/गोपा	,,	17.8.82
94.	,, पाला/गूला	,,	17.8.82
95.	,, धीसा/जीवन	,,	17.8.82
96.	,, धूता/खोला	,,	21.8.82
97.	,, तेजा/छोटू	,,	21.8.82
98.	,, रूडा/सूडा	,,	16.9.82
99.	,, श्रीमती रदकाली पत्नि साधू	,,	16.9.82
100.	,, सुरगा/साधू	,,	16.9.82
101.	,, सुरजगा/साधू	,,	16.9.82
102.	,, भगवान/छोटू	,,	16.9.82
103.	,, भगवान/जानुएल	,,	16.9.82
104.	,, उगमा/माधो	,,	16.9.82
105.	,, गोपाल/जोधा	,,	16.9.82

1	2	3	4
106.	,, तेजा/काना	,,	18.9.82
107.	,, किशना/लच्छा	,,	18.9.82
108.	,, श्योबक्ष	,,	27.9.82
109.	,, भवर/जीवन	,,	27.9.82
110.	,, सुवा/गालू	,,	29.10.82
111.	,, रघा/भैरू	,,	30.10.82
112.	,, सुन्दर/पूरा	,,	30.10.82
113.	,, रामबक्ष/काला	,,	11.11.82
114.	,, काना/छोटू	,,	18.11.82
115.	,, गोपाल/किशन	,,	8.12.82
116.	,, दीपू/बोदू	,,	20.12.82
117.	,, दीपू/बोदू	,,	20.12.82
118.	,, भूरा/बागा	,,	20.12.82
119.	,, सुबा/गोगू	,,	20.12.82
120.	,, कजोड/भगवान	,,	20.12.82
121.	,, हरला/चन्दू	,,	20.12.82
122.	,, परता/नन्दा	,,	20.12.82
123.	,, रूडा/रानू	,,	24.12.82
124,	,, तेजा/गोपी	,,	24.12.82
125.	,, कालू/गोरया	,,	18.1.83
126.	,, भगवाना भंवर	,,	4.2.83
127.	,, साधू/श्योनारायण	,,	3.2.83
128.	,, पावूदा/छोटा	,,	25.2.83
129.	,, साधू/मालीराम	,,	5.3.83
130.	,, छोटू/नोन्दा	,,	5.3.83
131.	,, सरदार/मूला	,,	5.3.83
132.	,, साधू/छोटा	,,	25.3.83
133.	,, रूडगल/झावा	,,	10.5.83
134.	,, नाथू/हनुमान	,,	15.8.83
135.	,, छोटू/मांग	,,	9.8.83

1	2	3	4
136.	,, बोदू/शिवनारायण	,,	27.10.83
137.	,, पोशावत/हरिसिंह	,,	18.4.88
138.	,, भांका/रामदेव	,,	18.4.84
139.	,, भूंथा/तेजा	,,	11.7.84
140.	,, बाबूलाल/कल्ला	,,	11.9.84
141.	,, सुरजा/साधू	,,	30.10.82
142.	,, प्रहलाद/वंसी	ब्योर	18.9.82
143.	,, देवी सहाय माथुर	राजपुरा	18.9.82
144.	,, देवी सहाय माथुर	,,	18.9.82
145.	,, नारायण/गंगा	,,	18.8.82
146.	,, गणेश/बल्ला	,,	20.12.82
147.	,, गंगूसिंह/भूरसिंह	,,	22.6.83
148.	,, रामू/बल्ला	,,	16.1.84
149.	,, सुरजा/बल्ला	,,	16.1.84
150.	,, रामू/बल्ला	,,	16.1.84
151.	,, मोती/बल्ला	,,	16.1.84
152.	,, प्रभु/धरसू	,,	21.3.84
153.	,, नाराराम/रामदेव	,,	4.9.84
154.	,, रामदेव/तुलसा	,,	9.2.84
155.	,, सोहन/डूंगा	,,	9.2.84
156.	,, काना/बीरबल	,,	9.2.84
157.	,, बुध्दा/रघु	बक्षीपुरा	22.11.82
158.	,, नंदकुमार/शिवनाथ	,,	7.1.83
159.	,, दीना/शिवराम	,,	24.3.84
160.	,, शिवदान/उम्मेदा	जटवास	8.2.83
161.	,, ओमप्रकाश/रामदेव	रामसिंहपुरा	6.8.82
162.	,, भरता/डूंगा	,,	23.9.82
163.	,, ईश्वर/सीताराम	,,	23.9.83
164.	,, हनुमान/भोला	,,	23.9.83
165.	,, मूंगा/शिवा	,,	1.10.82

Page No 296

1	2	3	4
166.	,, कोरडा/नाथ्या	,,	4.10.82
167.	,, भूरा/जयराम	,,	22.11.82
168.	,, भूरा/जैराम	,,	22,11.82
169.	,, हरदेव/शिवलाल	,,	26.7.83
170.	,, भगवाना/सुन्डा	,,	27.7,83
171.	श्री उमराव/गोपाल	हरीपुरा	4.7.84
172.	,, नारायण/गोपाल	,,	30.8.84
173-	,, सावंता/महादेव	,,	26.9.84
174.	,, जयचंद/रूडमल	गणेश्वर	15.3.83
175.	,, रामेश्वर/भंवरसिंह	,,	15.3.83
176.	,, भूरा/रामरतन	,,	8.4 83
177.	,, मोहनसिंह/पाबूदान	,,	9.6.83
178.	,, माला/बूरा	,,	9.6.83
179.	,, भागीरथ/भूरसिंह	,,	9.6.83
180.	,, छोटूसिंह/बिरधू	,,	9.3.83
181.	,, प्रभात्या/रूडा	,,	2.7.83
182.	,, सुल्तानसिंह/विलोक्यराम	,,	16.8.83
183.	, मूलचन्द/जग्गू	,,	3.6.84
184.	,, शिवलाल/वरदी	,,	11.6.84
185.	,, हरद्वारीलाल	,,	18.9,84
186.	,, प्रभात्या/मांगू	वीमास	23.3.83
187.	, चिरंजीलाल/दूलीचंद	,,	10.3.83
188.	,, गेंदालाल/शिवदयाल	रायपुर जागीर	30.7.83
189.	,, शिवलाल/मांगुलाल	,,	30.7.83
190.	,, शोलाराम/भूलाराम	,,	30.7.83
191.	,, भूलाराम/श्यामपुरा	,,	30,7.83
192.	,, भगवाना/कालू	,,	30.7.83
193:	,, मूंगाराम/रामेश्वर	,,	18.1.84
194.	,, रामकुंवार/सोनारम	,,	18,1.84
195.	,, मोटूराम/तेजाराम	,,	18.1.84

Page No 297

1	2	3	4
196.	श्री सूनाराम/हरसुख	रायपुर जागीर	18.1.84
197.	,, प्रभात्या/देवा	,,	18.1.84
198.	,, शिवकरण/रिछपाल	,,	18.1.84
199.	,, मागूराम/रामेश्वर	,,	18.1.84
200.	,, जमनालाल/मिसरा	,,	15.20.84
201.	,, सीताराम/सुरसानंद	,,	26.3.84
202.	,, श्यामा/वाल्या	,,	26.3.84
203.	,, गोपीराम/पूरनराम	,,	26.3.84
204.	,, भूंथा/लादू	,,	11.7.84
205.	,, भंवरदास/रामसहाय	,,	11.7.84
206.	,, सेडू/जमना	,,	11.7.84
207.	,, भंवरा/दान्या	,,	11.7.84
208.	,, भंवरा/जमना	,,	11.7.84
209.	,, गोमाराम/गुल्ला	,,	11.7.84
210.	,, भैरमल/लक्ष्मीनारायण	,,	27.7.84
211.	,, भगवान्या/नारायण	,,	20.1.83
212.	,, शिवबक्स/सुवालाल	सांवलपुरा	25.3.83
213.	,, छोटूराम/पूंगाराम	,,	25.3.83
214.	,, प्रभातीलाल/नारायण	,,	25.3.83
215.	,, कालूराम/सुल्तान	,,	25.3.83
216.	,, मनराज/मदनलाल	,,	25.3.83
217.	,, सुगनसिंह/मंसाराम	,,	25.3.83
218.	,, दानू/छोटू	,,	25.3.83
219.	,, नायूसिंह/कानसिंह	,,	19.4.83
220.	,, नानूसिंह/कानसिंह	,,	19.4.83
221.	,, प्रतापसिंह/वचनसिंह	,,	19.4.83
222.	,, माला/गिरधारी	,,	19.4.83
223.	,, जगदीशसिंह/मानसिंह	,,	19.4.83
224.	,, माधोसिंह/बलवंतसिंह	,,	10.5.83
225.	,, शिवनारायण/अर्जुन	,,	1.6.83

1	2	3	4
226.	श्री सुर्जनसिंह/रेवतसिंह	सांवलपुरा	19.5.83
227.	,, रूपाराम/अर्जुन	,,	25.8.83
228.	,, छाजूराम/भागीरथ प्रसाद	,,	20.9.83
229.	,, सुर्जनसिंह/भंवर	,,	16.1.84
230.	,, झूंथा/घीस्या	,,	6.1.83
231.	,, मयनारायण/फूलचंद	,,	6.1.83
232.	,, गोपालराम/मायावीराम	,,	6.1.83
233.	,, श्योनारायणसिंह/भगवान	,,	6·1·83
234.	,, गंगासहाय/ग्यारस्या	,,	6.1.83
235.	,, गणपतसहाय	,,	6.1.83
236.	,, भंवरलाल	,,	6.1.83
237.	,, श्रीमती सोनी/गोपी	,,	6.1.83
238.	,, श्री पदमा/मुन्नालाल	,,	6.1.83
239.	,, गोविंददास/मोहनदास	,,	6.1.83
240.	,, कालू/जोधा	,,	6.1.83
241.	,, लक्ष्मण/वालू	,,	6.1.83
242.	,, कालू/हुकमा	,,	6.1.83
243.	,, भोला/दीपा	,,	6.1.83
244	,, घूनीलाल/भूरा	,,	6.1.83
245.	,, दुर्गाप्रसाद	,,	6.1.83
246.	,, काना/सांगा	,,	22 1.83
247.	,, श्योनाथ/रामलाल	,,	22.1.83
248.	,, भोला/जगन्नाथ	,,	23.2.83
249.	,, हेमा/महावीर	,,	23.2.83
250.	,, सांगा/गणेश	,,	23 2.83
251.	,, माला/झूंथा	,,	6.4.83
252.	,, पदमा/वालू	किशोरपुरा	22.6.83
253.	,, ईश्वरसिंह/जयनारायण	,,	15.7.83
254.	,, मूलाराम/वेनाराम	,,	29.11.83

1	2	3	4
255	श्री जेसाराम/छोटूराम	किशोरपुरा	8.12.83
256	,, सुर्जनसिंह/गोपालसिंह	,,	28.12.83
257	,, जगन्नाथ/नवलदास	,,	28.12.83
258	,, ईश्वरदास/भगवान	,,	28.12.83
259	,, ,,	,,	28.12.83
260	,, बोदू/मूला	,,	18.1.84
261	,, अर्जुन/हरनाथ	,,	18.1.84
262	,, सुखाराम/सूलाराम	,,	28.2.84
263	,, भूरा/गोपी	,,	24.5.84
264	,, /गंगासहाय	,,	8.6.84
265	,, रामेश्वर/जनपाल पीयोब	,,	8.6.84
266	,, ओंकरदास/खांदादास	,,	19.6.84
267	,, ओंकार/भींवा	,,	18.8.84
268	,, नाथूराम/ओमप्रकास	टटख	22.2.83
269	,, जवाना/प्रभात	,,	22.2.83
270	,, सूगरा/गोरू	,,	22.2.83
271	,, माला/किशोरा	,,	22.2.83
272	,, दिलीपसिंह/मानसिंह	,,	22.2.83
273	,, सुर्जन/प्रहलाद	,,	22.2.83
274	,, नरसिंह/ सबलसिंह	,,	22.2.83
275	,, जगन्नाथ/हनुमान	,,	22.2.83
276	,, जगन्नाथ/हनुमान	,,	22.2.83
277	,, सुगन/प्रहलाद	,,	22.2.83
278	,, शिवलाल/रोशन	,,	1.3.83
279	,, रामप्रसाद/दूलाराम	,,	1.3.83
280	,, तारावत/बाबूसिंह	,,	1.3.83
281	,, गोदू/गोपी	,,	1.3.83
282	,, जवारा/रूडा	,,	1.3.83
283	,, बलदेव/जीवन	,,	1.3.83
284	,, रामदेव/उमराव	,,	1.3.83
285	,, रडा/सूखा	,,	1.3.83

Page No 300

1	2	3	4
286	श्री बनवारी/हनुमान	टटरू	1.3.83
287	,, सुल्तान/हुकमा	,,	1.3.83
288	,, द्वारका/ताकुल	,,	1.3-83
289	,, शिवपाल/जयसिंह	,,	1.3.83
290	,, मन्शी/बन्ना	,,	1.3,83
291	,, प्रहलाद/डूंगा	,,	1.3.83
292	,, जगदीश/छाजू	,,	1.3.83
293	,, चन्द्रा/रामदेव	,,	25.3.83
294	,, गिरधारी/नाथ	,,	8.4.83
295	,, मदन/पूरन	,,	8.4.83
296	,, नारायण/गुल्ला	,,	8.4.83
297	,, रिछपाल/भूरा	,,	24.5.83
298	,, शक्तिदान	,,	21.9.83
299	,, रघुवीर/जगनसिंह	,,	8.2.84
300	,, शंकर/भरत	,,	23.7.84
301	,, भूरा/हनुमान	चुरला	13.7.83
302	,, रिछपाल/रामेश्वर	,,	9.2.84
303	,, छीतर/धूला	,,	9.2.84
304	,, मालसिंह/मलखान	,,	9.2.84
305	,, रामजीलाल/रामेश्वरलाल	,,	10.2.84
306	,, कालू/सोहला	,,	20.2.84
307	,, रामकुमार/महादेव	,,	20.2.84
308	,, शम्भूसिंह/बजरंग	,,	28.2.83
309	,, राहतन/दुर्जन	,,	9.8.84
310	,, शैतानसिंह/भाटी	जुगलपुरा	1.3.83
311	,, नानगा/परसा	,,	14.2.84
312	,, हरसहाय/नंदा	,,	18.2.84
313	,, नारायण/श्योनाथ	,,	28 2.84
314	श्रीमती रूपा/गोविन्दी	,,	28.2.84
315	,, रिछपाल/भोला	,,	11.7-84

Page No 301

1	2	3	4
316	श्री सुरजा/सुवा	जुगलपुरा	11.7.84
317	,, सुरजा/सुवा	,,	11.7.84
318	,, हनुमान/गणपत	,,	11.7.84
319	,, घीसा/रामपाल	,,	11.7.84
320	,, रूडा/शिवदान	,,	11.7.84
321	,, नाथू/बहादुर	,,	11.1.84
322	,, प्रहलाद	,,	11.1.84
323	,, जैसा/बोदू	,,	11.1.84
324	,, गिरधारी/सोना	,,	11.1.84
325	,, हनुमान/लादू	,,	11.1.84
326	,, ओंकार	,,	11.1.84
327	,, सुवा/चन्द्रा	,,	13.8.84
328	,, फूलसिंह/बींजा	,,	28.8.84
329	,, घीसा/ऊदा	ब्योर	8.4.83
330	,, जानमल/छेडूराम	,,	19.4.83
331	,, मांगू/रामवीर	बींट	20.9.83
332	,, सुगला/माला	,,	26.9.84
333	,, गोकुल/कालू	भागेश्वर	16.1.84
334	,, सुवा/प्रभात्या	,,	16.1.84
335	,, सोहन/भूंथा	,,	16.1.84
336	,, भूंथा/गणेश	,,	16.1.84
337	,, वचनसिंह/जग्गू	मोकलवास	13.5.83
338	,, रामचन्द्र/मूला	,,	13.5.83
339	,, बचनसिंह/जगनसिंह	,,	31.8.84
340	,, रामचन्द/शैतान	,,	31.8.84
341	,, महादेव/सोडा	,,	31.8.84
342	,, वचनसिंह/जग्गू	,,	31.8.84
343	,, माधोसिंह/गुल्ला	बालूपुरा	29.11.82
344	,, लालचन्द/गंगा	,,	13.1.84
345	,, गणपत/पन्ना	,,	23.4.84

1	2	3	4
346	श्री गोपालजी कामदार	बालूपुरा	13.9.84
347	,, वचनसिंह/जग्गू	मोकलवास	13.5.83
348	,, भागीरथसिंह	,,	13.5.83
349	,, चन्द्रा राम	अजमेरी	16.8.83
350	,, गोविंदा/ईश्वर	भागेश्वर	16.1.84

ग्राम मूंगसका (अलवर) का कुआ

203. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मूंगसका (अलवर) में खसरा नं. 164 में सरकारी कुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कुवें पर सरकार का अधिकार न होकर एक व्यक्ति विशेष का है जो इस कुएं के पानी को जन स्वास्थ्य विभाग को बेच कर धन कमा रहा है ?

(3) क्या यह सही है 12.9.1980 को रेवेन्यू बोर्ड ने अपने फैसले में उक्त कुएं को सरकारी कुआ माना है ?

(4) यदि हां, तो फैसले के बाद किस तिथि को सरकारी रिकार्ड दुरुस्त किया गया एवं कुएं का कब्जा लेने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) न्यायालय सिविल जज अलवर के आदेश से व्यक्ति विशेष को पानी का भुगतान किया जा रहा है।

(3) जी हां।

(4) राजस्व मण्डल के फैसले के बाद दिनांक 21-5-82 को नामान्तरकरण संख्या 436 के द्वारा उक्त चाहा का सिवायचक बिना लगानी तहत सरकार दर्ज किया गया। न्यायालय सिविल जज, अलवर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 27-7-82 होने पर कब्जा लेने की कार्यवाही न हो सकी।

टोडारायसिंह (टोंक) की बोटूंदा लघु सिंचाई योजना

204. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील टोडारायसिंह में बोटून्दा लघु सिंचाई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(श्री चतुर्भुज)

(2) क्या पूर्व में एक प्रश्न के संदर्भ में योजना के क्रियान्वयन हेतु आश्वस्त किया गया था ? यदि हां, तो इसे, कब तक प्रारम्भ कराने का सरकार का विचार है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। बजट सत्र 1981 के प्रश्न सं. 773/मु. मं. के उत्तर में योजना के क्रियान्वयन हेतु कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

अभियंताओं के सेवाकाल में वृद्धि

205. श्री घनश्याम तिवाड़ी : (सीकर) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल 1981 से 31 अगस्त, 1984 तक राज्य सरकार के आदेशानुसार किन-किन अभियंताओं के सेवाकाल में किस-किस तारीख से किस-किस तारीख तक वृद्धि की गई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सेवा वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने कब-कब निर्देश जारी किये ? यदि हां, तो कृपया निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह सही है कि कुछ अभियंताओं के सेवाकाल में सरकार के निर्देशों के बिना वृद्धि की गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1981 से 31 अगस्त, 1984 तक की अवधि में राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में मण्डल द्वारा दिनांक 8–12–83 को लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित अभियंताओं के सेवाकाल में वृद्धि की गई थी :–

1. श्री विशम्भर दयाल विजय, तत्कालीन मुख्य अभियंता के सेवाकाल में दिनांक 1–12–83 से 31–3–84 तक मण्डल के आदेश दिनांक 12-12-83 द्वारा वृद्धि की गई।

2. श्री नारायण प्रकाश सत्संगी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के सेवाकाल में दिनांक 1-12-83 से 31-1-84 तक मण्डल के आदेश दिनांक 12-12-83 द्वारा वृद्धि की गई।

(2) श्री विशम्भर दयाल विजय, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के संदर्भ में शासन सचिव ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक (54 पी. एस. आई.एस.) 83, दिनांक 29-11-83 द्वारा व श्री नारायण प्रकाश सत्संगी तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के संदर्भ में उपशासन सचिव ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 37, ऊर्जा 83, दिनांक 30.11.1983 द्वारा राज्य सरकार की ओर से सेवाओं में वृद्धि करने के संदर्भ में आदेश प्राप्त हुए थे। उपरोक्त दोनों पत्रों

(श्री ऊर्जा मंत्री)

की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के सेवाकाल में दिनांक 1.10.1980 से 31.3.1981 तक मण्डल द्वारा वृद्धि की गई थी, लेकिन श्री अग्रवाल केवल 31.1.1981 तक ही मण्डल में कार्यरत रहे थे। उक्त अधिकारी की सेवाकाल में वृद्धि विद्युत् मण्डल द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल कर्मचारी सेवा नियम की धारा 18 के अधीन की गई थी।

पत्रों की प्रति

1 परिशिष्ट 'प्रे'

IMMEDIATE/OUT TODAY

Jaipur,
Rajasthan.

Rajendra Jain,
Secretary to Govt.,
Irrigation & Energy Deptt.,

D.O. No. 54 /PS/IS/83. November 29, 1983.

My dear Shri Dave,

Shri B.D. Vijay, Chief Engineer (PPM) of your Board is retiring on 30th November, 1983. He has been appointed Member-Secretary of working Group on power for formulation of VII Five Year Plan. The Government have considered the desirability of continued association of Shri B.D. Vijay with the deliberations of the working Group as Member-Secretary. It is expected that the working Group will be able to give its report by 31st March, 1984. I have, therefore, been desired to inform you that the Government have decided to give four months extension to Shri B.D. Vijay from 1.12.83 to 31.3.84. You may take appropriate action for extending his services for a period of four months by the Board.

Your Sincerely,

Sd/-

(Rajendra Jain)

Shri R. C. Dave,
Chairman,
Rajasthan State Electricity Board,
Jaipur.

IMMEDIATE

GOVT. OF RAJASTHAN
ENERGY DEPARTMENT

The Secretary,
Rajasthan State Electricity Board,
Jaipur.

No. F. 4 (37) Energy/83. Dated, Jaipur the 30th November, 83.

Sub :- Extension in the services of Shri N. P. Satsangi, Executive Engineer.

Ref :- Your letter No. Nil, dated 30.11.83.

Sir,

I have been directed to inform you that the Government have decided to give two months extension to Shri N. P. Satsangi, Executive Engineer, i. e., from 1.12.83 to 31.1.84. You may also take appropriate action to extend his services by the Board for the period and also ensure that a decision is taken by the Board on the agenda item pending before it for the last $1\frac{1}{2}$ years regarding eligibility of promotion to the rank of Superintending Engineers of diploma holders Executive Engineers either way as the Board may deem fit in the matter.

Yours faithfully,
Sd/-
(K. L. Madan)
Deputy Secretary to Government

Page No 307

कोलायत (बीकानेर) के पुश्तैनी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

206. श्री देवीसिंह भाटी : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की संशोधित धारा 15 एएए के तहत सहायक उपनिवेशन आयुक्त कोलायत; जिला बीकानेर के कार्य क्षेत्र से कितने प्रार्थना-पत्र खातेदारी अधिकार लेने हेतु प्राप्त हुये हैं तथा कितने व्यक्तियों को खातेदारी प्रदान कर दी गई है ? कृपया तहसीलवार संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) खातेदारी अधिकार प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? अब तक क्या क्या प्रक्रियायें पूर्ण कर ली गई हैं और सभी आवेदनकर्ताओं को अधिकार कब तक प्रदान कर दिये जायेंगे ?

(3) क्या राज्य सरकार 1955 से पूर्व के पुश्तैनी काश्तकारों को सीलिंग सीमा तक निःशुल्क खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 3697 प्रार्थना-पत्र खातेदारी अधिकार लेने हेतु प्रस्तुत हुए व 19 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं। तहसीलवार संख्या का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रार्थना-पत्र पूर्ण न होने के कारण एवं उनकी जांच करने में समय लगता है अब तक प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की जांच प्रारम्भ कर दी गई है। नियमानुसार खातेदारी अधिकार यथाशीघ्र देने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। ऐसा करना उचित नहीं समझा गया है।

विवरण

तहसीलात उपनिवेशन, कोलायत नम्बर 1 से 4 के क्षेत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15/एएए के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों के विवरण की सूची।

क्र सं.	नाम तहसील उपनिवेशन	प्राप्त आवेदन-पत्रों का क्षेत्र	खातेदारी अधिकार दिये गये व्यक्तियों की संख्या
1.	कोलायत नम्बर 1	1017	–
2.	कोलायत नम्बर 2	1087	3
3.	कोलायत नम्बर 3	199	2
4.	कोलायत नम्बर 4	1394	14
		3697	19

बूंदी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या का समाधान

207. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में जनवरी, 1980 से सितम्बर, 1984 तक पेयजल अभावग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कितने हैण्ड पम्पस की स्वीकृति प्रदान की गई ? कृपया वर्षवार एवं निर्वाचन क्षेत्र गांववार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में स्वीकृत हैण्ड पम्पस में से 50 प्रतिशत हैण्ड पम्प नहीं लगाये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि लगाये गये हैण्ड पम्पस में से 75 प्रतिशत हैण्ड पम्प बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बूंदी में वर्ष जनवरी 1980 से अब तक पेयजल अभावग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 786 हैण्डपम्पों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्षवार एवं निर्वाचन क्षेत्रवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। अधिकांश हैण्डपम्प चालू हालत में हैं एवं इसका रख-रखाव पंचायत समिति द्वारा किया जा रहा है।

सूची

वर्ष 80-81 में स्वीकृत हैण्ड पम्प योजनाएं

जिला बूंदी तहसील हिंडोली

क्र. सं.	गांव	कोड नं.	जनसंख्या 1971	कैटेगरी	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या
1.	पगारा	11	1217	I	7
2.	रामचन्द जी का खेड़ा	112	1250	II	7
3.	कावरी	10	1113	III	6
4.	शखपुरा	25	583	II	3
5.	बघा का खेड़ा	54	549	II	3
6.	सारसद	21	639	III	4
7.	दार का नया गांव	134	651	III	4
8.	सियाना	137	547	III	3
9.	मांदी	27	559	I	3
10.	ताहका	85	693	I	4
11.	टेकरा	38	937	I	5
12.	बांसोली	91	970	I	5
13.	लुहारिया	20	429	I	3
14.	तारडकया	37	465	I	3
15.	फतहगढ़	44	351	I	2
16.	भालेन्दा	45	395	I	3
17.	प्रवार	92	463	I	3
18.	बटवाड़ा	7	370	III	2
19.	खानरिया	26	419	III	3
20.	सवरूपगढ़	31	347	III	2
21.	दांसोली खुर्द	96	273	I	2
22.	सखपुरा	67	256	II	2
	तहसील नैनवा				
23.	रथोदा	63	675	III	3

Page No 310

क्र. सं. गांव	कोड नं.	जनसंख्या 1971	कैटेगरी	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या
24. डोली	86	604	III	4
25. मोदला	109	751	III	4
26. सबालपुरा	146	737	III	4
27. पीपाल्या	147	699	III	4
28. बारीपारप	55	527	II	3
29. कोलाहीरा	80	502	II	3
30. गुरह देवगी	81	980	II	6
31. बानसोली	112	588	II	4
32. संदीला	10	372	III	2
33. भोपुरा	17	410	III	3
34. खोतारा	23	367	III	3
35. सेबनिया	24	413	III	3
36. बामहूरिया	71	434	III	3
37. लुहारपुरा	145	451	III	3
38. नोहरागंज	64	413	I	3
39. घोरपुर	20	198	I	2
40. रामपुरिया	3	227	II	2
41. नाहरी	4	219	II	2
42. राजलन्ता	15	710	III	4
तहसील केशोराय पाटन				
43. गदोली खुर्द	12	1401	II	7
44. धागरवा	52	1009	II	3
45. फोलाय	6	584	II	3
46. गुहेता	44	940	II	5
47. कोटा खुर्द	45	915	II	5
48. नया गांव	71	510	II	3
49. मायगा	106	762	II	4
50. नीमोया	124	550	II	3

क्र. सं. गांव	कोड नं.	जनसंख्या 1971	कैटेगरी	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या
51. जारला	24	537	I	3
52. पपलीबसेपदा	30	692	I	5
53. मानखेड़ा	34	539	I	3
54. बहुरावली	42	549	I	3
55. छाहीनखा	46	530	I	3
56. रिबारपुरा	55	551	I	3
57. खोदकिया	88	746	I	4
58. पीपलया (यत)	33	453	I	3
59. दादवाड़ा	49	366	I	3
60. खेरयाता	38	456	I	3
61. दापता	39	471	I	3
62. बूछिया	102	485	III	3
63. दोलार	163	477	III	3
64. ककारीरिया	32	398	I	2
65. फानकरामीज	31	264	I	2
66. रघुनाथपुरा	105	2251	I	2
67. विजयनगर	115	2291	I	2
68. झारनया	160	1871	I	2
69. बरजोन	25	2091	I	2
70. सखावदा	27	2001	I	2
तहसील बूंदी				
71. लादपुर	101	1231	II	7
72. अजेता	97	1183	III	7
73. कुवारती	51	592	II	3

क्र. सं. गांव	कोड नं.	जनसंख्या 1971	कैटेगरी	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या
74. खटकड़	77	878	II	4
75. भारूपपुरी भा	87	591	II	3
76. धोलुदा	98	819	II	4
77. छांवनी	107	538	II	3
78. मंडागल	127	634	II	4
79. ठीकरिया कलां	178	895	II	5
80. भवानीपुरा	189	614	II	4
81. गमाच	190	885	II	5
82. मेहराना	194	991	II	5
83. सीनता	195	696	II	4
84. बिनयान	197	505	II	3
85. काछोलिया	228	597	II	3
86. मेगरावत की झोनपुरिया	20	781	III	4
87. गोपालपुरा	22	576	III	3
88. जेवरा	79	509	III	3
89. ओंकारपुरा	88	515	III	3
90. रिसहाना	100	707	III	4
91. लोइचा	146	521	I	3
92. लक्ष्मीपुरा	158	551	I	4
93. रिजपरा	245	607	I	4
94. हुलासपुरा	145	424	I	3
95. टोटखेड़ा	124	253	I	2
96. पीपालिया	111	452	III	3
97. अथार	128	394	III	2
98. बिजनवार	135	404	III	3
99. मेंहीमपुरा	33	277	II	2

क्र. सं.	गांव	कोड नं.	जनसंख्या 1971	कैटेगरी	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या
100.	राजवास	73	275	II	2
101.	खारीबड़ा	82	277	II	2
102.	गोपाल निवास	130	273	II	2
103.	किशनपुरा	152	295	II	2
104.	सावर	196	286	II	2
105.	बक्सपुरा	199	315	I	2
106.	गुरहा	247	333	I	2
107.	भवानजरियाखा	159	294	I	2
108.	खानखेड़ा	126	284	I	2

वर्ष 81-82 में हैण्ड पम्प जल योजनाओं में स्वीकृत गांवों की सूची

जिला बूंदी

भाग 1 सूची "ख"

क. सं	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या	श्रेणी	स्वीकृत हैण्डपम्प
1	2	3	4	5	6
		तहसील हिंडोली			
1.	ग्रोडना	12	1151	II	6
2.	थानरदरी	15	330	III	2
3.	रोनीजा	14	1409	II	8
4.	देवरा	133	752	I	4
5.	पायराला	3	289	II	2
6.	किशनगंज	9	220	II	2
7.	जाखोली	99	220	II	2
8.	गोरधनपुरा	42	288	I	2
9.	धरमानो की झोंपड़ी	39	261	I	2
10.	बिसनपुरा	43	277	I	2
11.	भामगंज	35	281	III	2
12.	नारी का खेड़ा	89	173	II	2
		तहसील केशोरायपाटन			
13.	बालकासा	95	1050	II	6
14.	बागली	43	338	I	2
15.	बालडेरा	98	301	III	2
16	पापरली	53	307	I	2
17.	रामगंज	40	335	II	2
18.	खानीहेरा	108	233	II	2
19.	रंजराजपुर	137	235	II	2

1	2	3	4	5	6
20.	पिपालड़ा	147	217	II	2
21.	लक्ष्मीपुरा	54	229	II	2
22.	खानवारपुरा	78	239	III	2
23.	जगट्टूरी	162	224	III	2
24.	चणद	100	240	III	2
25.	बनयानी	103	218	III	2
	तहसील बूंदी				
26.	गोदरया	95	896	II	5
27.	गुमानपुरा	122	816	II	6
28.	खानोतीया	24	187	I	2
29.	ओमकारजी की झोंपड़ी	19	200	III	2
30.	पालका	229	342	I	2
31.	अनुपुरा	141	237	II	2
32.	बावरी खेड़ा	129	291	I	2
33.	भीमगंज	80	227	II	2
34.	गोपालपुरा	143	273	III	2
35.	नरसिंहपुरा	69	204	III	2
36.	रघुनाथपुरा	210	237	II	2
37.	रीपालड़ा	117	672	III	4
38.	रापनगर	27	313	I	2
39.	असालिया	248	260	III	2
40.	बन्दोरपुरा	49	190	III	2
41.	गारखोरा	119	169	II	2
42.	मनकपुरिया	47	196	II	2
43.	सनचालपुरा	123	210	III	2
	तहसील नैनवा				
44.	बंघाल	161	249	III	2

1	2	3	4	5	6
45.	देवरिया	80	408	II	3
46.	बोरड़ा	58	272	III	2
47.	मानपुरा	8	205	II	2
48.	मानपुरा	98	303	I	2
49.	रघुनाथगंज	9	216	III	2
50.	समतपुरया	74	302	III	2
51.	गमबोरी	11	198	III	2
52.	गगरीया	79	191	III	2
53.	राबरी	14	172	II	2

भाग 1

सूची "ग"

वर्ष 82-83 में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की योजनायें जिला बूंदी

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	जनसंख्या	कैटेगरी	हैंड पम्प सेक्शन्ड नं०
1	2	3	4	5	6
	तहसील बूंदी				
1.	अंनथून	157	160	I	2
2.	बगली	101	168	I	1
3.	बांकी	140	59	III	1
4.	बारखेड़ा 1	125	187	I	1
5.	बालेसया	14	137	III	1
6.	भीम का खेड़ा	31	141	II	1
7.	पापरस	42	154	II	1
8.	दौलतपुर	11	89	II	2
9.	जाखना	109	556	II	3
10.	कसारपुरा	83	92	II	2
11.	खुमहरया	131	147	II	2
12.	लाखन की झोपड़ी	34	79	II	2
13.	मोतीपुरा	91	128	II	2
14.	पारना	142	102	III	2
15.	सलारीया	32	189	II	2
16.	कल्याणपुरा	156	108	I	2
	तहसील केशोराय पाटन				
17.	साहनपुरा	29	195	I	2
18.	खेरली देवली	21	215	II	2
19.	बालपुरा	23	171	II	2

Page No 318

1	2	3	4	5	6
20.	मानसखेड़ा	9	192	I	2
21.	घोगसी	61	143	I	2
22.	लोहली	10	85	I	2
23.	माधोराजपुरा	128	842	II	5
24.	बारखुना	8	200	II	2
25.	नीमोदा	113	405	I	2
26.	शाम्भुपुरिया	17	163	II	2
27.	कमलोर	137	235	II	2
28.	थोकोली	158	260	III	2
29.	खोदीना	107	568	I	3
30.	मानोली	65	550	I	4
31.	भांदगनवार	26	346	I	3
32.	कोटड़ी	84	458	I	3
33.	पाटोलिया	120	379	I	3
34.	बालीथा	126	408	I	3
35.	देईखेड़ा	48	1484	I	8
36.	धीकड़ी	51	562	I	4
37.	देवपुरा	156	30	I	2
38.	रोरीड़ा	99	386	III	3
39.	दोटवा	69	318	I	2
40.	हीरापुरा	64	465	I	3
41.	हिगोनिया	72	678	I	5
42.	जालोदा	101	992	I	7
43.	करवाला की झोंपड़ी	66	569	I	4
44.	करबला	104	869	I	6
45.	भोदी	96	341	I	3
46.	धोड़ली	153	146	I	2
	तहसील बूंदी				
47.	डूनोटिया	104	194	I	2
48.	तालाब वरधा	223	1642	I	8

Page No 319

1	2	3	4	5	6
49.	कांटि	4	433	I	3
50.	रतनपुरिया	240	61	I	2
51.	गोवापुरा	235	697	I	4
52.	अंथरा	114	164	I	7
53.	चोगला	236	158	II	2
54.	जालोदा	171	202	I	2
55.	कोदीजा	120	427	I	3
56.	मांगली	121	76	I	2
57.	सांपटिजा	170	205	I	2
58.	लीलराचारण	169	352	I	3
59	इटोदा	44	112	I	2
60.	श्यामपुर की झोंपड़ी	59	47	I	2
61.	नया गांव	68	163	I	2
62.	वाम्बोरी	94	792	II	6
	तहसील नैनवा				
63.	जारखोदा	76	1289	III	7
64.	पोपारवाली	21	115	II	2
65.	सेवरा	91	431	III	3
66.	श्योपुरा	136	305	III	2
67.	अरनसी	99	326	I	2
68.	सनसरिया	150	231	III	2
69.	मेदाकपुरा	108	136	III	2
70.	बामन गांव	56	1835	I	8
71.	सेमदी	6	1793	I	8
72.	सीसोला	34	910	I	8
73.	गुरहासेदेवरतिया	142	453	I	3
74.	अंतारदा	133	1293	I	8
75.	खेरुना	53	397	I	3
76.	कलांनला	93	449	I	3

1	2	3	4	5	6
77.	फतहगंज	75	429	I	3
78.	बतावदी	66	671	I	5
	तहसील हिंडोली				
79.	खीनिया	100	1808	I	8
80.	भारदी	58	352	I	3
81.	जहाजपुरिया	87	398	I	2
82.	तुरकारी	105	313	I	2
83.	थनेव	113	805	I	6
84.	मलकोर	77	384	I	3
85.	भारपुरा माठरी	138	616	II	5
86.	बीकारन	33	110	III	2
87.	वोरखेड़ा	82	382	I	2
88.	भील का खेड़ा	48	42	III	2
89.	चंनपुरिया	36	237	II	2
90.	कालोल्हा	29	1231	III	7
91.	मोतीपुरा	34	147	III	2
92.	टाकला	17	710	II	4

बांदीकुई में 136 के. वी. ग्रिड स्टेशन

208. श्री नाथूसिंह :— बांदीकुई क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) क्या बांदीकुई में 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह ग्रिड स्टेशन स्थापित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब ग्रिड स्टेशन कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, बांदीकुई में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दिनांक 7.5.1984 को दी जा चुकी है।

(2) जी नहीं, यह ग्रिड सब-स्टेशन वर्ष 1985-86 तक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

36 पी टी पी (श्री गंगानगर) मोघा का स्थानान्तरण

209. श्री महेन्द्रसिंह :— संगरिया क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर जिले में 36 पी टी पी मोघा को हटाकर दूसरी जगह लगाया गया है ? क्या इस मोघे को नियमानुसार स्थानान्तरित किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि 36 पी टी पी को 35 पी टी पी से पहले लगा दिया गया है जबकि नियमानुसार 36 पी टी पी को 35 के बाद ही लगाया जाना चाहिए था ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) यह सही है कि स्थानान्तरित 36 पी. टी. पी. का मोघा 35 पी. टी. पी. से पहले लगाया गया है। शुरू में मोघों का नामांकन स्थिति के अनुसार ऊपर से नीचे क्रमानुसार किया जाता है। बाद में तकनीकी आधार पर उनके स्थल में परिवर्तन किया जा सकता है।

बी. ए. बी. एड. तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों को दो वेतन वृद्धियां

210. श्री समर्थलाल, (राजगढ़) क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बी. ए. बी. एड. तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से दो अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि अधिक दी जाती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों को बी. ए. बी.एड. होने पर भी दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां शिक्षा विभाग की शिथिलता के कारण अभी तक नही दी गयी हैं ? यदि हां,

(श्री समर्थलाल)

तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे अध्यापकों को अब नियुक्ति तिथि से दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1983 में विहित प्रावधानों के अनुसार बी. एड. करने वाले तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को दिनांक 1-9-81 से केवल एक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

(2) जी नहीं। स्थिति यह है कि दिनांक 1-9-68 से 13-8-76 तक एवं 1-9-76 से 31-8-81 तक की अवधि में नियुक्त तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की यह मांग है कि उन्हें भी बी. एड. की उपाधि प्राप्त करने के कारण अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाए। प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जिला झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था

211. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में झुंझुनू जिले के कुल कितने ग्रामों में पेयजल व्यवस्था है एवं कितने शेष हैं ? इन्हें कब तक पेयजल उपलब्ध करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, खेतड़ी में स्वीकृत कुछ ग्रामों की टंकियों का निर्माण कार्य अपूर्ण पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त अधूरी पड़ी टंकियों को शीघ्र पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या पेयजल समस्या के निवारणार्थ सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के बतौर हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में झुंझुनू जिले के 557 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था है। शेष 136 ग्रामों में से 48 ग्रामों को वर्ष 84-85 में पेयजल उपलब्धि कराने का लक्ष्य है व 86 ग्रामों को सन् 85-86 में धन उपलब्धि के अनुसार पेयजल व्यवस्था से लाभान्वित करना सम्भव होगा।

(2) जो टंकियां गावों में अधूरी हैं वे पंचायत समिति द्वारा बनवाई थीं न कि जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा।

(3) इस जिले के 5 गांव ऐसे हैं जहां पेयजल समस्या के निवारणार्थ वैकल्पिक व्यवस्था के बतौर हैण्ड पम्प लगाने हेतु विचार किया जा रहा है। वित्तीय साधन उपलब्धि के अनुसार हैण्ड पम्प लगाने का कार्य सम्पन्न किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 181 का विवरण

श्रीमती रश्मि गुप्ता, आन्तरिक सज्जाकार के मार्फत शाही रेलगाड़ी के लिए राज. पर्यटन विकास द्वारा खरीदी गई सामग्री का विवरण :

1—मै प्रभाकर एण्ड सन्स, जयपुर

विवरण	तादाद	राशि	योग
हरा/क्रीम कालीन	24.00 व. फीट	3000.00	
लाल/क्रीम कालीन	11.06 व. फीट	1106.00	
लाल/क्रीम कालीन	17.41 व. फीट	1741.00	
मसन्द	12.50 व. फीट	1250.00	
		7097.00	
	सेल्स टैक्स 12%	851.64	
			7948.64
2—मै. शिव शंकर शर्मा, जयपुर			
पेंटिंग (मिनिएचर) बीकानेरी शैली में	3 नग	1800.00	1800.00
3—मै. एस. बी. इलेक्ट्रिक कम्पनी			
क्रोमियम किये हुए लैम्प	8 नग	2360.00	
	सेल्स टैक्स	236.00	
			2596.00
4—मै. सेन्ट्रल कॉलेज इण्डस्ट्रीज जयपुर			
चन्दन की शतरंज	1 नग	365.05	
पीतल के तांबा लैम्प मय फिटिंग	8 नग	0898.40	
जरी के काम के पर्दे	28 नग	8008.00	

विवरण	तादात	राशि	योग
पीतल के काम का शीशा	1 नग	320.00	
मिनियेचर-पेन्टिंग	3 नग	1026.00	
	सैल्स टेक्स	82.10	
मसन्द	8 नग	1320.00	
गेराव लाल रंग के	8 नग	1320 00	
बैड कवर	4 नग	880.00	
सोफा	1 नग	990.00	
मसन्द	5 नग	825.00	
मसन्द एवं बैड कवर की सिलाई	12 नग	264 00	
पर्दों की सिलाई व स्तर	30 नग	660.00	
पर्दों की सिलाई एवं डोरी	28 नग	6308 00	
जरी के काम के पर्दे	28 नग	6328.00	
जरी के काम के पर्दे	2 नग	496.00	
जरी के काम के पर्दे	17 नग	3740.00	
जरी के काम के पर्दे	10 नग	1940.00	
पेन्टिंग	3 नग	1026 00	
	से. टे.	107.70	
जरी के काम के पर्दे	1 नग	171 00	
			31075.25

5—मै. सूर्योदय, जयपुर

विवरण	तादात	राशि	योग
मसन्द	5 नग	1778 72	
सागवान की कुर्सी	1 नग	1466.59	
टेबिल (शतरंज की)	1 नग	517.20	
पेग टेबिल	2 नग	521.16	
बिस्तर की मसन्द	8 नग	1324.80	
तस्वीरों के फ्रेम	10 नग	526.50	
		6134.97	
	सैल्स टेक्स	613.50	
			6748.47

विवरण	तादात	राशि	योग
6—मैं. बाम्बे डैल्स कारपोरेशन			
रोयल फोम के गद्दे	4 नग	4421.95	
रोयल फोम के गद्दे	4 नग	3947.41	
मखमल	15 व. मी.	2478.45	
मखमल	1.95 व. मी.	224.25	
पर्दे का कपड़ा	62.50 व. मी.	1500.00	
कड़ीया	3 ग्रुस	97.20	
मखमल	2.60 व. मी.	299.00	
			12968.26
7—मैं० राजस्थान मैकेनिकल्स, जयपुर			
पी. एण्ड एफ. कलात्मक पट्टिया मखमल पर जरी का काम किया हुआ	1 नग	4440.00	
पी. एण्ड एफ. लगेज की पट्टीया मय फोम एवं मखमल के कवर के	1 नग	1400.00	
पी. एण्ड एफ. मखमल की अपहोल्स्टरी का काम मय यू. फोम के सीट को बैक	1 नग	2250.00	
साइड की पटटीयां	8 नग	2000.00	
			10090.00
8—मैं. गरवारे पेन्ट्स लि० जयपुर			
सी. टी. 7 कोच को अन्दर की छत रंगाई का कार्य व बाहरी कोनों को रंगाई		4388.74	
कलात्मक ऐतिहासिक कला का कार्य उत्तम किस्म के सुनहरी रंगों द्वारा बैठक एवं केबिन ए. पी. पी. सी. में		14396.00	
कलात्मक फ्लोरा कला का सुनहरी रंगों में कार्य (फॉल्स सिलिंग आफ दी गेडरेज)		1680.00	

विवरण	तादात	राशि	योग
बिजली सम्बन्धित कार्य का खर्चा		325.00	
			20789.74
9—मै. सूर्योदय, जयपुर			
आन्तरिक सज्जा हेतु पट्टियां, आर्य एवं फ्लोरल डेकोरेशन दरवाजें	11 नग	5218.00	
सेट्टी (दिवान)	1 नग	3175.90	
अण्डाकार शीशा सागवान की लकड़ी के फ्रेम में	1 नग	487.50	
सागवान की फ्रेम का शीशा	2 नग	382.20	
शीशा खुदाई के कार्य का सुनहरे रंग का फ्रेम	2 नग	477.20	
		9740.80	
	सेल्स टैक्स	974.08	
			10714.88
10—मै. बोम्बे सेल्स कारपोरेशन, जयपुर			
मखमल	66.04 व. मी.	7594.60	
			7594.60
11—मै. राजस्थान मैकेनिकल्स, जयपुर			
पी. एण्ड बैंच सागवान की लकड़ी पर	4 नग	4600.00	
पी. एण्ड एफ. अलमारी	2 नग	3400.00	
लकड़ी की आलमारी सागवान व ब्लाक बोर्ड की	2 नग	5000.00	
आलमारी स्टनमाइका	1 नग	2000.00	

Page No 327

विवरण	तादात	राशि	योग
पी. एण्ड एफ. 6 मी. मी. मोटी सागवान की शटर मय स्लाइडिंग शीशों के शटर के आदि	2 नग	8000.00	
पी. एण्ड एफ. लगेज पट्टियां	2 नग	900.00	
पी. एण्ड एफ. फाल सिलिंग लगेज पट्टियां	2 नग	800.00	
4 मी. मोटी टीक प्लाई लगाने का कार्य		200.00	
पी. एण्ड एफ. पोलिश का कार्य पुरानी एवं नई सतह पर	1500 व. फीट	6750.00	
ऊपरी बर्थ पर कपड़ा चढ़ाई	4 नग	2800.00	
मखमल चेन कवर	8 नग	400.00	
रात्रि सेवाओं के लिए जनरेटर	3 दिन	750.00	
			35600.00

कुल योग : 1,47,925.84

Page No 328

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 183 का मांग पत्र

नवीन मण्डी यार्ड व्यापार मण्डल, चाकसू जयपुर द्वारा अनिश्चितकालीन

हड़ताल के साथ प्रस्तावित

15 सूत्रीय मांग पत्र

1. चोरियों की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था तथा मण्डी यार्ड को चार दिवारी 6 फीट और ऊंची कराई जाये तथा नेपाली चौकीदार की स्थाई नियुक्ति की जावे ।
2. चोरी गये माल का उचित मूल्य (मुआवजा) दिलाया जाये ।
3. दुकानों का किराया 300 रु. प्रतिमाह से घटाकर 150 रु. प्रतिमाह लिया जाये ।
4. मण्डी यार्ड से मुख्य बाजार तक रोशनी की समुचित व्यवस्था कराई जाये ।
5. बड़े प्लेट फार्म को ढकवाने (टीन शेड) की समुचित व्यवस्था की जावे ताकि कृषकों के माल को बरसात से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके ।
6. गोदाम एवं खाली दुकानों को भण्डार व्यवस्था निगम के नियमानुसार व्यापारियों को कृषकों का माल रखने हेतु उपलब्ध कराई जाये ।
7. मंडी प्रांगड़ में प्रकाश की नियमित एवं समुचित स्थाई व्यवस्था कराई जाये एवं स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराई जावे ताकि व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा हो सके ।
8. दुकानों के आगे गिरने वाले नालों को पाईप द्वारा अण्डर ग्राउण्ड करा कर निकाला जाये ।
9. दुकानों के आगे टीन सेट कराया जाय एवं दुकान की बैठक वाले बरामदे पर चैनल गेट लगवाया जावे । जैसा कि दुकान नं. 41 पर लगा हुआ है ।
10. मण्डी प्रांगण में उप डाक घर एवं टेलीफोन की समुचित व्यवस्था करावे ।
11. मण्डी प्रांगण में सार्वजनिक विश्रामगृह स्नानगृह, व शौचालय, मूत्रालय की समुचित व्यवस्था की जावे ।

12. मण्डी प्रांगण में शुद्ध एवं उच्च स्तर की केन्टीन व ढाबा की उचित व्यवस्था की जावे।

13. मण्डी प्रांगण में निर्मित मौजूदा कुए में खारा पानी है। अतः ब्लाक नं. 1 के पीछे बने हुए कुए को ठीक कराकर उसका पीनी पीने हेतु उपलब्ध कराया जावे तथा चार हैण्डपम्प लगवाये जावें।

14. मण्डी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा स्थाई दुकानें खाली करने पर व्यापार करने का लाईसेन्स रद्द नहीं किया जावे।

15. चाक्सू-कोटखावदा मार्ग पर चलने वाली परिवहन निगम की बसों की मण्डी यार्ड पर रुकने की व्यवस्था की जावे। जितने इस क्षेत्र पर आने जाने वाले किसानों को मण्डी आने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

(राधेश्याम सोढ़ानी) (गम्भीरमल बजाज)

अध्यक्ष, मन्त्री,

व्यापार मण्डल, चाकसू व्यापार मण्डल, चाकसू।

Page No 330

परिशिष्ट 6

तारांकित प्रश्न संख्या 187 का विवरण

आयुर्वेद निदेशालय में माह मार्च, 1984 में यन्त्रों एवं अन्य सामग्री के लिये दिये गये क्रय आदेश, माल प्राप्ति, भुगतान एवं ड्राफ्ट बनवाने के विवरण का मानचित्र

क्र. सं.	नाम फर्म मय पता	क्रय आदेश क्रमांक दिनांक	विवरण नाम वस्तु	तादाद नग	राशि	प्राप्ति तादाद	विवरण दिनांक	भुगतान राशि	विवरण दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	मे. सिंग सन्स हास्पीटल रोड, अजमेर	6640–42 26.3.84	प्वाईन्ट मेन्ट स्लेट	200	2980.00	200	29.3.84			
			टोर्च दो सेल	500	3750.00	500	29.3.84			
			फोरसेप फाइ पाइल्स	50	895.00	माल अप्राप्त		8641.69		
		7354–56 29.3.84	टोर्च दो सेल	125	937.50	125	29.3.84	452.90	सेल टेक्स	
			क्लीनीकल थर्मामीटर	250	895.00	250	29.3.84	9094.59		
			बी. पी. ब्लेड नं. 22	144	79.19	144	29.3.84	अर्थात् 9094.60	31.3.84 नकद भुगतान	
2.	मे. एस. लाल, एण्ड कम्पनी, 11/94 गीता कालोनी, दिल्ली	6636–38 26.3.84	स्टेथेस्कोप	500	8250.00	500	31.3.84			
			मेकनटोश	1000 मीटर	12000.00	1000 मीटर	31.3.84	43590.00		ज
			डायसपर सिरिंज	300	5850.00	300	31.3.84	1743.60	सेल टेक्स	1:
			स्टेलाईजर (नोनइलेक्ट्रिक)	200	33000.00	106	31.3.84	45333.60	23.4.84	दि.
3.	मे. गर्ग इन्स्ट्रूमेन्ट एण्ड एप्लाइसेन्स, गर्ग मार्केट, अजमेर	6593 24.3.84	फोरसेप आर्टरी	500	4150.00	500	11.4.84	माल 31.3.84 तक प्राप्त नहीं होने से अभी तक बिल की राशि नहीं उठाई गई है।		
4.	मे. स्टाक डुप्लीकेटर्स एम. आई. रोड, जयपुर	6479–81 22.3.84	डुप्लीकेटिंग मशीन (हैण्ड आपरेटेड)	5	10875.00	5	28.3.84	10875.00 1087.50 11962.50	6.4.84 सेल टेक्स	जरि 17
		7120–22 28.3.84	डुप्लीकेटिंग मशीन (इलेक्ट्रिक)	5	38975.00	5	28.3.84	38975.00 3897.50 42872.50	6.4.84 सेल टेक्स	जरि- 17[illegible]
5.	मे. गोडेज मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी, आतिश मार्केट, जयपुर	5196 5.3.84	आयरन सेफ	5	8125.00	5	31.3.84	8125.00 975.00 9100.00	9.7.84 सेल टेक्स	जरि 999
6.	मे. गोडेज मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	5193 5.3.84	अलमेरा स्माल स्टील	200	73000.00	माल अप्राप्त			—	
7.	मे. एग्रो इण्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा	5190 5.3.84	स्टील टेबुल स्माल	200	83000.00	200	31.3.84	83800.00 10056.00 93856.00	17.5.84 सेल टेक्स	जरि 178
8.	मे. नेशनल स्टील फर्नीचर, गणगोरी बाजार, जयपुर	5199–201 5.3.84	स्टील चेयर्स विथ हेंगिग आर्मस	200	11400.00	माल अप्राप्त		—	—	
		,,	स्टील चेयर्स विथ	200	14800.00	माल अप्राप्त		—	—	

परिशिष्ट 7

तारांकित प्रश्न संख्या 189 का विवरण एवं सूचना

विगत 5 वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र नागौर में पेयजल उपलब्ध कराये गये ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	लोड नं.	योजना किस प्रकार की है	लाभान्वित
1.	करनू	3	पी. एण्ड टी. योजना करनू	1979-80
2.	चावण्डिया	56	,, ,, चावण्डिया	,,
3.	मदवासी	45	क्षेत्रीय जल योजना ग्रलाय मदवासी	,,
4.	मकोडा	44	,, ,,	,,
5.	बालवा	46	,, ,,	,,
6.	गोगेलाव	47	,, ,,	,,
7.	ढाकोरिया	96	,, ,,	,,
8.	सांसवास	2	क्षेत्रीय जल योजना सांसवास भोजास	1980-81
9.	भोजास	1	,, ,,	,,
10.	गुढाभगवानदास	20	पी. एण्ड टी. योजना गुढाभगवानदास	,,
11.	संथेरन	42	क्षेत्रीय जल योजना ग्रलाय उठवालिया	,,
12.	उठवालिया	43	,, ,,	,,
13.	पन्हीलासर	98	,, ,,	,,
14.	रोहिणी	39	,, ,,	,,
15.	सूण्डाला	68	हैण्ड पम्प योजना	1981-82
16.	नापडो	69	,, ,,	,,
17.	टाडास	150	,, ,,	,,
18.	बारनावास	151	,, ,,	,,
19.	खोडवा	148	,, ,,	,,
20.	लालावास	70	,, ,,	,,
21.	खेरावल कलां	58	,, ,,	,,
22.	खेरावल खुर्द	59	,, ,,	,,

Page No 332

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.	योजना किस प्रकार की है	लाभान्वित
23. मावन्डा	154	हैण्ड पम्प योजना	1981-82
24. मकरोड	142	,, ,,	,,
25. म्राकला हमीराना	73	,, ,,	,,
26. गुडला	91	,, ,,	,,
27. गुढ़िया	72	,, ,,	,,
28. जोरावरपुरा	143	,, ,,	,,
29. ग्रहमदपुरा	144	,, ,,	,,
30. टांकला	74	,, ,,	,,
31. बैरावास	149	,, ,,	,
32. पांचला सिद्धा	13	पी. एण्ड टी. योजना	,,
33. सींगड	41	क्षेत्रीय योजना ग्रलाय भदवासी	,,
34. घोराडन	40	क्षेत्रीय जल योजना ग्रलाय	,,
35. मुण्डासर	42	उठवालिया	,,
36. भूण्डेल	17	क्षेत्रीय जल योजना मूण्डोल	,,
37. बिरलोका	11	पी. एण्ड टी. योजना बीरलोका	,,
38. कुरची	66	,, ,, कुरची	,,
39. माडपुरा	15	पी. एण्ड योजना माडपुरा	,,
40. जाखलिया	25	विस्तार जल योजना ग्रलाय	1982-83
41. भेड	57	पी. एण्ड टी योजना भेड	,,
42. निम्बोला	16	क्षेत्रीय जल योजना भूण्डेल	,,
43. नेनाऊ	18	,, ,,	,,
44. गलनी	19	,, ,,	,,
45. रायधनु	52	क्षेत्रीय जल योजना जोशियाद रायधनु	,,
46. जोशियाद	80	,, ,,	,,
47. भवाद	82	,, ,,	,,
48. लूणदा	81	,, ,,	,,
49. सूखवासी	50	,, ,,	,,
50. पोटलिया मांजरा	54	विस्तार जल योजना गुंदा भगवानदास	1983-84

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.	योजना किस प्रकार की है	लाभान्वित
51. काटिया	61	पी. एण्ड टी. योजना काटिया	1983–84
52. देऊ	5	,, ,, देऊ	,,
53. मलावास	64	,, ,, मलावास	,,
54. ईमरनावडा	12	,, ,, ईमरनावडा	,,
55. खारी करमसोता	51	विस्तार जल योजना खारी करम सोता	,,
56. लूणावास	65	,, ,, योजना	,,

Page No 334

सूची—दो

नागोर निर्वाचन क्षेत्र की योजना स्वीकृत है लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया गया है :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	इन्दास	83
2.	डोतीना	4
3.	बीमनियावा	6
4.	पालडी	23
5.	खटोशा	9
6.	खाटीका कला	10
7.	खाटीका खुर्द	8
8.	खिनोद	142
9.	नन्दवानी	53
10.	गोवन	55
11.	महेशपुरा	60
12.	डेरवा	21
13.	यलाजू	22
14.	बरबट्टा	67
15.	गिरावन्डी	145
16.	चरडा	153
17.	चिन्दडी	152
18.	फिलनवासी	104
19.	मदफरासी	93
20.	सलाऊ	89
21.	खारिया	126
22.	नागौर ग्रामीण	87(ए)
23.	ढूंढिया	113

सूची—तीन,

वर्ष 1979-80 से 83-84 तक खोदे गये नलकूपों का विवरण :—

क्र सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या	खोदे गये नलकूपों की संख्या	सफल/असफल	लागत	एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	भेड	57	एक	असफल	44280	ड्रिलिंग एवं हैण्ड पम्प खंड जयपुर
2.	पांचनासिस	13	एक		45360/-	,,
3.	गुडा भगवानदास	20	एक	,,	44280/-	,,
4.	पांचोडा	7	एक	सफल	46386/-	,,
5.	करनू	3	दो	,,	15994/-	,,
					19595/-	,,
6.	करनू	3	एक	,,	22872/-	,,
7.	भूण्डेल	17	एक	,,	13548/-	,,
8.	देऊ	5	एक	,,	20255/-	,,
9.	रायधनु	52	एक	,,	15600/-	,,
10.	काटिया	61	एक	,,	16330/-	,,
11.	ईसरनावडा	12	एक	,,	18850/-	,,
12.	नारवा कलां	62	एक	,,	30270/-	,,
13.	ग्राचीना	13	एक	,,	28071/-	,,
	योग :—		41			

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 220 से सम्बन्धित आंकड़े

राजस्थान के मास्टर प्लान के मुख्य-मुख्य-आंकड़े

1- कुल सतही जल 15865 एम. ए. एफ.

2- कुल जल ग्रहण क्षेत्र 65376.62 वर्ग मील

3- इस्तेमाल योग्य सतही जल 8.687 एम. ए. एफ.

4- उपयोग में लिया गया सतही जल 5.454 एम. ए. एफ.

5- निर्माणाधीन/प्रस्तावित योजनाओं 1.222 एम. ए. एफ. में उपयोग हेतु जल।

6- शेष उपयोग हेतु सतही जल 2.0105 एम. ए. एफ.

7- 1.2225 एम.ए.एफ. जल के उपयोग हेतु 430 करोड़ रुपये लागत की 181 योजनायें निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

8- शेष जल 2.0105 एम. ए. एफ. में से 1.064 एम. ए. एफ. की 249 करोड़ रुपये लागत की 170 योजनायें तैयार।

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 222 की सूची

वर्ष 84-85 में जिला बांसवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची

(अ) क्र. स	नाम विद्यालय	पं. स./तहसील
1-	कोटड़ा बड़ा	गढ़ी
2-	उम्बाड़ा	गढ़ी
3-	खांवनिया	घाटोल
4-	भूवासा	घाटोल
5-	राम का मुन्ना	बागीदौरा
6-	डकारकुण्डी	गढ़ी
7-	छाजा (कन्या)	आनन्दपुरी
8-	बोदला	बांसवाड़ा
9-	बाटीगामा	बागीदौरा
10-	रोहनिया लक्ष्मणसिंह	सज्जनगढ़
11-	भूरा कुआं	सज्जनगढ़
12-	डूंगराबड़ा (कन्या)	सज्जनगढ़
13-	सागवाडिया	गढ़ी
14-	पाराहेड़ा	गढ़ी
15-	दूदका	घाटोल
16-	टामटिया	घाटोल
17-	फलावारा	गढ़ी
18-	नवागांव	आनन्दपुरी
19-	विरपुर	दानपुर
20-	बालावाड़ा	बागीदौरा
21-	कालिन्जरा (कन्या)	बागीदौरा
22-	सज्जनगढ़	सज्जनगढ़
23-	अन्देश्वर	सज्जनगढ़

(ब) वर्ष 1984–85 में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची ।

जिला बांसवाड़ा

1–	रोहिड़ा
2–	देलवाड़ा
3–	रैयाना
4–	करजी
5–	छोटी बदरेल

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 224 की तालिका

विद्युतीकरण गांव एवं विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं. पंचायत का नाम	पंचायत में आने वाले गांवों के नाम	गांव जो विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं।	गांव जो विद्युतीकृत हो चुके हैं।
1. भटवाड़ा	भटवाड़ा, पाकसपुरा महुवा	भटवाडा, रक्खपुरा.. महुवा	भटवाडा
2. पाड़लिया	हिंगोनिया,पाडलिया हरसोली, श्यामपुरा बलदेवपुरा	हिंगोनिया, पाडलिया हरसोली, श्यामपुरा बलदेवपुरा	पाडलिया बलदेवपुरा हरसोली
3. किशनपुरा	किशनपुरा, बोरदा चेतलहेडी, सीदनिया मण्डाला, कुशियां कुण्डाला, इन्द्राहेडी	किशनपुरा, बोरदा चेतलहेडी, सीदनिया मूण्डाला, कुशियां कुण्डाल, इन्द्राहेडी	इन्द्राहेडी
4. मऊ	मऊ. करदिया, खानपुरिया, रेनगढ़	मऊ, करदिया, खानपुरिया, रेनगढ़	मऊ, खानपुरिया
5. मालवमोरी	मालवमोरी, रामपुरा भगतान, बालापुरा रावल, जावल	मालवमोरी, रामपुरा भगतान, बालापुरा रावल, जावल	रावलजावल
6. बमोरीकलां	बमोरीकलां पाली चोकलहेडी	बमोरीकलां, पाली चोकलहेडी	बमोरीकलां
7. जालोजा तेजाजी	जोलोजा तेजाजी केकाखेडी, चैनपुरा, चन्द्राहेडी, सीमल्या भोजाहेडी, शाहपुरा	जालोदा तेजाजी बलवनखेडी केकाखेडी, चैनपुरा चन्द्राहेडी, सीमल्या भोजाहेडी, शाहपुरा	——

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 226 के कार्यादेशों की सूची

क्र० सं०	कार्य आदेश	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	वस्तुस्थिति
1.	1846/27.2.80	150 मि. मी. व्यास की सीवर लाइन जोड़ने व बिछाने की कार्य रंगजी के मन्दिर से गणेश जी के मन्दिर तक	मेसर्स सी. कन्सट्रक्शन कम्पनी उदयपुर।	कार्य सम्पूर्ण
2.	1853/27.2.80	230 मि. मी. व्यास की सीवर लाइन जोड़ने व बिछाने की कार्य गणेशजी के मन्दिर से ब्रह्मोरों की धर्मशाला	————	————
3.	4251/28.3.80	400 मि. मी. व्यास की सीवर लाइन जोड़ने की बिछाने का कार्य बैंक से सम्पवेल	————	————
4.	3402/22.10.80	सम्पवेल व पम्प हाऊस के निर्माण का कार्य	————	————
5.	124/ 4.4.80	300 मि. मी. व्यास की सीवर लाइन को जोड़ने, बिछाने का कार्य ब्रह्मोरों की धर्मशाला से बैंक तक	————	कार्य अपूर्ण है।

क्रम संख्या 1 से 4 तक कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा क्रम संख्या 5 का कार्य करीब 100 मीटर शेष है।

सूची 'ब''

क्र. सं.	कार्य आदेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की गयी राशि मय तारीख
1.	1846/27.2.60	150 मि. मी. व्यास की लाइन जोड़ने एव बिछाने का कार्य रंगजी के मंदिर से गणेश जी के मदिर तक	मैसर्स "सी" कन्सट्रक्शन कम्पनी, उदयपुर	4140/17.5.80 15794/25.2.81 ——— 48034 21115/11.4,80 26074/7.7.80
2.	1853/27·2.70	230 मि. मी. व्यास की सीवर लाइन जोड़ने बिछाने का कार्य गणेश जी के मंदिर से अहीरो की धर्मशाला तक	———	8251/8.9.80 6084/25·2.80 ——— 61624/– 32551/11.6.80 47522/5.7.80
3.	4251/28.3.80	400 मि. मी· व्यास की सीवर लाइन जोड़ने बिछाने का कार्य बैंक से सम्पर्वेल	———	26895/30.8.80 48578/15.12.80 50850/3.1.81 66260/25.2.81 13826/31.3.82 ——— 286477/–

क्र. सं.	कार्य आदेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की गयी राशि मय तारीख
4.	3402/22.10.80	सम्पवेल व पम्प हाउस के निर्माण का कार्य	मैसर्स "सी" कन्सट्रक्शन कम्पनी, उदयपुर।	106418/11.9.80 91610/24.7.81 69564/ ——— 267592/– 34153/11.9.80 16971/16.12.80
5.	124/4.4.80	300 मि. मी. व्यास की सीवर लाइन जोड़ने बिछाने का कार्य भट्टीरों की धर्मशाला से बैंक तक	मैसर्स टांक कन्सट्रक्शन कम्पनी उदयपुर।	24362/16.1.81 16118/19.2.81 15122/19.3.81 ——— 108726/– 64000/3/81
6.	–	पम्प व मशीनरी सम्पवेल हेतु जमीन की खरीद मैनहोल कवर बिजली के कनेक्शन हेतु अन्य फुटकर खर्च	विभागीय	7000/18.3.81 28000/13.6.80 4000/5/83 31000/— ——— 134000/–

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 230 से सम्बन्धित सूचना

परिशिष्ट "क"

कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा के निर्माण कार्यों पर वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में हुये खर्चों का विवरण

क्र. सं	कार्य का नाम	व्यय वर्ष 1982-83	व्यय वर्ष 1983-84
1.	सम्पर्क सड़क सांगोद से जाखोड़ा	142428	38793
2.	स्टाफ क्वाटर नं. 6	40535	1284
3.	5 नं. यूनिरल ब्लाक सब्जी मण्डी	23502	—
4.	चार दीवारी कब्रिस्तान	6688	—
5.	गेराज पर कमरा	14899	—
6.	1000 मे. टन गोदाम	498	737
7.	ग्रेडिंग लेबोरेटरी	3228	—
8.	साईकिल स्टेण्ड	10427	—
9.	ओक्सन प्लेट फार्म के थून	35667	1875
10.	प्याऊ के थून	798	289
11.	दुकान मय गोदाम 10 नं. मण्डाना	120974	55357
12.	2510 मे. टन गोदाम मण्डाना	62767	6693
13.	गोदाम 5 नम्बर	—	1245
14.	गाड़ी अड्डा खरन्जा	—	4028
15.	कवर्ड रोड़	—	304
16.	रेमेनिंग कम्पाउण्ड वाल	—	7730
17.	अप्रोच रोड़ मण्डाना	—	1703
18.	सम्पर्क सड़क मण्डाना से हनुतिया	—	72681
19.	20 नं. गोदाम	—	304

1	2	3	4
20.	डाबर का कार्य मालावाड़ रोड़ से मवरीया वाया मलखेड़ी	303.82	—
21.	ग्रामीण हाट	3070	—
22.	सम्पर्क सड़क गोपालपुरा से भीनोत	—	275562
23.	सम्पर्क सड़क भगवानपुरा से भरलिया	—	49175
24.	सम्पर्क सड़क बोरखाड़ी से हाथी खेड़ा	—	23391
25.	सम्पर्क सड़क रंगपुर से चोकीखेड़ी	—	37576
26.	नया गांव से रोजड़ी छावनी	—	197718
27.	कोटा भारां से मण्डानिया	—	74348
28.	भवन मरम्मत एवं संधारण	—	88390
29.	गोदाम	—	25556
30.	रोड़ संधारण	—	420375
31.	प्याऊ मण्डाना	3878	—
32.	कार्यालय भवन मण्डाना	16787	—
33.	सम्पर्क सड़क सोगरिया से रोटेदा	50155	149925
34.	,, अर्जुनपुरा से चन्द्रसेन	261815	3605
35.	,, देवली अरब से नया नोहरा	645585	32852
36.	,, ताथेड़ से खोड़ा रसूलपुर	622562	783639
37.	,, चन्द्रसेन से भान गांव	356161	421854
38.	,, केथून से राजपुरा	827769	844635
39.	,, बून्दी रोड़ से गोरधनपुरा	218615	76330
40.	,, रावठा से उम्मेदपुर	107869	898
41.	,, झालावाड़ रोड़ से पदमपुर	80797	9643
42.	,, झालावाड़ रोड़ से टोवड़ा नया गांव	355832	52468
43.	,, रामपुर से बावड़ी खेड़ा	594974	73595
44.	चार दीवारी रजाक क्वाटर	—	6416
45.	रिटेल शोप	—	10136
46.	गाड़ी अड्डे पर डामर	—	82242

1	2	3	4
47.	सम्पर्क सड़क प्रहलादपुरा से नागपुरा	—	13285
48.	देवली अरब से नया नोहरा विस्तार	—	139801
49.	सम्पर्क सड़क सांगोद से गंदीपजी	177056	7464
50.	सम्पर्क सड़क आर. एस. सी. से अभयपुरा	1187	169690
51.	सम्पर्क सड़क आर. एस. सी. से रामनगर	40742	4248
52.	ग्रामीण हाट बाजार, केथून	273	—
53.	ग्रामीण हाट, मण्डाना	41751	85688
54.	मरम्मत एवं संधारण	72689	
		4621735.00	4336100.00

परिशिष्ट "क"

कृषि उपज मण्डी समिति, बारां के निर्माण कार्यों में हुये खर्चों का विवरण वर्ष 1982-83

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम		व्यय वर्ष 1982-83 राशि
1.	शोध कम गोडाउन 17 गोदाम भाग "अ"		4644.81
2.	चार दीवारी मण्डी प्रांगण		27321.00
3.	शोध मय प्लेट फार्म 34 दुकान		7171.50
4.	आन्तरिक सम्पर्क सड़क अटरु		19008.15
5.	24 दुकानों के सामने मिट्टी भरवाई का कार्य		49649.45
6.	34 दुकानों के सामने सड़क में		281203.83
7.	अ, ब, स, ब्लॉकों की छतों पर पार्टीशवाल का कार्य—		33627.30
8.	कम्पाउण्ड वाल 81-82		136009.95
9.	छतों पर गटर फूफा का कार्य		148792.55
10.	17 गोदामों में से लेकर ए-1 बी में मरम्मत का कार्य		4439 64
11.	16 शोध कम गोडाउन से लेकर ब्लॉक सी में मरम्मत का कार्य—		11359.33
12.	20 मे. गोदामों में मरम्मत का कार्य		2812.95
13.	बी. सी. ब्लॉकों के बीच सड़क का कार्य		225028.77
14.	हाट बाजार पर व्यय		951066.25
	(1) भवरगढ़	149368.80	
	(2) कोयला	138464.60	
	(3) समरानिया	118462.05	
	(4) कुन्जेड़	124246.50	
	(5) रामगढ़	129991.05	
	(6) केलवाड़ा	137391.45	
	(7) नाहरगढ़	125340.60	
	(8) छटाबर	130105.50	
	(9) मंडोरा	119036.40	
	(10) रैलावन	129046.05	
	(11) मोठपुर	81705.75	
		1502195.15	1502195.15
			2493261.40

कृषि उपज मण्डी समिति, बारां के निर्माण कार्यों में हुये खर्चों का विवरण
वर्ष 1983-84

	नाम कार्य	राशि
1.	मण्डी यार्ड में सड़क निर्माण	4187.82
2.	पशु चिकित्सालय निर्माण	5771.85
3.	पार्टीशन वाल शोप कम गोदाम	961.80
4.	चार दीवारी व्यय	3865.05
5.	मण्डी यार्ड की छतों पर वाटर प्रूफिंग	9637.32
6.	मण्डी यार्ड में रोड	2029.65
7.	बैंक भवन मरम्मत	17948.70
8.	ब्लांक "अ" में मरम्मत कार्य	22841.30
9.	ब्लांक "ब" में मरम्मत कार्य	17147.55
10.	ब्लांक "स" में मरम्मत कार्य	17102.92
		101494.05

हाट बाजार मण्डी क्षेत्र

1.	भंवरगढ़	7290.90	
2.	कोयला	14611.80	
3.	समरानिया	11763.15	
4.	कुन्जेड़	32267.55	
5.	रामगढ़	13805 40	
6.	केलवाड़ा	15324.75	
7.	नाहरगढ़	21682.50	
8.	कटावर	19510.05	
9.	बड़ोरा	23985.15	
10.	रेलावन	25511 85	
11.	मोठपुर	63396.88	
12.	भाटोन	80173.80	
13.	किशनगंज	79730.70	
14.	देवली	74334 75	
	योग –	483299.23	कुल योग 483299.23
			584793.28

कृषि उपज मण्डी समिति, छबड़ा, के निर्माण कार्यों पर वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में हुये निर्माण कार्यों का खर्चा

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	व्यय वर्ष 1982-83	व्यय वर्ष 1983-84
1-	कार्यालय	12889	6308
2-	यूरिनल ब्लाक 2 नं.	4368	-
3-	बमर्स आन्तरिक सड़क	-	20182
4-	आन्तरिक सड़क	58754	1951
5-	चार दीवारी	12148	-
6-	250 मे. टन गोदाम	41522	139648
7-	ग्रामीण हाट बाजार मोतीयापुर-चौकी	100378	58734
8-	ग्रामीण हाट बाजार हरनावदा-शाहजी	134669	35327
9-	ग्रामीण हाट बाजार पाली	76341	81202
10-	,, बन्जारी	105930	38893
11-	,, जेपसा	63082	85376
12-	,, सारथल	-	143732
		610081	611355

कृषि उपज मण्डी समिति, सांगोद के निर्माण कार्यों पर वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में हुये खर्चों का विवरण

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम		व्यय वर्ष 1982-83	व्यय वर्ष 1983-84
1–	ग्रामीण हाट बाजार राजगढ़		–	104665
2–	ग्रामीण हाट बाजार बरा		42896	100302
3–	,,	कनवास	51564	59924
4–	,,	मजावर कलां	75099	60520
5–	,,	मावा	34540	51274
6–	,,	चूलेट	30105	–
7–	,,	देवली	39182	24108
			273386	395793

कृषि उपज मण्डी समिति, रामगंज मण्डी के निर्माण कार्यों पर वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में हुये खर्चों का विवरण

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	व्यय वर्ष 1982–83	व्यय वर्ष 1983–84
1–	मरम्मत एवं संधारण	30339	–
2–	ग्रामीण हाट बाजार लुकेत	130315	22415
3–	,, मोड़क	49514	90016
4–	,, खुडाकोट	10236	26542
5–	,, खोड़ा सब्था	–	144259
6–	,, चेचट	–	64972
		220404	341204

Page No 351

कृषि उपज मण्डी समिति अन्ता के निर्माण कार्यों पर वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में हुये खर्चों का विवरण

क्र. सं.	निर्माण कार्यों का नाम	व्यय वर्ष 1982-83	व्यय वर्ष 1983-84
1-	चार दीवारी	26335	-
2-	स्ट्रीट लाईट	22214	14100
3-	250 मैं. टन गोदाम सोरावाली	94840	58782
4-	250 मैं. टन गोदाम मांगरोली	1115	26698
5-	ग्रामीण हाट बाजार बढादीत	50607	55858
6-	ग्रामीण हाट ढीगोद	52737	23988
7-	ग्रामीण हाट सोमवाली	21802	94638
8-	ग्रामीण हाट बड़ोद	54303	101493
9-	ग्रामीण हाट मांगरोल	146265	5815
10-	पशु खोल सुल्तानपुर	-	8025
11-	पम्प हाऊस	-	8463
12-	स्ट्रीट लाईट सुल्तानपुर	-	13660
13-	ग्रामीण हाट बाजार सुल्तानपुर	-	45207
14-	सब यार्ड सुल्तानपुर में नालियां	-	9973
15-	भीजा खेड़ी पुलिया	-	39640
		470218	506340

कृषि उपज मण्डी समिति, इटावा के निर्माण कार्यों पर वर्ष 82-83 एवं 83-84 में हुये खर्चे का विवरण

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	व्यय वर्ष 82-83	व्यय वर्ष 83-84
1-	स्ट्रीट लाईट	-	83843
2-	कार्यालय भवन	8412	2831
3-	ट्यूब वैल	23945	16800
4-	खोल	231	-
5-	प्याऊ	2255	-
6-	चार दीवारी	1115	-
7-	यूरिनल	-	5194
8-	आन्तरिक सड़क	123115	4684
9-	12 नं. दुकान मय प्लेटफार्म	219733	22674
10-	12 नं. कूलर दुकानें	-	13174
11-	गेट व चैक पोस्ट	5399	20184
12-	ग्रामीण हाट बाजार खासोली	90902	57464
13-	ग्रामीण हाट पीपल्दा	114121	39643
14-	ग्रामीण हाट करवाड़	104756	44496
15-	ग्रामीण हाट मेला	77738	66228
16-	ग्रामीण हाट लुहावद	63868	70981
17-	ग्रामीण हाट अयाना	59055	85980
18-	कार्यालय भवन पर विश्राम गृह	-	56057
19-	चार दीवारी गेट पर चैक पोस्ट	-	105816
20-	ड्रेनेज	-	107558
21-	आन्तरिक सड़क	-	55626
22-	वर्मस	-	34545
23-	12 नं. दुकानें नई	-	43733
		894645.00	937503.00

Page No 353

कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरगंज मण्डी में हुये निर्माण कार्यों पर खर्च का विवरण वर्ष 1982–83 व 83–84

नोट :—

सुमेरगंज मण्डी में विकास कार्यों पर वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में वसूल किये गये मण्डी शुल्क की कोई राशि व्यय नहीं की गई।

———

Page No 354

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 232 की सूची

वर्ष 1984-85 में भीलवाड़ा जिले के विभिन्न पंचायत समितियों में हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति निम्न प्रकार है :—

क्र सं.	पंचायत समिति का नाम	कुल स्वीकृत हैण्ड पम्पों की संख्या	विशेष विवरण
1.	आसीन्द	24	
2.	हुरडा	12	
3.	शाहपुरा	18	
4.	जहाजपुर	18	
5.	माण्डल	18	
6.	बनेड़ा	12	
7.	भीलवाड़ा	16	
8.	रायपुर	12	
9.	सहाड़ा	12	
10	कोटड़ी	18	
11.	माण्डलगढ़	27	
	कुलस्वीकृत हैण्डपम्पों की सं.	187	

Page No 355

भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1984-85 में स्वीकृत ग्राम, जिसमें माह सितम्बर, 84 तक हैण्डपम्प लगाये गये है, की सूची निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	कोड संख्या	स्थापित हैण्डपम्प की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	बरसनी	आसीन्द	78	4	
2.	अम्बेसर	,,	88	1	
3.	अदरकोय	,,	136	1	
4.	मोतीपुरा	,,	139	1	
5.	दौलतगढ़	,,	140	1	
6.	इसलरिया	,,	150	1	
7.	सालमपुर	भीलवाड़ा	6	1	
8.	सुवाणा	,,	26	1	
9.	आटूण	,,	37	1	
10.	गुन्दली	,,	49	असफल सिद्ध नहीं हुआ	
11.	गुरला	,,	61	1	
12.	आमदला	माण्डल	32	1	
13.	करेड़ा	,,	40	1	
14.	बावड़ी	,,	105	1	
15.	मेजा	,,	161	1	
16.	रायला	बनेड़ा	16	1	
17.	बैरा	,,	38	1	
18.	बनेड़ा	,,	70	1	
19.	लादिवा	,,	80	1	
20.	गंगापुर	सहाड़ा	शहर	1	
21.	सालेरा	,,	16	1	
22.	मुणातरू	,,	51	1	
23.	शिवरती	,,	56	1	
24.	आमली	,,	48	1	
25.	महेन्द्रगढ़	,,	49	2	
26.	पांटला	,,	86	1	

1	2	3	4	5	6
27.	थलखुर्द	माण्डलगढ़	11	2	
28.	बीकरण	,,	52	2	
29.	महुश्रा	,,	62	3	
30.	बीगोद	,,	75	3	
31.	खटवाड़ा	,,	79	1	
32.	सिंगोली	,,	89	3	
33.	झांझवा	,,	92	1	
34.	बलखेड़ा	,,	102	1	
35.	श्यामपुरा	,,	137	1	
36.	सुखपुरा	,,	214	1	
37.	सहीपुर	,,	215	1	
38.	रलावता	,,	57	1	
39.	मानपुरा	,,	64	1	
40.	खाचरोल	,,	109	1	
41.	हाडा	,,	97	1	
42.	सरला का खेड़ा	कोटरी	96	1	
43.	वाई के बीस	,,	100	1	

योग 55 हैण्ड पम्प

———

Page No 357

भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1984-85 में स्वीकृत ग्राम, जिसमें हैण्डपम्प स्थापित करना शेष है, की सूचि निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	कोड संख्या	स्वीकृत हैण्डपम्प की संख्या	विशेष विवरण
1.	रामपुरा	आसिन्द	23	1	
2.	मोटरास	,,	28	1	
3.	पाटन	,,	31	1	
4.	गोपालपुरा	,,	32	1	
5.	माठी	,,	35	1	
6.	बदनोर	,,	38	1	
7.	अम्बेसर	,,	80	1	
8.	कटार	,,	113	1	
9.	सुलकरा	,,	131	1	
10.	कालियास	,,	141	1	
11.	दौलतगढ़	,,	148	1	
12.	जैतपुरा	,,	137	1	
13.	हीरास	,,	183	2	
14.	खेजड़ी	हुरडा	6	1	
15.	दान्तड़ा	,,	7	1	
16.	जालमपुरा	,,	8	1	
17.	लाम्बा	,,	13	1	
18.	कोटडी	,,	19	1	
19.	आमूंचा	,,	20	1	
20.	रूपा हेली	,,	26	1	
21.	सोडार	,,	42	1	
22.	सरेरी	,,	53	1	
23.	टोंकरवार	,,	57	2	
24.	कवलिसार	,,	59	1	
25.	फूलिया खुर्द	शाहपुरा	107	1	
26.	फूलिया कलां	,,	102	1	
27.	आमली कलां	,,	79	2	

Page No 358

क्र. सं. ग्राम का नाम	तहसील	कोड संख्या	स्वीकृत हैण्डपम्प की संख्या	विशेष विवरण
28. डाबला चान्दा	शाहपुरा	73	2	
29. तसवारिया बासा	,,	41	1	
30. अरनिया	,,	134	1	
31. सांगरिया	,,	14	1	
32. ढोकला	,,	116	1	
33. चोरड़ा	,,	101	1	
34. सरदारपुरा	,,	12	1	
35. लुलास	,,	123	1	
36. रहड़	,,	69	1	
37. तहनाल	शाहपुरा	64	1	
38. खामोर	,,	33	1	
39. कोठिया	,,	2	1	
40. धनाम	,,	15	1	
41. पण्डेर	जहाजपुर	5	7	
42. बिहाड़ा	,	6	1	
43. धुंवाला	,,	21	1	
44. गाडोली	,,	32	1	
45. हटुण्डा	,,	39	2	
46. सरसिया	,,	47	1	
47. रीया	,,	68	2	
48. मोहनपुरा	,,	91	1	
49. बिलेखा	,,	116	1	
50. ढोर	,,	124	1	
51. शिवपुर	माण्डल	3	1	
52. ममाणा	,,	26	1	
53. गोरखिया	,,	46	1	
54. खिलेश्वर	,,	56	1	
55. निम्बाहेड़ा जाटान	,,	59	1	
66. केरिया	,,	82	1	

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	कोड संख्या	स्वीकृत हैण्डपम्प की संख्या	विशेष विवरण
57.	राजपुरा	,,	107	1	
58.	चान्दरात	,,	120	1	
59.	मावलास	,,	123	1	
60.	लसवा	,,	136	1	
61.	वागोर	,,	139	1	
62.	अमरगढ़	,,	152	1	
63.	भादू	,,	155	1	
64.	सुरास	,,	160	1	
65.	डावला	बनेड़ा	4	1	
66.	मुंशी	,,	25	1	
67.	निम्बाहेड़ा कलां	,,	21	1	
68.	लाम्बिया कलां	,,	34	1	
69.	कांचलियास	,,	36	1	
70.	बालेसरिया	,,	57	1	
71.	बवराना	,,	75	1	
72.	कालसांस	,,	85	1	
73.	मालोला	भीलवाड़ा	8	1	
74.	आरीजया	,,	14	2	
75.	रोछड़ा	,,	17	2	
76.	देवली	,,	41	1	
77.	रामपुरिया	,,	59	1	
78.	पाज्याड़ा	,,	88	1	
79.	पीपली	,,	120	1	
80.	हमीरपुर	,,	90	1	
81.	गुरला	भीलवाड़ा	61	1	
82.	थलां	राजपुर	13	1	
83.	सुरास	,,	16	1	
84.	बांराना	,,	18	1	
85.	पीथा का खेड़ा	,,	29	1	

Page No 360

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	कोड संख्या	स्वीकृत हैण्डपम्प की संख्या	विशेष विवरण
86.	रामपुर	,,	32	2	
87.	संगरेव	,,	34	1	
88.	नाथड़ियास	,,	37	1	
89.	खाखरमाला	,,	63	1	
90.	देवरिया	,,	77	1	
91.	नाखेगाना	,,	87	1	
92.	रानास	,,	89	1	
93.	सहाड़ा	सहाड़ा	36	1	
94.	धरनिया	,,	96	1	
95.	गोवलिया	,,	25	1	
96.	मरक	,,	80	1	
97.	रीठ	कोटड़ी	4	1	
98.	वीरपोल	,,	10	1	
99.	बोरदा	,,	18	1	
100.	पारोली	,,	24	2	
101.	बान्तडा	,,	33	1	
102.	कोटड़ी	,,	55	1	
103.	धन का खेड़ा	,,	66	1	
104.	वरला	,,	91	1	
105.	मुरलिया	,,	101	1	
106.	चावरियास	,,	106	1	
107.	वडलियास	,,	108	1	
108.	गेंदलिया	,,	110	2	
109.	नन्दराम	,,	126	2	
110.	जाल का खेड़ा	माण्डलगढ़	12	1	
111.	माल का खेड़ा	,,	138	1	
112.	भोपतपुरा	,,	150	1	
113.	बेरीसाल निवास	,,	226	1	
			कुल	132	शेष स्वीकृत हैण्डपम्प लगाये जाने हैं।

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 233 की सूची

क्र. सं.	नाम न्यायालय	सीलिंग कानून के अन्तर्गत मुआवजों के निमित दावों की वर्ष वार संख्या						सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि के विचाराधीन मुआवजे से सम्बन्धित दावों की वर्ष वार स्थिति						योग					
1	2	3						4						5					
		1977–78	80	81	82	83	84	1977–78	80	81	82	83	84	1977–78	80	81	82	83	84
1.	उपजिलाधीश कोटा	–	–	–	–	–	–	–	–	11	257	–	–	–	–	11	257	–	–
2.	उपजिलाधीश बारां	–	7	–	–	–	–	–	61	5	–	–	–	–	78	5	–	–	–
3.	उपजिलाधीश रामगंज मण्डी	–	–	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–
4.	उपजिलाधीश छबड़ा	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	–
5.	सह. जिलाधीश प्रथम बारां	–	9	–	–	–	–	–	9	–	1	–	–	–	10	–	1	–	–
6.	सह. जिलाधीश द्वितीय बारां	–	–	–	–	–	–	–	11	1	–	–	–	–	11	1	–	–	–
	योग :–	–	16	–	–	–	–	22	81	17	258	2	–	22	97	17	258	2	–

Page No 362

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 234 की सूची

वर्ष 1984-85 मे कोटा जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची :—

---

1. विज्ञान नगर
2. छावनी कन्या
3. दोहद
4. बजरंगगढ़
5. चौमा
6. रेलगांव
7. रटावद
8. गम्भीरी घाट
9. दादा बाड़ी शास्त्री नगर
10. कुम्भकोट
11. रामगंजमण्डी

इस वर्ष (1984-85) में कोटा जिले में प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निम्न विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया : —

क्र. सं. नाम विद्यालय	पंचायत समिति
1–मेरया चाहू	अटरू
2–भैंसड़ा	अटरू
3–रछिन्दा	अटरू
4–केशवपुरा	लाडपुरा
5–बोरावस	लाडपुरा
6–कन्जोड (कन्या)	लाडपुरा
7–आजर	शाहबाद
8–मामोनी (कन्या)	शाहबाद
9–पचलावडा	किशनगंज
10–खण्डेला	किशनगंज
11–छत्तरपुरा	किशनगंज
12–खंस्ला	सुल्तानपुर
13–लाख सणीजा	सुल्तानपुर
14–सुरेला	सुल्तानपुर
15–पडासल्या	सुल्तानपुर
16–मण्डावरा (कन्या)	सुल्तानपुर
17–बोरखा	इटावा
18–बरनाहाली	इटावा
19–अटवाडी	इटावा
20–बालुप	इटावा
21–अयाना (कन्या)	इटावा
22–खजूरना कलां	अन्ता
23–खेराली	अन्ता
24–तिसाया	बारां
25–समसपुर	बारां
26–मेलखेड़ी	बारां

— - ——

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 236 की सूची

तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

क्र. सं नाम गांव	कोड नं.	योजना का प्रकार
1 2	3	4
1-अघोरिया	42	हैण्ड पम्प
2-अबंपुर	271	—
3-आम्बा	14	—
4-आम्बापाड़ा	103	—
5-आमलीपाडा	102	—
6-आमलीयामाल	380	—
7-अमलीहूपाडा	297	—
8-अन्देश्वर	74	—
9-अन्दूख	372	—
10-बडाऊनाथा	61	
11-बडाबा कोरेल	219	—
12-बडवीपाड़ा	163	—
13-बडहीपाडा	195	—
14-बडलीपाड़ा	395	—
15-बदूपाडा	395	—
16-बगाचना	125	—
17-बगायचा	338	—
18-बगाचना	342	—
19-बागोल	180	—
20-बाजवा आम्बा	5	—
21-बाकानेरे	116	—
22-बालाचुना	223	—
23-बाला सिन्दूर	82	—
24-ब लदिया	87	—
25-बाकाबूड़ा	154	—

Page No 365

1 2	3	4
26–बांसरोपाडा	62	हैण्ड पम्प
27–बाबलीपाडा	62	—
28–बावडी डोडीर	298	—
29–बावडो नातममा	269	—
30–बावडीपाडा	165	—
31–बड लोपाडा	367	—
32–बडवास बडी	188	टी. एस. हैण्ड पम्प
33–बडवास छोटी	184	हैण्ड पम्प
34–बासडी	308	—
35–बस्सी	207	—
36–बस्सी	374	—
37–बावलिया पाडा	355	—
38–बेडाऊ घूलिया	46	—
39–बीजलपुर डूलियां	22	—
40–बीलापाडा	254	—
41–बीजलपुर मालिया	23	—
42–भगतपुरा	252	—
43–भमरकोट	309	—
44–भमरी	77	—
45–भण्डारिया	164	—
46–भारतगढ़	238	—
47–भाण्डारिया	164	—
48–भडवेंल	27	—
49–भटखेटी	139	—
50–भाटमहुडो	104	—
51–भादबडला	392	44
52–भवनोकी टोडो	357	—
53–भवरया	349	—
54–भोलकुआ	26	—
55–भीमगढ़	118	—
56–भीमखीरा	250	—

Page No 366

1 2	3	4
57–भीमपुर	278	हैण्ड पम्प
58–मंवराजजूनी	319	–
59–भेवराज नई	320	–
60–भूराकुवा	63	–
61–भूरीगाहा	345	–
62–मीराज	348	–
63–मुरादोड	15	–
64–मुरोवाटो	21	–
65–बिछाव डा	85	–
66–बिहारीपुरा	191	–
67–बिजयपुरा	221	–
68–बिजोरिकला	280	–
69–बिजोरी खुर्द	291	–
70–बिलडा	84	–
71–बिलपाडा	242	–
72–बोचडढा	328	–
73–बोर महोर	8	–
74–बोरीया	288	–
75–बोरखेडो	286	–
76–बोरखेडो	253	–
77–बैर कुण्डी	331	–
78–चाक घोरवाडा	323	–
79–चनाथला	8	–
80–चन्देरी	113	–
81–चारनकोगडली	107	–
82–चरकलो	109	–
83–चकलीनी	129	–
84–चोरवोडुगरी	98	–
85–चोराकला	330	–
86–चोरा खुर्द	332	–
87–चोया का खूटा	345	–

Page No 367

1 2	3	4
88–छावरी	303	हैण्ड पम्प
89–छोटी सरवा	360	टी. एस. एस.
90–छोटीया	248	–
91–चीतोडा रवालसा	136	–
92–चीतोडा मानफी	137	–
93–चोयाका साथ	162	–
94–चोसरवाडा	287	–
95–चुनारवान	73	–
96–चोरवडा	375	–
97–चोरपरनाला	191	–
98–चुलावाडा	241	–
99–बुडादा	176	–
100–दामासाथ	142	–
101–दरा	290	–
102–दरोवडीया	243	–
103–दोलपुरा	229	–
104–देवडासाथ	174	–
105–धनपुरी	240	–
106–धाडकी	86	–
107–धाडकी	88	–
108–घोलका नवी	373	–
109–दूमढपुर	177	–
110–डूगरभीत	314	हैण्ड पम्प
111–डूगरा कला	140	पी. एण्ड टी.
112–डूगरा खुर्द	133	,,
113–डूगरापानी	130	हैण्ड पम्प
114–डुगरीवाडा	171	–
115–पुरजनिया	6	–
116–गादवन	289	–
117–गालापाडा	233	–
118–गलधर	295	–

1 2	3	4
119-गलवानी	310	हैण्ड पम्प
120-गणेशपुरा	49	-
121-गराडिया	1	-
122-गराड मोरा	277	-
123-गरिया की टोडी	166	-
124-घरतारा	307	-
125-घाटा	110	-
126-घाटिया	10	-
127-घोडादरा	275	-
128-घोरवाडा	322	-
129-घोतीकीटोडो	143	-
130-गोदावाडा मंजी	20	-
131-गोदावाडा नारेग	18	-
132-गोकलवाडा	387	-
133-गोलामार	152	-
134-गोपालपुरा	294	-
135-घोडा	51	-
136-गोरख्मा टडा	274	-
137-गोयकावारिया साथ	155	-
138-गोयकापारसोसाथ	153	-
139-गुन्दीकला	326	-
140-गुन्दी खुर्द	327	-
141-गुवाडो	276	-
142-हलदूपाडा	364	-
143-हन्दूलदूपाडा	350	-
144-हमीरपुरा	201	-
145-हरेन्द्रगढ़	135	-
146-हरकापाडा	234	-
147-हवाएडी	358	-
148-हेजा भावजी	11	-
149-हेजा मेगजी	17	-

Page No 369

1 2	3	4
150-हिम्मतगढ	337	हैण्ड पम्प
151-हिम्मतपुरा	175	–
152-हिंडोनिया	380	–
153-हिंडोलिया चारण	267	–
154-इमली भरत	329	–
155-झटाला 4	72	–
156-जालमपुरा	151	–
157-जालमपुरी	257	–
158-जमराई	197	–
159-जाडी	261	–
160-जसपुरा	92	–
161-जराकोट	112	–
162-झमेला	7	–
163-झकडिया भीदर	36	–
164-झकाडिया नाथा	47	–
165-झलकीया	54	–
166-झामरी	89	–
167-झापा महुजी	258	–
168-झोकली	117	–
169-झमकी	3	–
170-जोगडी माता	76	–
171-जोगडी माल	214	–
172-जूना पानी	288	–
173-जोहा	260	–
174-कञ्जा की छापन	339	–
175-काचनला	318	–
176-कडाई माक	137	–
177-कटवाली खुर्द	384	–
178-कटवाली कला	385	–
179-कोजली वाडा	204	–
180-काकन वाली	264	–

1 2	3	4
181–काकनिया	210	हैण्ड पम्प
182–काकर डूगरी	105	–
183–काला हेतु	56	–
184–कालाखेत	228	–
185–कलिजंरा	262	–
186–कालिया	146	–
187–कनजपाडा	187	–
188–कानीकरा	312	–
189–करनघाटी	369	–
190–करमदिगा	211	–
191–कारगी	315	–
192–कासरवाडी	317	–
193-कसूम्बी	93	–
194-कावडीया	9	–
195–खजूरी	220	–
196-खजुरा	256	–
197–खानापाडा	346	–
198–खान्डी बैरी	79	–
199–खाखडिया	344	–
200–खडिया साथ	128	–
201–खरोड पतरा	60	–
202–खेडा	178	–
203–खेडा बडा	370	–
204–खेरदा	203	–
205–खेडीया	67	–
206–खेरीया पाडा	366	–
207–खेडपुर	300	–
208–खुन्दनी हाला	48	–
209–गखुन्दनी हपा	35	–
210-खूटा	217	–
211–खूटा	217	–

1 2	3	4
212-खूंटा दूला	4	हैण्ड पम्प
213-खूटा रुपजी	159	—
214-खूंटा चतरा	58	—
215-खूंटा रतना	57	—
216-किशनपाड़ा	142	—
217-कोई डाबन	336	—
218-कोठारिया	273	—
219-कोटड़ा	210	—
220-कोटडो	228	—
221-कोटडो	343	—
222-कोपाजुस	313	—
223-कुम्भपुरा	55	—
224-कुन्डा	145	—
225-कुन्डोला	215	—
226-कुन्डोला	361	—
227-कुकड़ो पाड़ा	396	—
228-कुशला पाडा	235	—
229-कुशलो पाडा	158	—
230-लाडेला	75	—
231-लसोड़िया	37	—
232-लोहारिया	127	—
233-लनावाड़ा	189	—
234-लुहारिया कला	179	—
235-माचा	70	—
236-मछरपाडा	157	—
237-मगररा डातेरासाथ	101	—
238-मगरदा डोमरा साथ	100	—
239-मगरदा मछारा साथ	99	—
240-महूडी	13	—
241-महूडा	376	—
242-महूडी	244	—

1 2	3	4
243–महूडीया वज्जा	19	हैण्ड पम्प
244–महूडीया माथा	52	–
245–मईयावत	34	–
246–माल	226	–
247–मालवन	390	–
248–माडली मोटा	30	–
249–माडली पानी	29	–
250–मारका कला	252	–
251–मारका खुर्द	243	–
252–मार भेमजी	53	–
253–मतवाला खाखरा	386	–
254–मराणा	33	–
255–मिर्च घाटी	286	–
256–मोहकामपुरा	351	–
257–मोलन	71	–
258–मोर	195	–
259–मोर भरी	377	–
260–मोटा पाडा	131	–
261–मोतिया	16	–
262–मुन्डडी	200	–
263–मुनी पाडा	105	–
264–मुनिया का खूंटा	324	–
265–नागन पटा	266	–
266–नागदा कला	301	–
267–नागदा खुर्द	302	–
268–नालवाडा	168	–
269–नलवाई	359	–
270–नानी साथ	170	–
271–नायपुरा	199	–
272–नाथपुरा	284	–
273–नवागांव	65	–

1 2	3	4
274-निसनाव	192	हैण्ड पम्प
275-प्रोडवा	351	-
276-पाडला	311	-
277-प्रासोरा	95	-
278-पाडला बडलिया	78	-
279-पाडला कसारा	83	-
280-पाडला मोखा	80	-
281-पलक पाडा	169	-
282-पालीकला	123	-
283-पाली खुर्द	120	-
284-पान्दा	379	-
285-पडंवाला प्रंकार	148	-
286-पड़वाल लुंजा	147	-
287-पेरा डूंगरी	212	-
288-पहूनीला	116	टी. एस. एस. हैण्ड पम्प
289-पाटन	381	हैण्ड पम्प
290-पातापुर	90	-
291-पाटी	237	-
292-पाटूडीया	161	-
293-पीपली पाडा	392	-
294-पेरनिया देद	281	-
295-फलपुरी	236	-
296-फुलपुरी	340	-
297-पिपलवाडा	362	-
298-पिपली पाडा	172	-
299-पिपलोन	362	-
300-पोटिलिया	19[illegible]	-
301-पोटलिया	212	-
302-पोटलिया	382	-
303-रागापाडा	193	-

1 2	3	4
304-रामगढ	265	हैण्ड पम्प
305-रामगो	96	–
306-रणजीत गढ़	205	–
307-रतनमाल	225	–
308-रइघनराज	38	–
309-राती मगूडी	182	–
310-रावदा	285	–
311-रावता साथ	156	–
312-रेगनिया	167	टी. एस. एस. हैण्ड
313-रिछवानी	304	पम्प
314-रोहनिया	160	–
315-रोहनिया	183	–
316-रोहनिया लक्ष्मणसिंह	45	–
317-रोहनिया मला	149	–
318-रोनीया रामसिंह	44	–
319-रूपा खेडा	122	–
320-रुपापाडा	126	–
321-रूपगढ	160	–
322-रुपगड	371	–
323-सबलपुरा	209	–
324-सांडडा	293	–
325-सादडिया	335	–
326-सागवा	20	–
327-सज्जनगढ	40	पी. एण्ड टी.
328-सालोन	321	हैण्ड पम्प
329-सामलाखेर	50	–
330-सन्दलाई	108	–
331-सानी डूंगरी	68	–
332-सासा बडला	181	–
333-सासा	206	–
334-सारेल	288	–

1 2	3	4
335–सरोना	389	हैण्ड पम्प
336–सरपोटा	282	–
337–सरसीयावाडा	144	–
338–सासलिया	364	–
339–सरवा कला	391	–
340–सातलिया टोडी	356	–
341–सातसेरा कला	334	–
342–सातसेरा खुर्द	333	–
343–सीमासागडा	279	–
344–सीगली	208	–
345–सेमलद	292	–
346–सेगल खेडा	32	–
347–सेगला पाडा	394	–
348–सेवनीया	2	–
349–शोरीवाई	6	–
350–शम्भूपुरा	59	–
351–शिकारवाडी	231	–
352–शिगला कुण्डो	278	–
353–सिमेला	64	–
354–सोभवटी	283	–
355–सोडलिया	227	–
356–सीमजी पाडा	134	–
357–सुखेदा	124	–
358–सुनारिया	368	–
359–सुन्दरी पाडा	347	–
360–सुरज कुण्ड	224	–
361–सलिया	341	–
362–सुरवन	299	–
363–टाडा वडला	239	–
364–सिन्गाडा की गडली	100	–
365–सुनारिया	198	–

1 2	3	4
366–तलाईपाडा	216	हैण्ड पम्प
367–तलाईपाडा	202	–
368–तलाईपाडा	249	–
369–तनोवा	222	–
370–तलेटी	272	–
371–ताम्बेसरा	94	–
372–टान्डा रमता	41	पी. एण्ड टी. हैण्ड पम्प
373–टान्डा मांगला	25	–
374–टान्डी तला	247	हैण्ड पम्प
375–टान्डी खुर्द	246	–
376–करालिया	253	–
377–खूंटी	251	–
378–टिडिया देव	67	–
379–टिम्बा महूडी	43	–
380–टिमेडा छोटा	114	–
381–टिमेडा कला	112	–
382–टांडी	97	–
383–टोडो	316	–
384–टोडी	115	–
385–टोडी मालू	24	–
386–उदयगढ कालापेत	230	–
387–उदयगढ निसनावत	268	–
388–उदयगडवसुनि	259	–
389–उगमना पाडा	383	–
390–उकाला	255	–
391–उमर मोका	363	–
392–उमर बाका	222	–
393–उमरात	173	–
394–उन्डाया	270	–
395–वगेरी	325	–
396–वस्ताला	365	–
397–वसुनी	263	–

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 239 की सूचियां

सूची "क"

जयपुर जिले की पंचायत समिति जमवारामगढ़ के ग्रामों की सूची जहां हैण्ड पम्प लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है :—

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या
1	2	3	4
(1)	समस्या रहित ग्राम की सूची :—		
1.	राम्यावास	206	4
2.	डागोता	127	4
3.	सामरेड खुर्द	105	2
(2)	समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची :—		
4.	कोल्याणा	148	3
5.	बामनवास	12	2
6.	मार्भीपुरा	87	3
7.	राजपुरवास	85	3
8.	राजणवास कालोपहाड़ी	89	2
9.	ब्रजपुरा	13	2
10.	भोजपुरा	22	3
11.	ढेलर	24	2
12.	बड़ा घेरा	77	2
13.	रूपवास	196	3
14.	भील	223	2
15.	रामपुरा	220	3
16.	दौलतपुरा	219	2
17.	दीपपुरा	212	3
18.	अरवाडी	210	3
19.	मूंडला	197	3
20.	चक चैनपुरा	159	2
21.	वावण्ड का मढ	201	3

1	2	3	4
22.	टोडरली	17	2
23.	कलां का वास	18	3
24.	अजयपुरा	21	2
25.	भावनी	137	5
26.	सायपुरा	157	6
27.	राम्यावाला	161	5
28.	नीमला	129	2
29.	दांतिल	121	4
30.	पातलवास	131	3
31.	खरड	138	3
32.	मालावासर	165	2
33.	चिलपली	19	2
34.	चक माला की नांगल	160	2
35.	दासपुरा	198	2
36.	मथुरादासपुरा	203	2
37.	नूरपुर	23	2
38.	घाटा जलधारी	110	3
39.	कानीखोर	122	2
40.	नरपतियावास	146	2
41.	फुटालाव	176	4
42.	नाभावाला	182	3
43.	सामोद	185	2
44.	डांगरवाड़ा	205	4
45.	धामस्या	217	5
46.	नन्दपुरा	226	6
47.	खरखड़ा	232	5
48.	पारली खुर्द	233	2
49.	खारना	235	2
50.	भाजपुर खुर्द	245	2
51.	लालवास	253	2
52.	राम्यावाला	133	2

Page No 379

1	2	3	4
53.	फैजपुरा	241	2
54.	चक हुरेला	213	2
55.	गुढावास नेवर	239	2
56.	रामपुरा वाडियावाला	164	2
57.	गोकुलवास	14	2
58.	गोल	15	2
59.	जयसिंहपुरा	246	2
60.	पोटली	215	3
61.	लागरियावास	200	6
62.	बिसोरी	112	2
63.	पालेड़ा	199	3
64.	पाली	113	2
65.	निम्भाई	114	3
66.	सरजोली	229	5
67.	सायपुरा	173	4
68.	नांगल तुलसीदास	111	3
69.	साईवाड़	152	5
70.	नारदपुरा	155	4
71.	गुवाड़ी	202	4
72.	बर रसूलपुरा	254	2
73.	बोयारी	10	7
74.	सेकावाला	15	2
75.	बहलोद	83	7
76.	डेकला	84	2
77.	चक चारणवास	90	2
78.	माथाशूला	94	5

Page No 380

1	2	3	4
79.	लुनेठा	95	3
80.	भट का वास	96	2
81.	कूडा	98	2
82.	अनन्तपुरा	100	2
83.	गोपीनाथपुरा	101	2
84.	नांगल तेजसिंह	103	2
85.	बास डेडवानी	107	2
86.	केलनवास	115	2
87.	सुरेठी	116	2
88.	गोदियाना	118	2
89.	नैंगोर	120	2
90.	रसियनवाला	123	2
91.	बस्सी	126	2
92.	दांतिली	134	2
93.	भीमावास	142	2
94.	नानपुरा	143	2
95.	घाटी घन	144	2
96.	जुगलपुरा	147	2
97.	भावगढ़	117	2
98.	हीरावाला	166	2
99.	हररामपुरा	172	2
100.	भगवानपुरा	174	2
101.	रामपुरावास थली	177	2
102.	रिवशा	178	2
103.	ईश्वरसिंह पुरा	186	2
104.	कंवरपुरा	189	2
105.	साऊ	194	5
106.	रामपुरा	195	2
107.	भावपुरा	211	2
108.	दाडिया पट्टी	214	2

Page No 381

1	2	3	4
109.	बड धामल्या	216	2
110.	गोट की पाडी	230	2
111.	चक पारली	237	2
112.	मधुसूदनपुरा	240	2
113.	कुचावास	250	2
114.	सरपुरा	257	3
115.	काली वर खेड़ी	125	2
116.	धरमपुरा	218	2
117.	पारली कलां	231	2
		कुल योग–	322 हैण्डपम्प

हैण्ड पम्प योजना व 1 सितम्बर 1984 तक लगाये गये हैण्ड पम्प की सूची

सूची "ख"

पंचायत समिति का नाम—झोटवाड़ा

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.	प्रस्तावित हैण्ड पम्प की सं.	30.9.1984 तक लगाये गये हैण्ड पम्पों की	शेष हैण्ड पम्प जो लगाया है	शेष कार्य किस एजेन्सी द्वारा कराया जाना है
1 2	3	4	5	6	7
1. मण्डा भोपावास	1	4	4	–	–
2. रामला का बास	4	2	2	–	–
3. गजाधरपुरा	6	2	2	–	–
4. सांवोती	7	2	2	–	–
5 सारनाचोर	9	2	2	–	–
6. चक्र बासड़ी	14	2	2	–	–
7. महापुरा	19	2	2	–	–
8. मुरलीपुरा	20	2	2	–	–
9. मशारामपुरा	23	2	2	–	–
10. अपीयावास	24	5	5	–	–
11. नारी का बास	28	2	2	–	–
12. चम्पापुरा	30	2	2	–	–
13. कंवर का बास	36	2	2	–	–
14. काढ़ियाबास	37	3	3	–	–
15. बासड़ी	39	2	2	–	–
16. शिवसिंहपुरा	40	4	4	–	–
17. रामसिंहपुरा	42	3	3	–	–
18. अचानचूड़िया	43	3	3	–	–
19. फतेहपुरा	45	3	3	–	–
20. हिम्मतपुरा	47	2	2	–	–
21. किशोरपुरा काकरोदा	50	2	2	–	–
22. चक्र रामसर	53	2	2	–	–
23. केशावाला	55	2	2	–	–

Page No 383

1	2	3	4	5	6	7
24.	श्री रामपुरा (तिवारीवाला)	56	2	2	–	–
25.	नन्दगांव बरसाना	58	2	2	–	–
26.	विजयपुरा	61	3	3	–	–
27.	किशोरपुरा	62	2	2	–	–
28.	गोबिन्दपुरा	64	3	3	–	–
29.	बड़ा गांव	65	3	3	–	–
30.	गोकुलपरा	67	3	3	–	–
31.	विशनावाला	68	2	2	–	–
32.	मीणावाला	70	5	5	–	–
33.	जयपुरियों का बास	71	2	2	–	–
34.	नीमेड़ा	74	5	5	–	–
35.	नवलालपुरा	75	2	2	–	–
36.	बिचपाड़ी	76	2	2	–	–
37.	मुकुन्दपुरा	79	3	4	–	–
38.	श्री रामपुरा	81	2	2	–	–
39.	कनकपुरा	82	2	2	–	–
40.	पांचावाला	85	2	2	–	–
41.	लालपुरा	84	2	2	–	–
42.	गिरधारीपुरा	85	2	2	–	–
43.	घावावास	86	3	3	–	–
44.	गजसिंहपुरा	87	3	3	–	–
45.	बदरवास	88	4	4	–	–
46.	हीरापुरा	89	5	5	–	–
47.	किलनगढ़	81	2	2	–	–
48.	रूपा की नांगल	93	2	2	–	–
49.	सनेल	97	4	4	–	–

Page No 384

1	2	3	4	5	6	7
50.	जयपुरा	99	2	2	—	—
51.	गगराना	180	4	4	—	—
52.	बम्मोरी	32	8	8	—	—
53.	सुन्दर का वास	33	3	3	—	—
54.	चारण का वास	35	4	4	—	—
55.	नानूसर	72	2	2	—	—
56.	शिवाड	60	8	8	—	—
57.	बीढहातोज	63	3	3	—	—
58.	हरनाथपुरा	68	5	5	—	—
59.	गोबिन्दपुरा	78	2	2	—	—
60.	जय भवानीपुरा	77	2	2	—	—
61.	चक बावडी	12	2	2	—	—
62.	चक बोयतावाला	10	2	2	—	—
63.	चक बाढ	8	2	2	—	—
64.	मानसिंहपुरा	44	1	1	—	—
65.	बाढ पतेपुरा	46	2	2	—	—
66.	सीतापुर	48	2	2	—	—
67.	चक मोंजा	51	2	2	—	—
68.	मूंडिया पुरोहितान	52	2	2	—	—
69.	कारनपुरा	54	2	2	—	—
70.	बोयतावाला	17	3	3	—	—
71.	महाराजपुरा	80	2	2	—	—
72.	भूपपुरा	11	2	2	—	—
73.	चक सरना डूंगर	13	2	2	—	—
74.	बासडी	27	2	1	1	—
75.	घरमपुरा	31	2	2	—	—

1	2	3	4	5	6	7
76.	जयसिंहपुरा काकरोटा	49	2	2	–	–
77.	मालपुरा दोब	96	2	2	–	–
78.	मानपुरा डूंगर	94	2	2	–	–
79.	वल्लूपुरा	98	2	–	2	–
80.	मानपुर सडवा	99	3	2	1	–
81.	सरसौं	70	8	8	–	–
82.	चारणवास	3	2	2	–	–
83.	नांगल जैसा बोरा	21	2	1	1	–
	योग—		225	221	4	–

Page No 386

663) परिशिष्ट–18 अक्टूबर, 1984–परिशिष्ट

जयपुर जिले की पंचायत समिति जमवारामगढ़ में माह सितम्बर, 1984 तक हैण्ड पम्प लगाये गये ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या
1.	कोल्याणा	148	3
2.	बामनवासा	12	2
3.	माझीपुरा	87	3
4.	राजपुर ताला	88	3
5.	चारणवास कालीपहाड़ी	89	2
6.	ब्रजपुरा	13	1
7.	भोजपुरा	22	3
8.	घेलर	24	2
9.	बड़ा घेरा	77	2
10.	रूपवास	196	3
11.	झोल	223	2
12.	रामपुरा	220	3
13.	दोलतपुरा	219	2
14.	दीपपुरा	212	3
15.	घरवाड़ी	210	3
16.	मूंडला	167	3
17.	चक चेनपुरा	159	2
18.	चावण्ड का मठ	201	4
19.	टोडरली	17	3
20.	कलां का वास	18	3
21.	अजयपुरा	21	2
22.	मावनी	137	5
23.	शाहपुरा	156	6
24.	राम्यावाला	181	5
25.	नीमला	129	2
26.	दांतिल	121	4
27.	पालतवास	136	3

क्र. सं. गांव का नाम	कोड न.	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या
28. खरड	138	3
29. मालावाला	165	2
30. चिलपिली	19	2
31. चक माला की नांगल	160	2
32. दाउपुरा	198	2
33. मथुरादासपुरा	203	5
34. नूरपुर	23	2
35. घाटा जलधारी	110	3
36. कानीखोर	122	2
37. नरपतियावास	146	2
38. फुटालाव	176	4
39. नाभावाला	182	3
40. सामोद	185	2
41. डांगरवाडा	205	4
42. धामस्या	217	5
43. नन्दपुरा	226	6
44. खरखंडा	223	5
45. पाली खुर्द	233	1
46. खारना	235	2
47. भानुपुर खुर्द	245	3
48. लालवास	253	2
49. राम्यावाला	133	1
50. राम्यावास	206	4
51. फेजपुरा	141	3
52. चक हुरेला	213	2
53 गुढावास नेवर	239	3
54. जयसिंहपुरा	246	3
55. पोटली	215	3
56. रामपुरा बाडीयावाला	164	3
57. गोकुलवास	14	1

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या
58.	मोल	15	1
59.	नायोरयावास	200	6
60.	बिसोरी	112	2
61.	पाली	113	2
62.	निम्भाई	114	3
63.	पालेडा	199	3
64.	डागोता	127	4
65.	सरजोली	229	5
66.	सायपुरा	178	4
67.	नांगल तुलसीदास	111	3
68.	सामरेड खुर्द	105	2
69.	साईवाड	152	5
70.	नारदपुरा	155	4
71.	ग्वाडी	208	4
72.	बर रसूलपुरा	254	2
73.	बोवारी	10	7
74.	माथासूला	99	5
75.	लुनेठा	95	3
76.	गोपीनाथपुरा	101	2
77.	रसिमनवाला	123	2
78.	हुरेरामपुरा	172	2
79.	भगवानपुरा	174	2
80.	रामपुरवास थली	177	2
81.	रिवक्षा	178	2
82.	ईश्वर सिंहपुरा	189	2

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.	लगाये गये हैण्ड पम्पों को संख्या
83. भावपुरा	211	5
84. गोट की पट्टी	230	2
85. मकसूदनपुरा	240	2
86. सरपुरा	257	3
87. पारलीकलां	231	2

कुल योग—251 हैण्ड पम्प

उन ग्रामों की सूची जहां इस वर्ष दिनांक 30.9.1984 के पश्चात
हैण्ड पम्प लगाना शेष है :—

पंचायत समिति जमवारामगढ़ जिला जयपुर

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड सं.	लगाये जाने वाले हैण्ड पम्पों की संख्या.
1.	नेकावाला	16	2
2.	बहलोद	83	2
3.	ढेकला	84	2
4.	चक चारणवास	90	2
5.	मटनावास	96	2
6.	कूडा	98	2
7.	आनन्दपुरा	100	2
8.	नायल तेजसिंह	103	2
9.	वास डेडवाडी	107	2
10.	केलनवास	115	2
11.	सूरेठी	116	2
12.	गोडियाना	118	2
13.	मेहगोर	120	2
14.	बस्सी	126	2
15.	चक्रदातली	134	2
16.	भीमावास	142	2
17.	नोनपुरा	143	2
18.	घाटी घनश्यामपुरा	144	2
19.	चुगलपुरा	147	2
20.	मादगढ	117	2
21.	हीरावाला	166	2
22.	कंवरपुरा	189	2
23.	साऊ	194	2
24.	रामपुरा	195	2
25.	दादया हट्टी	214	2
26.	बड घामस्या	216	2

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड सं.	लगाये जाने वाले हैण्ड पम्पों की संख्या
27. चक पारली	237	2
28. कूचास	250	2
29. कारली बरखड़ी	125	2
30. धर्मपुरा	218	2
पंचायत समिति कोटखावदा		
31. बासड़ी	27	2
32. बल्लूपुरा	98	2
33. मानपुर सड़वा	90	2

कुल योग 72 हैण्ड पम्प

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 241 की सूची

मासिक आय निर्धारण सूचना जनवरी पेड इन फरवरी 1983 से अगस्त पेड इन सितम्बर 1984 तक शहरी जल योजना दोसा (अरबन)

क्र. सं. महीना	टोटल जमा रकम	औसत मासिक जल वितरण (लाख गैलन में)
1. जनवरी 83 पेड इन फरवरी 83	34354.25	110.50
2. फरवरी पेड इन मार्च 83	36223.86	102.15
3. मार्च अप्रेल पेड इन मई 83	54722.30	105.20
4. मई 83 पेड इन जून 83	27932.20 अप्रेल	108.10
5. जून 83 पेड इन जुलाई 83	28304.80	111.52
6. जुलाई 83 पेड इन अगस्त 83	36376.05	102 63
7. अगस्त पेड इन सितम्बर 83	37276.80	75.50
8. सितम्बर 83 पेड इन अक्टूबर 83	33837.75	97.25
9. अक्टूबर 83 पेड इन नवम्बर 83	34191.55	115.61
10 नवम्बर 83 पेड इन दिसम्बर 83	39254.75	97.62
11. दिसम्बर 83 पेड इन जनवरी 84	35883.29	112.15
12. जनवरी 84 पेड इन फरवरी 84	32487.21	101.95
13. फरवरी पेड इन मार्च 84	42011.62	105.10
14. अप्रेल 84	1026.45	103.65
15. मार्च अप्रेल पेड इन मई 84	62085.88	110.25
16. मई 84 पेड इन जून 84	36027.80	115.35
17. जून 84 पेड इन जुलाई 84	35878.05	113.25
18. जुलाई 84 पेड इन अगस्त 84	37393.10	121.40
19. अगस्त 84 पेड इन सितम्बर 84	37247.71	129.32
20. सितम्बर 84		

———

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 243 की सूची

कार्यालय जिला अधिकारी, शिक्षा-विभाग, (छात्र-संस्थायें) पाली

सत्र 1980 से सत्र 1984 तक पाली जिले की पंचायत समिति रानी, देसूरी तथा मारवाड़-जंक्शन में नये खोले गये तथा क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची :—

क्र. सं.	पंचायत समिति	नाम विद्यालय	नया खोला गया अथवा क्रमोन्नत स्तर	वर्ष
1.	मारवाड़ जंक्शन	मारवाड़ जंक्शन	उ. मा. वि. स्तर	1982-83
2.	देसूरी	काडोल	—	—
3.	मारवाड़ जंक्शन	सिरयारी	माध्य. वि. स्तर	80-81
4.	देसूरी	दालाई	—	—
5.	मारवाड़ जंक्शन	खारची	उ. प्रा. वि. स्तर	80-81
6.	देसूरी	कोटड़ी	—	—
7.	मारवाड़ जंक्शन	पादाना	—	81-82
8.	देसूरी	कोलर	—	—
9.	देसूरी	टोनडी	—	—
10.	रानी	कोरणा	—	—
11.	मारवाड़ जंक्शन	कराडी	—	82-83
12.	देसूरी	सांवलता	—	—
13.	रानी	माण्डोलया	—	—
14.	रानी	गुडलिया खुर्द	—	—
15.	मारवाड़	चोखलिया	—	83-84
16.	मारवाड़ जंक्शन	बांगडा चोकडिया	—	—
17.	मारवाड़ जंक्शन	बोरली	—	—
18.	देसूरी	नाटी का गूडा	—	—
19.	रानी	माण्डल	—	—
20.	रानी	वणदार	—	84-85

Page No 394

21.	रानी	मलरिया	—	—
22.	रानी	ढोरिया	—	—
23.	मारवाड़ जंक्शन	मोदालिया	—	—
24.	मारवाड़ जंक्शन	तेहबाज	—	—
25.	मारवाड़ जंक्शन	जाडन	—	—
26.	मारवाड़ जंक्शन	बोरनाडी	—	—
27.	मारवाड़ जंक्शन	नरसिंहपुरा	—	—
28.	देसूरी	गांथी	—	—
29.	देसूरी	नारलाई (कन्या)	—	—
30.	देसूरी	मोरखा	—	—

वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक कन्या विद्यालय की सूचना

(1)	उ. मा. वि.	80-81 से 84-85 तक		शून्य
(2)	मा. वि.	80-81 से 84-85 तक		शून्य
(3)	उ. प्रा. वि.	80-81 से 82-83 तक		शून्य
		83-84 में	रानी कला	पं. स. रानी
			राघुता	पं. स. मारवाड़ जंक्शन
		84-85	नारालोई	पं. स. देसूरी

——— - —

कार्यालय जिला शिक्षा, अधिकारी, शिक्षा-विभाग, छात्र-संस्थाएं पाली

सत्र 1980 से सत्र 1984 तक रानी, देसूरी तथा मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति क्षेत्रों में नये खोले गये विषयों की सूची :—

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	पंचायत समिति	विषय	सत्र
1.	मारवाड़ जंक्शन	मारवाड़ जंक्शन	जीव विज्ञान	1980–81
2.	बूसी	रानी	वाणिज्य	,,
3.	खौड़	रानी	जीव-विज्ञान	81–82
4.	बांता	मारवाड़ जंक्शन	कला	,,
5.	मारवाड़ जंक्शन	,,	टंकण	82–83
6.	बूसी	रानी	कृषि	,,
7.	आऊवा	मारवाड़ जंक्शन	जीव-विज्ञान	,,
8.	कंटालिया	,,	वाणिज्य	83–84
9.	खोजाधर	,,	वाणिज्य मय टंकण	,,
10.	जवाली	रानी	वाणिज्य	,,
11.	रानी	,,	राजस्थानी	,,
12.	फुलाद	मारवाड़ जंक्शन	वाणिज्य	84–85
13.	देसूरी	देसूरी	जीव-विज्ञान	,,
कन्या विद्यालय				
1.	रानावास	मारवाड़ जंक्शन	अंग्रेजी	80–81
2.	,,	,,	ना.शा.	82–83
3.	विद्यावाड़ी	रानी	संगीत	82–83

———

जिला पाली की पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में सत्र 1980-81, 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची।

पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन

क्र. स	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84
1	×	×	×	1. मोदावास 2. हेमलियावास खुर्द 3. थापली (कन्या)

पंचायत समिति, रानी

क्र. सं	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84
1	×	×	×	1. नादान जोधा 2 रानी स्टेशन (कन्या)

पंचायत समिति देसूरी

क्र. सं	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84
	1. सारंगवास 2. साली 3. सोहनपुर 4. सुमेरपुर नं. 3 5. सुमेरपुर नं. 4 6. नाथल कुण्डी 7. मरासियों की ढाणी 8. कल्याणपुरा राणी 9. कुम्हारों की ढाणी (बूसी राणी)	×	×	1. भटाडिया 2. मादा (कन्या)

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 245 का विवरण

सूची "अ"

झालावाड़ जिले में हैण्ड पम्प संख्या

क्र. सं.	तहसील	समस्याग्रस्त गांव	हैण्ड पम्प की संख्या	एन. पी. गांव	एन. पी. गांव	कुल गांव	कुल हैण्ड पम्पों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	खानपुर	131	323	6	2	133	329
2.	झालरापाटन	139	282	17	9	148	299
3.	अकलेरा	23	27	99	37	60	126
4.	पछफार	74	158	—	—	74	158
5.	पलखा	56	149	3	2	58	152
6.	गंगधर	40	96	11	4	44	107
	कुल योग :—	463	1035	136	54	517	1171

शहरी योजनाओं के हैण्ड पम्पों की संख्या

क्र. सं.	शहर	हैण्ड पम्पों की संख्या
1.	झालरापाटन	38
2.	पाटन	3
3.	सुनेल	1
4.	पिड़ावा	8
5.	भवानी मण्डी	8
6.	अकलेरा	2
	कुल योग :—	60

माह सितम्बर 1984 तक चालू किये गये हैण्ड पम्प की सूची

(जिला झालावाड़)

क्र. स.	गांव का नाम	कोड संख्या	तहसील	जनसंख्या	हैण्ड पम्पों की संख्या	कैटेगरी
1	2	3	4	5	6	7
1.	जोल्या	1	खानपुर	1176	4	III
2.	मेहदारी	3	,,	280	2	II
3.	बोहरा	4	,,	546	3	III
4.	भगवानपुरा	13	,,	683	3	II
5.	लालावता	36	,,	355	2	II
6.	मियरा	100	,,	403	3	II
7.	घनोदीकलां	155	,,	812	4	III
8.	बंगादासी	17	,,	180	2	II
9.	कोलूखेडी	21	,,	138	2	II
10.	घोषपुर	22	,,	201	2	III
11.	कंथनी	59	,,	59	2	एन.पी.
12.	माहिरा	64	,,	376	2	II
13.	विशनखेडी	65	,,	604	4	एन.पी.
14.	हीनखेर	69	,,	560	6	II
15.	बोरदा	70	,,	356	3	II
16.	जैथाना	89	,,	208	2	II
17.	गोरगनी	91	,,	265	1	II
18	हालीहेरा	93	,,	244	2	II
19.	लाडनिया	99	,,	472	3	II
20.	भैरुनपुरा	102	,,	443	2	II
21.	अटाखारा	109	,,	236	1	II
22.	लामखेरी	124	,,	708	3	III
23.	सोमलखेरी	136	,,	262	2	II
24.	राजपुरा	146	,,	629	4	II

1	2	3	4	5	6	7
25.	भूमेरी	169	,,	459	3	III
26.	अकबादखुर्द	174	,,	440	2	III
27.	कोदीकया	175	,,	190	2	II
28.	चन्दलिया	179	,	308	2	III
29.	सामरोड	190	,,	372	2	II
30.	भैरूपुरा	5	,,	283	2	III
31.	बलःसरा	6	,,	418	3	III
32.	छिकली	9	,,	392	3	III
33.	सारकदिया	24	,,	603	3	III
34.	अकोदिया	25	,,	856	4	III
35.	पड़ामिया	39	,,	219	2	III
36.	पोटाखेरी	45	,,	304	2	III
37.	बहुरावदा	48	,,	210	2	III
38.	देपुरा	49	,,	357	2	III
39.	गोलियापुरी	50	,,	260	3	III
40.	बगोद	66	,,	307	2	III
41.	लेफाल	67	,,	951	5	III
42.	गाडावडानूरगो	112	,,	822	4	III
43.	बोरखेरा	121	,,	320	2	III
44.	गोलाना	122	,,	1372	8	III
45.	कानवल्दा	123	,,	599	4	II
46.	सांवा	137	,,	990	6	III
47.	चितावा	153	,,	721	4	III
48.	मालनवासा	159	,	1125	6	III
49.	दादिया	160	,,	345	2	III
50.	सरोलाखुर्द	167	,,	338	3	III
51.	भगवतपुरा	170	,,	397	3	III
52.	बारखेटी	188	,,	188	2	III
53	भीलमेरा	189	,,	210	2	III
54.	भूखेरी	193	,,	270	2	III
55.	अम्बाला	196	,,	405	1	III

Page No 401

1 2	3	4	5	6	7
56. आलमपुरा	16	खानपुर	183	2	III
57. सेवनी	25	,,	110	2	III
58. बाछाला	126	,,	68	2	III
59. मोहम्मदपुरा	130	,,	42	2	III
60. सुमारिया	138	,,	52	2	III
61. लोमी	139	,,	510	3	III
62. धागरिया	157	,,	130	2	II
63. कांचखेरा	164	,,	260	2	I
64. खुट खेरी	2	,,	88	2	III
65. मोटला	8	,,	124	2	III
66. क्वारपुरा माधोलिया	11	,,	953	6	II
67. खून्जा	15	,,	143	2	III
68. गुल्खेरी	20	,,	173	2	II
69. सरोला भीमकिमा खेरी	26	,,	316	2	I
70. खुमावदा	34	,,	370	2	III
71. सिगोली	37	,,	272	2	III
72. रामपुरा	38	,,	400	3	III
73. रानाराखेरी	40	,,	215	2	III
74. भूजखेरी	41	,,	193	2	III
75. गुरहा	42	,,	124	2	III
76. रुपाहेडा	44	,,	244	2	III
77. चांदखेरी	51	,,	420	1	III
78. कालामा	58	,,	537	3	III
79. गादखारादूंदी	55	,,	579	3	III
80. थोकरिया	56	,,	117	2	III
81. जंतेदी	61	,,	70	2	II
82. बानी	62	,,	193	2	III
83. छोलेत	68	,,	882	3	III
84. छोवाल्सा	71	,,	247	2	III

Page No 402

1	2	3	4	5	6	7
85.	पादनिया	76	खानपुर	244	2	III
86.	बाह्मनखेरी	81	"	108	2	III
87.	पीतमपुरा	82	"	203	2	II
88.	मूनदिया	84	"	669	4	III
89.	दून्दा	92	"	548	3	III
99·	अन्वोरा	106	"	95	9	II
91.	जाक्वारी	107	"	103	2	III
92.	भाटवारी	110	"	381	2	III
93.	घोचारी	114	"	193	2	III
94.	देदिया	127	"	367	2	III
95.	खेरी	134	"	33	2	III
96.	अलोरा	141	"	122	2	III
97.	अलोदा	142	"	225	1	III
98.	बाराना	143	"	248	2	III
99.	रतनपुरा	144	"	347	1	III
100.	दनोदा फुल	148	"	162	2	III
101	बड़धा	156	"	248	2	III
102.	रतोला	170	"	262	3	III
103.	महुवा मेरो	178	"	362	2	III
104.	छतरपुरा	108	"	964	2	III
105.	अकबरकलां	173	"	289	2	III
106.	हटोखेरा	54	"	221	1	III
107.	सनगेरा	18	"	190	2	III
108.	सुप्रारिया	14	"	278	3	III
109.	मोहनपुरा	35	"	92	2	III
110.	लोधा	43	"	47	2	III
111.	लुकार	116	"	168	1	III
112.	बरड़ाली	121	"	150	2	III
113.	जगदीशपुरा	132	"	152	2	III
114.	हटोली	181	"	89	1	III
115.	दूरजनपुरा	46	"	49	2	III

1	2	3	4	5	6	7
116.	सिहानी	88	खानपुर	90	2	III
117.	नापानिया	73	,,	326	3	III
118.	चन्दियाखेरी	113	,,	100	2	III
119.	भाटखेरी	57	,,	101	2	II
120.	बांसखेरा	72	,,	468	2	III
121.	ब्रहमखेरी	71	,,	168	2	III
122.	गुन्जारी	96	,,	147	2	III
123.	मालियाखेडा	118	,,	190	2	III
124.	चन्दपुरा छापलारा	150	,,	378	3	II
125.	कंगनोखेरा	191	,,	90	2	I
126.	सेवातिया	192	,,	278	2	I
127.	बरेदा	194	,,	676	4	I
128.	छपीहेरा	199	,,	128	2	III
129.	कारनवास	106	,,	964	2	II
130.	समदखेरी	28	,,	40	2	III
131.	वोरल्ट	31	,,	113	2	I
132.	हूसला	27	,,	242	2	I
133.	भाटवार	30	,,	95	1	III
134.	कालमन्दीकला	11	झालरापाटन	840	4	III
135.	सिगानिया	48	,,	442	2	III
136.	बन्झारी	77	,,	412	2	III
137.	भावरासी	116	,,	166	2	III
138.	जूनाखेरा	159	,,	1107	2	III
139.	कोनरी	186	,,	574	2	III
140.	खोखन्दा	3	,,	399	1	III
141.	सलोतिया	8	,,	339	2	III
142.	विरन्दावन	14	,,	248	2	III
143.	दुर्गापुर	18	,,	938	5	II
144.	मुहमन्वावर	29	,,	319	2	II
145.	बांसघाटी	32	,,	233	2	III

1	2	3	4	5	6	7
146.	राजपुरा	45	झालरापाटन	377	2	III
147.	बलायती	48	,,	220	2	III
148.	मोतीपुरा	52	,,	468	3	III
149.	खुनपुरिया	54	,,	600	2	III
150.	गाडिया	59	,,	417	1	III
151.	पृथ्वीपुरा	96	,,	427	2	II
152.	मोतियाखेरा	113	,,	102	2	एन.पी.
153.	श्योपुरा	121	,,	164	2	II
154.	तीतरवास	125	,,	621	1	III
155.	नालखेरी	130	,,	240	1	III
156.	मोरी	158	,,	149	2	III
157.	महेश्वर	167	,,	271	2	III
158.	लावासल	177	,,	430	2	III
159.	तन्दीसोनपुरा	188	,,	543	2	III
160.	वरगवाड़ा	217	,,	335	2	II
161.	राजपुरा	240	,	305	3	एन.पी.
162.	मालको	246	,,	295	2	II
163.	मिकरिया	251	,,	381	1	I
164.	गुरखेरा	259	,,	580	3	III
165.	गोपालपुरा	264	,,	89	2	एन.पी.
166.	देवदूनगरी	266	,,	410	3	II
167.	लुहारिया	2	,,	369	2	III
168.	नाहरसिंहा	9	,,	263	2	III
169.	सिगानिया	12	,,	277	2	III
170.	गोरधनपुरा	33	,,	344	2	III
171.	कोलानिया	38	,,	372	2	III
172.	मुन्डेरी	40	,,	363	1	III
173.	रासायत	44	,,	474	2	III
174.	मालमेदी खुर्द	47	,,	370	2	III
175.	सीताफल	66	,,	431	2	II
176.	सोनेखेरी	67	,,	426	2	II

Page No 405

1	2	3	4	5	6	7
177.	त्रिलयाखेरीकलां	73	झालरापाटन	419	1	III
178.	चांदहेरी	74	,,	308	2	III
179.	गोविंदपूरा	83	,,	760	3	III
180.	खानराखी	84	,,	301	2	III
181.	गिरधरपुरा	86	,,	506	2	III
182.	रामरी	88	,,	338	2	III
183.	छूनावरी	97	,,	350	3	III
184.	अकोदिया	188	,,	267	2	III
185.	तेलयाखेरी	189	,,	344	2	एन.पी.
186.	बारवलाहू	110	,,	264	2	II
187.	रुपराय	114	,,	328	2	III
188.	झारेल	118	झालरापाटन	460	1	III
189.	सेमली	122	,,	329	2	III
190.	कालाकोट	123	,,	251	1	III
191.	गादारी	131	,,	315	2	II
192.	पृथ्वीयाखेरी	132	,,	252	2	III
193.	मान्डा	136	,,	374	2	III
194.	बाली	140	,,	521	2	III
195.	जेतपुरा	149	,,	90	2	III
196.	अकावसा	150	,,	257	2	एन. पी.
197.	अजीतपुरा	156	,,	344	1	III
198.	आन्दा	172	,,	497	3	III
199.	नया गांव	174	,,	247	3	III
200.	खेरला	175	,,	248	2	III
201.	धावली	191	,,	410	2	III
202.	पीपलिया गूजर	192	,,	234	2	III
203.	गांदियाभर	193	,,	306	2	III
204.	कनवरपुरा	197	,,	314	2	III
205.	खाजूरीकला	198	,,	201	1	III
206.	कालियाखेरी	287	,,	116	1	III

1	2	3	4	5	6	7
207.	मदनपुरा	291	झालरापाटन	49	1	एन. पी.
208.	छरदियारी	201	,,	171	2	एनी. पी.
209.	थानवास	4	,,	240	1	III
210.	विलोनिया	6	,,	88	3	III
211.	शिवपुरा	7	,,	172	1	III
212.	झूनापानी	10	,,	123	2	III
213.	किशनपुरा	13	,,	103	3	III
214.	बालागढ़	15	,,	67	3	III
215.	गोपालपुरा	16	,,	60	3	III
216.	नाला	19	,,	250	2	III
217.	बावरीखेरा	20	,,	45	2	III
218.	फजलपुरा	21	,,	80	2	III
219.	छुवारी खुर्द	25	,,	121	3	III
220.	छगेरी	27	,,	254	2	III
221.	भानवारिया	34	,,	46	3	III
222.	सामली पाटवरिया	39	,,	125	2	III
223.	खुन्दी	41	,,	116	3	III
224.	गोरी	42	,,	78	2	III
225	देवरी	57	,,	457	2	III
226.	बिन्दलिया	58	,,	253	1	III
227.	पारोलिया खेरी	60	,,	125	2	III
228.	बिरया खुर्द	61	,,	174	2	III
229.	सालोरिला	71	,,	443	3	III
230.	मुन्डलिया खेड़ा	76	,,	36	1	III
231.	माधोपुर	78	,,	143	3	III
232.	बागदर	79	,,	126	2	III
233.	बख्शपुरा	80	,,	82	2	III
234.	मालीपुरा	81	,,	109	3	III
235.	मानोछा	85	,,	132	3	III
236.	छारिया खेड़ी	89	,,	70	3	III

1	2	3	4	5	6	7
237.	पिपालिया सोरहद	92	झालरापाटन	119	1	III
238.	ददवाड़ी	90	,,	200	2	III
239.	दयालपुरा	99	,,	221	2	III
240.	बनोली	103	,,	93	3	III
241.	पानवासी	105	,,	717	5	III
242.	बारपुरा	107	,,	232	2	III
243.	बारवेला	111	,,	210	2	III
244.	साखली	112	,,	82	3	III
245.	किशनपुरा माचसी	117	,,	188	2	III
246.	मंगल	119	,,	237	2	III
247.	घावली खुर्द	129	,,	197	2	II
248.	शरवा	134	,,	158	2	III
249.	मायापुरा	137	,,	173	2	III
250.	जगन्नाथपुरा	139	,,	297	2	III
251.	बोवला	145	,,	626	2	III
252.	महारदी	146	,,	163	1	III
253.	देनिया खेड़ी	147	,,	610	1	III
254.	बयाना	154	,,	244	2	III
255.	कल्याणपुरा	155	,,	91	3	III
256.	दावरिया	161	,,	140	2	III
257.	तलवारिया	173	,,	142	2	III
258.	कानपुरा	176	,,	192	3	III
259.	गावपुरा	183	,,	165	2	III
260.	सालकी डूंगरी	184	,,	214	2	III
261.	गुरहा	185	,,	160	2	III
262.	बरेडी	186	,,	175	2	III
263.	रूपाबलिदिया	194	,,	157	2	III
264.	खेरिया	284	,,	820	4	II
265.	सालखी खेड़ा	62	,,	153	1	III

Page No 408

1	2	3	4	5	6	7
266.	सेमली	157	झालरापाटन	53	1	III
267.	जटवारी	163	,,	44	1	III
268.	पृथ्वीपुरा	245	,,	369	2	II
269.	झूमकी	216	,,	113	2	II
270.	मारूखेड़ा	303	,,	133	2	II
271.	गुढा	43	,,	78	2	III
272.	करमछोडी	70	झालरापाटन	192	1	III
273.	संगरिया	101	,,	217	2	III
274.	खूजराखुर्द	102	,,	155	2	III
275.	संदलाब	124	,,	698	1	III
276.	मेंहन्दी	179	,,	101	2	I
277.	गणेशपुरा	182	,,	139	2	III
278.	दौलतपुरा	372	,,	150	1	एन.पी
279.	गोरधनपुरा	55	,,	129	1	III
280.	मुन्डलियाखेडी	72	,,	44	2	III
281.	श्यामपुर	133	,,	396	1	I
282.	गेहूंखेडी	103	पसलेरा	1198	5	एन.पी
283.	लासोरियाशाह	287	,,	886	4	I
284.	सगावा	20	,,	270	2	II
285.	मेथून	52	,,	905	5	एन.पी.
286.	देवरीकला	153	,,	669	4	,,
287.	चांदीपुरा	181	,,	1190	2	,,
288.	हूरिया	196	,,	1308	4	,,
289.	आसनपुरा	236	,,	610	5	,,
290.	गुरादी	237	,,	242	3	II
291.	कालूखेडी कलां	268	,,	1291	4	एन.पी.
292.	होरालिया	433	,,	419	1	,,
293.	होरालिया	11	,,	144	1	,,
294.	परनिया	51	,,	416	2	,,
295.	बरेलीकला	93	,,	207	2	I
296.	उखावडा	132	,,	368	1	एन.पी.

Page No 409

1	2	3	4	5	6	7
297.	कोली	134	अखलेरा	537	3	II
298.	पाछोला	141	,,	794	3	एन.पी.
299.	धारेरी	161	,,	926	1	,,
300.	अर्जुनपुर	166	,,	644	4	,,
301.	गोरिया खेडा	193	,,	647	2	,,
302.	पाछेता	267	,,	621	4	,,
303.	बलसहाय	348	,,	473	2	I
304.	छाछोरनी	68	,,	394	2	I
305.	ढापसिया	85	,,	323	2	एन.पी.
306.	देवकेदर	247	,,	418	2	,,
307.	जावरी	255	,,	250	1	I
308.	नगनिया खेडी	280	,,	217	2	एन.पी
309.	खानखेरालोदान	362	,,	261	1	I
310.	ताडपुरा	420	,,	296	2	एन पी.
311.	बासोदिया	26	,,	342	2	,,
312.	खुरी	92	,,	223	1	,,
313.	खेरला	123	,,	197	2	,,
314.	गोरियाखेडा	142	,,	193	2	,,
315.	थनानी	160	,,	261	1	,,
316.	बिन्दाखेडा	213	,,	760	1	II
317.	खोरी	250	,,	222	2	II
318.	डूनोलिया	276	,,	158	2	I
319.	डून्डा	284	,,	284	2	II
320.	गोडिया	118	,,	112	2	II
321.	उगरपुरा	197	,,	102	2	I
322.	खुरजीरा	192	,,	147	1	I
323.	गुरूदेवरा	350	,,	109	1	I
324.	सादला	259	,,	641	1	II
325.	गणेशपुरा	286	,,	178	2	I
326.	पाटनखेडा	15	,,	85	1	एन.पी
327.	ठुकरिया	59	,,	287	2	,,

1	2	3	4	5	6	7
328.	अमलाबाडा	60	अखलेरा	287	1	एन. पी.
329.	बिन्दा	84	,,	431	2	,,
330.	बारवाडा	86	,,	333	2	,,
331.	बनेडीखुर्द	94	,,	38	1	,,
332.	पाटन जागेर	124	,,	214	1	,,
333.	पाडलिया	137	,,	390	2	,,
334.	सेमलीखुर्द	158	,,	85	1	,,
335.	नान्घेरा	162	,,	377	2	एन.पी.
336.	देवरी खुर्द	165	,,	113	2	I
337.	सेमली बेड	178	,,	240	2	I
338.	देवरी कला	186	,,	457	2	I
339.	रामल्टी	228	,,	181	1	एन.पी.
340.	पिपल्दा	406	,,	170	1	I
341.	खाटखेडी	410	,,	639	2	I
342.	कलिगन खेर	6	पचफार	342	2	II
343,	रानीवास	26	,,	460	3	II
344.	देवलिया खेरी	87	,,	103	2	II
345.	नेपानी खेडा	81	,,	186	1	II
346.	सागर खेडा	108	,,	161	2	II
347.	सिंघहपुरा	112	,,	984	3	II
348.	करणवास	117	,,	1316	7	II
349.	नाथूखेरी	124	,,	344	2	II
350.	बूडियाकला	141	,,	931	5	II
351.	गुदियाहला	9	,,	298	2	III
352.	रूबी	10	,,	372	2	III
353.	घाटोड	16	,,	945	4	III
354.	नेरावाड	20	,,	662	1	III
355.	करोवाड	21	पचफार	51	4	I
356.	खोरीया	23	,,	366	1	III
357.	नेपनियाकला	24	,,	304	2	II
358.	काकानी	29	,,	337	2	III

Page No 411

1	2	3	4	5	6	7
359.	अमालीखुद	30	पचफार	375	2	III
360.	छेरखेडो	32	,,	477	3	III
361.	खेताखेरा	33	,,	224	2	III
362.	गंगपुरा	36	,,	554	2	III
363.	लोखोडिया	37	,,	234	2	III
364.	गुराही	39	,,	250	2	III
365.	देवरिया	45	,,	214	2	II
366.	महीरया	36	,,	213	1	II
367.	मालसोनी	38	,,	303	1	II
368.	धुवर्वा	109	,,	275	1	II
369.	खेजरीखेर	1	,,	134	1	III
370.	करणपुरा	4	,,	176	2	III
371.	अरोलिया	12	,,	646	3	III
372.	आनन्दपुरा	25	,,	168	1	II
373.	गुलियाखेरिया	27	,,	205	2	III
374.	अंसवलिचाकला	28	,,	674	4	III
375.	धरी	48	,,	140	2	III
376.	खोटी	58	,,	366	2	III
377.	नापनियखेोषा	54	,,	206	2	III
378.	गुरदियाभेरता	55	,,	607	4	II
379.	पारलियाखेरी	57	,,	366	2	III
380.	कोथला	62	,,	273	2	III
381.	खंडार	63	,,	274	2	III
382.	मालखेरा	65	,,	244	2	II
383.	रतनपुरिया	63	,,	213	2	III
384.	खारपा	72	,,	174	2	III
385.	डनोतिया	74	,,	324	2	I
386.	मालखेरी	77	,,	371	1	III
387.	असखेरी	78	,,	624	2	III
388	मोरदो	80	,,	319	2	III
389.	रानाईला	83	,	220	2	III

1	2	3	4	5	6	7
390.	दोबारा	84	पचफार	147	2	III
391.	लोहरा	89	,,	231	2	III
392.	मदानीपुरा	92	,,	174	2	III
393.	नाहरघाट	94	,,	278	2	III
394.	छान्दरपुरा	95	,,	130	1	III
395.	अकिया	97	,,	306	2	III
396.	अरनिया	98	,,	301	2	III
397.	भीमहानी	100	,	455	3	III
398.	भावानीपुरा	101	,,	251	2	III
399.	राजगढ़	102	,,	245	2	III
400.	राजपुरा	133	पचफार	256	2	III
401.	गणेशपुरा	18	,,	1199	4	II
402.	गोपालपुरा	19	,,	62	2	II
403.	बिशनिया	38	,,	140	2	III
404.	सांगली	50	,,	125	2	II
405.	कान्नाखेरी	58	,,	94	1	III
406.	गिरधारी	59	,,	29	1	III
407.	बेजपुरी	56	,,	272	2	III
408.	आन्द्रपुरा	67	,,	131	1	III
409.	मोगरा	81	,,	1110	6	III
410.	काली तलाई	76	,,	249	2	III
411.	हारमतिया	79	,,	429	2	III
412.	अरा	47	,,	65	1	III
413.	सेमला भाकटा	34	,,	2 5	2	III
414.	आमलिया खेड़ा	3	,	141	2	III
415.	खाटखेड़ा	90	,,	112	1	III
416.	हिम्मतगढ़	109	प्रिरवा	1334	6	I
417.	कोलिया बुर्ज	122	,,	1218	6	II
418.	पानखेड़ी	48	,,	309	2	II
419.	छाछाली	49	,,	303	1	II
420	यशवन्तपुरा	83	,,	174	2	II

1	2	3	4	5	6	7
421.	अरनिगा	84	प्रिरबा	72	2	I
422.	नूरपुरा	93	,,	154	2	II
423.	श्यामपुरा	95	,,	110	3	II
424.	काछरखेड़ी	107	,,	414	3	II
425.	पिपाखेड़ी	119	,,	320	1	II
426.	तुमरिया खेरी	135	,,	258	2	II
427.	कांजरी 7	139	,,	95	1	III
428.	बुजारिया	143	,,	503	2	III
429.	घंरा खेड़ी	177	,,	204	1	II
430.	खाजोरिया	178	,,	444	3	II
431.	हेवची	187	,,	322	2	एम. पी.
432.	रामपुरिया	190	,,	499	2	II
433.	बल्दा	194	,,	305	2	II
434.	घावला	12	,,	156	3	II
435.	गोदारा	13	,,	203	2	I I
436.	कालोतिया	15	,,	367	3	II
437.	रुपाखेडा	58	,,	168	2	II
438.	बिजनोर	193	,,	745	6	II
439.	खीजापुर	105	,,	514	3	II
440.	खमेरपुर	186	,,	402	3	I
441.	शेरखेडी	214	,,	520	1	एम. पी.
442.	बावला	29	,,	490	2	II
443.	मोरी	75	पीराबा	425	1	II
444.	तानोरिया	89	,,	398	1	I
445.	तलियाखेड़ी	104	,,	268	2	II
446.	हनोतियारायमल	120	,,	172	2	II
447.	कोल्वो	129	,,	103	1	II
448.	केल्वी खेड़ी	130	,,	413	3	II
449.	छोरी	132	,,	483	3	I
450	सिलोरी	133	,,	326	2	II
451.	ढोले	134	,,	768	6	III

Page No 414

1 2	3	4	5	6	7
452. श्रोलिया खेड़ी	137	प्रिरबा	797	6	III
453. दरुखेड़ी	138	,,	620	4	III
454. निमदाखेड़ी	140	,,	453	2	III
455. गार्दन खेड़ी	152	,,	567	3	II
456. खारपाकला	155	,,	775	5	II
457. खन्दीक	150	,	270	2	II
458. खाजूडी	166	,,	173	2	II
459. खारजाखुर्द	174	,,	336	2	II
460. विजयाखेड़ी	193	,,	254	2	II
461. घावलाभोज	201	,,	773	5	II
462. पीपीलिया	202	,,	273	2	II
463. हारनवाड़ा	206	,,	778	3	II
464. खारना	136	,,	566	2	III
465. अरनियाखेड़ी	161	,,	279	1	III
466. बिसमिल्लापुरा	181	,,	93	2	I
467. फातेपुर	208	,,	89	2	I
468. राजपुरा	41	,,	44	2	I
469. झीकारी	53	,,	465	3	I
470. खान्दलखेडी	82	,,	831	1	I
471. संगरिया	121	,,	1298	5	II
472. दौलतपुरा	142	,,	89	1	II
473. हारनवाडा पीपाना	207	,,	557	1	II
474. बिलावली	60	गन्धार	528	3	II
475. फोजलपुर	153	,,	31	1	I
476. गोल्वा गिवार	12	,,	330	3	एन. पी.
477. हेसमदी	22	,,	255	2	II
478. नेपनिया झाला	37	,,	316	2	II
479. दोलाखेडी	47	,,	305	1	II
480. लूणकसेरो	64	,,	195	2	II

1	2	3	4	5	6	7
481.	खारछोरिया	70	गन्धार	478	2	II
482.	गुरदियासर	75	,,	481	3	II
483.	घावला	84	गंगधर	404	2	एन. पी.
484.	चान्दखेडी	95	,,	78	2	II
485.	कायपुरिया	96	,,	107	1	III
486.	खारखेडा	98	,,	212	2	II
487.	कुनतिया	112	,,	652	3	एन. पी.
488.	माकारा	124	,,	157	2	II
489.	जगदीशपुरा	175	,,	515	3	II
490.	बालीखेडा	33	,,	297	2	III
491.	रतीखेडा	46	,,	194	2	III
492.	बोरदिया बिराजी	89	,,	814	4	III
493.	कीतिया	93	,,	978	4	II
494.	सालरिया	99	,,	412	3	एन. पी.
495.	छिरी	104	,,	263	2	I
496.	कागरिया	106	,,	648	3	III
497.	सरदारा	109	,,	384	2	III
498.	बेदखेडी	111	,,	497	2	III
499.	तिसाल	121	,,	1058	3	II
500.	मारुका	40	,,	551	3	II
501	अरनिया	52	,,	363	2	I
502.	दिमल्की	66	,,	172	2	III
503.	देवगढ़	72	,,	1045	3	II
504.	वतीखारिया	78	,,	112	2	III
505.	पदमखेडी	88	,,	199	2	I
506.	बारला	100	,,	841	5	III
507.	सोकरखेडी	110	,,	201	2	III
508.	धामनदा खुर्द	135	,,	146	2	II
509.	धरवजा	149	,,	566	3	II

1 2	3	4	5	6	7
510. छारछुनी	170	गंगधर	718	5	I
511. कचनारा	117	,,	812	5	I
512. बेरखेरी	133	,,	270	2	II
513. पारलिया	36	,,	703	2	I
514. लखखेरी	66	,,	338	2	I
515. टिगरिया	76	,,	368	1	II
516. नन्दपुर	156	,,	460	1	I
517. भेंसभार	138	,,	234	2	I

Page No 417

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 247 की सूची

जनवरी 1983 से सितम्बर 1984 तक के बीकानेर संभाग में निलम्बित परिचालकों की संख्या व पुनः निगम सेवा में लिये गये परिचालकों की संख्या का मानचित्र

क्र. सं.	कुल निलम्बित परिचालकों की संख्या	पुनः निगम सेवा में लिये गये परिचालकों की संख्या
1	181	9

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 248 के परिशिष्ट

परिशिष्ट "अ"

मण्डल में स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों की संख्या

क्रम सं.	नाम कार्यालय/वृत	स्थायी श्रमिक	अस्थायी श्रमिक
1.	कोटा थर्मल परियोजना	480	145
2.	माही जल-विद्युत-परियोजना	150	44
3.	मुख्य अभियन्ता-सिविल	334	8
4.	मुख्या अभियन्ता (प्रसारण एवं निर्माण)		
	1. प्रसारण एवं निर्माण वृत–प्रथम	1027	5
	2. प्रसारण एवं निर्माण वृत–द्वितीय	1082	45
	3. प्रसारण एवं निर्माण वृत–तृतीय	806	22
5.	मुख्य अभियन्ता (परिचालन एवं संधारण)		
	1. अजमेर	2775	572
	2. अलवर	5283	162
	3. भीलवाड़ा	2074	61
	4. बीकानेर	2295	629
	5. जयपुर नगर	2177	57
	6. जयपुर जिला	4543	615
	7. जोधपुर (परिचालन एवं संधारण)	2475	476
	8. जोधपुर (निर्माण)	2919	436
	9. झुंझुनू	1166	363
	10. कोटा (परिचालन एवं संधारण)	3503	531
	11. सीकर	1757	494
	12. सवाई माधोपुर	1931	94
	13. उदयपुर	2554	175
	14. कोटा (उत्पादन)	359	70
	15. मोटर	312	—
	16. एस. ओ. एण्ड एल. डी.	123	63
	कुल योग	40,125	5,067

परिशिष्ट 'ब'

क्रम सं. नाम वृत	मृतक श्रमिक	क्षति पूर्ति
1. अजमेर	2	एक मृतक के आश्रितों को 23100/- रु. मुआवजा राशि स्वीकृत की जा चुकी है दूसरा मृतक् राज्य बीमा स्कीम का सदस्य है अतः क्षति पूर्ति राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त होगी।
2. अलवर	2	एक श्रमिक के आश्रितों को मुआवजे की 24000/- स्वीकृत की जा चुकी है दूसरे की विचाराधीन है।
3. भीलवाड़ा	2	मृतक् के आश्रितों की क्षति पूर्ति राशि दिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।
4. बीकानेर	2	क्षति पूर्ति राशि दिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।
5. जयपुर नगर	1	मृतक् राज्य बीमा निगम स्कीम का सदस्य था अतः क्षति पूर्ति मण्डल द्वारा देय नहीं है।
6. जयपुर जिला	5	मृतक् के आश्रितों को क्षति पूर्ति राशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।
7. जोधपुर (परिचालन एवं संधारण)	3	तीनों श्रमिकों के आश्रितों को 45000/- रु. की राशि मुआवजे के रूप में स्वीकृत की गई है।
8. जोधपुर (निर्माण)	3	तीनों श्रमिकों के आश्रितों को 64000/- रुपये राशि मुआवजे के रूप में स्वीकृत की गई है।
9. झुन्झुनू	2	तीनों श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा राशि 23100/- एवं 18000/- क्रमशः स्वीकृत की जा चुकी है।
10. कोटा (परिचालन एवं संधारण)	5	एक श्रमिक को 23100/- रुपये क्षति पूर्ति राशि दी जा चुकी है अन्य मृतकों के मामले विचाराधीन है।

क्र. सं. नाम वृत्त	मृतक श्रमिक	क्षतिपूर्ति
11. सीकर	1	मृतक के आश्रितों को मुआवजा 27000/- रु. स्वीकृत किया जा चुका है।
12. सवाई माधोपुर	1	क्षति पूर्ति राशि स्वीकार किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।
13. उदयपुर	—	—
14. कोटा (उत्पादन)	—	—
15. मीटर	—	—
16. एस. ओ. एन्ड एल. डी.	—	—
17. टी. सी. सी.–i	—	—
18. टी. सी. सी.–ii	—	—
19. टी. सी. सी.–iii	1	मुआवजे की राशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
20. कोटा तापीय परियोजना	1	मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि रु. 19200/- स्वीकृत कर दिया गया है।
योग	31	

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 253 की सूची

भरतपुर जिले में निम्नलिखित स्मारक राजकीय महत्व के माने जाकर राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक घोषित है :—

क्रमांक	स्मारक/स्थान/वस्तु का नाम	स्थान	दिनांक
1	2	3	4
1.	किला (कमरा खास, पुराना किला किशोरी महल, किले के अन्दर का भाग) शहर की कच्ची बाहर दीवारी	भरतपुर	जिससे संरक्षित घोषित की गई। 7-11-1968
2.	चौबुर्जा अथवा गढ़ी खेमकरण	भरतपुर	,,
3.	प्राचीन प्रासाद	कुम्हेर	,,
4.	जलमहल	कुम्हेर	,,
5.	होल्कर की छतरी	गंगोर सोली	,,
6.	किला डीग	डीग	,,
7.	छ-ता प्राचीन प्रासाद	,,	,,
8.	प्राचीन प्रासाद	कामां	,,
9.	लाल दरवाजा	,,	,,
10,	अकबर के कोस चिन्ह	,,	,,
11.	अकबर के कोस चिन्ह	,,	,,
12.	कामेश्वर महादेव का मन्दिर	,,	,,
13.	प्राचीन कुआं	,,	,,
14.	धर्मराज का कुंआ	,,	,,
15.	सूरज का मन्दिर	सतवास	,,
16.	मुस्लिम कब्रें तथा सल्ले खां की कब्र	सहूलान	,,

1	2	3	4
17.	किला	बैर	,,
18.	प्रासाद तथा वाटिका	बैर	,,
19.	बलदेव जी के मन्दिर में पत्थर काटकर बनवाई गई प्रतिमा	रूपवास	,,
20.	काले खां का मकबरा	बयाना	,,
21.	बारह खम्भों की छतरी	,,	,,
22.	विजय मन्दिर गढ़ के मार्ग में छतरियां	,,	,,
23.	मोहम्मद गोरी के सेनापति की छतरी	नदबई	,,

———

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 257 की अनुक्रमिका

अनुक्रमिका-1

अनुचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की वर्गवार आरक्षित पदों की सूची :

नाम वर्ग	अनु० जाति	जन जाति
अधिकारी वर्ग	38	32
लेखा वर्ग	50	38
मंत्रालयिक वर्ग	15	36
यातायात वर्ग	620	563
तकनीकी	808	739

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 259 से सम्बन्धित विवरण एवं सूचना

प्रपत्र "क"

भीलवाड़ा जिले में सिंचाई निर्माण एवं मेन्टीनेंस कार्यों पर हुए व्यय का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं खण्ड का नाम		व्यय वर्ष 1983–84 (लाखों में)	व्यय वर्ष 1984–85 (सितम्बर–84 तक) लाख रु० में
	सिंचाई खण्ड प्रथम भीलवाड़ा :—			
(अ)	परियोजना कार्य—			
	1–बरून्दनी		3.18	43.24
	2–शिवसागर (बान्दरकुंपा)		0.57	1.42
	3–भण्डार का नाका		2.22	5.41
	4–मेजा आधुनिकीकरण		5.99	5.50
(ब)	बाढ़ मद—		14.67	4.06
(स)	पचाडी बांध मत्स्य तालाब का निर्माण कार्य		0.99	—
(द)	चारा बन्दी कार्य		9.29	—
		योग :–	27.91	59.63
	सिंचाई खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा—			
	परियोजना कार्य—			
	1–कोठारी		197.00	77.00
	2–रघुनाथपुरा		52.29	29.00
	3–पनघटिया		11.84	14.00
	4–डांगटी रोकड़ा		6.16	14.00
	5–कुण्डिया खाल		5.16	1.00
	6–मण्डोल	(—)	0.02	—
			279.47	135.00

सिंचाई मेजा फीडर खण्ड भीलवाड़ा—		
मेजा फीडर परियोजना——	149.72	62.93
कुल योग	457.10	227.56
मेन्टेनेन्स कार्य—		
1–सिंचाई खण्ड प्रथम भीलवाड़ा	44.93	20.66
2–सिंचाई खण्ड द्वितीय भीलवाड़ा	1.51	2.10
	46.44	30.76

परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 263 का विवरण

परिशिष्ट "क"

कुशलगढ़ क्षेत्र के तालाबों की सूची मय सिंचाई क्षमता वास्तविक सिंचाई

क्र. सं.	नाम तालाब	पंचायत समिति	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	बियापाड़ा	कुशलगढ़	
2.	पाण्डा तालाब	,,	
3.	घोडादरा	,,	
4.	मस्का तालाब	,,	
5.	अखेपुरा तालाब	,,	
6.	मगरदा तालाब	,,	
7.	धन्देश्वर तालाब	सज्जनगढ़	
8.	सेरियापाड़ा तालाब	कुशलगढ़	
9.	बड़ी सरवा तालाब	,,	
10.	छोटी टान्डी तालाब	,,	
11.	रसोडी तालाब	,,	
12.	बड़वास तालाब	,,	
13.	झौंकली तालाब	,,	
14.	भूंरा कुआ तालाब	,,	
15.	झाकरिया तालाब	,,	

निर्माणाधीन योजनाएं

1.	सारण पटेल का नाका	कुशलगढ़	इन योजनाओं से आंशिक सिंचाई हो रही है क्योंकि इनकी नहरों का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। नहरों का कार्य प्रगति पर चल रहा है।
2.	खानापाड़ा	,,	
3.	नाळदा	,,	
4.	गोयका प्रसाद	,,	
5.	कतरा खूटा	,,	

Page No 427

परिशिष्ट 27

अतारांकित प्रश्न संख्या 264 की सूची

नागौर शहर के अनुसूचित जाति/जन जाति के विभिन्न मोहल्लों में दी गयी पेयजल सुविधा का विवरण

शहर का नाम	अनु. जाति/जनजाति, की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर	पेयजल से लाभान्वित अनु. जाति/जनजाति के मोहल्लों का नाम	सार्वजनिक नलों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
नागोर शहर				
1. अनुसूचित जाति	3721	1. मोचियों का वास समस तालाब के पास	1	नागौर शहर में कुल 110 सार्वजनिक नलों में से 23 सार्वजनिक नल अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में लगाये गये हैं।
2. अनुसूचित जन-जाति	85	2. नायकों का वास	1	
		3. ढोलियों की बस्ती कुम्हारी दरवाजा	1	
		4. कोलीभक्तों का वास	1	
		5. खटीकों का वास	1	
		6. छोटा जैन छात्रावास के पास	1	
		7. हरिजन बस्ती टिकुराम के मकान के पास	1	
		8. हरिजन बस्ती बस्तीराम मकान के पास	1	
		9. हरिजन बस्ती राम-प्रताप के मकान के पास	1	
		10. हरिजन बस्ती न्यूकालोनी	1	
		11. बड़ली रेगर बस्ती	1	
		12. बड़ली रेगर बस्ती	1	

Page No 428

1	2	3	4	5
		13. हरिजन बस्ती जवरी लाल के मकान के पास	1	
		14. बेलदारों का मोहल्ला	1	
		15. खोडा भैरुलाल के पास	1	
		16. भाभियों का बास खोडा	1	
		17. भाभियों का बास	1	
		18. नायकों की बस्ती दिल्ली दरवाजा	1	
		19. मेघवालों की बस्ती दिल्ली दरवाजा	1	
		20. रेगर बस्ती बडली	1	
		21. नायक बस्ती कुम्हारी दरवाजा	2	
		22. इन्द्रा कालोनी हरिजन बस्ती	1	
		योग	23	

परिशिष्ट 28

अतारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची

मेजा फीडर खण्ड भीलवाड़ा में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों की वर्षवार सूची

क्र. सं.	वर्ष जिसमें कार्यरत है	कर्मचारियों की संख्या
1.	1972-73	15
2.	1973-74	18
3.	1974-75	8
4.	1975-76	15
5.	1976-77	27
6.	1977-78	62
7.	1978-79	54
8.	1979-80	46
9.	1980-81	63
10.	1981-82	72
11.	1982-83 (अप्रेल-1982 तक)	6
	कुल योग	386

परिशिष्ट 29

अतारांकित प्रश्न संख्या 267 की सूची

परिशिष्ट "ब"

सिंचाई विभाग के मार्फत वर्ष 1980 से 1984 (सितम्बर-84) तक
प्रारम्भ किये गये कार्यों की सूची
पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन
"ब" अकाल राहत कार्यों के तहत

क. सं.	काय का नाम	नाम ग्राम
1	2	3
	वर्ष 1980-81	
1.	कुटिया एनीकट	कुटिया
2.	सिवाना एनीकट	सिवाना
3.	रेजिंग आफ रेलिया	रेलिया
	वर्ष 1981-82	
1.	जोगडावास बांध	जोगडावास
2.	करमाल एनीकट	करमाल
3.	बिरपटिया एनीकट	बिरपटिया
4.	सारण बांध	सारण
5	सिरीयारी	सिरीयारी
6.	कंटालिया	कंटालिया
7.	धांवदोप एनीकट	धांवदोप
	वर्ष 1982-83	
1.	पढवाल की नाल	ढेलपुरा
2.	पालेला बांध	बांसोर
3.	कराडी एनीकट	कराडी
4.	सांतोप नालिया	कंटालिया
5.	गुडारामसिंह एनीकट	गुडारामसिंह
6.	काई एनीकट	काई
7.	जोडकिया एनीकट (बामली)	बामली
8.	अर्जुनसागर एनीकट	कंटालिया

1	2	3
9.	बाबामण्डी एनीकट	राजोला खुर्द
10.	गजला की नाल (भगोड़ा)	भगोड़ा
11.	फुलाद बांध	फुलाद
12.	हिगोर बांध	ढिगोर
13.	मेवदा एनीकट	मेवदा
14.	राजोला की नाल	राजोला
15.	रोड़ा वास ऐनकट	रोड़ावास
16.	खजूरो का टोडिया एनीकट (गुडा सूरसिंह)	गुडा सूरसिंह
17.	आखावास एनीकट	आखावास
18.	लाम्बा एनीकट	लाम्बा
19.	बांता एनीकट	बांता
20.	कुम्हारों का नाला एनीकट	मलसा बांवड़ी
21.	फुलाद एनीकट	फुलाद
22.	पांचेटिया तालाब विस्तार	पांचेटिया
23.	कुम्हारों का नाला एनीकट	जाणदा
24.	बोगला एनीकट	बोगला
25.	बोरनाड़ी एनीकट	बोरनाड़ी
26.	चिरपटिया बांध की नहर	चिरपटिया
27.	रेजिंग आफ जोगड़ावास बांध	जोगड़ावास
28.	बोरीमादा (कातून की नाल)	बोरीमादा
29.	कोलपुरा एनीकट	कोलपुरा
30.	रेजिंग आफ फुलाद बांध	फुलाद
31.	माजीसा का नवोड़ा एनीकट	कंटालिया
32.	छापरिया नाड़ी एनीकट	छापरिया
33.	कंटालिया एनीकट	कंटालिया
34.	नरसिंहपुरा एनीकट	नरसिंहपुरा
35.	गुडा प्रेमसिंह	गुडा प्रेमसिंह
36.	रोड़ावास बाढ़ बचाव	रोड़ावास
37.	जोगड़ावास गांव बाढ़ बचाव	जोगड़ावास
38.	मेलावास बाढ़ बचाव कार्य	मेलावास

1	2	3
	वर्ष 1983-84	
	1. चोकड़िया एनीकट	चोकडोया
	2. मानी एनीकट को ऊंचा करना	मानी
	3. सारण एनीकट	सारण
	4. दूदोड	दूदोड
	5. गोपावास एनीकट	गोपावास
	6. सुकड़ी नदी पर बेस फ्लो रोकना	आंगदोष
	7. विलोवनी नदी तटबंधन	विलोवनी
	"ब" लघु सिंचाई व अन्य मदों से	
	वर्ष 1980	
	1. चिरपटिया बांध	चिरपटिया
	वर्ष 1984	
	1. कंटालिया बांध	कंटालिया
	2. सिरीयारी	सिरीयारी
	पंचायत समिति रानी	
	"अ" अकाल राहत कार्यों के तहत	
	वर्ष 1980-81	
	शून्य	
	वर्ष 1981-82	
	1. नादान भाटान	नादान भाटान
	2. ढारिया बांध	ढारिया
	3. थेनरी तटबंधन	थेनरी
	वर्ष 1982-83	
	1. बिगरला एनीकट	बिगरला
	2. बिगरला बांध	बिगरला
	3. चांचोडी तालाब मरम्मत कार्य	चांचोडी
	4. किशनपुरा एनीकट	किशनपुरा

1	2	3
5.	राणाजी की पाल	जीवनकला
6.	जीवनकला गांव बाढ बचाव	जीवनकला
7.	नीपल गांव बाढ बचाव	नीपल
8.	खोड गांव बाढ बचाव	खोड
9.	रायपुरिया गांव बाढ बचाव	रायपुरिया
10.	शिवाडा गांव बाढ बचाव	शिवाडा
11,	इतेन्द्रा मेडेतिया बाढ बचाव	मेडेतिया

पंचायत समिति देसूरी

"अ" अकाल राहत कार्यों के तहत

क्र. सं.	कार्य का नाम	नाम ग्राम
1	2	3
	वर्ष 1980-81	
1.	वागोल एनीकट	वागोल
2.	काना बांध	काना
3.	सेली की नाल	देसूरी
4.	घोड़ादड़ा	नारलाई
5.	मुथाना बांध को ऊंचा करना	मुथाना
	वर्ष 1981-82	
1.	सियावा एनीकट	नाडोल
2.	सुन्दरी नाडी एनीकट	गांधी
3.	राजपुरा बांध	राजपुरा
4.	कोलर बांध	कोलर
5.	गुडा गोपीनाथ	गुडा गोपीनाथ
6.	खेतलाजी	देसूरी
7.	सादडी	सादडी
8.	वीरमपुरा एनीकट	वीरमपुरा
9.	वाजरवाला	सादडी
10.	मगरतालाब	मगरतालाब
11.	रेंजिग ग्राफ केसूली बांध	केसूली
12.	डेडवान केनाल	देसूरी
13.	परसराम महादेव एनीकट	राजपुरा
14.	मोरला बांध	मोरला
15.	मांडीगढ़ बांध का सुधार कार्य	मांगडीगढ़
	वर्ष 1982-83	
1	मेवी एनीकट	मेवी
2.	सोनाना एनीकट	सोनाना
3.	छोड़ावाला केनाल	छोड़ा

1	2	3
4.	मालारी एनीकट	मालारी
5.	नाडोल बांध	नाडोल
6.	पनोता एनीकट	पनोता
7.	आशापुरा एनीकट	आशापुरा
8.	कोट सोलंकीयान एनीकट	कोट सोलंकीयान
9.	सारंगवास सोभावास	सारंगवास
10.	वाडीघाटी एनीकट/बांध	देसूरी
11.	गुडा अखेराज एनीकट	गुडा अखेराज
12.	दादाई गांव बाढ़ बचाव	दादाई
	वर्ष 1983-84	
1.	सिन्दरली बांध/तालाब	सिन्दरली
2.	डुमारिया बांध	डुमारिया
3.	बोरडी नदी तटबंधन	बोरडी
	वर्ष 1984-85	
	शून्य	
	"ब" लघु सिंचाई व अन्य मदों से	
	वर्ष 1980-81	
1.	डेडवान बांध	देसूरी
	वर्ष 1981-82	
1.	बाजरवाला बांध	सादडी
2.	छोड़ावाला बांध	छोड़ा

परिशिष्ट 30

अतारांकित प्रश्न संख्या 269 का विवरण

जिला झालावाड़ के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची जिनमें भवन की कमी है

क्र. स.	नाम विद्यालय	विद्यालय में भवन की कमी	छात्र	छात्रा	योग
1	2	3	4	5	6
उच्च माध्यमिक विद्यालय :					
1.	झालावाड़	4 कमरे	1470	2	1472
2.	भवानी मण्डी	1 ध्वस्त भौतिक प्रयोगशाला	808	25	833
3.	बकानी	2 कमरे	840	10	850
4.	पिड़ावा	1 कमरा	230	3	233
5.	गंगधार	1 हाल	611	16	627
6.	मनोहर थाना	1 कमरा	311	7	318
7.	झालरापाटन	2 कमरे	960	35	995
8.	अकलेरा	1 कमरा	802	25	827
9.	सुनेल	2 कमरे	613	15	628
10.	डग	2 कमरे	433	8	441
11.	खानपुर	4 कमरे 1 हाल	909	15	924
माध्यमिक विद्यालय :					
1.	गरनावद	2 कमरे	251	5	256
2.	रायपुर	1 कमरा	332	—	332
3.	सारोला	2 कमरे	555	5	560
4.	दहीखेड़ा	2 कमरे	325	4	329
5.	हेमड़ा	2 कमरा	146	2	148
6.	पनवाड़	1 कमरा	340	5	345
7.	रटलाई	2 कमरे	340	5	345
8.	हरीगढ़	1 कमरा	462	2	466
9.	पचपहाड़	1 कमरा	335	5	340

1	2	3	4	5	6
10.	सलावद	2 कमरे	247	3	250
11.	भिलवाड़ी	2 कमरे	295	—	295
12.	मावर	1 कमरा	104	6	110
13.	कनवाड़ा	2 कमरे	250	2	252
14.	घाटोली	2 कमरे	293	6	299
15.	गाड़रवाड़ा नूरजी	2 कमरे	351	—	351
16.	जावर	2 कमरे	122	3	125
17.	दांता	4 कमरे	15	—	15
18.	सोजपुर	2 कमरे	201	5	206
उच्च प्राथमिक विद्यालय :					
1.	मिश्रोली	2 कमरे	292	155	447
2	श्यामपुरा	2 कमरे	169	18	187
3.	रीझोने	1 कमरा	158	46	204
4.	जनाखेड़ा	1 कमरा	258	18	276
5.	झालावाड़रोड़	3 कमरे	231	49	280
6.	डोंडा	4 कमरे	98	17	115
7.	रूण्डलाव	3 कमरे	115	22	137
8.	गरवाड़ा	2 कमरे	94	22	116
9.	मंबरासा	4 कमरे	95	26	121
10.	खानपुरिया	4 कमरे	144	20	164
11.	पचोला	4 कमरे	230	28	258
12.	उमरिया	4 कमरे	105	20	125
13.	दुधालिया	3 कमरे	198	62	260
14.	नन्दपुर	4 कमरे	68	21	89
15.	पिड़ावा	3 कमरे	570	31	601
16.	ढमबलाभोज	6 कमरे	164	14	178
17.	रमायदलपत	6 कमरे	90	26	116
18.	रामपुरा	6 कमरे	124	11	135
19.	खारपाकला	4 कमरे	173	33	206
20	बनी	3 कमरे	142	45	187
21.	सुवांस	4 कमरे	178	32	210

1	2	3	4	5	6
22.	उन्हैल (नागेश्वर)	2 कमरे	130	35	165
23.	तलावली	3 कमरे	138	11	149
24.	सिलेहुगढ़	6 कमरे	149	37	186
25.	मगीसपुर	1 कमरा	166	32	198
26.	नन्दपुरा	6 कमरे	68	18	86
27.	हुरनावदागजा	5 कमरे	94	29	123
28.	कंवरपुरा	4 कमरे	191	60	251
29.	भगवानपुरा	2 कमरे	247	37	284
30.	सरेड़ी	4 कमरे	121	47	168
31.	पावलहेड़ा	4 कमरे	172	23	195
32.	जोलपा	5 कमरे	252	43	295
33.	डूढी गांडरवाड़ा	2 कमरे	240	55	295
34.	मालनबासा	3 कमरे	181	34	215
35.	बांसखेड़ी	4 कमरे	128	30	158
36.	कोल्हूखेड़ी	2 कमरे	94	17	111
37.	खातीखेड़ी	6 कमरे	113	30	143
38.	करनवास	3 कमरे	38	2	40
39.	सेमलीहाट	6 कमरे	124	25	149
40	मामेठा	2 कमरे	201	33	234

जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र संस्थाएं) झालावाड़

Page No 439

परिशिष्ट 31

अतारांकित प्रश्न संख्या 272 की सूचियां

पंचायत समिति गिर्वा में अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1	हेडक्यों की ढाणी	20/11/47
2	लारियों का खेड़ा	46
3	कामलोद	55
4	तीला खेड़ा	65
5	कामलोद का डूंगर	64
6	पानखाड़ी	62
7	मेकरा	150
8	नार	186
9	कासिया	184
10	पावनाद	187
11	पानून्दा	185
12	भगतसिंह जी का गुढा	157
13	बानू	168
14	पदमपुरा	170
15	करमल	221
16	बजनी रोड़ी	191
17	लाग	207
18	अछात	205
19	केरडिया	217
20	जामुन	215
21	रतनपुरा	213
22	हाथीदो	214
23	जद	178
24	नवलसिंह जी गुढा	183
25	निचला चोरिया	177
26	बेकरा	175

Page No 440

1	2	3
	27-उपला बोरिया	182
	28-वानरी मगरी	181
	29-काली वाली	176
	30-रामज	174
	31-बेड	173
	32-उकड़	172
	33-केमरी	171
	34-परताल	164
	35-फोजो का गुढा	166
	36-देग्रोदा	142
	37-जमपुरा	153
	38-दामारो का गुड़ा	154
	39-भालावतों का गुढा	151
	40-रूनीजा	160
	41-बासू	159
	42-भामदेव	155
	43-सठपुर भीनान	156
	44-सठपुर गुजरान	147
	45-जोधपुरिया	20/11/158
	46-जाली का गुढा	144
	47-चान्सदा	157
	48-खारवा	143
	49-भानपुरा	145
	50-पारोला	146
	51-काया	132
	52-बारापाल	113
	53-साढ़	118
	54-बनावड़ा	120
	55-कानपुर	121
	56-उढिया खेड़ा	122

1	2	3
57	नाया खेड़ा	124
58	खवाला	117
59	अमरपुरा	115
60	बोरी कुआ	114
61	गोजिया	126
62	धावड़ा तलाई	127
63	राखन	128
64	कोडिया खेत	129
65	बोराना तालाब	130
66	चान्दनी	131
67	रायता	91
68	छोटी उन्दरी	96
69	पोपल्टी	97
70	आर	107
71	पीपलिया	98
72	कालीवास	99
73	पलसीगढ़	108
74	बड़ी उन्दरी	111
75	पीपलवास	110
76	कुमारिया खेड़ा	112
77	पाई	109
78	दोदावाली	100
79	करमाली	101
80	सुराना	102
81	बोराओं का खेड़ा	103
82	बाछर	105
83	भावरी	104
84	केली	106

Page No 442

पं. स. बड़गांव में अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची

1–जोगों का रेठ	20/7/179
2–नेता का गुढ़ा	181
3–सोगारिया	183
4–खेरवाड़ी	20/11/16
5–रान्या	14
6–माथाथा	15
7–नागदा	17
8–सियोल	20/7/190
9–कालीवास	189
10–लिलोरा	191
11–रेनीया	185
12–कामली का गुढ़ा	186
13–दामाबारी	188
14–ओटो का गुढ़ा	20/11/35
15–शीलों की देवला	27
16–खरेलों का गुढ़ा	24
17–जालों का गुढ़ा	19
18–सारे	22
19–नाथावतों का गुढ़ा	81
20–मोरवानिया	90
21–घार	88
22–बारगा	89
23–गहलोतो का वास	85
24–बानाडिया	84
25–गोदान कलां	83
26–बीयाल	86
27–कुन्डल उबेश्वर जी	87

वर्ष 1984–85 के ग्रा. वि. कार्यक्रम में सम्मिलित ग्राम

1–नरड़ा	20/11,82
2–बीलावास	20/7/197
3–सिखखाली	193
4–बारवा	192
5–कड़मंठ का घावा	180

———

परिशिष्ट 32

अतारांकित प्रश्न संख्या 274 का विवरण

सूची "अ"

बोर्ड द्वारा मुद्रित कराई गई 10 पुस्तकों की निविदा स्वीकृति की तिथियां, मुद्रण आदेश एवं पाण्डुलिपियां देने की तिथियां, मुद्रित कराई गई प्रतियों की संख्या आदि का विवरण

क्र. सं.	मुद्रक का नाम	पुस्तकों के नाम	निविदा स्वीकृति की तिथि	कार्य आवंटन करने की तिथि	पाण्डुलिपि देने की तिथि	मुद्रित कराई गई प्रतियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
(1)	मं. जगदीश प्रिन्टर्स, बी–94, ओखला इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, फेज–2, दिल्ली	1. उ. मा. गद्य पद्य संग्रह	12–2–84	12–2–84	5–4–84	1,47,900
		2. कथा प्रवाह	12–2–84	12–2–84	5–4–84	1,47,900
		3. प्रेरक जीवनियां	12–2–84	12–2–84	5–4–84	2,86,135
		4. एकांकी सुषमा	12–2–84	12–2–84	5–4–84	2,86,135
		5. रेपिड रीडर कक्षा–11	12–2–84	12–2–84	5–4–84	1,49,700
		6. रेपिड रीडर कक्षा–9	11–4–84	12–4–84	14–4–84	2,91,500

1	2	3	4	5	6	7
(2)	मै. अजन्ता ऑफसेट एण्ड पेकेजिग्स लि. 95–वजीरपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली	1. कोर्स रीडर कक्षा–9	12–2–84	12–2–84	3–4–84	2,91,500
		2. संस्कृत सुषमा	12–2–84	12–2–84	3–4–84	2,56,860
(3)	मै. स्नेह प्रिन्टर्स, कड़क्का चौक, अजमेर	1. माध्यमिक गद्य पद्य संग्रह	12–2–84	12–2–84	30–3–84	2,86,135
(4)	मै. टाईम्स प्रिन्टिग प्रेस, श्री नगर, रोड, अजमेर	1. कोर्स रीडर कक्षा–11	12–2–84	12–2–84	26–4–84	1,49,700

34 पुस्तकों को निविदायें स्वीकृत करने; मुद्रण आदेश देने, पाण्डुलिपि देने तथा मुद्रण प्रतियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	प्रकाशकों के नाम जिनको पुस्तकें आवंटित की गई	पुस्तकों के नाम	आदेश प्राप्त करने की तिथियां	पुस्तकें प्रकाशकों को आवंटन करने की तिथियां	पाण्डुलिपियां देने की तिथियां	प्रतियों की संख्या जो मुद्रित की जानी थी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. अनुराग प्रकाशन, अजमेर	1. नवीन मा. सामाजिक ज्ञान	3–3–84	5–3–84	2–4–84	45,520
		2. नूतन गद्य संकलन	3–3–84	5–3–84	31–3–84	31,700
		3. विश्व इतिहास का सर्वेक्षण	3–[illegible]–84	5–3–84	28–3–84	18,700
2.	मै. मिश्रा ब्रदर्स, अजमेर	1. मा. इतिहास भाग–2	3–3–84	5–3–84	28–4–84	42.600
		2. नवीन उ. मा. व्यापार पद्धति ज्ञान	3–3–84	5–3–84	27–3–84	79,000
		3. नवीन हा. सै. भौतिक विज्ञान (सैद्धा.)	3–3–84	5–3–84	27–3–84	22,200
		4. नवीन उ. मा. व्यापार पद्धति ज्ञान	3–3–84	5–3–84	27–3–84	40,300
3.	मै. कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर	1. छन्द अलंकार प्रबोध	3–3–84	5–3–84	10–5–84	1,01,000
		2. नवीन सामान्य विज्ञान	3–3–84	23–3–84	5–4–84	1,10,000

(क्रमांक 2 की पुस्तक उल्लेखित संख्या में ही मैसर्स रतन प्रकाशन आगरा द्वारा भी मुद्रित कराई गई हैं)

1	3	4	5	6	7
4. मै. विजय ब्रदर्स, अजमेर	1. नवीन प्रा. अर्थशास्त्र भाग–2	3–3–84	5–3–84	8–5–84	38,600
	2. नवीन मा. बहीखाता	3–3–84	5–3–84	27–3–84	79,000
	3. त्रिधारा	3–3–84	5–[illegible]–84	20–4–84	69,100
5. मै. माडर्न पब्लिशर्स, अजमेर	1. संस्कृत नाट्य चन्द्रिका	3–3–84	5–3–84	27–3–84	14,650
	2. संस्कृत गद्य वल्लरी	3–3–84	5–3–84	27–3–84	14,650
	3. संस्कृत गद्य मंदाकिनी	3–3–84	5–3–84	27–3–84	14,650
	4. संस्कृत गद्य सौरभम्	3–3–84	5–3–84	27–3–84	8,500
6. मै. रवि प्रकाशन, अजमेर	1. हिन्दी गद्य परिमल	3–3–84	5–3–84	31–3–84	69,100
	2. काव्य किरण	3–3–84	5–3–84	31–3–84	69,100
7. मै. अजमेर पब्लिशिंग हाऊस, अजमेर	1. संस्कृत काव्य प्रभा	3–3–84	5–3–84	27–3–84	14,650
8. मै. यंगमैन एण्ड कं., अजमेर	1. मा. भूगोल भाग–1	3–3–84	5–3–84	3–4–84	18,600
	2. मा. भूगोल भाग–2	3–3–84	5–3–84	7–4–84	18,600
	3. प्रोज सलेक्शन कक्षा–11	3–3–84	5–3–84	3–4–84	540
9. मै. प्रकाशनालय, अजमेर	1. नवीन प्रा. अर्थशास्त्र भाग–1	3–3–84	5–3–84	12–4–84	38,600
	2. हा. सै. प्रायोगिक भौतिक विज्ञान	3–3–84	5–3–84	27–3–84	22,200

1	2	3	4	5	6	7
10.	मै. त्रिवेणी प्रकाशन, अजमेर	1. प्रतिनिधि कहानियां	3–3–84	5–3–84	3–4–84	69,100
11.	मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	1. मा. इतिहास भाग–1	3–3–84	5–3–84	28–3–84	42,600
		2. नवीन उ. मा. बहीखाता	3–3–84	5–3–84	29–3–84	40,000
		3. भारतीय इतिहास सर्वेक्षण	3–3–84	5–3–84	3–4–84	18,700
12.	मै. इण्डिया बुक हाऊस, जयपुर	1. नूतन पद्य प्रसून	3–3–84	5–3–84	3–4–84	31,700
13.	मै. रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा	1. अंग्रेजी रेपिड रीडर कक्षा–10	3–3–84	5–3–84	27–3–84	69,364
14.	मै. गाडोदिया पुस्तक भण्डार, बीकानेर	1. आधुनिक गद्य कौमुदी	3–3–84	5–3–84	28–3–84	8,000
		2. संस्कृत नाट्य निकुंजम्	3–3–84	5–3–84	28–3–84	8,536
		3. संस्कृत पद्यामृतम्	3–3–84	5–3–84	28–3–84	8,536
15.	मै. हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, सीकर	1. न्यू इंगलिश कोर्स रीडर	3–3–84	5–3–84	31–3–84	96,364

सूची "स"

बोर्ड की 34 पुस्तकों से सम्बन्धित कार्य शिड्यूल :

1.	पुस्तक मुद्रित कर मूल्य निर्धारण के लिए प्रस्तुत करने की तिथि	.... दिनांक 15-5-84
2.	भौतिक जांच करने की अन्तिम तिथि	.... दिनांक 10-6-84
3.	पुस्तक बाजार में छात्रों के लिए उपलब्ध कराने की तिथि	.... दिनांक 15-6-85

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

सूची-द

34 पुस्तकों की प्रतियों की संख्या तथा उपलब्ध कराने की तिथियों का विवरण :

क्र. सं.	प्रकाशक का नाम	पुस्तक का नाम	पुस्तक उपलब्ध कराने की तिथियां	पुस्तक की संख्या जो कालम-4 में अंकित तिथि तक उपलब्ध कराई गई
1	2	3	4	5
(1)	मैं. अनुराग प्रकाशन अजमेर	1. नवीन मा. सामाजिक ज्ञान	12-7-84	40,500
			26-7-84	9,450
			22-8-84	6,731
		2. नूतन गद्य सकलन	12-7-84	26,550
			21-7-84	18,450
			16-8-84	2,100
			22-8-84	7,800
		3. विश्व इतिहास का सर्वेक्षण	26-7-84	8,300
			9-8-84	1,975
(2)	मैं. मिश्रा ब्रदर्स, अजमेर	1. मा. इतिहास भाग-2	21-8-84	14,720
			22-8-84	13,600
			29-8-84	8,640
			10-9-84	3,860
		2. नवीन मा. व्यापार पद्धति ज्ञान	6-8-84	27,025
			9-8-84	20,000
			16-8-84	16,025
			1-9-84	6,350

Page No 450

1	2	3	4	5
		3. नवीन हा. सं. भौतिक विज्ञान	22-8-84	5,090
			29-8-84	4,035
			1-9-84	7,275
			10-9-84	4,965
		4. नवीन उ. मा. व्यापार पद्धति ज्ञान	26-7-84	24,420
			9-8-84	21,810
			22-8-84	13,075
			20-9-84	1,400
(3)	मै. कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर	1. छन्द अलंकार प्रबोध	21-7-84	10,080
			28-7-84	19,980
			16-8-84	7,740
			18-8-84	10,920
			28-8-84	10,920
		2. नवीन सामान्य विज्ञान (यह पुस्तक मै. रतन प्रकाशन मन्दिर आगरा–क्र. सं. 13 से भी मुद्रित करवाई गई है)	17-7-84	39,401
			21-7-84	11,280
			28-7-84	11,120
			2-8-84	14,920
			7-8-84	6,931
			10-8-84	7,500
			18-8-84	4,174
			21-8-84	5,280
			28-8-84	3,240
(4)	मै. विजय ब्रदर्स, अजमेर	1. नवीन प्रा. अर्थशास्त्र भाग–2	12-7-84	19,500
			27-7-84	9,000
			1-8-84	6,560
			7-8-84	1,500
			13-8-84	1,500
			12-9-84	1,940

1	2	3	4	5
		2. नवीन माध्यमिक बहीखाता	18-7-84	19,430
			27-7-84	17,480
			2-8-84	10,615
			7-8-84	4,110
			13-8-84	8,890
			23-8-84	7,545
			29-8-84	11,950
			5-9-84	4,805
			26-9-84	12,678
		3. त्रिधारा	27-7-84	15,000
			12-7-84	39,000
			1-8-84	13,775
			7-8-84	18,575
			29-8-84	2,300
			5-9-84	7,275
			12-9-84	4,075
(5)	मैसर्स मॉडर्न पब्लिशर्स, अजमेर	1. संस्कृत नाट्य चन्द्रिका	19-7-84	14,650
		2. संस्कृत गद्य वल्लरी	13-7-84	9,180
			21-7-84	4,934
		3. संस्कृत गद्य मंदाकिनी	19-7-84	14,650
		4. संस्कृत गद्य सौरभम्	19-7-84	8,500
(6)	मै. रवि प्रकाशन,	1. हिन्दी गद्य परिमल	31-7-84	17,500
			7-8-84	5,850
			10-8-84	6,000
			17-8-84	31,200
			22-8-84	9 550

Page No 452

1	2	3	4	5
		2. काव्य किरण	1-8-84	33 050
			7-8-84	7 150
			10-8-84	2,100
			17-8-84	16,579
(7)	मैं. अजमेर पब्लिशिंग हाऊस, अजमेर	1. संस्कृत काव्य प्रभा	19-7-84	15,000
(8)	मैं. यंगमैन एण्ड कं. अजमेर	1. मा. भूगोल भाग-1	19-7-84	9,340
		2. मा. भूगोल भाग-2	18-8-84	12,200
			5-9-84	5,575
		3. प्रोज सलेक्शन कक्षा-11	26-7-84	950
(9)	मैं. प्रकाशनालय, अजमेर	1. नवीन प्रा. अर्थशास्त्र भाग-1	17-7-84	16,166
			1-8-84	20,630
		2. हा. सै. प्रायोगिक भौतिकी	18-7-84	11,200
			1-8-84	9,260
(10)	मैं. त्रिवेणी प्रकाशन, अजमेर	1. प्रतिनिधि कहानियां	20-7-84	70,000
(11)	मैं राजस्थान प्रकाशन जयपुर (राज.)	1. माध्यमिक इतिहास भाग-1	8-7-84	20,800
			18-7-84	21,700
		2. नवीन उच्च माध्यमिक बहीखाता	26-7-84	10,000
			29-7-84	4,280
			8-8-84	7,661
			17-8-84	3,990
			29-8-84	9,520
			18-9-84	4,549

1	2	3	4	5
		3. भारतीय इतिहास का सर्वेक्षण	18-7-84	9,600
			29-7-84	3,650
			8-8-84	2,340
			17-8-84	475
			29-8-84	2,435
(12)	मै. इण्डिया बुक हाऊस जयपुर	1. नूतन पद्य प्रसून	22-6-84	25,000
(13)	मै. रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा	1. इंगलिश रेपिड रीडर कक्षा–10	9-7-84	68,430
			25-7-84	27,935
		2. नवीन सामान्य विज्ञान	9-7-84	60,000
			25-7-84	50,000
(14)	मै. गाडोदिया पुस्तक भण्डार बीकानेर	1. आधुनिक गद्य कौमुदी	26-7-84	8,500
		2. संस्कृत नाट्य निकुंजम्	26-7-84	8,500
		3. संस्कृत पद्यामृतम्	26-7-84	8,500
(15)	मै. श्री हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, सीकर	1. न्यू इंगलिश कोर्स रीडर कक्षा–10	18-7-84	40,000

————

परिशिष्ट 33

अतारांकित प्रश्न संख्या 276 की प्रतियां

FORM No. XI

(See rule 32)

Monthly Return

1.	Name of the industrial premises and full postal address.	M/s Thakumal Rewachand Srinagar Road, Ajmer.
2.	No. and date of licence.	13/75
3.	Month to which the return relates.	January, 1984
4.	Name of the employer.	Partnership— 1. Thakumal 2. Lal Chand 3. Chand Ram.
5.	Name of the principal employer if the employer is working as contractor for principal employer.	Self employer.
6.	Quantity of biri and/or cigar tobacco released by the Central Excise Department.	20,16,000 Bidi.
7.	Quantity of biri and/or cigar tobacco supplied by the principal employer.	Self Employer.
8.	Nnmber of biri and/or cigars manufactured by the employer in Industrial establishment.	Nil.
9.	No. of biries and/or cigars manufactured by the employer in	

	places other than industrial establishment, i. e. workers working in their homes.	30,44000 Bidi.
10.	Number of biri and/or cigars sold and to whom.	20,16,000 Bidi.

For THAKUMAL REWACHAND

Date 23-3-

Sd/-

PARTNER

Signature of Employer

FORM No. XI

(See rule 32)

Monthly Return

1.	Name of the industrial premises and full postal address.	M/s Thakumal Rewachand Srinagar Road, Ajmer.
2.	No. and date of licence.	13/75
3.	Month to which the return relates.	April, 1984
4.	Name of the employer.	Partnership-- 1. Thakumal. 2. Lal Chand. 3. Chand Ram.
5.	Name of the principal employer if the employer is working as contractor for principal employer.	Self employer.
6.	Quantity of biri and/or cigar tobacco released by the Central Excise Department.	27,36,000 Bidi.
7.	Quantity of biri and/or cigar tobacco supplied by the principal employer.	Self employer
8.	Number of biri and/or cigars manufactured by the employer in industrial establishment.	Nil.

9.	No. of biries and/or cigars manufactured by the employer in places other than industrial establishment, i.e. workers working in their homes.	29,44,000 Bidi.
10.	Number of biri and/or cigars sold and to whom.	27,36,000 Bidi.

Sd/-

Signature of Employer

Date : 7/7/84

FORM No. XI

(See rule 32)

Monthly Return

1.	Name of the industrial premises and full, postal address.	M/s. Thakumal Rewachand Srinagar Road, Ajmer.
2.	No. and date of licence.	13/75
3.	Month to which the return relates.	July, 84
4.	Name of the employer.	Partnership— 1. Thakumal. 2. Lal Chand. 3. Chand Ram.
5.	Name of the principal employer if the employer is working as contractor for principal employer.	Self employer.
6.	Quantity of biri and/or cigar tobacco released by the Central Excise Department.	30,24,000 Bidi.
7.	Quantity of biri and/or cigar tobacco supplied by the principal employer.	Self Employer.
8.	Number of biri and/or cigars manufactured by the employer in industrial establishment.	Nil.

9.	No. of biries and/or cigars manufactured by the employer in places other than industrial establishment, i.e. workers working in their homes.	36,34,000 Bidi.
10.	Number of biri and/or cigars sold and to whom.	30,24,000 Bidi.

Date 4/8/84

Sd/-
Signature of Employer.

FORM No. XII

(See Rule 32) 1983-84

ANNUAL RETURN 1-4-83 to 31-3-84

1.	Name and address of the industrial premises.	Thakumal Rewachand, Srinagar Road, Ajmer.
2.	No. and date of licence.	13/75
3.	Name of the employer.	Thakumal Rewachand.
4.	Name of the principal employer if the employer is working as contractor for a principal employer.	Not applicable.
5.	Average number of employees employed daily in the industrial premises.	
	Men	2
	Women	Nil
	Young person :	
	Male	
	Female	
6.	Average monthly No. of home workers employed (i. e. who work in their homes).	80-
7.	Normal hours worked per week in the industrial premises.	Two works, 48 hours.

8.	[Number of days worked in the year in the industrial premises.	299 days.
9.	Number of employees who were granted leave during the calender year :—	Nil
	Young persons :	
	(a) Employed in the industrial premises.	Nil
	(b) Employed in homes.	Nil
	Other than Young person :	
	(a) Employed in the industrial premises.	Nil
	(b) Employed in homes.	Nil
10.	No. of female employees who were given maternity benefit during the year :	
	(a) Employed in industrial premises.	Nil
	(b) Employed in homes.	Nil

Certified that the information furnished above is to the best of my knowledge and belief correct.

Sd/- Chandram

Signature of the Employer

Page No 462

परिशिष्ट 34

अतारांकित प्रश्न संख्या 277 का विवरण

परिशिष्ट-अ

धौलपुर आगार द्वारा मार्ग वार संचालित परिचक्रों का मानचित्र

क्र. सं. मार्ग का नाम	संचालित परिचक्र
1–धौलपुर-जयपुर	12
2–धौलपुर-बालाजी	2
3–धौलपुर-अलवर	5
4–धौलपुर-भरतपुर	6
5–अलवर-भरतपुर	2
6–अलवर-आगरा	1
7–धौलपुर-आगरा	3
8–दिल्ली-ग्वालियर	1
9–ग्वालियर-मथुरा	1
10–मथुरा-मुरेना	2
11–मुरेना-राजाखेड़ा	2
12–भरतपुर-ग्वालियर	2
	39

परिशिष्ट 35

अतारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची

एक जिले में एक से अधिक अतिरिक्त जिलाधीश कार्यरत है उनकी सूची

1.	जयपुर	अतिरिक्त जिलाधीश	I–जयपुर
		अतिरिक्त जिलाधीश	II–जयपुर
		अतिरिक्त जिलाधीश (शहर)	जयपुर
		अतिरिक्त जिलाधीश,	दौसा
2.	चित्तौड़गढ़	अतिरिक्त जिलाधीश–	I–चित्तौड़गढ़
		अतिरिक्त जिलाधीश–	II–चित्तौड़गढ़
3.	कोटा	अतिरिक्त जिलाधीश–	कोटा
		अतिरिक्त जिलाधीश–	बारां
4.	उदयपुर	अतिरिक्त जिलाधीश–	उदयपुर
		अतिरिक्त जिलाधीश–	राजसमन्द
5.	सवाई माधोपुर	अतिरिक्त जिलाधीश–	सवाई माधोपुर
		अतिरिक्त जिलाधीश–	करौली

———

परिशिष्ट 36

अतारांकित प्रश्न संख्या 282 का विवरण

ग्रामवार सूची भूमि प्रभावित दौलतपुरा बांध ग्राम पंचायत मंडोला
तहसील बारां जिला कोटा

क्र. सं.	नाम कृषक	ग्राम	रकबा बीघा/बिस्वा
1	2	3	4
1.	श्री नाथूलाल पुत्र श्री कुडकीलाल	मंडोला	1.08
2.	भोल्या सावण राम्या मेघवंशी चमार	”	1.18
	”	”	3.05
	”	”	12.03
	”	”	9.02
	”	”	0.09
	”	”	0.04
	”	”	2.02
	”	”	1.00
	”	”	0.05
3.	सिवाय, चक बिना पानी	”	3.10
4.	धन्नालाल पुत्र श्री नानया	”	9.08
5.	मांग्या मोग्या पांच्या	”	7.05
6.	भोवरी लाल	”	8.01
7.	देशा भेरा भार्य,	”	2.00
	”	”	2.03
8.	बृजमोहन कशोड़ भार्य	”	7.09
9.	मु. घशी C/o श्री भमरलाल	”	11.11
	”	”	11.10
10.	रमेशचन्द पुत्र श्री बजरंगलाल	”	38.09
11.	श्री रमेशचन्द पुत्र श्री बजरंगलाल	”	38.09
12.	तहसीलदार बारां	”	23.13
	”	”	26.04

Page No 465

1	2	3	4
13.	मथुरालाल	”	8.02
14.	कवला पांच्या बंशी महोन रामप्रसाद बलराम	”	0.04
15.	सीताराम	”	0.09
16.	घन्नालाल पुत्र श्री नाथूलाल	”	7.18
	”	”	0.06
17.	मोग्या मोरया पांच्या भार्य	मंडोल	0.05
	”	”	13.07
		कुल रकबा	217.02
18.	श्री भारमल पुत्र श्री गणपत	कलमंडा	8.08
	”	”	1.05
19.	मथुरालाल पुत्र श्री रंगलाल	”	11.13
	”	”	1.12
20.	बंसती बाई बेवा भंवरया	”	3.13
21.	घन्नालाल पुत्र श्री नाथूलाल	”	11.04
22.	घन्नालाल पुत्र श्री ओंकारलाल	”	4.15
23.	भंवरया, कमरया सुरजा फुला भार्य	”	7.17
24.	पुष्पा हीरा किशोर	”	3.12
	”	”	4.18
	”	”	10.01
25.	पुष्पा बेवा हीरालाल	”	11.05
26.	तहसीलदार बांरा	”	1.08
	”	”	0.01
	”	”	2.00
	”	”	3.11
	”	”	0.10
27.	कजोड़ पुत्र श्री फुला चमार	”	2.01
	”	”	1.00

1	2	3	4
28.	प्रभु पुत्र श्री कजोड़	,,	1.00
29.	गंगोलिया	,,	0.05
		कुल रकबा	96.04
30.	डांगी धाखा मही मुरी मुलाब	धौलतपुरा	0.17
31.	तहसीलदार बारां	,,	4.12
	,,	,,	8.06
	,,	,,	0.12
32.	मसादीन सुल्तान अली मोहम्मद नुर मोहम्मद चांद अफर अजजी गनी	,,	0.12
		कुल रकबा	14.19
	कुल ग्रामों का रकबा		328.05

परिशिष्ट 37

अतारांकित प्रश्न संख्या 283 का विवरण

परिशिष्ट-एक

वर्ष 1980 से 1984 (माह अगस्त 1984 तक) मारवाड़ जंक्शन, देसूरी एवं रानी पंचायत समितियों में भू-जल विभाग द्वारा कृषकों के लिये खोदे गये ट्यूबवैल की सूची।

वर्ष	पंचायत समिति				
	मारवाड़ जंक्शन		देसूरी	रानी	
1980-81	जाडन	1	—	—	
	सिन्दला	4	—	—	
1981-82	सिन्दला	8	—	—	
	केनपुरा	1			
	भाकावास	1			
	जाडन	2			
	भगवानपुरा	1			
1982-83	सोनला	10	—	इन्दरवाड़ा	1 असफल
	जाडन	4	—	ढलराई	1 असफल
	खारची	1			
	मांडा	1			
	खारडी	5			
	भाउवा	1			
	घामली	1			
	बानियावास	1			
1983-84	सोनला	8	—	—	
	मांडा	1			
1984-85 (अगस्त 1984 तक)	सोनला	1	—	—	
	योग	52	—		2 असफल

52 नलकूप सफल

2 नलकूप असफल

परिशिष्ट 38

अतारांकित प्रश्न संख्या 286 की सूची

बीकानेर जिले के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय		रिक्त पद द्वि. वे. श्रृं.	तृ. वे. श्रृं.	
1.	रा. उ. प्रा. वि.,	बम्बल	—	1	
2.	,,	बेरियावाली	—	1	
3.	,,	लालमदेसर	—	1	
4.	,,	मेडसर	—	2	
5.	,,	राजासर	—	2	
6.	,,	कम्भाणा	—	2	
7.	,,	मोटालाई	—	2	
8.	,,	सुमलाई	—	1	
9.	,,	सहजरासर	—	2	
10.	,,	शेरपुरा	—	1	
11.	,,	जेलपुर	—	1	
12.	,,	खियरा	—	1	
13.	,,	कपूरीसर	—	1	
14.	,,	गोबददेसर	—	1	
15.	,,	साधासर	—	1	
16.	,,	सारंडा	—	1	
17.	,,	चिताना	—	4	
18.	,,	खिनोयाला	—	1	
19.	,,	धावरिया	—	1	
20.	,,	कक्कु	—	1	
21.	,,	बोड़	—	1	
22.	,,	दाखेड़ी	—	1	
23.	,,	माणकासर	—	1	
24.	,,	सीदासर	—	1	
25.	,,	सहजरासर	—	1	(उद्योग)

1	2	3	4	5
26.	रा. उ. प्रा. वि.	सोदासर	—	1 (उद्योग)
27.	,,	बगल	—	1 (चित्रकला)
28.	,,	देवकृष्ण सागर	—	1 (उर्दू)
29.	,,	बावनू	—	1 (शारीरिक शिक्षक)
30.	,,	शासूडी	—	1 (शारीरिक शिक्षक)
31.	,,	चिताणा	—	1 (,,)
32.	,,	राजासर	0	1 (,,)
33.	,,	सारडा	—	1 (,,)
34.	,,	गिराजसर	—	1 (,,)
35.	,,	बेरासर	—	1 (,,)
36.	,,	कश्कू बन्धड़ा	—	2 (,,)
बालिका विद्यालय				
1.	बा. मा. वि.	लूनकरणसर	1	1
2.	उ. प्रा. वि.	जस्सूसरगेट	—	2
3.	,,	मोहतों का चौक	—	1
4.	,,	पावर हाऊस	—	1
5.	,,	लालगढ़	—	1
6.	,,	बारहगवाड़	—	1
7.	,,	गजनेर	—	1
8.	,,	पांचू	—	4
9.	,,	काकड़ा	—	4
10.	,,	हिम्मतसर	—	1
11.	,,	नया शहर	—	1
12.	,,	मक्खासर	1	1
13.	,,	चिताना काहिरा	1	—
14.	,,	कतरियासर	1	—
15.	,,	कालू	1	—
			5	64

परिशिष्ट 39

अतारांकित प्रश्न सं. 292 की सूची

पाली जिले की रानी पंचायत समिति के गांवों की सूची जिन्हें अप्रेल 1980 से मार्च 1984 तक विभिन्न जल योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है।

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.	जनसंख्या 1971	योजनाओं का प्रकार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	दूतारिया	3	1482	टी.एस.एस.	1980-81 में पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।
2.	गुडा जेतसिंह	7	915	,,	,,
3.	रामपुरिया	8	923	,,	,,
4.	माताजी का गुडा	13	523	,,	,,
5.	बरारी	26	150	हैण्डपम्प	,,
6.	दरिया	36	1047	,,	,,
7.	आकडावास	43	339	,,	,,
8.	किशनपुरा	44	1675	,,	,,
9.	बोरी	46	754	,,	,,
10.	बोलाकुरा	47	424	हैण्डपम्प	,,
11.	रामाजी का गुडा	50	514	टी.एस.एस	,,
12.	तोखरला	53	570	,	,,
13.	गुडारूपसिंह	71	393	हैण्डपम्प	,,
14.	दूदवर	80	341	,,	,,
15.	ओडवरिया	2	164	,,	1981-82
16.	सेप्टावा	4	408	,,	,,
17.	इन्दरवाडा	6	691	,,	,,
18.	खिवारा	11	3371	,,	,,
19.	गुडा ठाकुर जी	27	551	,,	,,
20.	खारासा	35	1217	,,	,,

1	2	3	4	5	6
21.	रावडिया वास	37	437	,,	,,
22.	सालरिया	38	917	,,	,,
23.	गुडा गंगा	40	135	,,	,,
24.	जीवनकला	45	1166	,,	,,
25.	गवारा	51	938	,,	,,
26.	केरली	52	442	,,	,,
27.	जीवन्दा खुर्द	69	207	,,	,,
28.	बिगरला	73	540	,,	,,
29.	संगरी	30	530	,,	1982–83
30.	इलानी	31	152	,,	,,
31.	गुडा भीमसिंह	32	136	,,	,,
32.	गुडा मेहराम	42	488	,,	,,
33.	गुडा मेघसिंह	48	47	,,	,,
34.	गुडा केसरसिंह	70	321	हैण्डपम्प	1982–83
35.	सिवास	28	1647	हैण्डपम्प	1980–81
36.	सांवलता	33	920	टी.एस.एस.	,,
37.	देवली	34	1562	हैण्ड पम्प	1982–83
38.	रानी कला	79	2706	पी.एण्ड टी.	,,
39.	पादरली	78	219	,,	1982–83
40.	कल्याणपुरा	159	166	हैण्डपम्प	1980–81
41.	हिरण खुरी	161	76	,,	,,
42.	प्रतापगढ़	145	765	,,	,,
43.	चांगवा	149	436	,,	1981–82
44.	चांचोडी	155	2346	,,	,,

परिशिष्ट 'ख'

पं. सं. मारवाड़ जंक्शन जिला पाली में दिनांक 1.9.84 को शेष रहे स्वीकृत गांवों में पेयजल योजना की स्थिति :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या 1971	समस्या की श्रेणी	स्वीकृत पेयजल योजना का प्रकार	वर्तमान प्रगति
1.	मांडा	21	2199	समस्या	पम्प एवं टैंक योजना	स्रोत असफल हो जाने के कारण अन्यत्र स्रोत बनाने की कार्यवाही जारी है।
2.	खेड़ा कल्याणपुर	110	18	„	हैण्डपम्प	जिला परिषद पाली द्वारा अनुमोदित है अतः हैण्ड पम्प लगवाये जा रहे है, तथा इस स्थान पर अन्य गैर समस्या ग्रस्त ग्राम की पेयजल योजना स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।
3.	गुडा हिन्दू	69	77	„		„
4.	राबकीया वास	16	468	गैर समस्या	क्षेत्रीय योजना	कार्य प्रगति पर है।
5.	इसाली	75	2308	„	पारम्परिक योजना	गांव वाले यह योजना नहीं चाहते एवं गैर समस्या-ग्रस्त गांव है।
6.	गूड़ा केसरसिंह	76	1780	„	„	„

परिशिष्ट 'क"

पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन तहसील (खारची) में 1980 से 1984 तक लाभान्वित किये गये ग्रामों की सूची

क. सं.	शुरू की गयी योजना	कोड सं.	जनसंख्या 1971	समस्या की श्रेणी	योजना/सुविधा का प्रकार	लाभान्वित होने का वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सेवाड़ा	39	1216	गैरसमस्या	पारम्परिक स्रोत	80–81	–
2.	जानुड़ा	74	1130	,,	,,	,,	–
3.	बोरनारी	41	630	,,	,,	,,	–
4.	शेखावास	45	1605	गैर स.	,,	,,	–
5.	मुसालिया	35	1694	समस्या	,,	,,	–
6.	चिरपटिया	27	1748	गैर स.	,,	,,	–
7.	ठाकरवास	56	860	,,	,,	,,	–
8.	बारी	57	564	समस्या	,,	,,	–
9.	राड़ावास	79	1897	गैर स.	,,	,,	–
10.	कराड़ी	63	1314	,,	,,	,,	–
11.	रिसानिया	33	562	समस्या	,,	,,	–
12.	जैतपुरा	73	561	गैर स.	,,	,,	–
13.	सांवराड	34	2563	समस्या	,,	,,	–
14.	मगोड़ा	105	682	,,	,,	,,	–
14.	सारन	52	1982	,,	,,	,,	–

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	राजोला खुर्द	43	702	समस्या	,,	,,	–
17.	वोरीमाथा	49	910	गैर स.	,,	,,	–
18.	सीचियावा	48	724	,,	,,	,,	–
19.	बारिया	71	642	समस्या	,,	,,	–
20.	बौपारी	53	1771	,,	,,	,,	–
21.	घासन जोधवन	93	213	,,	हैण्ड पम्प जलयोजना	,,	–
22.	घासन डाकिया	92	74	,,	,,	,,	–
23.	गुडा गंगा	104	298	,,	,,	,,	–
24.	करमाल	103	335	,,	,,	,,	–
25.	हमीरवास	44	255	,,	,,	,,	–
26.	गुड़ा टिमसा	98	50	.	,,	,,	–
27.	गुडा मेहडकरण	80	177	गैर स.	,,	,,	–
28.	बांसोर	111	269	समस्या	,,	,,	–
29.	हलावत	108	259	समस्या	,,	,,	–
30.	गुडा भोपत	107	159	,,	,,	,,	–
31.	भोवली	42	321	,,	,,	,,	–
32.	लीलावास	12	254	,,	,,	,,	–
33.	गोपावास	29	171	गैर स.	,,	,,	–
34.	भोजावास	54	243	समस्या	,,	,,	–
35.	जोड़ दूढ़ोड़	9	326	,,	,,	,,	–

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	नेलावास	36	688	,,	,,	,,	–
37.	गुड़ा गिरी	40	538	समस्या	हे. प. जलयोजना	80–81	–
38.	पांचेटिया	68	1280	,,	पम्प एवं टैंक ज. यो.	,,	–
39.	देवली	72	2532	गैर स.	,,	,,	–
40.	तालका	1	144	समस्या	हे. प. जलयोजना	81–82	–
41.	जाडन खालसा	2	144	समस्या	,,	,,	–
42.	सिनला	4	1446	,,	,,	,,	–
43.	खारडी	5	1016	,,	,,	,,	–
44.	चवाडिया	15	741	,,	,,	,,	–
45.	फूलिया	30	541	,,	,,	,,	–
46.	वाली	32	556	,,	,,	,,	–
47.	वादिया	38	459	,,	,,	,,	–
48.	राडझालरा	50	470	,,	,,	,,	–
49.	सिचाना	82	791	गैर स.	,,	,,	–
50.	ढ़ाल	89	288	समस्या	,,	,,	–
51.	मेलाप	46	313	,,	,,	82–83	–
52.	धमलीनीमली	51	535	गैर स.	,,	,,	–
53.	गुडा सूरसिंह	84	769	,,	,,	,,	–
54.	चोकड़िया	91	916	समस्या	,,	,,	–
55.	करवाड़ा	106	264	,,	,,	,,	–
56.	धामली	65	819	,,	पम्प एवं टैं. यो.	,,	–

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	नीमलीमाण्डा	55	2116	,,	,,	,,	–
58.	आंगदोष	61	719	,,	क्षेत्रीय ज. यो.	,,	–
59.	गुड़ा नाथा	94	592	,,	,,	,,	–
60.	बोनला	102	415	,,	है. प. ज. यो	83–84	–
61.	भिनवालिया	67	1493	,,	क्षेत्रीय ज. यो.	,,	–
62.	हिगोंलाकल्ला	18	519	,,	,,	,,	–
63.	सुगालिया	19	265	,,	,,	84–85	–
64.	हिगोला खुर्द	66	471	,,	,,	,,	–
65.	बारसा	20	1421	,,	,,	,,	–
66.	गोदावास	17	352	,,	,,	,,	–
67.	बिठूड़ा खुर्द	22	722	,,	,,	,,	–
68.	बिठूडा कलां	21	2473	,,	पम्प एवं टैंक	,,	–

परिशिष्ट 'अ'

पाली जिले के बाली व देसूरी पंचायत समिति के गांवों की सूची (अप्रेल 80 से 84 तक) विभिन्न जल योजनाओं द्वारा लाभान्वित किये जा चुके हैं।

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.	जनसंख्या 1971	योजना का प्रकार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
(देसूरी पंचायत समिति)					
1–	बेवी कलां	14	990	टी. एस. एस.	1980-81 में पेयजल से लाभान्वित कर दिये गये हैं।
2–	चावुविया	59	40	,,	
3–	सरपुर	108	822	,,	,,
4–	गुढा कालियान	21	103	हैण्ड पम्प	,,
5–	आसापुरा	16	521	,,	,,
6–	तोरवो	62	60	,,	,,
7–	कोसूली	64	954	,,	,,
8–	गुडा अखेराज	68	588	,,	,,
9–	घोलप	88	1005	,,	,,
10–	कोट सोलकिया	20	1480	,,	,,
11–	गुढा देवरा सोलकिया	22	165	,,	,,
12–	गुढा कलां	24	54	,,	,,

1	2	3	4	5	6
	देसूरी पंचायत समिति				
13–	गुढा जेतावत	55	369	हैण्ड पम्प	1980-81 में पेयजल से लाभान्वित कर दिये गये हैं।
14–	गान्धी	60	1093	,,	
15–	गुढा भासकरा	61	359	,,	,,
16–	माडपुरा	63	500	,,	,,
17–	सुमेर	97	369	,,	,,
18–	गुढा गोपसिंह	115	293	,,	,,
19–	राणकपुरा	124	1397	,,	,,
20–	राजपुरा	125	782	,,	,,
21–	उदरथला	107	779	,,	,,
22–	कोलर	25	805	टी. एस. एस.	,,
23–	मगर तलाब	50	745	,,	,,
24–	बोरमपुरा माताजी	86	541	,,	,,
25–	कोटरो	89	878	,,	,,
26–	पृथ्वीराज का गुढा	91	672	,,	,,
27–	सारंगावास	92	217	,,	,,
28–	नाना	104	1393	,,	,,
29–	सिदरलाई	110	984	हैण्ड पम्प	,,
30–	करनावा	90	969	टी. एस. एस.	,
31–	गुढा मंगलिया	111	619	,,	,,

1	2	3	4	5	6
देसूरी पंचायत समिति					
32–	लाम्पी	98	466	हैण्ड पम्प	1981-82 में पेयजल से लाभान्वित कर दिये गये हैं।
33–	गुढा गोपीनाथ	19	184	,,	,,
34–	माण्डीगढ	117	1077	,,	,,
35–	ढागमलाना कलां	54	1879	पी. एण्ड टी.	
(बाली पंचायत समिति)					
1–	मुकनपुरा	31	1182	टी. एस. एस.	1980-81 में पेयजल से लाभान्वित कर दिये गये हैं।
2–	माताजी का बेडा	34	782	हैण्ड पम्प	
3–	फतेहपुरा	35	400	,,	,,
4–	खिवाडा	40	1799	पाईपड	,,
5–	बैराल	59	654	टी. एस. एस.	,,
6–	पुनाडिया	72	440	,,	,,
7–	सोकडा	75	480	हैण्ड पम्प	,,
8–	साम्वलता चक्र	105	1141	टी. एस. एस.	,,
9–	मालरी	107	444	हैण्ड पम्प	,,
10–	रेघुनाथपुरा	125	816	,,	,,
11–	बलार	133	629	हैण्ड पम्प	,,
12–	घणी	39	7324	हैण्ड पम्प पी. एण्ड टी.	,,
13–	सेला	60	838	टी. एस. एस.	,,

1	2	3	4	5	6
	बाली पंचायत समिति				
14-	कोट	71	1662	,,	1980-81 में पेयजल से लाभान्वित कर
15-	पारविया	78	688	हैण्ड पम्प	दिये गये हैं।
16-	जोधाडा	79	1313	,,	,,
17-	लालराई	103	1084	टी. एस. एस.	,,
18-	करनावा	112	879	हैण्ड पम्प	,,
19-	मालून	137	1310	,,	,,
20-	जाम्बेलिया	139	604	,,	,,
21-	कागढडा	140	604	,,	,,
22-	ठडीबेरी	141	683	,	,,
23-	भीमाना	142	3388	पी. एण्ड टी.	,,
24-	कोयलबाव	143	231	हैण्ड पम्प	,,
25-	कोलवाडा	146	282	,,	,,
26-	कोरवा	149	298	,,	,,
27-	ढाबरली	150	919	,,	1981-82 में पेयजल से लाभान्वित कर
28-	कूरन	147	924	,,	दिये गये हैं।
29-	खेतरली	148	380	,,	,,
30-	गोरिया	151	324	,,	,,
31-	बागली	99	348	हैण्ड पम्प	,,
32-	कोरटा	100	155	,,	,,
33-	गुढा कल्याणसिंह	109	270	,,	,

1	2	3	4	5	6
बालो पंचायत समिति					
34–	खण्डावा	117	221	हैण्ड पम्प	1981-82 में पेयजल से लाभान्वित कर दिये गये हैं।
35–	जेतदबा	121	501	,,	
36–	काकदडो	144	452	,,	,,
37–	श्री सेमरावास	152	307	,,	,,
38–	श्री जाडरी	58	393	,,	1982-83 में पेयजल से लाभान्वित कर दिये गये हैं।
39–	चामुण्डरी	61	237	रीजनल	
40–	कागरी	62	213	हैण्ड पम्प	,,
41–	केरापुरा	64	99	,,	,,
42–	टपरो	68	357	,,	,,
43–	मिरगेसर	113	498	,,	,,
44–	दुदनी	124	1405	,,	,,
45–	लेटेरा	134	1301	,,	,,
46–	हिरोला	136	137	,,	,,
47–	मुण्डारा	70	4896	पाइप्ड	1983-84 में पेयजल से लाभान्वित कर दिये गये हैं।

सूची—ड

वर्ष 1980 से अगस्त 1984 तक पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन जिला पाली विभिन्न ग्रामों में अनुसूचित जाति व हरिजन मोहल्लों में पाइप लाइन बिछाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का विवरण :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या	वर्ष	मोहल्ले का नाम	पाईप लाइन की लम्बाई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मारवाड़ जंक्शन	–	81–82	काजीपुरा	1250 मीटर	–
	,,	–	81–82	बेरवा का बास	135 ,,	–
	,,	–	82–83	भाटों का बास	225 ,,	–
	,,	–	82–83	सरगरों का बास	215 ,,	–
	,,	–	83–84	मोचियों का बास	90 ,,	–
	,,	–	84–85	अस्पताल के पास	300 ,,	–
2.	जोजावर	79	81–82	जटियों का बास	90 ,,	–
	,,	,,	81–82	कैनों का बास	,, ,,	–
3.	बामली	65	83–84	सरगरों का बास	120 ,,	–
	,,	,,	83–84	बावरी का बास	90 ,,	–
	,,	,,	83–84	जटियों का बास	75 ,,	–
	,,	,,	84–85	मेघवालों का बास	90 ,,	–
	,,	,,	84–85	रीरागरों का बास	40 ,,	–
4.	देवली	72	83–84	मैनों का बास	395 ,,	–
	,,	,,	83–84	मेघवालों का बास	,, ,,	–
5.	पांचेटिया	68	82–83	मीनों का बास	90 ,,	–
कुल 5 ग्राम, बस्तियां 16					3205 मीटर	–

— — —

Page No 483

भाग—2

परिशिष्ट—घ

तहसील पाली की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन (खारची) में वर्ष 1980 से अगस्त 1984 तक अनुसूचित जाति एवं जन जाति को हैण्ड पम्प योजना पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का विवरण –

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या 1971	योजना का प्रकार	कुल लगाये गये हैण्ड पम्प	अनुसूचित जाति/जन जाति मो. में लगाये गये हैण्ड पम्प	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आसर जोधवान	93	213	हैण्ड पम्प योजना	2	2	–
2.	गुड़ा मंगा	104	298	"	3	3	–
3.	करमाल	103	335	"	3	3	–
4.	हमीरवास	44	255	"	2	2	–
5.	गुड़ा हिम्मता	98	60	"	2	2	–
6.	बांसोर	111	369	"	3	3	–
7.	हलावत	109	259	"	2	2	–
8.	गुड़ा भोपत	107	159	"	2	2	–
9.	भोजावास	54	243	"	2	1	–
10.	जोड दूदोड	9	320	"	3	3	–
11.	मेलावास	36	688	"	4	1	–
12.	सिनला	4	1563	"	8	3	–
13.	दारिया	38	459	"	3	1	–
14.	चोकरिया	91	916	"	5	2	–
15.	सिचाना	82	791	"	4	1	–
16.	बाल	89	288	"	2	2	–

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	फूलिया	30	541	,,	3	1	–
18.	बाली	32	556	,,	3	1	–
19.	बोगला	102	415	,,	3	3	–
20.	राह झालरा	50	470	,,	2	2	–
21.	अमली नीमली	51	535	,,	2	2	–
22.	राणावास	58	3344	,,	4	1	–
23.	जोजावर	99	526	,,	7	3	–
24.	गुडागिरी	40	538	,,	3	1	–
25.	चावण्डिया	15	741	,,	4	2	–
26.	करवाड़ा	106	264	,,	2	2	–
27.	गुडा सूरसिंह	84	769	,,	4	2	–
28.	मेलाप	46	413	,,	2	1	–
29.	भींवली	42	321	,,	3	1	–
30.	जाडन	2	1446	,,	7	3	–
31.	सारडी	5	1116	,,	5	3	–
32.	आसर डाविया	92	74	,,	2	2	–
	कुल योग 32 ग्राम	–	–	–	106	62	–

————

परिशिष्ट 40

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 से सम्बन्धित सूचना

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनिज अभियन्ता, उदयपुर खण्ड, उदयपुर

विभिन्न पट्टाधारियों में दिनांक 30–9–84 तक रही बकाया की स्थिति

क. सं.	नाम पट्टाधारी	नि० ग्राम	खनिज	1–4–84 को रही बकाया	1–4–84 को रही बकाया के विरुद्ध 30-9-84 तक वसूली	नई बकाया 30–9–84 तक	वसूली की कार्यवाही की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री प्रतापसिंह ठाकुर	मसारा ओवरी	सरपन टाईन	2476–05	–	–	जिलाधीश पी. डी. आर. आगरा को भेजा प्रगती वांछित है
2.	श्री आरिफ इकबाल	,,	,,	2002–64	2002–64	1315–20	विभागीय कार्यवाही
3.	श्री नन्दराम गुजर	डेलाना	,,	1166–69	1166–69	–	विभागीय कार्यवाही
4.	श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा	ब्रिज लाईन	,,	9237–70	500–00	–	एल. आर. एक्ट उदयपुर
5.	श्री किशनलाल रामलाल तेली	बिलखाई	सोया व सूत पत्थर मेगने साईट	1321–69	–	–	विभागीय कार्यवाही

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	श्री भीमसिंह चौधरी	कलावतों का फला	मारबल	5231-55	–	–	एल. आर. एक्ट एम. ई जयपुर प्रगती वांछित
7.	श्री शिवनारायण सारस्वत	भूधरी	धीया पत्थर	2390–75	2390–75	400–00	विभागीय कार्यवाही
8.	श्री रमेश कुमार पुरोहित	काली घाटी	धीया व सूत पत्थर	3133–01	–	–	एल. आर. एक्ट ए. एम. ई चित्तोड प्रगती वां
9.	श्री केशरी मल कोदरमल	कलावतों का पला	मारबल	1089–45	1089–45	2889–35	चेतना पत्र दिया गया
10.	श्री निहालचन्द रांका	,,	,,	1011–50	1011–50	1150–00	चेतना पत्र दिया गया
11.	श्री बदरीलाल भारद्वाज	मसारा ग्रोवरी	सरपन टाईन	1200–00	1200–00	1253–65	चेतना पत्र जारी
12.	श्री प्रभाष उपाध्याय	ग्रोडवास	,,	247–25	–	1390–30	———
13.	श्री तोलाराम शर्मा	कलावतो का फला	मारबल	4778–15	–	–	एल. आर. एक्ट ए. एम. ई. नीम का थाना प्र. वां.
14.	श्री दीनदयाल अग्रवाल	ग्रोडवास	सरपन टाईन	463–51	–	–	एल. आर. एक्ट एम. ई. जयपुर प्रगती वांछित
15.	श्री ताराचन्द्र जैन	ग्रोडवास	सरपन टाईन	999–85	999–85	1000–00	विभागीय कार्यवाही
16.	श्री विनोद कुमार शर्मा	बिलख	मारबल	2249–66	–	–	एल. आर. एक्ट. ए. एम. ई. नीम का थाना प्र. वां.
17.	श्री जुगल किशोर शर्मा	,,	,,	4542–78	–	–	एल. आर. एक्ट. ए. एम. ई. मकराना प्र. वांछित

Page No 487

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	श्री अशोक कुमार गर्ग	बिलख	मारबल	2524-31	2524-31	-	—
19.	श्री रमेशचन्द्र पुरोहित	,,	,,	2558-52	—	—	एल. आर. एक्ट. प्रगति वांछित
20.	श्री रमणपति शर्मा	मसारा ग्रोवरी	सरपन टाईन	67-69	—	—	विभागीय कार्यवाही
21.	श्री शंकरलाल शर्मा	कानुवाडा	,,	1425-00	1425-00	6178-45	9-10-84 को कुर्की वारंट जारी किया
22.	श्री लच्छीराम मीणा	खानमीन	सरपन टाईन	1971-60	—	—	एल. आर. एक्ट. प्रगती वांछित
23.	श्री अशोक मिनरल्स	डेलाना 1	ग्रिनमारबल	4190-00	4190-00	—	—
24.	श्रीमती प्रेमबाई खटीक	मसारा ग्रोवरी	सरपन टाईन	2384-09	—	—	एल. आर. एक्ट. ख. प्र. अजमेर प्र. वांछित
25.	श्री अरविन्द कुमार	ग्रोडवास	,,	1000-00	1000-00	—	—
26.	श्री नाथूलाल	खानमीन	,,	2178-10	200-00	—	एल. आर. एक्ट. नीलामी की कार्यवाही की जानी
27.	श्री सुभाषचन्द्र सेठी	कागदर की पाल	घीया पत्थर	937-50	937-50	937-50	विभागीय कार्यवाही
28.	श्री गोपाल शर्मा	कलाबतो का फला	मारबल	309-60	—	—	विभागीय कार्यवाही

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	श्री भोमसिंह चौधरी	रिखबदेव	सरपन टाईन	1000-00	1000-00	1786-84	चेतना पत्र दिया गया।
30.	श्री मगनलाल देवपुरा	ओडवास	,,	1536-75	1500-00	3255-20	———————
31.	श्री मांगीलाल जैन	मसारा ओवरी	,,	1000-00	1000-00	258 -95	विभागीय कार्यवाही
32.	श्री पेमाराम जाट	कागदर की पाल	,,	1000-00	1000-00	1043-90	चेतना पत्र दिया गया।
33.	श्री भेरूलाल भांड	खानमीन	,,	1682-20	-	-	एल. आर. एक्ट ख. अ. राजसमन्द अगतो वांछित
34.	श्री रतनलाल जोशी	,,	,,	2386-30	-	-	—एजन—
35.	श्री मोहनचरण गांधकर	ओडवास	,,	8443-20	2000-00	400-00	एल.आर. एक्ट कुर्की वारंट जारी करना है।
36.	श्री बलदेव मीणा	बिलखाई	,,	2797-15	2797-15	332-10	विभागीय कार्यवाही
37.	श्री रामनारायण अग्रवाल	ओडवास	,,	1562-50	-	1562-50	चेतनापत्र जारी किया गया
38.	श्रीमती दलजीत कौर	बिलखाई	,,	1834-89	1834-89	1368-66	विभागीय कार्यवाही
39.	श्री मुखतयार अहमद	ओडवास	घीया व सूत पत्थर	6258-18	-	-	एल. आर. एक्ट सम्पत्ति की जानकारी
40.	श्री मधुसूदन पराजय	सून्दरा	घीया पत्थर	1682-07	1682-07	-	विभागीय कार्यवाही

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	कोटडा	घीया पत्थर	1061–94	589–94	400–00	विभागीय कार्यवाही
42.	श्री रामनिवास गोयल	रायमा	,,	579–75	–	–	एल. आर. एक्ट
43.	रियलाइन्स मिनरल	बलवाडी	,,	1173–07	1173–07	1373–07	विभागीय कार्यवाही
44.	श्री ओमप्रकाश बारहट	मसारा ओवरी	सरपन टाईन	1462–50	1562–50	1225–00	विभागीय कार्यवाही
45.	श्री गंगासिंह राजावत	बिलख	मारबल	2835–10	–	–	एल. आर. एक्ट एम. ई. जयपुर प्र. वांछित
46.	श्री ताराचन्द जैन	ओडवास	सरपन टाईन	300–00	300–00	–	—
47.	श्री वेद प्रकाश सिंह	मसारा ओवरी	सपपम टाईन	190–60	190–60	2188–50	विभागीय कार्यवाही
48.	श्री राकेश शर्मा	ओडवास	,,	3612–00	–	–	एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत, प्रगति वांछित
49.	श्री रूपाराम गोरा	खानमीन	,,	1550–70	1540–70	1850–00	विभागीय कार्यवाही
50.	श्री हरिशंकर चोबिसा	रिखबदेव	,,	2140–90	–	1990–50	एल. आर. एक्ट के अन्तर्गत, सम्पत्ति की जानकारी की जा रही है।
51.	श्री बलदेव कटारा	मनाला 1	,,	1562–51	1562–51	–	—
52.	श्री राजेन्द्र खमेसरा	मसारा ओवरी	,,	1200–00	1200–00	1390–95	चेतनापत्र जारी किया गया
53.	श्री ललितकुमार पगारिया	,,	,,	1693–85	1312–50	3148–50	चेतनापत्र जारी किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	श्री प्रकाशकुमार देवपुरा	कुण्डाल	,,	1868-85	–	–	मकान कुर्क किया
55.	श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल	कागदर	,,	1665-00	1665-00	2863-75	विभागीय कार्यवाही
56.	श्री राजदेवेन्द्रसिंह सेठी	बिलखाई	,,	15677-34	–	–	'सम्पत्ति की जानकारी की जा रही है।
57.	सर्वश्री हल्दी घाटी मिनरल्स	प्रोडवास	घीया पत्थर	1307-16	1307-16	–	—
58.	श्री अब्दुल करीम	घोड़ी	घीया व सूत पत्थर	1176-50	3175-50	1376-50	विभागीय कार्यवाही
59.	श्री पन्नालाल मीणा	प्रोडवास	सरपन टाईन	161-75	–	2400-00	चेतनापत्र जारी किया गया
60.	श्री चन्द्रप्रकाश रांका	,,	,,	4460-28	–	1518-28	एल. आर. एक्ट. स. प्र. अजमेर, प्रगति वांछित
61.	श्री बलदेव कटारा	गनाला 11	,,	2031-60	1000-00	2162-37	–,,— कुर्की वारंट जारी करना
62.	श्रीमती कुसुमकुमारी	मकरजापा	घीया पत्थर	638-97	638-97	638-97	विभागीय कार्यवाही
63.	श्री भंवरलाल कुमावत	ढेलाना	सरपन टाईन	1263-15	1000-00	440-45	—,,—
64.	सर्वश्री अशोका मिनरल्स	थोराई	घीया पत्थर	296-08	296-08	–	—
65.	सर्वश्री ऐसोसिएटेड मिनरल्स	कारछा 11	,,	675-68	–	1868-85	चेतनापत्र जारी किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	श्री आनन्द कुमार कावां	कल्याणपुर	घीया पत्थर	654–75	654–75	–	—
67.	श्री युनाईटड मिनरल	मुण्डवाडा	घीया पत्थर	73182–45	–	1590–38	कोर्ट स्टे
68.	श्रीमती आर. सी.	बनाला 11	सूत पत्थर	256913–12	–	–	कोर्ट स्टे
69.	ओडलाबारी कं.	अन्जेलिया व नरेटी	घीया पत्थर	19041–35	–	3821–00	एल. आर. एक्ट ख.अ. जयपुर प्रगति वांछित
70.	भूटानहोस. टी. एसो.	भूधरी-1	घीया व सूत पत्थर	2617–44	2617–44	1214–00	चेतना पत्र जारी किया गया।
71.	—एजन—	कारछा	घीया पत्थर	1587–50	1587–50	–	—
72.	श्रीमती चन्द्रबाई	टपाना	सूत पत्थर	7397–15	–	779–55	रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में वाद चल रहा है।
73.	श्री दलपतसिंह	चिकलान	घीया पत्थर	995–94	995–94	–	—
74.	श्री गोपाललाल सोनी	मुण्डवाडा	,,	9782–08	3000–00	1136–62	मकान कुर्क किया गया है बाकीदार किस्तों में जमा करा रहा है।
75.	श्री जगन्नाथ जोशी	बालिया	घीया पत्थर	4474–25	–	4474–25	चेतना पत्र जारी किया गया।
76.	—एजन—	बिलखाई	घीया, सूत व मेगने साईट	4495–50	–	3485–37	चेतना पत्र जारी किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	श्री किशनलाल तेली	रिखबदेव	घीया पत्थर	4845-39	-	-	एल. आर. एक्ट सम्पत्ति की जानकारी की जा रही है।
78.	श्री किशनलाल तेली	बिलखाई	सरपन टाईन	19500-17	-	-	--एजन--
79.	श्री खूबीलाल बाबेल	दसेरा	घीया पत्थर	2741-84	2741-84	437-00	चेतना पत्र जारी किया गया।
80.	श्री महेन्द्रकुमार तलवाया	कोटड़ा	घीया पत्थर	2524-12	-	1595-04	एल. आर. एक्ट क्षेत्र के सरेण्डर सम्बन्धित की रिपोर्ट प्राप्त करनी है।
81.	श्री खान मोहम्मद	झरना-डेलाना	घीया पत्थर	1390-62	-	-	एल. आर. एक्ट पार्टी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर टिप्पणी लेनी है।
82.	श्रीमती निर्मला जिन्दल	रिखबदेव	,,	11171-76	-	-	एल. आर. एक्ट सहायक खनिज अभियन्ता चित्तौड़गढ़ से प्रगति वांछित।
83.	श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल	रिखबदेव	घीया पत्थर	1618-75	1618-75	1612-50	विभागीय कार्यवाही
84.	श्री राधेश्याम सोनी	कारछा	,,	4993-20	4993-20	5647-28	विभागीय कार्यवाही
85.	श्री शिवकुमार मित्तल	दिलही	घीया व सूत पत्थर	5646-41	-	-	पी. डी. आर. एक्ट के तहत वसूली।
86.	श्री गम्भीरसिंह झाला	बोराई	सूत पत्थर	2525-28	-	-	एल. आर. एक्ट
87.	श्री प्रदीपकुमार गुप्ता	बालिया	,,	394-00	-	600-00	चेतना पत्र जारी किया गया।
88.	श्री महेन्द्रसिंह सिंघवी	बानुबर	घीया पत्थर	825-50	-	412-75	विभागीय कार्यवाही

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	श्री हरहर महादेव ट्रे. कं.	परसाद	घीया व सूत पत्थर	5865–98	–	–	पी. डी. आर. एक्ट
90.	श्री भोपालसिंह	मसारा ओवरी	सरपन टाईन	1562–50	–	3025–00	चेतना पत्र जारी किया गया।
91.	श्रीमती पुष्पा पारीक	भवाना	,,	266–17	–	–	एल. आर. एक्ट
92.	श्रीमती अमीनाबाई	ढेलाना	घीया पत्थर	1440–63	1440–63	1840–26	चेतना पत्र जारी किया गया।
93.	श्री सुन्दरलाल अंसारी	कागदर–1	सरपन टाईन	3896–00	–	–	एल. आर. एक्ट मकान की नीलामी की कार्यवाही की गई। पर किसी व्यक्ति ने बोली नहीं लगाई पुनः नीलामी की कार्यवाही जारी।
94.	श्री जगन्नाथ जोशी	बीछीवाडा	घीया पत्थर	7801–25	3901–00	4300–83	चेतना पत्र जारी किया गया।
95.	श्री सुरेशकुमार पालविया	छाली	,,	6317–13	–	–	कोर्ट स्टे
96.	श्री अजीतकुमार ठाकुर	रिखबदेव	सरपन टाईन	1580–29	–	–	एल. आर. एक्ट कुर्की वारंट जारी करना है।
97.	हिन्दुस्तान मिनरल कॉर्पोरेशन	मुण्डवाडा	घीया पत्थर	1162–64	–	–	एल. आर. एक्ट मकान कुर्क किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
98	श्री कैलाशचन्द्र शर्मा	बिलखाई–1	सरपन टाईन	424–38	424–38	9215–62	चेतना पत्र जारी किया गया।
99.	श्री पूनमचन्द पटेल	बागपुर	घीया पत्थर	1597–38	1597–38	1697–38	विभागीय कार्यवाही
100.	श्री रामअवतार खेतान	मवाना	सरपन टाईन	35–00	–	–	एल. आर. एक्ट सम्पत्ति की जानकारी की जा रही है।
102.	श्री आर. सी. शाह	बनाल–1	घीया व सून पत्थर	380363–72	11934–00	–	कोर्ट स्टे
102.	श्री रामगोपाल शर्मा	बिलखाई	सरपन टाईन	70–85	–	21482–42	चेतना पत्र जारी किया गया।
103.	श्री अनिलकुमार बडोला	ओडवास–1	,,	3884–69	3884–69	2229–30	विभागीय कार्यवाही
104.	श्री शिवजी राम मेघवाल	ओडवास	सरपन टाईन	16155–10	–	–	एल. आर. एक्ट ए. एम. ई. मकराना प्र. वांछित
105.	श्री कैलाशचन्द्र शर्मा	बिलखाई	,,	2242–38	1256–75	3196–15	चेतना पत्र जारी किया
106.	श्री निर्मलकुमार खमेसरा	मसारा ओवरी	,,	299–53	–	–	विभागीय कार्यवाही
107.	एवरेस्ट मारबल एण्ड स्टोन	,,	,,	1418–62	1418–62	1154–28	चेतना पत्र जारी किया गया।
108.	श्री नरेन्द्रकुमार बडिया	,,	,,	558–00	480–10	6078–73	चेतना पत्र जारी किया गया।
109.	श्री राजा देवेन्द्रसिंह सेठी	कागदर	,,	5427–97	–	2342–30	एल. आर. एक्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
110.	श्री राजेन्द्रकुमार	मसारा ओवरी	सरपन टाईन	719–10	–	–	एल. आर. एक्ट ख. अ. भीलवाड़ा ।
111.	डीकेमी इण्डिया	टपाणा	सरपन टाईन	3545–20	–	–	एल. आर. एक्ट
112.	श्री जवेरभाई मिस्त्री	मसारा ओवरी	सरपन टाईन	672–51	–	–	–,,–
113.	श्री ताराचन्द जैन	ओडवार–2	सरपन टाईन	1497–30	1497–30	465–80	चेतना पत्र जारी किया गया ।
114.	श्री मोहम्मद अमीन	मसारा ओवरी	,,	3938–88	3938–98	–	—
115.	श्री नवलसिंह कोठरी	,,	,,	4097–75	4097–75	–	—
116.	श्री भोमसिंह जाट	ओडवास	,,	2462–62	–	–	एल. आर. एक्ट ए. एम. ई. जयपुर
117.	श्री सुमेरसिंह बोर्दिया	मसारा ओवरी	,,	0835–45	–	552–73	चेतना पत्र जारी
118.	श्री सुन्दरलाल अंसारी	कागदर	,,	6017–96	–	–	एल. आर. एक्ट मकान की नीलामी की गई पर किसी व्यक्ति ने बोली नहीं लगाई पुनः नीलामी की कार्यवाही जारी है ।
119.	श्री पूरणमल सुवालका	ओडवास	,,	10171–60	–	–	एल. आर. एक्ट ख. अ. भीलवाड़ा

1	2	3	4	5	6	7	8
120.	श्री सुरेशकुमार बेसल	कलावती का फला	मारबल	2457-20	-	-	विभागीय कार्यवाही
121.	श्री सुन्दरलाल भाणावत	मसारा की ओवरी	सरपन टाईन	1618-75	1618-75	3164-30	चेतना पत्र जारी किया
122.	श्री त्रिलोकराम जाट	ढेलाना	सरपन टाईन	1000-00	1000-00	-	—
123.	श्री उमराव सिंघवी	रिखबदेव	लाईम स्टोन	3125-00	3125-00	-	—
124.	श्री अब्बास मोहम्मद	डेपा	"	408-50	-	813-00	चेतना पत्र जारी
125.	श्री बन्शीलाल मंडोवरा	चन्डवास	घीया व सूत पत्थर	676-50	-	-	एल. आर. एक्ट
126.	श्री बन्शीलाल	दामण	"	4041-00	-	2543-00	विभागीय कार्यवाही
127.	श्री चान्दमल गोयर	भरोदी	सूत पत्थर	2718-13	2718-13	-	—
128.	श्री दलपतसिंह मांडावत	ब्राह्मणों का खेड़ा	घीया व सूत पत्थर	900-00	900-00	-	—
129.	श्री श्रीमती केसरबाई	अम्बावी	सूत पत्थर	302-32	-	4279-17	एल. आर. एक्ट
130.	श्री किशनलाल जैन	बोरोठी	लाईम स्टोन	937-50	-	625-00	चेतना पत्र जारी किया
131.	श्री मगनलाल डालचन्द्र पूर्वीया	झाडोल	घीया व सूत पत्थर	486-81	486-81	485-63	विभागीय कार्यवाही
132.	श्री प्रताप कार्मशियल	बारां	सूत पत्थर	337-19	337-19	1011-69	विभागीय कार्यवाही
133.	श्री पोरवाल माईन्स	ढीमढी	घीया पत्थर	64-35	64-35	-	विभागीय कार्यवाही
134.	श्री रतनलाल पूर्वीया	झांझर की पाल	सूत पत्थर	5211-73	5211-73	1029-48	—,,—
135.	श्री किशनलाल जैन	अजरोली	लाईम स्टोन	1250-00	-	1250-00	चेतना पत्र जारी
136.	श्री सुजानमल छाजेड	मुण्डावली	घीया पत्थर	11226-00	943-87	मांग में कमी	एल. आर. एक्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
137.	श्री शिवजी भाई पटेल	डाया	लाईम स्टोन	372-41	-	-	पी. डी. आर. एक्ट जिलाधीश साबरकांटा प्र. वांछित
138.	श्री सूर्यप्रकाश धाकड	दमाना	घीया व सूत पत्थर	309-88	-	309-88	विभागीय कार्यवाही
139.	श्री सूर्यप्रकाश धाकड	दमाना	,,	992-38	298-25	694-13	विभागीय कार्यवाही
140.	श्री जयपोलीसर्स	हुरवर	घीया पत्थर	500-00	500-00	2428-11	विभागीय कार्यवाही
141.	श्री जसवन्तसिंह	लोहागढ़	,,	607-00	607-00	-	—
142.	श्री महतापचन्द गोलेछा	पाडला	,,	910-50	910-50	-	—
143.	रा एण्ड फिनिश्ड	लोहागढ़	,,	1471-26	1471-26	1535-63	विभागीय कार्यवाही
144.	हल्दी घाटी मिनरलस	देवला	घीया पत्थर	1158-00	1158-00	0727-88	विभागीय कार्यवाही
145.	वडिया नरेन्द्रकुमार	देलवाडा	,,	2023-50	2023-50	2023-50	—
146.	सर्वोदय खनिज उद्योग	गनेडा	घीया पत्थर	3497-96		-	एल. आर. एक्ट सम्पत्ति की जानकारी की जा रही है।
147.	श्री अरुणकुमार वियानी	भैंगापट	,,	413-57	413-57	827-13	विभागीय कार्यवाही
148.	श्री नरेन्द्रकुमार वडिया	देवला-2	,,	202-32	-	402-32	विभागीय कार्यवाही
149.	श्री भरतमहता	राजपुरा	लाईम स्टोन	75C-00	750-00	49-65	विभागीय कार्यवाही

1	2	3	4	5	6	7	8
150.	श्री इन्द्रमल सोनी	तालाबपुरा	घीया पत्थर	244–88	–	649–69	विभागीय कार्यवाही
151.	श्री देवेन्द्रकुमार झागेटिया	गारियावास	,,	1218–75	–	1698–75	एल. प्रार. एक्ट स. ख. म., चित्तोड़गढ़ प्रगती वां.
152.	श्री गोपाल पालीवाल	झीरावास	,,	1087–50	–	1087–50	विभागीय कार्यवाही
153.	इण्डीयन मिनरल्स	भरकुण्डी	,,	1106–13	1106–13	1106–13	—
154.	श्री स्वास्तीक मिनरल	कालीभीत	सरपन टाईम	1200–00	1200–00	मांग में कमी	—
155.	श्री अमरसिंह सिख	जावरमाल	घीया पत्थर	1559–25	1559–25	399–44	विभागीय कार्यवाही
156.	ओरियन्टल टाल्स प्रोजेक्ट	सजेला	घीया पत्थर	240–68	240–68	–	—
157.	श्री अमरिकसिंह सिख	सलुम्बर	,,	2801–75	2758–75	604–63	विभागीय कार्यवाही
158.	श्री रामचन्द्र शर्मा	राथडी	घीया पत्थर	4944–11	–	–	एल. प्रार. एक्ट स. ख. म.
159.	श्री रामचन्द्र शर्मा	खीराबाड़ा	मारबल	1561–33	–	–	एल. प्रार. एक्ट
160.	श्री हीरालाल टांक	बामनिया	मारबल	23–35	23–35	–	—

1	2	3	4	5	6	7	8
161.	श्री सुन्दरलाल लावटी	खीरावाडा	मारबल	825–00	825–00	1246–50	विभागीय कार्यवाही
162.	श्री महेश चन्द्र मन्त्री	बरोरा	मारबल	4741–20	–	–	एल. आर. एक्ट स. ख. अ. डूंगरपुर अ. वांछित
163.	श्री भंवरसिंह झाला	मूरेला	लाईमस्टोन	245–20	–	–	एल. आर. एक्ट
164.	श्री अमरीकसिंह	बानोर	घीया पत्थर	1001–46	1001–46	628–38	विभागीय कार्यवाही
165.	श्री सतपाल सिंह	मुरेला	चूना पत्थर	750–00	–	246–88	विभागीय कार्यवाही
166.	श्री बदामीलाल महाजन	बामनिया	मारबल	3974–00	3002–40	2949–70	चेतना पत्र जारी किया गया
167.	श्री फकीर मोहम्मद	बरोडा	मारबल	247–25	247–25	1240-00	विभागीय कार्यवाही
168.	श्री भगवान लाल सुखवाल	पाटीया	केलसाईट	3061–97	–	–	एल. आर. एक्ट सम्पत्ति का पता लगाया जा रहा है।
169.	श्री मगन लाल पूर्वीया	मूरी टापरी	केलसाईट	1028–98	–	–	कोर्ट स्टे
170.	श्री मगन लाल पूर्वीया	बेकरीया	केलसाईट	6977–20	–	–	कोर्ट स्टे
171.	श्री मगनारायण शर्मा	जूरा	केलसाईट	14048–05	–	–	एल. आर. एक्ट स. अ. सिरोही प्रगति वां.
172.	श्री हरहर महादेव ट्रेडिंग	तेजा का वास	केलसाईट	3071–90	–	–	पी. डी. आर. एक्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
173.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	लोहारवा	केलसाईट	476-01	–	–	एल. आर. एक्ट प्रगति वांछित
174.	श्री श्याम मिनरल भण्डार	बेरन अ तुली का	केलसाईट	12253–15	–	–	एल. आर. एक्ट ख. अ. बीकानेर प्रगति वां.
175.	श्री मोहम्मद अस्मान	खजुरिया	लाईम स्टोन	1820–07	100–00	–	एल. आर. एक्ट
176.	श्री मोहम्मद इब्राहीम	मांडमारीया	लाईम स्टोन	2045–98	–	–	जिलाधीश तावरकांटा (पी. डी. आर. एक्ट)
177.	श्री एम. के. देवत सिंह	खेरतला	बोलेस्टोनाईट	636–25	636–25	1079–75	विभागीय कार्यवाही
178.	श्री जमशेर खां पठान	सांडमारीया	लाईम स्टोन	1747–73	–	–	एल. आर. एक्ट ख. अ. सिरोही प्रगति वां.
179.	श्री युसुफ एण्ड ब्रदर्स	थोप	लाइम स्टोन 5	100–00	–	–	विभागीय कार्यवाही
180.	श्री हिन्दुस्तान मिनरल ट्रा.	बन का बास	केलसाईट	359–00	–	–	विभागीय कार्यवाही
181.	श्री महावीर प्रसाद	सेई	केलसाईट	1250–30	–	–	चेतना पत्र जारी किया गया
182.	श्री हिन्दुस्तान मिनरल ट्रा.	तिवरीया	केलसाईट	1616–50	781–25	781–25	विभागीय कार्यवाही
183.	श्री माहेश्वरी मिनरल	खजुरिया	लाईम स्टोन	781–25	781–25	781–25	विभागीय कार्यवाही

1	2	3	4	5	6	7	8
184.	श्री अरुण माइनिंग	कुण्डा	घीया पत्थर	4222–40	–	–	एल. आर. एक्ट
185.	श्री अमरसिंह बोथरा	नयाराकोपाल	—,,—	5754–96	–	1014–30	एल. आर. एक्ट
186.	श्री सूर्य प्रकाश सिंघल	कुण्डा	—,,—	14060–31	–	–	एल. आर. एक्ट
187.	श्री सम्पतलाल कोठारी	बाबरमाल	बेरायटीज	400–00	400–00	–	एल. आर. एक्ट
188.	श्री सुरेशचन्द्र बीडला	कालाकोट	मारबल	1252–50	1452–50	1581–55	विभागीय कार्यवाही
189.	श्री हरीश जे. त्रिवेदी	बाबरमाल	मारबल	6815–22	6815–22	6841–04	विभागीय कार्यवाही
190.	श्री अभय मिनरल्स	डोंगरी	घीया पत्थर	1437–49	1437–49	–	—
191.	श्री कैलाश चन्द्र जैन	बाबरमाल	मारबल	5500–00	–	–	एल. आर. एक्ट स. ख. अ. मकराना प्रगति वांछित
192.	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	जावर	गिट्टी पत्थर	2260–26	–	–	एल. आर. एक्ट अधिशाषी अभियन्ता जाखम परियोजना को मांग आदेश भेजना है ।
193.	श्री सम्पत लाल कोठारी	देवीमाता	बेरायटीज	1892–75	1750–00	142–75	विभागीय कार्यवाही
194.	श्री कमानी इण्ड. कोर्पो.	नयाराकोपाल	आयरनओर	165301–04	–	–	कोर्ट स्टे
195.	श्री शाहु मिनरल्स	कालाकोट	मारबल	147041–72	–	–	
196.	श्री सीमा मिनरल	कानपुर	सीलीकासेंड एवं घीया पत्थर	79–50	–	–	एल. आर. एक्ट
197.	श्री चरणजीत सिंह	भेवरिया की नाल	लाईमस्टोन	1469–70	1469–70	–	एल. आर. एक्ट कुर्की वारन्ट जारी किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
198.	श्री अशोक कालरा	बाबरमाल	मारबल	665–58	–	–	एल. आर. एक्ट किस्तों में राशि जमा कराई जा रही है।
199.	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	बाबरमाल	मारबल	352–80	–	110–18	विभागीय कार्यवाही
200.	श्री नरेन्द्रसिंह डाबरिया	बाबरमाल	मारबल	7101–[illegible]	–	–	एल. आर. एक्ट सम्पत्ति की जानकारी की जा रही है।
201.	श्री ए. पी. माथुर	बाबरमाल	मारबल	10498–7[illegible]	–	5367–75	एल. आर. एक्ट ख. अ. जयपुर प्रगति वांछित
202.	श्री शान्तीलाल डोडवानी	बाबरमाल	मारबल	3447–55	–	–	एल. आर. एक्ट बाकीदार का पुलिस विभाग द्वारा पता लगाया जा रहा है।
203.	श्री रामावतार खेतान	बाबरमाल	मारबल	1913–20	–	–	एल. आर. एक्ट सम्पत्ति की जानकारी की जा रही है।
204.	श्री प्रेमशंकर चोबीसा	सकतराकीपाल	घीया व सूत पत्थर	2752–48	1000–00	2926–08	एल. आर. एक्ट पूर्ण राशि अक्टूबर में प्राप्त
205.	श्री भूरीलाल सोनी	परसाद	घीया पत्थर	3926–72	1000–00	3066–72	एल. आर. एक्ट माह अक्टूबर में पूर्ण राशि जमा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
206.	श्री नरेन्द्र कुमार अनरेजा	बाबरमाल	मारबल	2108–42	–	–	एल. आर. एक्ट. स. ख. अ. अलवर प्र. वांछित
207.	श्री जाकीर हुसैन	नथराकीपाल	घीयापत्थर	10266–50	–	–	बाकीदार विदेश चला गया है निदेशालय द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से एम्बेसी भिजवाना है।
208.	श्री भीख्का पुत्र भेरा मीणा	पडूना	खुदाईपत्थर	620–82	–	–	एल. आर. एक्ट
209.	श्री प्रेमसिंह चोबीसा	सेमारी	घीया व सूतपत्थर	612–83	–	1017–46	चेतना पत्र जारी किया जा रहा है
210.	श्री बिहारीलाल अरोड़ा	भागथला	घीयापत्थर	1489–07	1489–07	1489–07	विभागीय कार्यवाही
211.	श्री सरदार अमरिकसिंह	बेवपुरा	घीयापत्थर	401–94	134–00 समायोजन	669–88	विभागीय कार्यवाही
212.	श्री वर्धमान ब्लास्टर	बाबरमाल	मारबल	1048–00	1040–00	2080–00	विभागीय कार्यवाही
213.	श्री केशरियाजी मारबल	बाबरमाल	मारबल	1855–39	1855–39	–	–
214.	श्री ओ. पी. जोशी	बाबरमाल	मारबल	1400–00	1400–00	–	–
215.	श्री बिहारीलाल अहाड़ा	मांडली	घीयापत्थर	200–00	200–00	500–00	विभागीय कार्यवाही
216.	श्री अरविन्द नन्दा	बाबरमाल	मारबल	4695–75	4695–75	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
217.	श्री नवला रावत	केवड़ा	लाईमस्टोन	786–50	–	886–50	विभागीय कार्यवाही
218.	श्री नारायण सिंह	बनाल	सरपनटाइन	4200–00	–	5622–08	एल. आर. एक्ट
219.	श्रीमती चन्द्र शोभा	बनाल	————	1888–70	–	3526–20	एल. आर. एक्ट. कुर्की वारंट जारी किया गया
220.	श्रीमती राधा कानुकोलन	बाबरमाल	मारबल	1675–48	1675–48	–	–
221.	श्री गुलाम अब्बास	बाबरमाल	मारबल	3280–82	–	–	एल. आर. एक्ट
222.	श्री पंकज कुमार	बनाल	सरपनटाईन	3174–30	–	–	सम्पत्ति का पता लगाया जा रहा है।
223.	श्रीमती वर्षा शाह	बनाल	————	3174–30	–	–	——एजन——
224.	श्री अमरिकसिंह	देवला	घीयापत्थर	427–60	427–50	213–75	विभागीय कार्यवाही
225.	श्री मंगलराम शर्मा	बाबरमाल	मारबल	1267–65	1267–65	1315–20	चेतना पत्र जारी किया गया
226.	श्री डायमण्ड मिनरल	नथराकीपाल	घीयापत्थर	1497–32	1497–32	556–12	विभागीय कार्यवाही
227.	श्री मांगीलाल सुराणा	बाबरमाल	मारबल	880–00	880–00	–	–
228.	श्री अशोकसिंह राजपूत	,,	,,	2193–30	2000–00	2193–30	चेतना पत्र जारी
229.	श्री निर्मल कुमार	केवड़ा	लाईम स्टोन	312–50	–	–	एल. आर. एक्ट.

1	2	3	4	5	6	7	8
230.	श्री देवराजसिंह	रामाखेत	सरपनटाईन	1875-00	1875-00	1924-85	चेतना पत्र जारी किया गया है।
231.	श्री दिलीप कुमार	घोडासर	घीयापत्थर	11333-50	–	–	कोर्ट स्टे
232.	श्री हरिशचन्द्र	रामाखेत	सरपनटाईन	1562-50	1562-50	1562-50	चेतना पत्र जारी
233.	श्री स्वरूपसिंह राठोड	सीपूर	घीयापत्थर	7495-50	200-00	–	एल. आर. एक्ट. ख. अ. राजसमन्द प्रगती वांछित
234.	श्री भारतमानिंग	बरोडा	,,	12879-55	–	–	अपलेखन की कार्यवाही की जा रही है
235.	श्री भगवतीलाल लोढा	मदार	,,	16163-60	–	–	—— एजन——
236.	श्री भगवतीलाल लोढा	परावा	,,	5314-07	–	–	अपलेखन की कार्यवाही की जा रही है।
237.	श्री भीमनदास	भूमरीयकीनाल	लाईमस्टोन	252-80	–	–	विभागीय कार्यवाही
238.	श्री जगन्नाथ जोशी	हेरा	घीयापत्थर	188-61	–	–	एल. आर. एक्ट.
239.	श्री केरींग पुत्र श्री नाथ	रेबारीयों की ढाणी	मेसनरीस्टोन	1825-70	–	–	एल. आर. एक्ट.
240.	श्री शंकरदास वैष्णव	कानपुर	घीयापत्थर	1112-39	–	1212-39	चेतना पत्र जारी किया गया
241.	श्री सवाईराम रावत	अम्बेरी	मेसनरीस्टोन	305-45	–	–	विभागीय कार्यवाही
242.	श्री वी. एन. शुक्ला	रामा	घीयापत्थर	15613-27	–	–	कोर्ट स्टे

1	2	3	4	5	6	7	8
243.	श्री भरत मेहता	घसार	लाईम स्टोन	960–00	960–00	–	–
244.	श्री लक्ष्मी नारायण	रामा	घीयापत्थर	200–00	–	–	विभागीय कार्यवाही
245.	श्रीमती मोहनी देवी	घसार	रेड ओकर	789–13	789–13	1566–63	विभागीय कार्यवाही
246.	श्रीमती निर्मल कपूर	देबारी	क्वार्ट्ज	4142–72	–	–	एल. आर. एक्ट. ख. अ. राजसमन्द, प्रगति वां.
247.	श्री बालूराम शर्मा	टोडा वाडा	अभ्रक	2415–41	–	–	अपलेखन
248.	श्री भंवरलाल जैन	छीपाला	घीयापत्थर	426–62	–	426–62	विभागीय कार्यवाही
249.	श्री वेला गोकुल	भीण्डर	मेसेनरी स्टोन	2150–00	2150–00	–	–
250.	श्री हरीकिशन पालीवाल	साली	घीयापत्थर	1186–00	–	–	एल. आर. एक्ट. सम्पति की जानकारी की जा रही
251.	श्री मदनलाल कोठारी	पुटीया	घीयापत्थर	675–00	–	–	एल. आर. एक्ट.
252.	श्रीमती पार्वती देवी	रूपजी का गुडा	घीयापत्थर	2530–47	–	–	एल. आर एक्ट. स. ख. अ. डूगरपुर प्र. वा.
253.	श्री सुमेरसिंह राजावत	कायरा	केलसाईट	520–07	–	–	एल, आर. एक्ट. मकान कुर्क किया गया शेष राशि पर निलामी कार्यवाही की जानी है।
254.	श्री सुमेरसिंह राजावत	उमरना	केलसाईट	4267–27	–	–	एल. आर. एक्ट.

1	2	3	4	5	6	7	8
255.	श्री सूर्यप्रकाश मानसिहका	केदश	केलसाईट	643–46	–	–	एल. आर. एक्ट. ख. प्र. भीलवाडा प्रगती वांछित
256.	श्री मानापुत्र श्री रागजी	गुगला मगरा	मेसनरी स्टोन	520–58	–	–	विभागीय कार्यवाही
257.	श्री वरदीशकर	गेमड़ा	केलसाईट	6782–79	–	–	एल. आर. एक्ट.
258.	श्री अकबर अली	नगडीया–1	घीया पत्थर	736–13	736–13	975–56	विभागीय कार्यवाही
259.	श्री देवा पन्ना	गुगला मगर	मेसनरी स्टोन	736–15	–	–	एल. आर. एक्ट.
260.	श्री ओंकार लाल तेली	वाडा	लाइमस्टोन	64–50	64–50	–	—
261.	श्री पुतहलाल केसरीमल	सुथाडो	,,	9503–00	–	–	पी. डी. आर. एक्ट. जिलाधीश
262.	श्रीमती गटटुदेवी	छोटा पालाना	लाइमस्टोन	6325–25	–	–	एल.आर.एक्ट.ख.प्र.डूंगरपुर प्रगती वांछित
263.	श्री विजयकुमार	बापारावल	लाईमस्टोन	789–94	–	100–00	विभागीय कार्यवाही
264.	श्री नरेन्द्र पोटर	रमण	फ्लोराईट	3473–45	2362–50(सभा)	450–00	
					660–95	–	विभागीय कार्यवाही
265.	श्री वरदा जीवा	एकलींगपुरा	मेसनरी स्टोन	500–00	500–00	मांग में कमी	—
266.	श्री सालरीराम मण्डोवरा	पलाना	लाइमस्टोन	1972–89	–	2058–92	एल. आर. एक्ट. बाकीदार को उपस्थिति होने के लिये 22–10–84 को बुलाया।

1	2	3	4	5	6	7	8
267.	श्री मोहनलाल	मनवाखेड़ा	मेसनरी स्टोन	333-36	—	—	एल. आर. एक्ट. बाकीदार घर पर नहीं मिलता
268.	श्री देवा पुत्र कालू	गुगला मगरा	मेसनरी स्टोन	1972-00	—	—	एल. आर. एक्ट.
269.	श्री अशोक कुमार नरसिंहपुरा	थामला	लाईमस्टोन	1500-00	1500-00	1300-00	विभागीय कार्यवाही
270.	श्री शांतिलाल केसरीमल	पोलेडा	घीया पत्थर	3976-80	1000-00	—	एल. आर. एक्ट.
271.	श्री नारायणलाल कुमावत	सुरतपुरा	क्वाटर्स	606-94	606-94	606-94	विभागीय कार्यवाही
272.	श्री यशवन्त कुमार कालरा	लहुदडा	घीया पत्थर	3498-85	—	2000-00	एल. आर. एक्ट. कुर्की वारंटजारी
273.	श्री गणेश लाल	गुगला मगरा	मेसनरी स्टोन	1747-15	—	—	एल. आर. एक्ट.
274.	श्री आशुतोष तिवारी	घसार	लाईमस्टोन	5760-00	—	—	एल. आर. एक्ट.
275.	श्री जीवा/ सवा	सवलपुरा	मेसनरी स्टोन	821-88	600-00	मांग में कमी	—
276.	श्री जोरावरसिंह	बरोड़ा	लाइमस्टोन	2043-04	—	—	एल. आर. एक्ट. दुकान का सामान कुर्की में दिया गया
277.	श्री इन्दरजीतसिंह सेठी	नयाखेड़ा	चिप्स पत्थर	2896-19	360-00	5839-50	एल. आर. एक्ट. सम्पति की जानकारी की जा रही है
278.	श्री प्रेमा/लाला	छोटीहुर	रेडओकर	893-46	—	—	एल. आर. एक्ट. मकान की निलामी की बोली लगाने वाला कोई उपस्थित नहीं पुन: कार्यवाही जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
279.	श्री दलपतराज लोढा	सफ	घीया पत्थर	858–19	1361–26	–	चेतनापत्र जारी किया गया
280.	श्री गोवर्धनलाल	घसार	मेसनरी स्टोन	1722–13	–	–	एल.आर. एक्ट
281.	श्री ओमप्रकाश	नयाखेड़ा	क्वाटर्ज	3447–00	–	–	एल.आर. एक्ट
282.	श्री ललित पगारिया	तीतरडी	,,	1227–92	200–00	–	एल.आर.एक्ट बाकीदार का नाका बन्द किया गया
283.	श्री लालसिंह	सुरजगढ़	लाइमस्टोन	638–00	100–00	–	एल. आर. एक्ट.मकान नीलामी की कार्यवाही की जा रही है
284.	श्री देवा माघू	टीडी	इमारती पत्थर	1620–00	1620–00	1248–20	चेतना पत्र जारी किया गया
285.	श्री आर.पी. गुप्ता	सोनारिया	घीया पत्थर	267–07	267–07	267–00	विभागीय कार्यवाही
286.	श्री हीरालाल	जामुनिया की नाल	लाइमस्टोन	238–60	–	–	एल. आर. एक्ट सम्पत्ति का पता लगाया जा रहा है
287.	श्री मांगीलाल	सोनारिया	क्वाटर्ज	1393–20	–	–	चेतना पत्र जारी किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
288.	श्री तेजा वक्ता	अम्बेरी	मेसनरी स्टोन	361–65	361–65	–	—
289.	श्री घूलेश्वर मीणा	सक	ग्रिन मारबल	1802–97	1802–97	1000–00	विभागीय कार्यवाही
290.	श्री कलाशचन्द	पडूंता	मारबल	1562–50	1562–50	3125–00	,,
291.	श्री भगवान लाल	भीण्डर	लाईमस्टोन	309–60	–	822–59	विभागीय कार्यवाही
292.	श्रीमति रेखा उपाध्याय	खजूरिया	मारबल	1085–25	–	160–30	चेतना पत्र जारी किया गया
293.	श्री देवेन्द्रपालसिंह	सेलु	लाईमस्टोन	325–00	325–00	325–00	विभागीय कार्यवाही
294.	श्री मिश्रीलाल	बिसुग्रा	लाईमस्टोन	364–30	–	–	—
295.	श्री बलवन्तसिंह	कारा	लाईमस्टोन	750–00	750–00	5153–19	विभागीय कार्यवाही
296.	श्री ललीत प्रकाश	तीतरड़ी	,,	200–00	–	–	,,
297.	श्री हेमन्त कुमार	झामरिया की नाल	,,	560–95	–	–	एल. ग्रार. एक्ट
298.	श्री फतेहलाल	कालीमाल	सूत पत्थर	146–75	146–75	468–75	विभागीय कार्यवाही
299.	श्री एकलिंग प्रसास	विसमा	लाईमस्टोन	299–35	–	512–50	एल. ग्रार. एक्ट
300.	श्री वेला गोकल	पगटादरा	मेसनरी स्टोन	300–00	300–00	300–00	विभागीय कार्यवाही
301.	श्री जय श्री मिनरल	गोगोल	लाईमस्टोन	850–00	–	–	चेतना पत्र जारी किया गया
302.	श्री फकरुद्दीन पठान	पालग	केलसाईट	1792–50	–	896–25	एल. ग्रार. एक्ट
303.	श्रीमति हरदेवी	चनबोर	लाईमस्टोन	1049–30	–	625–00	कुर्की वारण्ट जारी करना चेतना पत्र जारी किया गया
304.	श्री ग्ररावली संगमरमर उद्योग	सखेर	मेसनरी स्टोन	2250–00	1500–00	1814–65	

1	2	3	4		6	7	8
305.	श्री फकरुद्दीन पठान	सागरा	केलसाईट	12-96	–	1410-31	चेतना पत्र जारी किया गया
306.	श्री नेमचंद कलाल	सउ	सरपनटाईन	1066-75	1066-75	7987-12	चेतना पत्र जारी किया गया
307.	श्री भूपेन्द्रसिंह बावेल	जामुनिवा की नाल	लाईमस्टोन	100-00	–	–	विभागीय कार्यवाही
308.	श्री दिनेशचन्द पोरवाल	छाली	घीया व सूत प०	1851-72	1851-72	4107-61	चेतना पत्र जारी किया गया
309.	श्री भगवतीलाल परमार	रामा	घीया पत्थर	3070-32	3070-32	–	—
310.	श्री लक्ष्मी मोनरल	सेमड़	केलसाईट	2500-00	–	1250-00	एल. आर. एक्ट संम्पत्ति की जानकारी की जा रही है
311.	श्रीमती सायरादेवी	डोनीयान	केलसाईट	1537-63	1537-63	422-50	चेतना पत्र जारी किया गया
312.	श्रीमती सायर कुमारी	सरू	मावल	1562-50	1562-50	–	—
313.	श्रीमती प्रकाश देवी	भ्रम्बेरी	क्वाटर्ज	1000-00	1000-00	1390-65	चेतना पत्र जारी किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
314.	श्री दीपसिंह पंवार	सरू	सरपनटाईन	3125-00	–	–	एल. आर. एक्ट पी. ए. फार्म की तामील रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाई है।
315.	श्री छोगालाल	मुवाड़ी	लाईमस्टोन	625-00	625-00	–	—
316.	श्री सतपाल सिंह	बापराबल	लाईमस्टोन	625-00	–	937-50	चेतना पत्र जारी किया गया
317.	श्री मीछूनाथ चौहान	बेमला	सरपनटाईन	2551-75	–	–	एल. आर. एक्ट
318.	श्री भवरलाल देवड़ा	गोगुंदा	केलसाईट	293-44	–	293-44	विभागीय कार्यवाही
319.	श्री सुरेश कुमार पोरवाल	तीतरडी	मेसनरी स्टोन	375-00	375-00	714-25	विभागीय कार्यवाही की जा रही है
320.	श्री शिवरतन जोशी	रछाना	लाईमस्टोन	774-05	774-05	–	—
321.	श्री धर्मनारायण स्वामी	नाई	मारबल	1748-85	•400-00	–	विभागीय कार्यवाही
322.	श्री हरीकांत श्री माली	जामुनिया की नाल	लाईमस्टोन	750-00	750-00	–	–
323.	श्री ओमप्रकाश	पालाना खुर्द	,,	625-00	625-00	–	—
324.	श्री कुकडास्टोन कशर	सबलपुरा	मेसनरी स्टोन	750-00	750-00	–	—
325.	श्री कैलाश चन्द मन्दडा	धामला	लाईमस्टोन	312-50	–	625-00	चेतना पत्र जारी किया गया
326.	श्री जैन मिनरल्स	फला	केलसाईट	1079-13	–	1079-13	विभागीय कार्यवाही